...न सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

... : 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या : 24

गुरुवार,

31 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आज तो मुख्य मंत्री बनने की बधाई हो।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं अध्यक्ष बनकर बैठा हूं।

श्री रोहिताश्व कुमार (यातायात, राज्य मंत्री) : आज अध्यक्ष जी रिलैक्स्ड मूड में हैं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : यह तो मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : रिलैक्स्ड नहीं, बात यह है कि बजट में सारा पैसा अपन ने सरकार को दे दिया इसलिए कपड़े उतर गये मेरे।

श्री अमरा राम।

स्थगित प्रश्न

(22 मार्च, 1994)

चन्द्रमहल परिसर में तोड़फोड़

485. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित चन्द्रमहल राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है ? यदि हां, तो क्या उसके परिसर में तोड़फोड़ (मैटीरियल आल्ट्रेशन) की अनुमति नगर निगम या सचिवालय द्वारा दी गयी है ?

(3) क्या पूर्व प्रशासक नगर निगम ने स्वयं जाकर ऐसे अनधिकृत कार्य को ध्वस्त करने के नोटिस दिये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या भवानी सिंह या सवाई मानसिंह ट्रस्ट को यह सब कुछ करने की अनुमति या अधिकार सरकार द्वारा दिये गये हैं ? क्या यह सब कुछ कम्पोनैण्ट की मंशा के विरुद्ध हो रहा है ? कम्पोनैण्ट व उक्त चन्द्रमहल परिसर के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां। जयपुर स्थित चन्द्र-महल राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। परन्तु न तो राज्य एवं न ही भारत सरकार द्वारा बनाये गये प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक अधिनियमों के तहत उक्त महल संरक्षित स्मारक घोषित है। इसके परिसर में तोड़फोड़ (मैटीरियल आल्ट्रेशन) की अनुमति नगर निगम या सचिवालय द्वारा नहीं दी गई है।

(2) जी नहीं।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

(3) जी नहीं । कम्पोनेंट रेलेवेंट एक्सट्रेक्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है । नक्शा विभाग या निगम के पास उपलब्ध नहीं है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है स्मारक में नहीं घोषित किया गया हो, लेकिन जो कन्वोनेंट हिन्दुस्तान की सरकार और हिज हाइनेस के बीच में हुआ है उसके अन्दर यह तमाम प्रापर्टी, जिसमें आप और हम यहां बिराजे हुए हैं वह भी सरकार की और राज प्रमुख की प्रापर्टी है । उसके अन्दर आल्ट्रेशन किया गया है, दुकानें बनाकर किराये पर दी गयी हैं जो किसी के अधिकार में नहीं है । यह किस की परमिशन से हुआ है ? क्या यह वैध हुआ है ?

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक चन्द्रमहल का सवाल है, चन्द्रमहल में किसी प्रकार का निर्माण या आल्ट्रेशन नहीं हुआ, यह मेरी जानकारी में है ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : दुकानें वगैरह बनायी बताते हैं ।

श्री भंवर लाल शर्मा : चन्द्रमहल में नहीं हैं ।

श्री अमरा राम : आपने नक्शा नहीं दिया तो चन्द्रमहल कहां से माना जाएगा ?

श्री भंवर लाल शर्मा : नक्शा मेरे पास है नहीं, दूंगा कहां से ? वह तो ... प्रापर्टी है उनकी । यह कन्फ्युजन में है आपको ...

श्री अमरा राम : जहां दुकानें एण्टर होते ही बनायी गयी हैं ?

श्री भंवर लाल शर्मा : जयपुर के एच. एच. की प्रापर्टी क्या-क्या रहेंगी, उसका वर्णन है कन्वोनेंट में । उसमें उन्होंने कहा है कि एनुअल प्रापर्टी क्या-क्या होंगी, कौन कौन-सी होंगी । क्या-क्या होंगी, उसकी शर्तें हैं ।

'City Palace, subject to the following conditions :—

(1) The buildings housing the Art Treasures, such as carpets, manuscripts, armoury and historical records that are to be converted into a National Trust, to be continued to be used for the said purpose and to be maintained by the Trust or by the Government.

(2) The buildings known as Diwan-i-Am, Sharbatobhadra, Chandra Mahal and the Jai Niwas Gardens (which are faimly property) are to be used for ceremonial and State functions of the Raj Pramukh and should be maintained by the Rajasthan Government for the said purpose.'

यह जो आपने सवाल पूछा है, सिटी पैलेस के लिए नहीं पूछा है । सिटी पैलेस तो जहां आप विराज रहे हो यह भी सिटी पैलेस है । जलेब चौक भी सिटी पैलेस में आता है । आपने पूछा है चन्द्रमहल का, तो चन्द्रमहल

(श्री भंवर लाल शर्मा)

में कोई तोड़फोड़ की जानकारी मेरे पास है नहीं ।

श्री अमरा राम : मैंने कन्टोनेण्ट की कापी भी मांगी है ।

श्री भंवर लाल शर्मा : हां, वह पढ़ रहा हूं । चन्द्रमहल उसमें एक पार्ट है । चन्द्र-महल का जो सवाल पूछा है आपने, आपका क्वश्चन देखें कि चन्द्रमहल में कोई तोड़फोड़ की है क्या ? चन्द्रमहल में कोई तोड़फोड़ की जानकारी मेरे पास में नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास कहां की जानकारी है तोड़फोड़ की ?

श्री भंवर लाल शर्मा : आपके ध्यान में कोई दूसरी बात है । मेरी जानकारी हो सकती है, क्वश्चन जो है उसका जवाब दूंगा । (व्यवधान) ....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : हम यह जानना चाहेंगे कि विधान सभा बिल्डिंग हिज हाइनैस की प्रापर्टी है ? विधान सभा और यह परिसर सारा हिज हाइनैस की प्रापर्टी है ?

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं, यह सिटी पैलेस की तारीफ में आता है ।

श्री अध्यक्ष : हां, यह प्रापर्टी रैण्ट पर है । एक रुपया नामिनल रैण्ट है ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : यह जो अभी आपने बताया कि चन्द्रमहल में कुछ तोड़फोड़ नहीं की गयी है, चन्द्रमहल में तोड़फोड़ नहीं की पर उसका जो अहाता है उसमें अगर दुकाने बनायी गयी हैं तो किसकी स्वीकृति से बनायी गयी हैं ? और नहीं बनायी गयी हैं तो वे बनी हुई दुकानें कहां से आ गयीं ?

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो बात समझ रही हैं वह चन्द्रमहल में नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : चन्द्रमहल का अहाता तो है । वह चन्द्रमहल में ही आता है । अगर चन्द्रमहल के बिलकुल दरवाजे पर कोई बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर देता है ....

श्री भंवर लाल शर्मा : मेरी जानकारी में यह है कि चन्द्रमहल में किसी प्रकार का मैटीरियल आल्ट्रेशन नहीं किया गया है ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : चन्द्रमहल में नहीं बना है, यह आपने सही कहा लेकिन चन्द्रमहल का अहाता भी उसी से जुड़ा हुआ है । अगर वहां दुकानें बनायी गयी हैं तो वे किसकी स्वीकृति से बनायी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह इनके सवाल में आता नहीं है । नैक्स्ट, श्री रामनारायण ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुस्तकालयाध्यक्षों का बैकलाग

742. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालयाध्यक्ष के कितने पद सृजित हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(श्री रामनारायण)

(2) क्या उक्त पद पर वर्ष 1990 से 1993 तक की अवधि में तृतीय ग्रेड के पुस्तकालयाध्यक्षों में सें पदोन्नति दी गयी है? यदि हां, तो उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्ति हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों में से उक्त पद पर पदोन्नति करके आरक्षण अवशेष (बैकलाग) को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों की स्थिति निम्न है : स्वीकृत 669, कार्यरत 598 और रिक्त 71।

(2) जी हां। इनमें से वर्ष 1990 से 1993 तक का विवरण निम्नानुसार है : विभागीय पदोन्नति हेतु रिक्तियों के पांच गुना का विचार-परिसीमा में पात्र आशार्थी उपलब्ध नहीं होने से पदोन्नति पनुसूचित जाति/जनजाति के आशार्थियों की नहीं हो पायी है। जयपुर एवं चूरू मण्डल में 1991-92 से पदोन्नति समिति की बैठक बकाया है।

(3) जी हां। प्रत्येक वर्ष की चयन समिति की बैठक में तुरन्त पाल आशार्थी उपलब्ध होने पर ही सम्भव है।

श्री रामनारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं कि कोटा मण्डल में 1990 से 1993 तक कितने तृतीय श्रेणी को द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत किया गया? पहला जो आशार्थी है तृतीय श्रेणी का अनुसूचित जाति या जनजाति का, वह कौनसे नम्बर पर है? और मैरिट लिस्ट में कौनसे नम्बर पर बैठता है? कितने पद इस मण्डल में खाली हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रयास किया था कि मण्डल-वाइज सारी सूचियां मुझे उपलब्ध हो जाएं, लेकिन इसका सारा रिकार्ड इतने कम समय में मंगा पाना सम्भव नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि वे जिस मण्डल की भी सूची चाहेंगे, अगर उसमें कहीं कोई गलती हो गयी तो बिलकुल आपके सम्मुख ही सबको बुलाकर उसमें सुधार कर देंगे। अभी मेरे पास मण्डल-वाइज सूचियां उपलब्ध नहीं हो पायी हैं, इसको मैं उपलब्ध कराके आपके सम्मुख ही अगर वास्तव में उसमें कोई अभ्यर्थी था, उसका चयन होना चाहिए था और वह किसी कारण से रह गया है, उसकी क्वालिफिकेशन और नार्म्स अगर वह फुलफिल करता है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उसकी निश्चित रूप से पदोन्नति कर दी जाएगी।

श्री रामनारायण : एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मंत्री जी ने काफी कुछ कह दिया है। 669 पद हैं विभाग में और 71 रिक्त हैं। जो 71 पद रिक्त हैं उनमें क्या आप नियुक्ति देंगे बैकलाग पूरा करने के लिए? क्योंकि आपको पता है, 4–5 दिसम्बर, 1991 को भारत सरकार के स्तर पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में

(श्री रामनारायण)

निर्णय हुआ है और इस सरकार ने जारी किया है । वह कर नहीं पाये हैं हम कुछ कारणों से । जिस तरह से आपको सूचना दी गयी है, हो सकता है अफसर लोग इस जाति के लोगों को नहीं ले पा रहे हों । कोई भी रीजन हो यह आप अपने सरकारी स्तर पर देखें; मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसी त्रुटि पायी गयी तो क्या आप उस बैक डेट से उनको पदोन्नत किये जाने के आदेश प्रसारित करेंगे ? और इसकी जानकारी क्या आप मुझे देंगे, की बात करेंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय तुरन्त इसका सही जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं, पर मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि अगर नियमों के तहत यह सम्भव होगा तो इसको भी निश्चित रूप से करेंगे ।

श्री रामनारायण : यह नियमों वाली बात है । चूंकि नियमों के तहत हमें प्रमोशन देना चाहिए था । और जगह नहीं दे रहे हैं । यह मैंने स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछा है ... ...

श्री अध्यक्ष : उसके लिए भी नियम बने हुए हैं ।

श्री रामनारायण : नियम बने हुए हैं उसमें यह आता है । यदि मंत्री जी चाहें तो मैं आपको बता दूं, कोटा मण्डल में पहले ही........

श्री अध्यक्ष : वह आता है तो कर देंगे, यह कह रहे हैं । नियमों के तहत कर ही देंगे, नियमों में आता है तो करेंगे ।

श्री रामनारायण : कब तक कर देंगे इसकी छानबीन करके, इतना-सा बता दें । क्योंकि अब यह विधान सभा में तो दुबारा लग नहीं पाएगा । इस बारे में चर्चा भी दूं तो शायद आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे ।

श्री अध्यक्ष : कब तक करेंगे, यह पूछ रहे हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह जो कोटा मण्डल के बारे में आप कह रहे हैं....

श्री रामनारायण : मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूं, इस पाइण्ट पर चूंकि बात पूरे राजस्थान की है........

श्री अध्यक्ष : कब तक कर देंगे, यह पूछ रहे हैं ।

श्री रामनारायण : कब तक कर देंगे, आप, यह बता दीजिए ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अप्रेल की 30 तारीख है, तब तक सब मण्डलों की सूची मंगाकर उसमें जो भी चयनित होने लायक थे और रह गये, उनका 30 अप्रेल तक निश्चित रूप से पूरा कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जुबेर खान ।

नगर सुधार, न्यास अलवर द्वारा अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा

743. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा ग्राम देलाका, सामोला देवखेड़ा, खुदनपुरी पालका एवं दिवाकरी

(6)

(श्री जुबेर खान)

की भूमि अवाप्त की गयी है ? यदि हां, तो कब-कब एवं कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त भूमि का मुआवजा देना किस दर से तय किया गया है ? क्या तय की गयी दर से सभी कृषकों को मुआवजा मिल चुका है ? यदि हां, तो कृषकवार दी गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाकी बचे हुए कृषकों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण क्या रहे तथा उन्हें मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : (1) जी हां, नगर सुधार न्यास, अलवर की योजना सूर्य नगर एवं वैशाली नगर में ग्राम देलाका, दिवाकरी, मन्नाका, देवखेड़ा की भूमि आती है जिसको राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अवाप्त की जा रही है। इन योजनाओं में कुल भूमि जो अवाप्त की जा रही है, वह निम्न प्रकार है :—

1. सूर्य नगर	391 बीघा 17 बिस्वा
2. वैशाली नगर	528 बीघा 08 बिस्वा
कुल	920 बीघा 05 बिस्वा

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) की दिनांक 6-1-92 एवं 20-2-92 को अधिसूचना जारी की गयी है। इसके पश्चात् खातेदारों की आपत्तियां सुनने के पश्चात् धारा 5(1) की रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 5-9-92 को भिजवायी गयी थी जिसके पश्चात् राज्य सरकार ने धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 5-11-92 को जारी की गयी। इस भूमि में से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 15-1-93 व 13-4-93 को अवार्ड पारित कर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को निम्नानुसार भिजवाया गया :—

1. सूर्य नगर	309 बीघा 11 बिस्वा
2. वैशाली नगर	215 बीघा $8\frac{1}{2}$ बिस्वा
कुल	524 बीघा $19\frac{1}{2}$ बिस्वा

दोनों योजनाओं की 920 बीघा 05 बिस्वा में से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 524 बीघा $19\frac{1}{2}$ बिस्वा का अवार्ड जारी किया गया एवं शेष 395 बीघा $5\frac{1}{2}$ बिस्वा का अवार्ड जारी किया जाना है। अवार्ड की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी/डी. टी. पी न्यास द्वारा की जा रही है। जिस भूमि का अवार्ड जारी कर दिया गया उसमें से निम्न प्रकार खातेदारों को भुगतान किया गया :—

1. सूर्य नगर
242 बीघा 17 बिस्वा 4,29,85,175 रु.
2. वैशाली नगर
19 बीघा 03 बिस्वा 34,25,750 रु.

262 बीघा 00 बिस्वा 4,64,10,925 रु.

शेष 262 बीघा $19\frac{1}{2}$ बिस्वा भूमि का भुगतान किया जाना है जिसमें से 13.06

(श्री भंवर लाल शर्मा)

का माफी मन्दिर की भूमि होने की वजह से जिला सत्र न्यायालय, अलवर के न्यायालय में रेफ्रेन्स किया जा रहा है। शेष भूमि का खातेदारों से स्वत्व का विवाद है जिसके निपटारे के बाद मुगतान वर्ष 1994-95 में कर दिया जाएगा।

(2) न्यास द्वारा सूर्य नगर एवं वैशाली नगर की दर सब-रजिस्ट्रार अलवर के यहां रजिस्टर्ड हुई। बयना में के तस्दीक के आधार पर गठित समिति द्वारा 1,25,000 रुपये प्रति बीघा की दर से 30 प्रतिशत सोलेसियम राशि एवं धारा 4 की अधिसूचना से अवार्ड जारी करने तक 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि सहित कुल राशि 1,77,500 रुपये तय की गयी जिसकी राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 6 (37) नविग्रा/91 दिनांक 21-5-93 एवं 6 (1) नविग्रा/92 दिनांक 25-11-93 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी एवं इस दर से काफी खातेदारों को मुआवजे का मुगतान किया गया जिसकी सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) शेष बची भूमि 262 बीघा 19½ बिस्वा, जिसका कि अवार्ड जारी कर दिया गया है उसका भुगतान खातेदार को वर्ष 1994-95 में दिया जायेगा। जिस भूमि का अभी अवार्ड जारी नहीं हुआ है उनका अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी न्यास, अलवर द्वारा जारी करने की कार्यवाही चल रही है। घोषित अवार्ड के अनुसार खातेदारों को राशि भुगतान में विलम्ब का कारण खातेदारों में स्वत्व का विवाद एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी का पद रिक्त रहना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि इसमें इनको जो मुगतान में देरी हुई है, मैं यह कोशिश करूंगा कि अगले वर्ष 1994-95 में जो-जो बच गये हैं उनका मुगतान हो जाए, उनको छोड़कर जिनका कोर्ट में विवाद है, सरकार जल्दी से जल्दी इनको मुआवजा दिलायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि 262 बीघा 19½ बिस्वा का बाकी है, मई, 1993 में कैम्प लगाया गया वहां कोई चैक का वितरण नहीं किया गया। लोगों से कह दिया गया कि आप दफ्तर में आकर ले लेना। जितने भी लोग आये थे, सब को यह कहा गया। उसके बाद में यह अनियमितता हुई, जिन लोगों ने बाबुओं को कोई कमीशन या पैसा दे दिया उनको तो चैक दे दिये गये और बाकी लोगों को नहीं दिये गये। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने 13 बीघा और 6 बिस्वा का कहा है कि मन्दिर माफी का और एक व्यक्ति का विवाद है कि इसका मुआवजा मन्दिर को दिया जाए या आदमी को, वह सिर्फ 13 बीघा 6 बिस्वा है और बाकी जमीन का कोई विवाद नहीं है क्लेम का कि किसका हक बनता है। पिछले एक साल से लोगों ने खेती भी नहीं की, क्योंकि अवाप्त कर ली थी और यू. आई. टी. ने

(8)

(श्री जुबेर खान)

कालोनी का भी आज तक वहां कोई कार्य नहीं किया। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आपने मान लिया कि देरी हुई है, एक साल की जो देरी हुई है इसमें क्या आप लोगों को 12 पर्सेण्ट के हिसाब से, जो आपका कायदा है, ब्याज देंगे? क्योंकि लोग जब पूछने जाते थे तो वे कहते थे कि सरकार से पैसा ही नहीं आया है। वह यह जवाब नहीं देते थे कि इसमें लिटिगेशन है या कोई विवाद है, यह कहते थे कि हमारे पास तो राज्य सरकार ने पैसा नहीं भेजा है, पैसा नहीं है तो यू. आई. टी. कहां से पैसा दे। मैं आपसे स्पेसिफिक दो क्वेश्चन चाहता हूं कि आप एक तो ब्याज के लिए क्या कहते हैं कि लोगों को एक साल से पैसा नहीं दिया गया, बहुत से लोगों का तो 30-30, 40-40 लाख रुपया है, पूरे परिवार की जमीन चली गयी क्योंकि शहर के पास में यह गांव है। उनको क्या 12 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देंगे? और दूसरा कब तक आप इनको यह भुगतान करा देंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैंने निवेदन किया, माननीय सदस्य, कि इसमें विलम्ब हुआ है। मैं इसको व्यक्तिगत देखकर इसको जल्दी-जल्दी पूरा करा दूंगा और और यदि पैसा नहीं है, यहां से जाना है तो यहां से भेज देंगे। अब मैं यह कह सकता हूं आपको कि इसमें विलम्ब नहीं होगा और जल्दी से जल्दी पूरा करा देंगे। I will take personally interest.

श्री रामनारायण चौधरी : ब्याज दिलायेंगे या नहीं?

श्री भंवर लाल शर्मा : हां वह तो 12 प्रतिशत का नियम है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री शांतिलाल चपलोत !

मानसी वाकल योजना (उदयपुर) के लिए राशि का प्रावधान

744. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मानसी वाकल योजना, जिला उदयपुर सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या मानसी वाकल योजना की क्रियान्विति हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के जरिये पूर्ण होनी थी? यदि हां, तो सरकार का हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर से क्या समझौता हुआ?

(3) क्या मानसी वाकल योजना के लिए हिन्दुस्तान जिंक अथवा सरकार ने कोई राशि स्वीकृत की थी? इस योजना के बारे में सरकार की क्या नीति है?

(4) क्या सरकार इस योजना को पूर्ण कराने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा और नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी हां।

(2) जी हां। लेकिन हिन्दुस्तान जिंक

(श्री देवीसिंह भाटी)

लिमिटेड व जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बीच समझौता अभी विचाराधीन है ।

(3) जी हां । मानसी वाकल योजना के प्रारम्भिक कार्यों के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने अब तक लगभग 10.00 लाख रुपये व्यय किये हैं तथा सरकार ने सिचाई विभाग के माध्यम से फरवरी, 1994 तक 102.64 लाख रुपये व्यय किये हैं ।

यह योजना उदयपुर शहर की जलापूर्ति में वृद्धि के उद्देश्य से बनी है तथा इसका क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विचाराधीन है । सिचाई विभाग द्वारा डूब में आने वाली भूमि एवं सम्पत्ति का मुआवजा चुकाने का कार्य प्रगति पर है ।

(4) जी हां । परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय व्यवस्थाएं तथा भूमि अवाप्ति का कार्य एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से अनुबन्ध तय किये जाने पर योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मोहन लालजी सुखाड़िया ने सबसे पहले इस योजना को प्रारम्भ किया....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये ।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह उदयपुर का अहम् मसला है और उन्होंने देवास में फर्स्ट योजना बनायी । इसके बाद सैकण्ड बनने वाली थी, थर्ड बनने वाली थी । उसके बाद टनल कुओं का रख-रखाव नहीं हुआ, टनल टूट गयी और आज उस पर कोई भी बांध बना हुआ नहीं है । यह सारा-का सारा पानी गुजरात में जा रहा है । यदि गुजरात ने वहां कोई बांध बना दिया तो हमारे लिए यह संकट का कारण बन जाएगा और हम इस पर कोई काम नहीं करा पायेंगे । इसलिए माननीय मंत्रीजी से मैं दो स्पेसिफिक प्रश्न इस बारे में करना चाहता हूं कि क्या माननीय शिवचरणजी माथुर ने इसका शिलान्यास कर दिया था? और क्या हिन्दुस्तान जिंक से कोई समझौता पूरा हो गया है ? आपने पहले कहा है कि हां, समझौता हो गया है और फिर आप यह कह रहे हैं कि अभी विचाराधीन है । हिन्दुस्तान जिंक ने इतना रुपया भी खर्च कर दिया और सिचाई विभाग ने भी खर्च कर दिया तो फिर इसका विचाराधीन होने से कैसे सम्बन्ध है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा ? सिचाई विभाग करेगा या जलदाय विभाग करेगा ? यह मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो उदयपुर के लिए जलापूर्ति के बाबत चिंता जाहिर की है, उसी के लिए ही यह योजना प्रस्तावित है और एक बात जो इन्होंने पूछी है कि क्या शिवचरणजी माथुर ने इसका शिलान्यास किया, वर्ष 1989 में इसका शिलान्यास किया गया और हिन्दुस्तान जिंक से इसका समझौता अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है और जब भी यह फाइनल हो जाएगा उसके बाद में इसकी

(श्री देवीसिंह भाटी)

क्रियान्विति शुरू हो जाएगी । सिंचाई विभाग की तो इसमें सिर्फ यही भूमिका है कि शुरूआत में हमने इसको सिंचाई विभाग के माध्यम से लेने का सोचा था लेकिन बाद में समय-समय पर इसकी बैठकें हुई और यह तय हुआ कि इसका जो भी खर्चा आयेगा वह हिन्दुस्तान जिंक और पी. एच. ई. डी. दोनों अपने-अपने खर्च के अनुपात में भुगतेंगे, और मूल रूप से हिन्दुस्तान जिंक के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूं यदि यह विचाराधीन है तो फिर किस मद में हिन्दुस्तान जिंक ने 10 लाख रुपये खर्च किये और कैसे खर्च किये ? यह फिर विचाराधीन होने का सवाल ही नहीं है, यह तो फाइनल हो चुकी है और अब इसके बारे में सरकार आगे क्या विचार कर रही है ? यदि फाइनल नहीं हुई तो 10 लाख रुपये हिन्दुस्तान जिंक ने किस मद में खर्च किये ? या तो मिस एप्रोप्रिएशन किया या किस कारण से उन्होंने पैसा खर्च किया ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रारम्भिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बारे में इसमें खर्चा हुआ है कोई विशेष अलग से इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गरासियाजी ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में यह समझौता हो गया था लेकिन रायल्टी के चक्कर में सरकार और हिन्दुस्तान जिंक के बीच में कन्फ्यूजन है । सरकार चाहती है कि रायल्टी हमको पहले दें जबकि हिन्दुस्तान जिंक कह रही है कि पैसा हम लगायें पूरा लेकिन आप रायल्टी को किश्तों में काटें, लेकिन सरकार चाहती है कि रायल्टी पानी जितना देंगे, जितना पानी आप यूज करेंगे उसकी रायल्टी लेंगे, यह सरकार और हिन्दुस्तान जिंक के बीच में विवाद है । वास्तव में यह समझौता हो गया था और इसी कारण से हिन्दुस्तान जिंक में 10 लाख रुपये खर्च किए गये हैं । माननीय मंत्री जी को जो जवाब उनके अधिकारियों ने दिया है वह सही नहीं है, इसकी सही जानकारी पहले उन अधिकारियों से लेकर ...

श्री अध्यक्ष : आपको ज्यादा जानकारी है अच्छा है, आपने जानकारी दे दी । श्री गुलाबसिंह जी । ....(व्यवधान) जानकारी दे दी ठीक है । आपको भी पूछवाऊंगा, पहले आपका हाथ खड़ा किया हुआ था ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (बल्लभ-नगर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 1989 में इसका शिलान्यास कर दिया गया था, क्या उस वक्त इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गयी थी ? नम्बर दो, हिन्दुस्तान जिंक से करार जो आप करने जा रहे हैं, उसके मसविदा पर आपने अन्तिम निर्णय लिया या नहीं लिया ? और आज जैसी हिन्दुस्तान जिंक की वित्तीय स्थिति पैदा हो गयी है रॉक-फास्फेट और दूसरी चीजों के भावों के घटने से वह

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

इस योजना को हाथ में लेने से मुकर गया है, ऐसी मेरी जानकारी में आया है । वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालें ।

श्री अध्यक्ष : श्री सनाढ्यजी ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी का आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके जो उन्होंने उत्तर दिये हैं, ऊपर से नीचे तक, पहले से चौथे तक किसी भी उत्तर का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध नहीं है । इन्होंने चौथे उत्तर में कह दिया कि वित्तीय स्वीकृति ली जाएगी, अवाप्ति की ओर ऊपर कह दिया कि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है और उसके लिए इतने लाख रुपये का खर्चा कर दिया गया। हिन्दुस्तान जिंक ने इस पर 10 लाख रुपये खर्च कर दिये हैं, इसका शिलान्यास हो चुका है, यह सारे के सारे प्रश्न हैं और सिंचाई विभाग और जलदाय विभाग के बीच में यह योजना आज तक खटाई में पड़ी रही और आज तक यह निर्धारित नहीं हो सका इन पिछले 25 सालों के अन्दर कि इसे सिंचाई विभाग बनायेगा या इसे जलदाय विभाग बनायेगा या हिन्दुस्तान जिंक बनायेगा ? मैं माननीय मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इसको आखिर कौन बनायेगा ? यह इतना रुपया खर्च कर दिया, यदि इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, यदि इसका कान्ट्रेक्ट नहीं किया गया है एक दूसरे के साथ, जैसा इन्होंने कहा कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व हिन्दुस्तान जिंक के बीच में अभी समझौता विचाराधीन है तो यह रुपया किस कारण से खर्च कर दिया ? नीचे आकर इन्होंने कहा है कि "जी हां, परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय व्यवस्थाएं तथा भूमि अवाप्ति का कार्य एवं हिन्दुस्तान जिंक लि. से अनुबंध तय किये जाने पर योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा", तो यह रुपया कहां खर्च हो गया, यह कार्य कैसे प्रारम्भ हो गया ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, वित्तीय स्वीकृति अभी जारी नहीं हुई है । यह स्कीम काफी समय से विचाराधीन है । पहले इसको सिंचाई विभाग बनाने के लिए पूर्णतया तैयार था । बाद में हिन्दुस्तान जिंक को इसकी आवश्यकता हुई तो वह भी इसमें शामिल हुआ और पी. एच. ई. डी. को भी उदयपुर की जल आपूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता थी तो यह अलग-अलग स्टेज पर इसके ऊपर वार्ता चलती रही यह सारा विचाराधीन मामला है और अभी इसके अन्दर एम. ओ. यू. साइन नहीं हुआ है, राज्य सरकार के विचाराधीन है और इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है कि इसमें आपस में कोई टकराहट हो और इस योजना को कोई लम्बित करना चाहते हों, ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : रुपया किसमें खर्च हुआ यह पूछ रहे हैं, 1 करोड़ 2 लाख और 10 लाख रुपये किस में खर्च हुए हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस योजना पर 1 करोड़ 2 लाख रुपये सिंचाई विभाग ने खर्च किये हैं और 10 लाख रुपये हिन्दुस्तान

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जिक ने खर्च किये हैं, इसकी तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति न होने के बावजूद भी इतनी धनराशि इस पर क्यों खर्च की गयी ?

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : 1989 में बिना प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति के शिलान्यास क्यों हुआ ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्रशासनिक स्वीकृति थी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं थी ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप पता लगा लीजिए, आप पता लगा लीजिएगा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे मालूम है उस समय भी नहीं थी ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी स्वीकार किया है आपने, अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो आज की बात कह रहे हैं । 1989 में तो शिलान्यास करना था, कोई स्वीकृति हो या नहीं हो, करो ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपके मंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपके मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति थी ।

श्री देवीसिह भाटी : उसके बाद में यह स्वीकृति जारी हुई है । अध्यक्ष महोदय, यह अलग-अलग मद में खर्चा हुआ है ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह कौनसी तारीख को किया है, तारीख बता दीजिए ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तारीख नहीं बताते हैं ।

श्री देवीसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर काश्तकारों को मुआवजा भी देना था, मुआवजे के लिए भी हमने पैसा दिया है, इसके सर्वेक्षण के लिए वेपकोस को भी हमने इसके अन्दर पैसा दिया है, यह अलग-अलग मदों में खर्चा करना था वह इस प्रकार खर्च किया ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहता हू । माननीय सदस्यों का सहयोग लेने के लिए कि यह योजना सही है, यह योजना पूरी होनी चाहिए, यह सही है कि राजस्थान सरकार के पास धन की कमी थी इसलिए हिन्दुस्तान जिंक से बात-चीत की । हिन्दुस्तान जिंक चित्तौड़ में पानी चाहता था, चित्तौड़ में, .. (व्यवधान) .. नहीं मेरी बात सुन लीजिए, घोसुंडा बांध में, तो उस आधार पर हमने यह कोशिश की कि इसमें हिन्दुस्तान जिंक पार्टी बन जाए तो यहां जो पीने के पानी की कमी है उसमें हिन्दुस्तान जिंक का सहयोग हमको मिल जाए । आज की स्थिति बिलकुल विपरीत है । आज हिन्दुस्तान जिंक इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है उस वातावरण में हिन्दुस्तान जिंक अपना एग्जिस्टेंस भी बना पाये रखेगा या नहीं रख पायेगा, लेकिन एक दूसरा विवाद है, धन की तो व्यवस्था कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लोकल पापुलेशन

(श्री भैरोंसिह् शेखावत)

इसका विरोध करने लग गयी है । मैं स्वयं वहां गया था और जाकर मैंने लोगों को समझाया कि यह पानी अगर गुजरात में जाता है उससे आपको लाभ नहीं होगा । यहां यदि डेम बनेगा और डेम के कारण से कई लोग आउस्ट होंगे, उनके रिहेबिलिटेशन की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी और आपको भी मालूम होगा कि यह जो एन जी. ओज के लोग भी वहां गए हैं और उन्होंने उन लोगों को काफी भड़काया है, तो मैं चाहूंगा कि जो भी इस योजना में इन्ट्रेस्टेड हों वह सब मिल कर इस बात का प्रयास करें कि लोकल लेवल पर इसका विरोध नहीं हो । अगर वह विरोध नहीं होगा तो मैं आपको कहता हूं कि इस योजना के लिए धन की जो कमी रहेगी उसकी पूर्ति करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ये प्रोफेशनल लोग हैं ।

श्री भैरोंसिह् शेखावत : आप कहते हैं कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, देखिए इन्हीं प्रोफेशनल लोगों के कारण से नर्बदा सागर की हाइट कम हो गयी । आप यह प्रोफेशनल मत मानिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह प्रोफेशनल लोग ही हैं जो रोज इस तरह का आन्दोलन करते हैं ।

श्री गुलाबसिह् शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो समिति के लोग उसका विरोध कर रहे हैं उसका मूल मुद्दा यह है कि वह कम्पन्सेशन साइट पर चाहते हैं, मुआवजे की राशि साइट पर चाहते हैं । मुआवजा उनको यदि साइट पर चुका दिया जाता है तो वह फिर विरोध बन्द कर देंगे । वह यह चाहते हैं कि हमें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें मुआवजे के लिए । इसके लिये सरकार यह आश्वस्त करती है कि मुआवजा उनको साइट पर चुका दिया जाएगा तो मैं इस सम्बन्ध में सरकार को पूरा सहयोग करूंगा; उन लोगों से बात-चीत करके उनको कहूंगा भी ।

श्री भैरोंसिह् शेखावत : मुआवजा देना है तो सरकार को इसमें आपत्ति नहीं होगी कि तत्काल साइट पर उसका भुगतान कर दिया, लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है, अब यह उन लोगों के हाथ में नहीं रहा उन एसोसिएशन्स के हाथ में चला गया ।

श्री गुलाब सिह् शक्तावत : उसकी भी हम कोशिश करेंगे ।

श्री भैरोंसिह् शेखावत : मैंने उन एसोसिएशन के लोगों से भी बात की है, मैंने उनको यह भी कहा है कि आप गुजरात में पानी ले जाना चाहते हैं तो गुजरात में इंटरप्शन नहीं हो इसकी आप कोशिश करो । बात-चीत मेरी भी पूरी हुई लेकिन अपन मिल कर यदि इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य । नैक्स्ट ।.... (व्यवधान)....

(14)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुआवजे के लिए 55 लाख रुपये दिये जा चुके हैं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह भी फैसला कर दीजिए कि पी. एच. ई. डी. के फण्ड से या इरिगेशन के फण्ड से ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इसका फण्ड छोड़ दीजिए राजस्थान सरकार का फण्ड है ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ठीक है, मुआवजे का रुपया वहां मिल जाएगा तो हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिलेगा निश्चित रूप से ।

माणिक्य लाल वर्मा कन्या छात्रावास, सरदारपुरा (उदयपुर) की भूमि का बेचान

745. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माणिक्य लाल वर्मा कन्या छात्रावास, सरदारपुरा, उदयपुर ने सरकार से 1956 में छात्रावास हेतु जमीन प्राप्त की थी ? यदि हां, तो जमीन की कुल कीमत कितनी थी और वह राशि किसने जमा करायी ?

(2) उक्त भूमि पर भवन बनाने हेतु सरकार ने कितना अनुदान किन-किन वर्षों में स्वीकृत किया और संस्था को दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में से सेन्टपाल स्कूल, उदयपुर को तथा श्री राममल माहेश्वरी तथा अन्य व्यक्तियों को कुछ हिस्सा बेचा गया ? यदि हां, तो कितनी जमीन, किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि में बेची गयी और यह बेचान तथा रजिस्ट्री किन-किन पदाधिकारियों ने की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि इस संस्था के पदाधिकारियों ने संस्था की भूमि से जो प्लाट बेचे, उसकी राशि को संस्था में समय पर जमा नहीं करायी और अपने पास रखी ? क्या यह मिस एप्रोप्रियेशन ऑफ मनी जैसा अपराध नहीं बनता है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) इस संस्था के वर्तमान पदाधिकारी कौन-कौन हैं और कब से कब तक हैं ? इस छात्रावास में अभी कितनी छात्राएं अध्ययन कर रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) जी हां, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 6 अगस्त, 1956 के अनुसार माउन्टेड पुलिस लाइन, उदयपुर के भवन, जिसकी कीमत रुपये 13,500/– तथा इसके साथ लगी हुई भूमि रुपये 250/– प्रति बीघा की दर से संस्था को विक्रय की गयी थी । सेक्रेटरी, सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, उदयपुर के आदेश दिनांक 13-4-56 के अनुसार 4 बीघा 16 बिस्वा, 6 बिस्वांसी भूमि रुपये 250/– प्रति बीघा के हिसाब से रुपये 1,203.42 में संस्था को आबंटित की गयी थी, जिसकी राशि संस्था के द्वारा जमा कराई गयी है ।

(2) उक्त संस्था को छात्रावास भवन बनाने हेतु सरकार द्वारा निम्न प्रकार से अनुदान स्वीकृत किया गया :—

(श्री मदन दिलावर)

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत अनुदान की राशि
1.	1959-60	50,000/–
2.	1960-61	31,000/–
	योग :	81,000/–

(3) जी हां, बेची गई भूमि की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। बेचान तथा रजिस्ट्री पर संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर हैं।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) संस्था के पदाधिकारियों की सूची एवं वे कब से हैं, की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। वर्तमान में 80 छात्राएं प्रवेशित हैं।

(सूचना एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर 1978 से लेकर आज तक ये प्रश्न बराबर किसी न किसी के द्वारा उठाये जाते रहे हैं, इसके पदाधिकारियों की सूची अगर आप देखें तो उनमें 22-9-77 से एक ही अध्यक्ष है। यह उदयपुर में संस्था है लेकिन उदयपुर का एक भी व्यक्ति इस संस्था के अन्दर सदस्य नहीं है। इसके सदस्यों की सूची अगर आप देखें तो लगभग एक ही परिवार के लोग, एक ही विचारधारा के लोग और एक से लोग। उसके नीचे आप देखें, जिला शिक्षा अधिकारी जो रखा गया है, वह भी भीलवाड़ा का है। इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष, इसके सदस्य, इसके मंत्री, अगर आप कहें तो मैं यह सूची सारे सदन को सुना दूं, सारे एक ही परिवार के लोग इसमें सम्मिलित हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, मंत्रीजी, क्या आपने कभी इस प्रकरण की जांच करायी थी? कभी राज्य सरकार ने इस प्रकरण की जांच की है और अगर जांच की है तो उस जांच की रिपोर्ट क्या है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद उस पर क्या एक्शन लिया गया है?

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक तरह से अपराध है क्योंकि यह जो धन लिया गया है, इस धन को उचित स्थान पर जिस जगह जमा कराया जाना चाहिये था, वह नहीं कराया गया है। यह एक तरह से अपराध है इसको क्या कहना चाहिए, धन का दुरुपयोग किया गया है। इसमें अगर धन का दुरुपयोग किया गया है तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न समय-समय पर विधान सभा में उठाया जाता रहा है और इसी को मध्य नजर रखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश से 26-4-84 को एक जांच कमेटी गठित की गयी थी जिसके अध्यक्ष थे श्री फारूख हसन, मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यु, और उनकी अध्यक्षता में दो मेम्बर और थे। इस कमेटी को 6 महीने का समय दिया गया था जांच करने के लिए लेकिन किन्हीं कारणों से ये लगातार समय बढ़ाते रहे और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग साल

(श्री मदन दिलावर)

भर तक समय बढ़ाया गया, उसके बाद जांच रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग में तो आयी नहीं। मुझे यह जानकारी नहीं है यदि कार्मिक विभाग में जांच रिपोर्ट होगी और वह जांच रिपोर्ट क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी जानकारी करके उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि एक ही परिवार के सदस्य हैं, इस सूची से तो यह पता चल ही रहा है जैसाकि माननीय सदस्य ने बात कही है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बता दूं कि ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत कोई जरूरत नहीं है इनको बताने की।... (व्यवधान) ...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इनको पता है? अगर इनको पता है कि ये एक ही परिवार के लोग नहीं हैं तो मैं रिश्ते बता दूं कि इनके साथ में कि किसके साथ किसका क्या रिश्ता है? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप छोड़िये, यह बहुत पुराना मामला है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, अगर बहुत पुराना मामला हो जाए और उसमें आर्थिक अपराध हो तो आखिर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर्थिक अपराध यदि आप बता दें तो आज भी एक्शन लेने को तैयार हूं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, यह जितनी जमीन बेचान की गई है, सेंटपाल को जमीन दी गयी, इन लोगों को जमीन दी गयी, उस संस्था के किसी भी बहीखाते के अन्दर यह रुपया जमा नहीं है। यह जो जमीन थी वह सस्ते में छात्रावास के लिए दी गयी थी, किसी परिवार के लिए नहीं दी गयी थी। अगर परिवार के लोग उस जमीन को बेच-कर के खाते रहें तो यह अगर आर्थिक अपराध नहीं है तो फिर आर्थिक अपराध किसको कहेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो बहीखाते माननीय सदस्य के पास हैं, बहीखाते में रुपया जमा नहीं बताते हैं, माननीय सदस्य के पास ऐसे कोई बहीखाते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे इनके पास नहीं हैं लेकिन वे मेरे पास हैं इसीलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि यह बहुत पुराना मामला है, इसको छोड़ना चाहिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ठीक है, आपका हुकम है तो करना पड़ेगा। ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री दलीचन्द।

पीपलखूंट पंचायत समिति में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास

746. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति पीपलखूंट एवं बांसवाड़ा में इन्दिरा

(श्री दलीचन्द)

ग्रावास योजना के तहत सन् 1991–92, 1992–93 में कितने इन्दिरा ग्रावासों की स्वीकृति हुई ? क्या सभी स्वीकृत ग्रावासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो कितने ग्रावासों का निर्माण कार्य शेष रहा ?

(2) क्या उक्त योजना के ग्रन्तर्गत निर्मित ग्रावासों का मुगतान सम्बन्धित को कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह मुगतान कब-कब किया गया ? तारीखवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, विशिष्ठ योजना संगठन (श्री ग्रनंग कुमार जैन) : (1) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति पीपलखूंट एवं बांसवाड़ा (तलवाड़ा) में इन्दिरा ग्रावास योजना के तहत सन् 1991-92 एवं 1992-93 में कुल 385 इन्दिरा ग्रावासों की स्वीकृति जारी की गयी थी। इनमें से 294 ग्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 50 ग्रावासों का कार्य निर्माणाधीन है जिनका कार्य शेष है तथा 41 ग्रावासों की स्वीकृति ग्रावंटियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

(2) जी हां, योजना के ग्रन्तर्गत ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्दिष्ट मापदण्ड के ग्रनुसार किये गये कार्य के ग्रनुरूप निर्मित ग्रावासों का मुगतान ग्राबंटियों को कर दिया गया है। भुगतान का तारीखवार विवरण संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री दलीचन्द : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो इन्दिरा ग्रावास स्वीकृत हुए थे, उनका पहला मुगतान 6-2-92 को हो गया ग्रौर दूसरी किश्त का भुगतान 30-3-93 को हुग्रा, तो क्या इतने विलम्ब से मुगतान होने से इन्दिरा ग्रावास पूर्ण हो सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, 1992-93 में जो इन्होंने बताये हैं, पीपलखूंट पंचायत समिति में 14 इन्दिरा ग्रावास निरस्त किये गये हैं, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये इन्दिरा ग्रावास किस कारण से निरस्त किये गये हैं ? एक इन्दिरा ग्रावास कमला शान्तिलाल, दानपुर का था, जिसको इन्दिरा ग्रावास स्वीकृत किया गया, उसका मकान बनकर तैयार पड़ा है लेकिन उसका भुगतान नहीं हुग्रा है, इसका क्या कारण है ? इन्होंने जो यह निरस्त बताया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पहला चैक इनका कट चुका था लेकिन पंचायत समिति के कर्मचारी द्वारा 15 प्रतिशत कमीशन मांगने ग्रौर उस काश्तकार द्वारा कमीशन नहीं दे पाने की वजह से, उसको चैक नहीं दिया गया, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इन्दिरा ग्रावास योजना के तहत ग्रावास निर्माण हेतु प्रति ग्रावास रुपये 9,800/– स्वीकृत किये जाते हैं ग्रौर ग्राबंटियों द्वारा यदि उसमें शौचालय ग्रौर उन्नत चूल्हा लगाया जाता है तो रुपये 1,400/– की ग्रतिरिक्त राशि उनको ग्रौर स्वीकृत की जाती है। इस योजना के ग्रन्तर्गत तीन स्टेजेज में पेमेंट किया जाता है। प्रथम् तो नींव तक कम्पलीट करने के बाद 2,000/–

(श्री अनंग कुमार जैन)

रुपया दिया जाता है, बाद में यदि लिंटल लेवल तक वह कम्पलीट कर लेता है तो 4,000/– रुपये दिये जाते हैं और उसके बाद छत डालने का कार्य और अन्य कार्य पूर्ण करने पर रुपये 3,800/– दिये जाते हैं। इस प्रकार ये तीन किश्तों में सीधा आबंटियों को ही पैसा दिया जाता है। माननीय सदस्य ने यह बताया है कि जिन लोगों ने स्वीकृत करने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया, जैसे नींव ही खोदना चालू नहीं किया तो उन लोगों के लिए इन्तजार किया गया, उनको परश्यू किया गया कि आप कार्य प्रारम्भ करें, लेकिन लगातार परश्यू करने के बाद भी काम प्रारम्भ नहीं करते हैं तो लम्बा समय निकलने के बाद उनकी स्वीकृति को निरस्त कर दिया जाता है। बाकी जिन लोगों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया और जिस-जिस स्टेज तक उन्होंने कार्य किया, उस स्टेज तक उनको पेमेंट किया गया। एक व्यक्ति का नाम आपने अभी मुझे बताया उसके बारे में जो भी कार्य उसने पूरा कर लिया है और विभाग द्वारा उसको भुगतान नहीं किया गया है तो मैं निश्चित रूप से इसकी जानकारी करके उनको भुगतान कराऊंगा, यह मैं माननीय सदस्य को सदन के माध्यम से आश्वस्त करता हूं।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि जो भुगतान की पहली किस्त 6 महीने पहले हो जाती है और दूसरी किश्त 6 महीने बाद होती है, अगर वह काश्तकार इतना सक्षम होता तो वह मकान स्वयं क्यों नहीं बना लेता। जो मजदूर से काम कराता है उसे 6 महीने तक भुगतान नहीं होता है तो क्या भुगतान नहीं कर पाने की वजह से वे मकान अधूरे रहते हैं और मजदूरों का पेमेंट नहीं होने से मजदूर काम पर जाते नहीं हैं। इसलिए उनका भुगतान इतने विलम्ब से क्यों किया जाता है ?

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें तीन स्टेजेज निर्धारित हैं। नींव तक कार्य कर लेते हैं तो दो हजार रुपया पेमेंट कर दिया जाता है। अब कई बार इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चयनित लोग होते हैं वे कई बार पहले नींव का काम कम्पलीट करके लिंटल लेवल का काम नहीं कर पाते हैं। उसमें लम्बा समय गुजर जाता है। बीच में ऐसा समय आ जाता है कि वे कार्य करने के लिए बाहर चले जाते हैं तथा कई बार 6–6 महीने के बाद भी जब वे लिंटल लेवल का कार्य पूरा करते हैं तो जैसे ही लिंटल लेवल का कार्य पूरा होता है उनको नैक्स्ट किश्त का भुगतान कर दिया जाता है। अब लिंटल लेवल के बाद फिर उसमें अगर गैप कर देते हैं और छत डालकर आगे का कार्य पूरा कर लेते हैं तो तीसरी किश्त का भुगतान भी कर दिया जाता है। फिर भी माननीय सदस्य अगर ऐसे केसेज मेरी नोलेज में लाते हैं, जिन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया हो और विभाग द्वारा उनको परेशान किया गया हो या उनको समय पर भुगतान नहीं किया गया हो, तो मैं निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही कराऊंगा और सक्षम अधिकारी से उनकी जांच कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, हो गया।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो मकान बनाये गये, वे मकान जिस व्यक्ति के नाम से बनाये गये वे मकान आज पट्टी के लेवल तक पूरे भी नहीं हुए और आपके कागजातों में उन मकानों को उन व्यक्तियों के नाम हैण्ड ओवर करना बताया गया है जबकि ये मकान उन व्यक्तियों को हैण्ड ओवर नहीं किये गये। क्या इस तरह के मकानों के कार्यों की जांच करके पूरा करवाकर उनको सुपुर्द कराया जाएगा या जो मकान इस तरह से खण्डहर अवस्था में पड़े हुए हैं, टूटे-फूटे हैं उनका भी निर्माण कार्य कराकर उन्हें सुपुर्द कराया जाएगा ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि 9800 रुपये में पूरा कार्य नहीं हो पाता है। इसीलिए पहले ग्रुप के अन्दर ये कार्य निर्माण कराया जाता था। उसके बाद शिकायतें आई कि ग्रुप में कार्य पूर्ण नहीं होता है। 10 आदमियों का ग्रुप है उसमें दो आदमी काम करते हैं, 6 कर लेते हैं तो 4 नहीं करते हैं। सरकार ने यह तय किया कि सीधा आवंटी को ही पैसा अलाट किया जाय ताकि आबंटी का उसमें इंटरेस्ट क्रियेट हो। कुछ कार्य उसको भी करना पड़ता है और 9800 रुपये की सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है तब जाकर यह कार्य सम्भव हो पाता है।....(व्यवधान)...

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : 11200 रुपये दिये जाते हैं और इसका एक काइटेरिया बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है, ठीक है, वह आप बता देना

श्री अनंग कुमार जैन : जैसा माननीय सदस्य ने एतराज किया कि कुछ लोगों का, जिनके नाम मकान आबंटित था, वह दूसरों को कर दिया गया, ऐसा कोई केस आपके क्षेत्र का है और यदि आप मुझे बता दें....

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे केस बता देना इनको।

श्री रामगोपाल बैरवा : चाणदा खुर्द के अन्तर्गत पट्टी लेवल पर मकान नहीं हुए हैं और उनको हैण्ड ओवर नहीं किया गया है और कागजातों में हैण्ड ओवर बताया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप इनको लिखकर दे देना वे जांच कर लेंगे।

नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 747

श्री कालुलाल गुर्जर (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट। श्री रामकिशन वर्मा।

चेचट में कृषि मण्डी यार्ड निर्माण

748. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चेचट में कृषि मण्डी यार्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आई है एवं यह किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है।

(2) क्या मण्डी यार्ड चालू है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) जी हां। चेचट में कृषि उपज मण्डी समिति, रामगंजमण्डी द्वारा गौण मंडी यार्ड बनवाया गया है। इस गौण मंडी यार्ड में 3.17 लाख रुपये की लागत से कम्पाउण्ड वाल, आन्तरिक सड़क व हैण्ड पम्प लगवाने का कार्य करवाया गया है तथा भारत सरकार के सहयोग से हाट बाजार योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये की लागत से ऑफिस मय गोदाम, नीलामी चबूतरा, प्याऊ व जानवरों की खेल व मूत्रालय ब्लाक का निर्माण कार्य करवाये गये हैं। यह कृषकों/व्यापारियों के सुविधापूर्ण कृषि जीन्सों के क्रय-विक्रय स्थल हेतु बनवाया गया है।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में मण्डी समिति द्वारा ठोस कार्यवाही की जाकर गौण मण्डी यार्ड शीघ्र प्रारम्भ करवा दिया जायेगा।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब यार्ड बनाया गया यह किस परपज से बनाया गया, कितना समय हो गया? वहां अभी तक उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उसके अन्दर जानवर बन्द किये जा रहे हैं बल्कि यहां तक कि पूरे इलाके का कूड़ा उसमें डाला जा रहा है और जो काश्तकार अपनी कृषि जिंस लेकर आता है उन्हें लोग अपने तरीके से अपनी दुकान पर ले जाकर उनसे खरीदते हैं। उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उनको तौल में भी मार रहे हैं, उनको मौल में भी मार रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यार्ड बना है उसका सदुपयोग हो। आप कब इसका आदेश निकालेंगे और कबसे वहां पर मण्डी में गाड़ियां आना चालू हो जाएंगी?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन यह मण्डी यार्ड शुरू में हाट बाजार योजना के तहत चालू किया गया था। हाट बाजार योजना में चबूतरे आदि की व्यवस्था होती है, कोई दुकानों आदि की स्थापना नहीं होती। लेकिन ज्यों ही मैंने मंत्रालय सम्भाला मैंने वहां डिप्टी डाइरेक्टर भेजा और डिप्टी डाइरेक्टर ने वहां व्यापारियों से बातचीत करके और 7 व्यापारियों से दुकानें बनाने का एक एग्रीमेंट किया था और आपको यह जानकर खुशी होगी कि 7 दुकानों के लिए हमारे पास एस्टीमेट आ चुके हैं और एक 500 मैट्रिक टन के गोदाम के लिए भी एस्टीमेट हमारे पास आ गया है जिसमें दोनों पर करीब 13.25 लाख रुपया खर्च होगा। इसकी हम वित्तीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करके 4-6 महीने में इन दुकानों का निर्माण करके उन व्यापारियों के सहयोग से वहां मण्डी यार्ड में परिवर्तन कर देंगे और सारी सुविधाएं वहां मिल सकेंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री जोगेश्वर गर्ग।

विधि सेवा के विभिन्न पदों पर स्थायीकरण

749. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधि सहायकों की नवनियुक्ति कब

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

की जा रही है एवं मुख्य विधि सहायक के पद कुल कितने समय से रिक्त चल रहे हैं ?

(2) मुख्य विधि सहायकों की पदोन्नति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं एवं इन्हें कब तक पदोन्नति दे दी जाएगी ?

(3) सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति कब तक दे दी जाएगी ?

(4) विधि सेवा के विभिन्न पदों पर स्थायीकरण के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) विधि सेवा के वेतनमान को कब तक कार्यान्वित किया जा रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि विधि सेवा के अधिकारियों का विशेष रूप से विधि सेवा संघ के अधिकारियों का, सत्र के मध्य में महज परेशान व तंग करने एवं द्वेषतावश जयपुर से जोधपुर, जैसलमेर, बूंदी आदि स्थानों पर वर्ष 1993-94 में स्थानान्तरण किया गया है, जबकि जयपुर में विभिन्न कार्यालयों में 30 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं ? स्थानान्तरणों के आदेशों को निरस्त करने के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इन्हें कब तक निरस्त कर दिया जाएगा ?

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती शशी दत्ता) : (1) विधि सहायक के 61 पदों पर नई नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं। मुख्य विधि सहायक के 15 पद वर्ष 1993-94 के रिक्त हैं।

(2) मुख्य विधि सहायकों की पदोन्नति की कार्यवाही जारी है। इस सम्बन्ध में डी. पी. सी. की बैठक आयोजित की जा रही है।

(3) सहायक विधि परामर्शी के पदों पर नियमानुसार दिनांक 1-4-93 को निर्धारित 5 वर्ष का अनुभव न होने के कारण मुख्य विधि सहायकों को अभी पदोन्नत करना सम्भव नहीं है।

(4) विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थायीकरण करने के सम्बन्ध में संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर नियमित रूप से चयनित अधिकारी कार्यरत नहीं हैं, उप विधि परामर्शी के पद पर कार्यरत अधिकारियों का मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा सहायक विधि परामर्शी के पदों पर स्थायीकरण सम्बन्धित व्यक्तियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने से सम्भव नहीं हो रहा है तथा मुख्य विधि सहायक एवं विधि सहायक के स्थायी पद स्थायीकरण हेतु शेष नहीं हैं।

(5) विधि सेवा के वेतनमान का मामला माननीय उच्च न्यायालय बैंच, जयपुर की खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन है, अतः निर्णय होने तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(6) जी नहीं यह सही नहीं है कि स्थानान्तरण द्वेषता से किये गये हों। प्रशासनिक आवश्यकता ही स्थानान्तरण के आधार थे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि प्रश्न करने के तुरन्त बाद विभाग हरकत में आया और 20-3-94 को उन्होंने 61 लोगों को नियुक्ति दे दी। मैं

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि डी. पी. सी. के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया है कि बहुत जल्दी आयोजित करेंगे, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियम यह है कि दो साल की नौकरी के बाद उनके स्थायीकरण की कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए लेकिन 4-4 वर्ष से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके गोपनीय प्रतिवेदन पहले और दूसरे साल के अब तक विभाग में उपलब्ध नहीं है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये गोपनीय प्रतिवेदन इतने दिनों तक क्यों नहीं आये और अब कब तक आ जाएंगे और उनका निर्णय कब हो जाएगा? आपने जो खण्ड 5 का उत्तर दिया है, यह नये वेतनमान लागू करने का निर्णय डेढ़ साल पहले माननीय न्यायाधीश श्री मघराज कल्ला की अदालत ने दिया था, उसको डेढ़ साल तक लागू नहीं करके अब ताबड़ तोड़ में, यह प्रश्न लगने के बाद डबल बैंच में जाकर उन्होंने इसमें स्टे लिया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक निर्णय करके इसको लागू करें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री महावीर भगौरा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वे धन्यवाद दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट एक्टिव है, अब आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह जो पांचवा प्रश्न का जवाब दिया है, मैं इस विषय पर कहना चाहता हूं। राजस्थान सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच में 1986, 1988 और 1989 में यह निर्णय हो चुका है कि केन्द्र के बराबर जो राज्य कर्मचारियों का वेतनमान होगा वह दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अब वेतनमान कोर्ट में पेंडिंग है। नैक्स्ट। श्री महावीर भगौरा।

नगरीय क्षेत्र (उदयपुर) के शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों के रिक्त पद

750. श्री महावीर भगौरा (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले के नगरीय क्षेत्र में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या स्वीकृत पदों के अनुसार ही अध्यापक कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो कितने अध्यापक अतिरिक्त हैं?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर अध्यापक कार्यरत हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अध्यापकों की 1 जुलाई, 1993 से अब तक की स्थिति की सूचना सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) उदयपुर जिले के नगरीय क्षेत्र में सभी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

स्तर के विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापकों के पदों की स्थिति निम्नानुसार है :— व्याख्याता–303, अध्यापक–409, अन्य अध्यापक-1146, कुल 1858 ।

(2) जी हां । स्वीकृत पदों के अनुसार ही कार्यरत हैं ।

(3) वर्तमान में एक भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है ।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उदयपुर जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के शायद यह आंकड़ें होंगे और वर्तमान में जो छात्र संख्या है वह भी माननीय मंत्री महोदय के पास होगी, क्या इस छात्र संख्या के अनुपात में ही अध्यापक कार्यरत हैं ? दूसरा मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ने एक विद्यालय का निरीक्षण किया था जिसमें 127 बच्चे थे और 27 अध्यापक थे, क्या ऐसी व्यवस्था को मंत्री महोदय उपयुक्त मानते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में कहा है कि शहरी क्षेत्रों में अध्यापकों के पद बहुत लम्बे समय से सृजित हैं जबकि बालक उस अनुपात में नहीं हैं और निरन्तर उनकी संख्या घटती चली गयी लेकिन फिर भी अध्यापकों के जो पद सृजित हैं वह आज भी हैं । मैंने कहा कि इसी सत्र में, अभी अप्रेल के बाद हम उनका सारे का सारा फिर से रिवोल्यूशन कर रहे हैं और संख्या के अनुपात में जो मंगलबिहारी की कमेटी का नोर्म तय होगा उसके आधार पर अध्यापकों की संख्या रखेंगे और शहर में उसके अतिरिक्त जो लोग होंगे उनको हम निश्चित रूप से गांव में बाहर भेज देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह ।

श्री रामनारायण चौधरी : मंगलबिहारी जी क्या करेंगे, आप ज्यादा अच्छे हैं उनसे ।

ग्राम गुढ़ा (झुन्झुनूं) की पेयजल समस्या

751. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के गुढ़ा ग्राम में पीने के पानी की भयंकर समस्या है और ग्राम की करीब आधी आबादी को कतई पीने का पानी नहीं मिल पाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस समस्या का निराकरण तभी हो सकता है जब ऊंचाई के स्थान पर एक और पानी की टंकी का निर्माण हो ?

(3) उक्त ग्राम की पेयजल समस्या के निवारण के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जसवन्त सिंह विश्नोई) : (1) ग्राम की वर्तमान जनसंख्या की प्रतिदिन पेयजल मांग लगभग 5.25 लाख लीटर के विरुद्ध औसतन 2 लाख लीटर पेयजल ही प्रतिदिन वितरित करना सम्भव हो पा रहा है । ग्राम में कुल 342 जल सम्बन्धों में से ऊंचाई पर स्थित लगभग 20 जल सम्बन्धों

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

में पानी नहीं पहुंचने के कारण इन्हें विच्छेदित किया हुआ है। उक्त 20 उपभोक्ता इस क्षेत्र में लगे हुए 2 हैण्ड पम्पों से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। इन दो हैण्ड पम्पों के अतिरिक्त ग्राम गुढ़ा व इसकी ढाणियों में 5 और हैण्ड पम्प लगे हुए हैं।

(2) समस्या के स्थाई समाधान हेतु योजना का पुनर्गठन आवश्यक है, जिसमें स्त्रोत की क्षमता में वृद्धि, अतिरिक्त टंकी का निर्माण इत्यादि भी हो सकते हैं। योजना धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार बनायी जाकर क्रियान्वित की जा सकेगी।

(3) उपरोक्तानुसार।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्रीजी ने सही तस्वीर यहां सदन में रखी है मेरे सामने पहली बार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलत बात है, गलत कह रहे हैं आप, हमेशा सही स्थिति रखते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है, श्रीमन्। अब एक सही स्थिति मैं और चाहता हूं। आपने मान लिया कि वहां टंकी का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि अभी 5 लाख में से 2 लाख ही ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आवश्यक है नहीं, आवश्यकता हो सकती है।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है, श्रीमन्। 5 लाख लीटर में से 2 लाख लीटर ही हमको वितरित किया जा रहा है इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इसको कन्टीजेंसी प्लान में लेकर टंकी का निर्माण करने की कृपा करेंगे ? इतना और जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह हो गया, वह संतुष्ट हैं। अब यह एक सवाल और हो जाय, संतुष्ट हैं वह।

श्री भंवर लाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह योजना 1986 में स्वीकृत हुई थी और इसके अन्तर्गत पांच कुएं बनने चाहिए थे, लेकिन केवल दो बने हैं और इसलिए यह समस्या है। अब मुझे आप यह सुझाव दें कि जो आपकी काटकी नदी है उसमें ही कुएं नये खोद कर इसके जल आवक को बढ़ाया जा सकता है या टंकी निर्माण से लाभ होगा ? मेरा ऐसा विचार है कि अगर दो कुएं नये खोद दिये जाएं तो आपकी और तीन-चार गांवों की समस्या का समाधान हो सकता है और उसके लिए मैंने विभाग को निर्देश भी दे दिये हैं कि दो कुएं और खोद दिये जाएं।

श्री रामनारायण चौधरी : खोद दो आप तो।

श्री भंवर लाल शर्मा : यदि आप समझें कि इन कुओं के अतिरिक्त या कुओं के अलावा केवल टंकी से लाभ होगा तो पहले टंकी का निर्माण कर सकते हैं और यदि कुओं से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है....

श्री अध्यक्ष : आपस में आप बाद में बात कर लीजिये, अच्छा रहेगा।

श्री भंवर लाल शर्मा : तो आप जैसा चाहें, वैसा बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल। नैक्स्ट।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक....

श्री अध्यक्ष : एक सवाल इनका आ जाने दीजिए, आपकी लड़ाई है क्या इनसे, नाराजगी है क्या, पांच मिनट बचे हैं, सवाल आ जाएगा इनका।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रश्न संख्या 752।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, मेरा सप्लीमेंट्री रह गया।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आपका सवाल रह जाएगा फिर, पांच मिनट रह गये।

श्रीमती शशी दत्ता : आज वी. पी. सिंहजी नहीं आये क्या ?

श्री जगदीप धनखड़ : आज मैंने उनसे पैक्ट कर लिया कि एक दिन वह आएंगे, एक दिन मैं आऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब यह तो मंजूर कर लिया कि दोनों ही आज बुद्धिजीवी हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : उसका निर्णय सुन्दरलालजी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर लिया उन्होंने तो निर्णय।

हिण्डोली तहसील की मेण्डी सिंचाई परियोजना

752. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिण्डौली तहसील में मेण्डी सिंचाई परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

(2) उक्त परियोजना पर वित्तीय वर्ष 1993–94 में कितनी राशि खर्च करना प्रस्तावित था अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

(3) क्या इस परियोजना को विस्तार रूप देते हुए जर्मन सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) हिण्डौली तहसील में मेण्डी सिंचाई परियोजना पर लगभग 200.00 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(2) वित्तीय वर्ष 1993–94 में रुपये 30.00 लाख की राशि खर्च करना प्रस्तावित है जिसके विरुद्ध माह फरवरी, 1994 तक 22.46 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(3) इस परियोजना के अन्तर्गत धोरों के निर्माण आदि के कार्य सम्मिलित करते हुए जर्मन आर्थिक सहायता के द्वितीय चरण में लिए जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में मैंने यह पूछा है कि

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

1993-94 में कितनी राशि खर्च हुई ? उसका जवाब आपने दे दिया कि 22.46 लाख रुपये इसमें खर्च हुए हैं। लेकिन मैंने साथ में यह भी पूछा है कि जब से इस योजना का निर्माण शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इसमें कितनी राशि खर्च हुई, यह राशि किन-किन कामों पर खर्च हुई और क्या-क्या निर्माण के कार्य फरवरी, 1994 तक पूरे हो चुके ? पहला सवाल तो यह है। दूसरा मेरा सवाल है....

श्री अध्यक्ष : दोनों सवाल एक साथ कर रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब एक साथ ही देंगे, श्रीमन्, एक-एक दिलवा दें तो मैं दूसरा कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : दूसरा सप्लीमेंट्री नहीं करेंगे ?

श्री परसादीलाल मीणा : खतम हो जाएगा न फिर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप दूसरों को खड़ा कर देते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, भाग दो में इन्होंने साफ वित्तीय वर्ष 1993-94 के खर्चे के बाबत पूछा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल मैं पढ़कर बता देता हूं आपको। "वित्तीय वर्ष 1993-94 में कितनी राशि खर्च करना प्रस्तावित था और अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है।" अब तक का मतलब, जब से निर्माण शुरू हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने वित्तीय वर्ष 1993-94 के बाबत पूछा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह एक अलग सवाल है। उसके आगे फुल स्टाफ लग गया, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : आपको या तो वर्ष नहीं लिखना चाहिए था, जब वर्ष लिखा है तो उसी से सम्बन्धित होगा सवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : खैर, श्रीमन्, इसका जवाब दे दें आप।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा सवाल पूछ लें अब। दूसरा पूछ लीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, इसी में जो दूसरा सवाल है....

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा पूछिये। सैकण्ड सप्लीमेंट्री।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी हां, वह जवाब चाहता हूं। किन-किन कामों पर यह राशि खर्च हुई और क्या-क्या निर्माण के कार्य इस राशि में बनाये जा चुके हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इस क्वेश्चन में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अब पूछ लिया न।

श्री रोहिताश्व : यह श्री समर्थलालजी कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी नम्बर दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अलग से क्यों हो गया, राशि तो बतायेंगे न कि खर्चा किस में हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें अलग-अलग किस प्रकार के निर्माण कार्य हुए हैं आप वह पूछना चाहते हैं ? इसमें लाईनिंग का काम भी है, अर्थ वर्क भी है, यह सारे काम हुए हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बता दो, क्या-क्या हैं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बता दीजिए न कि क्या-क्या हुए हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं-नहीं, अलग-अलग इसमें आपने बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा नहीं है, इसका मेरे पास अभी उत्तर उपलब्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो नाम बता दीजिए कि इन-इन कामों में खर्च हुआ जैसे लाईनिंग में खर्च हुआ है और ..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किन-किन हैड्स में खर्च हुआ ? मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा हूं कि कितने किलोमीटर आपने लम्बी नहर बना ली....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अर्थ वर्क और लाईनिंग पर खर्च हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : लाईनिंग पर खर्च हुआ है, बस । चलिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अर्थवर्क और लाईनिंग में ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लाईनिंग में ? फिर बांध का निर्माण कहां जाएगा । पहले बांध के निर्माण पर खर्च होगा, लाईनिंग पर तो बाद में खर्च होगा । कम से कम हैड्स तो बता दीजिए कि इन-इन हैड्स पर यह पैसा खर्च हुआ है ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पेसिफिक इस बाबत आपने अलग कुछ पूछा नहीं है । अगर यह विशेष कुछ चाहते हैं तो मैं अलग से आपको इसकी जानकारी दे दूंगा ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसे जाने दीजिए । यह नैक्स्ट है मेरा, श्रीमन्, लास्ट यही है । जर्मन आर्थिक सहायता के लिए आपने प्रपोजल्स बनाकर भेजे हैं, वह प्रपोजल्स क्या हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, धोरों के निर्माण के बाबत फिर इसमें शामिल किया गया है कि माइनर ईरिगेशन के लिए हम धोरों के द्वारा सिंचाई करना चाहते हैं, यह प्रस्ताव हमने एफ. आर. जी. को भेजा है और यह अब करीबन फाइनल स्टेज पर है । उन्होंने बीच में दो शर्तें लगा दी थीं कि जो भी ऐसे माइनर ईरिगेशन के वर्क्स हैं उनके ऊपर जो भी मेन्टीनेंस का खर्च आता है उस हिसाब से आप सिंचाई दर भी बढ़ाइये और दूसरी इसके अन्दर उन्होने एक शर्त यह भी रखी थी कि इंजीनियरिंग कन्सलटेंसी के लिए भी हमारा प्रतिनिधि इसके अन्दर रहेगा । यह मामला अभी विचाराधीन है और यह तय होते ही इसके ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा । ....(व्यवधान)....

श्री रामगोपाल बैरवा : ....कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने सारा टाइम इसमें लगा दिया....

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। पूछिये, पूछिये आप।

छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पद

753. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के कुल कितने पद रिक्त हैं ?

(2) अधीक्षक के पदों को कब तक तथा किस आधार पर भर दिया जाएगा ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) विभाग में सहायक छात्रावास अधीक्षकों के 115 पद वेतन श्रृंखला "6" के रिक्त हैं।

(2) छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है व इन पदों को शीघ्र ही भर दिया जाएगा।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, मैंने प्रश्न के खण्ड दो में यह प्रश्न पूछा था कि जो अधीक्षकों के रिक्त पद हैं उनको कब तक और किस प्रक्रिया के माध्यम से भर दिया जाएगा। लेकिन माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के जवाब में यह उत्तर दिया कि अग्रिम कार्यवाही से इन्हें भर दिया जाएगा। छात्रों को एप्लाई किये हुए दो साल हो गये और यह अग्रिम कार्यवाही कब तक चलती रहेगी ? माननीय मंत्रीजी आप इसका कोई समय निश्चित करें, कब तक इनको भर दिया जाएगा और किस प्रक्रिया के माध्यम से भर। जाएगा ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि शीघ्र भर दिये जाएंगे और मैं समझता हूं कि अगले आने वाले महीने में एडवरटाइजमेंट कर दिया जाएगा या रोजगार कार्यालय से नाम मंगवा लिये जाएंगे।

श्री रामगोपाल बैरवा : मान्यवर, इसमें मेरे पास जो आंकड़े आये हैं, उसमें कहा गया है अग्रिम कार्यवाही तक....

श्री अध्यक्ष : अगले आने वाले महीने की दे दी। अगले महीने की दे दी ना।

श्री रामगोपाल बैरवा : डेट नहीं दी, श्रीमन्, इसमें अग्रिम कार्यवाही दी है, अब अग्रिम कार्यवाही का कोई समय तो निश्चित होगा ?

श्री अध्यक्ष : बता रहे हैं, अगले महीने विज्ञप्ति जारी करके कर देंगे। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

ग्राम माण्डल (भीलवाड़ा) के ऐतिहासिक स्थलों का विकास

747. **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के माण्डल ग्राम में, माण्डल का मीनारा, बत्तीस खम्भों की छतरी, माण्डल

(श्री कालूलाल गुर्जर)

की पाल पर बने मुगल काल के मकान आदि ऐतिहासिक स्थल हैं जो पर्यटक स्थल हो सकते हैं ?

(2) क्या सरकार इन स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थलों का पर्यटक स्थल विकसित करने हेतु पूर्व में भी स्थानीय जनता की ओर से मांग की गयी है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले के माण्डल ग्राम में मीनार (प्रहरी स्तम्भ) तथा छतरी (बत्तीस खम्भों की) राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। माण्डल की पाल पर मुगलकाल के मकान राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है। चूंकि उक्त स्थल ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के हैं, इसलिये पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनने की सम्भावना रखते हैं।

(2) वर्तमान में इन स्थानों के विकास के बारे में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) उक्त स्थानों के पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने हेतु पूर्व में स्थानीय जनता द्वारा की गयी मांग की जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। पर्यटन विभाग पूरे राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के योजनाबद्ध विकास करने हेतु जिलेवार एवं स्थलवार विशेषज्ञों से योजनाएं बनवाता है। भीलवाड़ा जिले के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के सर्वेक्षण हेतु वर्ष 1993–94 में 20,000/– रुपये की राशि जिला कलक्टर को स्थानान्तरित की गयी है। जिले के सर्वेक्षण में माण्डल की मीनार (प्रहरी स्तम्भ) का भी सर्वेक्षण सम्मिलित है। जिला कलक्टर से सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पर्यटन विभाग के स्तर पर कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 1136

(स्थगित)

नगरपालिका किशनगढ़ की आवासीय योजना

1137. श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (सरदार-शहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा मित्र निवास के पीछे शिवाजी नगर में एक आवासीय योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना में कुल कितने भू-खण्ड थे व वे किस किस श्रेणी हेतु आरक्षित थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्डों में से कुछ भू-खण्ड भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों हेतु भी आरक्षित थे ? यदि हां, तो कितने व उनका आरक्षित मूल्य क्या था ?

(श्री नरेन्द्र बुड़ानिया)

(3) क्या यह भी सही है कि भू-खण्डों के आबंटन हेतु भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भी आवेदन किया गया था ? यदि हां, तो किन किन के द्वारा ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूतपूर्व सैनिकों को भू-खण्ड आबंटन कर उनसे भू-खण्ड की राशि आरक्षित मूल्य पर जमा करवा ली गयी ? यदि हां तो किस-किस भूतपूर्व सैनिक से कितनी-कितनी राशि किस-किस भू-खण्ड के पेटे किस-किस रसीद संख्या द्वारा जमा की गई ? विवरण मय रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त आवंटन-धारी भूतपूर्व सैनिकों को अभी भू-खण्ड का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं किया गया है ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटनधारी भूतपूर्व सैनिक को भू-खण्ड आबंटन किये जाने हेतु जिला कलक्टर के आदेश पर दिनांक 27-11-1990 को सर्व सम्मत प्रस्ताव नगरपालिका किशनगढ़ द्वारा पास किया गया, जिसकी पुष्टि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 16 (भूमि) डी.एल.बी./90 दिनांक 21 जनवरी, 1993 द्वारा कर दी गयी है ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त पुष्टि के उपरान्त नगर पालिका किशनगढ़ द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 1993 को सर्व सम्मत प्रस्ताव पास कर भूतपूर्व सैनिक को आबंटित भूमि की स्वीकृति कर लीज डीड पंजीकृत करवाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त भूतपूर्व सैनिक को भू-खण्ड का लीजडीड दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों व अब तक लीजडीड न दिये जाने के संबंध में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ? अब उक्त आबंटी भूतपूर्व सैनिक को लीजडीड कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, कुल 174 भू-खण्ड थे जिसमें से

1. 87 भू-खण्ड सामान्य।
2. 47 भू-खण्ड अल्प आय वर्ग (क) कर्मचारी जिनकी मासिक आय 800/- रु. से अधिक न हो।
3. 13 भू-खण्ड अल्प आय वर्ग (ख) कर्मचारी अनु. जाति/अनु. जनजाति जिनकी मासिक आय 800/- रु से अधिक न हो।
4. 18 भू-खण्ड राजकीय, केन्द्रीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये जिनकी मासिक आय 2000/- से अधिक न हो।
5. 9 भू-खण्ड मृतक सैनिकों के आश्रितों/भू.पू. सैनिकों/विकलांगों/अन्य सैनिकों।

(2) जी हां, 9 भू-खण्ड थे जिनका आरक्षित मूल्य 20/- प्रति वर्गगज था।

(3) जी हां। श्री शांतिस्वरूप भू. पू. सैनिक द्वारा।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) जी हां। भू-खण्ड सं. 159 के पेटे कुल 5675 रु. जमा कराये गये थे जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी हां। केवल कब्जा दिया गया है।

(6) जी नहीं। एक अन्य भूतपूर्व सैनिक श्री एल. एन. गुप्ता का एक साधारण प्रार्थना पत्र दिनांक 17-4-82 को प्राप्त हुआ था। श्री गुप्ता को भू-खण्ड आबंटन किये जाने के सम्बन्ध में सभापति नगर पालिका किशनगढ़ ने अपने पत्रांक/नपकि/भूमि/90/160 दिनांक 26-9-90 द्वारा पत्रावली जिला कलक्टर, अजमेर को भेजी गयी जिस पर जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने पत्रांक/एफ 34/38/सामान्य/9899 दिनांक 24-11-90 के द्वारा भूमि निष्पादन नियम 1994 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। न. प. किशनगढ़ के साधारण सभा की बैठक दिनांक 27-11-90 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को भी नियमानुसार व राज्यादेश के तहत दिये जाने वाले भू-खण्डों के वाद को भी शीघ्र निपटा दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस पर सभापति न. प. किशनगढ़ ने अपने पत्रांक/नपकि/भूमि/90/स्पे–1 दिनांक 26-12-1990 के द्वारा निदेशालय को भू-खण्ड की पुष्टि हेतु प्रकरण भेजा गया जिस पर स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक/16/भूमि डी एल बी/90/146 दिनांक 21-1-93 के द्वारा श्री एल. एन. गुप्ता भूतपूर्व सैनिक को सन् 1984 की नजूल दर से भू-खण्ड आबंटित करने के नगर परिषद् किशनगढ़ के सभापति के पत्र की पुष्टि की गयी।

(7) जी हां। परन्तु राजकीय आदेश सं एफ 517/बो. प्र./डी. एल. बी./92/1259 दिनांक 1-3-94 की अनुपालना में लीजडीड पंजीकृत करने की कार्यवाही का प्रस्ताव को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थगन के निस्तारण के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नगरपालिका भवानी मण्डी की आय

1138. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भवानीमण्डी नगरपालिका की 1 जनवरी, 1993 से 31-12-1993 तक माहवार कुल कितनी आय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह आय 1 जनवरी, 1992 से 31-12-1992 की तुलना में कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) नगरपालिका भवानी मण्डी द्वारा 1 जनवरी, 1993 से 31-12-1993 तक आय का कितना-कितना, किस-किस मद में खर्चा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर पालिका भवानीमण्डी की जनवरी, 1993 से 31-12-93 तक

32

(स्वायत्त शासन मंत्री)

माहवार कुल आय 64,97,758.56 पैसे हुई विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) नगर पालिका भवानीमण्डी द्वारा जनवरी, 93 से 31-12-93 तक किस मद में कितना खर्चा किया गया उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(आय-व्यय का विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नगरपालिका नैनवा के लिपिकों का निलम्बन प्रकरण

1139. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निदेशालय स्थानीय निकाय द्वारा नगरपालिका नैनवा के वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक को निलम्बित करने हेतु पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश की पालना समय पर नहीं करने के लिए कौन दोषी है ?

(3) इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) अब आदेश की पालना कब तक करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2-3) आदेश की समय पर पालना नहीं करने के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही के रूप में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका नैनवा के विरुद्ध 17 सी. सी. ए. में कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराई जा रही है।

(4) आदेश की पालना हो चुकी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

निर्वाचन क्षेत्र माण्डलगढ़ की हुडको योजना

1140. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र माण्डलगढ़ में सरकार द्वारा हुडको की कोई योजना लागू की गयी है अथवा प्रस्ताव स्वीकृति के लिए विचाराधीन है ?

(2) प्रस्ताव यदि विचाराधीन है, तो क्या सरकार इस योजना को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नगर पालिका क्षेत्र माण्डलगढ़ में किसी भी प्रकार की हुडको सम्बन्धी योजना लागू नहीं है।

(2) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर में महापुरुषों की मूर्ति स्थापना

1141. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की स्वतंन्त्रता सैनानियों, समाज सेवियों, महापुरुषों के नाम पर सड़क नामकरण, चौराहे पर मूर्ति स्थापना का कार्य करने की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या जोधपुर में स्व. संत लाडा रामजी एवं मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की मूर्ति स्थापना एवं सड़क नामकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक जारी होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) जी नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

नगरपालिका सागवाड़ा की दुकानें

1142. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सागवाड़ा नगर पालिका द्वारा नेहरु काम्पलेक्स में कितनी दुकानों का निर्माण किया गया है और कितनी दुकानों का किन-किन लोगों को आवंटन हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब शेष कितनी दुकानों का आवंटन होना बाकी है और क्या सरकार शेष दुकाने जरुरत मंदों को आवंटित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर पालिका सागवाड़ा ने नेहरु काम्पलेक्स में कुल 35 दुकानों का निर्माण चालू करवा रखा है। इन निर्माणाधीन दुकानों के आवंटन जिन-जिन लोगों को किया जाना है। उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अभी, निर्माणधीन दुकानों का आवंटन शेष है नगर पालिका मण्डल अगली बैठक में इस विषय पर विचार कर रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—4 देखें।)

ब्यावर शहर के सफाई कर्मचारी

1143. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर में सफाई कर्मचारियों की कमी है ? यदि हां, तो नई भर्ती कब तक की जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सफाई कर्मचारियों को चुंगी चेकिंग में लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? नगर परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों को चुंगी चेकिंग में क्यों नहीं लगाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि ब्यावर में 36 वार्डों में सफाई बराबर नहीं हो रही

(श्री उगमराज मेहता)

है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस हेतु क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु नगर परिषद की वित्तीय स्थिति अनुकूल न होने से अभी स्थायी तौर पर नयी भर्ती किया जाना परिषद के लिए सम्भव नहीं हैं।

(2) दो सफाई कर्मचारियों को चुंगी अपवंचना की रोकथाम हेतु चुंगी चेकिंग दल में कर्मचारियों के सहयोग हेतु प्रशासनिक दृष्टि से अल्प अवधि के लिए लगाया गया है। चुंगी अनुभाग में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होने एवं चुंगी अनुभाग में स्टाफ की कमी होने के कारण चुंगी कर्मचारियों को लगाया जाना सम्भव नहीं था।

(3) जी नहीं। ब्यावर नगर परिषद में सभी 35 वार्डों में आवश्यकतानुसार स्थाई सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त दैनिक वेतन पर भी सफाई श्रमिक रख कर सफाई करायी जाती है।

नगरपालिका किशनगढ़ द्वारा सड़कों का निर्माण

1144. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किशनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में वर्ष 1990 से 1993 तक कितने किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई और कितने किलोमीटर सड़कों को पेवर किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अधूरी सड़कों को कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) नगरपालिका किशनगढ़ में वर्ष 1990 से 1993 तक सड़कों की मरम्मत एवं सड़कों को पेवर किया गया है उसका वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया।

(2) अधूरी सड़कों को वित्तिय वर्ष 94-95 तक पूरा किये जाने का प्रयास है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

राजस्थान नगरपालिका सेवा के अधिकारी

1145. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नगर पालिका सेवा में सहायक अभियन्ता (सिविल) के कुल कितने पद स्थायी व अस्थायी है एवं कहां-कहां पर ?

(2) वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका सेवा के कितने सहायक अभियन्ता (सिविल) कहां-कहां पर कार्यरत हैं ?

(3) अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये कौन-कौन सहायक अभियन्ता (सिविल) कहां-कहां कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) सहायक अभिन्यंता (सिविल) के कुल 31 पद स्थायी हैं व 13 अस्थायी पद हैं। सूची संलग्न हैं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें।)

सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति प्रकरण

1146. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता के कुल कितने पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध हैं ? इनमें से कितने पद पदोन्नति से भरे हुये हैं और कितने पद रिक्त है ? पिछले दस वर्षों में सहायक अभियंन्ता के पद पर की गयी पदोन्नति के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ अभियांत्रिक अधीनस्थों / कनिष्ठ अभियन्ताओं को कार्यवाहक सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी ? यदि हां, तो ऐसे पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इस प्रकार पदोन्नति किया जाना नियमानुसार है ?

उत्तर

(1) 23 पद सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु उपलब्ध है। इनमें से 9 पदों पर तदर्थ पदोन्नति दी गयी है एवं एक पद पदोन्नति समिति द्वारा भरा गया है। शेष 13 पद रिक्त हैं आदेशों की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

कनिष्ठ अभियंन्ता सिविल व मेकेनिकल का पदनाम

1147. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30-11-1976 को जारी अधिसूचना संख्या एस्टे/एम/एफ।8/ए/III/डी. एल. बी./76/iii/158049 के अनुसार ऐसे तीन वर्षीय डिप्लोमा एवं डिग्री (सिविल व मेकेनिकल) प्राप्त ओवरसियर ग्रेड प्रथम जो दिनांक 30-11-1976 को कार्यरत थे, का पदाभिधान क्रमशः जूनियर इंजीनियर सिविल व जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पर कर दिया गया था ?

(2) उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से चयन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसका नियमों में प्रावधान है ?

(3) दिनांक 30-11-1976 के पश्चात कनिष्ठ अभियंताओं के पद पर नियुक्ति की क्या प्रक्रिया अपना कर की गयी है ? क्या उक्त अपनाई गयी प्रक्रिया नियमानुसार रही है ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या दिनांक 30-11-1976 के पश्चात नियुक्ति ओवरसीयर ग्रेड प्रथम, अभियांत्रिक अधीनस्थ को जूनियर इंजीनियर पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो कब एवं किन नियमों के तहत ?

(श्री दयाराम परमार)

(5) क्या उक्त तिथि के पश्चात पदोन्नत अभियांत्रिक अधीनस्थों को कनिष्ठ अभियन्ता पदोन्नत करने के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या शिकायत कर्ताओं को सुनवायी का अवसर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। परन्तु 30-11-76 को जारी अधिसूचना में विभाग द्वारा दिनांक 10-12-91 को संशोधन कर इसमें 85 तक के डिग्री एवं तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता में समायोजन किया गया है। नियमों में संशोधन करके ही समायोजन किया गया है।

(3) सीधी भर्ती द्वारा पदों को विज्ञापित जो नियमानुसार रही हैं।

(4) जी नहीं।

(5) इसका उत्तर भाग सं. 4 में दिया है।

आवासन मण्डल, जोधपुर की आवासीय कालोनी

1148. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौपासनी रोड पर आवासन मण्डल जोधपुर की बहुत बड़ी कालोनी सैक्टर 16 आयी हुई है ? यदि हां, तो इन सैक्टर में कुल कितने मकान बने हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल की आवासीय कालोनी के सैक्टर 16 का प्लान बनाया गया था ? यदि हां, तो उस प्लान को किसके द्वारा अनुमोदित किया गया तथा उस में चौपासनी रोड की चौड़ाई क्या दर्शायी गयी है ? प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल के सैक्टर 16 के सामने ग्राम सूंथला के खसरा नंबर 92 व 92/2 की खातेदार की भूमि आई हुई है जिसमें से चौपासनी रोड को चौड़ी करने हेतु अवाप्त की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 92 व 92/2 ग्राम सूंथला की भूमि के पास आवासीय योजना ज्वाला बिहार आयी हुई है तथा उसका खसरा नम्बर 101 ग्राम सूंथला है ? यदि हां, तो उसका आवासीय रूपान्तरण किया गया अथवा नहीं ? आवासीय रूपान्तरण किया गया है, तो उसका प्लान वरिष्ठ नगर नियोजन, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया अथवा नहीं ? यदि हां, तो उस पर प्लान में उक्त चौपासनी रोड की चौड़ाई कितनी बतलाई गयी है ? प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि चौपासनी रोड पर आवासन मण्डल की बहुत बड़ी कालोनी चौपासनी रोड योजना स्थित है जिसमें सैक्टर 16 भी स्थित है। इस सैक्टर में कुल 434 मकान बने हुए हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) यह सही है कि आवासन मण्डल की आवासीय कालोनी के सैक्टर-16 का प्लान बनाया गया था तथा इसका अनुमोदन मण्डल की परियोजना समिति द्वारा किया गया था इसमें चौपासनी रोड की चौड़ाई 30 मीटर दर्शायी गयी थी। परन्तु कार्य पूरा करने के समय इस क्षेत्र में जमीन के नीचे पानी की बड़ी लाइन जो कि 12" एवं 10" व्यास की थी, मिलने के कारण योजना को संशोधित किया गया एवं उसमें भी चौपासनी रोड की चौड़ाई 30 मीटर दर्शायी गयी है संशोधित प्लान की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। आवासन मण्डल के सैक्टर 16 के सामने ग्राम सूंथला के खसरा नं. 92 व 92/2 की खातेदारी की भूमि आयी हुई है जिसमें से चौपासनी रोड को चौड़ी करने हेतु भूमि अवाप्ति नहीं की है, न ही अवाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह क्षेत्र प्रस्तावित सड़क सीमा क्षेत्र है सड़क सीमा का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है। भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के अनुसार प्रार्थी को फैसेलिटी एरिया (सुविधा क्षेत्र) न्यास को सौंपना (सेरेंडर) करना होता है, क्योंकि यह सड़क सुविधा क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है, अतः इस सड़क की भूमि के क्षेत्र को अवाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी हां, यह सही है कि खसरा नं. 92 व 92/2 ग्राम सूंथला की भूमि के पास आवासीय योजना ज्वाला विहार आयी हुई है। यह भी सही है कि ज्वाला विहार योजना का खसरा नं. 101 ग्राम सूंथला है। खसरा नं. 101 ग्राम सूंथला का आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू. रू.) के आदेश दिनांक 14-7-88 द्वारा किया गया है। खसरा नं. 101 ग्राम सूंथला (ज्वाला विहार) का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर के पत्र क्रमांक: जेडीजेड 1628 दिनांक 6-4-87 द्वारा अनुमोदित किया जाकर भूमि रूपान्तरण कार्यालय जोधपुर को भेजा गया था। इस अनुमोदित ले आउट प्लान में चौपासनी सड़क की चौड़ाई 160 फीट रखी गयी है। अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(प्लान की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता के पद

1149. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जलदाय विभाग महवा में कनिष्ठ अभियन्ता के कितने पद किस-किस स्थान के नाम से स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अकरू-सरावली रीजनल स्कीम के मद में स्वीकृत सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय निवास के निर्माण का कार्य पूरा

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब कहां और कितनी राशि से ?

(3) क्या यह सही है कि खेडला रीजनल स्कीम के तहत स्वीकृत कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय का निर्माण महवा साउथ के नाम से महवा में किया जाना था, जबकि उसे महवा से 17 किलोमीटर दूर बना दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि महवा नार्थ कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय को महवा से करीब 6 किलोमीटर दूर बना दिया गया? यदि हां, तो कब, क्यों और किस मद से ?

(5) क्या यह भी सही है कि महवा में ही उक्त सभी कार्यालयों के लिए जगह उपलब्धता के आधार पर तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सवाईमाधोपुर द्वारा अधीशाषी अभियन्ता की उपस्थिति में भवन का ले-आउट भी दे दिये गये थे ? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त भवन अन्यत्र निर्मित किये गये ?

(6) क्या सरकार अनियमितताएं एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) खण्ड दौसा के अधीन उपखण्ड महवा में कनिष्ठ अभियन्ताओं के तीन पद स्वीकृत हैं, इनमें से दो पद महवा तथा एक पद मण्डावर में स्वीकृत है ।

(2) संदर्भित योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय का निर्माण जनवरी, 1994 में बाणगंगा नदी स्थित हैडक्वाटर्स एवं महवा पर निवास का निर्माण वर्ष 1988 में क्रमशः रु. 3.26 लाख एवं 1.18 लाख रुपये की राशि व्यय कर किया गया है ।

(3) जी नहीं । उल्लेखित कार्यालय का निर्माण स्वीकृत प्रावधान के अनुसार ग्राम खेडला बुजुर्ग में कराया गया है ।

(4) जी नहीं । उल्लेखित नाम से किसी कार्यालय का निर्माण नहीं किया गया है । जलयोजना उकरूंद सरावली के स्वीकृत मद से एवं प्रावधान के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय का निर्माण महवा से 2 किलोमीटर दूर हैडवर्क्स पर कराया गया है ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी नहीं ।

ग्राम फतहपुर (डूंगरपुर) का कुआ प्रकरण

1150 श्री भीमराज मीणा (आसपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर के ग्राम फतेहपुरा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का एक कुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कुए पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मोटर लगी हुई है और इससे नयी बस्ती को पानी दिया जा रहा है ?

(श्री भीमराज मीणा)

(3) क्या यह भी सही है कि सेवा संघ डूंगरपुर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पाइप लाइन में छः इंच का पाइप लगाकर सेवा संघ की नर्सरी में प्रतिदिन अकाल के समय तीन-तीन घन्टे पानी दिया जाता रहा और नगरवासियों को भीषण गर्मी में पीने का पानी नहीं मिला ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अवैधानिक कार्यवाही के विरोध में शिकायत करने पर अधिशाषी अभियन्ता ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

(5) क्या सरकार अब जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने व राजकीय राशि की हुई हानि की वसूली करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर में जिला कलक्टर के कार्यालय के पीछे स्थित फतेहपुरा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बावड़ी है, जिसका ग्रीष्मकाल में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपयोग किया जाता है ।

(2) जी हां ।

(3) वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सम्बन्धी राष्ट्रीय महत्व की नीतियों तथा स्थानीय परिस्थितियों को, दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा सेवा संघ डूंगरपुर की नर्सरी में गत वर्ष माह मई व जून में एक दिन छोड़कर एक दिन, आधे घन्टे की अवधि के लिए लगभग 36 दिन पानी उपलब्ध कराया गया था । इससे अन्य स्थानों की पेयजल व्यवस्था बहुत कम प्रभावित हुई थी ।

(4) जी नहीं । बावड़ी में पानी कम हो जाने पर 5 जून, 93 के पश्चात उपरोक्त संस्था को पानी देना बन्द कर दिया गया था एवं दिये गये पानी हेतु जल शुल्क वसूल कर लिया गया था ।

(5) किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । आपूर्ति किये गये पानी के शुल्क की राशि वसूल कर ली गयी है एवं वैधानिक कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है ।

विधान सभा क्षेत्र मांडल को जल प्रदाय योजना

1151. श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माण्डल विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा में उमरी, चौहानों की कमेरी जल प्रदाय योजना कौनसी तारीख को स्वीकृत हुयी थी ?

(2) उक्त योजना पर अब तक क्या-क्या कार्य हुआ व इस योजना के अभी तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक पूरा हो जाना चाहिए था और कब तक यह पूर्ण हो जाएगी ?

(3) क्या समय पर पूरा नहीं होने से इस योजना की लागत में वृद्धि होगी ? यदि हां, तो समय पर पूरा नहीं कराने के लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? सरकार इन दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(4) क्या इन दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों से सरकार इस योजना की बढ़ी हुयी लागत वसूल करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उल्लेखित योजना के प्रथम चरण में दो कुओं के निर्माण की स्वीकृति 21-10-89 को प्रदान की गयी थी ।

(2) योजना के अन्तर्गत एक कुएं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दूसरे कुएं के निर्माण में प्रथम तो ग्रामवासियों द्वारा बाधा पहुंचाने एवं तत्पश्चात् संबंधित ठेकेदार द्वारा नए स्थान पर कुआं खोदने में देरी करने एवं न्यायालय में परिवाद दायर करने के कारण, कार्य अभी तक अपूर्ण है, जिन्हें सितम्बर, 94 में पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

(3) अपूर्ण कार्य को पूरा करने में अधिक लागत आने की संभावना है। कार्य में देरी हेतु मुख्यतः ठेकेदार की जिम्मेदारी है तथा अनुबन्ध के अनुसार शेष कार्य ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर करवाये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति में है ।

(4) किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध अभी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ।

जिला जोधपुर के हैण्डपम्पस

1152. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कितने हैण्डपम्प अब तक खुदे हैं एवं हैण्डपम्प के रख-रखाव के क्या मानदण्ड है ?

(2) वर्तमान में कितने हैण्डपम्प कहां-कहां पर चालू हालत में हैं ? कितने-कितने कहां-कहां पर कब से बन्द है ? इन्हें कब तक ठीक करवा दिया जाएगा ? नहीं, तो क्यों ?

(3) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प कार्य कर रहे हैं एवं कितने किस-किस गांव में कब से खराब हैं ? इन्हें कब तक ठीक करा दिये जाने का सरकार विचार कर रही है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में फरवरी 1994 तक कुल 3219 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। इस जिले में हैण्डपम्पों का रख-रखाव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन है तथा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अविलम्ब इन्हें ठीक किये जाने का प्रयास किये जाने की व्यवस्था है ।

(2) फरवरी माह में जिले में परित्यक्त, कार्यरत एवं अस्थायी रूप से खराब हैण्ड पम्पों की तहसीलवार संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। हैण्ड पम्प समय-समय पर खराब होते रहते हैं एवं इन्हें ठीक किया जाता है। वर्तमान में प्रगतिरत हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत समस्त मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को ठीक किया जा रहा है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) संदर्भित विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत एवं अस्थायी रूप से खराब हैण्ड पम्पों का वांछित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। इन्हें वर्तमान हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान में ठीक किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

तहसील शेरगढ़ के हैण्डपम्प्स व नलकूप

1153. श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ में कई स्थानों पर हैण्ड पम्प व नलकूप किसानों की खातेदारी जमीन में खोद दिये गये हैं जिन पर कि पास पड़ौस के लोगों को उस जमीन का खातेदार पीने का पानी मुहैया कराने में रूकावटें पैदा करते हैं और इस कारण कई स्थानों पर झगड़े भी हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार की नीति हमेशा से सार्वजनिक स्थानों पर हैण्ड पम्प व नलकूप खोदने की रही है ? यदि हां, तो इस नीति में बदलाव पर निजी स्थानों पर हैण्ड पम्प व नलकूप खोदने के आदेश सरकार ने कब किये ? यदि नहीं, तो किस अधिकारी के आदेश पर निजी स्थानों पर हैण्ड पम्प खोदे गये हैं ?

(3) चालू वितीय वर्ष में इस तहसील में कितने नये हैण्ड पम्प व नलकूप खोदने की योजना हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इस तहसील में गठित 22 नयी पंचायतों में उनके मुख्यालयों पर नलकूप इसी वर्ष खोद दिये जाएंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ में नलकूप सरकारी भूमि पर ही खोदे गये हैं। परन्तु तहसील के कुछ ग्रामों की कुछ ढाणियों के समूहों के मध्य सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण इन ढाणियों के निवासियों की सहमति से गैर सरकारी भूमि पर सार्वजनिक उपयोग हेतु हैण्ड पम्प स्थापित किये गये हैं। हैण्ड पम्पों के सार्वजनिक उपयोग में रूकावट अथवा किन्हीं झगड़ों की जानकारी वर्तमान में विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। उपरोक्त (1) पर उल्लेखित कारणों से, कुछ हैण्ड पम्प गैर सरकारी भूमि पर जनहित में अवश्य स्थापित किये गये हैं एवं नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(3) वित्तीय वर्ष 1993-94 में शेरगढ़ तहसील हेतु स्वीकृति अनुसार निर्मित नलकूपों एवं हैण्ड पम्पों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। तहसील में नवगठित 23 पंचायतों में से 11 पंचायत मुख्यालयों पर नलकूप बने हुए हैं एवं शेष 12 पंचायत मुख्यालयों पर खुले कूएं चालू हैं। पंचायतों के 10 मुख्यालयों पर खारा पानी होने के कारण नलकूप खोदे जाने प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

गांव बिछोछ (सवाईमाधोपुर) की पेयजल योजना

1154. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बामनवास तहसील के गांव बिछोछ में पेयजल की समस्या हल करने हेतु सरकार द्वारा बोरिंग कराया गया है ? यदि हां, तो उसमें कितना खर्चा आया तथा क्या विभाग इसमें सफल रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांव की पेयजल समस्या हल करने के लिये अन्य क्षेत्र में बोरिंग कराकर पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उल्लेखित नलकूप पर 73030 रुपये की राशि व्यय हुई, परन्तु पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने के कारण यह नलकूप असफल रहा।

(2) जी हां। वैकल्पिक योजना के प्रस्ताव बनाये जाकर तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। इनकी स्वीकृति एवं क्रियान्विति धन उपलब्धतानुसार की जा सकेगी।

विधानसभा क्षेत्र सरदारशहर की साहवा-गन्धेली पेयजल योजना

1155. श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) साहवा गंधेली पेयजल योजना में सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव आते हैं ? गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन गांवों में सरकार कब तक इस योजना से पानी पहुंचाने का विचार रखती है ? अब तक उक्त गांवों में पानी नहीं पहुंचने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) गंधेली-साहवा परियोजना के एक भाग के रूप में स्वीकृत ललानिया, शिमला, भानीपुरा योजना में सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र के 74 ग्राम सम्मिलित हैं, जिनकी वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) संदर्भित योजना से 12 ग्रामों को पूर्ण रूप से तथा 2 ग्रामों को आंशिक रूप से पानी पहुंचा दिया गया है। वर्ष 1994-95 में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप 6 अन्य ग्रामों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में उपलब्ध स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के लिये मूल्य वृद्धि के कारण संशोधित वित्तीय स्वीकृति एवं अधिक संसाधनों की आवश्यकता है जिसके लिए कार्यवाही जारी है। धन उपलब्धतानुसार शेष ग्रामों को भी चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ की पेयजल व्यवस्था

1156. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सुन्दरलाल)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के अन्तर्गत आने वाले गांवों यथा ढाणी, झलोठ, बनी बाढ़ काजला ग्राम कुलोठड़ा, ग्राम चनाणियों की ढाणी तथा ग्राम कासनी, हरिजनों का बास पंचायत फर्ट में रहने वाले हरिजनों आदि के लिये पेयजल संकट बना हुआ है, के लिए शीघ्र पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम बनी बाढ़ काजला एवं कुलोठड़ा में नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हरिजन बस्तियां भी सम्मिलित हैं। ग्राम ढाणी भालोठ पनघट योजना से पूर्व में लाभान्वित था, परन्तु तत्कालीन स्त्रोत के सम्बन्ध में विवाद होने एवं यह मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण अब वैकल्पिक स्त्रोत का निर्माण किया जाकर शीघ्र चालू किये जाने के प्रयास किये जाने है, जिसके पश्चात् ग्रामवासियों एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी पेयजल सुलभ होने लगेगा। वर्तमान में ग्राम वासियों द्वारा निजी कुओं से पेयजल प्राप्त किया जा रहा है।

ग्राम कासनी के हरिजनों का बास तथा ग्राम जाखोद की चनाणियों की ढाणी के मूल ग्रामों में पेयजल योजनाएं पूर्व से ही संधारण में है एवं इनके निवासियों को 1.6 किलोमीटर से कम दूरी पर पेयजल उपलब्ध है।

ग्राम सावली (जयपुर) की पेयजल समस्या

1157. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा दूदू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सावली तहसील दूदू में एक कुआ बनाकर उससे ग्राम बिहारीपुरा को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस कुए से ग्राम सावली के निवासियों को भी पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब इस ग्राम के निवासियों हेतु भी कोई पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र के पेयजल योजनाओं से लाभान्वित 201 ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। ग्राम सावली हैण्ड पम्प योजना से पूर्व में ही लाभान्वित होने के कारण, इसे उक्त कुएं से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

(3) जी हां। इस प्रकार के प्रस्ताव विचाराधीन है जिन्हें धन उपलब्धतानुसार ही क्रियान्वित किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 1158

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अग्राह्य किया गया।)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किशनगंज के हैण्डपम्प

1159. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में शहाबाद, सहायक, अभियन्ता का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उसे कब तक भर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में अब तक कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं और उनमें कितने खराब हैं ? क्या सरकार उनको ठीक कराने का इरादा रखती है। यदि हां, तो कब तक किस प्रकार ?

(3) क्या हैण्ड पम्पस् को समय पर ठीक करने हेतु समुचित स्टाफ, वाहन व पाइप्स आदि उपलब्ध कराने हेतु सरकार वचन बद्ध है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में विभाग में सहायक अभियन्ताओं के बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही प्रगति में हैं जिसके पूर्ण होने पर इस पद को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) माह फरवरी, 1994 तक संदर्भित क्षेत्र में 1258 हैण्ड पम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्तमान में प्रगतिरत हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत समस्त हैण्ड पम्पों की जांच की जा रही है जिसके उपरांत ही खराब हैण्ड पम्पों की वास्तविक संख्या का आंकलन सम्भव होगा। इस हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान में सभी मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को ठीक किया जा रहा है।

(3) जी हां। वर्तमान में जारी मरम्मत अभियान में हैण्ड पम्पों को ठीक किये जाने हेतु सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी है तथा मरम्मत का कार्य अप्रेल, 1994 के अन्त तक, पूर्ण होने की सम्भावना है।

जोधपुर लिफ्ट कैनाल से पानी का वितरण

1160. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर लिफ्ट कैनाल में कुल कितना पाइप लगाना है, कितना लग चुका है, तथा कितना लगाना शेष है ? शेष पाइप के वैल्डिंग, जोइंटिंग व पेंटिंग पर कितना व्यय होने वाला है तथा अब तक इस पर कितना व्यय हो चुका है ? क्या ठेकेदारों को अग्रिम राशि दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी व उसके अनुपात में अब तक कितना कार्य हो चुका है ?

(2) जोधपुर लिफ्ट कैनाल की आपातकालीन योजना से जोधपुर शहर को कितना पानी प्रति दिन प्राप्त हो रहा है ? इस पानी

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

में वृद्धि करने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा, इस पर कितना व्यय होगा तथा कितना अतिरिक्त पानी प्राप्त होगा ?

(3) जोधपुर लिफ्ट कैनाल के लिए कितने (मूल योजना के लिए) कितने पम्प खरीदने का निर्णय लिया गया है, यह कब तक प्राप्त हो जाएंगे, उन पर कितना व्यय होगा ? अब तक कितने पम्पों के खरीदने के आदेश प्रसारित हो चुके हैं तथा कितने पम्पों के आदेश प्रसारित होने शेष है ?

(4) जोधपुर लिफ्ट कैनाल में कितनी मिट्टी भरी हुई है, इसे कब तक निकाल दिया जायेगा व उस पर कितना व्यय होगा ?

(5) क्या जोधपुर शहर को पेयजल वितरण व्यवस्था सुधारने हेतु 28 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो इस वर्ष उसका क्या कार्य होने वाला है ? जोधपुर शहर के फिल्टर हाउस की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(6) जोधपुर लिफ्ट कैनाल पर ठेकेदारों द्वारा वर्ष 1987 में किये गये कार्य एवं जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनका अन्तिम भुगतान एवं अमानत राशि का भुगतान आज तक नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जोधपुर लिफ्ट कैनाल में 1626 मिलीमीटर व्यास के 28805 मीटर माइल्ड स्टील पाइप लगाये जाने हैं। अब तक कुल 15,000 मीटर पाइप लाइन लगायी जा चुकी है। शेष 13805 मीटर पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है। इन शेष पाइपों के वैल्डिग, जोड़ने एवं पेंटिंग पर लगभग 437·03 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है एवं इस कार्य पर अब तक 83·20 लाख रुपए व्यय किये जा चुके हैं। बचे हुए कार्यों के अन्तर्गत ठेकेदारों को कुल 52·34 लाख रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है तथा इसके अनुपात में अब तक 50·23 लाख रुपए का कार्य करवाया जा चुका है।

(2) जोधपुर लिफ्ट कैनाल की आपातकालीन योजना से कायलाना झील में 40 लाख गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त करना निर्धारित है, परन्तु कभी-कभी विद्युत तथा अन्य व्यवधान के कारण उक्त मात्रा में कमी हो जाती है। 40 लाख गैलन अतिरिक्त पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराने हेतु आपातकालीन योजना के द्वितीय चरण की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति 23-2-94 को जारी की जा चुकी है। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इस पर लगभग 2·69 करोड़ रुपये व्यय होना सम्भावित है। इस योजना को दिसम्बर, 94 तक पूरा करने का लक्ष्य है तथा इससे सामान्य परिस्थितियों में कायलाना झील में 40 लाख गैलन पानी की अतिरिक्त मात्रा प्रतिदिन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

(3) संदर्भित मूल योजना में प्रस्तावित 8 पम्प गृहों हेतु प्रथम चरण में कुल 27 पंपिग सैट क्रय करने का निर्णय लिया गया है। फरवरी, 94 में दिये गये आदेशों के

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अनुसार इनमें से 12 पम्पों की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य 21 माह की अवधि में पूर्ण होना लक्षित है। अब तक पम्पगृह 1 से 4 तक के कुल 12 पंपिंग सैट के क्रय हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

(4) वर्तमान में नहर में पानी का बहाव होने के कारण भरी हुई कुल मिट्टी की मात्रा का सही आकलन करना सम्भव नहीं है पूर्व में किये गये आकलन के अनुसार लगभग 5 लाख घन मीटर मिट्टी भरी हुई है जिसे निकालने पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस मिट्टी को निकालने का यथा सम्भव कार्य आरम्भ कर दिया गया है। कार्य का पूर्ण होना नहर बन्द होने पर निर्भर है।

(5) जी हां। इस स्वीकृत योजना के कोई भी कार्य इस वर्ष 1993-94 में प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। वर्तमान में अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एक फिल्टर प्लांट निर्माणाधीन है। 28 करोड़ की स्वीकृत योजना में तीन और फिल्टर प्लांट बनाये जाने का प्रावधान है।

(6) ठेकेदारों के केवल अंतिम बिलों के भुगतान शेष हैं जिनका शीघ्र भुगतान किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अंतिम बिलों एवं अमानत राशि के भुगतान नहीं होने के मुख्य कारण निम्नानुसार रहे हैं:--

1. भू एवं खान विभाग से कार्य में प्रयुक्त सामग्री की रायल्टी संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा न ही ये भू एवं खान विभाग से इस विभाग को प्राप्त हुए हैं।
2. ठेकेदारों को विभाग द्वारा दिये सामान जैसे सीमेंट, टूल्स व प्लांट इत्यादि का विवरण को नहीं दिया गया है।
3. अधिकतम मामलों को अंतिम रूप से तय करने हेतु संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति क्रमशः 13-8-93 तथा 28-12-93 को जारी हुई है; अतः अब अंतिम बिलों के शीघ्र नियमानुसार भुगतान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अधिकारियों का पदोन्नति प्रकरण

1161. श्री महेन्द्र मीणा, (सिकराय), **श्री हरीसिंह** (महुवा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि मैरिट के पदों पर उन अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की जा सकती जिनके गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्टि होती है? यदि हां; तो श्री डी. सी. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को मैरिट पद के विरुद्ध पदोन्नति किस प्रकार दी गयी जबकि इनके वर्ष 1991-92 के प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि थी?

(2) क्या यह सही है कि श्री डी. सी. माथुर के सभी गोपनीय प्रतिवेदनों को विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष नहीं रखा गया? यदि हां, तो इसके लिए तत्कालीन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिव और मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध तथ्यों

(श्री महेन्द्र मीणा)

को छिपाने के कृत्य के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) उपरोक्त परिस्थितियों में क्या सरकार उस डी. पी. सी. की रिव्यू डी. पी. सी. कराना उचित नहीं मानती जिसमें श्री डी. सी. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) को पदोन्नत कर अधीक्षण अभियन्ता, बीसलपुर के पद पर लगाया गया था ? यदि हां, तो सरकार यह कार्यवाही कब तक करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री डी. सी. माथुर को मैरिट के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति करने की अनुसंशा 16 दिसम्बर, 92 को की गयी थी। वर्ष 1991-92 संदर्भित उनके गोपनीय प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी ।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय वर्ष 1988-89 का गोपनीय प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं था तथा विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष नियमानुसार समस्त उपलब्ध अन्य ए. सी. आर एवं तथ्य प्रस्तुत किये गये थे । उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री माथुर के वर्ष 1988-89 के गोपनीय प्रतिवेदन के संदर्भ में कार्मिक विभाग द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति नियमों के अनुरूप दी गयी है जैसा कि उपरोक्त उत्तर (1) एवं (2) में उल्लेखित है अतः वर्तमान में रिव्यू डी. पी. सी. कराने की आवश्यकता नहीं है । विभिन्न ए. सी. आर्स देखकर यह कहा जा सकता है कि श्री माथुर बहुत अच्छी श्रेणी के अधिकारी है तथा जो शंकाएं इस प्रश्न में व्यक्त की गयी है, वे भ्रामक है ।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बाड़ी के बांध

1163. श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी जिला धौलपुर में कितने बांध कहां-कहां, कब-कब से बने हुए हैं तथा उक्त सभी बांधों की सिंचाई क्षमता कितनी-कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बांधों में कुछ बांध बहुत ही पुराने हैं और जब से बने हैं उससे भी बदतर हालत में आ गये हैं, किन्तु विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार अत्यन्त पुराने बांधों की मरम्मत कराकर इनकी सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्रान्तर्गत, पड़ने वाले रामसागर बांध तथा नहर जिनसे कि इसके पानी का उपयोग किया जाए, की मरम्मत एवं पक्का बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न हैं।

(सिंचाई मंत्री)

(2) उपरोक्त बांधों में कुछ बांध बहुत पुराने हैं । इनके जीर्णोद्धार के कार्य निर्धारित लाभ लागत अनुपात के अनुरूप नहीं होने से, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।. तथापि अत्यावश्यक मरम्मत कार्य नॉन-प्लान के रख रखाव मद में उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के अनुसार करवाये जाते रहे हैं ।

(3) जी नहीं । रामसागर नहर को पक्का कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि पुरानी नहरों को पक्का किये जाने हेतु वर्तमान में न तो कोई योजना है और न कोई वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं । मरम्मत एवं रख-रखाव सम्बन्धी कार्य आवश्यकता के अनुसार इस हेतु उपलब्ध सीमित वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत कराये जाते हैं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें ।)

दुगारी बांध की नहर से पानी की चोरी

1164. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दुगारी बांध की नहर से कट लगाकर पानी लेने के मामले में श्री मोतीलाल आत्मज श्री रतना के विरुद्ध तावान केस बनाये गये थे ? यदि हां, तो कब तथा उनका निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं । दुगारी बांध की नहर पर ओडा लगाकर सिंचाई करने का तावान वर्ष 1988 में हल्का पटवारी द्वारा बनाया गया था । इस प्रकरण का मूल रेकार्ड मिसप्लेस हो गया है जिसकी तलाश की जा रही है तथा इस प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

मनिहार बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर की मान्यता प्रकरण

1165. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री महेश शिक्षण संस्थान की प्रबन्ध समिति में संस्था प्रधानों को छोड़ कोई भी गैर जाति का व्यक्ति नहीं है ?

(2) क्या इस संस्था द्वारा जोधपुर में मनिहार बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल संचालित की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि मनिहार बालिका वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय की 12वीं कक्षा की बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं होने पर भी कक्षाएं किस आधार पर खोली गयीं व बोर्ड के फार्म कैसे भरे गये तथा किस अधिकारी से अग्रसित कराये गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि बिना विभागीय स्वीकृति के छात्राओं से भारी फीस वसूल की जाती रही है ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(5) क्या यह भी सही है कि मनिहार स्कूल की अध्यापिकाओं को हर साल नौकरी से हटाया जाता है और नयी भर्ती की जाती है ? क्या इन सभी मामलों में विभागीय अधिकारियों ने कभी जांच नहीं की ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 14 (1) शिक्षा-1/86 दिनांक 31-7-86 के द्वारा उक्त विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(4) संस्था मान्यता प्राप्त है। फीस अधिक लिये जाने की कोई शिकायत विभाग के ध्यान में नहीं है।

(5) प्रति वर्ष अध्यापिकाओं को हटाये जाने व नियुक्त किये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश से बाहर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के बी. एड. डिग्रीधारी

1166. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में बाहर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओ से बी. एड. की डिग्रीज प्राप्त व्यक्तियों को अध्यापक पद पर नियुक्तियां दी गयी हैं ? यदि हां, तो विभाग में उक्त प्रकार के कितने अध्यापक इस समय कार्यरत हैं ?

(2) क्या राज्य के बाहर के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधियों की मान्यता के सम्बन्ध में शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग द्वारा जारी किये गये पत्र क्रमांक: एफ 7 (18) शिक्षा-3/80 दिनांक 23-11-91 में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 8-7-88 का हवाला दिया गया है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के घोषित संस्थानों की सूची विभाग के पास उपलब्ध है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बी. एड. की फर्जी डिग्रीज के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करवाना न्यायोचित मानती है ?

उत्तर

(1) यू. जी. सी. से मान्यता प्राप्त राजस्थान के बाहर से बी. एड. की डिग्री प्राप्त अध्यापकों की संख्या प्राप्त सूचना के आधार पर 1607 है।

(2) जी, हां। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जी, हां। प्रति संलग्न है।

(4) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(आदेशों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

(50)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बा, जोधपुर को आवंटित भूमि

1167. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल बम्बा (छात्र संस्थाएं) को नगर विकास न्यास ने कब तथा कितनी जमीन आवंटित की ?

(2) क्या जिला शिक्षा अधिकारी की जानकारी में है कि न्यास द्वारा दी गयी कुल जमीन में से आधी जमीन स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा किसी निजी सस्था को भेंट कर दी या बेच दी ?

(3) क्या न्यास के रिकार्ड से कभी शिक्षा अधिकारी द्वारा मिलान कर इसकी जांच की गयी है ? उक्त जमीन पर अन्य भवन बन जाने पर प्रधानाध्यापक द्वारा कभी विभाग को जानकारी दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण रहा ?

(5) न्यास द्वारा स्कूल भवन को दी जाने वाली जमीन की कुल माप कितनी है ? जमीन का हिस्सा कहां से शुरू होता है तथा कहां उसका अन्त होता है ?

उत्तर

(1) राजकीय उ. प्रा. वि. बम्बा हेतु नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 22-10-82 को 1555.55 वर्ग गज भूमि का आवंटन किया गया था ।

(2) न्यास द्वारा आवंटित भूमि में से प्रधानाध्यापक द्वारा न तो किसी संस्था को भेंट की गयी हैं और न ही बेची गयी हैं ।

(3) जी, हां । न्यास द्वारा आवंटित भूमि पर विद्यालय भवन निर्माण कार्य बम्बा गुजजारपुरा विकास समिति द्वारा करवाया जा रहा है ।

(4) जी, नहीं । प्रधानाध्यापक द्वारा कोई निजी विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी हैं, अतः किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं ।

(5) कुल जमीन 1555.55 वर्गगज हैं । पूर्व में 30 फुट की रोड से, पश्चिम में शहर का परकोटे से, उत्तर दिशा में खाली जमीन हैं ।

पंचायत समिति लूणकरणसर के विद्यालय

1168. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मुख्यालय, लूणकरणसर की राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल एवं नापासर में व्यावसायिक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या दोनों स्थानों की स्कूलों में क्रमशः टेलरिंग व फार्मेसी की व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाएगा ?

(श्री भीमसैन चौधरी)

(2) क्या पंचायत समिति मुख्यालय लूणकरणसर की राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल में "जीव विज्ञान" कक्षाएं स्वीकृत करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सभी सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(2) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूणकरणसर में जीव विज्ञान विषय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्ड के आधार पर वित्तीय सीमा में गुणावगुण के आधार पर विषय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

समाजोपयोगी उत्पादन कार्य व अध्यापक अभिभावक समिति के नाम से राशि वसूली प्रकरण

1169. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा विभाग द्वारा "समाजोपयोगी उत्पादन कार्य" व "अध्यापक अभिभावक समिति" के नाम से शुल्क वसूल करने के कोई आदेश जारी किये गये है ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि वसूलने के आदेश जारी किये गये ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय मोती कटला, जयपुर में सत्र 1991-92 से 1993-94 तक "अध्यापक अभिभावक समिति" (पी. टी. ए.) एवं "समाजोपयोगी उत्पादन कार्य" के नाम पर कोई शुल्क वसूल किया गया है ? यदि हां, तो प्रति छात्र कितना-कितना व कब-कब किस आदेश के तहत व कुल कितनी राशि वसूली गयी ? क्या इसकी सभी को प्राप्ति रसीद दी गयी है ? इस राशि का किसके द्वारा क्या उपयोग किया गया और अब कितनी राशि शेष है ? तिथिवार सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समाजोपयोगी उत्पादन कार्य हेतु प्रति छात्र 30/- राज्य सरकार के आदेश प. 13(32) शिक्षा-1/77 दिनांक 6-8-92 के अनुसार शुल्क वसूल किया जाता है। अध्यापक अभिभावक समिति के नाम से शुल्क लेने के कोई आदेश विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। समाजोपयोगी उत्पादन का शुल्क आदेश दिनांक 6-8-92 के आधार पर तथा अध्यापक अभिभावक समिति के नाम 92-93 में 15/- रुपये प्रति छात्र शुल्क वसूल किया जा रहा है। यह शुल्क उक्त समिति की बैठक जो कि दिनांक 8-8-92 को हुई में लिये गये निर्णय के आधार पर वसूल किया जा रहा है। उक्त दोनों प्रकार के शुल्क की वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में निम्न प्रकार से राशि वसूल की गयी :—

	1991-92	1992-93	1993-94
समाजोपयोगी	7940	1632.50	17445.00
अ. अभिभावक	1929	13500.00	13380.00

(शिक्षा मंत्री)

जिन छात्रों से राशि वसूल की गयी उन्हें पावती रसीद दी गयी हैं। इस राशि का उपयोग छात्रों को समाजोपयोगी उत्पादन कार्य के अध्यापन हेतु उपकरण एवं कच्चा माल क्रय किये जाने तथा अध्यापक अभिभावक समिति की राशि का उपयोग विद्यालय के विकास एवं विद्यालय में अध्यापक अभिभावक समिति के नाम से लगे दूरभाष पर राशि का व्यय किया जाता है। राशि का व्यय प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालयाध्यक्ष की हैसियत से व्यय की जाती है तथा वर्तमान में समाजोपयोगी का रु. 24697.21 तथा अ. अ. स. में 19,074.36 रु. शेष है।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, मोती कटला, जयपुर द्वारा छात्रों से राशि वसूली प्रकरण

1170. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, मोतीकटला, जयपुर 1991-92 से 1993-94 तक छात्रों के शुल्क सहित सभी स्रोतों से किस-किस मद में कितनी राशि प्राप्त हुई ? इसका किसके आदेश से किसके द्वारा क्या उपयोग किया गया और अब कितनी राशि शेष है ? तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शाला भवन को सरकारी व निजी प्रयोजन हेतु किराये पर दिया है ? यदि हां, तो 1991-92 से 1993-94 तक कब-कब किसको, किस प्रयोजन से दिया गया व प्रत्येक से कितनी-कितनी किराया राशि प्राप्त हुई ? इस राशि को किस फण्ड में जमा किया गया और इसका कब व क्या उपयोग किया गया, इस मद में अब कितनी राशि शेष है ? तिथिवार सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रा सी. उ. मा. वि. मोतीकटला, जयपुर में वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक छात्र निधि के सभी मदों में निम्न प्रकार से शुल्क वसूल किया गया :—

मद का नाम	1991–92	1992–93	1993–94
छात्र निधि एवं परिचय पत्र	51525	62686	63543.50
स. उ. कार्य.	7940	11632	17445.00
विज्ञान शुल्क	2664	5786	12674.00
विकास	2871	3033	2910.00
अ. अभ. स.	1929	13506	13380.00
स्काउटिंग	957	1011	969.00
	67886	97631	110921.50

उपरोक्त प्राप्त राशि का व्यय 1991-92 से 1993-94 तक निम्न प्रकार से व्यय किया गया। राशि विभाग के नियमानुसार प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों की परीक्षा

(शिक्षा मंत्री)

हेतु उत्तर पुस्तिका, प्रश्न-पत्र शुल्क, वाचनालय, प्रतियोगिता शुल्क, खिलाड़ियों पर व्यय तथा विज्ञान, समाजोपयोगी सामग्री पर खर्च की गयी है ।

1993-94 की समाप्ति पर 112408.35 की राशि शेष रही जिसमें पूर्व का शेष भी सम्मिलित है ।

मद का नाम	1991–92	1992–93	1993–94
छात्र निधि	65097	23116	48774.75
स. उ. कार्य.	10514	4548	75.00
विज्ञान	2976	1423	3825.00
विकास	2686	—	—
अ. अ. स.	8512	286	7591.00
स्काउट	121	122	—
मरम्मत	—	—	2253.00

(2) जी, हां । शाला भवन जिसको किराये पर जिस प्रयोजन हेतु दिया गया, उसका विवरण निम्नानुसार है—

पार्टी का नाम	दिनांक	वसूल राशि	प्रयोजन
गफूर मो., जयपुर	11-11-91	321	विवाह हेतु
रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर	17-12-91	350	परीक्षा हेतु
निदेशक, सांख्यिकी	29-12-91	450	परीक्षा हेतु
गोविन्द नारायण	31-1-92	251	विवाह हेतु
रेलवे भर्ती बोर्ड	25-2-92	350	परीक्षा हेतु
एस. बी. बी. जे.	3-3-92	600	परीक्षा हेतु
एतुशामुदिन	30-3-92	2300	साइकिल स्टैंड
महबूब खां	4-5-92	266	विवाह हेतु
महाराजूदिन	15-6-92	100	विवाह हेतु
फूलचन्द	7-7-92	101	विवाह हेतु
छोटूलाल वर्मा	6-11-92	251	विवाह हेतु
मोहम्मद सलीम	23-3-93	1850	साइकिल स्टैंड
टीकू भाई	7-4-93	251	विवाह हेतु
आर.एस.ई.बी.	25-5-93	532	परीक्षा हेतु
दामोदर लाल	29-5-93	251	विवाह हेतु
बी.एस.आर.बी.	5-12-93	200	रिक्शा हेतु

(शिक्षा मंत्री)

वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक विद्यालय को किराये के रूप में 8424.00 रु. प्राप्त हुए जिसमें से 6220/- रु. 0202 शिक्षा में राजकीय कोष में आय के रूप में जमा करवाये गये, तथा शेष राशि 2204.00 छात्र निधि में जमा किये गये हैं। शेष राशि का उपयोग छात्रों एवं भवन के रख-रखाव पर व्यय किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के विद्यालय

1171. श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदार-शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में वर्तमान में कितने शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? अन्य सवर्गों के पद कब से रिक्त चल रहे हैं ? सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र में एक सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, 16 माध्यमिक विद्यालय, 44 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 17 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालय वार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता के पद विभागीय चयन समिति एवं लोक सेवा आयोग द्वारा आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने, वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक के पद आगामी सत्र के प्रारम्भ से पूर्व भरे जा सकेंगे। कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर लगायी गयी रोक के हटने पर भरे जा सकेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में कृषि संकाय

1172. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के लगभग सभी शिक्षा मुख्यालयों पर स्थित सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालयों से कितने विद्यालयों में कृषि संकाय है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अकेले भीलवाड़ा जिले में 17 विद्यालयों में कृषि विषय चल रहे हैं ?

(3) कोटा सम्भाग में कृषि विषय कितने विद्यालय में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कोटा सम्भाग के विद्यालयों में किस-किस विद्यालय में कब तक कृषि विषय खोलने का सरकार विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालयों पर उन विद्यालयों की सूची जहां कृषि संकाय चल रहे हैं की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जी, हां ।

(3) कोटा संभाग के विद्यालयों की सूची जिनमें कृषि विषय चल रहे हैं, सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(4) राज्य सरकार, कृषि भूमि की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, क्षेत्रीय मांग, छात्र संख्या, भवन की स्थिति एवं वित्तीय सीमा में गुणावगुण के ग्राधार पर कृषि विषय खोलने पर विचार करती है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें ।)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, तलावडा, (सवाईमाधोपुर) की क्रमोन्नति

1173. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तलावडा, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इस विद्यालय को राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो कब व किस के द्वारा ? मांग पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में योजना ग्रायोग, नई दिल्ली द्वारा शासन सचिव (शिक्षा), राजस्थान को पत्र लिखा गया ? यदि हां, तो कब ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ने उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । रा. मा. वि. तलावडा, जिला सवाईमाधोपुर सत्र 1979-80 से संचालित है ।

(2) जी, नहीं । राजकीय माध्यमिक विद्यालय तलावड़ा को सी. उ. मा. वि. में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए ।

(3) जी, नहीं । इस प्रकार का कोई पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुग्रा ।

(4) जी, नहीं । पत्र ही प्राप्त नहीं हुग्रा ।

प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता

1174. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निजी शिक्षण संस्थाग्रों से विद्यालय को मान्यता देने के लिये सरकार द्वारा कितने रुपयों की एफ. डी. ग्रार. ली जाती है ?

(श्री रामनारायण डूडी)

(2) कितने विद्यालयों से यह राशि ली गयी है ?

(3) जिन संस्थाओं ने यह राशि जमा नहीं करवायी है उनमें से कितने विद्यालयों की मान्यता रद्द की गयी है और कितने विद्यालयों की अनुदान राशि बन्द की गयी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, अनुदान सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 में निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु प्राथमिक स्तर के लिए 50 हजार, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1 लाख रुपये एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के लिए रुपये 3·00 लाख की एफ.डी.आर. संस्था एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के संयुक्त नाम से सस्था द्वारा जमा कराये जाने का प्रावधान है ।

इन नियमों के पुनरीक्षण हेतु राज्य के उच्च शिक्षा मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक उच्च राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है । समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दिनांक 11-3-94 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की है । इस रिपोर्ट को सिफारिश के आधार पर समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने तथा राज्य सरकार द्वारा इस पर निर्णय किये जाने तक राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19-3-1994 के द्वारा आरक्षित कोष की राशि का प्रावधान निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :—

प्राथमिक स्तर	: रुपये	2000/-
उच्च प्राथमिक स्तर	: रुपये	5000/-
माध्यमिक/स्तर	: रुपये	15000/-
उच्च माध्यमिक स्तर	: रुपये	25000/-

(2) 17 विद्यालयों से राशि जमा करवायी गयी है ।

(3) किसी भी विद्यालय की मान्यता रद्द नहीं की गई है तथा न ही किसी विद्यालय का अनुदान बन्द किया गया है ।

जयपुर जोन के सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में व्याख्याताओं के पद

1175. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जोन में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में कुल कितने व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद कहां कहां रिक्त हैं ? विषयवार एवं स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर जोन के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में कुल 3174 व्याख्याता के पद स्वीकृत हैं । जिसमें से 387 व्याख्याता के पद रिक्त हैं । विषयवार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी, हां । राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति से सम्बन्धित विषय के व्याख्याता उपलब्ध

(शिक्षा मंत्री)

होने पर रिक्त पद भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा खरीद

1176. श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में स्टोर की खरीद करीब 35-40 लाख की की गयी ?

(2) क्या खरीद नियमानुसार की गयी? यदि हां, तो कार्यवाही के समस्त पत्रादि की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनियमित खरीद के बारे में विभाग/सरकार के अधीन कोई कार्यवाही विचाराधीन है ?

(4) क्या यह सही है कि खरीद में पाये गये दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 1989-90 में 27·60 लाख तथा 1990-91 में 11·25 लाख की स्टोर में खरीद की गयी।

(2) इस खरीद की जांच के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश सं. एफ-1 (1) शिक्षा-3/80 दिनांक 28-8-92 तथा संशोधित दिनांक 5-1-93 के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) गठित समिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) उक्त बिन्दु 2 तथा 3 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

1177. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई-माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सन् 1991 में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के 150 पदों को भरने के लिये 450 प्रत्याशियों का साक्षात्कार करने के बाद 150 प्रत्याशियों की सामान्य सूची एवं 75 की आरक्षित सूची बनायी गयी थी ?

(2) क्या सवाईमाधोपुर शिक्षा अधि-कारी ने निर्धारित तिथि के बाद भी संतोष कुमार मित्तल प्रत्याशी को एल. टी. सी. अंकतालिका जोड़ कर नियुक्ति दी गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। श्री संतोष कुमार मित्तल की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गयी थीं,

(शिक्षा मंत्री)

परन्तु श्री मित्तल ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पुनः अपना कार्य-भार ग्रहण कर लिया है।

राजस्थान साहित्य अकादमी में अध्यक्ष की नियुक्ति

1178. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री वेद व्यास को राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष राष्ट्रपति शासन के दौरान नियुक्त किया गया? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति का आधार क्या रहा?

(2) क्या यह सही है कि श्री वेद व्यास ने जयपुर में अकादमी कार्यालय के नाम पर 1200/- रुपये प्रति माह का मकान किराया लिया हैं? यदि हां, तो कब से? क्या उक्त किराये का अनुमोदन सरकार द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो किराये को निरन्तरित रखने का औचित्य क्या है?

(3) क्या यह सही है कि श्री वेद व्यास ने एक सितम्बर से वाहन भत्ता प्राप्त किया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि अकादमी कार्य समिति की बैठक दिनांक 22-12-93 के निर्णय पर कार्य समिति के अधिकतर सदस्यों ने आपत्ति की है? यदि हां, तो आपत्ति का आधार क्या था?

(5) श्री वेद व्यास ने सितम्बर से जनवरी, 94 तक कुल कितना यात्रा व्यय कब-कब की यात्राओं पर लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। श्री वेदव्यास को अध्यक्ष, राज. साहित्य अकादमी, उदयपुर आदेश क्रमांक एफ 27 (11) शि/3/84 दिनांक 2-9-93 द्वारा संविधान के अनुच्छेद-8 के अंतर्गत नियुक्ति दी गयी। अध्यक्ष का पद रिक्त था।

(2) जी, हां। श्री वेद व्यास ने जयपुर में अध्यक्षीय कार्यालय के लिए दो कमरे का एक भाग 56, कान्तिनगर, जयपुर में 1200/- रु. प्रतिमाह दिनांक 1-10-93 से किराये लिया है। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प. 12 (3) 91 दि. 18-11-93 से इसका अनुमोदन नहीं किया क्योंकि अकादमी का कार्यालय उदयपुर में स्थित है इसलिए जयपुर में अध्यक्षीय कार्यालय खोलना सम्भव नहीं है। एकेडमी द्वारा अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 93 तथा जनवरी, फरवरी, 1994 यानी कि 5 माह का किराया 6,000 रु. बिना स्वीकृति चुकाया गया है।

(3) जी, हां। श्री वेद व्यास, अध्यक्ष, अकादमी ने बिना राजकीय स्वीकृति के एक सितम्बर, 93 से वाहन भत्ते की रकम एक हजार रुपया एक मुश्त प्राप्त की है। इस तरह इन्होंने एक सितम्बर से जनवरी, 94 तक 5,000 रु. वाहन भत्ते के रूप में प्राप्त किये हैं।

(4) जी, हां कार्य समिति एवं संचालिका की बैठक दिनांक 22-12-93 को सम्पन्न हुई थी। इस संचालिका की कुल

(शिक्षा मंत्री)

सदस्य संख्या 10 थी जिसमें से 7 सदस्य उपस्थित हुए थे। इन 7 सदस्यों में अध्यक्ष व सचिव भी सम्मिलित थे। इस प्रकार उपस्थित 5 सदस्यों में से एक सदस्य को छोड़कर 4 सदस्यों ने विवरण पर आपत्तियां कर दीं। इसके अलावा अनुपस्थित एक सदस्य ने भी आपत्ति की। आपत्तियों का आधार निर्णयों में हेरफेर और जो निर्णय नहीं हुए थे उन्हें अंकित करना आदि आक्षेप थे। आपत्तियों के फलस्वरूप आज तक इस बैठक के निर्णयों की क्रियान्वितियां नहीं हो पायी हैं।

(5) श्री वेद व्यास ने सितम्बर, 93 से जनवरी, 94 तक जो यात्रा भत्ता प्राप्त किया है वह इस प्रकार है :—

क्र.सं	बिल सं.	दिनांक से दिनांक तक	स्थान	यात्रा व्यय राशि
1.	96	18-9-93 से 20-9-93	उदयपुर	1020·80
2.	96	28-9-93	,,	365·60
3.	111	7-10-93 से 9-10-93	,,	1005·80
4.	113	10-10-93	अजमेर	202·40
5.	113	12-10-93	जोधपुर	632·90
6.	113	21-10-93	अजमेर	202·40
7.	113	21-10-93	बीकानेर	675·40
8.	118	4-11-93	उदयपुर	768·60
9.	134	–उदयपुर संशोधित या बिल		237·60
10.	148	1-11-93	श्री गंगानगर	406·00
11.	148	9-11-93	झुन्झुनूं	207·00
12.	148	23-11-93	भरतपुर	207·00
13.	148	30-11-93	कोटा	290·00
14.	148	18-11-93	अलवर	421·80
15.	148	2-12-93 से 4-12-93	उदयपुर-चित्तोड़गढ़	950·60
16.	148	7-12-93	जोधपुर	372·80
17.	148	19-12-93 से 23-12-93	उदयपुर-चित्तोड़गढ़	11098·30
18.	148	11-12-93	भीलवाड़ा	506·20
19.	148	6-1-94 से 8-1-94	उदयपुर	1004·60
20.		19-1-94 से 20-1-94 24-1-94 से 29-1-94	उदयपुर	1879·80
			योग राशि रु.	12455·20

विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के विद्यालय

1179. श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में कुल कितने विद्यालय है एवं किस-किस श्रेणी के कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए सूची में दर्शाये गये स्कूल पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो कहां-कहां, किस-किस श्रेणी के स्कूल और खोलना प्रस्तावित है एवं कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि सम्पूर्ण बाड़ी क्षेत्र में केवल एक मात्र एक ही सैकण्डरी स्कूल है तथा क्षेत्र काफी लम्बा चौड़ा एवं पहाड़ी तथा डैकती ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण वहां की गरीब जनता को अपने बच्चों को सैकण्डरी स्कूल तक शिक्षा दिलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपनी नीति के मुताबिक बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में और सैकण्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में 3 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, 9 माध्यमिक विद्यालय 26 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 119 प्राथमिक विद्यालय संचालित है। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1994-95 हेतु विद्यालय क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के प्रस्तावों पर राज्य सरकार अपनी वित्तीय सीमा के तहत गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत करने पर विचार करेगी।

(3) जी, नहीं। बाड़ी विधान सभा क्षेत्र (सम्पूर्ण बाड़ी क्षेत्र) में 3 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 9 सैकण्डरी स्कूल संचालित है। विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार अपनी वितीय सीमा के तहत गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करने पर विचार करती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

केलादेवी मंदिर, झील का वाड़ा की आय

1180. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झील का वाड़ा स्थित कैला देवी मंदिर से गत पांच वर्षों में कितनी आय हुई और उस आय की कितनी प्रतिशत राशि मंदिर पर खर्च कर दी गयी है ? क्या बकाया राशि को इस मंदिर के विकास में लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) कैलादेवी, झील का वाड़ा मंदिर पर मेले के समय उसकी आय पर निगरानी हेतु सरकार की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार इस विषय में स्थानीय नागरिकों की कोई समिति गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री गोपीचन्द)

(3) क्या सरकार कैला देवी झील के वाड़े के मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झील का वाड़ा स्थित कैला देवी मंदिर से गत पांच वर्षों में 15,84,253/- रुपये की आय हुई है। इस आय का 54% मंदिर पर खर्च किया गया है। बकाया राशि मंदिर के विकास पर लगाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। क्योंकि मंदिर की आवश्यक मरम्मत हेतु विभाग ने आय की 10% राशि खर्च करने का प्रावधान कर रखा है।

(2) कैला देवी झील का वाड़ा मंदिर पर मेले के समय आय पर निगरानी सहायक आयुक्त, भरतपुर द्वारा रखने की व्यवस्था की जाती है। इस सम्बन्ध में समिति गठित करने की सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) कैलादेवी झील का वाड़ा के मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने की कोई योजना अभी तक विचाराधीन नहीं है।

भरतपुर में देवस्थान विभाग की सम्पति पर अतिक्रमण

1181. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर में देवस्थान विभाग की कितनी सम्पत्तियां हैं, कितनी सम्पत्तियों पर अतिक्रमण है और क्या सरकार अतिक्रमण को हटाये जाने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) भरतपुर जिले में देवस्थान विभाग के समस्त मंदिरों की गत पांच वर्षों की आय-व्यय का लेखा-जोखा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर में देवस्थान विभाग की 511 सम्पदाएं हैं। जिनमें से 28 सम्पदाओं पर अतिक्रमण है। सरकार ने अतिक्रमण को हटाने के लिये राजस्थान भू-गृहादि अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत सम्पदा प्रधिकारियों का प्रावधान किया हुआ है। सम्पदा अधिकारी उनके न्यायालयों में प्रस्तुत वादों का निस्तारण करके अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करते हैं।

(2) भरतपुर जिले के समस्त मंदिरों के गत पांच वर्षों के आय-व्यय की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

भरतपुर में पुरातत्व विभाग की सम्पत्ति पर अतिक्रमण

1182. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर जिले में पुरातत्व विभाग की कितनी सम्पत्ति है और कितनी सम्पत्ति पर अतिक्रमण है ? क्या सरकार ने अतिक्रमियों

(श्री गोपीचन्द)

के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

भरतपुर के किले में निम्नांकित स्मारक पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित हैं :-

1. कमरा खास
2. पुराना किला (पुरानी कचहरी)
3. किशोरी महल
4. किले के अन्दर का भाग

कमरा खास व पुराने किले में पुरातत्व विभाग के राजकीय संग्रहालय स्थापित हैं तथा किशोरी महल जिला प्रशासन, भरतपुर के अधीन है। किशोरी महल के पास 28 तथा किले के अन्दर के भाग में स्थित महल खास के चारों ओर 117 अतिक्रमण/अवैध निर्माण हुए हैं। महल खास तथा उसके प्रांगण की भूमि भरतपुर के भूतपूर्व महाराजा की पैतृक सम्पत्ति है।

किशोरी महल के पास हुए अतिक्रमणो के लिए जिला कलक्टर, भरतपुर ने नगर परिषद, भरतपुर को इन अतिक्रमण अवैध निर्माणों को हटाने के लिये निर्देश जारी किये थे तदनुसार अतिक्रमियों को नोटिस दिये जाने पर 23 अतिक्रमियों ने राज्य सरकार के विरुद्ध मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर के न्यायालय में वाद संख्या 164/92 से 186/92 दायर किये हुए हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

राजस्थान राज्य बीज निगम लि. में व्याप्त भ्रष्टाचार

1183. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि (इनपुट) विभाग के पत्र संख्या एफ 2 (3) एग्री/इनपुट/90 दिनांक 27 दिसम्बर, 1993 तथा पत्र संख्या एफ 2 (3) एग्री/इनपुट/90 दिनांक 07 जनवरी, 1994 के पत्रों द्वारा राजस्थान राज्य बीज निगम लि. से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट टिप्पणी तथा कर्मचारियों की पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में फाइलों की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या निगम ने अपेक्षित जानकारी और फाइलें विभाग को भेज दी हैं ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उपरोक्त मामले में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि उप शासन सचिव, कृषि (इनपुट) विभाग के पत्र संख्या एफ 2 (3) एग्री/इनपुट/90 दिनांक 11 अक्टूबर, 1993 के द्वारा भी राजस्थान राज्य बीज निगम से कोई रिपोर्ट मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी हां। अभी तक निगम से अपेक्षित जानकारी और पत्रावलियां प्राप्त

(कृषि राज्य मंत्री)

नहीं हुई है जिसके लिए उन्हें स्मरण कराया गया है।

(2) उत्तर प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य बीज निगम के पत्र दिनांक 20-10-93 व 13-1-94 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायत तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कृषि उपज मंडी समिति, रावला (सूरतगढ़) में निर्माण कार्य

1184. श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सूरतगढ़ रावला कृषि उपज मण्डी समिति के तहत वर्ष 1993-94 में कितने निर्माण कार्यों की योजना भेजी गयी? इनमें कुल कितने निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गयी?

(2) रावला क्षेत्र में मंजूरशुदा प्रस्तावों की स्थिति क्या है? क्या समस्त कार्य चालू करवाये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) रावला कृषि उपज मण्डी की उपज आय वर्ष 1992-93 में कितनी थी? उस आय में मण्डी 365 हैड का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा?

(4) क्या सरकार 365 हैड पर कृषि जिन्सों के व्यापार हेतु नया यार्ड का निर्माण करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, रावला द्वारा वर्ष 1993-94 में अब तक कुल 21 निर्माण कार्यों की योजना भेजी गयी है। इनमें से 14 कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(2) मंजूरशुदा निर्माण कार्यों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, रावला की वर्ष 1992-93 में आय 33.35 लाख रुपये थी जिसमें गौण मण्डी प्रांगण 365 हैड की आय 2.36 लाख रुपये थी यह कुल आय का 7 प्रतिशत मात्र है।

(4) जी हां। नये मण्डी प्रांगण के लिये उपयुक्त भू स्थल का चयन करने की प्रक्रिया चल रही है। भूमि उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

कृषि उपज मंडी समिति, नरेना द्वारा सड़कों का निर्माण

1185. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, नरेना विगत 5 वर्षों का आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल)

(2) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी क्षेत्र नरेना के गांवों से अनाज मण्डी तक पहुंचाने हेतु सम्पर्क सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कृषि उपज मण्डी समिति की आय में से कितने प्रतिशत राशि सड़कों पर व्यय करने का सरकार का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त कृषि उपज मण्डी द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान कुल कितनी सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस मण्डी की आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण इस मण्डी को जयपुर अनाज मण्डी से जुड़वाकर कोई अनुदान दिलवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों का आय-व्यय विवरण संलग्न कर परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। क्योंकि मण्डी समिति नरेना की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

(3) वर्ष 1993-94 के दौरान किसी भी सम्पर्क सड़क का मण्डी समिति से प्रस्ताव नहीं भेजा है। और ना ही स्वीकृति दी गयी है।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

धरियावद जिला उदयपुर में कृषि उपज मंडी की स्थापना

1186. श्री नारायण लाल (लसाडिया) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील धरियावद जिला उदयपुर जाखम बांध द्वारा सिंचित क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि तहसील धरियावद, जिला उदयपुर जाखम बांध से सिंचित क्षेत्र है। धरियावद में पृथक् से स्वतंत्र रूप से कृषि उपज मण्डी समिति खोलने का विचार नहीं है, क्योंकि मण्डी शुल्क में से संस्थापन व्यय एवं मण्डी प्रांगण व्यय निकालने के पश्चात् विकास कार्यों के लिये राशि शेष नहीं रह पाएगी एवं मण्डी आर्थिक रूप से सक्षम मण्डी नहीं बन पाएगी।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की योजनाएं

1187 श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी व चाकसू के अन्तर्गत वर्ष 1989 से अब तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किस-किस गांव में क्या-क्या कार्य करवाए गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त निर्माण कार्यों पर अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? प्रत्येक

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

कार्य का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त कार्यों में कौन-कौन से अपूर्ण कार्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) वर्ष 1977 से अब तक इन्दिरा आवास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किस-किस गांव में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि दी जाकर मकान बनाये गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत बस्सी क्षेत्र में निर्मित ऐसे किस-किस व्यक्ति के किस-किस गांव में कितने मकान हैं जो क्षत-विक्षत या जानमाल का खतरा होने के कारण निवास करने योग्य नहीं है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र की पं. स. बस्सी व चाकसू के अन्तर्गत 1989 से अब तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करवाये गये कार्यों की सूची क्रमवार संलग्न है ।

(2) उक्त कार्यों पर हुई व्यय राशि का विवरण कार्यों की संलग्न सूची में कार्यवार प्रस्तुत है ।

(3) अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है ।

(4) यह योजना वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ की गयी थी । सूची मय लाभार्थी के नाम, गांव व दी गयी राशि के साथ संलग्न है ।

(5) पंचायत समिति बस्सी में क्षत-विक्षत या जानमाल का खतरा होने के कारण निवास के अयोग्य मकान के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, यद्यपि 191 आवास निर्माण के पश्चात् आवंटियों द्वारा उनमें नहीं रहने एवं रख-रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गये हैं । मकानों का विवरण संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

बीकानेर शहर के छात्रावास

1188. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में राजस्थान बाल मंदिर नत्थुसर बास नामक संस्था छात्र-छात्राओं के छात्रावास संचालित कर रही है और विभाग से अनुदान प्राप्त कर रही है ?

(2) उक्त संस्था द्वारा कितने व कब से छात्रावास एवं अन्य कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस वर्ष प्रत्येक छात्रावास में कितने-कितने छात्र-छात्राऐं रह रही हैं ? प्रत्येक छात्र-छात्राओं के लिये किन-किन आइटम पर कितनी-कितनी राशि प्रतिमाह के लिए विभाग व अन्य एजेंसियों द्वारा स्वीकृत की जाती हैं ? आंकड़े सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री भीमसेन चौधरी)

(4) क्या उक्त संस्था का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों द्वारा ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान कला मंदिर नत्थूसर बास नामक संस्था विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत कोई छात्रावास संचालन नहीं कर रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

(2) बिन्दु संख्या एक के उत्तर के सन्दर्भ में सूचना शून्य है।

(3) बिन्दु संख्या एक के उत्तर के सन्दर्भ में सूचना शून्य है।

(4) बिन्दु संख्या एक के उत्तर के सन्दर्भ में सूचना शून्य है।

जिला बांसवाड़ा की एकीकृत ग्रामीण विकास योजना

1189. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने काश्तकारों को लाभान्वित किया गया है ? कितनी पत्रावलियां विचाराधीन हैं ? सरकार इनको कब तक स्वीकृत कराकर काश्तकारों को लाभान्वित करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बांसवाड़ा के घाटोल विधान सभा क्षेत्र में विकास अभिकरण द्वारा आदिवासी बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए कितने प्रस्ताव पास कर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा चुकी है तथा कितने प्रस्ताव परियोजना अधिकारी के पास विचाराधीन हैं ? इनकी स्वीकृति कब तक जारी करने का सरकार विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत फरवरी, 94 तक निम्न योजनाओं के अन्तर्गत 65761 परिवारों के 70271 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है:

योजना	लाभान्वित परिवारों की
1. कृषि योजनाएं	14,648
2. लघु सिंचाई योजनाएं	6,091
3. पशु पालन योजनाएं	18,520
4. अकृषि योजनाएं	31,015
योग :	70,271

वित्तीय वर्ष 1993-94 में 4070 परिवारों को लाभान्वित कराने के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बैंकों के पास पूर्व के 1016 प्रार्थना-पत्र स्वीकृत शुदा शेष थे तथा 6504 इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति हेतु भेजे गये। इस प्रकार कुल 7520 प्रार्थना-पत्रों में से माह फरवरी, 94 तक 3396 परिवारों को ऋण वितरण किया गया। 870 परिवारों के प्रार्थना-पत्र बैंकों के द्वारा

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

अस्वीकृत किये गये, 2043 ऋण प्रार्थना-पत्र स्वीकृति लेने हेतु एवं 1211 ऋण वितरण हेतु बैंकों के पास लम्बित है जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष एवं अगले वर्षों में लक्ष्यानुसार लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाएगा ।

(2) जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बांसवाड़ा 1992-93 में 3 बस्तियों में बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव पास कर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है । इनका विवरण इस प्रकार है : –

वर्ष 1991–92	वर्ष 92–93
1. कराना– कार्यपूर्ण	1. कानजी का गढ़ा– कार्यपूर्ण
2. नयाफला– कार्य अपूर्ण	2. बड़ी पडाल मंजरा-टाण्ड–कार्य पूर्ण
3. कटुम्बी– कार्य प्रगति पर	3. गोरछा–कार्य पूर्ण

वर्ष 1993-94 में 14 आदिवासी बस्तियों में बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इनमें से 5 बस्तियों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है । शेष को स्वीकृति राशि उपलब्ध होने पर दी जावेगी ।

पंचायत समिति पीपलखूंट व बांसवाड़ा की योजनाएं

1190. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति पीपलखूंट व बांसवाड़ा में कितनी लिफ्ट योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है ? इनमें से कितनों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितनी अधूरी हैं ?

(2) अधूरी लिफ्ट योजनाओं का कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा ?

(3) भविष्य में कितनी लिफ्ट योजनाओं की और स्वीकृति सरकार जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति पीपलखूंट एवं तलवाड़ा (बांसवाड़ा) में स्वीकृत सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं की सूची परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है । पंचायत समिति पीपलखूंट में 14 तथा पं. स. तलवाड़ा (बांसवाड़ा) में 21 योजनाएं पूर्ण कर ली गयी है । पं.स. पीपलखूंट एवं तलवाड़ा (बांसवाड़ा) में क्रमशः 9 एवं 2 योजनाऐं अपूर्ण है । सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं की सूची परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है ।

(2) अपूर्ण योजनाओं का कार्य प्रगति पर है वित्तीय वर्ष 1994-95 में कार्य पूर्ण करवा लिया जावेगा ।

(3) कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में बांसवाड़ा जिले में 24 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के सृजन एवं क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है, जिनकी भविष्य में स्वीकृति जारी की जावेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें ।)

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का निलम्बन

1191. श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 25-8-1983 को किन-किन अधिकारी / कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था ? उनके विरुद्ध कौन-कौन से आरोप थे तथा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों में से जांच विचाराधीन होते हुए बहाल कर पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो कौन से नियम के अनुसार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) [क] दिनांक 25-8-83 को आदेश क्रमांक एफ-1 (5) ( ) कार्मिक/जांच/सकवि/81/926 के द्वारा निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था–

1. श्री हीरालाल, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
2. श्री कजोड़मल, पोषाहार निरीक्षक
3. श्री अहमद हुसैन मुकरानी, क. लि.
4. श्री दुर्गा लाल, कनिष्ठ लेखाकार

[ख] इनके विरुद्ध सवाईमाधोपुर जिले में पोषाहार सामग्री गायब करने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। उक्त कर्मचारियों को विचाराधीन जांच बहाल किया गया है, परन्तु कर्मचारियों के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र जारी नहीं किया गया है। अतः इस मामले में पदोन्नतियां समाज कल्याण अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नियम, 1963 मंत्रालयिक सेवा नियम, 1957 तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कार्मिक विभाग की पदोन्नति सम्बन्धी समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप की गयी है।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, 21 मार्च, 1994)

अलवर शहर के सार्वजनिक नल

665. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अलवर शहर में नगर परिषद द्वारा सार्वजनिक पानी के नलों को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनता के लिये सार्वजनिक नलों के स्थान पर कोई नयी योजना लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

जी, हां। नगर परिषद अलवर के अनुरोध पर विभाग द्वारा 10 सार्वजनिक नलों के सम्बन्ध विच्छेद किये गये थे, परन्तु नगर परिषद के दिनांक 21-3-94 को पुनः अनुरोध पर इन्हें जोड़ा जाकर चालू कर दिया गया है। नगर में 150 सार्वजनिक नलों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः और नये सार्वजनिक नल लगाना प्रस्तावित नहीं है।

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हीरालाल (बामनवास), सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सवाई माधोपुर जिले की तहसील बौंली के ग्राम बन्धावत में सरसों के खलिहानों में हुए भीषण ग्रग्नि-काण्ड के पीड़ित काश्तकारों को राहत पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से दिनांक 20 मार्च, 1994 को ग्राम बगदिया थाना सपोटरा, जिला सवाई माधोपुर में दिन के 10.00 बजे मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों द्वारा एक महिला का ग्रपहरण किये जाने की वारदात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से कोटा बैराज की दायीं मुख्य नहर से निकाली गयी इटावा ई.बी.सी व लक्ष्मीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के ग्रन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसल के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रौर जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना द्वारा माही बांध बनाने से 152 गांवों के डूब में ग्राने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री शांतिलाल चपलोत, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से मावली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़–बीदासर सड़क मार्ग के पास हो रहे खनन कार्य को बन्द करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती मीना ग्रग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य ग्रन्वेषण द्वारा परिवहन तथा वाणिज्यिक चैक पोस्टों की जांच के सम्बन्ध में।

(5) श्री ग्रमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जीनगर समाज बालोतरा के छात्रावास की जमीन पशु चिकित्सालय भवन हेतु ग्रवाप्त करने के उपरान्त उसकी ऐवज में ग्रन्य भूमि ग्राबंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से डग विधान सभा क्षेत्र के कस्बे गुराडिया जोगा के उपखण्ड ग्रधिकारी द्वारा की जा रही नादिरशाही के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद् सीकर की अकर्मण्यता से शहर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में ।

(8) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थिति गंगापोल परकोटे की दीवार, दरवाजें व उन पर बने कंगूरों की मौलिकता को नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(9) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में वन विभाग के सकीतरा स्थित नर्सरी पर मस्टररोल पर 1984 से कार्यरत श्रमिकों को 01-05-1988 को बिना कारण बताये हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(10) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में ईटावा ई. बी. सी. से टेल तक लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(11) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर के चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने तथा उनमें सुविधाएं बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

(12) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के बगरू कस्बे के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी । आज शून्यकाल के लिए बहुत सी स्लिप्स मेरे पास आयी हैं और मामले ऐसे हैं कि जिनमें आप लोग संयम बरतें तो अच्छा रहेगा, ताकि अपनी-अपनी बात कह सकें और सरकार के ध्यान में वह बात आ सके । श्री हरिसिंह कुम्हेर । मैं एक-एक बोल रहा हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, मैं इस सदन का ध्यान और राज्य सरकार का ध्यान किसानों के गहन मसले की ओर ले जाना चाहता हूं । राजस्थान सरकार ने कृषि जनजति सहकारी समितियों के चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया है । सरकार ने चुनाव की घोषणा की है, इस सम्बन्ध में मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव कराने जा रही है । लेकिन, श्रीमन्, कभी-कभी शुभ कार्य करने में अगर असावधानी बरती जाती है, समय पर नहीं किया जाता उससे नुकसान हो जाता है । जैसे कि आप हवन करने बैठें और हवन में आप लापरवाही करें तो आपके हाथ जल जायेंगे । वैसे ही एग्रीकल्चर सोसायटी के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनका कार्यक्रम प्रारम्भ हो रहा है अप्रेल के महीने से, अप्रेल और मई दो महीने में चलेगा और यही दो महीने ऐसे हैं जबकि को-आपरेटिव की ऋण वसूली होती है । सहकारी समितियां ऋण वसूली करती हैं और अगर यह पैसा इस पीरियड में वसूल नहीं हुआ तो वसूल नहीं होगा, क्योंकि वह लोग चुनाव में लग जाएंगे और जब लोग चुनाव में लग जाएंगे तो चुनाव एक ऐसा विषय है जिसमें और सब काम बाकी रह जाते हैं, तो चुनाव में लगने से ऋण की

(श्री हरिसिंह)

वसूली नहीं होगी तो बैंकों में पैसा नहीं आऐगा और बैंकों में पैसा नहीं आऐगा तो, श्रीमन्, नाबार्ड से पैसा नहीं मिलेगा और नाबार्ड से पैसा नहीं मिलेगा तो आने वाले साल में एग्रीकल्चरिस्ट को ऋण नहीं मिल पाएगा। एक क्रेडिट की जो फेसेलिटी मिल रही है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत ही अहम् मसला है यह। चुनाव जरुर करायें लेकिन चुनाव आप दो महीने बाद करायें, जुलाई के महीने में चुनाव को करायें तो बहुत ही बेहतर होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरिस्ट की यह एक जिनाइन डिमाण्ड है, एक बहुत ही वाजिब डिमाण्ड है कि आप चुनाव करायें, दो महीने बाद चुनाव करायेंगे तो एग्रीकल्चरिस्ट से ऋण वसूल हो जाऐगा और जिस काम के लिए सहकारिता बनी हुई है वह काम पूरा होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव को दो महीने बाद कराया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं, आज इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन मुझे भी दिया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ... कि चुनाव स्थगित किये जाएं। अभी मुझे वह ज्ञापन मिला है। आज या कल में विचार करके माननीय सदस्यों की भावना के अनुसार, यदि नियमानुसार चुनाव स्थगित हो सकते हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब तो आपको, हरिसिंह जी, कुछ बोलना नहीं होगा। हो गया, बस। श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल 30 तारीख को लॉयन्स क्लब, ब्यावर वाले मौन जुलूस लेकर के एस. डी. एम. कोर्ट जा रहे थे। उनकी एक मांग थी ब्यावर की जल समस्या के लिए। ज्ञापन देने ज्योंहि वह एस. डी. एम. कोर्ट पहुंचे, वहां ए. ई. एन. पी. एच. इ. डी. थे, एस डी. एम. वहां थे, ज्योंहि ए. ई. एन. को देखा लोगों ने दूसरे लोग भड़क पड़े और ए. ई. एन. के साथ में मार पीट की और लॉयन्स क्लब वाले वहां से खिसक गये, उन्होंने ज्ञापन भी नहीं दिया और वह मौन जुलूस में वापस आ गये। उसके बाद पानी की समस्या के लिए हजार दो हजार व्यक्ति खड़े हो गये, वहां पर, रास्ता रोक लिया, रास्ता जाम कर दिया। आज ऐसी भयंकर स्थिति ब्यावर के अन्दर बनी हुई है कि बाजार बन्द हैं। यह बात जरूर है कि पिछले 6-7 दिन से पानी की गम्भीर समस्या थी, वहां पर पानी होते हुए भी वहां के ए. ई. एन. और जे. ई. एन. बराबर पानी सप्लाई नहीं कर रहे थे। वहां के जो नीचे के अधिकारी थे, ए ई.एन., जे.ई.एन. उन्होंने सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से भी यह काम किया। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि ब्यावर के लिए जितना भी धन चाहिए, वह देने के लिए तैयार है, व्यवस्था की जाय। आज स्थिति यह है कि ट्रान्सपोर्टस हैं, उनको भी जनता ने बन्द करवा दिया है, पी. एच. ई. डी. वाले भी हड़ताल पर उतर गये हैं, आज ब्यावर की जनता को पानी नहीं मिल रहा

(श्री उगमराज मेहता)

है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसकी व्यवस्था करे। पी.एच.ई.डी, वालों की हड़ताल तुड़वाये और ब्यावर की जनता के लिए जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करे। मैं यह भी मांग करूंगा कि नसीराबाद से ब्यावर को पांच लाख गैलन पानी प्रतिदिन और 16 घंटे पानी का पम्पिंग किया जाय, ताकि ब्यावर की जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गरीब और मजबूर ट्रक मालिकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर–11 और राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर–8 पर हमेशा गरीब ट्रक वालों को लूटा जाता है। हाइवे पेट्रोलिंग पुलिस गाड़ियां, यहां जयपुर से बाहर निकलते ही दूदूं तक आपको 10 गाड़ियां मिलेंगी। आपको जयपुर से बाहर निकलते ही आगरा रोड पर, कोटपूतली, दिल्ली रोड पर, सब जगह, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गाड़ियां खड़ी रहती हैं और निर्दोष ट्रक वालों को पीटा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनके कागज छीन लिए जाते हैं और उनसे भारी चौथ वसूली की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन मे इस बारे में कई बार चर्चा हुई है। न तो सरकार उन पुलिस वालों पर अंकुश लगाती है, अगर एक्ट में प्रोविजन है कि यह पुलिस चैकिंग करे तो डीवाई. एस. पी. के नीचे के रैंक के आदमी चैकिंग नहीं करें; यह बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, ट्रक वालों के साथ। ओवरलोडिंग के नाम पर चैकिंग की जाती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बिराजे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि अगर ट्रक वाले गलती करते हैं, ट्रक ओवरलोडेड होते हैं तो उनके लिए परिवहन विभाग वाले ऐसी व्यवस्था कर दें कि वहीं उनका चालान भुगतान कर दिया जाए, उनका जुर्माना कर दिया जाए। इस हाइवे पेट्रोलिंग पुलिस से इन गरीब ट्रक वालों को लूटने से रोका जाए। अध्यक्ष महोदय, हर ट्रक वाले को यह डर रहता है कि हाईवे पैट्रोलिंग पुलिस की पांच-छः गाड़ी मिलेंगी, तो दिन भर यह हाइवे पर खड़े रहते हैं और शाम को जब यह हाइवे पैट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां वहां से रवाना होती हैं, इनकी इतनी मेहरबानी तो है कि खड़े ट्रक वालों का नहीं छेड़ते।

मैं इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी से बड़े ही विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि पुलिस पर अंकुश लगाकर इनको लुंटने से बचाया जाए। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री धनखड़।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, परिवहन मन्त्रीजी कुछ कहेंगे तो सही। परिवहन मंत्रीजी, बोलिए कुछ....... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मन्त्रीजी, चौथ वसूली को रुकवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक बार पहले भी चर्चा हुई थी और मेरी भी जानकारी इस प्रकार की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है कि कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तीन रात, दिन में करते हों मुझे पता नहीं लेकिन तीन रात मैं स्वयं अलग-अलग दिनों में गाड़ी में बैठकर, पुलिस को जिसकी सूचना नहीं थी, मैंने एक बार यहां से दौसा तक, आगे नहीं गया, दूसरी बार यहां से कोटपूतली तक और तीसरी बार यहां से किशनगढ़ तक तीन रातों में मैंने चक्कर लगाये हैं, मुझे हाइवे पैट्रोलिंग की पार्टी मिली नहीं।

श्री रामस्वरूप (मीणा) : पता लग गया . (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुनिये। मैं इसको इन्कार नहीं करता लेकिन पता लग गया होगा, नहीं लग गया होगा, मैंने कोशिश यह की थी कि पता नहीं लगना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस गन्तव्य स्थान पर पहुंचा हूं वहां पर पता नहीं था कि मैं आ रहा हूं। वहां मैंने इस बात की जानकारी की है लेकिन माननीय सदस्यों की शिकायत है, इस शिकायत का किस प्रकार से निराकरण किया जाएगा इसको फिर देखेंगे और यदि इस प्रकार की शिकायतें चलती हैं तो निश्चित रूप से उनको बन्द किया जाएगा। ... (व्यवधान) ...

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी गाड़ी को कोई आदमी चला रहा था मेरी सीट पर बैठकर। मैं उस गाड़ी में नहीं था। उसको पकड़ लिया और चौथ वसूली करने की बात कही तो उसने गाड़ी वहां छोड़ दी कि डा. हरिसिंह ले जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी गाड़ी से तो पुलिस का सिपाही नहीं भूत भी वसूली नहीं कर सकता। आपकी गाड़ी से और कोई वसूली कर ले....

डा. हरिसिंह : मैं मौजूद नहीं था गाड़ी में और यह हकीकत है जब उसने यह कहा कि गाड़ी सम्भालो, चाबी सम्भालो तब उन्होंने कहा गाड़ी ले जाओ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : हां, वह देख रहे हैं। श्री धनखड़... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक काम करिये, एक-एक सदस्य कोई इसका कार्यक्रम बना लें। मैं, होम मिनिस्टर या कोई भी मंत्री आपके साथ बैठकर चलेंगे, गुप-चुप चलेंगे और कहीं मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके सामने ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : आप किशनगढ़ क्यों गये थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किशनगढ़ इसलिए गया था कि आप किशनगढ़ आते जाते हो और हाइवे पैट्रोलिंग को देखते हैं या तो आपने देखा नहीं और यूं ही कह दिया है मैं तो यह जानकारी करने गया था कि धनखड़ साहब हाउस में कभी-कभी सही भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ....(व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ....एक ट्रक वाले को पकड़ रखा है, रात से उसको मार रहे हैं और कहते हैं कि ज्यादा ओवर लोडिंग कर रखा है जबकि वह नमक भरकर ला रहा था और उसको छोड़ नहीं रहे हैं, मार-पीट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नमक का ओवर लोडिंग करने की तो इजाजत नहीं है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ओवर लोडिंग है नहीं उससे पैसा वसूली के लिए रोक रखा है। ओवर लोडिंग के नाम पर गलत रोक रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब जगह तोलने का सारा सामान है। मेरी सुनिये यह पैसा देते हैं तो कोई न कोई गलती होती है तभी पैसा देते हैं, गलती नहीं होती है तो कोई पैसा नहीं देता है (व्यवधान) मेरी सुनिये, पैसा लेना अपराध है इसमें कोई सन्देह नहीं, कोई सन्देह नहीं कि पैसा हाइवे पैट्रोलिंग को नहीं लेना चाहिए लेकिन देते हैं तो कहीं न कहीं गड़बड़ होती है और गड़बड़ होती है इसलिए पेमेण्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी, अभी जो तात्कालिक प्रश्न इन्होंने उठाया है वह इसलिए उठाया है कि यह कह रहे हैं कि रेट बढ़ गयी। जो दे रहे थे वह तो दे ही रहे थे अब रेट बढ़ गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, भाड़ा भी बढ़ गया उसकी तो बात नहीं करते....(व्यवधान)... भाड़ा बढ़ गया। हमारी उदारता देखिये कि ट्रांसपोर्ट में डीजल और पैट्रोल की कीमत बढ़ गयी और अभी हमने पैसे नहीं बढ़ाये हैं इतना तो सोचो....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी, एक सुझाव पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : अब आप अपनी बात बोलिये नहीं तो फिर मैं दूसरे को पुकारता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं फिर बी. पी. सिंह जी को बुला लेऊंगा मैं.... (व्यवधान)....

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं

श्री अध्यक्ष : अब वह मैंने बंद की है आप फिर चालू कर देंगे।

श्री रोहिताश्व : एक निवेदन है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मेरे एक निजी एक्सपीरियंस से मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से। यह चौथ वसूली का मामला, अध्यक्ष जी, यह एक बहुत गम्भीर मसला है और वाकई ऐसा होता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन दूसरी तरफ मैंने खुद ने चैक पोस्ट पर चौथ वसूली करते हुए अपनी आंखों से देखा लेकिन ट्रक वाले भी इसमें लिप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने एविडेंस के लिए उनसे कहा तो एक भी आदमी एविडेंस के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मिली-भगत है। वह जो जुर्माना राशि है उससे बचने के लिए 100-200 रुपये देकर के पार हो जाते हैं इसलिए वह भी अपने बचाव के लिए ऐसा करते हैं और उसका नतीजा यह निकला कि जब मैंने उनसे कहा कि आप इसमें गवाही दीजिए तो वह सारे भाग गये और मेरा पी.ए. और मेरा ड्राइवर ए. सी. डी. के चक्कर काटते फिर रहे हैं इसलिए इनकी भी मिली-भगत है।

श्री अध्यक्ष : हां यह ठीक है, इसको भी चैक करिये। खुद मंत्रीजी का अनुभव है, इसको भी चैक करिये....(व्यवधान)....

श्री रोहिताश्व : ट्रक आपरेटर्स और डिपार्टमैंट की मिली-भगत है।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : इस पर भी विचार करिये ....(व्यवधान)... आप सब क्यों खड़े हो गये? मंत्रीजी ने जो समस्या रखी है उसको समझ नहीं रहे हैं। इस पर भी विचार करिये आप कि मंत्रीजी ने खुद चालान करने के लिए पकड़ा और कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। यह भी विचार करिये फिर कैसे पकड़ेंगे ?

श्री रोहिताश्व : ए.सी.डी. में मैं चक्कर लगा रहा हूं, बयान मेरे हो रहे हैं जब मैं उनको रिलीफ देने के लिए जा रहा हूं और आप इस बात को तो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चौथ वाले को पकड़ेंगे और आप गवाही दोगे नहीं। यह क्या बात हुई। आप अपराध रोकना भी चाहते हैं और अपराध रोकने के लिए सहयोग भी नहीं करना चाहते हैं। यह दो बातें नहीं हो सकती। आप सहयोग दीजिए। आप यह कहिये ट्रक वालों को कि यदि कोई चौथ वसूली करता है और उसको सरकार पकड़ती है तो उसके खिलाफ गवाही दें। श्री धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय भंवरलाल जी शर्मा ने पेयजल की समस्या के हल के लिए माननीय सदस्यों से बात की। अलग-अलग इलाके के लोगों को इन्होंने बुलाया। इन्होंने अपनी चिन्ता से भी हमें अवगत कराया पर, अध्यक्ष जी, समझ में नहीं आता कि योजना क्या बनी।

श्री अध्यक्ष : कहां की योजना की बात कर रहे हैं आप ?

श्री जगदीप धनखड़ : पेयजल संकट की सम्पूर्ण अजमेर जिले में ऐसी विस्फोटक स्थिति हो गयी है जिसकी कुछ जानकारी तो माननीय मंत्रीजी को दे दी गयी है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अनेक लोगों से ब्यावर में बात की।

माननीय अध्यक्षजी, हड़ताल के अलावा जो विस्फोटक स्थिति है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, पेयजल के संकट की वजह से राजस्थान के अधिकारियों पर एक संकट आ गया है। वहां असिस्टेंट इन्जीनियर की पिटाई हुई है, वहां पर एस. डी. एम. का घेराव अब तक जारी है, ऐसी मेरी जानकारी है। हजारों लोग सड़क पर आ चुके हैं, कानून-व्यवस्था बिगड़ गयी है, इसका कारण एक है, अध्यक्ष जी, 6-6 दिन से भी अगर एक घण्टे से कम का पानी मिलेगा तो गरीब जनता क्या करेगी। माननीय मन्त्रीजी मैं आपको दोष नहीं देता, क्योंकि समस्या बहुत व्यापक है पर, मन्त्री जी, इस समस्या के निराकरण के लिए आपने कोई योजना अब तक तो सदन के समक्ष रखी नहीं है, आपके अधिकारियों ने ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। किशनगढ़ में कुछ इलाकों में

(12.19)

(श्रीरमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

6-6 रुपये का एक-एक मटका बिक रहा है राज्य के अन्य इलाकों में भी इस प्रकार की

(श्री जगदीप धनखड़)

व्यवस्था हो रही है तो आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मैं मन्त्रीजी को कहना चाहूंगा कि जब सामान्य हालत है तो भी अजमेर जिला पूरा पेयजल की दृष्टि से समस्या को फेस करता है, सामान्य हालत में और जब समस्या इस प्रकार की है कि पूरे प्रान्त में ही यह संकट है तो सम्पूर्ण अजमेर जिले में संकट सर्वोपरी है। ऐसी स्थिति में कानून और व्यवस्था और न बिगड़े, सरकार व्यवस्था करे ब्यावर को, किशनगढ़ को और अजमेर के अन्य इलाकों को राहत दिलाने के लिए कदम उठायें। सभापति जी, मैं माननीय मन्त्रीजी को एक बात और कहना चाहता हूं कि जो शहरी इलाके हैं वहां लोग आन्दोलन कर सकते हैं, शहरी इलाके में, मन्त्रीजी, अधिकारियों का भी घेराव किया जा सकता है, अधिकारियों को आतंकित भी किया जा सकता है पर गरीब गांव वाला कुछ नहीं कर सकता है। आप ग्रामीण इलाकों में जो पेयजल का संकट है उसके निराकरण की व्यवस्था करके कम से कम सरकार को कान्फिडेंस में लें ताकि राजस्थान की जनता को राहत मिल सके। ....(व्यवधान) ...

श्री सभापति : माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और खास तौर से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सदन में अनेक बार सरकार ने भी यह दोहराया है कि अकाल राहत के प्रति सरकार बहुत संवेदनशील है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले की रामगढ़ तहसील और विधान सभा क्षेत्र में जो कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं उनमें से एक पर भी आज तक काम नहीं चला है और जब बी. डी. ओ. और पी. डी., अलवर से बात की तो वह कहते हैं कि इसमें तहसील और पंचायत समिति का विवाद है। विवाद यह है कि पंचायत समिति वह एजेन्सी है जो क्षेत्र में ग्राम सेवकों के माध्यम से काम करायेगी और तहसील से भुगतान होगा। अब मालूम नहीं उनका कोई कमीशन को लेकर झगड़ा है या पर्सेण्टेज का झगड़ा है। कुल मिलाकर बात यह है कि अकाल राहत के काम शुरू नहीं हो रहे हैं जिससे बड़ी परेशानी हो रही है। उसके बाद में समय सीमा खतम हो जाएगी, कोई काम नहीं हो पाएगा और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। मेरा आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि कोई भी व्यवस्था करके अकाल राहत के कार्य शुरू किये जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, कुछ विकास की कड़ी खुल सके। सरकार कहती है कि वह संवेदनशील हैं और अकाल राहत जैसे काम शुरू नहीं हो पायें और राज्य सरकार और प्रशासन की कमी रहे, मैं समझता हूं इससे गम्भीर बात और कोई नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि तुरन्त ऐसी कोई व्यवस्था कराई जाए ताकि वहां अकाल राहत के कार्य शुरू हो सकें।

श्री सभापति : श्री अमरचन्द मिढ्ढा।

श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

हमारी पंचायत समिति में 88 पंचायतें हैं, तीन लाख की जनसंख्या है, तीन राजस्व तहसीलें हैं और उनकी एक ही पंचायत समिति बनायी जा रही है, उनकी तीन पंचायत समितियां बननी चाहिए। मंत्रीजी सदन में घोषणा करें कि तीन पंचायत समितियां बना दी जाएंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, उदयपुर के पास झाड़ोल स्थान है, यह तो बहुत दुःख का विषय है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य को लोगों ने पीटा। मैं उसके लिए खुद दुःख व्यक्त करता हूं लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी की पुलिस ने उन निर्दोष लोगों को बन्द कर रखा है (व्यवधान) मेरी आप पूरी बात सुन लें फिर उसके बाद कहें। वह निर्दोष है। मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया विवाद नहीं करें। उनको अपनी बात कहने दें। (व्यवधान).. शून्यकाल में उनको अपनी बात कहने का मौका दिया गया है। आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : निर्दोष कैसे कह रहे हैं। बन्द किये हुए लोगों को निर्दोष कैसे कह रहे हैं ?.... (व्यवधान)..

श्री सभापति : आप निर्णय करेंगे कि दोषी और निर्दोष कौन है, आप निर्णय करेंगे ? यह अपनी बात कह रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : इन्वेस्टीगेशन का मामला है। यह कैसे उनका पक्ष ले रहे हैं। दोषी हैं या निर्दोष हैं यह तो इन्वेस्टीगेशन से पता चलेगा।

श्री सभापति : वह अपनी बात कह रहे हैं। आप निर्णय कैसे करेंगे कि दोषी दोषी हैं या निर्दोष हैं। बिराजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, केवल इस पक्ष को ही बोलने का अधिकार है क्या ? वे बोल ही नहीं सकते क्या ?

श्री परसादीलाल मीणा : निर्दोष कैसे बता रहे हैं उनको ?

श्री सभापति : आप बिराजिये। दोषी हैं निर्दोषी हैं वह अपनी बात कह सकते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : कैसे कह सकते हैं। निर्दोष कैसे बता रहे हैं। कांग्रेस के एम. एल. ए. को पीटा इसलिये निर्दोष हैं ?

श्री सभापति : माननीय परसादीलालजी, बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, इनके पास मेजरमेन्ट रोड क्या है ? जिसके आधार पर यह कह सकते हैं कि ... There should be some measurement rod.

श्री सभापति : शैलेन्द्रजी, आप बिराजिये। व्यवधान नहीं डालें।.... (व्यवधान)....

(78)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल यह सूचना दे रहा हूं कि जो गृह मंत्रीजी ने यहां बयान दिया, कुबेर सिंह और कुबेर सिंह के भाई गये। पानी पीने के लिए कुबेर सिंह का भाई घर के अन्दर गया और उसने कहा आपका बाप बाहर खड़ा है। वहां एक महिला थी, पुरुष बाहर भेज दिया। उसके बाद में महिला जोर से चिल्लाई कि बचाओ-बचाओ। यह लड़के उदयपुर के थे और पास में पार्टी कर रहे थे। यह दौड़ करके आये और उन्होंने उस महिला को बचाया और उसमें उनके साथ मार-पीट हुई। मार-पीट होने के बाद दूसरे लोगों ने, मैं यह जानना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि यह अपने घर में जाकर क्यों सो गये माननीय सभापति महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य को यह सोचना होगा कि अगर इस तरीके से महिलाओं की इज्जत जाती रही तो कौन बचाने आएगा? (व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय परसादीलालजी, आप व्यवधान डाल रहे हैं। कृपया बिराजिये। वह अपनी बात सरकार को ध्यान दिला सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराजिये। आप अपनी बात फिर कह देना। उनको अपनी बात कहने दीजिए। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। बिराजिये आप, पहले वह अपनी बात कह रहे हैं। मैं अभी आपका नाम लूंगा, बिराजिये, आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सभापति महोदय, इस तरीके से.... (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इस संस्कृति की बात करते हो, +++ नहीं आती।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : .... एक महिला की इज्जत बचाने के लिए उन लड़कों ने प्रयत्न किया। प्रयत्न करने के बाद में पुलिस को सूचना गयी। मैं गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि अगर कुबेर सिंहजी की पिटाई हुई थी तो वह अपने घर जाकर क्यों सो गये? पुलिस उनके घर गयी और घर जाने के बाद में मुकदमा तैयार किया गया, एफ. आई. आर. तैयार की गयी। एफ. आई आर. तैयार करने के बाद में उन लड़कों की जमानतें नहीं हुई। केवल एक विधायक को पीटने के बाद, एक अबला की जान बचाने वाले, इज्जत बचाने वाले उन निर्दोष लड़कों को पुलिस आज तक अरेस्ट किये हुये है। कल इन्होंने भी कहा उन लड़कों को छोड़ना चाहिए। माननीय सदस्य, मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसी तरीके से दोषी लोगों का पक्ष लिया गया तो महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए जनता का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई उसमें कदम नहीं रखेगा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : ... (व्यवधान) .. पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : महिला की तरफ से भी (व्यवधान)... मैंने एस.पी. से बात की है, मैंने अखबार वालों से बात की है। उन सबसे जानकारी लेने के बाद.... (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय शिवकिशोरजी, अपनी बात समाप्त कीजिए । श्री शांति-कुमार धारीवाल ।

श्री शिवनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री सभापति : मैंने श्री शांतिकुमार धारीवाल का नाम पुकारा है, उनको आप बोलने दीजिये । आप सब बिराजिये ।

श्री शिवनाथ सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री सभापति : मैंने पहले उनका नाम बोल दिया ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं कह रहा हूं कि पाइण्ट ऑफ आर्डर है, सर ।

श्री सभापति : पाइण्ट ऑफ आर्डर है । श्री धारीवालजी, बिराजिये । क्या पाइण्ट आफ आर्डर है ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात कही है और वह सदन के एक माननीय सदस्य के साथ में मार-पीट हुई, जैसाकि माननीय गृह मंत्रीजी ने कल हमको सूचित किया, और जो कुछ कार्यवाही हुई इससे हम सन्तुष्ट थे । आज माननीय सदस्य ने जो बात कही है. मैं यह मानता हूं कि यह बात उस इन्वेस्टीगेशन को इन्फ्लूएंस करने के लिए कही जा रही है । सदन में इस प्रकार की बात आये और वह बात कह कर इन्वेस्टीगेशन को इन्फ्लूएंस किया जाए, इस प्रकार की बात सदन में नहीं आनी चाहिए । यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री धारीवाल जी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा भी पाइंट आफ आर्डर है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप क्या कहना चाहते हैं, क्या किसी विधायक को या किसी को भी अधिकार है इस तरह से कि किसी के घर में घुस कर इज्जत लूट ले ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : परसादीलालजी, आप बिराजिये । बहुत आवेश में मत आइये । आर्डर प्लीज ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, जिस माननीय सदस्य के बाबत यह मामला उठा है वह यहां के एक सीनियर मैम्बर हैं । कम से कम मामला उठाने वाले माननीय सदस्य को इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि वह यह मालूम कर लेते कि जिस महिला के बाबत आप निवेदन कर रहे हैं कि क्या महिला भागी और उसने कहा कि मेरी इज्जत लूटी जा रही है, उसने एफ. आई. आर. दर्ज करवाई है माननीय सदस्य के खिलाफ ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने सारी जानकारी ले ली है ...

श्री सभापति : माननीय सनाढ्य जी, आप बिराजिये उनको अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसी प्रकार का कोई एफ. आई. आर., फौजदारी मुकद्मा अगर माननीय सदस्य के खिलाफ दर्ज करवाया जाता तो यह बात समझ में

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आती कि माननीय सदस्य की कोई गलती थी। सिर्फ इसलिए कि पुलिस उनके घर गयी और घर जाकर उसने एफ. आई. आर. लिखी, सारा दोष डालकर के एक स्टोरी बना दी जाए कि साहब, इसमें एक महिला की इज्जत इन्वाल्व्ड थी, यह कितनी गलत बात है। एक छोटे से छोटे मामले में जहां महिला इन्वाल्व्ड होती है पुलिस संवेदनशीलता से काम करती है, और 354 का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन यहां पर महिला की आड़ लेकर के एक माननीय सदस्य की, जिसकी कि बेइज्जती की गयी है, जिनके साथ मार-पीट की गयी है, उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सारा का सारा इन्वेस्टीगेशन इफेक्ट हो, होम मिनिस्टर ने जो कुछ कार्यवाही की है उस पर दबाव डाले और उन अपराधियों को छुड़वा लिया जाए, यह षड़यंत्र है और कम से कम आप जैसे सीनियर आदमी को इस तरह की कोशिश इस सदन में नहीं करनी चाहिए।.. (व्यवधान) ...

श्री सभापति : अब आप बिराजें, पाइण्ट ऑफ आर्डर समाप्त हो गया।

श्री कुबेर सिंह : सर, मेरा मामला है, मैं थोड़ा इस पर बोलूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपकी इस बारे में निन्दा करता हूं कि आपने इस बात की कोशिश की है.... (व्यवधान) ....

श्री कुबेर सिंह : माननीय सभापति महोदय, जो कुछ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहस का प्रश्न नहीं है, इसे बहस मत बनाइये।.... (व्यवधान)....

श्री कुबेर सिंह : नहीं, सभापति महोदय, मेरा मामला है और इस पर मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा।.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : आप एक मिनट बैठिये। अमरारामजी, बैठिये आप (व्यवधान) ... आप बैठिये, मैं उन से बात कर रहा हूं। ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनके साथ क्या घटना हुई है, यह खुद बताएंगे।

श्री सभापति : बिराजें आप। मेरा नम्र निवेदन है कि प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना मत सदन के सामने व्यक्त करने का अधिकार है यदि आप दूसरा मत रखते हैं और आप दूसरी बात कह सकते हैं। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए जल्दी से तो मैं दूसरा नाम बोलूं।

श्री कुबेर सिंह, विधायक का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : माननीय सभापति महोदय, जो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं, आपको मालूम भी है ? मैं अभी हकीकत बताऊंगा। उस दिन रात के साढ़े नौ बजे मेरा छोटा भाई और मैं जा रहे थे। उदयपुर के एक खटीक समुदाय की तीन साल पहले वहां एक जमीन खरीदी हुई है, रोड के पास ही और उनका मकान भी बना हुआ है। मेरे को पता नहीं कि यह लोग उदयपुर के वहां

(श्री कुबेर सिंह)

आये हुए हैं, मेरे को मालूम नहीं है। जब मैं रास्ते में जा रहा हूं तो एक हमारे पुराने बुजूर्ग हैं चतरबा नाम के, अच्छे रिलेशन हैं हमारे, मैं रोड पर खड़ा रहा, उनके दो मकान हैं और दोनों मकानों के बीच में खाट पर वह बैठे हुए थे। मैंने आवाज दी, चतरबा, मेरे को पानी पीना है। उन्होंने कहा कि, साहब, यहीं आ जाओ। मैंने कहा कि वहां नहीं आ रहा हूं, मैं लेट हो गया हूं और आप किसी के साथ पानी भेज दो मैं यहां पी लूंगा। उनके लड़का कोई है नहीं और एक लड़की है जिनका यह जिक्र कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, उस लड़की ने अन्तरजाति में महाजन वर्ग के लड़के के साथ, वह वहीं उनके मकान में रहते हैं, शादी कर रखी है। उन्होंने कहा, छोरी, मैं उस लड़की का नाम नहीं जानता हूं, एम. एल. ए. साहब, को पानी पिलाओ। इस पर, वह लड़की तो आयी नहीं और उनका दामाद पानी लेकर आया। वहां कच्ची बाउण्ड्री वाल बनी हुई है, मैं वहां रोड पर खड़ा था, अन्दर से उसने मेरे को पानी दिया और जब मैं पानी पी रहा हूं तो छोटे भाई ने कहा कि मेरे को भी पानी दो। उसने कहा कि तुम्हारा नौकर हूं मैं जो पानी लेकर आऊं सब के लिए। छोटे भाई ने कह दिया कि, भाई, नौकर तो नहीं हो लेकिन जब भाई साहब को पिला रहे हो, मेरे को भी पीना है। मैंने पीया था, दोनों बांट कर पी लेते। इस पर उन दोनों में आपस में कोट के बाहर और अन्दर गाली-गलोच ही हुई और कुछ ज्यादा मामला नहीं हुआ। इधर वह छोरा हल्ला करने लगा, मेरे को गाली दे रहे हैं– गाली दे रहे हैं। इस पर वह लड़की अन्दर से आ गयी और आकर कहती है कि मेरे आदमी को गाली कैसे देने लगे। आपस में वह उलझ गये और कुछ ज्यादा माथा-फोड़ी नहीं हुई, बातों-बातों में ही यह सब हुआ। मैं बीच में पड़ा तो वह कहने लगा कि, साहब, इसने गाली दे दी। मैंने कहा, छोटा भाई है मेरा, मैं आपसे माफी मांगता हूं ऐसी कोई बात नहीं है और हो गया सो छोड़ो। इतने में वह डोकरा भी आ गया, चतरबा भी आ गये, उन्होंने कहा कि यह क्या हो गया? मैंने कहा, यह बात है। फिर मैं गया और चतरबा के पास खाट पर बैठ गया। बात की मैंने, छोटा-सा मामला था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डोकरा भी संतुष्ट हुआ। अब मेरे को पता नहीं कि कब और कैसे उसका दामाद उदयपुर के छोरों के पास उनके मकान में पहुंच गया। मैं उनसे बात करके ज्यों ही वापस रोड पर आया, रवाना होने लगा, गाड़ी में बैठा और छोटे भाई को कहा, बैठ, तो पीछे से आदमी दौड़ते हुए आये और उनके रोड पर पैर बजे, तो मैंने कहा कि क्या आ रहा है। इतने में वह आये और आते ही हमारे ऊपर गिर गये और छोटे भाई को नीचे पटक दिया। मैंने कहा कि, भाई क्या कर रहे हो? तो कहा, क्या कर रहे हैं, तेरे को भी बता रहे हैं हम। (व्यवधान) वही तो कह रहा हूं मैं, उसको नीचे पटक कर मारने लगे। मैंने कहा, क्या कर रहे हो?

श्री सभापति : कृपया बहुत विस्तार में नहीं जाइये।

श्री कुबेर सिंह : बात बता रहा हूं।

श्री सभापति : हां, बहुत ही सन्दर्भित बात कह कर समाप्त कीजिए।

श्री कुबेर सिंह : फिर मेरे ऊपर पड़े.... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : सुनिये न, बिराजिये तो आप। .. (व्यवधान)....

श्री कुबेर सिंह : मैं कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं मैं .. (व्यवधान) ...

श्री अमराराम (धोद) : विस्तार से क्या कहेंगे ?....

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : इनकी बात तो बताने दो।.... (व्यवधान) ..

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं, आप किस लिए बीच में खड़े हुए हैं ? ... (व्यवधान) ... आप विराजिये। .. (व्यवधान) ..

श्री कुबेर सिंह : फिर क्या हुआ, मेरे को और मेरे भाई को, दोनों को मारने लग गये। दस-पन्द्रह छोरे थे, मुझे बुरी तरह से मारा। मेरे को नीचे जमीन पर पटका और लातों और घूसों से मार रहे थे इतने में एक बस आ गयी उदयपुर से। बस वाले बेचारे उतरे और ड्राइवर जब बचाने आया तो ड्राइवर को पकड़ कर उसको भी मारा, कण्डेक्टर उतरा तो उसको भी मारा फिर गाड़ी पर पत्थर मारे, शीशे तोड़ दिये और तलवार के झटके गाड़ी पर लगे हैं वह आज भी मौजूद हैं, आप देखना चाहें तो। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ... (व्यवधान) ... मैं पड़ा रहा, मेरी उठने की हिम्मत नहीं थीं (व्यवधान) फिर वह गाड़ी वाले भागे, पास में एक सरपंच साहब थे पृथ्वीराजजी नाम के, उनके मकान पर पहुंचे और बोले एम. एल. ए. साहब को मार रहे हैं, कैसे बचाएं ? उन्होंने भाग कर इन सरपंच साहब को कहा कि इस कंडीशन में एम. एल. ए. साहब गिरे हुए हैं, कितनी लगी है, क्या हालत है, हमने देखी नहीं दूर से। उन्होंने झाड़ोल पुलिस थाने में इत्तला दी। वहां के डीवाई. एस. पी. साहब, एस. डी. ओ. साहब और पुलिस के दो डॉक्टर वहां से रवाना हुए। जब वह

(12.35)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

मार कर उस मकान में वापस घुस गये, रात के अंधेरे में, मेरे पास कोई मकान था नहीं, मैंने कहा कि मैं किसको बुलाऊं। मैंने सोचा यहां से खिसकने में ही फायदा है। मैं वहां से उठा और छोटे भाई को उठाया और कहा, चल। गाड़ी स्टार्ट की, धीरे-धीरे मैं गांव चला गया। वहां से 16 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहां जाकर बैठा ही था, मैंने सोचा कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। झाड़ोल सूचना दें या क्या करें। इतने में दो पुलिस वालों ने वहां आकर उनको पकड़ लिया है। एस.डी.ओ. साहब भी मेरे घर पर आ गये, उन्होंने भी कहा कि, साहब, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। यह बात हुई और इसके सिवाय कोई बात नहीं हुई। अगर आप जो कहते हैं कि इस प्रकार की बात हुई, औरत के साथ कुछ हुआ है तो आप इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें, जो जांच करे और अगर इस तरह की बात हो, तो मैं सबसे पहले इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री शांति-कुमार धारीवाल।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो, अध्यक्ष महोदय, कल बजट पास हुआ और आज ही देख लीजिए आप, आस्तीनें चढ़ गयी हैं। न मालूम क्या-क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : अभी तो उतर रही है। श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आस्तीनें ही चढ़ी हैं, इनकी आंखें चढ़ गयी हैं। बजट पास होते ही आपकी आंखें क्यों चढ़ गयीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी तो आस्तीनें ही चढ़ी हैं लेकिन आपकी आंखें चढ़ी हुई क्यों हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हाल होगा हमारा तो, एक तो यह सुनाया ही है, कल मैंने कहा ही है और अब बजट पास होते ही आप एक दम से, नहीं तो इस तरह का कुर्ता रखते थे हमेशा। ... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही कहता हूं कि आस्तीन चढ़ने से कुछ नहीं आंख चढ़ने से ज्यादा गड़बड़ होती है। ... (व्यवधान) ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : न कोई डिनर ...

श्री रामनारायण चौधरी : खेतसिंहजी के ड्राइवर के साथ हुई दो बार, और कुबेर सिंहजी के साथ हुई तो आंखें ही चढ़ेंगी यह हालत होगी तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुबेर सिंहजी के साथ हुई जो कल गृह मंत्रीजी ने पूरा वक्तव्य दे दिया, सारी बात कह दी। अब आप यह समझिये कि यहां कहने से कोई इन्वेस्टीगेशन प्रभावित नहीं होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली तहसील में करीब 80 प्रतिशत गांव अकाल की चपेट में हैं, उनमें करीब-करीब दो-दो लाख से ऊपर की जनसंख्या अभावग्रस्त है और अकालग्रस्त गांवों में रह रही है। राज्य सरकार के द्वारा जो चार या पांच काम चालू किये गये थे उनमें कुल मिलाकर के दो सौ के लगभग मजदूर काम कर रहे थे पर उनमें भी अब कटौती कर दी गयी है। मेरा आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि जिस हिण्डौली तहसील में 20 प्रतिशत लोग भूमिहीन हों, करीब-करीब 75 प्रतिशत लोग लघु और सीमान्त कृषक हों, जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हों, जहां के चार या पांच हजार से ज्यादा आदमी उस तहसील से पलायन कर गये हों वहां पर सिर्फ दो सौ आदमियों को रोजगार दिलाया जा रहा है और उन दो सौ आदमियों को भी किसी रोज बुलाया जाता है और किसी रोज नहीं बुलाया जाता है। जो राहत कार्य राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये गये हैं वह राहत कार्य भी कुछ डिफेक्टिव हैं। जिस जगह राहत कार्य मंजूर किये जाने चाहिए थे वहां पर राहत कार्य मंजूर नहीं हुए। पिछले चार साल से यह तहसील अकाल ग्रस्त रही है, तथा चार पांच साल पहले से जो काम चालू किये गये थे वह काम आज तक अधूरे हैं। आपकी घोषणा के अनुसार जो काम पहले अधूरे रह चुके हैं उनको पूरा करने के लिए

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वह प्राथमिकता भी नहीं दी गयी। दूसरे काम जो स्टार्ट किये गये हैं वह इस तरीके के, नेचर के हैं कि उन पर ज्यादा मजदूर लग नहीं सकते। मेरा ग्रापके माध्यम से ग्रकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि कम से कम जो पुराने काम ग्रधूरे रह गये हैं, चार या पांच साल से, जो लगातार कुछ न कुछ काम होते-होते भी ग्रधूरे रह गये हैं, उनको पूरा कराने की कोशिश करें ग्रौर हर ग्राम पंचायत में राज्य सरकार की घोषणा के ग्रनुसार एक काम खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी तीन-चार रोज पहले का किस्सा है, उदयपुरवाटी नगर में पानी की समस्या को लेकर विवाद खड़ा हो गया। होली के ग्रवसर पर वहां के सहायक ग्रभियन्ता, तथा कनिष्ठ ग्रभियन्ता ने पता नहीं किन कारणों से पानी बन्द कर दिया। गांव के लोग इकट्ठे हुए ग्रौर उन लोगों से निवेदन किया कि ग्राप होली के ग्रवसर पर पानी दीजिए। किस प्रतिशोध के लिए उन्होंने ऐसा किया, उन लोगों के साथ में धक्का-मुक्की हुई ग्रौर ग्रापस में हालात इतने बिगड़ गये कि सैकिण्ड क्लास मजिस्ट्रेट, जो वहां के तहसीलदार हैं, उनको मौके पर ग्राना पड़ा। उन्होंने बीच बचाव करके दूसरे ग्रादमी को लगाकर पानी की व्यवस्था की। ग्रध्यक्ष महोदय, वह टेंशन ग्राज भी बना हुग्रा है ग्रौर वहां के सहायक ग्रभियन्ता ग्रौर कनिष्ठ ग्रभियन्ता इस बात पर ग्रामादा हैं कि हम ग्रपना प्रतिशोध लेंगे ग्रौर किसी भी रूप में गांव वालों को हम पानी नहीं देने देंगे। मैं, माननीय मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, राज्य सरकार तथा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्रागे थे, कांग्रेस के पीछे थे ग्रौर हम निर्दलियों के ग्रादमी उससे भी पीछे थे, यह सब की समस्या है। माननीय ग्रध्यक्षजी, इसमें थोड़ा सरकार ध्यान दे ग्रौर वहां पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारे। इस सहायक ग्रभियन्ता के खिलाफ, 8-9 साल से वह वहां है, काफी शिकायतें गांव वालों ने कर रखी हैं ग्रौर उन शिकायतों को लेकर ही वह उनसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं। इस व्यवस्था में सुधार करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी ग्राज्ञा से इसी सन्दर्भ में एक बात मैं कहना चाहूंगा। यह बात सही है कि राजस्थान में पीने के पानी का संकट है। यह संकट कोई राज्य सरकार के कारण से हो, ऐसी बात नहीं है। इस संकट का समाधान कैसे किया जाय, इसके बारे में राज्य सरकार ने कई बार यहां घोषणा भी की है ग्रौर मैं ग्रापको फिर भी ग्राश्वस्त करना चाहता हूं कि पानी के लिए जितना भी, जो कुछ हम कर सकते हैं, वह करेंगे। लेकिन प्रश्न यह ग्राता है कि पानी का काम करने वाले इंजीनियर्स या वहां के कर्मचारी के साथ यदि हाथापाई हुई या उनके सामने सुरक्षा का प्रश्न पैदा हो गया तो उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि समस्या ज्यादा बिगड़ेगी। ग्रगर किसी ग्रधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शिकायत है तो मैं ग्रापको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम उसके साथ कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे, जो भी ग्रपराधी है उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी लेकिन जनता से भी मैं ग्रपील करना चाहता हूं कि पी. एच. ई. डी. के कर्मचारी ग्रगर किसी प्रकार से तत्पर नहीं हैं ग्रौर काम नहीं करते हों तो शिकायत करें, तत्काल कार्यवाही होगी लेकिन हाथापाई ग्रौर मारपीट करना, उसके कारण से तो यह समस्या ग्रौर पैदा होगी। इसलिए इस समस्या को ग्रौर ग्रधिक जटिल बनाने की कोशिश न की जाय। जहां तक ग्रापने कहा है, मैं इस मामले को देख लूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : वह ग्रापके नौकर हैं, उनसे पूछ लीजिए स्थिति क्या है ग्रौर जब वह इतना लोगों को तंग करेंगे तो लोग उनका घेराव तो करेंगे इसके सिवा ग्रौर उनके पास इलाज ही क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक ग्रौर बता दूं, झगड़ा करने की भी सीमा होती है। ग्राज मान लीजिए ग्रकाल राहत के काम नहीं खुलें ग्रौर ग्राप तहसीलदार ग्रौर एस. डी ग्रो. की पिटाई करना शुरू कर दें, यदि कोई यातायात का मामला ग्रा जाय ग्रौर इंसपेक्टर पुलिस का हो, चाहे ट्रान्सपोर्ट का हो उसको पीटना शुरू कर दें तो इससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि समस्या ग्रौर जटिल होगी। मेरा निवेदन करना इतना ही है कि कानून को ग्रपने हाथ में नहीं लें ग्रौर जिनके कारण से ग्रव्यवस्था फैल रही है, इस प्रकार के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत करें, कोई नहीं सुनता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ग्राप मुझे दें मैं उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करूंगा लेकिन कम से कम जनता को इस बात के लिए तो तैयार करें कि वह इस प्रकार से कानून ग्रपने हाथ में लेकर उन कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार न करें।

श्री शिवनाथ सिंह : ग्रापकी पार्टी वालों को ग्राप कहें ग्रौर मेरी पार्टी वालों को मैं कह दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ग्रपनी पार्टी ग्रौर मेरी पार्टी नहीं है। ग्रापकी तो कोई पार्टी ही नहीं है। जैसा ग्रापने कहा कि मेरे ग्रादमी सब के पीछे थे, मतलब ग्राप बहुत होशियार हैं, ग्राग लगाने के लिए तो दूसरों को भेज देते हो ग्रौर पीछे खुद खड़े रहते हो, यह इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करें। ग्रापका गांधीजी का स्वरूप ...

श्री रामनारायण चौधरी : होली के दिन ग्रौर उसके दूसरे दिन पानी नहीं मिले तो मोब मेंटेलिटी है, वह किसी को पूछती थोड़े ही है। ग्रब ग्रकाल की बात दूसरी है, काम नहीं खोल सको तो किसी को नहीं पीटेंगे लेकिन पानी तो एक ग्रत्यावश्यक चीज है ग्रौर मोब मेंटेलिटी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप इसको उचित समझते हैं क्या कि इस प्रकार की मोब-मेंटेलिटी बने ग्रौर सरकारी ग्रधिकारियों के साथ मारपीट की जाए ?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, उचित तो नहीं है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उचित नहीं है तो मैं वही बात कहना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन यह किसी के काबू में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, उचित नहीं है, वही कहना चाहता हूं कि इस ग्रनुचित बात को प्रोत्साहन न दिया जाए तो ज्यादा ग्रच्छा रहेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, नहीं देंगे लेकिन ग्रधिकारियों को कह दें कि इस प्रकार की व्यवस्था ठीक करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय व गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा जल हेतु 35 लाख रुपये की स्कीम स्वीकृत हुई थी जिससे ग्राम लूणियावास, जावला, खेड़ी, टीवड़ी, दड़ियां की ढाणी, मालियों की ढाणी, लूणियावास की ढाणी, मेहराणा, मेहराणा की ढाणी, रालोता, ग्रांसरोली, सांगा, जिनकी जनसंख्या लगभग 20 हजार से ज्यादा है, यह क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होते। ग्रध्यक्ष महोदय, इस योजना के ग्रन्तर्गत 8 मार्च को ट्यूबवैल खोदना शुरू हुग्रा था, पर श्री भागीरथ कुमार, भूतपूर्व सरपंच, लूणियावास के द्वारा इस जमीन को स्कूल का मैदान बताकर इस कार्य को रूकवा दिया। दिनांक 12 मार्च, 1994 को जावला, मेहराणा के शिष्टमण्डल द्वारा मंत्री महोदय से मिलकर वास्तविक स्थिति से ग्रवगत कराने के पश्चात् वापस जांच का ग्रादेश दिया। जांच में ग्रारोप ग्रसत्य पाये जाने पर पुलिस सुरक्षा में कार्य करने के ग्रादेश दिये।

ग्रध्यक्ष महोदय, दिनांक 14 मार्च, 1994 को भू-जल विभाग व पुलिस कर्मचारियों की मदद से कार्य शुरू किया गया, 15-20 ग्रादमियों ने जलदाय विभाग एवं पुलिस के कर्मचारियों पर पथराव शुरू कर दिया जिससे इनके काफी चोटें ग्रायीं, मशीन के भी पार्ट्स तोड़ डाले ग्रौर मौके पर श्री भागीरथ कुमार, भूतपूर्व सरपंच एवं श्री रामरघुनाथ चौधरी, भूतपूर्व विधायक की मदद से जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष पेश होकर ग़लत साबित कर दिया। ग्रध्यक्ष महोदय, श्री रामरघुनाथ चौधरी, भूतपूर्व विधायक की मदद से जिला कलक्टर के समक्ष जो भी ग्रादमी पेश किये गये उनको ग्रसत्य साबित कर दिया ग्रौर जिनको गिरफ्तार किया उनको वापस छुड़वा दिया गया। कलक्टर ने ग्रसत्य ग्रारोप पाये जाने पर गिरफ्तारी के ग्रादेश निरस्त कर दिये ग्रौर पुलिस द्वारा दो-तीन घंटे बाद उनको छोड़ दिया गया। इसकी न्यायिक जांच की जाए।

ग्रध्यक्ष महोदय, जनहित को मद्दे नजर रखते हुए ग्रधिकाधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी भेजकर इस योजना को पुनः चालू करवाया जाए ताकि यहां के लोगों को जल सुविधा उपलब्ध हो सके। तथा पीने के पानी को लेकर जनता में होने वाले ग्राक्रोश पर काबू पाया जा सके। ग्रध्यक्ष महोदय, यह कार्य बड़ी मुश्किल से तो सरकार ने स्वीकृत किया था, यह छोटा-मोटा कार्य नहीं है इससे नागौर जिले की जनता को राहत मिलेगी ग्रौर यहां के ग्रासपास के सभी क्षेत्रों

(श्री राकेश मेघवाल)

को राहत मिलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी मीठा है। अध्यक्ष महोदय पानी मीठा है इसलिए ट्यूबवैल वहां खोदना जरूरी है। अगर वहां आस-पास में कहीं मीठा पानी होता तो इसको आगे पीछे भी कर सकते थे लेकिन दूसरी जगह पानी खारा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, ठीक है। यह आपका सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह बिलकुल ठीक है। मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया था. उस योजना को लेकर वहां के दो आदमी ऐसे हैं जो पेयजल के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की बात सोच रही है, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि यह स्कूल की बाउण्ड्री है, स्कूल की जमीन है, कोई जमीन नहीं थी। वहां पी. एच. ई. डी. की जमीन है पी. एच ई. डी. के क्वाटर्स बने हुए हैं और यह स्कीम बिलकुल ठीक थी। मेरे क्षेत्र के गांव भी उससे जुड़ने वाले थे और माननीय सदस्य के क्षेत्र के गांव भी उससे जुड़ने वाले थे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस योजना को वापस चालू करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान मानसरोवर में करीब दो महीने पूर्व, 2-2-1994 को हुई हत्या के सिलसिले में आकर्षित करना चाहती हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये बिन्दुओं पर बोल रही हैं या किस पर?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह एफ. आई. आर. दर्ज हुई थी 2-2-1994 को और नामजद दर्ज हुई इसमें नाम भी लिखे गये कि इन-इन पर हमें शक है उसके बाद भी आज तक किसी भी आदमी को न तो गिरफ्तार किया गया है न मर्डर का कोई सुराग लगा है। दिन-दहाड़े मर्डर किया गया है। उसके अलावा मानसरोवर में पिछले दिनों 17 चोरियां हुई उनमें से सिर्फ 4 चोरियों के बारे में जानकारी मिली और जब पुलिस से वहां मालूम करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास स्टॉफ की कमी है, हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं हैं इसलिए हम यह नहीं कर सकते।

इसी तरह से सांगानेर में डकैती हुई, इसको भी लगभग डेढ़ महीना ही हुआ है, जिसमें 15 आदमी इन्वाल्वड थे उनके बारे में भी आज तक कोई पता नहीं लगाया है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जिनमें मामलों में नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी जाए उनमें तो कम से कम आदमी का पता लगाना चाहिए, हत्या का केस है तो उनमें तो उनका पता लगाना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

खांगटा गांव के अन्दर कूकड़ी नाम की करीब 25 साल की एक महिला थी, उसके साथ वहां के कुछ अज्ञात लड़कों ने बलात्कार किया, उसके बारे में मैं गृह मन्त्रीजी को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहती हूं।

जब मैंने 26 तारीख को एस. पी. साहब को टेलीफोन किया तो वह उपलब्ध नहीं थे, मैंने डी. जी. साहब से बात की तो उन्होंने एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लिया मगर जो व्यक्ति दरवाजा खोलकर अन्दर गया था, उस व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से आश्वासन चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। अब यह श्री भंवर सिंह और श्री राम गोपाल बैरवा का बिजली के सम्बन्ध में है। अभी बिजली के बारे में बहस होगी उसमें आप बोल लीजिएगा। 295 श्री जितेन्द्र नीनामा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजली की बहस के लिए ...

श्री अध्यक्ष : बिजली की बहस के लिए मंत्रीजी पहले वक्तव्य देंगे, उसके बाद में आप अपने सलेक्टेड कुछ लोगों को, जो सही रचनात्मक सुझाव दे सकें, बुलाइए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे तो सभी एक-एक से....

श्री अध्यक्ष : मगर अब सभी तो बोल नहीं पाएंगे ना। इसलिए सलेक्टेड लोगों को बुलाइए, ताकि वह सजेशंस दे सकें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चार आदमी बुला लेंगे। ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट प्लीज। बैठिये।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा एक निवेदन है कि बिजली के संबंध में चर्चा जो विधेयक आज हैं, इनके पारित कराने के बाद में ले ली जाए तो जिन लोगों को बोलना है, वो माननीय सदस्य तो यहां रुक जाएंगे और जिनको तीन दिन की छुट्टियों पर जाना है वह चले जाएंगे। बोलने वाले यहां रहेंगे तो आपको भी सुविधा होगी और काम भी ज़ल्दी ही निपट जाएगा।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन को मशा है कि पहले ले ली जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री जितेन्द्र नीनामा। ... (व्यवधान) ... एक मिनट, पहले श्री जितेन्द्र नीनामा, आप तो बाद में बोल लेना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सोल्यूशन ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां मैं बैठूंगा और आपका जवाब भी दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : खेतसिंह जी कह रहे हैं कि ग्राज ग्रास्तीनें चढ़ा रखी हैं, वह रहेंगे नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राज ग्रास्तीनें इसलिए चढ़ा रखी हैं कि ग्रापको जवाब देऊंगा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माही बांध बनाने से 152 गांवों का डूब में आना

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं, ग्रापके मार्फत प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं।

बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना द्वारा माही बांध बना। उसके 152 गांव डूब में चले गये। वहां का काश्तकार बेघर-बार हो गया, उसके बाल-बच्चे दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन फिर भी ग्राज वहां पर माही परियोजना की नहरें नहीं खुदीं, पक्की नहीं बनीं, सर्वे भी कई गांवों में नहीं हुग्रा। वहां पर ग्राधा काम नहरों का नहीं हुग्रा है ग्रौर सरकार वहां के डिवीजनों को तोड़ने में लगी है।

इसलिए, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके मार्फत सिंचाई मंत्री महोदय से ग्रनुरोध करना चाहता हूं कि माही नहरों के विस्तार के लिए ग्रतिरिक्त धन देकर नहरें खुदवायें, पक्की बनावें व डिवीजनों को नहीं तोड़ें ताकि वहां के काश्तकारों को पानी मिल सके ग्रौर सरकार से मेरा ग्रनुरोध है कि वहां के ग्रादिवासियों के साथ ग्रन्याय नहीं करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

मावली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के ग्रन्तर्गत माननीय जनस्वास्थ्य ग्रभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान मावली क्षेत्र में पीने के पानी के ग्रभाव की ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं।

मावली क्षेत्र में बीस वर्ष पूर्व टंकी बनी, उस समय वहां 200 कनेक्शन थे, किन्तु ग्राज वहां 1500 कनेक्शन हो गये, जबकि पानी की टंकी की क्षमता वही है। उस क्षेत्र में दो दिन में एक बार पानी मात्र ग्राधे घण्टे के लिए ही दिया जाता है, ऊंचे स्थानों पर तो चार माह से पानी नहीं मिल रहा है।

ढूंढिया, इंटाली, थामला, पलानाकलां, खुर्द, जावड़, सनवाड़, खंडगांव, घासा, घुड़ली ग्रादि जलदाय योजनाएं बनीं, मगर पानी की कमी के कारण पानी की ग्रापूर्ति बहुत कम है।

गांवों में सभी सार्वजनिक कुए तथा हैण्ड पम्प सूख चुके हैं। जानवरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी का भारी ग्रभाव है। क्षेत्र में भीषण सूखा है। ग्रगर 9 ग्रप्रेल, 1994 से पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं हुग्रा तो हजारों जानवर मौत के मुंह में चले जाएंगे। वहीं ग्रामीण जनता क्षेत्र से पीने के पानी के ग्रभाव में पलायन कर जाएगी।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

क्षेत्र में इस समय करीबन 2000 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, उनमें से अधिकांश हैण्ड पम्प या तो सूख चुके हैं या जो नहीं सूखे हैं, वह खराब पड़े हैं। लम्बे समय से मिस्त्री न होने से जनता परेशान है।

मावली उदयपुर रोड पर एक ट्यूबवैल खोदा गया एक वर्ष पूर्व जिसमें अथाह पानी है, वहां पर मावली गांव तथा ट्यूबवैल के बीच मावली-बड़ी सादड़ी रेल लाइन आ जाने से रेलवे विभाग पटरी के नीचे से पानी की पाइप लाइन नहीं निकालने दे रहा है। अगर पटरी के नीचे से पाइप लाइन निकालने दी जाय तो मावली गांव की पीने के पानी की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है।

अतः मैं विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिए माननीय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री किशनाराम नाई।

श्री डूंगरगढ़-बीदासर (चूरू) सड़क मार्ग के पास हो रहा खनन कार्य

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में श्रीडूंगरगढ़–बीदासर सड़क मार्ग के पास पिछले तीन-चार वर्षों से पत्थर खनन का कार्य चल रहा है। इस खनन कार्य से 150 फुट गहरा खड्डा बन गया है जो कि इस सड़क के तीन-चार फुट पास तक आ गया है। इस सड़क पर कई बार बैलगाड़ियां, भेड़-बकरियां, भारी मोटर गाड़ियां व अन्य के आवागमन के कारण इस खड्ढे में गिरने की घटनाएं घटती रहती हैं। इन घटनाओं के बारे में कई बार मेरे द्वारा तथा अन्य नागरिकों द्वारा इस अवैध खनन कार्य को रोकने हेतु जिलाधीश से मांग की गयी। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(12.55)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

महोदय, क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमानुसार सड़क के पास खनन कार्य वैध है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा इसे रोकने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इसी प्रकार क्या खनिज विभाग ने इस पत्थर खनन के कार्य हेतु विधिवत् आज्ञा दे रखी है? यदि हां, तो कब-कब और किन-किन व्यक्तियों को दी और यदि नहीं, तो यह खनन कार्य क्यों चलाया जा रहा है?

अतः इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मांग है कि इस खनन कार्य को तत्काल रोका जाए, इससे सम्बन्धित चल रहे मामलों का निपटारा तुरन्त किया जाए तथा भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस हेतु कोई कार्यवाही की जावे।

श्री सभापति : विराजिये। श्रीमती मीना अग्रवाल। आप पढ़ चुके। 295 में केवल पढ़ना होता है, भाषण नहीं। माननीया श्रीमती मीना अग्रवाल!

राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा परिवहन तथा वाणिज्यिक चैक पोस्टों की जांच

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय सभापतिजी, मैं, आपके जरिये मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूं तथा अन्वेषण ब्यूरो की चौकियों के अधीन परिवहन तथा वाणिज्यिक की चैक पोस्टों एवं उड्डयन दस्तों से सम्बन्धित लोक महत्व को देखते हुए निम्नांकित जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही की मांग करती हूं :—

(1) ब्यूरो प्रभारी अधिकारियों द्वारा इनकी आज तक कितनी बार अचानक चैकिंग की गयी ? क्या उक्त चैकिंग करने में कोई किसी प्रकार की बाधाएं आती हैं ?

(2) क्या स्वयं यातायात मंत्रीजी द्वारा भी चैक पोस्टों को चैक कर लाखों का घोटाला पकड़ा है ? तब ब्यूरो के अधिकारी क्या कर रहे थे ?

(3) क्या यह सही है कि जून, 1993 में हनुमानगढ़ चौकी प्रभारी, श्री राजवर्धन सिंह ने बीकानेर आर.टी.ओ. पार्टी को करीब 40 हजार रुपये रिश्वत लेकर छोड़ दिया और कार्यवाही में अधिक रुपये नहीं मिलना लिखा ? क्या चैकिंग पार्टी के पास कम रकम मिलना सम्भव है ?

(4) हनुमानगढ़ डीवाई. एस. पी. सिंह द्वारा मसीतावाली चैक पोस्ट पर इस वर्ष जनवरी, फरवरी में ट्रेप के लिए पहुंचने के बाद हर महीने वसूली लेने के कारण कार्यवाही क्यों नहीं की ? धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम चौधरी ।

(13.00)

जीनगर छात्रावास (बालोतरा) की जमीन पर नाजायज कब्जा

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, निवेदन है कि जीनगर समाज (मोची अनुसूचित जाति), बालोतरा के छात्रावास की कब्जा शुदा जमीन एक-दो बीघा सरहदमोजा जंसोल में आई हुई है । इस जमीन पर जीनगर समाज का करीब 35-40 वर्षों से कब्जा होने के कारण 1971 में जीनगर समाज बालोतरा के नाम से नियमन हो गया था ।

यह है कि 1991 में पशु चिकित्सालय बालोतरा बनाया गया उस समय तत्कालीन एस.डी.एम. श्री बजरंगलाल शर्मा द्वारा जीनगर समाज की उक्त जमीन में से काफी जमीन ले ली गयी थी एवं बदले में प्याऊ बना कर देने व छात्रावास हेतु 2-3 बीघा भूमि देने का आश्वासन दिया गया था, शेष जमीन का पट्टा देने का आश्वासन दिया था जिस पर प्याउ बनाने के लिए पैसे दिलवा दिये व शेष कुछ जमीन का पट्टा जीनगर समाज के नाम दिलवा दिया । मगर छात्रावास हेतु 2-3 बीघा जमीन आबंटित नहीं की गयी और फिर उवका स्थानान्तरण हो गया ।

यह है कि दिनांक 27-7-1992 को तत्कालीन एस.डी.एम. श्री सुबेसिह यादव को प्रार्थना-पत्र देकर छात्रावास हेतु जमीन आबंटित करने का निवेदन जीनगर समाज ने किया । उस समय एस.डी.एस. व ग्राम सेवक, जसोल, श्री चन्द्र दत्त पालीवाल तथा तत्कालीन पटवारी, जसोल, श्री चैनसिंह व

(श्री अमराराम चौधरी)

विकास अधिकारी ने मौके पर आकर छात्रावास हेतु 130 × 134 फीट जमीन पशु चिकित्सालय के पीछे देकर बाड़ करवा कर कब्जा करवा दिया। अभी तक इस भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया तथा वन विभाग के कर्मचारी इस 130 × 134 फीट छात्रावास की भूमि को नर्सरी में मिलाने पर उतारू हैं। वन विभाग नर्सरी की भूमि ग्यारह बीघा 12 विस्वा है जबकि वन विभाग वालों ने करीब 13 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है जो नर्सरी के लिए आवंटित भूमि से 2 बीघा अधिक है।

इस प्रकार वन विभाग द्वारा जीनगर समाज बालोतरा के जीनगर छात्रावास की 2 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा बिना नाम करवाये करने पर उतारु हैं जिससे जीनगर समाज, बालोतरा में भारी असन्तोष है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जीनगर समाज की पशु चिकित्सालय (बालोतरा) का भवन बनाने के लिए प्रशासन द्वारा ली गयी जमीन के बदले उनको उक्त विवादित कब्जा शुदा जमीन, 130 × 134 फीट जीनगर समाज, छात्रावास हेतु आवंटित कर पट्टा जीनगर समाज, (बालोतरा के नाम अविलम्ब जारी करवाने की कृपा करवाएं।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल वर्मा।

सूचना

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : I want to give an information to this House. Very important.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मोटवानीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : Just now I have received an information. अजमेर जिले की पेयजल समस्या का जिक्र तो यहां कई बार हो गया, अब ब्यावर में भी बड़ी परेशानी हो गयी है। कल ब्यावर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। आज उन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, पत्रकार भी जख्मी हुए हैं और फोटोग्राफर भी जख्मी हुए हैं। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि इस पर तुरन्त व्यवस्था करें। वैसे हमारा एडजानमेंट मोशन यहां लगा हुआ है जिसको शायद 4 तारीख को डिस्कशन के लिए रखा है, किन्तु कार्यवाही तुरन्त करें। ब्यावर में जो इस तरह की घटना घटी है उससे कहीं सारे जिले में असंतोष न पैदा हो जाए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री सभापति : श्री बाबूलाल वर्मा।

उपखण्ड अधिकारी (भवानीमंडी) द्वारा नादिरशाही

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र के कस्बे गुराड़िया में दिनांक 19-3-94 को श्री गोरधनलाल पड़ौस के खेत से पाइप के जरिये पानी पिला रहा था। पाइप रोड पर क्रोस करके डाला हुआ था, उससे यातायात में कोई बाधा नहीं पड़ रही थी। उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी द्वारा गुजरते समय गोरधनलाल

(श्री बाबूलाल वर्मा)

के लड़के को काफी बुरा-भला कहा एवं उसे डांटा। लड़के ने कहा कि इससे यातायात में कोई परेशानी नहीं होती है और जब कोई वाहन आता है तो हम पाइप हटा कर पुनः जोड़ देते हैं। इस पर उपखण्ड अधिकारी हाथ उठा कर गोरधनलाल की तरफ दौड़े एवं नन्दलाल शर्मा, चपरासी तथा ड्राइवर को आदेश दिया कि इस बद दिमाग को पकड़ लो एवं मारो। मौके पर उपखण्ड अधिकारी ने श्री गोरधनलाल के कपड़े फाड़े खूब गाली-गलौज की, धक्का-मुक्की की जिससे उसके गले पर खरोंचें भी आयी। इस दौरान गोरधनलाल के लड़के ने बीच-बचाव करने हेतु हाथा-जोड़ी भी की लेकिन उप-खण्ड अधिकारी, तहसीलदार व चपरासी ने लड़के को गिराया, मारा-पीटी की और उसके चिल्लाने पर बीच-बचाव करने रामप्रसाद पाटीदार, मांगीलाल पाटीदार मौके पर आये एवं बचाव किया। इस घटना के पश्चात् लड़का डर के मारे घर पर भी नहीं पहुंचा है।

दिनांक 22-3-94 को गोरधनलाल भवानीमण्डी से गुराडिया जागेर पहुंचा तो घर पर भीड़ लगी हुयी थी, औरतें रोना-पीटना कर रही थीं। पूछने पर पता चला कि उप-खण्ड अधिकारी, थानेदार, डग सुदर्शन पाण्डे को लेकर आये एवं खेत में काम कर रहे बड़े लड़के को पकड़ कर ले गये। गांव वालों के मना करने पर भी उप-खण्ड अधिकारी व डग थानेदार पड़ौस के दो थानों का क्षेत्राधिकार पार करके डग ले गये एवं दूसरे दिन सुबह मार-पीट करके छोड़ दिया। ऐसे त्यौहार के मौके पर उपखण्ड अधिकारी, थानेदार द्वारा नादिरशाही की जा रही है जिससे गांव वालों में भय व्याप्त है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त परिवार को राहत दिलवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक।

नगर परिषद (सीकर) की अकर्मण्यता के कारण सड़क दुर्घटनाएं

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, मैं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत नगर परिषद् सीकर की अकर्मण्यता के कारण शहर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, सीकर शहर की बसावट बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इसके सौन्दर्य को बनाये रखने के हिसाब से की गयी थी। खूब चौड़े-चौड़े और सीधे-सीधे रास्ते एवं शहर के गन्दे पानी की निकासी हेतु बहुत ही शानदार नालों का निर्माण किया गया था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि नगर परिषद्, सीकर ने अपने सारे कर्तव्यों की इतिश्री कर दी। इस शहर के सौन्दर्य को बनाये रखने में सहयोग देने के बजाय आज यहां के नागरिकों को जिस नारकीय पीड़ा भोगने को मजबूर किया है यह बड़ा ही क्षोभ का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, सीकर नगर की गलियों में जहां कीचड़ एवं गन्दगी के ढेर लगे रहते हैं उनसे वहां के निवासियों को उस दुर्गन्ध भरे वातावरण में रहने को

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि बार-बार नगर परिषद् को कहने के बावजूद भी वे सफाई कर्मचारियों की संख्या में कमी होने व धन का अभाव होने की बात कहते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों शहर की मुख्य सड़कों पर पानी व कीचड़ फैलने से जिस तरह आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, यह बड़ा चिन्ता का विषय है। अभी हाल ही में सालासर बस स्टेण्ड पर कीचड़ से बचने के चक्कर में दीपक सिंधी नामक 20 वर्षीय लड़के का एक्सीडेण्ट हुआ और वह अपने परिवार को छोड़ कर चल बसा। इस दुखद घटना की चर्चा अभी भूले ही न थे कि दिनांक 27-3-94 को होली के त्यौंहार पर देवीपुरा रोड पर दो छोटे-छोटे बच्चों का एक्सीडेण्ट हो गया और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी पानी व कीचड़ से बचने के लिए जैसे ही बच्चों ने साइकिल को बचाने की कोशिश की तो रोडवेज की बस से टकरा जाने पर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये एवं अपने परिवार को बिलखता छोड़ कर चले गये।

मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नगर परिषद् (सीकर) केवल संसाधनों का बहाना बना कर अपनी अकर्मण्यता से न बचे एवं साथ ही कुछ साधनों की कमी हो तो उसे भी दूर करने की कृपा करें ताकि सीकर शहर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सकें।

आज तो हालात यह है कि न केवल सीकर के मुख्य मार्ग बल्कि पूरा सीकर शहर ही गन्दगी का ढेर बनाता जा रहा है इसके लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करें एवं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हैं उनको एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

गंगापोल परकोटे (जयपुर) के खुर्द-बुर्द किये जाने से असंतोष

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से जयपुर स्थित गंगापोल परकोटे के खुर्द-बुर्द किये जाने पर विभाग को रिपोर्ट करने पर भी बचाव की कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न असंतोष का उल्लेख करना चाहूंगी।

मान्यवर, स्थानीय जयपुर के गंगापोल परकोटे की दीवार, दरवाजे तथा ऊपर स्थित कई-कई फुट ऊंचे कंगूरों को तोड़ा-फोड़ा गया है। परकोटे की दीवार को लगभग 16×20 के अनुपात में तोड़ कर दरवाजा बनाया गया है तथा दरवाजे के पास से उक्त मोटी दीवार को इतना छील दिया गया है कि वह किसी भी दिन गिर सकती है। उक्त दीवार का आसार अनुमानित रूप से 12 फुट की चौड़ाई में था, जिस पर तोप रखी हुई थी, शहर की सुरक्षार्थ राजशाही के जमाने में तोप रख कर चलाने की व्यवस्था थी। ये परकोटे पुरातत्व विभाग की सम्पत्ति हैं। इस परकोटे तथा इसके महराबों को तोड़कर लोग कब्जे कर रहे हैं और इस परकोटे की सरकारी कोठियां बनी हुई हैं उन पर भी निजी लोगों ने कब्जे कर अपने ताले लगा लिए हैं। दूसरा किनारा भी लगभग 20

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

फुट की चौड़ाई, लम्बाई में तोड़ा जा रहा है। मैंने कलक्टर को मौका दिखलाया है और शिकायत पत्र भी दिया है। उन्होंने उक्त परकोटे के सम्बन्ध में पुरातत्व विभाग को आदेश दिये हैं तथा निगम को मरम्मत के लिए कहा है। पर कार्य नहीं हो रहा है। तोड़-फोड़ बन्द हो, तोड़-फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो, उनको सजा हो, जान-माल की सुरक्षार्थ कोई कार्यवाही हो तथा केन्द्रीय आदेशों की पालना हो। यह लोक महत्व का प्रश्न है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरीसिंह कुम्हेर।

सकीतरा नर्सरी (भरतपुर) में कार्यरत वन श्रमिक

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय का उल्लेख करना चाहता हूं।

भरतपुर जिले में वन विभाग के सकीतरा स्थित नर्सरी पर मस्टररोल पर सन् 1984 से दिनांक 30-4-88 तक लगातार श्री बल्देव पुत्र श्री कोकी, श्री हरिसिंह पुत्र श्री मंगल व अन्य 10 व्यक्ति मस्टररोल पर कार्य करते थे जिन्हें दिनांक 1-5-88 को बिना किसी कारण बताये काम पर आने से मना कर दिया। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार तथा इस सम्बन्ध में श्रम न्यायालय के निर्णयानुसार जिन श्रमिकों की सेवाएं लगातार 240 दिन की हो जावें, उन्हें इस प्रकार बिना किसी कारण बताये सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता और दो साल की सेवा पूर्ण करने पर अर्द्ध स्थायी घोषित करना पड़ता है। उपरोक्त श्रमिकों को दिनांक 1-5-88 से काम पर आने से मना कर दिया। इस पर इन श्रमिकों ने श्रम न्यायालय की शरण ली व श्रम न्यायालय, भरतपुर में अपना प्रकरण प्रस्तुत किया था। इन श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या एल. सी. आर. 42/89 बल्देव वगैरहा बनाम मण्डल वन अधिकारी तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, भरतपुर में श्रम न्यायालय ने दिनांक 23-8-93 को "अवार्ड" जारी किया कि सभी श्रमिक पुनः सेवा प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा उनकी सेवाएं निरन्तर मानी जाएंगी एवं वे सभी देय परिलाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। सेवा-मुक्ति के पश्चात् की अवधि हेतु "बैक वेजेज" के रूप में प्रत्येक श्रमिक को समेकित रूप से 5000/– (अंकेन पांच हजार रुपये) प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस "अवार्ड" की पालना दो माह के अन्दर किये जाने के आदेश थे। इस "अवार्ड" की अनुपालना करने हेतु इन श्रमिकों ने मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर व वन विभाग के उच्चाधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिये हैं किन्तु अभी तक कोई न्यायालय की आज्ञानुसार कार्यवाही नहीं हुई है जिससे कि इन श्रमिकों के 12 परिवार भूखे मरने की नौबत में पहुंच रहे हैं।

ऐसी स्थिति में इस बात का विशेष उल्लेख विधान सभा में किया जाना आवश्यक हो गया है जिससे कि इन गरीब व्यक्तियों को न्याय मिल सके और अदालत

(श्री हरिसिंह)

की आज्ञानुसार इन्हें देय परिलाभ सरकार से प्राप्त हो सकें।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित)।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर चिकित्सालयों को क्रमोन्नत एवं सुविधा

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

महोदय, जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बढ़ती हुई आबादी के घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोधपुर में चिकित्सा सेवाओं एवं सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है। नगरवासियों को इन सेवाओं के अभाव में जहां आर्थिक दवाब से गुजरना पड़ता है वहीं जिले के बाहर अन्यत्र स्थानों पर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है।

जोधपुर शहर में महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, क्षय रोग अस्पताल, मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान, उम्मेद अस्पताल, आइसोलेशन अस्पताल व लेपरोसी अस्पताल हैं।

इन उपरोक्त अस्पतालों का समय के साथ-साथ विकास हुआ। राज्य सरकार ने भवनों व उपकरणों में काफी राशि इन अस्पतालों में आबंटित की है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि जोधपुर में दो वर्ष पूर्व स्थापित "न्यूरो सर्जरी इकाई" में पर्याप्त सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने "सीटी स्केन" मशीन के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की थी, किन्तु अभी तक यह मशीन स्थापित नहीं हो पायी है। सिर में चोट एवं अन्य चिकित्सीय जांच के लिए सीटी. स्केन मशीन स्थापित नहीं होने में बरती गयी उदासीनता के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। जोधपुर में सीटी. स्केन मशीन की सेवाओं को उपलब्ध करवाये जाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मथुरादास माथुर अस्पताल से महात्मा गांधी चिकित्सालय में न्यूरो सर्जरी इकाई को स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण रहे हैं? इसकी जांच कर कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ में न्यूरो सर्जरी के लिए प्रोफेसर का पद सृजित किया जाए।

जोधपुर में चिकित्सा सेवाओं के योजनाबद्ध विस्तार के लिए मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यहां जिला अस्पताल खोलने के साथ विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं की इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए। न्यूरोलोजी, नेफ्रोलोजी, गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी, कार्डियोलोजी, कैंसर जैसे रोगों के लिए विषय विशेषज्ञों के साथ अलग से यूनिट बनायी जाए। वर्तमान में ऐसे विशिष्ट रोगों से सम्बद्ध रोगियों को चिकित्सा सुलभ करवाया जाना महती जरूरी है। इसलिए इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही कर लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए।

जोधपुर में 1987 में चिकित्सा विभाग ने अल्ट्रा साउन्ड मशीन क्रय की थी।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

निविदा में 12 इंची का पर्दा दर्शाया गया जबकि 9 इंची के पर्दे की मशीन ली गयी थी। यह मशीन अभी तक खराब पड़ी है। चिकित्सालय की लिफ्ट व सेन्ट्रल एयर कन्डीशन प्लान्ट दो वर्ष से खराब पड़ा है, उसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई। आइसी टोप के इक्यूपमेंट वर्ष 1985-86 में सात लाख में क्रय किये गये थे, वह पेटियों में बन्द पड़े हैं। इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं व किस अधिकारी द्वारा इन्हें क्रय किया गया था ?

चिकित्सालय के लिए पांच लाख पचास हजार का कम्प्यूटर 1992 में क्रय किया गया था जो अभी तक बेकार पड़ा हुआ है। इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं व किस अधिकारी द्वारा क्रय किया गया था ? चिकित्सालयों के लिये नये पी. बी. एक्स. पर दस लाख रुपये खर्च किये गये थे पर वह चालू नहीं हो पाया, तथा उसे चालू करने के लिए स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं ?

प्रसंगवश यह भी अनुरोध है कि मथुरादास माथुर चिकित्सालय में गहन चिकित्सा इकाई एवं कार्डियेक केयर यूनिट की स्थापना तथा न्यूरो सर्जरी इकाई को पुनः मथुरादास माथुर अस्पताल में स्थानान्तरित करने के अलावा न्यूरो फीजिशियन नेफ्रोलोजिस्ट एवं हृदय रोग विशेषज्ञ वार्डों का सृजन किया जाए ताकि लोगों को चिकित्सा सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही नवचौकियां महिला बाग एवं हुसन मण्डी औषधालयों को क्रमोन्नत करने के साथ खाण्डाफलसा, मोतीचौक में नयी डिस्पेंसरीज तथा शहर के अन्य चार क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

बगरु (जयपुर) मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करना

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहती हूं।

बगरु नगर एक महत्वपूर्ण नगर है। यह जयपुर शहर से भी पुराना नगर है। यहां की छपाई का काम आज देश-विदेश में मशहूर है। इस नगर में महिलाओं का सिर्फ एक मिडिल स्कूल है। आस-पास में 30 किलोमीटर तक कोई महिला सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। महिला शिक्षा पर इस बजट में काफी महत्व दिया जा रहा है। यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को मिडिल के बाद लड़कों के साथ पढ़ने नहीं भेजते हैं और यहां के आस पास एवं नगर की बालिकाओं को मिडिल की कक्षा तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

अतः निवेदन है कि बगरु में मिडिल स्कूल को कम से कम सैकण्डरी और सम्भव हो तो हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाए।

(98)

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण चौधरी ।

बिसाऊ (झुन्झुनूं) में सहायक अभियन्ता, विद्युत मण्डल का कार्यालय खोलने बाबत

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत झुन्झुनूं जिले के बिसाऊ कस्बे में उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिये सहायक अभियन्ता, विद्युत का कार्यालय खोलने की मांग की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

झुन्झुनूं जिले के बिसाऊ में 33/11 के. वी. का सब-स्टेशन बना है। बिसाऊ के आस पास करीब एक लाख की आबादी है जिसमें महनसर-गंगियासर आदि कस्बे भी आते हैं तथा अनेक छोटे-बड़े गांव हैं। यहां रहने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को काफी कठिनाई हो रही है। बिजली के बिल जमा करवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, बिजली कनेक्शन हेतु दरख्वास्तों के लिए भी दूर जाना पड़ता है तथा बिजली की खामी तथा उसको दुरुस्त करवाने के मामलों में भी कठिनाई आती है। इन सब कठिनाइयों का निराकरण बिसाऊ में सहायक अभियन्ता, राजस्थान विद्युत मण्डल का कार्यालय खोलने से ही हो सकता है।

अतः मैं सरकार तथा माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिसाऊ में सहायक अभियन्ता, राजस्थान विद्युत मण्डल का कार्यालय खोला जाए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का अधिकार राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल को हस्तांतरित करने से उत्पन्न स्थिति

श्री सभापति : नियम 131 माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति शासन के दौरान शिक्षा विभाग

श्री सभापति : आप ध्यान आकर्षित कीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ध्यान आकर्षण ही कर रहा हूं, श्रीमन्।

श्री सभापति : आपने भाषण शुरू कर दिया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का अधिकार राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल को राष्ट्रपति शासन के दौरान....

श्री सभापति : आप केवल मात्र ध्यान आकर्षित कीजिए। माननीय मंत्रीजी वक्तव्य देंगे फिर आप बोल लीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उस तरफ मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के बीच पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन एवं वितरण कार्य से सम्बन्धित समझौता होने से पूर्व यह व्यवस्था चली आ रही थी कि पाठ्य पुस्तक मण्डल कक्षा एक से आठ तक की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण करता था जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा नवीं से बारहवीं तक की पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण करता था। जहां मण्डल द्वारा सामान्यतया समय पर पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं एवं गुणात्मक रूप से भी मुद्रण एवं वितरण कार्य में सुधार आया है, बोर्ड समय पर पुस्तकें सुलभ कराने में समर्थ नहीं रहा एवं इस अव्यवस्था को लेकर काफी असंतोष है। इस प्रकार की स्थिति का एक कारण यह भी रहा है कि बोर्ड का प्रमुख कार्य परीक्षाएं आयोजित करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, उसके अनुरूप पुस्तकों की लेखन-व्यवस्था तथा शैक्षणिक उन्नयन की ओर ध्यान देना रहा है। पुस्तकों के प्रकाशन एवं वितरण पर बोर्ड अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाया।

देश के कतिपय राज्यों में पाठ्य पुस्तक मण्डल अथवा निगम ही कक्षा एक से बारह तक की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण कार्य कर रहे हैं एवं इस विद्या को भली-भांति सम्पन्न करने की दृष्टि से उन्होंने साधन भी विकसित किये हैं अतः यह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल ने भी अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और राज्य के प्रत्येक जिले में उसके वितरण केन्द्र हैं। इसकी प्रकाशन व वितरण व्यवस्था यूनिसेफ द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में भी संतोषप्रद पायी गयी है। कक्षा एक से आठ तक की पाठ्य पुस्तकों का लेखन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान करता है एवं उसका प्रकाशन व वितरण मण्डल करता है। इस प्रकार दो एजेंसीज द्वारा कार्य सम्पादन की यह व्यवस्था उपयुक्त रही है। कक्षा नौ से बारह तक की पुस्तकों की व्यवस्था भी सुचारू रूप से सम्पन्न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए ही बोर्ड और मण्डल द्वारा आपसी विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड की पुस्तकों के प्रकाशन एवं वितरण का कार्य मण्डल द्वारा किया जाए तथा लेखन पूर्ववत बोर्ड द्वारा करवाया जाए। यह एक सुविचारित निर्णय है एवं समय पर अच्छे स्तर की पाठ्य पुस्तकें छात्रों को सुलभ कराने की दृष्टि से लिया गया है, न कि थोपा हुआ समझौता है, जैसा कि प्रस्ताव में वर्णित है। उभय पक्षों के गहन विचार विनियम के पश्चात् ही यह निर्णय लिया गया व सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। सहमति पत्र परिषद् द्वारा दिनांक 20-10-1993 तथा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4-11-1993 को अनुमोदित किया गया।

कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों का लेखन राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान करता है एवं प्रकाशन और वितरण का कार्य पाठ्य पुस्तक मण्डल करता आया है। इसके अनुरूप नवीं से बारहवीं तक की पाठ्य पुस्तकों के लिये यह व्यवस्था की गयी कि इनकी पांडुलिपियां बोर्ड द्वारा तैयार कर मण्डल को उपलब्ध करायी जाएं तथा प्रकाशन और वितरण का कार्य मण्डल करे। पुस्तकों की पाठ्य सामग्री उपयुक्त

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रकार की हो, इसे ध्यान में रखते हुए ही यह कार्य बोर्ड के पास रहना आवश्यक है। निश्चित रूप से जो संस्थान पाठ्य सामग्री तैयार करेगा उसके बारे में उसका दायित्व भी वही वहन करेगा और इससे कोई असंगतता नहीं है। इन पाठ्य-पुस्तकों का "अपडेटिंग" प्रति वर्ष होता रहेगा, अतः तीन वर्ष तक इन पुस्तकों में मूलभूत परिवर्तन न करना एक उपयुक्त निर्णय ही है। जल्दी-जल्दी पुस्तकों में परिवर्तन लाना शैक्षिक दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है।

कक्षा नौ से बारह तक की पुस्तकों के प्रकाशन के लिये पाठ्य पुस्तक मण्डल को लगभग 500 मैट्रिक टन कागज की आवश्यकता थी जिसकी अनुमानित लागत एक करोड़ पांच लाख रुपये होती है। इस की व्यवस्था हेतु मण्डल द्वारा बोर्ड को राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया व बोर्ड की इस शर्त को भी स्वीकार किया कि बैंक की प्रचलित दर से ब्याज की अदायगी निर्धारित समय पर की जाएगी। इसके अनुसरण में ही बोर्ड ने मण्डल को राशि उपलब्ध करायी। उभय पक्षों के बीच हुए सहमति पत्र के अधिशेष होने वाले कर्मचारियों को मण्डल में समायोजित करने का प्रावधान रखा गया है व इसमें ऐसा कोई बिन्दू नहीं है जिससे कि अधिशेष होने वाले कर्मचारियों के समायोजन में कोई कठिनाई हो।

अभी तक बोर्ड द्वारा यह चौबीस पुस्तकें ही मण्डल को हस्तांतरित की गयी हैं जो उसके द्वारा प्रकाशित की जा रही थीं व शेष पुस्तकों के हस्तांतरण का कार्य शैक्षणिक वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिये रखा गया है। मण्डल द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन "न लाभ न हानि" के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और वही सिद्धांत इन पुस्तकों के बारे में भी लागू होगा। पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन कार्य में कोई लाभ उठाने जैसी स्थिति उत्पन्न भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार का उद्देश्य उचित मूल्य पर समय पर छात्रों को पुस्तकें सुलभ कराना है व इसे लाभ से जोड़ने पर यह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः पुस्तक प्रकाशन कार्य में बोर्ड को कोई हानि होगी, यह कहना न तो उपयुक्त है, न तर्क संगत है।

इस प्रकार कक्षा नौ से बारह तक की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन एवं वितरण का कार्य मण्डल को सौंपे जाने से यह कार्य समय पर बेहतर ढंग से सम्पन्न होगा। यह इसी से जाहिर है कि इस वर्ष हस्तांतरित चौबिस पुस्तकों में से लगभग आधी पुस्तकें छप चुकी हैं एवं सभी पुस्तकें शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले उपलब्ध हो जाएंगी। अतः यह निर्णय लोकहित में लिया गया, यह उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता है।

श्री सभापति : माननीय श्री सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि लोकप्रिय सरकार 15 दिसम्बर, 1992 को राजस्थान में समाप्त कर दी गयी। उस राष्ट्रपति शासन के दौरान 16-3-93 को

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

शिक्षा सचिव, वहां के बोर्ड के प्रशासक, क्योंकि 15 दिसम्बर, 1992 को तो सरकार समाप्त हुई और 1-2-93 को, फरवरी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया गया, वहां का चुना हुआ बोर्ड था, वहां के जो अध्यक्ष थे उनको भी हटा दिया गया और उनको हटाने के बाद में यह षड्यंत्र प्रारम्भ हुआ। 16-3-93 को बैठकर के शिक्षा सचिव ने, वहां के बोर्ड के प्रशासक और मण्डल के अध्यक्ष ने, इन तीनों ने बैठकर यह तय किया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिन पुस्तकों को छापता है उन पुस्तकों को यहां मण्डल में ले लिया जाए। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चहता हूं कि यह षड्यंत्र कोई अभी से नहीं चल रहा है। सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 1984 से यह षड्यंत्र प्रारम्भ किया था। जब इस सदन की सदस्या माननीय कमलाजी एजूकेशन मिनिस्टर होती थीं तब भी प्रपोजल बना कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से इसको ले लिया जाए।

मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि आपने जो अभी उत्तर पढ़कर सुनाया है उसमें आपने यह नहीं देखा। अगर उसकी जांच की होती कि आपने 16-3-93 को निर्णय करके उनको क्या कहा। बोर्ड वालों को इन्होंने निर्देश दे दिये और निर्देश क्या दिये कि समस्त प्रकार की किताबों को लिखाने एवं प्रकाशित करवाने का काम पाठ्य पुस्तक मण्डल को हस्तांतरित किया जाता है। इसमें क्या कानूनी बिन्दु खड़े होंगे? इसके लिए एक्ट में संशोधन करना हो, तो उसका भी विवरण दें। किताबों के लिखवाने व उनको प्रकाशित करवाने में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, एन. सी. आर. टी., केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली और तमिलनाडु के सिस्टम का अध्ययन किया जाए। इस कार्य को पाठ्य पुस्तक मण्डल को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में क्या जस्टीफिकेशन होगा, इसका भी अध्ययन किया जाए और उसके प्रस्ताव बनाये जाएं। डिस्ट्रिब्यूशन किस तरीके से होगा, यह सारे के सारे निर्णय ले लिए और इसलिए लिए गए ताकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किस तरीके से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं हुआ, मण्डल को अपने एक्ट के अन्दर, मंत्री महोदय ने अभी कहा कि समझौते के अन्तर्गत उनकी पुस्तकें लाने के लिए इनको अपने एक्ट में संशोधन करना पड़ा, वह भी इन्होंने किया, क्योंकि यह कटिबद्ध थे इस बात के लिए कि बोर्ड से लाए। इन्होंने जिन बोर्ड्स के नाम लिए हैं उनका इन्होंने अध्ययन क्यों नहीं किया? हरियाणा के बोर्ड का जो नजदीक था? उसका इन्होंने अध्ययन क्यों नहीं किया, पंजाब के बोर्ड का अध्ययन क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं कश्मीर के बोर्ड का अध्ययन किया? इन्होंने केवल उन बोर्ड्स के अध्ययन करने के लिए कहा जिन बोर्ड्स में केवल परीक्षाओं का काम होता है और किताबें छापने का काम दूसरे लोग करते हैं। लेकिन हमारे यहां बोर्ड को स्वायत्तता है। हरियाणा, पंजाब और कश्मीर यह ऐसे बोर्ड हैं जो स्वायत्त हैं जो पुस्तकें छापने का काम भी करते हैं और

(102)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

परीक्षा भी लेते हैं। हमारा भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा लेता है और उसके साथ ही साथ किताबें भी छापता है। यह दूसरे जो बोर्ड थे, जिनकी इन्होंने तुलना की यह ऐसे बोर्ड थे जिनका पाठ्य पुस्तकें छापने का काम अलग होता था और उसका इन्होंने अध्ययन कर लिया और अध्ययन करके इन्होंने किताबें ले लीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कि इस बोर्ड की जो रेपुटेशन है वह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है और उसका कारण है कि यह अपने पाठ्यक्रम को डवलप करते हैं। यह इन सर्विस टीचर्स का प्रशिक्षण करते हैं और इस तरीके से इस बोर्ड ने केवल परीक्षा लेने का काम नहीं किया। आपने अभी पढ़ा उसमें बोर्ड समय पर पुस्तकें सुलभ कराने में समर्थ नहीं रहा, इस असमर्थता का सत्यापन राज्य सरकार ने किस आधार पर किया है, जरा आप मुझे बतायेंगे? इस सदन की जो लाइब्रेरी है उसमें उसके अखबारों की कटिंग पड़ी हुई हैं, आप उनको उठा कर देखें कि यह जो आपका मण्डल है, इस मण्डल के ऊपर कितने आरोप लगे हैं, कब तक यह समय पर किताबें देता रहा है? उन दोनों का आप अध्ययन करके देखते तो आप इस बात को शायद नहीं कहते। क्या आप बोर्ड द्वारा पुस्तकें उपलब्ध कराने में हुए विलम्ब और मण्डल द्वारा उपलब्ध कराने में हुए विलम्ब का तुलनात्मक ब्यौरा सदन को बता सकते हैं?

मंत्री महोदय ने कहा कि मण्डल द्वारा सामान्यतः, सामान्यतः समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो इस सामान्यतः को स्पष्ट करें कि सामान्यतः क्या है? आप केवल सामान्यतः कहकर इस मण्डल को वह किताबें देकर बोर्ड को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? माननीय शिक्षा मंत्री जी, मण्डल पुराने संस्करण जिलों में भेज देता है और नये संस्करण अन्य जिलों में। इसी प्रकार यदि कक्षा नौ से बारह तक की पुस्तकों में किया गया तो सार्वजनिक परीक्षा परिणाम प्रभावित होंगे। मण्डल आज तक यह कहता रहा है। आप देख लें उठाकर और किसी निष्पक्ष एजेन्सी से आप जांच करा लीजिए। वह तो एक से आठ तक की किताबें होती हैं लेकिन यह बिलकुल नयी किताबें होती हैं।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अभी जो स्टेटमेंट पढ़ा उसमें कहा कि मण्डल की प्रकाशन व्यवस्था यूनीसेफ द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में सन्तोषजनक पायी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक व्यवस्था का उल्लेख किया है इन्होंने। आपने यूनीसेफ की पुस्तक को अगर देख लिया होता तो शायद आप यह बात नहीं कहते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेरे पास है और मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिस पृष्ठ के ऊपर उन्होंने उसका उल्लेख किया है, उस में मण्डल की पुस्तकों को 44 प्रतिशत लोगों ने पसन्द किया है और 49 प्रतिशत बोर्ड की पुस्तकों को उन्होंने पसन्द किया है। यह यूनीसेफ की रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया है। उसमें भी मण्डल 44 प्रतिशत ही आता है और बोर्ड की प्रशंसा 49 प्रतिशत लोगों ने की है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हूं कि यह एक खुला षड़यंत्र है, बोर्ड की स्वायत्तता पर डाका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति शासन के दौरान जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, हमारे शासन में आने के बाद भी अगर हम वह भूल जाएं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह संगत का ही प्रभाव दीखता है। आप सेक्रेटेरिएट में जिन लोगों के साथ बैठते हैं वह डुबोकर रख देंगे अगर आपका यही चिन्तन चलता रहा तो।

आपके इस शब्द पर भी मुझे आपत्ति है कि आपने कहा कि सुविचारित निर्णय है, समय पर अच्छी पुस्तकें सुलभ कराने की दृष्टि से लिया गया है न कि थोपा हुआ समझौता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा तब से पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने क्यों नहीं कर लिया? बोर्ड को यह स्वायत्तता क्यों दी? 1986 में ही यह निर्णय हो जाता। केवल बोर्ड को इसलिए यह स्वायत्तता दी कि हमारा बोर्ड केवल इम्तिहान लेने का काम नहीं करता, हमारा बोर्ड उसके साथ ही साथ शैक्षणिक कार्य भी करता है। मैं आपको बताऊं कि एक तरफ़ बोर्ड के लोगों ने लिखा है इससे बोर्ड को एक करोड़ रुपये की हानि होती है और यह पैसा सरकार दे। यह सरकार ने देना तय नहीं किया, क्योंकि बोर्ड में आयोजना मद में या गैर आयोजना मद में एक भी पैसा राज्य सरकार नहीं देती है। बोर्ड स्वयं फीस के द्वारा जो उसके पास पैसा आता है उससे ही वह अपना सारा प्रशासन चलाता है, परीक्षाएं लेता है और शैक्षणिक कार्य करता है। रायल्टी से जो पैसा आता है, आपने कहा कि उसमें पैसा कमाने का मकसद नहीं है, उनका तो मकसद केवल जो रायल्टी उनको प्राप्त होती है और वह जो अपने गोदाम वगैरह के चार्जेज लगाते हैं, जो बचत होती है उससे अपने सारे शैक्षणिक कार्यों को करता है। आपने कहा कि एक समिति गठित की गयी और उस ने उसका निर्णय लिया। मैं आपको बता दूं कि उस समिति में कौन लोग थे, एक तो बोर्ड के वह अधिकारी थे डा. पन्नालाल वर्मा जो वहां पर कान्ट्रेक्ट पर रखे गये थे और दूसरे थे श्री कमल नारायण पारीक ये कमल नारायण पारीक की, वहां पर जो प्रशासक महोदय थे उन्होंने सी. सी. ए. 16 की कार्यवाही शुरू कर दी थी। सी. सी. ए. 16 की जब कार्यवाही चल रही थी उनकी, तो वे दबाव के अन्दर थे। दबाव में आने के बाद इन दोनों व्यक्तियों ने जिस तरह की रिपोर्ट लिखी है, यदि आप बोर्ड की उस फाइल को मंगाकर देखें जिसमें यह नोटिंग की गयी है तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि किस तरीके से सुविचारित हुआ है। यह सुविचारित नहीं है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसका अध्यक्ष है। आज आपके सैक्रेटरी भी हैं और मण्डल के भी हैं। मैं इसमें पाठ्य पुस्तक मण्डल के अध्यक्ष का जरा भी दोष नहीं मानता। उन लोगों ने पहल नहीं की, पहल की आपके सैक्रेटेरिएट के सैक्रेटरी ने। ये तो सब उनके दबाव में आये। वे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आर. ए एस. आफिसर लगे हुए थे वे आई. ए. एस. हो गये हैं। शायद वे आई. ए. एस. नहीं हो पाते अगर सैक्रेटेरिएट के दबाव में आकर गलत काम नहीं करते। श्री वी. बी एल. माथुर की अध्यक्षता में आपने निर्णय कर लिया

(104)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ग्रौर राज्य सरकार ने भी उस निर्णय को स्वीकार कर लिया । जिन दवावों के ग्रन्दर यह काम हुग्रा है, ग्राप मेहरबानी करके उन दबावों को देखें तो सही ।

पुस्तक लेखन, समीक्षा कार्य व पाठ्यक्रम निर्माण बोर्ड द्वारा ग्रौर मुद्रण-वितरण मण्डल द्वारा । उनमें तालमेल की कमी से क्या विलम्ब नहीं होगा ? दोनों एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे । पाठ्य पुस्तकें वे लिखवायेंगे, पाठ्यक्रम वे तैयार करेंगे ग्रौर मण्डल उनको केवल छपवायेगा, उसकी रायल्टी लेगा, उसका लाभ लेगा । बाकी सारा वे खर्चा उठाएंगे । ग्रापने कहा कि वहां पर 40-50 लोग जो सरप्लस हो जाएंगे उनका हमने समायोजन कर लिया । जिस गरीब का घर छूटता है, जो लो-पेड सर्वेण्ट है उसको ग्राप जयपुर लाएंगे ? ग्रजमेर छोड़कर वह जयपुर ग्राएगा ? ग्रापने उन गरीबों की तरफ भी नहीं देखा जो लो-पेड सर्वेण्ट है । वे वहीं रहना चाहेंगे ग्रौर इस तरीके से बोर्ड के ऊपर उन 30-40 व्यक्तियों का भार भी पड़ने वाला है ।

मण्डल वालों ने ग्रपनी वित्तीय स्थिति यह देखी कि 500 टन कागज खरीदना पड़ेगा ग्रौर वह एक करोड़ पांच लाख रुपये का होगा । इन्होंने बोर्ड के ऊपर यह निर्णय भी थोप दिया, क्योंकि हम कागज खरीदेंगे इसलिए बोर्ड हमको पैसा देगा । किताबें तो हम छपवायेंगे लेकिन बोर्ड हमको ऋण देगा । ग्राप कह रहे हैं कि हम ब्याज चुका देंगे । लेकिन बोर्ड की जो वित्तीय स्थिति है, उन्होंने लाख रुपया मण्डल को स्थानान्तरित कर दिया । बाकी रुपया स्थानान्तरित करने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है ।

मण्डल ने चार पुस्तकें छपवा लीं चार महीने पहले, क्योंकि समय पर ग्रानी चाहिए, क्योंकि उनको डर था कि लोकप्रिय सरकार के ग्राने के बाद यह निर्णय रद्द कर दिया जाएगा । लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री ने इसे रद्द नहीं किया । चार महीने तक यह जो मनी ब्लाक पड़ी रहेगी, उसका नुकसान किसको होने वाला है ? मंत्री महोदय ने इस बात पर नहीं सोचा । उन्होंने कहा कि सहमति पत्र पर दस्तखत हुए हैं । सहमति पत्र पर किसके दस्तखत हुए हैं ? मण्डल के ग्रध्यक्ष के, जिनके मजबूरी में ग्राकर ग्रपने एक्ट में निर्णय करना पड़ा । उस पर दस्तखत हुए उस ग्रार. ए. एस. ग्राफिसर के जो वहां प्रशासक था । माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं ग्रापके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह षड़यन्त्र राजस्थान में बरसों से चलता ग्रा रहा है ।

श्री सभापति : ग्रब ग्राप रिपीट कर रहे हैं, तीसरी दफा कह रहे हैं यह बात ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : प्रशासनिक ग्रधिकारी प्रत्येक विभाग के ग्रन्दर काबिज होना चाहते हैं कि ऊपर ग्राई. ए. एस. बैठा हो नीचे ग्रार. ए. एस. बैठा हो, दोनों का तालमेल बैठ जाए ग्रौर उसके बाद उन विभागों का शोषण किया जाए । मैं राज्य सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस तरह के जो निर्णय होने वाले हैं उन निर्णयों की ग्रोर मेहरबानी करके देखें ।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अन्त में मैं, मंत्री महोदय, आप से निवेदन करूंगा कि इस षड़यन्त्र के शिकार मत बनिये, विवेक से सोचिये। क्योंकि बोर्ड को जो नुकसान होने वाला है उसकी पूर्ति राज्य सरकार नहीं करने वाली है, इस देश का गरीब व्यक्ति जो इम्तिहान देता है, उसकी फीस लगेगी।

श्री सभापति : आप कह चुके ये बातें, बिराजिये, मंत्रीजी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : फीस लगने के बाद उसके साथ अन्याय होगा। धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पाठ्य पुस्तक मण्डल की अकर्मण्यता देखकर, उनकी प्रकाशित पुस्तकों में अशुद्धियां देखकर बहुत भारी विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि बोर्ड पुस्तकें प्रकाशित करे। एक तरह से बोर्ड की मुहर हटकर मण्डल की मुहर लग जाए केवल यही आप करना चाह रहे हैं और यह सारा कुछ मामला बोर्ड को हानि पहुंचाने का कर रहे हैं। इस समझौते को रद्द करना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। अगर पाठ्य पुस्तक मण्डल को यह कार्य दे दिया गया तो निश्चित रूप से बोर्ड को तो हानि होगी, छात्रों की भी हानि होगी।

श्री सभापति : यह बात कह चुके हैं, कोई नयी बात हो तो बतायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक जो छवि बनी हुई है राज्य सरकार के इस विभाग की कि हम पुस्तकें प्रकाशित करके देते हैं और समय पर मिल जाती हैं। पाठ्य पुस्तक मण्डल उसको दे सकेगा, मुझे इसमें सन्देह है। आप इस समझौते को रद्द करें और विचार करें कि बोर्ड ही पुस्तकें प्रकाशित करे।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापतिजी, यह जो मामला उठाया गया है जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की गयी है, उसमें एक छिपा हुआ उद्देश्य है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विद्यार्थियों को अच्छी पुस्तकें सुलभ करायी जाएं। मामला महज बोर्ड और मण्डल का नहीं है, यह सुनियोजित प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश किस तरीके से किया जाए। माननीय सदस्य ने राज्यपाल शासन के बारे में कुछ कहा है। राज्यपाल शासन में जो निर्णय लिया गया उस आधार का निर्णय अनेक प्रान्तों में लिया जा चुका है। मण्डल और बोर्ड के झगड़े में एक बोर्ड का पक्ष ले ले और दूसरा मण्डल का ले ले, केवल मात्र इससे विद्यार्थियों का भला नहीं होने वाला है। उधर से ज्यादा लालायित हैं कि कौनसा रास्ता निकाला जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति को घुसाया जाए और फिर उनको एक तरीके से इनडोक्ट्रिनेट किया जाए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस मामले में ऐसा निर्णय लें, मण्डल कार्य कर रहा है, करते रहने दीजिए। मण्डल को यदि सर्टिफिकेट दिया गया है तो अधिकारियों की स्वतन्त्रता में विश्वास रखिये। राष्ट्रपति शासन के ...

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय धनखड़ साहब।

श्री जगदीप धनखड़ : ....से दूर रहिये। पुस्तकें सुलभ कराइये, इस चीज पर ध्यान दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह विषय यहां लाकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि यह काम बोर्ड में ही अच्छा चल रहा था, यहां बिगड़ जाएगा। मैं सोचता हूं कि इसके पीछे का जो मंतव्य था वह यही था कि पुस्तकों के प्रकाशन का काम पाठ्य पुस्तक मण्डल कर रहा है, पाण्डुलिपि तो बोर्ड ही तैयार कर रहा है, तो सब्जैक्ट मैटर में तो किसी प्रकार का कोई सन्देह होने का प्रश्न ही नहीं। आगे भी वही बनायेंगे और उसको प्रिण्ट करने का काम ये करेंगे, पुस्तकें छापने का और सब काम। इस बात को ध्यान में रखकर कि पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं होतीं, पिछले दो-तीन सालों से हम सब का अनुभव रहा होगा कि नवम्बर तक भी बोर्ड अपनी पुस्तकों का वितरण नहीं कर पाता। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि बोर्ड का सेण्टर रहता था पुस्तकों का अजमेर और जितने व्यापारी थे वे अजमेर से किताबें लेकर जाते थे और फिर अपने-अपने स्थान पर बेचते थे। वे ले जाने के बाद भी उसका समय पर वितरण नहीं करते और उसकी कमी को अनुभव कराते। उसके साथ कुछ कुंजियां और लगाकर वे वितरण करने वाले लोग देते। पाठ्यपुस्तक मण्डल का अपना वितरण का एक सिस्टम है। उन्होंने अपने 33 डिपो लगा रखे हैं, सारी पुस्तकों को उठाकर उन डिपो तक पहुंचाने का काम भी वही करते हैं ताकि हरेक जिले में पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो जाएं और जिला हैडक्वार्टर से ही वितरण करने वाले जितने व्यापारी हैं वे भी ले जाएं। व्यवस्था यह की कि विद्यालय स्वयं भी अपनी पुस्तकें ले जाना चाहें तो 15 प्रतिशत का कमीशन विद्यालय को भी मिलता है। उस कारण से, आपको पिछले दो सालों का अनुभव होगा कि एक दिन भी किसी जगह यह कमी महसूस नहीं की गयी कि आज किताबें उपलब्ध नहीं हैं।

इसी के साथ इच्छा यह भी होती है कि उसकी प्रिण्टिंग और उसका कागज भी ठीक हो। मैं सदन के सामने ये दोनों बातें भी रखना चाहता हूं कि यह पाठ्य पुस्तक मण्डल में लेकर हमने कोई गुनाह नहीं किया। कारण यह है कि बोर्ड प्रिंटिग प्रेस को दे देता है और वे अपने हिसाब से किताबें छापते हैं। जिस शर्त के आधार पर वे छापना तय करते हैं वैसा तो कागज लगाते नहीं, हल्का कागज लगाकर उसकी पूर्ति कर देते हैं। इसमें से आप एक-एक को छांटकर भी लें, यह किताब बोर्ड की बनी हुई है, इसके पेपर को अगर हम देखें कि इसका पेपर किस स्तर का है और कैसा है। और इधर पाठ्य मण्डल ने जो पुस्तक तैयार की है उसका पेपर कैसा है। कारण यह है कि पाठ्य पुस्तक मण्डल, पेपर की सप्लाई स्वयं करता है। और अपने ही द्वारा दिये गये पेपर के ऊपर ही यह प्रिण्टिंग होती है। जबकि जिस प्रेस में भी इसको प्रिण्ट कराते हैं वह अपने हिसाब से कुछ स्पेसीमैन कापी दिखाने के लिये तो ऐसी छाप देगा जिसमें वह पेपर होगा लेकिन बाद में उसको जैसा कागज मिला वैसे कागज को वह लगा देता है। उसके कारण से इस अन्तर को ही कम करने की कोशिश की है। यह सारी की सारी प्रिंटिग आफ-सेट

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मशीन से है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने पाठ्य पुस्तक मण्डल ने जो किताबें छापी हैं और जो बोर्ड ने पहले प्रिण्ट की हैं इन दोनों को आपके सामने रखता हूं। इसके बाद भी, इतनी रेट बढ़ जाने के बाद भी पाठ्य पुस्तक मण्डल ने किसी प्रकार की इन पुस्तकों की रेट नहीं बढ़ायी। हर साल कुछ न कुछ कीमत बढ़ जाती है, 15 पर्सेंट, 20 पर्सेंट। यह सोच-कर कि यह कम से कम मूल्य पर बालक को उपलब्ध हों, अच्छी प्रकार की उपलब्ध हों, समय पर उपलब्ध हों, इसको ही ध्यान में रख कर किया है।

एक और सवाल खड़ा किया गया कि इससे बोर्ड को हानि होगी। मेरे पास बोर्ड के वे सारे आंकड़े हैं जिनको उन्होंने दिखाया है कि हमने इसमें से कुछ आमदनी प्राप्त की है। आपको इन आंकड़ों को देखकर बड़ा आश्चर्य होगा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इन्होंने बताया कि हमने 1989-90 में 66 लाख 12 हजार की बचत की है। अब मैं आपको इसका डिटेल बताता हूं कि बचत कैसे की। प्रिण्टिंग करने में कागज और मुद्रण पर 62 लाख रुपया, संस्थापन पर 2·4 लाख, लेखकों को रायल्टी दी 97 हजार और ट्रांसपोर्ट का इन्होंने 72 हजार रुपया खर्च किया। यह जो इनका कुल खर्चा है वह 66 लाख रुपये है और इन्होंने जो आय बतायी है वह 122.22 बतायी है। जब प्रिण्टिंग ही आपने इतनी की और खर्चा इतना हुआ तो आपको यह 122 लाख रुपये की आमदनी कहां से हो गयी ? इसका मतलब पुराना स्टॉक भी जो आपने बेचा, उसको आपने उस साल की इन्कम में डालकर 66 लाख 12 हजार की आय बता दी। यह 1989-90 में होती तो समझ में आती है, दूसरे साल यही आय घटकर 30 लाख हो गयी, उसमें इधर की जो किताबें बचीं उसको दूसरे साल में बेचने को दिखाकर के इन आंकड़ों को दिखाने की कोशिश की। इसके बाद तीसरे साल 1991-92 में इनकी इन्कम 6.58 लाख हुई। कहां 62 लाख की इन्कम बताते हैं 1989-90 में, 1990 में आकर के वह 30 लाख रह जाती है और 1991 में वह 6 लाख रह जाती है और फिर अगले साल वापस 33.7 लाख बताते हैं। तो जो किताबें आगे के साल में बेचते हैं उनको अपनी आय बताया जबकि वास्तव में न तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह हेतु है कि इसमें से कोई आय की जाए और उसे आय कमाने का कोई सोर्स बनाया जाए। अगर यह आय का स्रोत बनायेगा तो बच्चे को ही इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और कोई तो अदा नहीं कर सकेगा। हमारे बच्चों पर कीमत का वजन नहीं पड़े, उनको भार न लगे, उसी कीमत में जब हम उनको निश्चित रूप से दे रहे हैं तो यह कहना कि बोर्ड को इससे कोई आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, यह नहीं है।

बोर्ड जिनसे भी पुस्तकें लिखवाता है उनको रायल्टी हम उन्हीं नियमों से देते हैं जिन नियमों से बोर्ड देता है। केवल सवाल यह है कि यह बोर्ड के द्वारा प्रेस में कौन छपाये और कौन नहीं छपाये, यह वास्तव में जो झगड़े का मुद्दा है वह यह है कि हरेक का इण्ट्रेस्ट इसमें रहता है, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो कि किसके हाथ में यह सारा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चंगुल फंसा रहे और उसके कारण से उसको कहीं नुकसान न हो जाय। यहां पर यह सवाल नहीं है कि पुस्तकें समय पर मिलें, अच्छी मिलें, अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो।

मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि पाठ्य पुस्तक मण्डल के द्वारा पुस्तकें निश्चित रूप से समय पर पहुंचेंगी, हर विद्यालय में पहुंचेगी। और अब तो हम प्रयास यह कर रहे हैं कि विद्यालय के माध्यम से ही सारी पुस्तकें वितरण करायें ताकि बच्चों को जो फालतू कुंजी और कुछ लगाकर के किताब देते हैं, एक किताब उपलब्ध नहीं होती है तो वे कहते हैं कि किताब तब देंगे जब इसके साथ इसकी कुंजी लोगे। इस सारी समस्या का निदान करने की दृष्टि से यह व्यवस्था की है और मैं सोचता हूं कि बोर्ड को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी जितनी रायल्टी इसके कारण से बनेगी वह रायल्टी उनको निश्चित रूप से मिलेगी और इसके बाद भी अगर इसमें कोई अड़चन है तो बैठकर इस पर विचार किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो व्यवस्था की है, अगर एक ही स्थान पर सारी प्रिण्टिंग होगी तो उनका काम केवल प्रिण्टिंग और उसका सारा काम देखना रहेगा। बोर्ड के पास और कई प्रकार के काम हैं। केवल प्रेस को देना और लेना, इसमें व्यस्त हो जाय और इसमें अपनी शक्ति का अपव्यय करे, यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को आप अस्वीकार करें।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री जगदीप धनखड़ गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान) .. आपने विस्तार से सब प्रश्न पूछ लिये। आपको पूरा आश्वासन दे दिया गया है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपसे केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, माननीय मंत्रीजी ने जो कहानी सुनायी है वह इनको जो समझा दिया वह है। यह जो पुस्तकें हैं ये पुस्तकें बड़ी मुश्किल से 1990 में जब हमारी सरकार बनी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें प्रकाशक ही छापते थे और उन लोगों से बहुत मुश्किल से, उनसे मुकदमा लड़ा बोर्ड ने और बोर्ड ने मुकदमा लड़ने के बाद यह छापने का अधिकार बोर्ड ने लिया। बोर्ड ने जो किताबें छापी हैं उनका कागज भी देख लीजिएगा यह जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को आप पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने मण्डल की जो पुस्तकें हैं उनके कागज को एवरेज बताया है और यह किसी भी ऐसी निष्पक्ष एजेन्सी के द्वारा आप दोनों पुस्तकों की तुलना करायें। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे यह भी निवेदन कर रहा हूं कि आपने जिस सहज भाव से कह दिया कि वह केवल प्रेस में कौन पहुंचावें, इस बात की लड़ाई है, यह नहीं है। यह शिक्षा की प्रक्रिया, इसके उद्देश्य, इसके पाठ्यक्रम, इसकी पुस्तक यह सारे के सारे साथ चलते हैं।....

श्री सभापति : माननीय श्री सनाढ्यजी, बिराजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : प्रेस तक ही पहुंचाने का सवाल नहीं है। आपने जो इन्कम की बात कही, मैं आपसे कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : यह चर्चा एक सीमा तक हो सकती है । बहुत पाइण्ट्स पर नहीं जा सकते । आपका कोई अन्तिम प्रश्न हो तो पूछ लीजिये वरना बिराजिये आप ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इन्होंने जो आंकड़ें दिये हैं, मैं केवल ये आंकड़ें ..

श्री सभापति : आप केवल मात्र कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिये अथवा बिराजिये ...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : तीन लाइन के आंकड़ें हैं, माननीय सभापति महोदय ...

श्री रतन लाल ताम्बी : इस चर्चा में मैं भी भाग लेना चाहता हूं ।

श्री सभापति : बिराजिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : 1990-91 तक यहां पर शिक्षा विभाग का ही राज था। लेकिन जब हमारा राज आया 1990-91 के अन्दर तो रायल्टी से जो बोर्ड को प्राप्त हुआ है वह 1991-92 में 33 लाख 12 हजार 500 रुपये प्राप्त हुआ है । 1992-93 में जो प्राप्त हुआ वह 73 लाख 29 हजार और 463 ...

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं, वह पूछ लीजिएगा । इन आंकड़ों में नहीं जाया जा सकता है । ऐसे तो सारा दिन लग जाएगा इसी मामले पर ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं सभापति महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बोर्ड लाभ की दृष्टि से नहीं लेकिन उसने अपने भण्डारण करके, अपने गोदामों में रखकर, अपने लोगों से काम कराकर के यह मण्डल का आप एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा देख लीजिएगा और बोर्ड 124 पुस्तकें छापता है, ये 28 पुस्तकें छापते हैं । इनका जितना भी खर्चा हैं उसको देख लें और बोर्ड के खर्चे को देख लें और दोनों की तुलना करने के बाद देख लें । माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप तो मुझे यह बता दीजिएगा कि बोर्ड का मूल्य निर्धारण का फार्मूला क्या है और पाठ्य पुस्तक मण्डल का मूल्य निर्धारण का फार्मूला क्या है ?

श्री सभापति : दोनों का एक ही फार्मूला है, नो-प्रोफिट नो-लोस से बच्चों को किताबें मिलें । एक ही फार्मूला है दोनों का ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं इन दोनों के फार्मूले में फर्क है और फर्क के कारण से बोर्ड तो अपने बच्चों के लिए, अपने टीचर्स के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए उस रुपये को बचाकर किसी भी तरीके से काम करता है और यह आपका जो पाठ्य पुस्तक मण्डल है इसके व्यय को आप देख लीजिएगा कि यह किस पर खर्चा करता है, वह कौनसा शैक्षणिक काम करता है । केवल किताबें छापता है, व्यवसाय करता है और उस व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को लाभ पहुंचता है । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करता है और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह जो निर्णय है इसको आप अपनी जिद्द मत बनाइये (व्यवधान)....

श्री सभापति : आप यह बता चुके हैं, माननीय सदस्य । आप बिराजिये । यह

(श्री सभापति)

आप सारी बातें बता चुके हैं। अब आप रिपीट कर रहे हैं, कृपया विराजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आप मेहरबानी कर पुर्नविचार करें और किसी निष्पक्ष एजेन्सी को इस निर्णय को दिखायें तो उचित रहेगा।

श्री सभापति : आप कुछ जवाब देना चाहेंगे, माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने उत्तर में कहा है कि इसमें कोई मुनाफा कमाने की हमारी मंशा नहीं है, न इच्छा है.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया विराजिये। सुन लीजिए जो मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हम मुनाफा नहीं कमा रहे उससे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मुनाफा कमाने का कोई दृष्टिकोण नहीं है और पाण्डुलिपि स्वयं बोर्ड बनाता है। केवल प्रिण्टिंग का काम, क्योंकि हमारी एक एजेन्सी है जो कक्षा एक से आठ तक की सारी पुस्तकों को छापने का काम करती है। उसी एजेन्सी को अगर यह सारी किताबें छापने का भी काम दे दिया जाए और उसके उसी सैट-अप में इतनी बड़ी व्यवस्था और हो सकती है और वहां का जो स्टाफ सरप्लस हो रहा है उसको भी वे खपाने के लिये तैयार हैं, तो मैं सोचता हूं कोई ऐसी अव्यवस्था या कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। माननीय सदस्य अगर कोई ऐसी बात लाएंगे जिसके कारण से बोर्ड को उससे नुकसान होने वाली बात होगी तो उस पर बैठकर के फिर से विचार किया जा सकता है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपको निर्णय करना पड़ेगा (व्यवधान) शिक्षा मंत्रीजी वापस देनी पड़ेंगी यह पुस्तकें।

(14.00)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। श्री जगदीप धनखड़, केवल ध्यानाकर्षण कीजिए। उसके बाद में जो कुछ पूछना हो वह पूछ लेना।

ग्राम मेहरु खुर्द (अजमेर) में आतंक एवं दहशत से उत्पन्न स्थिति

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत अजमेर-भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित केकड़ी तहसील के ग्राम मेहरू खुर्द की जनता में व्याप्त आतंक एवं दहशत से उत्पन्न स्थिति के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सम्मिलित बिन्दुओं के विषय में मैंने सम्बद्ध पुलिस रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है जिससे प्रस्ताव में सामंतवाद के कारण जनता में व्याप्त दहशत का वातावरण तथा पिछड़े वर्गों में इसके परिणामस्वरूप तीन

(श्री कैलाश मेघवाल)

व्यक्तियों की मृत्यु होने को अंकित आक्षेप सत्य नहीं पाये गये हैं बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि ग्राम मेहरु खुर्द की कृषि भूमि खसरा नम्बर 61 व 62, रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा पूर्व में श्री प्रतापसिंह पुत्र भवानादास चारण की खातेदारी में थी, जिसे उसने वर्ष 1977 में सीलिंग कानून के अन्तर्गत समर्पित की। यद्यपि उक्त भूमि पर सम्वत् 2008 से लच्छा उर्फ लक्ष्मण रैंगर का कब्जा काश्त था। तद्नुसार इस भूमि की खातेदारी प्रतापसिंह के बेचान के आधार पर बंदोबस्त में श्री लच्छा के नाम कर दी गयी थी।

श्री प्रतापसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष श्री लच्छा रैंगर और 6 अन्य के विरुद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणात्मक-वाद प्रस्तुत किया गया और उस में उक्त अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत दिनांक 10-10-1984 को इस आशय की निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न करने को पाबंद किया जाए, जिसे दिनांक 9-11-1984 को स्वीकार किया गया। किन्तु उभय पक्ष में राजीनामा हो जाने और उसके धारा 42 के विरुद्ध पाये जाने पर उक्त वाद और अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 31-7-1987 को खारिज की गयी, जिसे अपील होने पर प्रकरण गुणावगुण आधार पर निर्णय किये जाने हेतु दिनांक 6-3-1992 को रिमाण्ड किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी ने पुनः दिनांक 28-7-1993 को लच्छा वगैरह को पूर्व पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा से पुनः पाबंद कर दिया। इसके विरुद्ध लच्छा द्वारा अपील करने पर आर. ए. ए. ने दिनांक 24-12-1993 को अपील स्वीकार करते हुए उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया। इसके विरुद्ध निगरानी होने पर राजस्व मण्डल, राजस्थान ने अपने आदेश दिनांक 4-2-1994 के अन्तर्गत आदेश दिनांक (4-2-1994) की स्थिति अग्रिम आदेश तक यथावत रखने की आज्ञा प्रदान की।

यह उल्लेखनीय है कि इस भूमि का अपने नाम नामान्तरकरण दिनांक 5-12-1992 को अपने नाम तस्दीक करवा लिया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्ष में पुराना विवाद है और वह अभी भी राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

यह सत्य है कि श्री प्रतापसिंह व लच्छा आदि के विरुद्ध समय-समय पर पुलिस में आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किए गये हैं किन्तु उक्त परिवादों में से 5 में अनुसंधान समाप्त कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं। केवल एक परिवाद में श्री लच्छा व अन्य चार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 447 व 34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत मई, 1992 में न्यायिक दण्डनायक, केकड़ी के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया है और केवल एक अभियोग अन्वीक्षाधीन है।

यह भी सही है कि दिनांक 2-3-1994 को थानाधिकारी, सावर द्वारा श्री प्रतापसिंह

(श्री कैलाश मेघवाल)

व भैंरूंसिंह और लच्छा व 6 अन्य के विरुद्ध धारा 145, 107, 116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दोनों पक्षों को पाबंद करने व भूमि कुर्क करने को इस्तगासा शान्ति भंग होने का व दोनों पक्षों में भूमि पर विवाद होना दर्शाते हुए प्रस्तुत किया, जो अभी विचाराधीन है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें दो बिन्दुओं पर सावधानीपूर्वक आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा और माननीय सदस्यों से भी निवेदन कर दूं कि राजस्व मामलों का जहां तक मामला है, राजस्व मंत्रीजी से मैं चर्चा नहीं कर सका इसलिए जो कुछ भी इस बारे में है वह सब्जैक्ट टू करेक्शन राजस्व न्यायालय के दूसरा यह प्रकरण अभी विचाराधीन है रेवेन्यू बोर्ड में उस बारे में यहां की ओपिनियन या यहां की टिप्पणी उस विवाद को प्रभावित नहीं करे और तथ्यों के आधार पर ही हम इस पर चर्चा करें तो ठीक रहेगा, इसका थोड़ा ध्यान रखें।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापतिजी, अनुसूचित जाति / जन-जाति के लोगों में जो असुरक्षा की भावना व्याप्त है उस पर अंकुश लगाना मैं समझता हूं, इस सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। कानून इस विषय में बहुत बने हैं पर उन कानूनों की सख्ती से कोई पालना नहीं हो रही है और जिस प्रकार की राहत अनुसूचित जाति/जन-जाति के लोगों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। खेद का विषय है कि प्रशासन भी इन मामलों में पिछड़े वर्ग का पक्ष नहीं लेता है और जब कभी निर्णायक स्थिति पैदा होती है, उनके हितों पर सीधा कुठाराघात हो जाता है।

मैं कहना चाहूंगा कि जब शून्यकाल में 23 मार्च को यह मामला उठाया गया था तो माननीय गृह मंत्रीजी ने अपना एक रिएक्शन दिया। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जब वह राजस्थान के गृह मंत्री बने, राजस्थान के पिछड़े वर्ग में उम्मीद की एक लहर जागी। वैसे उन्होंने अब तक हमको निराश नहीं किया है, यद्यपि वह इस वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने में अभी बहुत सफल नहीं हुए हैं। भूमि सुधार और पिछड़े वर्ग का विकास जुड़ा हुआ है। अनेक कानून बनाकर इनको भूमि दी गयी है, पूरे प्रदेश में बहुत जबर्दस्त स्थिति है, माननीय गृह मंत्रीजी, वह यह है कि जहां भी भूमि कीमती है, अच्छी भूमि है, शहरों के नजदीक है, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की है, आप जांच करवा लें, उस भूमि पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों का कब्जा नहीं है। उस भूमि पर कब्जा किन्हीं अन्य लोगों का है और वह इन्तजार कर रहे हैं कि वह दिन कब आये कि जब कानून में तब्दीली हो और हमें उस बेशकीमती भूमि का अधिकार मिल जाए।

माननीय गृह मंत्रीजी, इस प्रकरण को आप अकेला प्रकरण नहीं मानें। इस प्रकरण से जो स्थिति उजागर हुई है, जिस किसी भी पत्रकार ने इन्वेस्टिगेट करके इस स्थिति को ऊपर उठाया है उसकी तो आप गहराई में जाएंगे ही, आप इस प्रकार की

(श्री जगदीप धनखड़)

भावना व्यक्त कर चुके हैं और हमें भी उस भावना पर विश्वास है, पर इस स्थिति को पूरे प्रान्त की स्थिति मानते हुए, राजस्व मंत्रीजी हैं नहीं, मैं उनको खास तौर से इस बारे में कहता कि जहां राजस्थान में अनुसूचित जाति/जन-जाति के लोगों की करोड़ों की भूमि जो रिकार्ड में तो उनके नाम पर है, कानून इनके एलीनियेशन को परमिट नहीं करता कि वह किसी नोन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दे दी जाए, पर उस भूमि का लाभ न तो उन लोगों को मिल रहा है, न वास्तविक रूप से कब्जा उनका है और जहां कहीं भी ऐसे मुकद्मे हैं प्रशासन अटकलबाजी में उन लोगों को फसा देता है, कोई उनकी मदद नहीं करता है।

माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से विशेष आग्रह करूंगा कि समाज के कमजोर लोगों को आपकी खाकी वर्दी का बड़ा डर लगता है। गरीब तबके के लोगों की लोकेलिटी में जब कोई पुलिस वाला खाकी वर्दी पहन कर आता है, यदि अगर वह न्यायालय का भी नोटिस लाता है तो भी गरीब को डर लगता है कि कहीं यह नोन बेलेबल वारण्ट तो नहीं है। इस असुरक्षा की भावना पर काबू पाने के लिए माननीय गृह मंत्रीजी को कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे और एक ठोस निर्णय, माननीय गृह मंत्रीजी, यह हो सकता है कि राजस्थान के थानों में आप इस प्रकार की व्यवस्था करें, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल काम है हो नहीं पाएगा किन्तु प्रयास अवश्य करें कि सामंतवादी व्यवस्था जो थानों में, जब भी आप राज में आते हैं स्थापित हो जाती है, श्री कैलाशजी मेघवाल को तो तब बनाया जाता है जब इस प्रकार की व्यवस्था थोड़ी बहुत एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो मेरा सरकार से दो बातों पर विशेष रूप से अनुरोध है कि यदि माननीय गृह मंत्रीजी इक्का-दुक्का मामलों में जो सदन में उठा दिऐ, कार्यवाही करते रहे तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। इसमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिसके तहत कोई भी गरीब तबके का आदमी, एस. सी. एस. टी. का आदमी यदि अपने आपको पीड़ित महसूस करता है, वह पाता है कि उसके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, प्रशासन उसका पक्ष नहीं ले रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है तो राज्य में जयपुर स्तर पर, माननीय गृह मंत्रीजी, आपके विभाग में तो कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था हो कि न तो उसको जन-प्रतिनिधि की आवश्यकता होनी चाहिए, न आपके पास आने की आवश्यकता होनी चाहिए। मात्र उस पर्टीकुलर जो भी आप सेल क्रिएट करें, उसमें सूचना दे दे तो बहुत ही उच्च स्तर पर इस बात की व्यवस्था हो जाए।

दूसरी बात, राजस्व मंत्रीजी हैं नहीं, जमीन के मामलों में जो भी विवाद उत्पन्न होता है वह मात्र जमीन तक सीमित नहीं रहता। पहले वह रेवेन्यू लिटिगेशन होता है, फिर बहुत ही जल्द वह क्रिमिनल लिटिगेशन का शेप ले लेता है और इस प्रकार की जब बात शुरू हो जाती है तो गरीब तबके के लोगों की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, यदि किसी आदमी को न्यायालय में मुकद्मे के लिए जाना पड़

(श्री जगदीप धनखड़)

गया, रेवेन्यू लिटिगेशन हो, चाहे क्रिमिनल लिटिगेशन हो, तो जो उसकी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, वह एक तरीके से टूट जाती है तो ऐसा प्रयास किया जाए, माननीय गृह मंत्रीजी, कि इन लोगों को न्याय आप इन्वेस्टीगेशन के लेवल पर दिलवाएं।

राजस्व मंत्रीजी को जो मैंने बात कही है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय में एक मुकद्मा आया, आदेश पारित किया गया....

श्री सभापति : उनका ध्यान तो आपने आकर्षित किया नहीं है। आपने तो गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है, इन्हीं तक सीमित रहें तो अच्छा रहेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने तो सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, पर राजस्व मंत्रीजी हैं नहीं, इस पर मेरा बस तो चलता नहीं।

श्री सभापति : आपने ध्यान आकर्षित किया है गृह मंत्रीजी का।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं नहीं, गृह मंत्रीजी थे मैंने लिखित में तो सरकार का ही ध्यान आकर्षित किया है। राजस्व मंत्रीजी से मैंने जब शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया तब मैंने कहा कि इस प्रकार की खबर जब 22 तारीख को छप गयी। मैं मानता था कि राजस्व मंत्रीजी का कोई भी कर्मचारी, जो उनके नीचे काम करता है, वह जरूर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा, धनखड़जी, मैंने इस बात को देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है तो मैंने कहा, मंत्रीजी, हम प्रक्रिया से इस बात को उठायेंगे, कृपया अब आप इस बात पर पूरा अध्ययन कर लें। बहुत अच्छा होता कि माननीय राजस्व मंत्रीजी भी आज यहां होते, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने कुछ वर्षों पूर्व एक आदेश पारित किया था कि एस. सी./एस. टी. की करोड़ों की जमीन अनधिकृत कब्जे में है, उसका कब्जा वापस उन लोगों को सरकार दिलवाये, उसकी अनुपालना भी नहीं हुई है। इस प्रकार का संकट गरीब लोगों पर आता रहेगा, अगर सरकार ने, मैं नहीं कहता गृह मंत्रीजी, राजस्व मत्रीजी, सरकार ने अगर इस मामले में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया होता ..

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति महोदय, उस समय यह निर्णय हुआ है और चैयर की तरफ से यह आब्जर्वेशन दिया गया मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, यह मामला मुझे ऐसा दिख रहा है कि यह दोनों ही विभाग से सम्बन्ध रखने वाला है, रेवेन्यू से और गृह विभाग से। चैयर ने यह आब्जर्वेशन दे दिया कि दोनों ही मिनिस्टर्स परामर्श करने के बाद में स्टेटमेंट देंगे। आपने राजस्व मंत्रीजी से परामर्श किया कि नहीं ? क्योंकि मुझे अपेरेंटली और सीमिंगली यह दिख रहा था कि यह मैटर रेवेन्यू से भी सम्बन्ध रखने वाला है और आप, पुलिस का मामला है 145 का, कुर्की का हिसाब करके और एफ. आर. देखकर यहां पधार गये। आपने राजस्व मंत्रीजी से, आप वहां पर प्रतिनिधि रहे हुए हैं, आप जानते हैं कि मैटर सैटलमेंट और रेवेन्यू विभाग से सम्बन्ध रखने वाला

(श्री परसराम मदेरणा)

है, दोनों का स्टेटमैंट साथ मिलकर के ही आना चाहिए था। आप सिर्फ एक आस्पेक्ट पर ही स्टेटमैंट देने जा रहे हैं और यह उस समय चैयर का आब्जेर्वेशन था आप चैयर के ...

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा प्रतिपक्ष के नेता महोदय को करेक्ट करूंगा, कि स्टेटमेंट दोनों मिलकर देंगे, ऐसा निर्देश नहीं था, दोनों मिलकर इसको देखेंगे क्योंकि यह स्टेटमेंट नहीं आया है। यह 131 के अन्तर्गत मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है, पुलिस के द्वारा जो वहां पर रोल किया जा रहा है उसके बारे में और इसलिए मैं सोचता हूं कि राजस्व में तो यह रेवेन्यू बोर्ड में पेंडिंग हो गया, 145 की कार्यवाही भी वहां एस. डी. ओ. को दे दी गई है लेकिन मेरी पुलिस इसमें कितनी इन्वाल्व्ड है और मैं किस सीमा तक पुलिस के माध्यम से राहत दे सकता हूं, वह मैं आपके सामने स्पष्ट स्थिति रख दूंगा आपकी बहस होने के बाद में, क्योंकि राजस्व मामले में मैंने तो कहा है कि I am always open to correct. राजस्व के मामले में मैं इसमें....

श्री परसराम मदेरणा : गृह मंत्रीजी, जब आप स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, ध्यानाकर्षण का इन्होंने स्टेटमेंट दिया है....

श्री कैलाश मेघवाल : स्टेटमेंट नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : स्टेटमेंट क्या होता है ?

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है....

श्री परसराम मदेरणा : कालिंग अटेंशन का स्टेटमेंट अगर यह नहीं है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य रूल्स आफ प्रोसीजर और कंडक्ट आफ बिजनस से कम्प्लीटली इग्नोरेंट हैं। स्टेटमेंट दिया जाता है कालिंग अटेन्शन के ऊपर स्टेटमेंट कन्सर्निंग प्रभारी मंत्री देते हैं और प्रभारी मंत्री अभी स्टेटमेंट अभी आप क्या पढ़ रहे थे ?

श्री कैलाश मेघवाल : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मेरा वक्तव्य पढ़ रहा था, उसी वक्तव्य पर बहस चल रही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह कोई बगड़ावत था क्या अजमेर डिस्ट्रिक्ट का, यह कोई बगड़ावत का गीत था क्या ? This was a statement from the Home Minister. What else is the statement ? There is no other statement.

श्री कैलाश मेघवाल : अंग्रेजी तो आपसे पढ़ूंगा मैं, मोटवानीजी।

श्री परसराम मदेरणा : हमेशा बिजनेस के अन्दर ध्यानाकर्षण के वक्त ध्यानाकर्षण करते ही आप जो स्टेटमेंट देते हैं वह आपका वक्तव्य होता है और यह वह वक्तव्य है और क्या है। आप अलग हो गये, मेरी पुलिस, मेरी पुलिस, आपकी पुलिस तो है।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

यहां पर दो व्यवस्थाएं हैं। एक स्टेटमेंट वह होता है जो आसन के आदेश से कि इस विषय पर आज मंत्री वक्तव्य देगा, एक स्थिति यह होती है। और एक स्थिति यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये ध्यान आकर्षित किया जाएगा तब अपना वक्तव्य देगा। यह उस श्रेणी का वक्तव्य नहीं है, यह ध्यानाकर्षण की श्रेणी का वक्तव्य है। यह मैं डिस्टिंग्विस करना चाहता था।

श्री सभापति : यह केवल सीमित ध्यानाकर्षण है कि "अजमेर-भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित केकड़ी तहसील के ग्राम मेहरू खुर्द की जनता में व्याप्त आतंक एवं दहशत से उत्पन्न स्थिति" केवल मात्र बहुत ही सीमित प्रस्ताव है जिसका माननीय गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है। आज यह स्टेटमेंट वैसा नहीं है जिसमें पूरी की पूरी स्थिति का विश्लेषण किया गया हो। माननीय रामस्वरूप मीणा।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, उन गरीबों को न्याय तो मिला नहीं है इसलिए उस वक्त में ...

श्री सभापति : इस बात को दुबारा नियमों के अन्तर्गत उठाया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : आसन ने जो व्यवस्था दी थी, उसकी अनुपालना नहीं हुई है और आसन के निर्देशों की अनुपालना होनी चाहिए। अगर लिमिटेड स्कोप था तो ठीक था, लिमिटेड स्कोप पर आपने वक्तव्य दे दिया लेकिन आपकी संवेदनशीलता कहां गायब हो गयी है ?

श्री सभापति : वह उस दिन वाली बात फिर, किसी अन्य दिन आ जाएगी। माननीय रामस्वरूप मीणा।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : जो भी प्रकरण आपने बताया है, पुलिस का प्रकरण जो बना, उसका उद्भव कैसे हुआ, रेवेन्यू मैटर से ही तो हुआ, खुद भी मान रहे हैं कि रेवेन्यू प्रकरणों के कारण से ही यह पुलिसी कारक बना, तो आखिर इनकी उसकी भी तो कोई जवाबदेही करनी चाहिए ..

श्री सभापति : केवल मात्र वहां की जनता में आतंक व्याप्त हो गया है या दहशत है, ऐसा कुछ बयान किया गया है, उसके सिलसिले में आपने स्टेटमेंट दिया है, इसी बारे में चर्चा सीमित रहेगी।

श्री किशन मोटवानी : वह तो उन्होंने कह दिया कि नहीं है, जमीन उसकी सीलिंग में थी, जिसको उस जमीन के पास ही ...

श्री सभापति : उन्होंने पहले भी कह दिया इसलिए पुनः 131 के तहत आवश्यक हो तो प्रस्ताव रेवेन्यू मंत्रीजी के समक्ष लाया जा सकता है। माननीय रामस्वरूप मीणा।

एक माननीय सदस्य : इससे दहशत और भय कहां मिटा ?

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला अजमेर और मेहरू खुर्द का है, आपने यह कहकर इस मामले को टाल दिया कि रेवेन्यू का मामला है, राजस्व डिपार्टमेंट का मामला

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है केस चल रहे हैं तो फिर हमको सदन के बीच में आकर आपसे इस बात पर ध्यानाकर्षण करने की क्या आवश्यकता थी ? वह तो हम पहले ही जानते थे कि आप बात को टालेंगे। आप जब मंत्री बने थे तो सारे सदन को इस बात की खुशी हुई थी, लोगों की आशाएं थीं और बहुत दिनों से इन्तजार था कि इस पद पर कोई एस.सी./एस.टी. का आकर बैठेगा तो वह इन लोगों का भला भी कर सकेगा और इसी आशा के साथ आप इस पद पर गौरवान्वित हुए और उस दिन इस बात पर हम प्रतिपक्ष वालों ने भी ताली बजाई थी और वह इसी आशा के साथ बजाई थी, कि गृह मंत्री महोदय, जब भी कोई मामला एस.सी./एस.टी. का आएगा तो तुरन्त आप उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन बड़े दुःख की बात है, आप गृह मंत्री बने उसके बाद में आपने कुछ बोलना तो शुरू किया उनके पक्ष में लेकिन जब गम्भीर मामला आया तो आप तुरन्त मामला राजस्व का कहकर के या और कुछ कहकर टाल गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ठीक है, आपने इस को तो राजस्व का बता दिया लेकिन इस प्रकार के हालात सारे राजस्थान के अन्दर हो रहे हैं। यह तो एक उदाहरण है जो आपके सामने आ गया। अखबार वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने मामले को सामने ला दिया लेकिन मेरे जिले सवाई माधोपुर के अन्दर, मेरे क्षेत्र की बात है, जो प्रत्यक्ष में मैंने स्वयं ने देखी है, वहां पर सीलिंग के मामले थे, वहां पर भूमि थी राजा-महाराजाओं की, उस भूमि को कांग्रेस के टाइम में गरीबों में बांट दिया गया, अलाटमेंट कर दिया गया लेकिन बड़े दुःख की बात है, माननीय गृह मंत्रीजी, उन्होंने तो हिम्मत की कि अलाटमेंट दे दिया लेकिन आप इतना भला तो कर देते कम से कम, उनको कब्जा तो दिला दो। एक का भी कब्जा नहीं हो पाया और उल्टा उन पर केस लगता है और उनको कब्जा नहीं दिया गया इससे बड़ी +++ की बात और क्या होगी। मैं गांव गिनाता हूं। मेसवा गांव है जिसमें आज तक कब्जा नहीं दिया गया, 300 बीघा भूमि का मामला है जो गरीबों में बटी थी लेकिन आज तक किसी गरीब को सरकार कब्जा नहीं दिला सकी। इससे बड़ी +++ की बात क्या होगी। कमालपुरा का मामला है और कई जगह के मामले हैं। एक बार इस प्रकार की हिम्मत की थी, पुलिस प्रशासन वहां गया था, कलक्टर भी पहुंचे, एस.पी. पहुंचे, डी.वाई.एस.पी. भी पहुंचे और आपकी पुलिस को वहां के लोगों ने पीटा, सामंतशाही लोगों ने आपकी पुलिस को पीटा था, पीटने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर सकी और वापस भागकर आ गयी।

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य। बैठिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन माननीय गृह मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला एस.सी./एस.टी. का है, यह पूरे राजस्थान का सवाल

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है । यह ठीक है आपने राजस्व का कह कर टाल दिया लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मामले में सदन में घोषणा करें कि जहां कहीं भी एस.सी./एस टी. के मामले, किसी भी राजस्व अपील अधिकारी के यहां चल रहे हैं उनके लिए आप नियम निर्धारित करें । . (व्यवधान) ... कितने समय में उनके निर्णय कर दिये जाएंगे । पांच-पांच, दस-दस साल से निर्णय नहीं हो रहे ...

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, कागज आपके हाथ में था, पैन आपके हाथ में था आप उस समय यह बात लिख देते । बिराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । राजस्व मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एस.सी./एस.टी. के मुकद्मों पर जल्दी निर्णय किया जाए, अलग व्यवस्था की जाए, अलग अदालतें बिठायी जाए उनके लिए एस.डी.ओ. बैठे, उसके लिए व्यवस्था की जाए ।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं बैठ जाऊंगा लेकिन एस.सी./एस.टी. का मामला था इसलिए मैंने निवेदन किया । मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरे क्षेत्र के अन्दर हुआ उसका मैंने वर्णन कर दिया । आप उनको कब्जा दिलवाइये ।

श्री सभापति : माननीय श्री महेन्द्र कुमार मीणा । . (अनुपस्थित) । माननीय श्री हीरालाल । (अनुपस्थित) । माननीय श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए आप चुप नहीं बैठें और उनको कब्जा दिलाने की घोषणा सदन में करें ।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, जिस प्रकार का यह मामला गम्भीरता से सदन में उठा था उस गम्भीरता से राज्य सरकार ने, चाहे गृह विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, नहीं लिया है । इससे स्थिति यह बनी है कि गरीबों की जो हम बात करते हैं, उनमें अविश्वास बढ़ा है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है । मैं यह भी कहना चाहता हूं आपने 145 लगाकर क्या न्याय किया ? उस मामले को उलझा दिया, उसको प्रोटक्शन नहीं मिला और 145 के मुकद्में वर्षों तक चलते रहेंगे और आज वो जमीन से बेदखल हैं उसके लिए मैं कहना चाहता हूं यह बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला है । पहले तो इस मामले में उस जमीन को बेच दिया गया, बेचने के बाद उसको सीलिंग में दर्शा दिया गया और सीलिंग में दर्शाने के बाद यह सारा मामला बढ़ा और सेटलमेंट में सब गड़बड़ होकर नाम दर्ज होने के बाद आज वे बेदखल हो रहे हैं । अगर यही न्याय राजस्थान की सरकार गरीबों को देना चाहती है तो यह कोई न्याय नहीं है ।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मैं कह नहीं सकता कि गरीबों की कितनी खराब हालत हो रही है। यह राजस्थान सरकार है और गृह मंत्रीजी अपने आपको एस.सी./एस.टी. का मसीहा बताते हैं लेकिन इस मामले को टाल दिया। यह राजस्व मंत्री जी और गृह मंत्रीजी दोनों की जिम्मेदारी है। मैं सदन में चाहता हूं कि राजस्थान को उदाहरण बनाइये इस मामले में। ऐसे कई मामले हैं, कई इलाके हैं जिनमें गरीबों की जमीन पर नाम किसी का है और कब्जा कोई और करके बैठे हैं। हमारे इलाके में 10-20 मामले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसको नीतिगत प्रश्न बनाया जाए। इसके लिए कानून में अमेण्डमेंट किया जाए और इस प्रकार के लोगों को न्याय दिलाया जाए। फटे कपड़े पहने हुए लोग रेवेन्यू बोर्ड में, हाईकोर्ट में और विभिन्न न्यायालयों में जाकर न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। यह राज्य सरकार किस बात के लिए संवेदनशील है ?

इसलिए मैं चाहता हूं इस मामले को आप गम्भीरता से लें और यदि इसमें आगे और चर्चा करनी पड़े तो करें, राजस्व मंत्री जी भी आ गये हैं, उन्होंने भी इस मामले के फेक्ट्स मांगे होंगे। मैं जानता हूं, मैंने मेरे इलाके के 70 किसानों के लिए 12 साल लड़ाई लड़ी है, वे सब किसान बर्बाद हुए हैं, हम बर्बाद हुए हैं और उनको काबिज कराया। तब वह राजस्थान की सरकार थी, आज राजस्थान में कोई सरकार नजर नहीं आती है। ऐसे मामलों में न्याय नहीं दिला पा रही है इसलिए मैं चाहता हूं इस मामले को गम्भीरता से लिया जाए। इसको सामान्य मामले की तरह ट्रीट किया गया है, वह ठीक नहीं है।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस मामले को क्वासी क्रिमिनल या क्वासी रेवेन्यू कह कर एमलगेटेड शेप दे दिया जाए तो यह एम्बीग्युटी रहेगी और यह गलत बात है। प्रश्न यह है कि सामंतवाद के विरुद्ध आतंकग्रस्त एस.सी./एस.टी. के जो लोग हैं क्या उन्हें रेवेन्यू राइट जो उनके फेवर में हैं, उनके रहते हुए भी यदि उनकी जमीन पर इस तरह की अनधिकृत चेष्टा होती है और ऐसी प्रवृत्ति के लोग उनको खेत जोतने नहीं देते हैं और ऐसी स्थिति में मात्र यही एक विकल्प रहता है कि वे 212 की एप्लीकेशन लगाएं, डिक्लेरेटरी सूट करें जबकि सारा रेवेन्यू रिकार्ड उसके फेवर में है ?

माननीय सभापति महोदय, यदि कोई भी कृषक चाहे वह एस.सी./एस.टी. का है उसके फेवर में रेवेन्यू रिकार्ड है तो उसको डिक्लेरेटरी सूट पेश करने का कोई राइट नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी ने डिक्लेरेटरी सूट किया, जिसका रेवेन्यू रिकार्ड है वह डिक्लेरेटरी सूट करेगा ही क्यों। लेकिन पजेशन का मामला है, जहां पजेशन नहीं करने दिया जाता है, कल्टीवेशन एक्चुअली नहीं करने दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इनेक्शन की एप्लीकेशन लगायी जाती है और मुकद्मेंबाजी का सहारा लेकर एक एस.सी./एस.टी. का व्यक्ति यदि आगे बढ़ेगा तो वह अपनी पूरी उम्र में ही नहीं बल्कि दूसरी पीढ़ी भी उसकी चली जाएगी और फैसला नहीं हो पाऐगा। अधिकांशतः

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

यह देखा गया है कि एक प्रभावशाली आदमी है और उसके खेत को कोई दूसरा जोतने नहीं देता है तो वह आदमी एस. पी. के पास या मंत्री महोदय के पास एप्लीकेशन देता है और वह उस पर एस. पी., डी. वाई. एस. पी. या एस. एच. ओ. को डाइरेक्शन देते हैं कि पुलिस इमदाद और जाब्ता लेकर जाए और उसके खेत जुतवायें ।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह केवल मेहरू खुर्द का मामला नहीं है, वहां के लोग जो आतंकग्रस्त हैं उनका मामला नहीं है यह समूचे राजस्थान में जगह-जगह ऐसी भयावह स्थिति हो जाती है उसको परिलक्षित करती है । इसके लिए एक सामान्य व्यूह रचना बनायी जाए। यदि ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए सरकार यह कहकर कि ये राजस्व मामले हैं इसलिए इनको न्यायालय देखें और राजस्व अधिकारी देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए । पुलिस प्रशासन को मूक नहीं रहना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी ऐसे समय रेवेन्यू रिकार्ड देखना चाहिए और रेवेन्यू रिकार्ड जिसके फेवर में है उसको प्रोटेक्ट करें, खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को। यही मेरा कहना है। धन्यवाद ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है और माननीय गृह मंत्रीजी काफी संवेदनशील हैं, राजस्व मंत्रीजी भी बहुत वरिष्ठ हैं। यह मामला अनुसूचित जाति/जनजाति का है और ऐसे कई मामले हैं जिनमें जागीरदारों ने अपनी सीलिंग की जमीन को सरकार को भी दे दी और एग्रीमेंट के द्वारा कई लोगों को उसका बेचान भी किया । ऐसे प्रकरण मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र और भिनाय में भी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में गहनता से पूरी जांच-पड़ताल कराकर इनको राहत दिलायी जाए ।

मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि यह केवल मेहरू खुर्द का ही मामला नहीं है केकड़ी और भिनाय क्षेत्र की ऐसी भी कई घटनाएं हैं। इसलिए मैं राजस्व मंत्रीजी से और गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की संवेदनशीलता को पहचानें और उन लोगों को राहत दिलाने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय श्री बनवारी लाल जी ।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है और यह मेहरू खुर्द का ही मामला नहीं है । राजस्थान में जहां-जहां जागीरों की व्यवस्था रही हैं उन सभी जगह पर इस तरीके के मामले हैं और आज वहां का गरीब हरिजन बहुत परेशान है। उनकी जमीनों को छीन लिया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है, कई तो गांव छोड़कर भाग गये हैं । ऐसे मसले को हम लोग अगर यहां सदन में विस्तार से चर्चा करें तो यह बहुत ज्यादा मुनासिब होगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मेहरू खुर्द का यह प्रकरण....

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान एक मामले की ओर आकर्षित कर दूं

श्री कैलाश मेघवाल : इसी मामले में या और कोई नया मामला है ?

डा. हरिसिंह : नहीं, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक ऐसा मामला हुआ है ।

श्री कैलाश मेघवाल : उसके लिए तो अलग से ध्यान आकर्षित करना ।

श्री सभापति : यहां सीमित प्रस्ताव है, एक जगह का प्रस्ताव है उसके बारे में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । सारे राजस्थान के अंदर ऐसे कई मामले हैं और अनेक लोग बोलने लगेंगे तो....

डा. हरिसिंह : उसमें गृह मंत्रीजी का लेन-देन है । क्योंकि वहां शिड्यूल्ड ट्राइब के मामले में कुछ लोगों ने ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप परम्परा गलत डाल रहे हैं । यह ध्याना-कर्षण पर्टीकूलर मसले पर है, पर्टीकूलर जगह का मामला है, उस पर चर्चा हो चुकी है । एकाध को मैंने अलाउ कर दिया लेकिन सभी लोग इस पर बोलने लग जाएंगे तो परम्पराएं गलत पड़ जाएंगी ।

डा. हरिसिंह : रामजीपुरा कलां का मामला है । जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया यह तो अलग बात है लेकिन उनके घर पर जाकर उनको मारा-पीटा और पुलिस को 10 दफा लिखने के बाद भी पुलिस उस मुकदमे में चालान नहीं कर रही है । आप कब्जा तो नहीं दिला सकते, यह मैं जानता हूं लेकिन उनके साथ मारा-पीटी हुई, उनके हाथ-पैर तोड़ दिये गये, उनका चालान तो करवाइये । यह छोटा रामजीपुरा का मामला है जो रेनवाल थाने में है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, बांदीकुई से आने वाले माननीय विधायक और टोडाभीम से आने वाले माननीय विधायक, जो सबसे ज्यादा मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं और जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक का आभारी हूं कि इस मसले पर उन्होंने अपने विचार रखे ।

सदन की सामान्य भावना जो उभर कर आई है वह यह आई है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के प्रति भूतपूर्व जागीरदारों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा या इनकी जमीनों पर किसी भी तरह कब्जा करने के प्रयत्न करने वालों के प्रति सरकार सख्ती से निपटे । सभापति महोदय, मैं उनकी इस भावना का स्वागत करता हूं और आज की चर्चा में जिस तरह सदन के सभी पक्षों से यह भावना आई है, यह मुझे आगे भी इस तरह के मामलों में इन गरीब जातियों को मदद करने में, इनकी कानूनी सुरक्षा करने में हमेशा मददगार रहेगी और मैं इसमें हमेशा सख्ती से काम लूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ।

सभापति महोदय, जहां तक इस प्रकरण का सवाल है, इस प्रकरण के सवाल में मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि मैंने इसका अध्ययन किया है और 4-2-94 को इस जमीन पर लच्छा रैगर का कब्जा है, रेवेन्यू बोर्ड का भी यही स्थगन आदेश है और मैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपको विश्वास दिलाता हूं कि लच्छा रैंगर का कब्जा तब तक कायम रहेगा जब तक कि रेवेन्यू बोर्ड अपने निर्णय से कोई अन्यथा स्थिति पैदा नहीं करे। इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। मैंने सारे प्रकरण को देखा है और मैं क्षमापूर्वक यह कहना चाहता हूं, क्योंकि संवेदनशीलता की बात भी कही गयी, मैं इसमें केवल शाब्दिक मायाजाल गढ़ रहा हूं, यह बात भी कही गयी लेकिन मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा प्रतिपक्ष के नेता और सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि मैंने इसमें देखा है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और दूसरे वकील इस बात से सहमत होंगे कि एक शब्दावली चलती है मिस यूज आफ द प्रोसेस आफ लॉ। अब यह मिसयूज आफ द प्रोसेस आफ लॉ जब होता है, कई बार हम यहां भी करते हैं मिसयूज आफ द प्रोसेस आफ असेम्बली, अब करने वाले करते हैं, कितनी ईमानदारी से अपना कमिटमेंट रखते हैं या नहीं, इसमें मिसयूज आफ द प्रोसेस आफ ला हुआ है यह मैं मानता हूं और उसमें एस.एच.ओ., सावर की सहमति है, मैं उसको आज ही वहां से हटाता हूं और उसकी सहमति से, जिस सीमा तक इसने जागीदार को मदद की है उसकी एडीशनल एस.पी., अजमेर जांच करेगा कि वह किस सीमा तक जिम्मेदार है।

सभापति महोदय, एक दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं। कोई कारण नहीं था इसमें 145 का, मिसयूज आफ द प्रोसेस आफ ला, होता क्या है, 145 के लिए एस. डी.ओ. के यहां दरख्वास्त दे दी कि झगड़ा होने वाला है, कब्जा साबित, सम्वत् 2008 से आज तक उस गरीब का उस पर कब्जा है उस कब्जे को हटाने के लिए एक नयी चाल निकाली गयी। अगर तात्कालिक वहां झगड़ा होता और 145 लगायी जाती तो शायद मुझे भी, यह जो मैंने आज इस पर अपना प्रतिफल निकाला है वह निकालने की स्थिति नहीं होती। लेकिन अदालत के जिम्मे छोड़ दिया कि अपन बचो। अदालत में 145 का दे दो और अदालत कुर्क करे तो करे। यह जो इसमें गलती हुई है, अगर अदालत ने अभी तक उसका कोई काग्नीजेंस नहीं लिया है और किसी तरह का कोई रेगुलर आदेश नहीं दिया है तो मैं आज ही इस बात के आदेश दूंगा कि 145 का पुलिस की तरफ से जो इस्तगासा अदालत में किया गया है वह विदड्रा कर लिया जाए और लच्छा रैंगर को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए।

जहां तक राजस्व कानूनों के सवाल में बात कही गयी है, राजस्व कानून एस्टिब्लिशड हैं। माननीय राजस्व मंत्रीजी तो तब बीच में आते हैं जब कि उनमें कहीं अमेंड करना हो, कहीं कुछ करना हो। एस.डी.ओ. में चला मुकदमा, रेवेन्यू अपीलेट अथारिटी में चला मुकदमा, अब चल रहा है रेवेन्यू अपीलेट अथारिटी में, तो मैं एक विश्वास सारे सदन को दिलाना चाहता हूं और उससे आप भी सहमत होंगे कि बिना प्रोसेस आफ ला के फाइनल हुए और बिना किसी कानूनी आदेश के लच्छा रैंगर की जो यह जमीन है उससे उसका कब्जा नहीं हटाया जाएगा, जितने भी अवेलेबल लाज, हमने बनाये हैं और केन्द्रीय सरकार के हैं, उन सब लाज को काम में लेते हुए

(श्री कैलाश मेघवाल)

जागीरदार की जो ज्यादती हो रही है और जागीरदार जिस तरह से यह मिसयूज आफ द प्रोसेस आफ ला कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यही विश्वास मैं इसमें दिलाना चाहता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक प्रश्न है और।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

माननीय श्री रघुवीरसिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1992-93 एवं वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्यय्क अनुमान वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के निम्नांकित वार्षिक लेखा विवरण व आय-व्ययक अनुमान सदन की मेज पर रखता हूं :—

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1992-93, एवं :

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1994-95।

श्री परसादीलाल मीणा : आज इसमें बहस है बिजली पर, यह अगर यहीं अवेलेबल हो जाए और यहीं सप्लाई हो जाए, अभी 1994-95 का....

श्री सभापति : करवा दिया जाएगा।

श्री परसादीलाल मीणा : ठीक है, श्रीमन्।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह सोढ़ा।

श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव) : सभापति महोदय, मैं ग्राम बईया-गुहड़ा का विद्युतीकरण किये जाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधान सभा क्षेत्र शिव (बाड़मेर) के ग्राम पादरिया व फकीरों की बस्ती एवं अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राम रोजांस, मनाना तहसील परबतसर ग्राम ठीकरिया खुर्द (मिण्डा) तहसील नावां में पेयजल उपलब्ध कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

(24)

विधायी कार्य

विधेयक पर विचार

राजस्थान विलासो (तम्बाकू और इसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994

श्री सभापति : माननीय श्री भैरोंसिह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विलासो (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विलासो (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।.... (व्यवधान) ..

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पर विचार के दो दिन पूर्व विधेयक की प्रतियों की सदस्यों को उपलब्धि

श्री सभापति : विराजिए आप।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट, श्रीमन्, मैं आब्जेक्ट कर रहा हूं इसको, यह पेश ही नहीं कर सकते। I am citing Rule 66.

श्री सभापति : आप पहले बिराजिए। पहले विचारार्थ रखने दीजिए, फिर आब्जेक्शन कर देना आप। विराजिए पहले। उसके बाद में आब्जेक्ट कर देना, उनको प्रस्तुत कर देने दीजिए।

श्री विष्णु मोदी : वह प्रस्तुत नहीं कर सकते, मैं इसीलिए इसी को आब्जेक्ट कर रहा हूं। वह बिल प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसको आब्जेक्ट कर रहा हूं। आई एम रीडिंग रूल 66.

विधेयक की पुरः स्थापना के बाद प्रस्ताव। विधेयक पर जब पुरः स्थापित किया जाए तब या उसके बाद किसी अवसर पर प्रभारी सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्न प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात् कि उस पर विचार किया जाय, या कि सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाय, कि उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाय। परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न करा दी गयी हों और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले उपलब्ध नहीं कर दी गयी हों तो ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक की कापी दो दिन पहले उपलब्ध नहीं करायी गयी है सिर्फ कल उपलब्ध हुई है इसलिए यह आज विचारार्थ नहीं लिया जा सकता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले ही चली गयीं।

श्री विष्णु मोदी : नहीं गयी हैं, श्रीमन्।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कापियां चली गयीं।

श्री विष्णु मोदी : मैं, माननीय मुख्य मत्रीजी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं। आपने जो पाइंट आफ आॅर्डर रेज किया है वह इस समय पुरःस्थापित कर रहे हैं, कन्सीडरेशन का स्टेज आये या पारित करने का स्टेज आये उस समय आप आब्जेक्शन करिये, पहले ही कर दिया आपने।

श्री विष्णु मोदी : पहले ही होगा, श्रीमन्, आब्जेक्शन तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, पहले नहीं होगा।

श्री सभापति : बिराजिए। वैसे तो कापी सबको सर्कुलेट हो गयी है, आपकी डाक में कहीं रह गयी होगी और यदि यह आब्जेक्शन भी है तो इसको जिस समय विचारार्थ आये उस समय प्रस्तुत कर दें। माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी जानकारी के अनुसार तीन दिन पहले सर्कुलेट हो गयी। यह शायद सिगरेट वाला मामला है जो आपके पास नहीं पहुंचा होगा। .. (व्यवधान)

श्री सभापति : कौन से रूल्स का ?

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि पारित की स्टेज के ऊपर अगर कापीज वितरण दो दिन के समय के पहले नहीं हुई है, इस बिन्दु के ऊपर पारित स्टेज के ऊपर निर्णय लिया जाएगा ?

श्री सभापति : पारित स्टेज पर नहीं, विचारार्थ।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत गलत रूलिंग हो जाएगी, श्रीमन्।

श्री सभापति : पारित पर नहीं कहा मैंने कहा विचारार्थ।

श्री परसराम मदेरणा : विचारार्थ इज ए सेकण्ड स्टेज आफ द बिल। और अगर कापीज मेम्बर्स को वितरित नहीं हुई हैं, मैं उस पाइंट को नहीं उठा रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य अपना आब्जेक्शन

श्री सभापति : आपके पास कापी पहुंच गयी या नहीं, मुझे तो दिख रही है, आपके सामने रखी है कापी।

श्री परसराम मदेरणा : तीसरे स्टेज के ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार की अगर व्यवस्था आपकी है तो वह व्यवस्था मैं समझता हूं कि पहले के जो प्रिसीडेंट हैं उनके अनुसरण में नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सही कह रहे हैं।

श्री सभापति : मैंने पारित के लिए नहीं कहा, विचारार्थ के लिए निवेदन किया है। विचारार्थ जब आएगा उस समय आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : विचारार्थ ही तो आ रहा है, और क्या आ रहा है।

श्री विष्णु मोदी : विचारार्थ है, श्रीमन्।

श्री सभापति : हां, बस तो फिर। अभी आपने प्रस्तुत ही नहीं किया है, तब विचारार्थ आएगा न।

श्री विष्णु मोदी : विचारार्थ है, श्रीमन् ।

श्री सभापति : अभी प्रस्ताव नहीं किया । प्रस्ताव करने जा रहे थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, सही बात यह है कि मैं यह समझ गया कि इन्ट्रोडक्शन का स्टेज है....

श्री परसराम मदेरणा : ना, इन्ट्रोडक्शन तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जो जवाब दिया वह इसी आधार पर कि शायद इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं, इन्ट्रोडक्शन हो चुका, अब कन्सीडरेशन की स्टेज है इसलिए यह आपत्ति कर सकते हैं ।

श्री विष्णु मोदी : हां । मैंने इसीलिए आपत्ति की है ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, कन्सीडरेशन का स्टेज भी है, आपने कन्सीडरेशन का प्रस्ताव रख दिया है न ?

श्री विष्णु मोदी : हां ।

श्री सभापति : नहीं रखा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रख दिया ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, अभी रखा है ।

श्री सभापति : रख दिया प्रस्ताव ?

श्री अनंग कुमार जैन : रख दिया ना ।

श्री सभापति : रख दिया । हां, अब रख सकते हैं । अब उठा सकते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : वह भी रख दिया, श्रीमन् ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, रखा नहीं है, रखने के पहले ही यह कह रहे थे ...

श्री सभापति : रखने के पहले वह कह रहे थे ।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा, रखने के पहले उठा रहे थे ।

श्री सभापति : पहले उठा रहे थे ।

श्री विष्णु मोदी : तो रखने के पहले ही तो उठाऊंगा, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : नहीं-नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रखने के पहले नहीं ।

श्री विष्णु मोदी : अभी, दिस इज द स्टेज ।

श्री किशन मोटवानी : दिस इज द स्टेज । पहले निर्णय दीजिए इस पर ।

श्री सभापति : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि अव्वल तो पहले ही यह सर्कुलेट हो चुका है, सब के पास जा चुका है....

श्री किशन मोटवानी : यह आप कैसे कह सकते हैं ask from table office.....

श्री सभापति : आपने यह कहा है शायद डाक में आ पाने में रह गया होगा, कहीं पहुंचा नहीं होगा ।

श्री किशन मोटवानी : आप यह कैसे कह रहे हैं, टेबल आफिस से पूछिये,

श्री सभापति : बता तो दिया आपको, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा ना कि सर्कुलेट हो चुका है । ... (व्यवधान) ...

श्री किशन मोटवानी : यह तो आफिस बतायेगी कि कल किया कि नहीं किया ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : दो दिन पहले ही सर्कुलेट हो गया ।

श्री विष्णु मोदी : कल सुबह मिला है, यह जो बिल है, यह कल सुबह मिला है और इसमें रूल 66 में क्लियर मेंशन है कि दो दिन पहले जब तक नहीं हो तो इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष को अधिकार है ।

श्री विष्णु मोदी : वह आप रूलिंग दे दें ।

श्री सभापति : आप कृपया बिराजें । यदि ऐसा है तो दो दिन का जो रूल है, उसको सस्पैंड किया जाता है ।

श्री विष्णु मोदी : तो फिर मेरी दूसरी आपत्ति है, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)....

श्री किशन मोटवानी : यह आपने किनके इन्स्ट्रेक्शन पर सस्पेंड कर दिया, यह बताइये, कौनसे रूल से ? अच्छा यह बताइये कि कौनसे रूल से सस्पेंड किया ?

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट आप सुन लीजिए, माननीय सभापति महोदय.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, बता दूंगा कौनसे रूल में सस्पेंड किया, वह भी बता दिया जाएगा.... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : सभापतिजी, मैं यह जानना चाहता था कि यह वास्तव में सर्कुलेट समय पर हुई है कि नहीं हुई । आपके पास सैक्रेटेरिएट है, सैक्रेटेरिएट ने सर्कुलेट की होगी । यह सैक्रेटेरिएट ने सर्कुलेट कब की है, इसकी जानकारी यदि सदन में आ जाती ...

श्री विष्णु मोदी : यही तो कह रहा था....

श्री परसराम मदेरणा : आप कह रहे हो, मान लो नहीं हुई है, क्योंकि सैक्रेटेरिएट तो फुल प्रूफ सैक्रेटेरिएट है और यह इसमें कितने घंटों का फर्क रहा, इतनी ही बात है, ज्यादा नहीं रहा कुछ ही घंटों का फर्क है ।

श्री सभापति : यह मालूम करवा लिया जाएगा और बता दिया जाएगा, अभी विचारार्थ है, उसमें.... (व्यवधान)....

श्री किशन मोटवानी : कब करा लिया जाएगा ?

श्री सभापति : अभी बता दिया जाएगा ।

श्री किशन मोटवानी : हां, बताइये ।

श्री सभापति : हां, तो आप बिराजिये ना । सदन चुपचाप थोड़े ही बैठ सकता है, सदन की कार्यवाही तो आगे चलेगी ।.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, यह तीन दिन पहले सर्कुलेट कर दिया गया और उस आधार पर इन्होंने इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए और अमेंडमेंट भी कुछ माननीय सदस्यों ने दिये हैं और स्वयं प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी इसमें यह प्रस्ताव दिया है कि इसको आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें।

श्री सभापति : एक-एक करके पूछिये ना।

श्री किशन मोटवानी : सही दिये हैं, इसमें गलती कहां है ? सही दिये हैं यह तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सर्कुलेट हुआ है उसी आधार पर।.... (व्यवधान)....

श्री किशन मोटवानी : कल हुआ है ना, कल दिये हैं ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं-नहीं, कल नहीं दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इसमें विरोध क्यों कर रहे हैं ? सर्कुलेट हुआ कि नहीं हुआ, वह जानकारी मिल जाएगी। सर्कुलेशन का परपज यह है कि हाउस में डिबेट करने के लिए लोग तैयार होकर के आयें। लोग इतने तैयार हैं, आपने नहीं दिया और आपने तैयारी नहीं की तो दूसरे लोगों पर तो एक्सप्रेशन मत डालिए। सबने, किसी ने मोशन दिया है कि पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट किया जाए, किसी ने कहा है कि सलैक्ट कमेटी को दिया जाए, मेम्बर्स के पास पहुंचा है तभी तो मूव किया है ना।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, यह कल सुबह सर्कुलेट हुआ है, कुछ लोगों ने.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : अब आप कल कह रहे हैं, वह परसों बता रहे हैं, इसका कैसे निर्णय हो सकता है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 30 मार्च को.... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : जब बताया जा रहा है कि परसों सर्कुलेट हो गया, 30 मार्च को, आपको कोई डिस्पेच नम्बर देखना हो तो वह और बता दिया जाएगा।.... (व्यवधान) ..

श्री महावीर प्रसाद जैन : सर्कुलेट पहले हो गया, यह 30 तारीख को.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, मुझे आप सुन लें ... (व्यवधान) ..

श्री सभापति : वह बता रहे हैं ना।

श्री विष्णु मोदी : आपको मैं भी बता रहा हूं।

श्री सभापति : आपको सचेतक महोदय बता रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सब कुछ तो बता रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : 30 तारीख को जो शाम को विधान सभा की डाक जाती है, उसमें यह गया है तो वह 31 तारीख को .. (व्यवधान)....

श्री सभापति : ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जिसमें आप दो घंटे कम या दो घंटे ज्यादा जोड़ रहे हैं और फिर मैंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो रूल को सस्पेंड करने का अधिकार मेरे को है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 30 तारीख को तो जो आपने अमेंडमेण्ट दिया जनमत जानने के लिए और यह जो 30 तारीख को सर्कुलेट हो गया, जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने....

श्री विष्णु मोदी : जो मैंने आज सुबह अमेंडमेंट दिये हैं, अगर आप यह व्यवस्था दे रहे हैं कि दो दिन की इसको कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने आज सुबह अमेंडमेंट दिये हैं, आप मेरे अमेंडमेंट इसमें शरीक करा दीजिये ।

श्री सभापति : मुझे अभी सैक्रेटेरिएट से बताया गया है कि 29 तारीख की रात को भेजा गया है, जो आपको 30 तारीख को सवेरे मिला है ।

श्री विष्णु मोदी : आज तारीख क्या है ? आज तारीख क्या है ? यही तो मैं कह रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं सम्माननीय चीफ-व्हिप महोदय, से यह पूछना चाहता हूं कि सर्कुलेट कब हुआ ?

श्री विष्णु मोदी : वह 29 की शाम को भेजा गया है, आज 31 तारीख है । आज दो दिन इसको पूरे नहीं हुए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 29 को सर्कुलेट हो गया । 30 तारीख का आपका अमेंडमेंट इसमें आया और वह सर्कुलेट 30 तारीख को हो गया ।

श्री परसराम मदेरणा : यह सैक्रेटेरिएट तो अब 29 की कह रहा है और अभी पहले आप 30 कह रहे थे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 30 को आपने जो प्रस्ताव दिया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो प्रस्ताव दिया है, वह 30 को सर्कुलेट हो गया....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, प्रस्ताव तो कल ही दिया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो विजिलेट थे, यह पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य विजिलेट नहीं रहे । आपको भी रात को ही मिला होगा ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, प्रस्ताव तो कल दिया है । मैं तो सर्कुलेट का, वह 30-30 कर रहे थे इसलिए पूछ रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 29 को सर्कुलेट हुआ है, अब यह रात को डाक नहीं खोलते तो हमारा क्या कसूर है ?... (व्यवधान)....

(14·45)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : अब मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए । 29 तारीख को सर्कुलेट हुआ । हमने रूल रिलेक्स करके कल शाम तक के अमेंडमैंट एक्सेप्ट किये । उसका टाइम हमने पहले ही फिक्स कर दिया । दो दिन का खत्म कर दिया और

(श्री अध्यक्ष)

कल शाम तक जो अमेंडमैंट आये वह एक्सेप्ट किये। आज आपका सुबह आया, कल शाम के बाद में आया है इसलिए रिजैक्ट किया।

श्री विष्णु मोदी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि इसकी सूचना किस तरह से मिली ?....

श्री अध्यक्ष : किसकी ?

श्री विष्णु मोदी : मुझे इसकी सूचना मिलती कि 6·00 बजे तक अमेंडमैंट आप लेंगे, आपने इसमें रिलेक्स कर दिया....

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं समझता हूं रिलैक्स करने की सूचना जनरल जाती है। एक-एक को नहीं जाती है। और जब सब, जिन्होंने कल 6·00 बजे तक दिया है.... (व्यवधान).... तो सूचना मिलने पर दिया है।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, सूचना मिलने पर दिया है, लेकिन वह सूचना किस माध्यम से मिली ? मैं इतनी सी जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सूचना तो जैसे हमारे यहां से जाती है, वैसे जाती है रोज।

श्री विष्णु मोदी : वह सूचना नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : अब आपको नहीं मिली होगी। 6.00 बजे तक जिन्होंने दिये हैं ...

श्री विष्णु मोदी : उसकी सूचना आपका मतलब....

श्री अध्यक्ष : देखिये अमेंडमैंट हुआ है, अमेंडमैंट आया है, और अमेंडमैंट तभी आया है, यदि दो दिन का रिलैक्स नहीं करते तो अमेंडमैंट कैसे आता ?

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद कल जब .. (व्यवधान) ...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह बिल सर्कुलेट कल सुबह तक हो गया था और परसों रात को आया होगा और कल सुबह जब मैंने एनवलप खोला तो उसमें यह बिल था, इन्ट्रोडक्शन शायद आपने इसको कल किया था। बिल सर्कुलेट आलरेडी हो गया था। एक्चुअली क्या होता है कि बिल सर्कुलेट इन्ट्रोडक्शन के बाद होता है, लेकिन यह बिल पहले सर्कुलेट हो गया था, निश्चित बात है यह, मेरे पास था और इसलिए मैंने अमेंडमेंट दिया था इसलिए शायद ...

श्री विष्णु मोदी : यह रूल 66 के आधार पर था....

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास जो डाक पहुंची है, उसमें शायद यह बिल नहीं आया दिखता है, मुझे ऐसा लगता है।

श्री विष्णु मोदी : वह कल सुबह ही आया था तो कल शाम को 6.00 बजे तक आपने जो समय निर्धारित किया, उसकी जानकारी कल मुझे यहां पर नहीं मिली और मैं इसको आज सुबह तक दे सकता था इसलिए मैंने आज सुबह दिया है अमेंडमेंट।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : इसमें भी रिलैक्स कर दीजिए तो पूरा झगड़ा ही खतम हो जाय। ....(व्यवधान)....रिलैक्सेशन दे वहां दिया

(डा. हरिसिंह)

तो मोदीजी ने जो आज सब्मिट किया है उसमें भी रिलैक्सेशन करके शामिल कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री विष्णु मोदी : इसमें निर्णय तो दे दीजिए, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : दे दिया मैंने, खारिज कर दिया आपका पहले ही । देट आई हेव आलरेडी गीवन, वह तो आज आपका मेरे सामने आते ही टाइम बार्ड करके खाजिर कर दिया । अब बार-बार निर्णय क्या पूछ रहे हैं मेरे से, दे दिया निर्णय ।

डा. हरिसिंह : कंसीड्रेशन की भी तो गुंजाइश है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई नहीं है, अब नहीं है । डा. हरिसिंह ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

डा. हरिसिंह : मैंने इस बिल के मामले में प्रस्ताव दिया है, उसके मामले पर....

श्री अध्यक्ष : हां, अमेंडमैंट जो दिया है, आपने ।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश किया है, इस बिल की यूटीलिटी, जैसे सरकार ने कहा है, पांच करोड़ रुपये हम इससे....

श्री अध्यक्ष : पहले तो अपना अमेंडमेंट मूव कर दीजिए ।

डा. हरिसिंह : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को विचारार्थ नहीं लेकर के सलैक्ट कमेटी को सौंप दिया जाए ।

एक माननीय सदस्य : जनमत जानने के लिए ।

डा. हरिसिंह : दोनों ही दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दोनों नहीं एक ही है आपका ।

डा. हरिसिंह : जनमत जानने के लिए भेज दिया जाये, मैं यह प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति का परसरामजी का है । श्री हरिसिंहजी, आप बोलेंगे नहीं इसमें, कुछ बोल रहे हैं ? आप बोलना चाहें तो बोल लीजिये ।

डा. हरिसिंह : मेरा प्रस्ताव देने का मूल कारण यह है कि इस बिल के माध्यम से, मैं टोबेको के पक्ष में नहीं हूं, कोई सदस्य यह समझे कि मैं टोबेको की पैरवी कर रहा हूं लेकिन मैं यह बात साबित करना चाहता हूं कि इस बिल से पांच करोड़ रुपये सरकार को नहीं आने वाले, जो सरकार ने प्रोजैक्ट किया है कि पांच प्रतिशत बढ़ाने से पांच करोड़ रुपये सरकार में आ जाएंगे । सबको मालूम है कि 1957 का जो एग्रीमेंट स्टेट्स एण्ड गवर्नमेंट आफ इंडिया के बीच में हुआ

(डा. हरिसिंह)

था और टोबेको कन्ट्रोल और टोबेको बिजनस के बारे में कि सब स्टेट्स को जो सैंट्रल टैक्स लगता है टोबेको पर उसकी जितनी बिक्री होगी उसके हिसाब से सब स्टेट में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाएगा। क्योंकि 10 प्रतिशत सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया है, उस हिसाब से पहले राजस्थान को करीब 5 करोड़ रुपये मिलते थे इस मद से, अब 10 प्रतिशत बढ़ाने से 5 करोड़ रुपये वहां से मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन स्थिति क्या होगी। महाराष्ट्र में 10 प्रतिशत लगाया था पिछले बजट सत्र में और इस साल 16 तारीख को उन्होंने इसको विथड्रा कर लिया। क्यों विथड्रा कर लिया ? क्योंकि उनकी जो सेल्स हुई, जो कायदे से हुई उससे 7 प्रतिशत सेल हुई। 100 रुपये की अगर टोबेको बिकती थी तो सिर्फ 7 रुपये की बिक्री और सारा स्मगलिंग का मामला हुआ और अंडरवर्ल्ड इसमें शामिल हुआ। इससे रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं, 7 प्रतिशत जहां आपकी, अगर पांच करोड़ की आप अपेक्षा रखते हो, तो पांच करोड़ रुपये का 7 प्रतिशत 35 लाख होता है तो 35 लाख तो आपको इससे मिलेगा और आपका चुंगी का जो नुकसान होगा, महाराष्ट्र में क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट थे उसका सात पर्सेण्ट हुआ और चुंगी का नुकसान उससे कहीं ज्यादा हुआ Thus there was a net revenue loss of 38 lacs. राजस्थान में आज की तारीख में आपको टोबेको से साठ लाख रुपये चुंगी से मिलते हैं और पांच करोड़ रुपये जो प्रोजैक्टेड आपकी आमदनी है उसके बजाय तो मिलेंगे आपको 35 लाख रुपये और चुंगी का आपको नुकसान होगा वह चालीस लाख पर मन्य होगा। तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि State Government is likely to obtain 35 lacs for 1994-95 on luxury tax but municipalities are likely to lose Rs. 55 lacs. तो आपको टोटल नुकसान कितना हुआ 55-35 तो स्टेट को टोटल बीस लाख का नुकसान है। आप तो इससे पांच करोड़ की आमदनी की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं नेट रिजल्ट होगा वह बीस लाख का होगा। महाराष्ट्र का जो अनुभव है उससे क्यों नहीं सीखते आप। सिगरेट, का एक इतना-सा डिब्बा हजार रुपये का आ जाता है, स्मगलिंग भयंकर रूप से बढ़ेगी, म्यूनिसिपैलिटी को नुकसान होगा और यहां तो आप कह रहे हो कि हम प्रबन्ध कर लेंगे कि कोई स्मगलिंग नहीं होगा और कायदे से बिजनस होगा, लेकिन आप यहां पर कैसे रोकेंगे ? कनाडा गवर्नमेंट ने इस मामले को लिया, यू.एस.ए. से टोबेको स्मगलिंग होती थी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि Canada's Prime Minister has announced a comprehensive national action plan to combate smuggling which includes a reduction in federal cigarette tax. तो जब यू.एस.ए. से कनाडा में टोबेको की या सिगरेट की स्मगलिंग नहीं रोकी जा सकती तो राजस्थान में चारों तरफ के जो स्टेट्स हैं उनसे रोक पाओगे आप ? सारा माल तो बिकेगा यू. पी. में, हरियाणा में, गुजरात में तो आपका जो टैक्स है वहां जाएगा, क्योंकि बिक्री तो वहां हो ही जाएगी। जो पैसा आपको आने वाला था वह तो उन स्टेट्स को चला जाएगा। और

(डा. हरिसिंह)

नेट जो आपको लोस शेयर आफ राजस्थान एज पर फाइनेंस कमीशन मौजूदा है करीब पांच करोड़ या चार करोड़ के करीब आपको दस पर्सेण्ट एक्स्ट्रा से मिलने वाला है, तो यह जो शेयर आपका सेण्टर का बढ़ा है वह ही काफी है और अगर आप यह करोगे तो सेण्टर वाला भी कम हो जाएगा क्योंकि आपके यहां जो सेल टोबेको की कम होगी उसी रेश्यो से आपको मिलेगा। आपको तो सेण्टर का पैसा अधिक मिलने वाला था जो दस पर्सेण्ट सेण्टर ने बढ़ा दिया वह भी कम होगा, आक्ट्राय का लोस भी होगा, फिर स्मगलिंग भी होगी और अंडरवर्ल्ड को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। आपका फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। जब स्टेट को फायदा ही नहीं होने वाला है इस बिल से या इस टैक्स से तो मेरे ध्यान से फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। महाराष्ट्र से आपको लैसन सीखना चाहिए और इस बिल को विद्ड्रा कर लेना चाहिए। यह मेरी रिक्वैस्ट है, It is not in the interest of the State; neither in the financial interest of the State nor in the interest of those people who are dealing in tobacco.

मैं कन्जूमर के पक्ष में नहीं कहता। आपने इस बिल में एक बात और कही है वह यह कही है कि फिनिशड और अनफिनिशड टोबेको पर टैक्स लगेगा और बीड़ी पर नहीं लगेगा। आप यह बतायें कि बीड़ी के लिए टोबेको राजस्थान में बाहर से आता है या राजस्थान में मिलता है? बीड़ी में जो टोबेको लगी उस पर तो आपने टैक्स लगा दिया और बीड़ी वाले मामले में वाहवाही ले ली। आपने यह लिखा है कि "Tobacco" means, unmanufactured and manufactured tobacco as described in the Notes and in the table in Chapter 24 of the Central Excise Tariff Act 1985.

Explanation.—For the purpose of this clause;

(i) unmanufactured tobacco means unmanufactured tobacco having brand name;

(ii) manufactured tobacco does not include Bidis."

अब आपने बीड़ी में तम्बाकू काम आने वाली है उस पर तो टैक्स लगा दिया और बीड़ी को माफ कर दिया, तो यह क्या बात हुई। जर्दे पर आप टैक्स लगाओगे टोबेको मैन्युफैक्चर जो भी कोई आएगी उस पर आप टैक्स लगाओगे तो आप बीड़ी पर काम आने वाली टोबेको है क्या उस पर टैक्स नहीं लगाओगे ताकि बीड़ी वालों को जो आपने राहत देने की बात कही है ना, यह गरीब लोग हैं और यह है तो जहां तक लग्जरी का सवाल है इसमें गरीब और अमीर को नहीं देखा जाता, Luxury is a luxury and cigarette is a bad habit whether, बीड़ी पीने वाला है उसके लिए बैड हेबिट है, जो हुक्का पीता है उसके लिए भी बैड हेबिट है और जो जर्दा खाता है उसके लिए भी बैड हेबिट है तो इस बैड हेबिट को आप डिस्करेज करना चाहते हो, यह बात तो अलग है लेकिन इसको फाइनेंशियल मामले में इनवाल्व करके सारा मामला करना चाहते हो, मेरे ध्यान से इस बिल की कोई यूटिलिटी नहीं है। आपने

(डा. हरिसिंह)

जो इस बिल के लिए कहा है कि इसके माध्यम से हम पांच करोड़ रुपये स्टेट को कमायेंगे वह तो कमायेंगे नहीं इसलिए इस बिल का औचित्य नहीं है, इसको विदड्रा कर लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : डा. श्री हरिसिंह जी।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने मूव किया है उनको बोलने दीजिए। आप विराजिये। इनका नोट मत करिये, धनखड़ साहब जो बोल रहे हैं नोट मत करिये। डा. हरिसिंहजी, बोलिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है, बिल चल रहा है और आप बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : This is a point of disorder.

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह प्रोपर टाइम नहीं है। This is not the proper time.

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : You are on a point of disorder. देखिये न तो पाइन्ट आफ आर्डर आप कर सकते हैं, विधिवत चल रहा है। एक बिजनस जब हाउस में चल रहा है उसमें नयी बात पैदा करना, यह पाइंट आफ डिसआर्डर मैं अलाउ नहीं करता। श्री हरिसिंह जी, बोलें। आप इनका दर्ज मत करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी, बोलिये प्लीज।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप, श्री हरिसिंह जी। मैं इनको अलाउ नहीं करता। No, Mr Dhankar, I will not allow you. This is not proper. This is not in accordance with the Rules. Being a lawyer, you must know that a Bill is pending and we are discussing it....(interruptions)....

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : देयर मे बी ए गम्भीर स्थिति। कानून से ऊपर कोई गम्भीर स्थिति नहीं है और आपसे ज्यादा चिन्तित सरकार है, आपके अन्य साथी हैं। आपके सारे साथियों ने मेरे चैम्बर में मुख्य मंत्रीजी से बहुत विस्तार से इस सम्बन्ध में बात की है और उन्होंने इनको सन्तुष्ट किया है। मुख्य मंत्रीजी ने सन्तुष्ट किया है उनको।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब आप नहीं होंगे तो I am not concerned with you. I am concerned with the members of this House. All the important leaders from your party were there and they have discussed the matter in detail Even the uptodate information has been given by Mr. Vishnu Modi. श्री विष्णु मोदी ने अभी-अभी पांच मिनट पहले जो बात की है....

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी बोलिये आप। आप इनका दर्ज मत करिये। आपको बोलना है तो बोलिये नहीं तो मैं आगे चलता हूं। I will not allow you.... (interruptions)....Mr. Hari Singhji, you, please, go on. मैं नहीं रोक सकता, It is for you to decide. मैं आपको बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा। जब बिल चल रहा है और बिल की कार्यवाही पूरी होने दीजिए। आप बिल की कार्यवाही चलने दीजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री धनखड़ साहब, प्लीज को-आपरेट विद दी हाउस।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : No, Everybody, we know, is here for democracy. But you are talking of mobocracy. I am talking of democracy. The democracy is, that the House should run according to the rules and all traditions. This is not democracy, this is mobocracy. What you are doing is not democracy. This is against all norms of democracy.

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : Please, please....

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज श्री हरिसिंह जी, बोलिये। आप नहीं बोल रहे हैं। श्री रामनारायण मीणा।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं सुनना चाहता। I will get this Bill through. If you go on speaking, I will get this Bill through. (Interruptions).... No, I wouldn't allow you. No, No, Mr. Dhankar, please, resume your seat.

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलते हैं आप। माननीय श्री परसराम जी मदेरणा अपना संशोधन मूव करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : तो बोलते क्यों नहीं हैं आप ? बोलिये आप ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : राजस्थान विलासो (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक पर मैंने अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है ।

(15.00)

इस विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने के लिये परिचालित कर दिया जाए ।

राजस्थान सरकार यह एक्ट जो लेकर आई है वह इस नाम पर लेकर आई है कि राजस्थान में कुछ लोग जो विलासिता के अन्दर लिप्त हैं उन पर टैक्स लगाया जाए । सबसे पहली नजर राजस्थान में विलासिता के नाम पर पड़ी है तम्बाकू पर, हो सकता है तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो । हर सिगरेट पर लिखा रहता है कि इसका पीना स्वास्थ्य के लिये अहितकर है, खराब है एक स्टेचुअरी वार्निंग उस पर लिखी रहती है । लेकिन क्या यह राजस्थान में कहा जा सकता है कि तम्बाकू विलासिता की चीज है ? एक आम आदमी तम्बाकू खाता है, चाहे सिगरेट के रूप में पीता है, जर्दा खाता है, पान पराग खाता है या और किसी रूप में सेवन करता है । हमारे गांव के अन्दर भी हुक्का पीना ऐसी चीज है जो सबसे पहले खातिरदारी में दी जाती है । तम्बाकू पर विलासिता के नाम पर टैक्स लगाना उचित बात नहीं है । इसलिये मैंने इसको जनमत जानने को भेजने के लिए कहा है ।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार का पांच सितारा होटलों में जो विलासिता होती है उस पर ध्यान नहीं गया ? क्या राजस्थान सरकार का, जो बड़ी-बड़ी शादियां होती हैं, अनाप-शनाप खर्चा होता है, जहां विलासिता होती है, उस पर ध्यान नहीं गया ? अन्य कई विलासिता की चीजें हैं, एअर कण्डीशनर हैं, उन पर राजस्थान सरकार का ध्यान नहीं गया । विलासिता की केवल एक चीज तम्बाकू पर जो खाने की एक ऐसी चीज है जो जन-साधारण के काम में आती है उस पर राजस्थान सरकार का ध्यान गया है (व्यवधान) बैड हैबिट हो सकती है लेकिन विलासिता इसको नहीं कहा जा सकता है । इसलिए इसको जनमत जानने के लिये भेजना जरूरी है ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इस टैक्स से कोई वसूली नहीं होगी, आपका जो परपज है वह पूरा नहीं होगा, वह क्यों नहीं होगा, मेरा स्वयं का तजुर्बा है । हमारे भरतपुर में मैं म्युनिसिपैलिटी का चैयरमेन था तो वहां आक्ट्राय लगती थी और आगरा के अन्दर आक्ट्राय रेट कम थी, तो भरतपुर के अन्दर लोग स्मगलिंग करके आगरा से सिगरेट लाते थे और भरतपुर म्यूनिसिपैलिटी की चुंगी की आमदनी सिगरेट से बहुत कम हो गयी थी । वही आज यहां होगा । स्मगलिंग शुरू होगी, क्योंकि अन्य स्टेट के अन्दर तो यह टैक्स है नहीं, विलासिता के नाम पर टैक्स नहीं है । यह मेरा तजुर्बा है, मैं आपको निवेदन कर दूं कि महाराष्ट्र के अन्दर जुलाई, 1993 में यह टैक्स लगाया गया । उस समय आमदनी आंकी गयी कि 50 करोड़ रुपये की आमदनी होगी लेकिन वह आमदनी 10 करोड़ से भी कम रह गयी । आन्ध्र-प्रदेश गवर्नमेंट ने

(श्री हरिसिंह)

इस पर दो साल पहले टैक्स लगाया एन्ट्री टैक्स के नाम से चार प्रतिशत का और उसकी आमदनी भी कम हो गयी और महाराष्ट्र सरकार ने जो अपना टैक्स विदड्रा किया उसके सम्बन्ध में उनका जो आर्डर है वह मैं सुनाना चाहूंगा। 17 मार्च, 1993 "The Hon'ble Members will recall that in the current budget, the Union Finance Minister has come down heavily on cigarettes and has increased the excise duty thereon. I now find that the luxury cakes are an irritant. Since then additional burden is now imposed by the Centre, the Hon'ble Members will realise that the State's share from the increased excise duty on cigarettes by the Union Government will correspondingly rise and to some extent effect the loss of revenue involved in this abolition. I, therefore, propose to abolish this tax. This Act is being amended suitably." तो जहां कहीं भी लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पहली बार लगाया गया हो, आन्ध्र में लगाया गया वहां एवोलिश हुआ, महाराष्ट्र में लगाया गया वहां एवोलिश हुआ। यहां भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें स्मगलिंग क्यों होगी? इसलिये स्मलिंग होगी कि एक ट्रक में डेढ़ लाख रुपये की सिगरेट आती हैं। एक आदमी सिर पर ला सकता है, एक कार्ड बोर्ड जिसके अन्दर सिगरेट रखी रहती हैं जिसकी कीमत आठ हजार रुपये होती है और स्मगलिंग करने पर उसमें कम से कम चार सौ रुपये का फायदा होगा। इस प्रकार से इसकी राजस्थान के अन्दर स्मगलिंग होगी, आमदनी कुछ होगी नहीं, आपका पैराफरनेलिया होगा। और फिर आपका सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, अननेसेसरी उन लोगों को तंग करेगा, किसानों को तंग करेगा। यद्यपि आपने किसानों को इसमें एग्जम्प्ट किया है लेकिन कोई भी आदमी अनमेन्युफैक्चर तम्बाकू करेगा जो ब्राण्ड नहीं है, यह ब्राण्ड शब्द आपका ऐसा भयानक और खतरनाक शब्द है, कौनसा ब्राण्ड कहेंगे आप, किसको ब्राण्ड कहेंगे आप? हमारे गांव के अन्दर कलकत्तई तम्बाकू होती है, देशी तम्बाकू होती है उसका नाम भी कोई अन्य ब्राण्ड हो जाएगा और हो सकता है इसमें किसान तंग होने लग जाए, और हो सकता है कि इसके अन्दर छोटे-मोटे आदमी जो इस बिजनस को कर रहे हैं उन पर टैक्स का असर होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें, जनमत जानने के लिये भेजें और जो विचार आपके पास आवें, चाहे बिजनस मैन के आवें, चेम्बर आफ कामर्स के आवें, गवर्नमेंट के इन्ट्रेस्टेड लोगों के आवें, और आपके एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों के आवें, सब प्रकार से आप उनको टाल लें, छान लें इसके बाद में इस प्रकार का टैक्स का एक्ट आना चाहिए यह मेरा आपसे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पादन) पर

(श्री रामनारायण मीणा)

कर विधेयक, 1994 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

माननीय अध्यक्षजी, बिल की भावना, जो विधेयक पेश किया गया है, वह तो सही है लेकिन सरकार के द्वारा सिगरेट को विलासिता की बात मान लिया, इस बात से शायद आज की तारीख में कोई भी सहमत नहीं होगा। अध्यक्षजी, जिस आदमी के लिये कोई चीज विलासिता की हो सकती है यदि वह उसका उपयोग करता है तो उसके लिए आवश्यक आवश्यकता हो जाती है। जिस भावना से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बिल को पेश किया है, आज गांवों में किसान, एक आदमी एक बण्डल बीड़ी का पीता है और एक सिगरट रोजाना पीता है तो उसके लिए वह आवश्यक है। यदि इस पर आपको टैक्स लगाना था तो तम्बाकू से उत्पादित की जाने वाली हर सिगरेट हो, बीड़ी हो या सुपर टाइप की हो या किसी भी टाइप की हो उन सब पर लगाया जाना चाहिये। चूंकि विलासिता सिगरेट की मान ली, कौनसी सिगरेट की मान ली? कोई कैवेण्डर पीता है 25 पैसे की 30 पैसे की, एक पैकिट पी जाता है दिन भर में पांच रुपये का इसलिये ऐसी स्थिति में एक बात तो यह है कि तम्बाकू का जो भी सेवन करता है, ठीक है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह सरकार का जो प्रचार-प्रसार है हम इस बात की ताइद करते हैं, यह भी सही है, टैक्स लगाया गया, वह भी सही है।

एक महाराष्ट्र के बारे में बात आई। महाराष्ट्र में टैक्स लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, विदड्रा क्या किया गया विदड्रा तो करना पड़ा शायद उनको, मेरी जहां तक जानकारी है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और उसमें शायद डिसीजन होना बाकी है। खैर जो भी स्थिति है। चूंकि इसमें दुकानदारों से सम्बन्धित मामला है। शायद इस बारे में मुख्य मंत्रीजी स्वयं भी सोच रहे होंगे कि इसको विदड्रा किया जाना चाहिए।

मैं तो एक बात निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी, कि आपकी भावना शुद्ध है। छोटे, गरीब तबके को आपने इसमें अलग करने की कोशिश की लेकिन वह अलग नहीं होगा। इसलिए कृपया टैक्स लगाएं, सब पर लगाएं, मैं अलग हट करके कह रहा हूं। हालांकि मैं ग्रामीण परिवेश में पला हूं और वही लोग मेरे नजदीक हैं, उन्हीं की बात है इसके बावजूद अगर आप टैक्स लगाएं, कोई विलासिता की बात नहीं है, गांवों में सिगरेट आज ज्यादातर लोग पीते हैं बीड़ी कम पीते हैं इसलिए आप टैक्स लगाएं, किसी को छोड़ें नहीं। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य डा. हरिसिंहजी ने कहा वही स्थिति पैदा हो जाएगी। आप तम्बाकू पर टैक्स लगा रहे हैं, बीड़ी में तम्बाकू का उपयोग होता है। ...(व्यवधान)... जो भी है, तो कृपया जो आपने इस बारे में ... (व्यवधान)....

डा. हरिसिंह : मुख्य मंत्रीजी, आप जो जर्दा खाते हैं और अध्यक्षजी भी खाते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्या? अध्यक्षजी और आप जो बढ़िया क्वालिटी का जर्दा यूज करते हैं उसको आप बख्शेंगे क्या?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं प्रतिपक्ष के नेता से सलाह करूंगा कि हम जो खाते हैं उस पर टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा निवेदन है कि इसमें आपको एक यह अमेण्डमेंट मूव करना चाहिए था ..

श्री परसराम मदेरणा : मैं आदरणीय अध्यक्षजी से सलाह करूंगा, परामर्श करूंगा कि टैक्स लगाया जाना चाहिए कि नहीं।

एक माननीय सदस्य : आप किनसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी आत्मा से करूंगा।

श्री रामनारायण मीणा : सदन की भावना मुझे ऐसी परिलक्षित होती दिख रही है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय अध्यक्षजी जिस चीज का सेवन करते हैं उस पर भी टैक्स लगे, इसलिए मेरा जो प्रस्ताव है, यदि टैक्स लगाना है और इस बात पर यह सरकार कन्फर्म है तो मेरा यह जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने का जो प्रस्ताव है मैं व्यक्तिशः मेरे प्रस्ताव को विदड्रा करता हूं। आप टैक्स लगाइये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री परसरामजी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि The Rajasthan tax on luxuries (Tobacco and its products) Bill, 1994. को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए और सलैक्ट कमेटी को रेफर करने का जो मेरा आर्ग्युमेंट है और लोजिक है, कि 1956 में जैसा कि मुख्य मंत्रीजी स्वयं जानते हैं, मुख्य मंत्रीजी आपका यह रेंट टैक्स है, इसमें टैक्स रेंटल जो अरेंजमेंट है इसमें आपको फाइनेंस सैक्रेटरी फंसा देगा। इसलिए मैं इससे प्रारम्भ करता हूं। क्योंकि जब यूनिफार्म रेट कण्ट्री में नहीं थी, मुख्य मंत्रीजी, तो नेशनल डवलपमेंट काउंसिल के अन्दर 1956 में इस प्रकार का निर्णय हुआ, कि क्योंकि टोबेको और टोबेको प्रोडक्ट्स पर भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग सैल्स टैक्स की दरें हैं इसलिए यूनिफार्मिटी लाने के लिए सभी स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया भारत सरकार के साथ और एग्रीमेंट इस बात का किया कि एडीशनल एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार लगाएगी और भारत सरकार लगाने के बाद में जो फाइनेंस कमीशन बैठेगा वह इस ड्यूटी के शेयर का अलग-अलग स्टेट को उसके शेयर के बारे में डिवोल्यूशन करेगा। यह व्यवस्था 1956 से लगातार चल रही है और इस व्यवस्था को सिगरेट पर टैक्स लगाने के लिए, अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य और कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे, दोनों ही माननीय सदस्यों ने इस बिल का जो आर्बिट है और इसका जो गैमट का पूरा स्कोप है यह बिल में बढ़ा दिया गया है। एंटायर टोबेको और टोबेको प्रोडक्ट्स को उसमें ले लिया गया है जबकि बजट भाषण में, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सिर्फ एक बात कही थी कि मैं सिगरेट पर टैक्स लगा रहा हूं। इसमें सिगरेट का कहीं नाम ही नहीं है पूरे बिल के अन्दर, सिगरेट आपने गायब की है और आप लेना

(१५०)

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहते हैं पावर्स और पावर्स भी अनलिमिटेड और वह भी अनब्रिडल्ड। इतने वास्ट पावर लेकर के आप कल बीड़ी वालों पर लगाएंगे, आपको मना कौन करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका उद्देश्य सिगरेट पर ही टैक्स लगाने का था, अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह जो टैक्स रेंटल अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है, मेरा आर्ग्यूमेंट एक ही है, तर्क एक ही है कि यह राज्य के हित में नहीं है, इससे राज्य की आमदनी गिरेगी। यह प्रश्न सिगरेट का नहीं है, प्रश्न यह है कि जो एक अरेंजमेंट 1956 से चल रहा है उसको बैक डोर से, दूसरे दरवाजे से, सिगरेट जो एक लग्जूरिएस चीज है और इसलिए आज मैन्यूफैक्चर जहां हो रही है वहां लग रहा है एडीशनल ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी।

अध्यक्ष महोदय, ड्यूटीज दो प्रकार की हैं। एक बेसिक एक्साइज ड्यूटी है टोबेको पर और एक एडीशनल एक्साइज ड्यूटी है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी के ऊपर 45 पर्सेण्ट हमारा शेयर फिक्स्ड है स्टेट का और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का जो रेवेन्यू है, स्टेट प्रोसिड्स है उससे उसमें फाइनेंस कमीशन तय करता है कि किस स्टेट को कितना मिलेगा, उसके कंजम्पशन में मिलेगा, पापुलेशन के ऊपर मिलेगा, दूसरा मिलेगा। कल, मुख्य मंत्रीजी, आप मुझ से पूछ रहे थे कि हमने टेंथ फाइनेंस कमीशन में जो मेमोरेण्डम दिया है इसे आप एग्री कर रहे हैं क्या? मैं बोला नहीं मैंने कहा मेमोरेण्डम आपने दिया है और उसके बाद ही मैंने यह अमेंडमेंट रखा क्योंकि इस पर्टीकुलर मामले में मैं ऐसा समझता हूं कि यह जो कुछ भी करने जा रहे हैं एण्टी सोशल एलिमेंट को स्मगल करने का यह एक धन्धा बनेगा राजस्थान के अन्दर। उनको आप कह रहे हैं कि आप एक काम और कीजिए। कल इस सदन में बहुत चर्चा हुई थी, यह दो दिन से हो रही है और बराबर अखबारों में आ रही है कि रोड एक्सिडेंट हो रहे हैं, रोड एक्सिडेंट्स इसलिए हो रहे हैं, कि नेशनलाइज्ड रूट्स के ऊपर जीपों वाले और अवैध गाड़ियों वाले चल रहे हैं। अवैध गाड़ियां अगर आप से बंद नहीं हो सकतीं, तो फिर उन जीपों के अन्दर यह एक कार्डबोर्ड, पूरा का पूरा बाक्स लेकर के, जिसकी आठ हजार कीमत है और जिसमें उसको इन्सेंटिव है, इस टैक्स को बचाने के लिए चार सौ रुपये से लेकर के छह सौ रुपये का एक बाक्स के ऊपर बहुत हल्की चीज है वह डाल लेगा उसके अन्दर आपसे गाड़ियां ही नहीं रुक रही हैं तो वह बाक्स आप कहां सम्भालते फिरेंगे पूरे राजस्थान में? और मैं यह समझता हूं कि स्टेट को लास होगा इससे। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, टैक्स जो लेवी किया गया है अण्डर क्लॉज फोर "Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder" रूल्स में मुख्य मंत्रीजी ने बहुत वास्ट पावर्स ले लिये हैं। there shall be levied on the turnover of receipts of a tobacconist a tax at such rate, not exceeding fiften percent as may be notified by the State Government. यह लेवी आफ दी टैक्स है। अध्यक्ष महोदय, यह टर्न ओवर पर टैक्स है।

श्री अध्यक्ष: सैक्शन 5 भी है एग्जम्प्शन का है इसमें।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो बहुत खतरनाक है. अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़ा है इसको। मैंने सोचा कि यह क्या राज है ? एक तरफ तो टैक्स लगा रहे हो और दूसरी तरफ जो लग्जरी का सेवन कर रहे हैं "Notwithstanding anything contained in this Act, where the State Government is of the opinion that it is necessary in the public interest to do so, it may, by notification in the Official Gazette, exempt a tobacconist fully or partially, whether prospectively or retrospectively from tax payable by him under this Act."

यह तो स्वीपिंग पावर्स हैं। मैंने तो किसी भी एक्ट में यह नहीं देखा कि रेट्रोस्पेक्टिवली रूल्स को हम इफैक्ट कर सकते हैं। यह रेट्रोस्पेक्टिवली इफैक्ट देने के लिए अमेंडिंग बिल तो इस सदन में आते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं भी कई लाया हूं एज प्रभारी मंत्री। लेकिन प्रिंसिपल एक्ट के अन्दर इस प्रकार के पावर रख देना it is a bad draft and bad in law. और इस सरकार की मंशा यही नहीं दिखती कि यह इस सदन के प्रति आन्सरेबल है।

मैं टर्न ओवर की बात कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, टर्न आवर के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि टर्न आवर एक तो वोल्यूम का है कि टोटल सिगरेट इस देश में बिकती कितनी हैं और मैन्यूफैक्चर कितनी होती हैं इस देश में टोटल जो सिगरेट मैन्यूफैक्चर होती हैं उनका वोल्यूम 7.8 बिलियन सिगरेट्स है और उसमें राजस्थान स्टेट का वोल्यूम में शेयर मुख्य मंत्रीजी, 228 बिलियन सिगरेट्स ही हैं। 228 एक पर्सेण्ट ही नहीं है और उसके साथ ही जो राजस्थान की पर्सेंटेज आ रही है टोटल वोल्यूम के अन्दर वह 2.9 पर्सेण्ट है।

दूसरा पाइण्ट लेता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस देश में जो टर्न आवर है सिगरेट का वह चार हजार पांच सौ करोड़ का है और उसमें राजस्थान के अन्दर जो टर्न ओवर है वह 128 करोड़ का है। टर्न ओवर का पर्सेण्टेज जो राजस्थान में बनता है वह टोटल राष्ट्र के टर्न आवर चार हजार पांच सौ करोड़ का 2.8 पर्सेण्ट है। अध्यक्ष महोदय, अभी जो हम एडीशनल एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू जो भारत सरकार को मिल रही है वह टोटल है 928 करोड़। इस 928 करोड़ में से, मुख्य मंत्रीजी, 910 करोड़ स्टेट को दिया जा रहा है। एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में से स्टेट का शेयर 98.079 पर्सेण्ट है, केवल एक पाइंट कुछ पर्सेण्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रख रही है। 928 करोड़ में से 910, इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में 18 करोड़ रुपये रख रही है और वही कलेक्शन चार्जेज होंगे।

अध्यक्ष महोदय, जब रेवेन्यू का हम को 4.68 पर्सेण्ट नाइंथ फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन की वजह से शेयर मिल रहा है एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में, फिर रिडक्शन करके और यह टर्न आवर पर आ जाना, 2.8 पर्सेण्ट पर, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं उससे आपको 17 करोड़ रुपये का लास होगा। अभी आपको 42 करोड़ इस साल मिले, 1993-94 में जो आपको शेयर मिला है एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टोटल एक्साइज ड्यूटी का मिला है ।

श्री परसराम मदेरणा : नो, टोटल एक्साइज ड्यूटी का जो मिला है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी का मिला है आपको 49 करोड़ दो हजार रुपये । और आपको एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का मिला है 42 करोड़ 68 लाख रुपया दोनों को मिलाकर आपको....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट के लिए क्षमा करें । इस सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाने से एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में जो राजस्थान का शेयर है या मिलता है उस क्वांटम में किस प्रकार से कमी आयी है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह आप आपके उत्तर के वक्त ही मुझसे पूछ लेते, बीच में खड़े होकर, आंकड़े तो देखे नहीं हैं इसमें, बीच में ही फाड़ी फंसा दी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 49 करोड़ और 2 हजार, 42 करोड़ 68 लाख, टोटल आपको जो शेयर मिला है वह 91 करोड़ और 7 लाख रुपया मिला है । आगे जो आपको मिलने वाला है वह बेसिक एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाला है 54 करोड़ और 9 हजार, आपके एस्टीमेट से और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाला है 47 करोड़, बेसिक एक्साइज ड्यूटी का पर्सेंटेज बनेगा 5.2524 पर्सेंट और 1990-94 में एक्साइज ड्यूटी का बनेगा 4.689 पर्सेंट और दोनों को मिलाकर आपको अगले साल एडीशनल जो रेवेन्यू मिलेगी वह 9 करोड़ 49 लाख रुपये । मैं यह कह रहा हूं कि जब आप एग्रीमेंट को तोड़ने जा रहे हैं, आपने काफी कोशिश की लेकिन भारत सरकार ने अभी तक आपकी एक भी बात नहीं मानी । इस वेल अस्टेब्लिश्ड अरेंजमेंट में दूसरी स्टेट ने, बैक डोर से जो लग्जरी टैक्स सिगरेट पर महाराष्ट्र ने लगाया जिसका फिस्कल क्या हुआ है ? रेवेन्यू गिरी है । रेवेन्यू ही नहीं गिरी है उनको आक्ट्राय में लास हुआ है बुरी तरह से । मेरा ऐसा मानना है, मुख्य मंत्रीजी, कि आप इस अरेंजमेंट को यह बिल लाकर जो तोड़ने जा रहे हैं This is not a healthy precedent दूसरा कमीशन बैठ जाए, जैसा कि राजस्थान दिवस के ऊपर आपने मांग की है, हालांकि आपकी मांग वह मानेंगे या नहीं मानेंगे; वह आगे भी आप कह रहे हैं कि सरकारिया कमीशन की रिकमण्डेशन मानी नहीं गयी है । अगर आप समझते हो कि पहले वाले की नहीं मानी गयी हैं तो दूसरा कमीशन बैठाकर के फिर आपके हाथ में एक हैण्डिल देना कि बार-बार आप पहले सरकारिया का नाम लो और फिर उसमें शेखावत का नाम लेना शुरू कर दो, यह कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है । इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां आपको इतना बड़ा लास होने जा रहा है, 17 करोड़ और 19 लाख का और जबकि स्टेट को यह एक्स्ट्रा मिल रहा है । दोनों जगह आप एक्साइज ड्यूटी, यह करीब-करीब एक्साइज ड्यूटी है, लग्जरी का नाम है । मैं यह समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे पास में है । आन्ध्र प्रदेश ने टैक्स लगाया, लगाने के 4 महीने के बाद में पूरे के पूरे टैक्स को विदड्रा ही नहीं किया उस एक्ट को पूरे को

(श्री परसराम मदेरणा)

समाप्त कर दिया। दो स्टेट का अनुभव और कुल मिलाकर 5 करोड़ की आमदनी चाहते हैं 5 करोड़ की आमदनी नहीं होगी। आप एंटी सोशल एलीमेंट्स को, स्मगलर्स को और इस प्रकार के धन्धे करने वाले एंटी सोशल एलीमेंट्स हैं उनको आप प्रोत्साहन देंगे। मैं फोरकास्ट करना चाहता हूं आज इस सदन में with all the responsibility at my command कि आपकी रेवेन्यू एक करोड़ और डेढ़ करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, नहीं होगी इसलिए where wisemen fear to tread, the Angels should not rush in. इसलिए आप मेहरबानी करके इसको विदड्रा कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी, बोलना चाहें, बोलिए।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सरकार लायी है, वह मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण की भावना के बिलकुल विपरीत है। जैसा अभी आदरणीय श्री मदेरणा साहब ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट पढ़ा था तो उसमें विलासिता कर में स्पेसिफिकली कहा था कि सिगरेट पीने का शौक अधिकतर समृद्ध और उच्च वर्गों में पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ-साथ विलासिता की वस्तु है। इस दृष्टि से इस पर कर लगाना उपयुक्त ही होगा, अतः सिगरेट पर 5 पर्सेण्ट की दर से विलासिता कर लागू किया जाना प्रस्तावित है, बीड़ी को इस कर से मुक्त रखा गया है। इस कर को लागू करने के लिए एक विधेयक पृथक् से माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाए। इसी कन्टीन्यूएंस में यह बिल आया है तो इसमें सिगरेट का तो कहीं नाम ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह बेडली ड्राफ्टेड है, अन-लिमिटेड पावर्स लेने की बात है और साथ में, जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं उनकी बात बढ़ाते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे सरकार को फायदा कुछ नहीं होगा, सिवाय नुकसान के। हमारे स्टेट ने अब की बार बजट में मोटर वाहनों पर कर कम किया, वह जब किया जब कि 4 साल से यह भुगत लिया कि हमारे यहां गाड़ियां नहीं बिकतीं, फिर मेले लगाये, उनमें भी खर्चा आने लगा तब फिर जाकर उन्होंने इसको अब के घटाया। इसी तरह से, इसके पीछे क्या मूल भावना है? यह इस बिल के पढ़ने से तो कम से कम समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसका विरोध इसलिए भी करना चाहता हूं कि इसमें, आप तो खुद विद्वान हैं, राजस्थान विलासो, यह चार डिक्शनरीज मैंने कंसल्ट कीं, कल से और मुझे यह "विलासो" शब्द कहीं नहीं मिला इंग्लिश टू इंग्लिश भी कर ली, हिन्दी टू इंग्लिश भी कर ली लेकिन "विलासो" शब्द कहीं मुझे नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : इस पर बिन्दी लगा दीजिए।

श्री विष्णु मोदी : यह क्या कहना चाहते हैं, इससे क्या अभिप्राय?

श्री अध्यक्ष : बिन्दी लगा दीजिये, अर्थ बदल जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : फिर मैंने कहा इसको ढूंढ़ते-ढूंढते कि भाई यह टैक्स भी कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक लग रहा है तो मैंने हिन्दी अनुवाद का जो कान्स्टीट्यूशन पढ़ा, उसमें 62 वीं एन्ट्री में विलास वस्तुओं पर कर। संविधान, हमें जो आथोरिटी देता है उसमें लिखा है विलास वस्तुओं पर कर, यह 'विलासो" शब्द कहीं नहीं मिला खूब ढूंढ़ने पर भी खाली इस हिन्दी में....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : थोड़ा कह दूं मैं इस पर। यह विलासो पर बात कर रहे हैं। अंग्रेजी के शब्द जब हिन्दी में हो जाते हैं तो जैसे शैम्पू आया अंग्रेजी का शब्द यह था 'चेम्पो' और उससे ही शैम्पू बना है, वैसा का वैसा ही विलासो है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, लेकिन यह जो कह रहे हैं उसमें तो हिन्दी की हिन्दी हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय हिन्दी रोज होती है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उल्टा हो जाता है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह तो हिन्दी की हिन्दी हो रही है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अंग्रेजी का हिन्दी हो जाता है, हिन्दी का अंग्रेजी हो जाता है। 'चेम्पो' से शैम्पू हुआ है अंग्रेजी के अन्दर, वैसे ही हुआ है यह विलासो।

श्री अध्यक्ष : जहां तक शब्द का सवाल है, मैं समझता हूं वह सही कह रहे हैं। यह शब्द 'विलासो' नया कोइन किया गया है, कैसे किया गया है पता नहीं लेकिन नया है।

श्री विष्णु मोदी : मुझे नहीं मिला, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह चेम्पो से शैम्पो हो गया तो यह विलासो कहां से लाये ? मुझे यह नहीं मिला, हो सकता है। मैंने कल दो घण्टे खराब किये, बल्कि दो मित्रों के यहां डिक्शनरीयां देखी, क्योंकि मेरे पास नहीं थी, उनसे मैंने....

श्री अध्यक्ष : यह मैन जो है इंग्लिश में है।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन उसका इंग्लिश का भी ...

श्री अध्यक्ष : हां, अनुवाद है इसलिए अनुवाद ठीक है।

श्री विष्णु मोदी : लग्जरी का अनुवाद कई जगह दूसरा मिला लेकिन हिन्दी के कान्स्टीट्यूशन में है उसमें विलास वस्तुओं पर कर। यह विलासो कहां से ढूंढ़ के लाये हैं ? यह तो हमारे ड्राफ्टिग करने वाले हैं उन्होंने वास्तव में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके बाद में आगे तम्बाकू वालों पर विलास कर, तम्बाकू वाला, यह भी एक समझ में नहीं आया, पान वाला, होटल वाला, तम्बाकू वाला, आखिर इसको क्यों मजाक बना दिया गया ? क्या सेंक्टिटी है ? हमारा मुख्य काम यहां कानून बनाना है, लेजिस्लेशन बनाना है और उसमें ड्राफ्टिग नयी क्या हमारी मंशा है, किन पर लगाना चाहते हैं ? फिर टर्न ओवर पर आ रहे हैं, इसमें टर्न ओवर पर होगा। वहां

(श्री विष्णु मोदी)

5 पर्सेण्ट बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी पढ़ते हैं और यहां पर 15 पर्सेण्ट तक का लगा रहे हैं, आखिर कितना नान सीरियसनेस से, भाषा का जिसमें ज्ञान नहीं हो, इसमें अधिकारों के बारे में कोई स्पेसिफाई नहीं हो उसके बावजूद इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से देश एक नये युग में जाने वाला है, नयी शताब्दी में प्रवेश करने वाला है, जहां इंस्पेक्टर राज खतम करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी भी अनगिनत घोषणाएं करते हैं, तो इससे सिर्फ इंस्पेक्टर राज होने वाला है । इससे आपको टैक्स नहीं मिलने वाला है । इससे लोगों को हरेसमेंट होने वाला है । यह न शुद्ध छपा हुआ है, न बना हुआ है, न इसमें नीयत साफ है, न इसकी मंशा साफ है, न इससे क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है, वह भी इसमें नहीं है ? मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जल्दबाजी नहीं करें । आप इसकी ओर देखकर, ध्यान देकर जो दूसरी स्टेट्स का एक्सपीरियंस है, उसको देखकर फिर आप इसको लाएंगे तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी । आप बोल रहे हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह सरकार ने यह चाहा है कि इस एक्ट को लाकर पांच करोड़ की अतिरिक्त आय हासिल कर ली जाए, तो यह बात असम्भव है । कारण यह है कि राजस्थान के....

श्री अध्यक्ष : कौनसे अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : लग्जरी टैक्स पर ।

श्री अध्यक्ष : हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : लग्जरी टैक्स जो सिगरेट पर इम्पोज किया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं अमेंडमेंट कौनसा ? दो अमेंडमेंट हैं । किस पर बोल रहे हैं आप ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं तो जनमत जानने पर ।

श्री अध्यक्ष : हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : जनमत जानने पर ।

श्री अध्यक्ष : जनमत पर ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : जी, हां । मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह सरकार की मंशा है कि पांच करोड़ की आय इससे हो पाएगी, यह गलत है क्योंकि राजस्थान के आस पास के जितने भी प्रोविन्सेज हैं, उनमें किसी में भी लग्जरी टैक्स का इम्पोजिशन नहीं हुआ है और उसके कारण से लग्जरी टैक्स का इम्पोजिशन करने से जो एन्हांसमेंट इन सिगरेट की रेट्स में होगा, उसके कारण से यह होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिगरेट्स जो चुंगी चौकी पर से आती हैं और उन पर चुंगी जो लगती है, वह चुंगी नगरपालिका को राजस्व आय के

(146)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

रूप में नहीं मिलेगी बल्कि वह ट्रेन में, कार में और ऐसे लोग जो दो नम्बर का धंधा करते हैं, दो नम्बर का ट्रांसपोर्टेशन का धंधा करते हैं क्योंकि सिगरेट बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा रुपयों की आ जाती हैं और इस तरीके से दो नम्बर की पैदाइश होती है। और इसकी वजह से जो बड़े-बड़े, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके अ जो आज पान विक्रेता या दुकानदार या जो छोटे साइकिल व ठेले पर जो सिगरेट बेचने वाले हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं दे पाएंगे। और इसकी स्मगलिंग होगी। इस स्मगलिंग को रोकने के लिए सरकार की कोई भी नयी योजना नहीं है। यह पांच करोड़ की जो चोरी होगी, उसको सरकार इसी मशीनरी से रोकना चाहती है और यह मशीनरी राजस्थान में जो एक्ट पास होने जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह टोटल महाराष्ट्र की कार्बन कापी है और महाराष्ट्र का जो फेट हैं, वह हमने 16 मार्च को देख लिया है, 16 मार्च को उन्होंने चार करोड़ रुपये की आय मानी थी। लेकिन उनकी चार करोड़ की आय 34 लाख में रह गयी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको हटा लिया।

मेरा यह भी निवेदन करना है कि जो इसमें टोबेको की डेफिनेशन ली गयी है वह सेण्ट्रल एक्साइज एक्ट से ली हुई है और टोबेको मिंस Unmanufactured and manufactured Tobaco as described in the notes and in the table in Chapter 24 of the central Excise Tariff Act, 1985. इसमें यह जो गुटके के अन्दर तम्बाकू का एलीमेंट है, टोबेको का एलीमेंट है, उसको किस तरीके से एलीमेंट कर पाएंगे। अभी तक कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया कि जिसमें हम विधायकगण को यह मालूम पड़ जाए कि यह सरकार किस तरीके से टोबेका का एलीमेंट है, इसको कैसे अलग से एलीमेंट करना चाहती है। ऐसी स्थिति में जब कि वास्तव में कोई आय नहीं हो पाएगी और बाहर के प्रान्तों से तस्करी होकर सिगरेट मिलना चालू हो जाएगा, ऐसी स्थिति में यह जो इम्पोजिशन है, टैक्स का, यह हटाया जाना चाहिए और इसको सलैक्ट कमेटी को दिया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री अनंग कुमार जैन (आबकारी राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो इस बिल के बारे में आशंका जाहिर की, वह एक ही है कि इससे स्मगलिंग बढ़ेगी और लोग दो नम्बर में सिगरेट यहां लाकर के बेचेंगे। इसके अलावा तो उन्होंने भी इस टैक्स को लगाने का कोई विरोध नहीं किया मात्र एक कारण के अलावा। यह बात तो सच है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सिगरेट अधिकांशतः समृद्धशाली और विलासिता की वस्तु मानी जाती है। समृद्ध वर्ग इसका उपभोग में लेता है। इस बार बजट भाषण में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : आप जो बोल रहे हैं, वही शब्द प्रयोग करिए, विलासिता की वस्तु।

श्री अनंग कुमार जैन : जी हां। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट

(श्री अनंग कुमार जैन)

भाषण के अन्दर कई ऐसे आइटम्स हैं, जो साधारण व्यक्ति के काम में आते हैं, आम जन-साधारण के काम में आते हैं, उनमें कई प्रकार के टैक्स की छूट दी है। लेकिन आखिर सरकार को अपने संसाधन जुटाने के लिए कोई न कोई रास्ता तो देखना ही पड़ता है और सिगरेट ऐसी वस्तु है. जैसे बीड़ी है वह पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अन्दर बहुत साधारण आदमी, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाला आदमी भी काम में लेता है। इसलिए इस एक्ट के अन्दर बीड़ी को इससे मुक्त रखा गया है और सिगरेट चूंकि ऐसे वर्ग के काम में आती है, तो उस वर्ग के लिए सिगरेट के ऊपर इस बिल को लाकर टैक्स लगाने का मुख्य रूप से उद्देश्य है। माननीय सदस्यों को जो एक आशंका है कि उससे स्मगलिंग बढ़ेगी ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह सिगार और हुक्के का क्या होगा ?

श्री अनंग कुमार जैन : हैं, साहब ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह सिगार और हुक्के का क्या होगा ?

श्री अनंग कुमार जैन : सिगार तो आ जाएगी उसमें, हुक्के पर नहीं लगेगा.... (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सिगार आ जाएगी और हुक्का पीने की छूट होगी।

श्री चन्दनमल बैद . गुटके का क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : उस गुटके में जर्दा मिला हुआ है, उसका क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसे गुटके का ?

श्री चन्दनमल बैद : जिसमें जर्दा मिला हुआ है, जो आप खाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कभी टैस्ट किया है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, मैं टैस्ट करना चाहता ही नहीं, मैंने तो दारू भी टैस्ट नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं किया है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : आप जो टैस्ट करें, उसको टैस्ट नहीं करना चाहता। मैं तो पूछ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस पर नहीं होगा। आप खाओ खूब।

श्री चन्दनमल बैद : वह आप ही को मुबारक हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बाद में मुबारकवाद देना।

श्री परसराम मदेरणा : दो तरह का जर्दा है। एक तो उसमें सुपारी है, उसमें जर्दा नहीं है और जर्दा अलग रहता है। कई ऐसे गुटके आते हैं जिनके अन्दर होता होगा, वैसे मैंने तो खाया नहीं, क्योंकि मैं कभी-कभी गुटका आपसे लेता हूं और आप

(श्री परसराम मदेरणा)

तम्बाकू, वह अलग रखते हैं, उसके साथ मिली हुई नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको जानकारी नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, इनको जानकारी नहीं है तो ये जर्दा खाते भी नहीं हैं । इसलिए मैं कह रहा था कि इसको....

श्री अध्यक्ष : इसलिए छूट दी है, ताकि श्री चन्दनमल जी बैद खा सकें, ताकि टैक्स नहीं लगे, यह छूट है ।

श्री चन्दनमल बैद : सदन के नेताओं को ही मुबारक है ।

श्री अध्यक्ष : वह छूट इसलिए दी है आपके लिए ।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सब आशंकाओं के बावजूद भी इसलिए इसके अन्दर सैक्सन पांच के अन्दर यह प्रोवीजन भी रखा गया है कि राज्य सरकार जब कभी चाहे तो तम्बाकू से किसी अन्य उत्पादकों को आवश्यक समझने पर कर से मुक्त रख सकेंगी, तो सारे सेविंग क्लाजेज भी इसके अन्दर दिए हैं और इसका जो उद्देश्य है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि करीब 100 करोड़ की सिगरेट राजस्थान के अन्दर बिकती है तो उस पर करीब पांच करोड़ रुपया प्रतिवर्ष राज्य सरकार को इससे एडीशनल आमदनी होगी और राज्य सरकार को जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क मिलता है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, वह यथावत राज्य सरकार को मिलता रहेगा । इसलिए इसमें जो विरोध माननीय सदस्यों ने किया है, मात्र एक स्मगलिंग का ही बताया है । राज्य सरकार के पास जो अपनी मशीनरी है, जो वर्तमान में मशीनरी कार्य कर रही है, जो सैल्स टैक्स वसूल करती है और सैल्स टैक्स विभाग द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाता है तो उसी मशीनरी द्वारा इस कार्य को भी सम्पादित करवाया जाएगा और आक्ट्राय से भी चैक होगा । इसलिए माननीय सदस्यों की जो आशंका है, वह निर्मूल है, इससे राज्य में कोई स्मगलिंग नहीं बढ़ेगी, पांच करोड़ की राज्य सरकार को अतिरिक्त आय होगी और उसी दृष्टि से इस बिल को लाया गया है । अतः माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव मूव किये गये हैं, उनको निरस्त किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

प्रश्न यह है कि राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए ?

(ध्वनि मतदान)

मैं पूछ लेता हूं प्रश्न यह है कि राजस्थान विलासो (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर

(श्री अध्यक्ष)

कर विधेयक, 1994 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विलासो (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रस्ताव करिये मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विलासो (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि पूर्व में मैंने सलैक्ट कमेटी को यह सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा था अब on principle of the Bill इस बिल को मैं अपोज करता हूं। इस बिल के पीछे जो मूल भावना है, राज्य सरकार, जो टैक्स रेण्टल एग्रीमैंट अरेंजमेंट हुआ, वह स्टेट के बीच में। अभी मुख्य मंत्रीजी ने बीच में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मुख्य मंत्रीजी मेरा उत्तर यह है कि यह टैक्स नहीं है, यह एक्साइज ड्यूटी है और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी, आप टैक्स के ओट में लगाना चाहते हैं और जो 1957 का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को आप बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं। इसलिए प्रिंसिपली आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वह राज्य के हित में नहीं है। इसका कोई भी जस्टि-फिकेशन नहीं है। टर्न ओवर आपका 2·6 पर्सेण्ट है टोटल वोल्यूम का और आपको टर्न ओवर का जैसा मैंने अभी बताया था वोल्यूम का 2·9 पर्सेण्ट है और टर्न ओवर का 2·8 पर्सेण्ट है। शेयर आपको एडीशनल एक्साइज ड्यूटी से वह 4·68 पर्सेण्ट मिल रहा है। दोनों को मिला करके आपको 9 करोड़ रुपये मिलेंगे। अगले साल में 9 करोड़ रुपये आपको एक्साइज से एडीशनल रेवेन्यू मिल रही है, मैं इस को नहीं कह रहा हूं, एडीशनल है, ट्रेंड इन्क्रीज और उस ट्रेंड इन्क्रीज से आप सैटिस्फाई नहीं हैं और पांच करोड़ रुपये के लिए आप एक नया टैक्स लाए हैं और वह लग्जरी के नाम से लाए हैं। ऐसे एक्सपैरीमेंट दूसरे स्टेट ने किये हैं और वह बुरी तरह से फ्लाप हुए हैं। इसलिए मैंने एक वार्निंग दी थी। इस वार्निंग को आप सुनना नहीं चाहते और आप यह कह रहे हैं कि उस अरेंजमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। अरेंजमेंट में फर्क कैसे नहीं पड़ेगा It is a direct challange to the arrangement कोई भी स्टेट अगर एक्साइज टोबेको के ऊपर या मैन्युफैक्चर किसी भी आर्टिकल के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है तो भारत सरकार यह सोचेगी, भारत सरकार सोचेगी कि नहीं सोचेगी, मुख्य मंत्रीजी, टैंथ फाइनेंस कमीशन इस बात पर सोचेगा कि अरेंजमेंट अगर इन्होंने तोड़ा है जो आज हमने प्रिंसिपल तय किया है इस प्रिंसिपल को नहीं रखा जाए, क्योंकि उनकी एडीशनल

(150)

(श्री परसराम मदेरणा)

रेवेन्यू सिगरेट के ऊपर टैक्स से हो रही है।

मैं ऐसा मानता हूं कि यह सरकार जो कुछ भी बिना सोचे-समझे, बिना जस्टिफिकेशन के, बिना औचित्य के और हजारों छोटे सेल्स मैन हैं उनका रेग्युलर आन ए स्टेट चैनल है, उससे महरूम रख कर स्मगलर्स को बढ़ावा देने जा रही है और इससे आक्ट्राय बहुत सब्स्टेंशिअल घाटा होगा। आज न आक्ट्राय का लोस है, न सिगरेट को छिपाने की बात है क्योंकि वहां पर लग चुकी है आलरेडी एक्साइज ड्यूटी दोनों प्रकार की जहां से सिगरेट मैन्युफैक्चर होती है, राजस्थान में कहीं भी सिगरेट मैन्युफैक्चर की कोई कम्पनी या ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है।

इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी जो यह एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं, जो टैक्स रेण्टल अरेंजमेंट को तोड़ने का, यह एक्सपैरीमेंट राज्य के हित में नहीं हैं और जो राज्य के हित में नहीं है मैं इसको प्रिंसिपली गलत समझता हूं, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं समझता, उसका कोई औचित्य नहीं समझता। इसलिए इस सदन को इस विधेयक को रिजैक्ट करना चाहिए और पारित नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को नियम बनाने की, नियमों में संशोधन करने की और आय के स्रोत ढूंढने की स्वतन्त्रता है। वह ला सकती है, कर सकती है। मेरा निवेदन यह है कि मादक द्रव्यों पर वास्तव में पाबन्दी होनी चाहिए यह राज्य के हित में कर लेना हो सकता है लेकिन जनता के हित में यह बेचना भी अहितकारी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर बहुत संकोच किया है। इतना कम टैक्स वसूल करने वाली बात, वेग में बात कही है यह बिल्कुल गलत है। यहां पर अगर आपको सिगरेट पर टैक्स लगाना है तो सिगरेट की बात कहनी चाहिए थी। तम्बाकू और उसके उत्पाद, यह बिल्कुल वेग में की हुई परिभाषा है मैं समझती हूं यह उचित नहीं है। मैं तो राज्य सरकार को एक ही सलाह देना चाहूंगी वह यह कि पिछले दिनों एक बात कही थी कि विकास के लिए हमें पैसा चाहिए इसलिए शराब बनायी जाए और उसको बेची जाए। वह भी मादक द्रव्यों में आती है लेकिन विकास की गति जितनी होनी थी उतनी ही है और अभी आप इससे इतना कम पैसा लेकर भी क्या विकास कर पाएंगे, मेरी समझ में नहीं आता। आप 100 करोड़ की उपलब्धि के लिए यह एक सामान्य कर....

श्री अध्यक्ष : आप मादक द्रव्यों का विरोध कर रही हैं कि पक्ष ? आप मादक द्रव्यों का पक्ष ले रही हैं या विरोध कर रही हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : टैक्स लगाने जा रहे हैं, मेरा निवेदन यह है कि उचित यही है कि आप इस पर बिलकुल पाबन्दी लगायें तम्बाकू पर और तम्बाकू के खाने के प्रयोग पर, चाहे वह गुटका हो, चाहे वह फांकने का हो....

श्री अध्यक्ष : यह तो इस बिल में है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चाहे वह पीने का हो, चाहे वह खाने का हो। इन सब पर राज्य में बिक्री पर पाबन्दी होनी चाहिए। यह मेरी आपको उचित सलाह है। मुझे आशा है, आप मानेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, मैं एक बात भूल गया था। आप उत्तर दे रहे हैं। आप यह बताने की कृपा करें कि सिगरेट में जो, स्मगलिंग होगा उसमें एंटी स्मगलिंग स्क्वेड आप करेंगे उस पर कितना खर्चा आयेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रति पक्ष के नेता ने इस विधेयक के सम्बन्ध में कई शंकाएं इस सदन के सामने प्रकट की। अभी अन्त में जाकर एक प्रश्न पूछा है कि इसके लिए आप एंटी स्मगलिंग स्क्वेड बनायेंगे उस पर कितना खर्चा आयेगा ? मैं ऐसा समझता हूं कि सब लोगों को स्मगलर मान कर चलना यह भी सिगरेट पीने वालों के साथ अन्याय है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आपके कहने का मतलब है कि स्मगलिंग नहीं हो रही। ... व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मना नहीं करता कि स्मगलिंग नहीं हो रही है लेकिन कोई मुझे बता दीजिये, भारत सरकार यह जानती भी है कि कुछ चीजों की स्मगलिंग होती है फिर भी उन चीजों पर टैक्स लगाते हैं। स्मगलिंग के डर से यदि कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की जाय यह तो कायरता की निशानी है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि स्मगलिंग होती है तो उसको रोकेंगे, इसमें सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके लिए एंटी स्मगलिंग स्क्वेड बनाने की जरूरत पड़ी या कानून व्यवस्था में और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती, तो निश्चित रूप से किया जायेगा। लेकिन सबको ही मान लें कि जिस चीज के ऊपर टैक्स लगायेंगे उसका स्मगलिंग ही होगा और इसलिए टैक्स नहीं लगाना चाहिए यह धारणा मैं समझता हूं उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि इस प्रकार के टैक्स लगाने से हमने 1957 में जो एग्रीमैंट किया है उस एग्रीमैंट की अवहेलना करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता जानते हैं कि इन ल्यू आफ सैल्स टैक्स, हमने एडीशनल एक्साइज ड्यूटी को स्वीकार किया। आज हम कोई एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाये या ऊपर कोई सैल्स टैक्स लगाये तब जाकर वायलेशन होगा। हम लग्जरी टैक्स लगा रहे हैं और लग्जरी टैक्स लगाने से उस अरेंजमेंट का कोई विरोध नहीं होने वाला है, न ही उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं और इस कारण आप यह चिन्ता कर रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन यह कहेगा कि हमने इन ल्यू आफ सैल्स टैक्स जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगायी थी आज राज्य सरकार ने सिगरेट के ऊपर लग्जरी टैक्स लगाकर उस एग्रीमेंट का ब्रीच किया है। मैं इतना तो मानता हूं कि फाइनेंस कमीशन में जो बैठे हैं उन्होंने कांस्टीट्यूशन भी देखा होगा, फाइनेंस कमीशन में जो बैठे हैं उन्होंने 1957 का जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को भी देखा है। यदि लग्जरी टैक्स के नाम पर

152

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह टैक्स लगाया जाए और उसका कहीं विरोध होता तो महाराष्ट्र ने लगाया। महाराष्ट्र में कानूनी आधार पर इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने स्टे दे दिया हो या इस कानून को बिल्कुल समाप्त कर दिया हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। वहां तो मैन्युफक्चर भी है, वहां सिगरेट के पीने वाले भी ज्यादा हैं। अगर सिगरेट के ऊपर लग्जरी टैक्स के नाम से कोई टैक्स लगा है तो मैं ऐसा समझता हूं महाराष्ट्र के लोग हमसे ज्यादा जागरूक हैं और जागरूक होने के नाते कोई न कोई अब तक कोर्ट में चला गया होता और कोर्ट से इस कानून को स्ट्रक डाउन करा देता।....

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्री महोदय, एक मैं आपसे निवेदन करूंगा। अगर आपने सैल्स टैक्स के बदले में टोबेको का, कपड़े का, चीनी का एक्साइज ड्यूटी का अधिकार भारत सरकार को दे दिया, आपने तम्बाकू पर लग्जरी टैक्स लगाया तो कपड़ा और चीनी पर युटिलिटि टैक्स लगा दीजिये, वह सैल्स टैक्स तो होगा, युटिलिटि टैक्स वह हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लगाये या नहीं लगाये वह दूसरी बात है। लेकिन भारत सरकार से जो समझौता किया है इन ल्यू आफ सैल्स टैक्स, कि हम सैल्स टैक्स नहीं लगायेंगे और उन्होंने एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगायी....

श्री परसराम मदेरणा : वह तो नाम दूसरा लगाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम देखिये, नाम आज का तो है नहीं। अब मैं बता दूं आपको... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : आपने नाम दूसरा लगाया है। बोर्ड के ऊपर अगर आप शेखावत साहब लिख दो, भैरोंसिहजी लिख दो, मुख्य मंत्रीजी लिख दो, तीनों में से एक नाम लिख दो तो बात तो वही की वही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात वही है इसलिए यह कानून केवल राजस्थान ने ही बनाया हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है, महाराष्ट्र ने भी इस प्रकार का कानून बनाया है इस साल मैं समझता हूं केरल में, तमिलनाडू में और हरियाणा में (व्यवधान) मेरी आप बात सुन लीजिये। डाक्टर साहब सुन लीजिये। विथड्रा करने के बाद भी हरियाणा ने टैक्स लगाया, विथड्रा करने के बाद तमिलनाडू ने टैक्स लगाया विथड्रा करने के बाद केरल ने टैक्स लगाया। विथड्रा करने के बाद पश्चिम बंगाल ने टैक्स लगाया। आखिर वहां भी कोई व्यवस्था होगी। वहां भी समझदार आदमी बैठे हैं कि महाराष्ट्र ने विथड्रा कर लिया इस कारण से हम टैक्स नहीं लगायें, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। कानूनी अधिकार आप डरते हैं केवल इस बात से कि स्मगलिंग होगा लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतिपक्ष के नेता ने कम से कम यह तो स्वीकार किया है कि आपकी टैक्स की आमदनी केवल डेढ़ करोड़ रुपये की होगी। यह तो आपने माना है, अब डेढ़ करोड़ रुपये की आमदनी होगी। हम पांच करोड़ की आमदनी करना चाहते हैं। डिफरेंसेज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है साढ़े तीन करोड़ का। वह साढ़े तीन करोड़ का डिफरेंस किस प्रकार से मीट किया जाए, उस सम्बन्ध में जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था हम करेंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह करने की इसमें आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने यह कहा है कि यहां पर ऐसे अनब्रिडल्ड पावर्स लिये जा रहे हैं कि हम रेट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से इसको यूं कर देंगे और रेट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से यह कर देंगे। मैं प्रतिपक्ष के नेता से यह कहना चाहूंगा कि सैल्स टैक्स और लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स का कानून इसी सदन में पारित किया है। किस समय पारित हुआ है, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार की धाराएं उस कानून में भी हैं। उस कानून में धाराएं हैं, उनको आज तक किसी ने चेलेंज नहीं किया तो अनब्रिडल्ड पावर्स ले रहे हो या ऐसे पॉवर ले रहे हो जिन पावर्स की कोई सीमा नहीं है उन पावर्स का मिसयूज करेंगे, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैंने बजट स्पीच में साफ कहा कि हम सिगरेट के ऊपर टैक्स लगायेंगे (व्यवधान) मेरी सुन लीजिये। अब इसमें टोबेकोनिस्ट वर्ड लिया गया है, तम्बाकू वाला। लेकिन मशा क्या है? मंशा केवल सिगरेट पर टैक्स लगाने की है... (व्यवधान) मेरी सुनिये। सैक्शन फाइव में नोटिफिकेशन इश्यू होगा और नोटिफिकेशन में यह बात स्पष्ट होगी। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि केवल सिगरेट के अलावा किसी चीज के ऊपर, बीड़ी या बीड़ी के तम्बाकू के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा इसलिए वह बात तो अपने आप स्पष्ट हो गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कस्तूरी दंत मंजन भी उससे बनता है। कस्तूरी दंत मंजन ज्यादातर गरीब लोग काम में लेते हैं। यह भी तम्बाकू का ही प्रोडक्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप मेरी सुन लीजिये। मैं आपका दंत मंजन भी माफ करता हूं और कोई चीज याद हो तो पूछ लीजिये। सिगरेट के सिवाय कोई दंत मंजन हो, चाहे कान में डालने वाला हो, चाहे पेट में डालने वाली तम्बाकू हो, कोई भी तम्बाकू हो उसके ऊपर इस प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।

श्री परसराम मदेरणा : कान में डालते हैं, नाक में डालने वाला भी माफ। सूंघने वाली तम्बाकू बहुत खुशबूदार होती है। सूंघी है कभी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी माफ है। उस तम्बाकू के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अभी जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या का भाषण तो मैंने सुना लेकिन दुर्भाग्य से मैं समझ नहीं पाया कि वह इसके ऊपर टैक्स लगाने की विरोधी हैं, या इसका उपयोग कम किया जाए इसकी विरोधी हैं, मैं इसको समझ नहीं पाया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : टैक्स लगाये जाएं और इतने टैक्स लगाये जाएं जिससे उपलब्धता किसी के हाथ में न रहे, क्रय शक्ति न रहे इसको खरीदने की, इतना महंगा कर दीजिये जिससे बन्द हो जाए।

(152)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने टैक्स....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्या तो यह कह रही थीं कि इसमें वेगनैस बहुत रखी है आपने। वेग रखा है सब मामला, यह आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यह वेगनैस में ही है सब मामला। बिल्कुल वेग, कम्पलीटली वेगनैस में सर्टेनिटी के साथ क्यों नहीं आये? नोटिफिकेशन निकालेंगे, अब यहां आश्वासन दे रहे हैं। लॉ स्पेसिफिक बनना चाहिए। आप समझ में नहीं आये, आपकी तो ज्यादा समझी हुई बात है। वह एक्सप्लेन पूरा कर नहीं सकी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर दिया उन्होंने एक्सप्लेन।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने एक ही बात वेगनैस की कही है और मैं ताइद करता हूं माननीय सदस्या ने बहुत अच्छा तर्क दिया है। उस तर्क को मैं होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका तर्क एक है कि इस प्रकार की नशीली वस्तुओं के ऊपर टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगाओ, इनका तर्क एक यही है। (व्यवधान) ...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कोर्ट में पूछते हैं ना लीडिंग सवाल, माननीय सदस्या की तरफ से लीडिंग सवाल पूछकर, उनको न तो यह मालूम है कि सिगरेट की कितनी ब्राण्ड होती हैं। उसको आप ....

श्री अध्यक्ष : मगर यहां की परम्परा तो कोर्ट से बिलकुल विपरीत है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मालूम करने की जरूरत नहीं है। नुकसान करती है इसलिए कहती हूं, मालूम करने की जरूरत नहीं है। जहर को चखने की जरूरत नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि जिन चीजों से नुकसान होता है उनके कंजम्शन पर रोक लगायी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंजम्शन नहीं हो और इस पर रोक यही है कि उन चीजों की कीमत थोड़ी बढ़ जाए तो कंजम्प्शन अपने आप कम होगा। इसलिए मैं इनक्लूजन कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक विचित्र बात कही है जो मैं उनसे आशा नहीं करता था।

श्री चन्दनमल बैद : क्यों नहीं करते थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने यह कहा कि आज आपने सिगरेट के ऊपर लग्जरी के नाम से टैक्स लगाया है, कल कपड़ा और चीनी के ऊपर आप लग्जरी के नाम से टैक्स लगाओगे ...

श्री चन्दनमल बैद : यूटिलिटी के नाम से। जैसे आपने तम्बाकू पर लग्जरी टैक्स लगाया है आपने यह कहकर लगाया है यह सैल्स टैक्स नहीं है, उसी तरीके से कल आप यह कह सकते हैं कि कपड़े और चीनी पर यूटिलिटी या नेसेसिटी टैक्स लगा रहा हूं सैल्स टैक्स नहीं लगा रहा हूं। नाम बदलकर आप यह कर सकते हैं। उस वास्ते प्रतिपक्ष के नेता ने जो यह कहा है लग्जरी टैक्स एक मिसनोमर है। इसी प्रकार अगर आप वह टैक्स लगायें वो भी मिसनोमर है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना बता देऊं कि रोटी, कपड़ा, मकान, चीनी, तेल, यह जो ग्रावश्यक वस्तुएं हैं यह लग्जरी की डेफिनेशन में नहीं ग्रा सकतीं ग्रौर तम्बाकू लग्जरी की डेफिनेशन में ग्राया है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है ग्रौर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह होल्ड किया है कि तम्बाकू लग्जरी में ग्राता है। इसी कारण से टैक्स लगाया है। बाकी ...

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्री महोदय, मैं यह नहीं कह रहा था। जो ग्राप नाम बदलकर सैल्स टैक्स के बदले लग्जरी टैक्स लगा रहे हैं, मैं यह कह रहा था उसी तरीके से नाम बदलकर सैल्स टैक्स की जगह ग्राप यूटिलिटी या नेसेसिटी नाम देकर वह टैक्स लगा सकते हैं ग्रौर वह कपड़े ग्रौर चीनी पर लगा सकते हैं। वह मिसनोमर होगा। गलती होगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, ऐसी बात नहीं होगी।

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीमैंट जो हुग्रा है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : एग्रीमैंट के बारे में जिक्र कर दूं, मैं पहले बोल दूं ..

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीमैंट तो तीनों ग्राटिकल का हुग्रा था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ग्रापको बता दूं एग्रीमैंट तीनों का हुग्रा....

श्री परसराम मदेरणा : यह लग्जरी तो नहीं है लेकिन इसमें एक्साइज ड्यूटी लग रही है कि नहीं लग रही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लग रही है।

श्री परसराम मदेरणा : तो वह एक्साइज ड्यूटी लग्जरी पर नहीं लगा रहे हैं, वह नेसेसिटी पर लगा रहे हैं यूं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो लगा रहे हैं ग्रपना एक (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जो ग्रापको रेवेन्यू मिल रही है फोर गो कर दो इसको।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुन लीजिये ग्राप। राज्य सरकारों के बीच में ग्रौर केन्द्र सरकार के बीच में एक एग्रीमैंट था कि तम्बाकू पर, कपड़े पर, चीनी पर, इस पर राज्य सरकारें सैल्स टैक्स नहीं लगाएंगी, नम्बर एक ग्रौर इन ल्यू ग्राफ दी सैल्स टैक्स भारत सरकार एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा राज्यों को मिलेगा। ग्रब एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं ग्राने वाली। यह कोई भ्रम पैदा करे कि हमने टैक्स लगा दिया इसलिए एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में कमी ग्रायेगी। एडीशनल एक्साइज ड्यूटी सारे कण्ट्री में कितनी इकट्ठी होती है ग्रौर उसमें किस राज्य का कितना हिस्सा होता है, उस हिस्से से हमें मिलेगी ग्रौर उसमें कोई ...

डा. हरिसिंह : हिस्सा कैसे तय होगा ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : गाडगिल फार्मूला।

डा. हरिसिंह : ग्रापके यहां जो सेल हुई है, कंजम्प्शन हुग्रा है, उस रेश्यो के हिसाब से हमको मिलेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, वह नहीं है। मैन्युफेक्चर पर कहां एडीशनल.... (व्यवधान) मेरी सुन लीजिये।

डा. हरिसिंह : मेन्युफैक्चर तो है लेकिन राजस्थान को उतना ही पैसा मिलेगा जितनी राजस्थान में सिगरेट बिकी हैं उन रेश्यो के हिसाब से।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको डाक्टर साहब इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में कितनी सिगरेट बिकी हैं, कितनी सिगरेट का विक्रय हुआ है, उस आधार पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का हमारा शेयर तय नहीं होता। एडीशनल एक्साइज ड्यूटी टोटल मैन्युफैक्चर पर कितनी लगनी चाहिये, उस आधार पर तय होता है और अब आधार एक तय हो गया कि एडीशनल एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी हो गयी उसके कारण हमारा हिस्सा कितना बनता है, वह हिस्सा हमें मिलेगा।

डा. हरिसिंह : मैं सोचता हूं आप यह जो बात कह रहे हैं, यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रोपोर्सनेटली कह रहे हैं कि टोटल एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का हर स्टेट को प्रोपोर्सनेटली मिलता है।

डा. हरिसिंह : नहीं-नहीं, प्रोपोर्सनेटली किस हिसाब से तय होता है जिस स्टेट में जितना बेचें। महाराष्ट्र ने तो विथड्रा किया है, उसमें उन्होंने यह कहा है कि हम कम्पनसेट हो जाएंगे जो सैण्ट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से हमारा हिस्सा बढ़ जायेगा। अगर राजस्थान में सेल कम हो जायेगी स्मगलिंग के कारण, या और जो प्रोपर सेल होती है वह कम हो जाएगी तो आपका एक्साइज का हिस्सा कम हो जाएगा जो प्राजैक्ड है वह....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं होगा, मैं आपको कह दूं नहीं होगा और किसी राज्य में इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ है। महाराष्ट्र ने क्यों विथड्रा किया है, उसकी डिटेल्स तो शायद आपको मालूम होंगी। मुझे उसकी डिटेल्स मालूम नहीं हैं लेकिन महाराष्ट्र ने विथड्रा किया है। अब बाकी के राज्यों में लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र से उन्होंने कोई जानकारी नहीं की होगी। जानकारी करने के बाद ही लगा है। अपने अधिकार क्षेत्र में लगा है इसलिए यह संदेह करना कि इससे केवल स्मगलिंग ही होगी और कुछ नहीं होगा। इस पर यह भ्रम करना कि इससे एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में जो हमारा हिस्सा मिलता है, वह हिस्सा हमको नहीं मिलेगा। इससे यह भ्रम पैदा करना कि गरीबों की बीड़ी पर, गरीबों के तम्बाकू के ऊपर टैक्स लगेगा, हुक्का पियेंगे उस पर टैक्स लगेगा, बीड़ी में तम्बाकू काम आयेगी, उस पर टैक्स लगेगा, यह कोई टैक्स लगने वाला नहीं है।

(16.00)

मैंने जैसे बजट स्पीच में स्पष्ट रूप से कहा कि तम्बाकू के ऊपर पांच प्रतिशत का टैक्स लगेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा....

श्री विष्णु मोदी : आपने सिगरेट पर कहा है, तम्बाकू पर नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सिगरेट, सौरी।

श्री विष्णु मोदी : और इस बिल से माननीय मुख्य मंत्रीजी इससे टोटल इंस्पेक्टर राज होगा। इस पर आप नोटिफिकेशन की बात आप कह रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन कितने लोग पढ़ते हैं और कितनी लोगों को कठिनाई होगी। यह बेडली ड्राफ्टेड है, लेंग्वेज इसकी ठीक नहीं है, इसके वाइड पावर्स हैं, इससे एक्साइज ड्यूटी नहीं घटेगी, स्मगलिंग नहीं होगी। इस सम्बन्ध में आप सही होंगे लेकिन इसके बावजूद भी इस बिल में, जो आपकी मूल भावना है, उसके ठीक विपरीत है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको इतना निवेदन कर दूं....

डा. हरिसिंह : जैसा (व्यवधान) ... बेडली इम्पलीमेंट होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस इंस्पेक्टर राज को खतम करने के लिए ही मैंने अपनी बजट स्पीच में एक ग्रीन चैनल की बात कही थी ..

श्री विष्णु मोदी : इसमें आप इसके काम्पलिकेशंस को नहीं समझ रहे हैं, इम्प्लीकेशंस को नहीं समझ रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं करना चाहते। आप स्टेट की रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ाइए लेकिन इस तरह से मत बढ़ाइए के न उसमें मूल भावना हो, न इसका ड्राफ्ट सही हो न इसकी लेंग्वेज सही हो और इसमें इंस्पेक्टर राज आप करना तो चाहते हैं खतम लेकिन इंस्पेक्टर राज खतम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बढ़ेगा नहीं यह मैं आपको एश्योर करता हूं कि इंस्पेक्टर राज ग्रीन चैनल में इन सारे व्यापारियों से बातचीत करके....

श्री विष्णु मोदी : वह परपज हो जाएगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह परपज हो जाएगा। इंस्पेक्टर राज तो अब हर सैल्स टैक्स का आइटम आता है, इसी के साथ इंस्पेक्टर राज की आप बात कर.... (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : स्टेटमैंट है और (व्यवधान) ... भुगतने के बाद मानेंगे ... (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या ?

डा. हरिसिंह : भुगत लोगे और जो आपका ऐम था रेवेन्यू का पांच करोड़ का, वह भी नहीं हुआ....

श्री विष्णु मोदी : और इसमें तकलीफ होगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है ? भुगतने दो।

डा. हरिसिंह : तो भुगतो फिर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, भुगतेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : भुगतेंगे आप अगले साल यहां रहेंगे ही नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : फिर समर्थन करो, फिर समर्थन करो मुझे भुगताना ही चाहते हो, तो समर्थन करो। ...

श्री विष्णु मोदी : लेकिन हम आपको ठीक बात बताना चाहते हैं, इसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ अधिकारियों से गाइड होना चाहते हैं तो जरूर होइए लेकिन आप इसकी बात को भी देख लीजिए इसको रश ग्र् मत करिए। आप खुद अगर इसका अध्ययन करेंगे, खुद अगर इसको तसल्ली से देखेंगे तो खुद सोचेंगे इस बात को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिए। आपने मुझे कहा अधिकारियों से गाइड होने के सम्बन्ध में। अब मैं कहना नहीं चाहता, यदि कोई आदमी टोबेको डीलर्स से गाइड होता है, तो मैं क्या करूं ?...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सभी उधर से बोल गए, हमें... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : वह सब इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने अमेंडमेंट दिया है, उन्होंने अमेंडमेंट दिया है इसलिए बोल रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं और मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आप क्या बोलेंगे इस बारे में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए यह एक रूटीन रिमार्क इस तरह का लगा देना इस सदन में कि आप अधिकारियों से गाइड नहीं हों और मैं कहूं कि टोबेको डीलर्स से अधिकारी ज्यादा अच्छे हैं और टोबेको डीलर्स से हमें गाइड नहीं होना चाहिए। हमने कहा...

श्री विष्णु मोदी : यहां कोई डीलर को जानता नहीं है हम तो इसको पढ़कर, इसकी जानकारी का अध्ययन करके फिर बता रहे है। टोबेको डीलर को तो कोई जानते होंगे तो आपकी पार्टी के लोग ही ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग आपके यहां ही ज्यादा हैं.... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको, डाक्टर साहब थोड़ा ..

डा. हरिसिंह : You have declared us tobacco dealers agent.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैंने नहीं कहा....

डा. हरिसिंह : आपने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल नहीं कहा।

डा. हरिसिंह : आपने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा तो उसको ठीक कर लेता हूं आप सुन लीजिए..

डा. हरिसिंह : या तो आप इसको विदड्रा करिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा है तो इसको ठीक कर लेता हूं। (व्यवधान)... ऐसा है आपके लिए नहीं कहा। मेरी सुनिए...

डा. हरिसिंह : तो श्री मोदीजी के लिए कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री मोदीजी के लिए भी नहीं कहा।

डा. हरिसिंह : तो श्री परसरामजी के लिए कहा ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए, मैंने न श्री परसरामजी के लिए कहा, न श्री मोदीजी के लिए कहा, किसी के लिए नहीं कहा ...

डा. हरिसिंह : तो किसके लिए कहा ?

श्री परसराम मदेरणा : डा. मनमोहन सिंह के बजट पेपर्स से हम गाइड हुए हैं। कोई हम सिगरेट-फिगरेट वालों से कोई गाइड होने वाले नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कोई सिगरेट की पैरवी नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी....

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो आरम्भ से ही....(व्यवधान)....

डा. हरिसिंह : आप यह जो चार्ज लगा रहे हो... (व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : हमें तैयार नहीं होना चाहिए कोई....(व्यवधान)....

डा. हरिसिंह : आप डिमोरलाइज करने के लिए लोगों को गुमराह कर .. (व्यवधान)...

श्री भैरोंसिह शेखावत : साहब, आप डिमोरलाइज होने वाले व्यक्ति नहीं हैं ..

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मुख्य मंत्रीजी तत्कालीन संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है....

डा. हरिसिंह : You should withdraw and feel sorry for it.... (व्यवधान) ...

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब को तो इसका सपोर्ट करना चाहिए कि हैल्थ ग्राउण्ड पर भी बहुत अच्छा है (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : लेकिन (व्यवधान) होने वाली बात पैदा कैसे हो रही है इसमें? We are talking about the interest of the State.

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने यह, डाक्टर साहब एक मिनट मुझे सुन लीजिए। मैंने यह कहा है कि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे यह कहा कि आप अधिकारियों से गाइड हो रहे हैं तो मैंने उसके जवाब में....

श्री विष्णु मोदी : टोटल में तो यह कहना चाह रहा था....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, चार्ज नहीं लगा रहा....

श्री विष्णु मोदी : आप दूसरी जो हम लोगों पर आप जो बात कहकर (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : मोदीजी, अब इस तरह बहस करेंगे तो बात खतम नहीं होगी। आप इनको सुन तो लीजिए, पूरी बात।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप चाह रहे थे, आप कुछ नहीं कह रहे थे, मुझे आपने कहा कि आप अधिकारियों से गाइड हो रहे हैं, तो मैंने आपके जवाब में यह कहा कि मैं किसी के लिए वर्डस करूं यह कह दूं कि टोबेको डीलर्स से गाइड होते हैं तो कैसा लगेगा, किसी पर एस्पर्शन नहीं है (व्यवधान) नहीं, नहीं

डा. हरिसिंह : आपका जो मतलब था वह यह था कि आप ऐसा कर रहे हैं । ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा कह सकता हूं कि सदन के माननीय किसी भी सदस्य के प्रति मैंने यह बात नहीं कही है । मैंने एक साफ बात कही है कि....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बात खतम हुई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे यह आरोप लगाएं, वैसे कोई भी आरोप लगा सकता है कि टोबेको डीलर्स के कहने से कह रहे हैं । तो इस तरह से हल्की बात नहीं कहें, हम भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आते हैं, जनता ने हमको चुनकर भेजा है ...

श्री विष्णु मोदी : वही आते हैं यहां तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं आपको, अधिकारी हमें गाइड नहीं कर सकते ।

डा. हरिसिंह : डेनिग्रेट किया है-वाइ टेलिंग दिस ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं किया.... मैं तो उनको बहुत ऊंचा सम्मान देकर ऊपर की गैलेरी में बिठाना चाहता हूं, कोई बैठे भी (व्यवधान) मैं, अध्यक्ष महोदय, सदस्यों का सम्मान करना और (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सदन का सदस्य, उनको देखना नहीं चाहते, यूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : गैलेरी में बैठने का मतलब तो यह होगा कि इस सदन के माननीय सदस्य जब नहीं होंगे तो गैलेरी में बैठेंगे,....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कहना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : यह प्रेस के सदस्य भी हो सकते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रेस के भी हो सकते हैं लेकिन 1955 में यह हाउस दूसरी तरह का था जब आप वहां बैठते थे, साफा बांधे हुए तो मैं उधर गैलेरी में बैठता था, क्योंकि सदन का सदस्य नहीं था । इसलिए सदन का सदस्य तो यहां बैठेगा । आप यह चाहते हैं कि यह सब सदस्य नहीं रहे और आपने कहा कि मैं वहां बैठा दूंगा.... (व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : बैठा दूंगा नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह नहीं कहा, यह मैंने नहीं कहा....

श्री परसराम मदेरणा : आप वहां बैठा दोगे, आप वहां बैठा दोगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैंने कहा नहीं । यह मैं चाहता हूं कि आप लोग वहां बैठें....

श्री परसराम मदेरणा : People of this State are sovereign. वह बैठा सकते हैं, आप नहीं बैठा सकते हैं किसी को ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है. मैं तो यह चाहता हूं....

श्री जगदीप धनखड़ : गैलेरी में बैठकर बड़ा डर लगता है ब्यावर में आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, आपको तो ब्यावर ही ब्यावर दिख रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। आपने कहा कि इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। यह कोई पान वाले से टैक्स वसूल होगा क्या ?

श्री विष्णु मोदी : आपने तो तम्बाकू वाला ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुन लें। आप यह भ्रान्तियां पैदा मत करिए राजस्थान में जितने भी होल-सैलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं केवल उनसे टैक्स वसूल होगा और मैं अभी डेफिनेट नहीं कह सकता, इनकी संख्या पांच सौ से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप कह रहे हैं कि पान वाले से वसूल होगा, दुकान वाले से वसूल होगा, यह इस प्रकार की स्थिति ...

श्री विष्णु मोदी : माननीय मुख्य मंत्रीजी, अगर आप इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि पांच सौ आदमियों से अगर आप लेने की बात करते तो हम यह कहते ही नहीं इसमें तो आपने तम्बाकू वाला, तम्बाकू वाले का क्या मतलब निकलता है उसका आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिए मोदीजी, मैं आपकी बात को बहुत गम्भीरता से लेता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि आपने अध्ययन किया है और ..

डा. हरिसिंह : गम्भीरता से लेते हैं आप, तम्बाकू वालों का तो एजेंट बता दिया और गम्भीरता से ले रहे हैं आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलते हैं तो गम्भीरता से बोलते हैं, अध्ययन करके बोलते हैं। आप धनखड़ साहब की तरह तो नहीं बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्षजी, On a point of clarification.

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा एक छोटा सा निवेदन है। (व्यवधान) मेरा एक छोटा सा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी से (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्षजी, मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रति मेरा आदर है (व्यवधान) उनको बैठाइए एक बार....

श्री अध्यक्ष : बैठ गये, बैठ गये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह अपनी सीट से बोलें, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री जगदीप धनखड़ : हां, मैं सीट पर हूं क्या आपको पता नहीं है मेरी सीट कौनसी है ? यही सीट है मेरी (व्यवधान) माइक यह लेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिए, बोलिए आप।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकारी चीफ व्हिप होकर आपको ध्यान नहीं है इस बात का। (व्यवधान) Sir, As a member of this House, I need your protection. सदन के नेता ने....

श्री अध्यक्ष : इसलिए आपको बोलने की इजाजत दे रहा हूं मैं।

श्री परसराम मदेरणा : On a point of order, Sir. अध्यक्ष महोदय, rules are very clear कि कोई भी एक माननीय सदस्य जब इस सदन के फ्लोर के पजेशन पर है, पजेशन लिया हुआ है, दूसरे माननीय सदस्य आपकी अनुमति के बिना खड़ा नहीं हो सकता। आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बोला ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर बिल्कुल वेलिड है, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो दूसरे को बोलने का सवाल ही नहीं, खड़ा भी नहीं होना चाहिए अपनी सीट पर वह वाइलेशन ऑफ कण्डेक्ट है (व्यवधान) क्या कर रहे हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्षजी, As a member of this House, I need protection.

श्री अध्यक्ष : इसलिए आपको इजाजत दे रहा हूं बोलने की।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, कई बार मैंने देखा है, मैं मानता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी अच्छे आदमी हैं पर इनका शिक्षा का स्तर तो हम बढ़ा नहीं सकते, जैसा बैक-ग्राउण्ड इनका बना है, उसको हम सुधार नहीं सकते, एक्सपीरियस के आधार पर घिस-घिस कर इन्होंने बहुत सी चीजें सीख लीं। इनके मुँह से निकलेगा, प्लानिंग कमीशन, फाइनेन्स कमीशन, सरकारिया रिपोर्ट, तो मैं क्या इनको विद्वान मान लूंगा ? मैं इनको पारगंत नेता मान सकता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरी उम्र के नहीं हैं आपको एक सलाह फिर भी दूंगा कि कल आपने प्रतिपक्ष के नेता को रिडिक्यूल और बीलिटिल करने का प्रयास किया जिनकी विद्वता को सब जानते हैं। और आप यह सोचते हैं कि उनको विद्वान कहकर, आज तक न तो मैंने कभी प्रयास किया है कि आप मुझे कोई सर्टिफिकेट दें और न मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई भी मुझे कहेगा कि आपसे सर्टिफिकेट लिया जाए। मुझे आप राजनैतिक समर्थन दें इसकी मैं सदा कामना करता रहा हूं। कहता रहा हूं।

माननीय अध्यक्षजी, मुझे जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा मुझे पता नहीं किस आशय से कहां पर आज मुख्य मंत्रीजी ऐसा लगता है कि अस्वस्थ हैं। इनके मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह इलाज के लिए जल्दी जाएं। कारण यह है, कारण बताता हूं, माननीय अध्यक्षजी, कुछ खबरें ऐसी छप गयीं आपको लेकर कि मुख्य मंत्रीजी चिन्तित हो गये और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और आर.एस.एस. ने आप पर क्या कर दिया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आपका एक्सप्लेनेशन खतम हुआ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्षजी मुझे बात कहने दीजिए। मैं इनको एक मिनट को डाइग्नोज कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात का एक ठेका ले लिया कि कौन सदस्य क्या कंटेम्प्ट वाली बात करता है, कौन सदस्य विकास की बात

(श्री जगदीप धनखड़)

करता है । अजी म्हाने बेरो है ठाकर साहब, बिल्ली के भाग को छींको टूट गयो, थे तो भाग की खाओ हो, ना ही नौकरी करता करता के बेरो एडीशनल एस. पी. तक भी पहुंचता कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : हमें सर्टिफिकेट देने का काम बन्द करो ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैं आपके राजनैतिक समर्थन की कामना करता हूं । यह तो कहा ?

श्री जगदीप धनखड़ : हां कहा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : .. लेकिन मेरे हाथ जले हुए हैं । मैंने आपको झुंझुनूं में समर्थन दिया था, कांग्रेस के विरोध में आप चुनाव लड़े थे । आपकी खातिर मैंने झुंझुनूं जिले का दौरा किया । आपने मेरे साथ क्या किया ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको टोका नहीं । आप बोल रहे थे धीरे-धीरे, मेरी बीमारी की बात और सब बातें कहीं लेकिन जिस आदमी का दूध में हाथ जला हुआ हो वह छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है ।इसलिए मैंने अपने हाथ झुंझुनूं में जला लिए और जलाने के बाद में आप राजनैतिक समर्थन की कामना करो यह तो मैं समझता हूं कि मांग अनुचित ही कर रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : कोई हाथ और कान आपने नहीं जलाये । आपकी पालिटिकल स्टेट्जी थी कि देवीलाल जी और जितने भी समर्थक भी थे उनमें डिवाइड एण्ड रूल किया जाए और उसमें यह आपके हाथ जले ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं-नहीं, इसमें कामयाबी तो इनके मार्फत ही हुई ना । यह अगर नहीं होते तो मैं कामयाब नहीं होता ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है....

श्री विजयेन्द्रपाल सिह : अध्यक्षजी, हमें तो आपने कह दिया कि खड़े नहीं हुआ करें और यह क्या है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी बात सुन लें....

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं आपने एक बहुत गम्भीर आरोप लगाया है । माननीय मुख्य मंत्रीजी आपने यह गम्भीर आरोप लगाया है और मुझे इस बात का जवाब देने का अधिकार है....

श्री अध्यक्ष : अभी-अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने पाइंट आफ आर्डर उठाया और मैंने उस पर व्यवस्था दी और आप तोड़ रहे हैं । वह बोल रहे हैं, यील्ड नहीं कर रहे हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने इसलिए सारा यह गुस्सा दिखाया कि आप इस बात पर नाराज हो गये कि मैंने मोदीजी की तारीफ कर दी । आपकी नाराजगी का कारण यह है ।

श्री चन्दनमल बैद : तारीफ वापस ले लीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहें तो वापस ले लूं। अगर मुझे धनखड़ जी कहें कि जो कुछ मैंने मोदीजी के पक्ष में तारीफ की बातें कहीं मुझे वापस लेना चाहिए, क्योंकि अनपार्लियामेंटरी है, तो वापस ले लेता हूं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें तो आपत्ति नहीं है कि मैंने....

डा. हरिसिंह : आप कहते हैं कि आपने हाथ जलाये, आपने कितने लोगों को चक्कर दिये हैं यह भी सामने आ जाएगा। ज्यादा मत कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो भी अच्छा काम करता रहेगा उसकी तारीफ करूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री भीमराज भाटी : पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर वह उठा रहे हैं। आप उस पर उठा रहे हैं पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। (व्यवधान) फिर आप नहीं उठा पाएंगे। वह पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं। (व्यवधान) बोलिये आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रोजमर्रा की आदत सी हो गयी है। मेरा यह मानना है कि सदन का बहुमूल्य समय वेस्ट किया जा रहा है यहां पर और जनता के पैसे की बरबादी हो रही है। यह तो आपसी नोंकझोंक है। यह आपसी नोंकझोंक तो किसी के भी चैम्बर में हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : आपका पाइंट आफ आर्डर अपहैल्ड किया गया। बिलकुल सही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना। मैंने सब बातों का क्लेरीफिकेशन कर दिया। सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विलासो (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ?

(ध्वनि मतदान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विलासो (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विलासो (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को पारित किया गया।

सूचना

ब्यावर में पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

श्री जगदीप धनखड़ : पाइन्ट आफ इनफर्मेशन सर, जस्ट वन मिनट....

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर सर (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में इनफार्मेशन दी थी कि ब्यावर में पानी की किल्लत को लेकर लाठी चार्ज हुआ है। उस समय मेरे पास इतनी ही इनफार्मेशन थी कि अखबार वाले पत्रकार और कुछ फोटोग्राफर्स, इसमें जख्मी हुए हैं, किन्तु आज ट्रिकल डाउन हुआ है, अभी और इनफार्मेशन आयी है कि करीब 60-70 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें 10-15 वकील हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, कुछ पत्रकार हैं–सभी उसमें शामिल हैं और शहर की हालत कर्फ्यू जैसी हो रही है इसलिए हमारे सभी साथी और उस समय जो धनखड़ साहब कह रहे थे वह इनफार्मेशन ले करना चाहते थे यह सारे सदन की चिन्ता का विषय है और इसमें अभी आज ही तत्काल कोई व्यवस्था सरकार दे तो मैं समझता हूं कि अति उत्तम होगा, उचित भी होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में आज एक खबर थी जिसकी चिन्ता सदन में शून्यकाल में हम सब ने आपको जतायी। सरकार का ध्यान हमने आकर्षित किया कि वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर की पिटाई की गयी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है उसके घर का घेराव किया गया और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गये। आज जो स्थिति है, माननीय अध्यक्ष जी, उस स्थिति के बारे में मैंने व्यक्तिगत जानकारी की है। अजमेर पत्रकार संघ के महासचिव श्री एस. पी. मित्तल से, राजनैतिक कार्यकर्त्ता श्री दिनेश जी से, मोहन खत्री से, एक वकील श्री रामेश्वर मेवाड़ा से और व्यक्तिगत जानकारी के बाद जो हालात हमें पता लगे वह यह हैं कि वहां पर पत्रकार जख्मी हुए हैं राजस्थान पत्रिका के सिद्धार्थ जैन जख्मी हुए हैं, दैनिक नवज्योति के श्री प्रमोद जख्मी हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। राष्ट्रीय सहारा के श्री विष्णुदत्त भर्ती हुए हैं और फोटोग्राफर्स को भी चोट आयी हैं। अध्यक्ष जी, करीब 10 वकीलों को इस प्रकार की चोट आयी है और कुछ उनमें से अस्पताल में भर्ती हैं।

अध्यक्ष जी, जानकारी मिली है कि करीब 200 से ज्यादा लोग आहत हुए हैं और 60 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें दो महिलायें भी हैं। कईयों के फ्रेक्चर्स हुए हैं, सिर पर चोट लगी है और ऐसा आतंक फैला हुआ है कि जो पानी की मांग कर रहे थे उनको इस सरकार ने डंडा दिया है। अस्पताल के अन्दर क्या हो रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, कि जो भी उनसे मिलने जाता है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और जो इलाज के लिए भर्ती हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकारी अधिकारियों को भी इस दमन का शिकार होना पड़ रहा है और जो असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर हैं वह भी चोटग्रस्त हैं।

माननीय अध्यक्षजी, ऐसी स्थिति में जहां नागरिकों के ऊपर इस प्रकार का आतंक हो, जहां पत्रकारों को नहीं बख्शा जा रहा हो, जहां वकीलों के ऊपर इस प्रकार अत्याचार हो रहे हों तो, माननीय अध्यक्ष जी, जागीरदारों के समय भी

(श्री जगदीप धनखड़)

अत्याचार इस हद तक नहीं थे जितने आज के दिन हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि तुरन्त ब्यावर के अन्दर स्थिति को सामान्य किया जाए, पुलिस आतंक को समाप्त किया जाए और नागरिकों में जो असन्तोष है और असुरक्षा की भावना है उसको समाप्त किया जाए जो इलाज करा रहे हैं अस्पताल में—पत्रकार हैं, वकील हैं, नागरिक हैं, औरतें हैं, उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। उनकी गिरफ्तारी को रोका जाए। पेयजल समस्या का तुरन्त निराकरण करते हुए यहां से पुलिस दल भेजा जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने जो कार्यवाही की है उससे जनता में भारी असन्तोष है। यहां तक जानकारी मिली है कि रेल मार्ग को भी लोगों ने रोका, क्योंकि पानी की समस्या वहां इतनी विकट थी कि छह-छह दिन में एक घण्टा पानी मिलता था। ऐसी स्थिति में जहां सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था वहां सरकार डण्डे बरसा रही है। इस स्थिति में आप इस सदन की गरिमा को कायम रखते हुए कम से कम सरकार को आदेश दें कि वह इस पर आज वक्तव्य भी दें और लोगों को राहत भी तुरन्त पहुंचाए।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता के पश्चात् ब्यावर में इस प्रकार क्रूरता का पुलिस के द्वारा जो ताण्डव नृत्य आज हुआ है, सम्भवतः कभी नहीं हुआ। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो घटना को देख रहे थे और प्रभावित हुए थे, उन्होंने रोते हुए टेलीफोन पर इस बात को बताया कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने जो हास्पिटल में अपने मरीज रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे उनको भी पकड़-पकड़कर बुरी तरह से पीटा। पानी जो कि मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है, उसके लिए अगर ब्यावर की जनता अपनी मांग को लेकर अधिकारियों के पास जाए और पुलिस उस निरीह जनता के ऊपर लाठी बरसाये, डण्डे बरसाये तो स्वाभाविक है जनता का भड़कना 5–7 पत्रकार जो जख्मी हुए हैं वे तो बिलकुल बेकसूर थे। वे तो इस घटना को अपने अखबारों में देने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वहां गये थे। जैसा कि धनखड़ जी ने बताया, उनके अलावा भी सिद्धार्थ जैन, प्रमोद वाजपेयी, अरविन्द दीमन, कमल बारोठिया, ये पत्रकार बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और हास्पिटल में भर्ती हैं। वहां के ए.पी.पी. को और किसी ने नहीं पीटा, वहां की पुलिस ने वहां के ए.पी.पी. को पीटा है। वहां पर महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और महिलाओं की भी पिटाई की गयी। अभी 62 मरीज हास्पिटल में भर्ती हैं। अन्य भी प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती हैं।

श्री अध्यक्ष : 62 में महिलाएं कितनी हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह : दो हैं।

अन्य प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हास्पिटल जाएंगे तो हास्पिटल के पास में पुलिस बैठी हुई है, पुलिस पिटाई करेगी। लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार का भय और आतंक का वहां वातावरण बना हुआ है कि उसकी कल्पना नहीं

(श्री लक्ष्मण सिंह)

की जा सकती। अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू वहां पर फैला हुआ है। इसके अलावा जो वकील जख्मी हुए और हास्पिटल में भर्ती हैं उनमें विजय नारायण, रामचरण गोयल, मुकेश दुबे और डी. डी. राठौड़ हैं। डी. डी. राठौड़ जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वे घायल हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवाल भी घायल हुए हैं। घायल अवस्था में पुलिस ने उनको लाक-अप में रखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस संवेदनहीन सरकार से इस वक्त मांग करता हूं कि तुरन्त यहां से रेस्पांसिबल मिनिस्टर को वहां पर भेजा जाए, वे वहां जाकर व्यवस्था बनाने में मदद करें। मांग वहां की एक ही है कि पानी की आवश्यकता है। आज सात दिन में पानी दिया जा रहा है जनता को और वहां के अधिकारीगण को चौबीस घण्टे पानी मिलता है। पी एच. ई. डी. के अधिकारी को 24 घण्टे पानी मिलता है, एस. डी ओ. के 24 घण्टे पानी मिलता है, ए. एस. पी. के 24 घण्टे पानी मिलता है। पब्लिक को सात दिन में पन्द्रह मिनट के लिए अगर पानी मिलेगा तो पब्लिक क्या करेगी? मेरे हिसाब से तो, यह पब्लिक का जो गुस्सा भड़का है यह मुख्यतः पानी की समस्या के कारण से भड़का है। इसलिए मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि यहां से अपने मिनिस्टर साहबान को वहां भेजा जाए इस समस्या का निराकरण करने के लिए।

इसके साथ-साथ पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मैं मांग करता हूं, क्योंकि जब तक इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग नहीं की जाएगी ब्यावर का बन्द कभी भी लिफ्ट नहीं होगा, ब्यावर की जनता सन्तुष्ट नहीं होगी कि दोषी कौन हैं। दोषी अधिकारियों ने उस निर्दोष जनता के ऊपर जो डण्डे बरसाये उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ब्यावर में पेयजल समस्या का निराकरण हो। पेयजल एक दिन में एक बार निश्चित रूप से दिलाया जाए। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्रीजी अगर इस पर वक्तव्य दें तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, समस्या जिस तरह की घटी है और जो घटना हुई है वह आज होनी थी इसलिए हो गयी। ब्यावर की जो पानी की समस्या है वह दिनों दिन गम्भीर होती जा रही है। हमने हमेशा, जिस-जिस माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते थे, किया कि ब्यावर की समस्या गम्भीर होती जा रही है। स्थिति बिगड़ी इसलिए कि पानी की समस्या है और जल स्तर गिर रहा है, अजमेर जिले की अगर परिस्थिति है लेकिन वहां नैग्लिजेंस और इनएफीशिएंसी भी इस कदर हो गयी कि जो कुछ अवेलेबिलिटी थी उसमें भी कमी आयी। अभी आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी ने बताया कि अधिकारियों को रोज पानी मिले और जनता को एक हफ्ते में 15 मिनट के लिए पानी मिले। बड़ी गम्भीर स्थिति थी। लायंस क्लब और बाकी संस्थाओं के लोग मिलकर गये। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें एक माब मैण्टलिटी भी आ जाती है। पी. एच. ई. डी.

(श्री विष्णु मोदी)

के इंजीनियर के खिलाफ, क्योंकि पानी अधिकारियों को दिया जाता था, उसके घर में आता था इसलिए, वहां कहा-सुनी हुई और वहां उसकी पिटाई हो गयी। उस वक्त एस. डी. ओ. वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन एस. डी. ओ. से रात को लायंस क्लब के और कुछ सम्भ्रान्त लोगों ने बात की। आज दिन में काफी हुजूम एस. डी. ओ. कोर्ट में चला गया। वहां लाठी चार्ज हुआ, लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस तरह का वातावरण बन गया कि एडमिनिस्ट्रेशन और जनता, अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू है और लोग घर से निकलने में डर रहे हैं कि जहां कहीं मिले उसकी निर्दयता से पिटाई हुई। इन सारी परिस्थितियों में मैं आपके माध्यम से सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से कोई मंत्री, आदरणीय भंवरलाल जी जाएं तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि उनसे सम्बन्धित विभाग है। माननीय गृह मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादती न हो और जिन्होंने ज्यादती की है उनके खिलाफ कार्यवाही हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उस चिन्ता में मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने पानी के विषय में जिस प्रकार की चिन्ता प्रकट की है उसकी चर्चा इस सदन में कई बार हो चुकी है।

पानी की व्यवस्था करने के लिए टैंकर्स लगाये गये थे। जितनी आवश्यकता है उतना पानी टैंकर्स से नहीं जाता उसके लिए भी हमने टैंकर्स की संख्या बढ़ाने के लिए आदेश दिये। टैंकर्स किनके काम में आएं, उसके लिए भी मैंने तो यह कहा था कि टैंकर किसी आदमी के पास भी हो और वह पानी ला सकता है तो कुछ रेट्स तय कर दी जाएं जिन रेट्स के आधार पर सबको भुगतान हो। उसमें कुछ आशंकाएं इस बात की थीं कि पानी पूरा आएगा कि नहीं आएगा, कहीं भुगतान में गड़बड़ी हो गयी तो फिर उसकी चर्चा होगी। इसलिए व्यवस्था की गयी कि टैंकर्स के लिए काण्ट्रैक्टर्स के लिए बिड्स इंवाइट की जाएं और लोगों को टैंकर्स से पानी उपलब्ध कराया जाए।

यहां पर यह भी चर्चा आयी कि कुछ इंजीनियर्स वगैरह पानी का अपने लिए तो उपयोग करते थे लेकिन जनता के लिए उपयोग नहीं कर रहे थे। उस कारण उसके घर पर पहुंचना और इंजीनियर के साथ मारपीट करना, इससे यदि पानी की समस्या का समाधान होता है तो मैं समझता हूं कि फिर तो एक ही इलाज होगा, जहां जिस प्रकार की व्यवस्था हो ...

श्री किशन मोटवानी : यह डिस्टार्शन है। वे एस. डी. ओ. के दफ्तर में ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री किशन मोटवानी : यह डिस्टार्शन है, घर पर नहीं गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बात सुन लीजिए फिर बोल लीजिए।

श्री किशन मोटवानी : ए.ई.एन. के घर पर नहीं गये, कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घर नहीं गये होंगे लेकिन यह आप मना करते हैं क्या .

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमैंट स्टेटमैंट दे रही है क्या ?

श्री किशन मोटवानी : जब माव वहां इकट्ठी हो जाए, जिस तकलीफ में माव थी, वह एस. डी. ओ. के आफिस में इकट्ठा है, वह सामने आ जाए तो उसको छोड़ देंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एस. डी. ओ. की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के असिस्टैंट या जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा हूं ।

श्री किशन मोटवानी : इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं पी. एच. ई. डी. का ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पी. एच. ई. डी. के । अब आप मुझे बता दें, आपकी जानकारी हो, कि उसको पीटा....

श्री किशन मोटवानी : हमने कहा है कि पीटा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी तो मानते हैं कि पीटा ?

श्री किशन मोटवानी : हम कह रहे हैं कि पीटा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि घर गये उसके ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज क्यों हो रहे हैं ?

श्री किशन मोटवानी : देखिये, इसमें फर्क है । अगर वह माव के सामने आ जाए और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस व्यवस्था को आप पसन्द करेंगे क्या ?

श्री किशन मोटवानी : लेकिन कल लाठी चार्ज नहीं हुआ है, लाठी चार्ज आज हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बात कह रहा हूं, आप मेरी सुनिये ।

श्री किशन मोटवानी : आपसे We don't expect this thing.

श्री लक्ष्मण सिंह : अगर ए. ई. एन. कहता है कि मेरा तबादला करवा दो ...

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मण सिंहजी, आप पूरी बात सुनेंगे नहीं ? आप एक वाक्य पर आपत्ति कर रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए । वे अपनी बात जिस ढंग से रख रहे हैं, पूरी सुन तो लीजिए । (व्यवधान) आप पूरी बात सुनोगे तो पता चलेगा कि डिस्टार्शन है । मैं भी सुन रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, आप देखिये, वह क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं जिसको आप उसका उद्धरण पेश कर रहे हैं, is the Government making a statement ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I am making a statement on behalf of the Government.

श्री परसराम मदेरणा : Does the Government know the facts ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Yes.

श्री परसराम मदेरणा : Then it is all right.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I am speaking. You, please, hear me. मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि मुझे कोई यह कह दे कि वह जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर उसकी पिटाई हुई या नहीं हुई। हुई है, पिटाई हुई है और आप यह कहते हैं कि लायंस क्लब के लोग गये थे, लायंस क्लब के लोग पीछे हट गये और माब आगे आ गया और माब आकर इंजीनियर की पिटाई करे तो क्या उनको फूल मालाएं पहनाई जायेंगी? आप यह व्यवस्था कर लें मैं प्रतिपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूं कि कमी किसी चीज की हो सकती है, पानी की भी हो सकती है, ईंधन की भी हो सकती है, खाने-पीने की भी कोई कमी हो सकती है। कमी की पूर्ति करना सरकार का काम है। यदि किसी कारण से कमी की पूर्ति नहीं हुई तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था को सदन स्वीकार करता है कि जो भी आफिसर उसके लिए रेस्पोंसिबल है उसकी पिटाई की जाय? और इस प्रकार की व्यवस्था हो गयी तो ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन कहां पहुंचेगी, इसका आप अनुमान लगा लीजिए।

श्री किशन मोटवानी : क्या आप यह मानने को तैयार हैं कि आज जो जनता की पिटाई करी वह इसीलिये करी।

श्री लक्ष्मण सिंह : ....आज पानी नहीं मिलता है, सारी घटना के लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)... श्री लक्ष्मण सिंहजी पूरी बात सुने....

श्री लक्ष्मण सिंह : 7 दिन तक पानी नहीं मिलता है....

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंहजी प्लीज....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं ...

श्री लक्ष्मण सिंह : ....अगर कोई रेस्पोंसिबल नहीं है तो आप रेस्पोंसिबल हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंहजी कृपया सुनें... (व्यवधान)... श्री लक्ष्मण सिंह जी, प्लीज सिट डाउन.... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस तरह से सरकारी अफसरों को मारा गया तो आप यह मानकर चलिए सरकार भी अपना कर्तव्य पूरा कर रही है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप पानी दे नहीं सकते। सरकारी अफसर दुर्व्यवहार करेगा तो वह क्या करेगा। जनता वहां प्यासी मरे।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकारी अफसर को आप जाकर यों पीटें।

श्री जगदीप धनखड़ : वकील, पत्रकार सब मारे गये, उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता रहा हूं, वकील, पत्रकार सबकी बात कर रहा हूं, आप सुनिये तो सही....

श्री जगदीप धनखड़ : आपका ध्यान एक इंजीनियर की पिटाई पर, पूरी बात को खतम करना चाहते हैं....

श्री लक्ष्मण सिंह : और एक लाख ब्यावर की जनता प्यासी मरे। सात दिन के अन्दर पानी क्यों दे रहे हैं आप ? प्रश्न मुख्य मंत्रीजी हम पूछेंगे आपको जवाब देने हैं, आप प्रश्न मत पूछिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दे रहा हूं सुनिये तो ...

श्री लक्ष्मण सिंह : हां, तो आप जवाब प्रश्न पूछकर मत दीजिए, आप जवाब सीधे-सीधे दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप किसी को पूछकर नहीं ... (व्यवधान) ...

श्री लक्ष्मण सिंह : यह हमारा अधिकार है प्रश्न पूछने का...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दे रहा हूं ..

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने प्रश्न बहुत पूछ लिये, अब वहां बैठकर के जवाब दीजिए अगर आप जवाब न दें .. (व्यवधान) ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिये जवाब।....

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी आपके पास फैक्ट्स नहीं हैं (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। जो भी फैक्ट्स हैं आप सुनिये।.... (व्यवधान) ..

श्री जगदीप धनखड़ : प्रतिपक्ष के नेता ने बिलकुल सही बात कही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी वहां ब्यावर जाकर मिलें ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। आप क्यों खड़े हो गये, ये ही बहुत हैं जवाब सुन लीजिए

श्री लक्ष्मण सिंह : जाने की जरूरत नहीं है मुख्य मंत्रीजी। टेलीफोन पर सारी इन्फार्मेशन मिल जाती है, मैं वहां पर 35 साल से रहता हूं .. (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मण सिंहजी आप सुनना चाहते हैं या नहीं ?... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : I know better than you about Beawar at least.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : .... मेरे पास भी है।

श्री लक्ष्मण सिंह : I know more than you about Beawar at least

श्री भैरोंसिंह शेखावत . आप मेरी बात तो सुनें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये बोल रहे हैं न ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं उनको ? Why are you defending your officers ? आप गलती क्यों नहीं स्वीकार करते कि हमने पानी नहीं पिलाया....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मण-सिंहजी प्लीज।....

श्री लक्ष्मण सिंह : आप इसको अपनी मिस्टैक स्वीकार नहीं करते और डिफेंड करने की कोशिश करते हो ...

श्री जगदीप धनखड़ : पहले केरोसीन पर डिफेंड किया आपने सबको । (व्यवधान) ... सैंकड़ों लोग मारे गये और अब आप ब्यावर के बारे में कर रहे हो ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सुनना नहीं चाहते .... (व्यवधान) आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं .. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : जवाब क्या आ रहा है ये तो डिफेंड ...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये फिर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मत सुनिये ..

श्री लक्ष्मण सिंह : नहीं, तो कौन पूछ रहा है ...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बाध्य नहीं करता आप मत सुनिए । ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा था ...

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी, आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया, जवाब नहीं सुनना चाहते । कोई बात नहीं, मत सुनिये । सरकार जब ठीक समझेगी, अपना स्टेटमैंट देगी (व्यवधान) नैक्स्ट । श्री अनंग कुमार जैन, प्रभारी प्रस्ताव करेंगे ...

श्री लक्ष्मण सिंह : जब तक न्यायिक जांच की मांग पूरी नहीं होती, जब तक पानी की व्यवस्था पूरी नहीं होती, जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, न्यायिक जांच हो । तब तक मैं यहां पर धरने पर बैठा रहूंगा ।

(माननीय श्री लक्ष्मण सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी एवं श्री जगदीप धनखड़ द्वारा सदन में धरना)

विधेयक पर विचार

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, आबकारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा । (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

पारित करने के लिए । (व्यवधान) ...

श्री जगदीप धनखड़ : पाइण्ट ऑफ आर्डर । अध्यक्षजी, इस सदन को नियम से चलाने की जिम्मेदारी आप पर है । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नियमों से हटकर बात का जवाब न देते हुये एक दूसरे मुद्दे पर पूरे इश्यू को डाइल्यूट करने की जो चेष्टा की है वह इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान की जनता के दुःख-सुख से आपका कोई लेना देना नहीं । अधिकारियों को बचाने की प्रक्रिया पहले मुख्य मंत्रीजी ने केरोसीन काण्ड में चालू की । और अब मुख्य मंत्रीजी ने यहां चालू कर दी ।

श्री अध्यक्ष : This is no point of order.

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कम से कम नियमानुसार तो कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष : पारण के लिए पूछिए ।

विधेयक का पारण

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, आबकारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आबकारी (सशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा।

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहिये अपना स्टेटमैंट दें। राजस्थान की जनता को आप बताना चाहेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी। ... (व्यवधान)....

सूचना

ब्यावर में पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर लाठी चार्ज

माननीय श्री परसरामजी मदेरणा बोलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में पीने के पानी की गम्भीर समस्या, जो कुछ भी वहां पर घटना घटी, यह पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है इसलिए घटी और राज्य सरकार ने किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, माब की साइके कैसे वर्क की। लेकिन यह बात सही है कि सब लोग पिटाई करने के लिये नहीं गये थे। एडवोकेट्स की पिटाइ हुई है, एजूकेटेड प्रेस रिप्रजेंटेटिव्ज की पिटाई हुई है और इसका मूल कारण जो है वह पानी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि कलक्टर के भी फ्रेक्चर हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, जानकारी के लिए तो आपने मुझे कह दिया .

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक ए. ई. एन. को मारने की बात है ...

श्री अध्यक्ष : परसरामजी बोल रहे हैं . (व्यवधान).... आपके नेता बोल रहे हैं बुलाऊंगा....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वे बिराज गये हैं ..

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपकी वजह से वे शराफत से बैठ गये प्लीज। आप इनका नोट मत करिये। माननीय परसरामजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसरामजी का नोट करिये । उनका मत करिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसरामजी बोलेंगे ।.... इनका नोट मत करिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह कुछ लिखा नहीं जा है, कुछ रिकार्ड नहीं हो रहा है बैठिये आप ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ए. ई. एन. के घर पर जो कुछ भी घटना घटी वह तो कल घटी लेकिन आज जो लोग गये थे वे पानी की मांग कर रहे थे और मुख्य मंत्रीजी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया है । पानी का कंजम्प्शन हमेशा गर्मी में डबल हो जाता है, हरेक परिवार में हो जाता है और आप यह कह रहे हैं कि मैंने टैंकर्स की व्यवस्था के लिये निर्देश दिये हैं । टैंकर्स में भी आप यह कह रहे हैं कि हमने टैंडर इन्वाइट किये हैं । टैंडर इन्वाइट करना फिर एक लम्बे समय तक उसकी बात को करना ...

श्री भंवर लाल शर्मा : जा रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : कितने जा रहे हैं ? दो टैंकर भेज दिये, दो टैंकर जा रहे हैं । एक शहर के अन्दर टैंकरों से पानी दिया जाना, कितने टैंकरों की आवश्यकता है और इस सिचुएशन को जब वहां पर बहुत ग्रिम स्थिति पीने के पानी की हो गयी है, क्योंकि सभी स्रोत से जहां से पानी आता था । चाहे वह आपके भाटीया से आता था, चाहे वह बर से आता था, चाहे वह दूसरी जगह से आता था और जो पानी बीसलपुर से भी आ रहा था वह भी कुएं ड्राई अप हो गये है । ऐसी सूरत में पानी जहां पर अवेलेबल है । टैंकरों से ही ब्यावर में भेजना पड़ेगा जब तक कि बीसलपुर का पानी नहीं जाता है । ऐसी सूरत में इस सिचुएशन को जो वहां पर पीने के पानी की विषय स्थिति हो गयी है । राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या करने जा रही है ? यह सब घटना पीने के पानी को लेकर है और पीने के पानी के सम्बन्ध में क्या किया जाय ? आज जो किस्सा हुआ है, उसके क्या फैक्ट्स हैं, क्या फैक्ट्स नहीं हैं मुझे मालूम नहीं है । अभी आप कलक्टर वाली फेक्चर की बात कह रहे हैं, इस फैक्ट की आपको जानकारी मिली है । मैं चाहूंगा कि पीने के पानी के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या करने जा रही हैं ? माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था कीजिए, सरकार का यह दायित्व है । सरकार पीने के पानी की ब्यावर के उपभोक्ताओं के लिए व्यवस्था करे । यदि ऐसा नहीं करती है तो सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है, सरकार की रेस्पोंसिबिलिटी है और सरकार की अगर रेस्पोंसिबिलिटी है, तो सरकार को आज ही पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए । अगर पीने के पानी की आप ब्यावर में व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर बिजली के सम्बन्ध में दूसरा स्टेटमैंट देने की बात तो आप कहेंगे ही लेकिन प्रतिपक्ष उसमें सहयोग देने की स्थिति में नहीं है ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो सवाल उठाया है मैं समझता हूं कि यही गम्भीर सवाल है और बातों को छोड़कर पानी की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, जल्दी से जल्दी वहां पानी की व्यवस्था करेगी इस बारे में सरकार अपनी बात कहे।

(16.41)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

श्री किशन मोटवानी : सभापति महोदय, मैं एक बात जवाब देने से पहले स्पष्ट कर दूं कि जो ए. ईएन. वाली घटना और लाठी चार्ज की घटना यह दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं, ए. ईएन. वाली कल की है, लाठी चार्ज की बात आज की है या तो कल वाले एक्ट को मीट विद करने के लिए आज लाठी चार्ज किया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इस तरह के सवाल पूछ कर के ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं है।

श्री किशन मोटवानी : तो लाठी चार्ज का जस्टिफिकेशन बताइए, कैसा जस्टिफिकेशन है कि आज लोग पानी मांगने जाएं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी मारेंगे इनका बस चले तो।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति, हमारे नेता महोदय जब प्रतिपक्ष में बैठते थे और उस समय जब इस प्रकार के ऐजिटेशन होते थे, झुन्झुनू में एक आदमी की डैथ हो गयी थी। पैसा बिजली का बढ़ा देने के कारण, इनकी बड़ी भागीदारी होती थी।....

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय मंत्रीजी कुछ बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माब वायलेंस इस तरह से जाए....

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी इसी विषय पर बोलने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप अपना दायित्व इसी तरह से निभाते हैं, समस्या के निराकरण के लिए यदि कोई पानी मांगने जाए तो उसके डंडे नहीं मारे जा सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी बता रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, ब्यावर शहर में पानी का संकट है यह सब जानते हैं। यह समस्या कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है .... (व्यवधान)....

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : माननीय मंत्रीजी यह ब्यावर का ही सवाल नहीं है यह स्थिति पूरे राजस्थान की होने वाली है इसलिए मेहरबानी करके आप व्यवस्था करें।

श्री भंवर लाल शर्मा : वो कर रहा हूं मैं।

श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (सरदार शहर) : लोग गांवों के अन्दर प्यासे मर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी को सुनिए।

श्री नरेन्द्र बुड़ानिया : इनको बार-बार बता दिया गया है कि गांवों के अन्दर ऐसा

(श्री नरेन्द्र बुड़ानिया)

हाल हो रहा है .. (व्यवधान) मेरी आवाज इतनी तेज है कि माइक की जरूरत नहीं है।

श्री टीकमचन्द कान्त : अच्छा है, तो आप बोलते जाएं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पानी बिजली देखो नहीं लट्ठ देखो।

श्री भंवरलाल शर्मा : पानी की समस्या राजस्थान में है, कोई इसको अस्वीकार नहीं करता है, इस समय मामला केवल ब्यावर का है, ब्यावर के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं, ब्यावर की समस्या का समाधान बीसलपुर का पानी जब तक नहीं आएगा तब तक पानी ठीक से मिलना सम्भव लगता नहीं है लेकिन इसका बीच में कैसे समाधान किया जाए। उसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 20-12-1993 को हमारी वर्तमान सरकार आयी, 20-12-1993 को ही एक मीटिंग करके हमने 38.33 लाख रुपये की एक योजना स्वीकृत की जिससे आने वाली गर्मी में पानी के संकट को रोका जा सके। उसके तहत ब्यावर में दस नलकूप और 2 खुले कुओं का निर्माण करके पानी की सप्लाई करने का प्रावधान था। उसके अन्तर्गत उक्त कार्यों में विभाग द्वारा साण्डला में पांच नलकूप एवं एक खुले कुवे को बना दिया गया है और जिन्हें पेयजल उत्पादन प्रणाली से जोड़ा जा चुका है तथा इनसे प्रतिदिन 14 लाख गैलन अतिरिक्त पेयजल उत्पादन होना आरम्भ हो गया है। इसके साथ ही इसी साण्डला नलकूप क्षेत्र में तीन और नलकूप बनाने हेतु मशीनें लगा दी गयी हैं जिसमें एक नलकूप पूर्ण हो गया है, एक नलकूप का कार्य चल रहा है और एक नलकूप आगामी सप्ताह में बना दिया जाएगा। इन तीनों नलकूपों से 6 लाख गैलन अतिरिक्त पेयजल उत्पादन करना सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार साण्डला क्षेत्र में कुल 20 लाख गैलन अतिरिक्त पेयजल उत्पादन किए जाने का लक्ष्य है।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि अप्रेल माह में यह योजना पूरी होकर इसका लाभ मिलना प्रारम्भ हो जाएगा। इसके बावजूद भी यह अनुभव किया जाता है हर साल कि यहां टैंकर्स से ही पानी दिया जाना सम्भव रहता है। इसलिए इस बार भी टैंकर्स लगाए गऐ हैं। माननीय सदस्य जो यहां विराजमान हैं, मेरी परसों उनसे बात-चीत हुई थी और उनकी शिकायत थी उनका यह कहना था कि टैंकर्स तो लगा दिऐ हैं आपने लेकिन टैंकर्स से संख्या पूरी नहीं होती है इसमें भी थोड़ी हेरा-फेरी होती रहती है इसलिए यह व्यवस्था अगर हो जाए कि जितने टैंकर्स आपने लगाऐ हैं उन टैंकर्स में पूरी संख्या में पानी अगर आ जाता है तो समस्या का समाधान बहुत हद तक हो सकता है।

मैंने उनसे निवेदन भी किया कि हमने इसकी दो व्यवस्थाएं की हैं। एक तो जब टैंकर नगरपालिका क्षेत्र में आएगा तो वह अपनी एण्ट्री करवाएगा ताकि वह संख्या पूरी हो जाए। फिर उसमें यह शंका रह सकती थी कि संख्या तो पूरी हो गयी लेकिन टैंकर पूरा भरा या नहीं भरा, यह गड़बड़ हो सकती है इसलिए कांटे पर तोल कर लाया जाए। यह दोहरी चैकिंग होगी तो फिर निश्चित रूप से पानी लाते हैं, उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। उसके बावजूद

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भी टैंकर्स की आवश्यकता अधिक पड़ेगी तो यह हमने निर्देश दिए थे कि पहले टैंडर्स काल किये जाएं और टैंडर्स काल करके यदि संख्या कम है तो टैंडर के द्वारा फ्लोट करके जो लोएस्ट रेट पर टैंडर आते हैं उस आधार पर सब टैंडर जो भी लेना चाहे उनको उसमें उपयोग किया जा सकता है और कल 3 बजे यह मीटिंग होने वाली थी, उसमें टैंडर्स इन्वाइट करने वाले थे और वहां टैंडर के लिए लोग एवं अधिकारी एकत्रित हुए थे उसके बीच में यह सारी घटना घट गयी। इसलिए आप यह कहें कि हम चिन्ता नहीं कर रहे हैं। मैं लगातार हमारे विधायकों से सम्पर्क में हूं, उनसे सलाह लेता हूं कि क्या करना चाहिए और जैसे-जैसे बताते रहते हैं वैसे-वैसे कर रहा हूं। खुद माननीय सदस्य मेरे साथ बीसलपुर पर जाकर आये हैं और अब जो बीसलपुर की प्रगति है, हमारे कई अन्य माननीय सदस्य भी गए हैं और उसकी प्रगति से बहुत संतुष्ट हैं। और मैंने तय किया है कि जुलाई तक इस व्यवस्था से पानी मिले इस प्रकार का काम चलना चाहिए .... (व्यवधान) ...

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : जुलाई तक तो लोग मर जाएंगे पानी के बिना।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बरसात के पहले नहीं होगी....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, वक्तव्य दे रहे हैं सुनिए जरा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बीसलपुर योजना की बात कर रहा हूं। .... (व्यवधान) ..

श्री सभापति : आप विराजिये, सुनिए.. माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं, सुनिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : बीसलपुर की योजना कोई छोटी-मोटी योजना नहीं है, कई वर्षों से लम्बित है। यह प्रयास करके कोशिश की है कि कम से कम इस बार जुलाई में आ जाए और अगली बार दिक्कत नहीं आएगी, जुलाई तक उसका इंतजाम ही नहीं कर रहे हैं, मैंने जो व्यवस्था बतायी यह व्यवस्था भी कर रहे हैं, 38 लाख का खर्चा कर रहे हैं, टैंकर्स की किसी प्रकार से कमी नहीं हो, हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं, टैंकर्स से पानी की सप्लाई करने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता हो, उसमें पैसे की कमी नहीं आएगी इसके आधार पर इस समस्या का समाधान कर रहे हैं लेकिन बीच में ही यह घटना घट गई, इसका कोई उपाय नहीं है. इसीलिए कल बैठे थे कि टैंकर्स के टैंडर्स करके जितने ज्यादा से ज्यादा लाये जाएं वह लाये जाएं। माननीय सदस्य जो यहां बिराजमान हैं उनसे मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। उसके बाद यह घटना हो जाती है दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन पानी के पिलाने में कोई कमी नहीं है, प्रयत्नों में कोई कमी नहीं है, न पैसे की कमी है और न किसी और बात की कमी है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री अमराराम जी बिराजें। ... (व्यवधान) बिराजिये प्रतिपक्ष के नेताजी बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर

(श्री परसराम मदेरणा)

ने जो स्टेटमैंट दिया है और अन्त में जिस वाक्य का इन्होंने एशोरेंस दिया है वाक्य के जरिए उसमें सब बातें आपने कह दीं यह सब व्यवस्थाएं हमने कर दीं। 38 लाख रुपये का पाल्ट्री अमाउण्ट दिसम्बर माह की 30 तारीख को अगर आप ठीक समझ रहे थे। उसके बाद में सिचयुएशन पीने के पानी की डिटेरियोरेंट हुई है। क्या आप यह समझते हैं कि 38 लाख रुपये की आपने जो व्यवस्था की है और वह व्यवस्था की थी केवल कुछ ट्यूबवैल्स खोदने के लिए उसमें से कुछ ही ट्यूबवैल्स खुदे हैं, आप सोच ऐसा रहे थे कि हमको करीबन 30 लाख गैलन के आस-पास पानी मिल जाएगा, अभी कुल 14 लाख गैलन पानी मिल रहा है और 14 लाख गैलन पानी को आपने मैन लाइन से जोड़ा है। सबसे पहले आप यह बताइए कि ब्यावर की पापुलेशन कितनी है? ब्यावर की पापुलेशन को 14 लाख गैलन पानी अगर प्रतिदिन सप्लाई करने की पोजिशन में हैं तो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन हो रहा है, इस बात की गारंटी कैसे हो जाएगी? जब एक आदमी को एक या दो गैलन पानी मिलेगा, एक बात। दूसरी बात यह है. इन्होंने बहुत बड़ी अजीब बात कही है. ला-एण्ड आर्डर सिचयुएशन वहां पर हुई है, किसने कानून को हाथ में लिया है. यह प्रश्न बिल्कुल दूसरा हो गया और उस प्रश्न के साथ में, क्योंकि कल वहां पर यह घटना हो गयी थी, हम टैंडर इन्वाइट करने वाले थे और फिर टैंडर इन्वाइट नहीं किये, आप तो टैंडर इन्वाइट करने वाले थे वहां घटना हो गयी तो, आप वहां टैंडर इन्वाइट नहीं करके अजमेर में रात में टैंडर इन्वाइट कर लेते लेकिन आपको इमिजियटली, आप टैंडर भी इन्वाइट नहीं करें और घटना नहीं घटेगी उससे ज्यादा सिचयुएशन वर्सन हो जाएगी। अगर आपने टैंडर इन्वाइट नहीं किये क्योंकि आपके पास में टैंकर नहीं हैं और जब टैंकर आपके पास में नहीं है, टैंकर जहां कहीं भी जाते हैं तो वे मौहल्ले में जाते हैं। मौहल्ले में टैंकर की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पानी पाइप में नहीं जा रहा है और पाइप में पानी की सप्लाई एडिक्वेट नहीं है तो टैंकर से पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है उन मौहल्लों में अलग-अलग और इसलिए मौहल्लों के अन्दर, जैसा कि मैं समझता हूं 1991 में ब्यावर की पापुलेशन, एक लाख के ऊपर है। मेरी समझ में एक लाख चार हजार से भी ज्यादा शायद हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने भी कहीं देखा है मेरे पास कल सेंशस बुक थी मेरे पास में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक लाख चार हजार।

श्री परसराम मदेरणा : हां, एक लाख चार हजार है। इस पापुलेशन के लिए आप कह रहे हैं कि पानी का जो उत्पादन शुरू हो रहा है और वह भी एडिक्वेटली पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। एक लाख चार हजार का मतलब यह हुआ कि आप एक आदमी को 14 गैलन के आस-पास पानी दे रहे हैं और 14 गैलन भी आप, दो ट्यूबवैल तो साडला क्षेत्र में है और यह आपने खोदे नहीं हैं, 14 लाख का तो आपके पास में उत्पादन जब होगा जब आपके दूसरे सब ट्यूबवैल खुद जाएंगे। अभी तो आपने एक को कमीशन

(श्री परसराम मदेरणा)

किया है, दूसरे को आप एक-दो दिन में कमीशन करने जा रहे हो तो टोटल मिलाकर भी कोई ट्यूबवैल नहीं हो सकता जिसमें एक ही ट्यूबवैल का उत्पादन 14 लाख हो, सबको मिलाकर जो 10 ट्यूबवैल खोद रहे हैं तो वह एवरेज आ रहा है 4 लाख का, अभी तक ट्यूबवैल खोदे हैं दो और उसके साथ में एक ओपन वैल में से ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक कमीशन किये हैं तीन वैल और इसका ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और 14 लाख गैलन या 12 का है तो वह डेढ़-दो-ढाई-पौने तीन लाख के आस-पास उत्पादन हो रहा है। जब ढाई-पौने तीन लाख का उत्पादन हो रहा है, 14 लाख टोटल करने जा रहे हैं आप करीब-करीब डेढ़-दो गैलन पानी प्रति व्यक्ति आता है और भी डिस्ट्रीब्यूट हो जब, इसलिए आपको इमिजियेट जहां भी टैंकर मिले, रातों-रात ही आपको टैंडर इन्वाइट करके विदिन 24 घंटे में पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। और तो आदमी जिन्दा रह सकता है, खाना भी 4-5 दिन नहीं खाये तो जिन्दा रह सकता है, पानी अगर उसके पास में नहीं है तो कैसे तो वह शौचालय जाएगा, कैसे वह जिन्दा रहेगा, यह बहुत गम्भीर मामला है। इस सरकार को अभी तक कोई न कोई आश्वासन इस सदन में देना चाहिए कि इसकी वार-फुटिंग में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, पानी एडिक्वेट क्वान्टम में सप्लाई करने के लिए, प्रति व्यक्ति ?

श्री सभापति : माननीय मोटवानी जी।

श्री किशन मोटवानी : Let me straighten the record, जहां मिस-अण्डरस्टैंडिंग हो रही है, ब्यावर, क्योंकि vis-a-vis I am affected. समय कम है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की आज्ञा है ?

(स्वीकृत)

कार्यसूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

माननीय श्री मोटवानीजी।

सूचना

ब्यावर में पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

श्री किशन मोटवानी : मैं यह निवेदन कर रहा था, आप 38 लाख की जगह अपने आपको करैक्ट करें। This plan is for 88 lacs. उसमें 10 ट्यूबवैल, ओपन वैल प्लस भंवरथला में 3 ट्यूबवैल नये, यह स्कीम पाइप लाइन की है, इसमें यह नहीं है कि This will be solely for Beawar. यह तो हम हमारे अजमेर में कटौती करके ब्यावर को दे रहे थे, 5 लाख गैलन, हमारे अजमेर की इफैक्ट हुई तो

(श्री किशन मोटवानी)

उसको रिप्लेनिश करने के लिए यह नयी योजना बनाई कि इसमें some water will go to Beawar and some will go to Ajmer. क्योंकि अजमेर को आपने 48 से 72 घंटे, 72 से 96 घंटे और 96 से 106 घंटे कर दिया। अब तो ब्यावर में शुरूआत हुई है. अजमेर में तो अब उठेगा। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, इस हाउस में, अब तो ऐसा हिस्टोरिकल घटनाचक्र होने जा रहा है इसलिए इसको रोकिये। मैंने आपसे निवेदन किया था, आप शालीनता से लीजिए और जो आज का इंसिडेंट है उसके सन्दर्भ में आप निश्चित रूप से बात करें. न्यायिक जांच की बात करें ताकि इसको या तो रिटेलियेट किया है आपने। कल अगर ए. ई. एन. पिटा है, इसका खेद हम मानते हैं। माब ने मारा. हम उसको खेदजनक बात मानते हैं किन्तु उसको रिटेलिएट करते हुए आज इतने लोगों को मारना, 60 लोगों को अस्पताल भेजना, यह भी ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई रिटेलियेट नहीं है।

श्री सभापति : श्री अमरा राम।

श्री अमराराम : सभापति महोदय, जो घटना ब्यावर में पानी को लेकर हुई है और सरकार ने जो उत्तर दिया है, हो सकता है, कल जिस सरकार ने जो, सात दिन में एक दिन, वह भी आधे घंटे के लिए पानी दे और सरकार के अधिकारियों को सातों दिन पानी मिले, मैं समझता हूं सरकार और जो माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं, सबसे ऊपर उसके अधिकारी हैं और मुख्य मंत्रीजी को कलक्टर की चिन्ता है कि उनके फैक्चर आये हैं। कल ए. ई. एन. पिट गया है और जिन्होंने पीटा है उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है लेकिन क्या यह राइट भी नहीं है जिनको पानी नहीं मिल रहा है, वे प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या प्रदर्शन करने वालों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए? कल वाटर-वर्क्स के ए. ई. एन. और जे. ई. एन. को पीटा गया, मैं समझता हूं, कि यह बिलकुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इन्हें केवल कलक्टर की चिन्ता है, जे. ई एन. की चिन्ता है और 60–60, 52–52, सब वर्ग के लोग अस्पताल में एडमिट हैं उनके लिए हमारी सरकार और हमारे मंत्रीजी को चिन्ता नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार इस बात से अगर वाकिफ है, सात दिन में एक दिन पानी मिल रहा है तो हमारी सरकार के जो मंत्री है, सात दिन में एक दिन केवल आधे घंटे के लिए पानी ले लें तो ब्यावर के लोग भी इसको भुगत लेंगे, राजस्थान की जनता भी भुगत लेगी लेकिन हम और हमारे मंत्री 24 घंटे पानी लें, हमारे अधिकारी 24 घंटे पानी लें और जनता पानी के लिए प्रदर्शन करे और उनको पानी की बजाय लाठियां मिले, मैं समझता हूं यह राजस्थान के लिए यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और इस सरकार के लिए + + + बात है। सरकार को + + + कि जो पानी नहीं पिला सके, आजादी के 46 साल होने के बाद भी (व्यवधान), चुल्लू तो अब मिलेगी नहीं और सरकार को न्यायिक जांच करानी चाहिये और ऐसे

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम)

दोषी अधिकारी जिन्होंने पानी मांगने वाले लोगों पर लाठियां चलायी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही, न्यायिक जांच की कार्यवाही की जानी चाहिए, यह मेरी मांग है ।

श्री सभापति : बिराजिये । आप कुछ बोलना चाहेंगे ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है और पूरा का पूरा सदन इस तरह से खामोशी से इस सारी बात को बर्दाश्त कर रहा है । ब्यावर में जो घटना घटी है, कोई छोटी-मोटी घटना नहीं घटी है । वहां पर काफी लोग घायल हुए हैं और घायल इसलिए हुए हैं कि पानी की जायज बात को और अपनी जायज मांग को अधिकारियों तक पहुंचाने गये थे ...

श्री सभापति : यह बात आप कह चुके । मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिए ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता महोदय, अधिकारियों के मामले में बार-बार यह कहते हैं कि अधिकारी पिटने के लिए नहीं है हम भी इस बात की ताइद नहीं करते हैं । अधिकारियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो, हम भी उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं लेकिन जब अधिकारी इस तरह से एडामेंट हो जाए उस बात के लिए कि अपनी जायज मांग को रखने वाले जो लोग गये हुए हैं उनके साथ वह दुर्व्यवहार करते हैं और वे उनके साथ सही सलीके से पेश नहीं आते हैं तो क्या जो मांग करने वाले लोग हैं उनका उग्र होना वाजिब नहीं है ? और जब वे उग्र हो गए तो इस बात की इतनी बड़ी क्या जिद है ? माननीय नेता महोदय जब रिप्लाई दे रहे थे, इस बात को बड़ी संजीदगी से लिया जाना चाहिए था. उनको इस बात के लिए पूरे हाउस को कांफिडेंस में लेना चाहिए । जो कुछ भी घटना वहां पर हुई है, हम उसकी न्यायिक जांच करेंगे....

श्री सभापति : वही कर रहे हैं. अब आप बिराजिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ब्यावर के लोगों को हम पानी की सुविधा मुहैया करायेंगे, इससे बड़ी जायज बात और क्या हो सकती है ? बजट में पूरी की पूरी पोथी खोलकर उन्होंने रख दी कि हम पानी के लिए यह कर रहे हैं पानी के लिए हम वह कर रहे हैं और जब पानी मांगने के लिए लोग वहां गये तो उन पर लाठियां बरसाई ।

श्री सभापति : सही है, बिराजिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, इस समस्या का समाधान तो ट्रांसपोर्टेशन ही है इस समय और जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, कल वे टैंडर वहां नहीं हो सके इस कारण से....

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, पहले ट्रांसपोर्ट की बात नहीं, पहले ब्यावर में जो कुछ घटित हुआ है, उस मामले में सरकार क्या करने जा रही है, कितनी बहस हो गयी है इस मामले में ?

श्री सभापति : सुन तो लीजिये आप । दोनों ही बातें सुन लीजिये । थोड़ा संयम रखिये । सुन लीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो कल टेंडर नहीं हो सके और जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने एक सुझाव दिया है। हमने भी यह निर्देश दिये हैं कि आप अजमेर में टेंडर काल करके इस व्यवस्था को तुरन्त चालू करायें ताकि ट्रांसपोर्ट से ही अविलम्ब समाधान प्राप्त कर सकें। ट्रांसपोर्ट से ही काम चलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, आपके पास में टोटल मुझे जहां तक जानकारी है, राज्य सरकार के पास में टैंकर की फ्लीट थी, उसकी संख्या 200 थी। पहले पहले मुख्य मंत्री जी, कभी टैंकर से पानी नहीं पहुंचाया करते थे. 1967 में पहला टैंकर खरीदा गया। धीरे-धीरे करते-करते उनकी संख्या 200 हो गयी। पहले भी कई बार ब्यावर में समस्या गम्भीर हुई है और जब मेरे पास में यह डिपार्टमेंट था, उस समय पाली और अजमेर प्रोबर में जोधपुर से टैंकर मंगाये ब्यावर में पानी सप्लाई करने के लिए। जो पहले 5 टैंकर थे, उसके 12-13 टैंकर किए थे, आप कलक्टर से यह बात पूछ सकते हैं और मैं टेलीफोन से भी बराबर इस बात की मोनेटरिंग कर रहा था कि टैंकर पहुंचे या नहीं पहुंचे. वे रिपेयर नहीं हो रहे थे तो मैंने कहा कि 24 घंटे में रिपेयर होकर ब्यावर में पहुंचने चाहिये, क्योंकि ब्यावर में और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी सिवाय टैंकर से पानी सप्लाई करने के ऐसी स्थिति में आप कितने टैंकर्स लगाने जा रहे हैं यह असेस्मेंट आपने किया है क्या ? माननीय मंत्रीजी यहां पर जब पी एच ई. डी. की डिमाण्ड संख्या 27 पर बोल रहे थे तो उस वक्त आपने एक बात कही थी कि इस केलेमिटी रिलीफ फण्ड से मैं 27 करोड़ रुपया अगले तीन महीनों में खर्च करने जा रहा हूं। उस 27 करोड़ रुपये में से 7 करोड़ रुपया मैं अरबन एरिया में खर्च करूंगा। यह आपने तखमीना बनाया। वे 81 लाख का कह रहे थे, आप 38 लाख का कह रहे थे। अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे वहां 7 करोड़ रुपये आपको मिले हैं और आपको उपलब्ध हो गये हैं। इमिजिएटली उसमें से एक करोड़ लगाना पड़े, दो करोड़ लगाना पड़े, तीन करोड़ लगाना पड़े, 340 करोड़ 18 लाख रुपया केलेमिटी रिलीफ फण्ड में है और ब्यावर के लिए आपको जितना भी खर्चा करना पड़े, मैं समझता हूं ब्यावर में पानी की सप्लाई के

(17 00)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

मामले में किसी प्रकार की कंजूसी राज्य सरकार नहीं बरतेगी और न फाइनेंस डिपार्टमेंट बरतेगा। इसलिए आप इस मामले को सोल्व करने के लिए, पानी उपलब्ध कराने के लिए आपके पास कंटीनजेंसी प्लान क्या है कल शाम तक पानी देने का और उसकी व्यवस्था करने का ? आप उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। अजमेर में बुला लेंगे। अजमेर में किसको बुला लेंगे ? टैंकर कहां-कहां है ? मैं एक बात कह सकता हूं जोधपुर के अन्दर भी इंडिविजुअल लोग कई मौहल्लों में पानी सप्लाई कर रहे हैं और बाहर के एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। उनके खुद के टैंकर बने हुए हैं। आप जोधपुर में देखेंगे तो कम से कम 30–40 टैंकर प्राइवेट आदमियों के पास

(श्री परसराम मदेरणा)

में हैं जो सिटी में सप्लाई कर रहे हैं और कईयों के बेकार पड़े होंगे, क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा बढ गयी है। 40 लाख गैलन इंदिरा गांधी कैनाल से आ गया है। ऐसी सूरत में राजस्थान में जहां कहीं भी टैंकर्स अवेलेबल हैं उन टैंकर्स को आपको इमिजिएटली प्रोक्योर करना चाहिए, रिक्वीजेशन करना चाहिए और आप रिक्वीजेशन कर सकते हैं, इस प्रकार का एक्ट बना हुआ है। आप नेचुरल केलेमिटी को मीट आउट करने के लिए किसी भी ट्रक को, किसी भी ट्रैक्टर को रिक्वीजेशन अण्डर ला कर सकते हैं। अगर यह पावर सरकार के पास में है तो वह पावर सरकार को इन्वोक करनी चाहिए और अभी यह व्यवस्था करनी चाहिए। जो सरकार पानी नहीं दे सके उसे मैं क्या संज्ञा दूं उस सरकार को। आपके लिए बहुत गम्भीर मामला है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह सरकार +++ है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं नहीं कहूंगा। मैं ऐसा बात नहीं कहूंगा वह सरकार कैसी है। यह सदन राजस्थान की जनता का प्रतिनिधि सदन है। इसको इस बात का इन्फरेंस ड्रा करना चाहिए लेकिन पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आपको वार फुटिंग के ऊपर आज ही कोई न कोई निर्णय करना पड़ेगा। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो बिजली-बिजली माननीय मंत्रीजी आपके है नहीं और इसलिए, "हाफा रा ब्याव में जीभ री लबावल कोरा थूक बिलोवणा रो कांई मतलब है?" कोई मतलब तो है नहीं। पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमने देख लिया कि 500 मेगावाट जो आप बढ़ा रहे थे, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य इस बारे में काफी कह चुके हैं। आप कितना बढ़ाने जा रहे हैं जो कमीशन करेंगे आप थर्ड स्टेज कोटा को। मैं यह कह रहा था कि बिजली की समस्या से आज पानी की समस्या ज्यादा गम्भीर है।

कल किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से आप क्या समझौता करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी पोजिशन थोड़ी ईजी हो गयी है। क्योंकि एग्रीकल्चर लोड कम हो गया है इसलिए मैं यह कह रहा था कि अभी बिजली की समस्या से कोई फसल आज बर्बाद नहीं हो रही है। आज लोग प्यासे मर रहे हैं और प्यासे लोगों के पानी की व्यवस्था करने के लिए मैं समझता हूं इसको प्राथमिकता दी जाए। यह बहुत गम्भीर मामला है और इस सम्बन्ध में सरकार जिस गम्भीरता से इसको लेना चाहिए उस गम्भीरता से नहीं ले रही है। केवल एक इंसिडेंट जो ला एण्ड आॅर्डर की हुई है कि उसमें कौन पिट गये, कौन नहीं पिटे, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है लेकिन पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर सरकार को आज ही कोई आश्वासन देना चाहिए। आश्वासन नहीं, उसमें कोई स्ट्रेप्स लेने चाहिए।.... (व्यवधान) ...

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(184)

श्री अध्यक्ष : कुछ तो मर्यादा रखिए। आपके नेता बोल चुके हैं मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक सजेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप समस्या का समाधान चाहते हैं या केवल यह कर दिया, हाउस एडजोर्न करवाना चाहते हैं। आप समस्या का समाधान चाहते हैं या वैसे ही खाली हाउस को एडजोर्न करवाना है क्या? यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, हाउस को एडजोर्न करवाना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो यह कहना चाहता था कि वन विभाग के पास दुनिया भर के टैंकर्स हैं तो टैंडर करने के बजाय वन विभाग से इनको मांगने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। आप बैठिए। जिसका मैं नाम लेता हूं उसी का नोट करिए और किसी का नोट मत करिए। माननीय मंत्रीजी। अब आप समस्या का समाधान निकालने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें इतना ही निवेदन करता हूं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : सदन में कोई कार्यवाही तब तक नहीं चल सकती जब तक कि पूर्ण शांति न हो। सदन के कुछ माननीय सदस्य धरने पर बैठे हैं इसलिए इस तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती। कृपया पहले इस समस्या को निपटायें, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, सब कुछ कीजिए लेकिन सदन की कार्यवाही जब पूर्ण शांति हो....

श्री अध्यक्ष : ये शांति से बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहे हैं। बहुत शांति से बैठे हैं। इतनी शांति से बैठे हैं

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ये धरने पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत शांति से बैठे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह शांति नहीं है। माननीय सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं इसे शांति नहीं कह सकते। धरने पर बैठना शांति नहीं है। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बैठिये। पानी की समस्या पर भी चर्चा हो रही है। कोई मिली भगत थोड़े ही हो रही है। आपने बिजली पर चर्चा करने के बी.ए.सी. में मांग की, मैंने वह रखी और अब आप कह रहे हैं बिजली पर मन नहीं है और पानी पर चला दीजिए। मुझे क्या आपत्ति है?

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने नहीं कहा है बी. ए. सी. में आपके नेताओं ने कहा है, श्री चन्दनमलजी बैंद ने कहा है और बहुत जोर से

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

कहा है। इसलिए मैंने चर्चा रखी है। अगर आप नहीं चाहते, आप पानी पर चाहते हैं तो पानी पर कराइये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो तात्कालिक समस्या है, जिस समस्या में सबका मानस उलझा हुआ है। देखिए, इस पानी की समस्या को कोई बिलिटिल नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं कर रहा हूं और वाकई में जैसी सिचुएशन ब्यावर में पैदा हुई है इसका रास्ता निकालना चाहिए और उसको एग्रेवेट करना चाहिए। सवाल यह है कि वहां लाखों लोग रहते हैं उनका पानी का सवाल है। लड़ने वाले तो 50 आदमी हैं बाकी तो लाखों लोग हैं उनको पानी मिलना चाहिए। उसके बारे में आपने सजेशन दिये हैं उसके लिए मंत्रीजी भी कह रहे हैं। पूरी बात सुन तो लीजिए। इसमें अगर कोई समाधान निकलता है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समाधान निकलने के बाद ये भी उठ जाएंगे। ये भी तो पानी चाहते हैं जनता के लिए बैठे हैं, कोई अपने लिए थोड़े ही बैठे हैं। आप बोलिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप इस तरह बोलेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। आप बिराज जाइये। प्लीज सिट डाउन। मैं आपका नाम नहीं पुकार रहा हूं। मैं आपको बोलने के लिए कह नहीं रहा हूं। आप बैठिए। आप, प्लीज सिट डाउन। मैंने मंत्रीजी को कहा है, जवाब सुन लीजिए। प्रतिपक्ष के नेता ने अपना भाषण दिया है, आप बैठिए। आप बैठिए। श्री बैरवा साहब, प्लीज सिट डाउन। Please, don't aggravate the situation.

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा है वैसी ही चिंता हमारी भी है और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आज ही इस विधान सभा के तुरंत बाद से जो भी टैंकर जहां कहीं भी उपलब्ध होंगे, चाहे सरकार के हों, चाहे प्राइवेट हों विभाग के हों, उनको लेकर ब्यावर की समस्या के समाधान के लिए लगाएंगे और कल तो हम मिलेंगे नहीं लेकिन जब दुबारा मिलेंगे तो इस समस्या का समाधान बहुत कुछ मिलेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री भंवर लाल शर्मा : जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ करना होगा वो करेंगे।

श्री किशन मोटवानी : × × ×

श्री अध्यक्ष : हो गया। जहां से मांगेंगे, सब मांग लेंगे। अब आपको इस तरह ब्लेंक आश्वासन दिया है। आप जब दुबारा मिलेंगे उसके पहले-पहले पानी की समस्या का समाधान ब्यावर में कर देंगे। What more do you want ? कोई बार नहीं, कोई पैसे का सीलिंग नहीं, जो लगेगा, जितना खर्चा होगा, पानी की समस्या का समाधान होगा। मैं समझता हूं इस सदन में मंत्रीजी के यह आश्वासन देने के बाद अब सवाल करने की गुंजाइश

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

नहीं रही है और मेहरबानी करके आगे की कार्यवाही चलाइये। मंत्रीजी बोलिए आप।

श्री किशन मोटवानी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिए। आपने अकस्मात सवाल उठाया। मुख्य मंत्रीजी को जितनी जानकारी थी वो आपके सामने रखने की कोशिश की उसी में आप उलझ गये। सवाल यह है कि जब मामला इतना हुआ है तो उसकी कोई जांच होगी।

श्री किशन मोटवानी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप समय तो देंगे सरकार को। अब यहां बैठे-बैठे तो जांच कर नहीं सकते। मुख्य मंत्रीजी को जितनी बात की जानकारी थी, वे बताने के लिए खड़े हुए आप सुनने को तैयार नहीं हुए। इसके बावजूद भी सरकार की प्रक्रिया आप सब जानते हैं। वहां सिचुएशन बिगड़ रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे तो बैठी नहीं, उसका समाधान निकालेंगे। उसमें सारी बात सरकार के सामने आ गयी। सरकार का किसी के प्रति विरोध का रवैया तो नहीं है जो न्यायोचित बात होगी उसके आधार पर सरकार निश्चित रूप से जांच करेगी। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर जांच करे और जांच करके जो भी तथ्य हों सदन के सामने रखें। यह आपकी मांग मैं स्वीकार करता हूं और सरकार को इसके लिए निर्देश देता हूं। आप कृपया अपने स्थान पर विराजें और यह आगे का कार्यक्रम चलने दें। मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया आप विराजें। आप विराज जाइये। हां, माननीय मंत्रीजी।

(धरने पर बैठे माननीय सदस्यों द्वारा आसन ग्रहण किया गया)

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं, क्योंकि मेरा अनुभव ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, कुछ कटु रहा है। इस पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आप इस मामले को ओवर-सी तो करेंगे न। ओवर-सी मतलब व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : हां-हां, वह तो मानिटरिंग करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको यह एश्योरेंस देता हूं कि जो विधायक अजमेर जिले के जितने भी हैं, उनके साथ बैठूंगा....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, देखिये, मैं खुद जानता हूं, किसी आदमी में, आदमी की मैं वह नहीं कर रहा हूं, एक चीफ मिनिस्टर अगर किसी मामले में ओवर होल, प्रभावी इफेक्टिव स्टेप लेता है उसका जाकर क्या परिणाम निकलता है और दूसरा लेता है उसमें क्या परिणाम निकलता है, इसमें रात-दिन का अन्तर होता है।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री-जी ने जो कुछ कहा है और जो व्यवस्था करनी है उसमें सरकार न धन की कमी लाने देगी, धन की कमी उसमें कोई आड़े नहीं आएगी, जो व्यवस्था कर सकते हैं वह व्यवस्था करेंगे और माननीय सदस्य जो भी ब्यावर या अजमेर जिले से आये हैं उनके साथ मैं अभी बैठने को तैयार हूं, किस प्रकार की व्यवस्था से पानी की समस्या का समाधान हो सकता है, उनसे भी विचार करूंगा। उनको इतना ही आश्वासन देता हूं कि हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : पाइंट आफ ऑर्डर, श्रीमन्। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बहुत आभारी हूं कि ब्यावर के पानी के लिए तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्री महोदय ने और सरकार ने एक निर्णय लिया है, उसके लिए धन्य-वाद। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि ब्यावर के अलावा राजस्थान में, विशेष तौर पर भीलवाड़ा जिले में, विशेष तौर पर ...

श्री अध्यक्ष : अब यह सारे लोग व्यवस्था का प्रश्न करना शुरू करेंगे ...

श्री रामपाल उपाध्याय : एक मिनट, श्रीमन्, केवल एक मिनट लूंगा कि जो घटनाक्रम ब्यावर में रिपीट हुआ है वैसा चार-पांच बार गंगापुर में हो जाता, यदि मैं शालीनता से वहां पेश नहीं आता और मैं आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। विराजिए। अच्छा, आप भीलवाड़ा पर भी ध्यान रखेंगे।

श्री रामपाल उपाध्याय : क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि जैसे ब्यावर में कर रहे हैं ऐसे गंगापुर में जो सात दिन, दस दिन से पानी मिल रहा है, वहां भी कम से कम टैंकर वगैरह की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सरकार पूरे राजस्थान में पानी की व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए बाध्य है और मैं समझता हूं बार-बार इसको सरकार को कहने की जरूरत नहीं है, सरकार इसके बारे में चिन्तित है और मुझे पता है कि सारे जिलों के माननीय सदस्यों के साथ अपने पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर बराबर उनकी मीटिंग्स ले रहे हैं, हर जिले की ले रहे हैं। अब उसमें क्या करना है, देखिए अभी आप अपने सुझाव दे रहे हैं और सरकार उस पर जितना अमल कर सकती है, करने की कोशिश कर रही है और करेगी। माननीय मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में विद्युत प्रबन्ध की स्थिति

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सदस्यों को यह जानकार हर्ष होगा कि कोटा ताप विद्युत गृह उत्पादन में उत्तरोत्तर नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस विद्युत गृह को उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन के लिए वर्ष 1984, 1987, 1989, 1991 व 1992-93 में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिये गये हैं। हर्ष की बात है कि 1992-93

(188)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

में इस विद्युत गृह का पी. एल. एफ. 77.01 प्रतिशत था जो देश में निजी, राजकीय व केन्द्रीय संस्थानों में द्वितीय था जिसके लिए 15 लाख रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार व दिनांक 29-3-1994 को पदक, योग्यता प्रमाण-पत्र व शील्ड भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

इस वर्ष इस विद्युत गृह का उत्पादन गत वर्ष से भी अधिक है व इस विद्युत गृह का पी. एल. एफ. 80 प्रतिशत से भी अधिक है। यह राज्य के लिए गर्व की बात है व इस उपलब्धि के लिए मैं अभियन्ताओं व कर्मचारियों को बधाई देता हूं। मैं उन्हें इसके लिए भी बधाई देता हूं कि इस विद्युत गृह के तृतीय चरण के अन्तर्गत 210 मेगावाट की पंचम यूनिट ने दिनांक 26-3-1994 से परीक्षणात्मक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इस यूनिट से व्यावसायिक उत्पादन दो-तीन माह में कोल फायरिंग के साथ प्रारम्भ किया जायेगा। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को जयपुर शहर वृत में 1990-91 में प्रसारण-वितरण में विद्युत छीजत की उल्लेखनीय कमी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दो लाख रुपये का नकद पुरस्कार, योग्यता प्रमाण-पत्र व शील्ड प्रदान की गयी है।

राजस्थान राज्य में विगत कई महीनों से विद्युत आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में ही दिनांक 6 जनवरी, 1994 को विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के चौदहवें पावर सर्वे के अनुमानों के अनुसार राज्य में वर्ष 1993-94 में विद्युत की कमी 41.7 प्रतिशत मेगावाट में तथा 35.8 प्रतिशत यूनिट ऊर्जा में आंकी गयी है।

राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1991-92 में 197 यूनिट था जबकि इस वर्ष अखिल भारतीय औसत ऊर्जा उपभोग 270 यूनिट था। चालू वर्ष 1993-94 में राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 268 यूनिट हो जाने की सम्भावना है। बिजली की मांग में प्रति वर्ष लगभग दस प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस वृद्धि को देखते हुए इस वर्ष पिछले वर्ष के उपभोग से दस प्रतिशत अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। यद्यपि चालू वर्ष में विभिन्न स्रोतों से क्रय की गयी बिजली सहित उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में 6.7 प्रतिशत अधिक रही परन्तु मांग में वृद्धि होने के कारण कमी महसूस की जाती रही है। इस कमी को राज्य के बाहर से ही बिजली खरीद कर पूरा किया जाना सम्भव है।

विद्युत मण्डल प्रति वर्ष बिजली की उपलब्धि तथा खपत के बारे में अनुमान का ब्यौरा तैयार करता है। इस प्रकार का ब्यौरा इस वर्ष की बांधों में जलस्तर की सूचना एकत्र करके बनाया गया था जिसके अनुसार विद्युत मण्डल ने राजस्थान सरकार को अगस्त में सूचित किया था कि यदि बढ़ी हुई मांग के अनुसार विद्युत की उपलब्धि नहीं हुई तो उद्योगों पर ही नहीं, अपितु कृषि के उपभोग पर भी होने वाली खपत में भी कटौती लागू करना अपरिहार्य हो जाएगा। यद्यपि राज्य को भागीदार के स्रोतों से जैसे भाखड़ा व्यास व चम्बल, सतपुड़ा तथा केन्द्रीय उत्पाद स्टेशन जैसे नरोरा अणु शक्ति विद्युत गृह इत्यादि से

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

इस वर्ष बिजली कम उपलब्ध हो रही है फिर भी इस मांग को विद्युत मण्डल पंजाब, हिमाचल और मध्य प्रदेश से बिजली खरीद कर तथा उत्तरी क्षेत्र तंत्र से महंगी दर पर बिजली ओवर ड्रा करके पूरी कर रहा है।

रबी फसल के कारण कृषि हेतु बिजली की मांग करीब 10 नवम्बर से बढ़ जाती है तथा यह प्रतिदिन की खपत का लगभग 50 प्रतिशत होती है। बढ़ी हुई मांग को विद्युत मण्डल 50 से 100 लाख यूनिट प्रति दिन पंजाब से तथा ग्रिड में अन्य स्रोतों से ओवर ड्रा करके पूरी करता है। दिनांक 12 दिसम्बर, 1993 तक राज्य में विद्युत उपलब्धि की स्थिति लगभग सामान्य थी। परन्तु दिनांक 12-12-1993 से मांग में वृद्धि एवं उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड में बिजली की कमी से राज्य में बिजली की उपलब्धि में अत्यधिक कमी आ गयी। हालांकि मण्डल ने अपने स्वयं के स्रोतों से अधिकतम बिजली उत्पादित की है। यह कमी अभी भी जारी है। फिर भी राज्य सरकार के आश्वासन के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को आठ घंटे प्रति दिन विद्युत सप्लाई की जा रही है। बिजली की कमी के कारण उद्योगों पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार 25 से 100 प्रतिशत तक कटौती करनी पड़ी है। इस प्रकार विद्युत कमी के कारण न केवल राज्य के बड़े उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है बल्कि राजस्थान विद्युत मण्डल को भी अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि राज्य विद्युत मण्डल को बड़े उद्योगों से लागत की तुलना में अधिक दर से राजस्व की प्राप्ति होती है, घाटा नहीं होता है, लाइन लोसेज कम होते हैं। जबकि कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति कराने में राजस्व की प्राप्ति लागत से कम होती है और लाईन में छीजत भी अधिक होती है। इस प्रकार यह हानि और भी अधिक हो जाती है जबकि राज्य विद्युत मण्डल को अतिरिक्त मांग की आपूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों से महंगी दर पर विद्युत, ग्रिड् पाइंट पर प्रति यूनिट औसत लागत 1 रुपये 37 पैसे है, खरीदनी पड़ती है। कृषि क्षेत्र में विद्युत मण्डल को औसतन 32.55 पैसे प्रति यूनिट बिजली प्राप्त होती है जबकि उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाने में औसत लागत लगभग 1 रुपया 57 पैसे प्रति यूनिट आती है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु वर्ष 1993-94 में विद्युत मण्डल को विभिन्न स्रोतों से लगभग 7500 मिलियन यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी जबकि वर्ष 1992-93 में विद्युत मण्डल को 6638 मिलियन यूनिट बाहरी स्रोतों से खरीदनी पड़ी थी। वर्ष 1992-93 में विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत की खरीद पर लगभग 542 करोड़ रुपये की लागत आयी, जबकि 1993-94 में विद्युत की खरीद पर लगभग 708 करोड़ रुपये की लागत आयी। इस प्रकार 1993-94 में विद्युत की खरीद पर विद्युत मण्डल को 166 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा। राज्य में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध साधनों में वृद्धि हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

राज्य में स्थापित कोटा तापीय विद्युत गृह से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु हर

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सम्भव प्रयास किये गये हैं। वर्ष 1992-93 में कोटा तापीय विद्युत् गृह का प्लांट लोड फैक्टर 77.9 प्रतिशत था तथा यह विद्युत् गृह सारे देश में द्वितीय था। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि कोटा तापीय विद्यूत् गृह में वर्ष 1993-94 का प्लांट लोड फैक्टर 81 प्रतिशत पहुंच जाएगा जो कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो पहले पैरे में ही बता दिया, आप रिपीट क्यों कर रहे हैं ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह इसलिए कर रहा हूं कि....

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास बिजली तो है नहीं। प्लांट लोड फैक्टर वाली, वह तो हम भी इन इन्जीनियर्स को और कर्मचारियों को कांग्रेच्यूलेट करते हैं, प्लांट लोड फैक्टर इतना बढ़ा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : और ज्यादा है भी कहां ?

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन बार-बार इस प्लांट लोड फैक्टर से सप्लाई की और डिमाण्ड की गैप को कैसे मीट करेंगे, इस बात को करो ना आप ...

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह तो वक्तव्य है, गैप का तो फिर बताएंगे।

श्री चन्दनमल बैद : कोटा ताप घर के सिवाय कुछ कहने को आपके पास है क्या ? कोटा, कोटा, कोटा बस कोटा और कुछ है आपके पास ?

श्री परसराम मदेरणा : बिजली का कोटा गायब।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं बिजली उत्पादन में तारानगर का नाम कैसे लूं।

श्री अध्यक्ष : ये यह समझेंगे कि सदन कोटा से नाराज है। हां, तो समझेंगे कि कोटा से नाराज हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह भी बार-बार उसको रिपीट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कोटा से आ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए प्लांट लोड फैक्टर है, मैं यह कह रहा हूं इसके साथ फिर यह बता दीजिए कि कन्ट्री में प्लांट लोड फैक्टर के. पी. टी. एस. का ज्यादा इससे रहा है कि नहीं रहा है.... (व्यवधान) अभी नहीं मैं परसों की बात कर रहा हूं, रात की। कभी-कभी नहीं है, आप बहुत पहले थे पावर मिनिस्टर, आपको मालूम नहीं है, much water has flown under the bridge. परसों जिस वक्त यह आपको पारितोषिक मिला है 15 लाख का, दो यूनिट ऐसे हैं जिनका प्लांट लोड फैक्टर 82 से लेकर के 84 प्रतिशत के बीच है। एक तो शायद आंध्र प्रदेश में है और एक जगह और है यह तो पेपर्स में आ गया, क्या बात कर रहे हैं आप ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह पेपर्स में आया होगा, लेकिन यह....

श्री परसराम मदेरणा : पहले नवेली का हाइएस्ट था, अब नवेली का लोअर हो गया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह समूचे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, तो यूं कहो ना कि द्वितीय स्थान पर, यूं कहो आप, यही मैं पूछ रहा हूं पहले नम्बर पर कौन रहा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : बीच में ही

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। यह बीच में यूं ही कूदो....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1992-93 का था। In 1993-94 it will be maximum as reported by him. यह कहना है।

श्री परसराम मदेरणा : It will not be in the top in the country, you see, so far as the plant load factor is concerned of Kota unit मैं यह बात कह रहा था और आप जो है, जापानी बटन दबाते ही खिलौने ऊपर आता है, खटाखट खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं यह कह रहा हूं आप पहले की बात कह रहे हैं, पहले की बात नहीं है, आज की मैं कह रहा हूं, आज पोजिशन यह है कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह अधिकार केवल बी. पी. सिंहजी का है और किसी का नहीं है। आप विराजें। मेरी बात डाइवर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कोटा तापीय विद्युत गृह की पांचवीं इकाई जो कि 210 मेगावाट की है उसे भी जल्दी से जल्दी चालू करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये गये हैं।

मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यधिक खुशी है कि यह इकाई इसी वर्ष लक्ष्य के अनुरूप सिंक्रोनाइज कर दी गयी है। वहां परीक्षणात्मक उत्पादन किया गया है, इस इकाई के उत्पादन को कोल फायरिंग के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा एवं वाणिज्यिक उत्पादन अगले दो-तीन महीनों में सम्भव हो सकेगा। इस इकाई से पूर्ण क्षमता का उत्पादन शुरू होने पर राज्य को 40 लाख यूनिट प्रतिदिन अधिक विद्युत की उपलब्धता होगी, जिससे राज्य में विद्युत की स्थिति में समुचित सुधार हो सकेगा। राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों से 250 मेगावाट विद्युत सप्लाई आवंटित करने का निर्णय लिया है, यह निर्णय दिनांक 1-4-1994 से लागू होगा।

राज्य में लघु पन बिजली परियोजनाओं के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर की चारण वाला शाखा पर 1.2 मेगावाट क्षमता का विद्युत गृह दिसम्बर, 1993 में कमीशन कर दिया गया है। रामगढ़ गैस तापीय परियोजना के तहत तीन मेगावाट की गैस पर आधारित इकाई को जल्दी चालू करने के उपाय किये जा रहे हैं तथा माह अप्रेल, 1994 में इसकी चालू होने की सम्भावना

(192)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ गैस तापीय परियोजना के तहत रामगढ़ में एक 35·5 मेगावाट की इकाई पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बी. एच. ई. एल. द्वारा इस इकाई की गैस टरबाइन रवाना कर दी गयी है तथा यह इकाई भी वर्ष 1994-95 में चालू कर दी जाएगी। राज्य सरकार पैट्रोलियम मंत्रालय से अतिरिक्त गैस आवंटन के लिए आग्रह कर रही है जिससे 35.5 मेगावाट की द्वितीय गैस टरबाइन लगायी जा सके, ताकि इसका तुरन्त लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि गैस टरबाइन का जेस्टेशन पीरियड में 14 से 16 माह ही है। रामगढ़ गैस विद्युत गृह से पश्चिमी मरूस्थल की विद्युत व्यवस्था स्थायित्व आएगा, जिस पर वहां की पेयजल योजनाएं निर्भर हैं।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त सूरतगढ़ तापीय परियोजना, जिसमें कि 250 मेगावाट की इकाइयां स्थापित होनी हैं, उनमें से प्रथम इकाई पर कार्य चालू है। उक्त विद्युत गृह की प्रथम इकाई, वर्ष 1996-97 में चालू किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार इस योजना पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी, ताकि इससे विद्युत प्राप्ति में कहीं विलम्ब नहीं हो। इस परियोजना की द्वितीय इकाई को ओ. ई. सी. एफ., जापान से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावित किया गया है। पड़ौसी राज्यों, उत्तरी व पश्चिमी ग्रिड से विद्युत उपलब्ध होती है, वह चाहे किसी भी दर पर मिले, राज्य का विद्युत मण्डल राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव विद्युत क्रय करने पर तत्पर रहता है, ताकि कृषि क्षेत्र में आठ घंटे के दो ब्लाकों में विद्युत आपूर्ति के आश्वासन को निभाया जा सके। विद्युत मण्डल यह प्रयत्न कर रहा है कि दो ब्लाकों की विद्युत सप्लाई को यथासम्भव 132 के. वी. के उप केन्द्र से ही नियमित किया जाए। विद्युत में कटौती उस समय की जाती है जब केवल राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धि में अत्यधिक कमी हो। राज्य में विद्युत की मांग लगभग 250 मेगावाट प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 1994-95 में राज्य में कोटा तापीय विद्युत गृह की पंचम इकाई में 210 मेगावाट यूनिट और रामगढ़ गैस विद्युत गृह का 35.5 मेगावाट का योगदान होगा। लगभग 67 मेगावाट विद्युत केन्द्रीय विद्युत गृहों से प्राप्त होगी, इसके उपरान्त भी विद्युत् की मांग व आपूर्ति में अन्तर लगभग वर्तमान स्तर पर ही रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : 250 मेगावाट प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी बता रहे हो, पीछे वाली चार साल की तो बताओ ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसके बाद के वर्षों में यह अन्तर और भी बढ़ेगा। इस कारण आने वाले वर्षों में उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड व पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड से निर्भरता बढ़ेगी। पश्चिमी क्षेत्र में महंगी दरों पर भी विद्यूत् प्राप्त करने लिए नयी संचालन लाइनें बिछाने का विचार किया जा रहा है। विद्युत् मण्डल ऊर्जा संरक्षण पर भी अपना ध्यान दे रहा है, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए बिजली की छीजत कम करने के लिए राज्य के 6 शहरों, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

बीकानेर के विद्युत् तंत्र में सुधार करने की 140.23 करोड़ रुपये की दो योजनाएं पावर फाइनेंस कारपोरेशन को ऋण सहायता के लिए प्रेषित की गयी हैं।

उपरोक्त योजनाओं की स्वीकृति हो जाने के बाद अन्य स्थानों के लिए बड़ी संख्या में ऐसी योजना बनाकर पावर फाइनेंस कारपोरेशन से ऋण लेने हेतु भेजने पर विचार किया जा रहा है। ऊर्जा में अधिक छीजत के क्षेत्रों का पता लगाने व छीजत कम करने के लिए ऊर्जा अंकेक्षण, एनर्जी आडिट पर भी बल दिया जा रहा है व इसके लिए उच्च इलैक्ट्रानिक मीटर लगाने हेतु टी.एफ.सी. से ऋण प्राप्त करने पर विचार चल रहा है। यदि ऋण उपलब्ध कराये जाएंगे, ताकि ऊर्जा अंकेक्षण को अधिक सफल व प्रभावकारी बनाया जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में विद्युत की स्वीकृत परियोजनाएं — बरसिंहसर लिग्नाइट दो यूनिट 120 मेगावाट पर धनाभाव के कारण, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन अभी तक समुचित गति से कार्य नहीं कर पाया है। अब इसके कार्य को तेजी से करने हेतु राज्य सरकार ने एक नयी उत्पादन कम्पनी बनाने का निर्णय लिया है। निजी क्षेत्र से सहयोग के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं राज्य सरकार की ओर से आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा आमंत्रित की जा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से राज्य विद्युत मण्डल द्वारा गुढ़ा, बिथनौक, जालिया, कपूरड़ी, बिसनाऊ व इग्यार के लिग्नाइट भण्डारों पर लिग्नाइट खनन व लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत गृह लगाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। निजी क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ में 500 मेगावट के ताप विद्युत गृह की स्थापना के लिए मैसर्स सैंक्चुरी टैक्सटाइल व इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया था। इस परियोजना की तकनीकी स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करवाने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव सहायता कर रही है।

2×2.5 मेगावाट जाखम लघु पन विद्युत परियोजना का संशोधन कर उसे पांच हैक्टेयर से कम भूमि पर ही बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस भूमि को अभ्यारण्य भूमि से ही रिजर्व करने की शीघ्र स्वीकृति मिलने की सम्भावना है जिससे इस योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। 3×250 मेगावाट धौलपुर ताप विद्युत गृह व 30 मेगावाट सौर उर्जा प्राप्त विद्युत गृह की तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के आर.पी.जी. ग्रुप से धौलपुर में नैप्था आधारित गैस विद्युत गृह के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का भी करार किया है।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हिमाचल प्रदेश में पार्वती विद्युत परियोजना चरण द्वितीय व चरण तृतीय में राज्य की चालीस प्रतिशत भागीदारी का मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिग किया था। इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है व विद्युत मण्डल ने अपना अंशदान दे दिया है।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

वर्ष 1993-94 में 220 के.वी. का 100 एम.वी.ए. का ग्रिड सब-स्टेशन झालावाड़ में चालू कर दिया गया है एवं भिवाड़ी पर कार्य चल रहा है। 220 के.वी. की 288 किलोमीटर लम्बी प्रसारण लाइनों को स्थापित किया गया है। इस प्रकार 132 के.वी. के 174.5 एम.वी.ए. क्षमता के 13 सब-स्टेशन इस वर्ष स्थापित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार 132 के.वी. की 257 किलो मीटर लम्बी प्रसारण लाइनें बनाई जा रही हैं एवं 150 एम.वी.ए. क्षमता के कैपेसिटर्स स्थापित किये जा रहे हैं। इन सब-स्टेशंस व लाइनों का निर्माण तकनीकी दृष्टि से किया जाना आवश्यक है क्योंकि इनके बिना बाहर की पूर्ति किया जाना व सप्लाई तन्त्र के न्यूनतम मानदण्डों को कायम रख पाना सम्भव नहीं है। वर्ष 1994-95 में विद्युत सप्लाई की आपूर्ति हेतु 220 के.वी. की 259 किलोमीटर प्रसारण लाइनें व 300 एम.वी.ए. क्षमता के तीन 220 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित किये जाएंगे। इसी प्रकार वर्ष 1994-95 में 132 के.वी. की 479 किलोमीटर प्रसारण लाइन व दस 132 के.वी. सब-स्टेशन, जिनकी क्षमता लगभग 162.5 एम.वी.ए. होगी, स्थापित की जाएगी। 150 एम.वी.ए. क्षमता के अतिरिक्त कैपेसिटर्स को विभिन्न सब-स्टेशनों में 1994-95 में स्थापित किये जाएंगे।

राज्य में वोल्टेज में सुधार हेतु एवं लाइन छीजत को कम करने के लिए 33 के.वी. की लाइनें व 33 के.वी. के सब-स्टेशन योजना में दिये गये बजट प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष बनाये जाते हैं। वर्ष 1993-94 में भी उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप 750 किलोमीटर से अधिक की 33 के.वी. की लाइनों का निर्माण किया गया है एवं नये 33 के.वी. के ट्रांसफार्मर विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये हैं। जिनकी कुल क्षमता 200 एम.वी.ए. है। राज्य में वर्ष 1993-94 के अन्त तक तीस हजार गांव विद्युतीकृत हो गये हैं जो कि कुल गांवों का 80.81 प्रतिशत है। इसी प्रकार 1993-94 के अन्त तक ऊर्जीकृत कुओं की संख्या 4,54,171 हो गयी है। वार्षिक योजना के वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप एवं राज्य सरकार की घोषित कृषि नीति के आधार पर वर्ष 1993-94 में 25 हजार नये कुंओं को एवं 750 नये ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गयी है।

इसी माह केन्द्र सरकार की नीति के अन्तर्गत 21 हजार 820 कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने के लक्ष्य 1993-94 में निर्धारित किये गये थे जिनके अनुरूप सूचना मिलने तक 13 हजार, 144 विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं। शेष का कार्य प्रगति पर है।

इस प्रकार 1993-94 में अनुसूचित जाति के लिए कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत भी लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय उपलब्धि हालांकि कम रही, फिर भी प्रयास किये जा रहे हैं कि इन लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके। राज्य में वर्तमान में लगभग एक

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

लाख वितरण ट्रांसफार्मर प्रतिष्ठापित हैं और प्रति वर्ष लगभग 14 से 16 हजार ट्रांसफार्मर की वृद्धि होती है। वितरण ट्रांसफार्मर सभी तरह से कनेक्शन देने हेतु आगमेंटेशन के लिए एवं सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए लगाये जाते हैं और इसीलिए इसी अनुपात में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 1993-94 में लगभग तेरह हजार नये ट्रांसफार्मर विभिन्न कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये हैं एवं जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए फरवरी, 1994 तक मरम्मत शुदा 14,563 ट्रांसफार्मर्स उपलब्ध कराये गये हैं। जहां तक सम्भव हो सका है वहां तक खराब जले हुए ट्रांसफार्मर्स के तुरन्त बाद ही उपलब्धता अनुसार ट्रांसफार्मरों को बदलने के प्रयास किए गए हैं व अधिकांशतः दस दिनों में जले व खराब हुए ट्रांसफार्मर बदल दिए गए हैं।

राज्य में विद्युत की मांग एवं उत्पादन में लगातार अन्तर बढ़ता जा रहा है। राज्य में पन विद्युत के स्रोत भी बहुत सीमित हैं एवं कोयले पर आधारित विद्युत गृहों को स्थापित करने की क्षमता भी सीमित है। लिग्नाइट खनन व लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गैस की उपलब्धता भी सीमित है, अतः राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बाह्य स्रोतों से विद्युत क्रय करने की मांग की जाती रही है। बाह्य स्रोतों की विद्युत दर काफी अधिक होती है। इस कारण विद्युत मण्डल पर बहुत अधिक अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है व इसके अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा कच्चे माल की दरों में की जाने वाली अप्रत्याशित वृद्धि, विद्युत मण्डल के कर्मियों की संख्या में वृद्धि किए बिना उनके वेतन एवं महंगाई भत्ते का भार, बिजली की दरों में वृद्धि आदि अनेक कारणों से विद्युत मण्डल पर आर्थिक भार पड़ता है। आज की स्थिति में विद्युत मण्डल इस अतिरिक्त भार को वहन करने में किसी भी प्रकार समर्थ नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने विद्युत मण्डल के घाटे को कम करने के लिए पिछले समय में कई उपाय किए हैं। राज्य सरकार ने 613 करोड़ रुपये के राजस्व ऋण को हिस्सा पूंजी में परिवर्तित कर दिया है जिसके फलस्वरूप विद्युत मण्डल को राज्य सरकार की देय ब्याज की देनदारी लगभग 52 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कम हुई है। राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में विद्युत मण्डल को राज्य सरकारों को ऋणों पर देय ब्याज के पेटे अनुदान दिया है। इन उपायों का विद्युत मण्डल द्वारा किये हुए उपायों, जैसे अपने स्रोतों से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना व वर्क सोर्स का लगभग स्थिर रखना है, से विद्युत मण्डल वर्ष 1991-92 व 1992-93 में तीन प्रतिशत रेट आफ रिटर्न अर्जित कर पाया है।

देश में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल चौथा विद्युत मण्डल जिसे विश्व बैंक द्वारा संचारण व वितरण योजनाओं के लिए योग्य माना गया है। पावर फाइनेन्स कारपोरेशन ने ऋण पात्रता हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की कार्य क्षमता व वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए एक दीर्घकालीन आपरेशनल व फाइनेंशियल एक्शन प्लान बनाया है जिसे विश्व बैंक ने भी स्वीकार कर लिया है।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

इस एक्शन प्लान में विद्युत मण्डल व राज्य सरकार दोनों के द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न कदमों व लक्ष्यों का उल्लेख है। विद्युत मण्डल ने इस पर अमल करना प्रारम्भ कर दिया है। कुछ कदम निम्न हैं :—

मीटर टैस्टिंग लेबोरेट्रीज की संख्या 23 से बढ़ाकर 46 कर दी गयी है। हर उप खण्ड में मीटरों को रिजर्व स्टॉक रखने के लिए आवश्यक मीटरों की खरीद के आदेश दे दिये गये हैं। उपभोक्ताओं की मीटरिंग प्रणाली को बक्से में डाले जाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है। लगभग सभी स्थानों के विद्युत बिलों पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उपभोक्ताओं की बकाया राशि को 60 दिन से ही कम करने के विभिन्न उपायों पर अमलीकरण किया जा रहा है। मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम की सूचनाओं को तुरन्त संग्रहण करने के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक सेंटर के निकनेट कम्प्यूटर प्रणाली का प्रयोग किये जाने पर कार्य किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण तंत्र में सुधार व छीजत कम करने की 6 योजनाएं पी. एफ. सी. को भेज दी गयी हैं व अन्य क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त संचारण तंत्र में भी आवश्यक सुधार किया जाएगा। मीटर रीडर की संख्या बढ़ाई जा रही है। जन-शक्ति के मापदण्डों को संशोधित किया जाएगा व जन-शक्ति का सुचारू रूप से प्रयोग किया जाएगा।

विद्युत छीजत कम करने के लिए एनर्जी आडिट लागू किया जाएगा। उपकरणों व अन्य सामानों की खरीद को बजट के अनुरूप किया जाएगा। स्टोर इन्वेन्ट्री को वैज्ञानिक आधार पर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

विद्युत मण्डल ने भी अपने स्तर पर कई उपाय किये हैं जिससे राज्य विद्युत मण्डल के कार्यकर्ताओं, कार्यकलापों एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उनमें प्रमुख उपाय निम्न है :—

संस्थापन लागत को प्राप्त राजस्व की तुलना में बराबर कम किया जा रहा है। यह वर्ष 1987-88 में 26.12 प्रतिशत थी, जो 1993-94 में घट कर 16.67 प्रतिशत रह गयी है। इसे और कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। नवीन 220 के. वी. व 132 के वी. लाइनों व विद्युत उपगृहों का निर्माण कर तथा वर्तमान विद्युत चौकियों की भार क्षमता में वृद्धि करके प्रसारण तंत्र को मजबूत किया जा रहा है ताकि मण्डल की विद्युत प्रसारण व वितरण में होने वाली हानि को कम किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर, जिनकी मरम्मत व बदलने की दर वर्ष 1991-92 में कुल अठहत्तर सौ थी, वह लगभग ग्यारह हजार हो गयी है। यह ऐसे ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत व कुशल प्रबन्ध के कारण सम्भव हुआ है। उपभोक्ताओं के परिवार में लगे मीटरों की नियमित जांच, दोषपूर्ण मीटरों का यथाशीघ्र परिवर्तन करने की व्यवस्था की गयी है। विद्युत चोरी व अनियमितताओं पर अंकुश के लिए सतर्कता दस्तों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष 8

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

हजार 3 सौ 62 जांच की गई, जिनमें 2 हजार 3 सौ 83 मामले चोरी के पाये गये। शेष अन्य में अनियमितताएँ पायी गयीं, जिन पर कार्यवाही की गयी।

बकाया राजस्व की प्राप्ति के लिए एक तंत्र का निर्माण किया गया है जिसके कारण बकाया राजस्व की वसूली तीव्र गति से करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डल की वृहद् उद्योगों की ओर बकाया का लगभग 45 प्रतिशत न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में है। तथा लगभग 43 प्रतिशत विद्युत सम्बन्ध विच्छेद उपभोक्ताओं की ओर बकाया है। कुल बकाया के 6.66 प्रतिशत मामलों को विद्युत वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली के लिए जिलाधीशों को भेजा गया है। विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों को सही व कम समय पर बनाने व राजस्व की वसूली जल्दी करने की दृष्टि से कम्प्यूटर से बिल बनाए जा रहे हैं। यह कम्प्यूटर बिलिंग अधिकांश स्थानों पर लगभग पूर्ण हो गया है। उनसे बिल बनाने की लागत में कमी आएगी। ग्रिड की गड़बड़ी को कम करने व ग्रिड की गड़बड़ी से आए व्यवधान का समय कम करने के लिए राजस्थान के विद्युत व्यवस्था के लोड डिस्पैच के 15 स्टेशनों को आज लाइन कम्प्यूटर प्रणाली से जोड़ दिया गया है। उत्तर क्षेत्र में ऐसी अत्यन्त आधुनिक प्रणाली सिर्फ राजस्थान में ही है। इस प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। विद्युत तंत्र के सुचारू रूप से परिचालन व संधारण के लिए संचार माध्यमों में भी सुधार किया जा रहा है। पावर लाइन टेली कम्युनिकेशन के अतिरिक्त अब वायरलैस संचार साधनों को भी अपनाया जा रहा है। एम. आई. एस. सूचनाओं को भेजने के लिए प्रयोग करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। जयपुर शहर में उपभोक्ताओं की विद्युत वितरण सम्बन्धी शिकायतों व निस्तारण में भी वायरलैस का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में विद्युत की मांग निरन्तर बढ़ रही है। राज्य के औद्योगिक एवं कृषि विकास हेतु विद्युत की आपूर्ति करना अपरिहार्य है। राज्य विद्युत मण्डल अपने सभी स्रोतों से अधिक से अधिक उत्पादन कर रहा है। अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत मण्डल के पास अन्य राज्यों से विद्युत क्रय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

उत्तर क्षेत्र तंत्र से ओवर ड्रा की गयी। विद्युत ग्लोबल रेट की दर से विक्रय की जाती है। अन्य राज्यों से क्रय की गयी अतिरिक्त विद्युत की दरें ग्लोबल रेट से ज्यादा हैं व औसतन लगभग 1.75 रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है। ग्लोबल रेट निर्धारित फार्मूले के अनुसार निरन्तर बढ़ रही है। केन्द्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित की जाती है। औसत विद्युत विक्रय दरें ग्लोबल रेट से काफी कम होने से विद्युत मण्डल चाहते हुए भी समुचित मात्रा में दूसरे राज्यों से विद्युत क्रय करने में असमर्थ है। विद्युत सप्लाई एक्ट, 1948 की धारा 59 के प्रावधान के अनुसार विद्युत मण्डल को अपने टेरिफ दरें इस प्रकार से निश्चित करनी हैं जिससे मण्डल अपने सारे खर्चे निकालने के पश्चात् अचल सम्पत्ति पर तीन प्रतिशत की दर से सरप्लस अर्जित कर सके। विद्युत मण्डल से 1991-92 व 1992-93 में तीन प्रतिशत सरप्लस अर्जित

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

किया है। पावर फाइनेंस कार्पोरेशन व विश्व बैंक द्वारा ऋण देने की नीति के अनुसार विद्युत मण्डल को राज्य सरकार का अनुदान जोड़ते हुए 3 प्रतिशत सरप्लस अर्जित करना आवश्यक है। सरप्लस को प्राप्त न करने पर कर्नाटक को विश्व बैंक व उत्तर प्रदेश को जापान से सहायता बन्द की गयी थी। 1994 में करीब 438 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता थी। राज्य सरकार द्वारा मण्डल को चालू वर्ष में 383.84 करोड़ का अनुदान देने के बावजूद तीन प्रतिशत सरप्लस अर्जित करने के लिए विद्युत मण्डल को लगभग 54 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय या अनुदान की आवश्यकता है। वर्ष 1994-95 में कुल घाटा 452 करोड़ रुपये होना अनुमानित है। केन्द्रीय सरकार की उत्पादन संस्थाओं जैसे एन. टी. पी. सी., एन. एस. पी. सी., पावर ग्रिड से विद्युत क्रय व संचारण के लिये लैटर आफ क्रेडिट खोलने की पूर्व शर्त है। इसके अतिरिक्त कोयले की खरीद के लिए कोल इण्डिया लि. व ढुलाई के लिए रेलवे को भुगतान करना पड़ता है। दोनों उपक्रम आगामी भुगतान के दबाव डाल रहे हैं व भुगतान की देरी से कोयले की सप्लाई में व्यवधान होता है व उनसे ताप विद्युत उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनुपातीय विद्युत दरों के कारण उपरोक्त शर्तों पर वांछित विद्युत क्रय व अधिकाधिक विद्युत उत्पादन करना उत्तरोत्तर मुश्किल हो रहा है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में घरेलू बिजली दर 83 पैसे प्रति यूनिट है, जो अन्य राज्यों की तुलना में 16वें स्थान पर है। उदाहरण के तौर पर गुजरात में 305 पैसे प्रति यूनिट, महाराष्ट्र में 200 पैसे प्रति यूनिट हरियाणा में 165 पैसे प्रति यूनिट है जबकि राजस्थान में 83 पैसे प्रति यूनिट है।

इसी प्रकार राज्य में कृषि की प्रभावी दर 46 पैसे प्रति यूनिट है जो अन्य राज्यों की तुलना में 12वें स्थान पर है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में 55 पैसे प्रति यूनिट, मध्य प्रदेश में 51 पैसे प्रति यूनिट, महाराष्ट्र एवं गुजरात में 50 पैसे प्रति यूनिट है।

वृहद् उद्योगों की दरें 191 पैसे प्रति यूनिट है जो अन्य राज्यों की तुलना में 12वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश में 247 पैसे, गुजरात में 234 पैसे, महाराष्ट्र में 226 पैसे उत्तर प्रदेश में 212 पैसे प्रति यूनिट है। मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर प्रभावी विद्युत दर 176 पैसा प्रति यूनिट है जो अन्य राज्यों की तुलना में 10वें स्थान पर है। गुजरात में 210 पैसे, उत्तर प्रदेश में 188 पैसे, महाराष्ट्र में 265 पैसे प्रति यूनिट है। लघु उद्योगों पर प्रभावी विद्युत दरें 136 पैसे प्रति यूनिट है जो अन्य राज्यों की तुलना में 12 वें स्थान पर है। गुजरात में 210 पैसे, हरियाणा में 167 पैसे, उत्तर प्रदेश में 169 पैसे है।

घरेलू उपयोग के लिए बिजली की दरें 176 पैसे प्रति यूनिट है जो अन्य राज्यों की तुलना में 13 वें स्थान पर है। गुजरात में 354 पैसे प्रति यूनिट है, महाराष्ट्र में

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

274 पैसे प्रति यूनिट, मध्य प्रदेश में 228 पैसे प्रति यूनिट है।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये यदि उनके पास कोई ठोस सुझाव हों, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। वह इस प्रकार के सुझाव यहां सदन में भी दे सकते हैं या बाद में मुझे व्यक्तिशः भी दे सकते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना है कि पार्टियों की लिस्ट मेरे पास आ गयी है दोनों ओर से। लेकिन यह आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं यह किसी पार्टी विशेष का विषय नहीं है। इसमें सम्पूर्ण राजस्थान की जनता इन्वाल्वड है और जनता अपेक्षा करती है कि विधान सभा में इस तरह के सुझाव आये कि जिससे सरकार उन सुझावों को स्वीकार करके जनता का भला करे तब तो इस सारी आज की डिबेट की सार्थकता है और यदि केवल हम आलोचना करके एवं सरकार उस पर ध्यान नहीं दे, तो यह जनता के लिए हितकर नहीं होगी। मैं समझता हूं जनता की नजरों में विधान सभा की प्रेस्टीज बढ़ेगी नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसमें बहुत से ऐसे माननीय सदस्यों के नाम नहीं हैं कि जिनको मैं समझता हूं बहुत अनुभवी हैं। इस विषय पर समालोचना करते हुए अपने रचनात्मक सुझाव वह दें, जैसा कि मंत्रीजी ने यह आह्वान किया है कि जिनके भी सुझाव रचनात्मक होंगे उनको सरकार स्वीकार करेगी और उसके आधार पर जो प्रशासनिक अव्यवस्थाएं हैं या सप्लाई में अव्यवस्थाएं हैं, जो स्थिति आज बोर्ड की है वह आपके सामने है पूरी तौर से है, उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, आज की परिस्थिति में हम किन तात्कालिक उपायों को लागू करें जिससे जनता को अधिक से अधिक बिजली मिले और जनता के कष्टों में कमी हो। इस प्रकार के विचार जो सीनियर लोग हैं, वैसे तो सारे माननीय सदस्य पूरी तरह से योग्य हैं, किसी की योग्यता में मुझे कोई शंका नहीं है लेकिन चूंकि समय तो बंधा हुआ है इसलिए मैं समझता हूं कि आप यदि मुझे, इस आसन को यह इजाजत दें कि जो आपने लिस्ट भेजी है इसके अलावा जिनको मैं समझता हूं कि उनके विचार आने आवश्यक हैं, तो बहस भी सार्थक होगी और उसमें से कुछ न कुछ उपाय निकलेगा। मैं सरकार से भी आशा करता हूं कि आज जो रचनात्मक सुझाव या सरकार की कार्य-प्रणाली की या विद्युत बोर्ड की कार्य-प्रणाली की समालोचना हो, उसको खुले दिल से स्वीकार करके और जनता को इन उपायों से, जो आज सुझाये जाएंगे, उनको स्वीकार करके यदि जनता को लाभ पहुंचाया जा सके तो मैं समझता हूं फायदा होगा।

आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ ऐसे, जिनके नाम इसमें नहीं है, दोनों ओर से ही नहीं हैं, मैं चाहूंगा कि उनके विचार आ जाएं बाकी आप जब तक बैठना चाहें, बैठिये, जितने लोग बोलना चाहें, बोलिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। आप लोग चाहें रात के 12 बजे तक बैठिये, बोलिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुझाव ऐसे आएं कि जिनमें वास्तव में विद्युत की

(श्री अध्यक्ष)

सप्लाई में कुछ सुधार हो और हम समालोचना करें। केवल आलोचना के लिए आलोचना, जिसकी आलोचना करना उचित है वह जरूर करें लेकिन साथ-साथ सुझाव भी दें कि इस प्रकार से हो, तो यदि आप मुझे इजाजत दें तो उस तरह से मैं नाम पुकारूं।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : चलिये। श्री हरजीराम बुरडक।.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट बहुत बढ़िया दिया है उन्होंने, इसकी एक कापी तो दिलाओ।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : स्टेटमेंट जो मंत्री महोदय ने दिया है बड़ा एग्जास्टिव स्टेटमेंट दिया है ....

श्री अध्यक्ष : अब मुझे ऐसा लगता है कि यह नयी प्रणाली हाउस में चालू करनी पड़ेगी कि स्टेटमेंट की नकलें मैम्बर्स को मिलनी चाहिए, यह बहुत सही बात है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत एग्जास्टिव स्टेटमेंट है, बड़ा यूजफुल है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट पढ़ते हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, वह भी है और वैसे मैम्बर्स इसमें बोलने में....

श्री परसराम मदेरणा : यह स्टेटमेंट भी बहुत ज्ञानवर्धक है और उस ज्ञानवर्धक में कई बातें हमको वापस देखनी पड़ेंगी जिनको हम समझे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : यह ग्लोबल रेट है, अब ग्लोबल रेट का मतलब तो संसार की रेट, मैं तो ग्लोबल रेट तो उससे मतलब समझा और उसका मतलब कुछ और है। इसका क्या मतलब है, मंत्रीजी, वह ग्लोबल रेट क्या है ? वह आपने जो ग्लोबल रेट की बात कही है कि ग्लोबल रेट निरन्तर बढ़ रही है वह ...

श्री अध्यक्ष : आप चर्चा शुरू करिये, मैं इसकी व्यवस्था कर रहा हूं कि तत्काल आपको मिल जाएगी, बिराजिये। श्री हरजीराम जी।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो शुरू से ही यह सुझाव था कि विद्युत मण्डल के कार्यकलापों के बारे में पूरे दिन की एक चर्चा हो लेकिन वह पूरे दिन की चर्चा नहीं रख करके आपने एक वक्तव्य के जरिए इस चर्चा को करने की अनुमति दी है तो इसमें बहुत ही कम समय लोगों को मिलेगा बोलने का, ऐसा मेरा मानना है लेकिन मैं पांच-सात मिनट में इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल में सब से अधिक घाटा ग्रामीण विद्युतीकरण में होता है और ग्रामीण विद्युतीकरण के घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को एक अण्डरटेकिंग दिया

(श्री हरजीराम बुरडक)

था जिसके अनुसार राज्य सरकार मण्डल को ग्रामीण विद्युतीकरण से हुई हानि के पुनर्भरण हेतु बाध्य है। यह अण्डरटेकिंग राज्य सरकार ने भारत सरकार को दी उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर. ई. सी. से मण्डल को लोन मिलना शुरू हुआ लेकिन जहां तक इन आंकड़ो का सवाल है सन् 1989 तक मण्डल को इसमें हजारों-करोड़ों का नुकसान हो गया। राज्य सरकार ने इस काम के लिए मण्डल को एक पैसा भी नहीं दिया और इस मण्डल को, जो स्वायत्त-शाषी संस्था है, एकदम कठपुतली-सी बना कर रख दिया और इसी का परिणाम है कि आज मण्डल को एक नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि शुरू से लेकर आज तक जो सरकार का वचन दिया हुआ जो पैसा था वह अगर मण्डल को मिलता तो यह मण्डल आज घाटे में नहीं होता और उस पर जो ब्याज मण्डल को लगा है उससे ही यह प्रोफिट में आ जाता। अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकार ने अनुदान दिया है, तो मेरा इसमें यहां एतराज है कि राज्य सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है। राज्य सरकार की लायबिलिटी थी कि जितना घाटा ग्रामीण विद्युतीकरण से होता वह सारा का सारा राज्य सरकार देती तो आज बोर्ड की यह स्थिति नहीं होती।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड को ग्रामीण विद्युतीकरण से ऋण मिलता है, आर. ई. सी. से, उसमें भी राज्य सरकार के हस्तक्षेप से कहिये या बोर्ड की लापरवाही से, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। जो गांव विद्युतीकृत कर दिये जाते हैं उनमें लाइन खींच कर छोड़ दी जाती हैं और कई वर्षों तक उनमें कोई कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं जबकि आर. ई सी. से जो लोन लिया जाता है उसमें स्पष्ट बताया जाता है कि गांवों में इतने कनेक्शन देंगे, इतनी लाइन खीचेंगे, यह ट्रांसफार्मर रखेंगे, एग्रीकल्चर कनेक्शन देंगे। इन सारे काम के पैसे लेकर के यह किसी दूसरे काम में लगा दिये जाते हैं और वहां पर जो सारा इनवेस्टमैंट होता है उसका रिटर्न नहीं मिलता क्योंकि खर्चा करीब-करीब सारा हो जाता है। थोड़ा-बहुत खर्चा बचाकर और वह कनेक्शन नहीं होने के कारण से वह सारा का सारा खर्चा व्यर्थ चला जाता है। उदाहरण के तौर पर, अभी एक प्रश्न आया था जिसमें चार हजार के करीब ऐसे गांव राजस्थान में हैं जिनको विद्युतिकृत घोषित किया हुआ है लेकिन उनमें एक भी कनेक्शन नहीं है, इस प्रकार राशि का दुरुपयोग करने से भी बोर्ड को नुकसान हो रहा है।

तीसरा, अभी-अभी कई प्रश्नों के माध्यम से यह बताया गया था कि विद्युत मण्डल के घाटे को कम करने के लिए प्रसार लाइनों की बढ़ोतरी की जा रही है ताकि उसमें भार कम हो लेकिन ऐसी लाइनें भी बनायी जाती हैं जहां पर लोड ही नहीं होता और वहां पर 220 के. वी. तक की लाइनें बना दी जाती हैं मेरा इसमें यह निवेदन है कि जहां लोड भार अधिक हों वहां ही यह लाइनें बनायी जाएं। इसके अलावा विद्युत प्रदाय अधिनियम में कंसलटेटिव कमेटीज की भी व्यवस्था है, स्टेट लेबल पर है, उसके नीचे लेबल पर भी

(202)

(श्री हरजीराम बुरडक)

है लेकिन आज तक इन कमेटियों का गठन नहीं हुआ और न कोई सुझाव लिया गया है।

राज्य में विद्युत कनेक्शन में एग्रीकल्चर में और इण्डस्ट्रीज में जो भेदभाव है इसकी चर्चा बार-बार यहां विधान सभा में हो रही है कि उद्योग में कनेक्शन हाथों-हाथ मिल जाते हैं और एग्रीकल्चर के कनेक्शन आज 1983 से बाकी पड़े हुए हैं। इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए अगर बिजली की कमी है तो दोनों और कमी होनी चाहिए। अगर इण्डस्ट्रीज वालों को आज के आज कनेक्शन दिल जाएं और एग्रीकल्चर वाले 1983 से आज तक कनेक्शन की मांग करते रहें तो यह उनके साथ बड़ा अन्याय है।

पिछली बार यह एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि विद्युत मण्डल का जो लाइन लोसेज है वह 22 प्रतिशत है लेकिन मेरे केलकुलेशन के हिसाब से यह 34.34 प्रतिशत होता है। इसका सीधा-सा हिसाब है कि जितनी बिजली आपने पैदा की और जितनी बिजली आपने पर्चेज की फिर वापस जो आपने बेची उसका जो अन्तर है वही आप लाइन लोसेज मानते हैं, क्योंकि चोरी का आपके पास अलग से कोई हिसाब नहीं है। यह सारे आंकड़े जो आपने पिछले वर्षों के दिये हैं उनसे यह 34.34 प्रतिशत होता है इसलिए इस व्यवस्था में भी आप सुधार करें।

(18.00)

आपने यह भी बताया कि चोरी का अलग से आंकलन नहीं होता और यह भी बताया कि छोटी लाइनों में चोरी ज्यादा होती है या बड़ी लाइनों में चोरी ज्यादा होती है इसके बारे में आपके पास 33 केवी स्टेशनों पर कोई मीटर की व्यवस्था नहीं है इसलिए यह पता नहीं लग सकता कि आपके यहां चोरी कहां हो रही है। अभी पिछले दिनों यहां घोषणा की गयी कि काश्तकारों को आठ घंटे बिजली देंगे। अभी आपने कहा कि आठ घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी एरिया में आपने दी होगी लेकिन सारे राजस्थान में नहीं दी, कई जगह तो तीन-तीन घंटे ही बिजली इस सीजन में दी है और आज भी यही हालत है।

नागौर जिले में ऐसे कई 33 के वी. जी. एस. एस. है जहां पर आपने तीन घंटे ही बिजली दी है और आज भी यही हालत है। उदाहरण के तौर पर नागौर के पास में एक भेड़ नाम का गांव है जहां पर आपने जी. एस. एस. से तीन घंटे ही बिजली दी है जिसकी आप लॉग बुक देख सकते हैं। इसके अलावा कल ही यहां पर यह बात आयी थी कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आपने वापस नियुक्ति दी है, तो जो अधिकारी टैक्निकल नहीं हैं, सहायक सचिव, उप सचिव जैसे अधिकारियों की सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति करके बोर्ड के जो 70 हजार कर्मचारी हैं उनकी योग्यता पर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपने यह भी बताया कि योग्य व्यक्ति नहीं हैं इसलिए हमने पुनः नियुक्ति की हैं। लेकिन जो टैक्निकल नहीं हैं उनके बारे में आपकी यह धारणा सही नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने जो सुझाव दिये हैं उनका आप उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंह ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस तरफ से आपने मेरा नाम पहले पुकारा ।

श्री रामस्वरुप मीणा : इधर से जो तालियां बजा रहे हैं उनको भी धन्यवाद दो ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बाद में दूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेटमैंट मंत्री महोदय ने दिया, मैं उनकी किसी बात से जो भी उन्होंने कही है डिनाइ नहीं करता, खाली उस सम्बन्ध में एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं, उस स्टेटमैंट के बारे में, कि जो जेनरेशन की बात कही है सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि लासेज, इफिशिएंसी और जो भी अन्य बातें हैं, वह अगर जेनरेशन नहीं होगा और उसमें शॉर्ट फाल रहेगा, तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता । आपने ट्रांसमिशन में इम्प्रूवमेंट किया, पावर फाइनेंस कारपोरेशन से आप पैसा जयपुर के लिए, उदयपुर के लिए ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है । पर 10 साल से आपने जो जेनरेशन किया है वह तो जैसा बताया 210 मेगावाट का कोटा एक्सटेंशन का और उसके सिवाय और कुछ नहीं आया । मंत्री महोदय अभी इस विभाग में नये-नये आये हैं, कोटा के रहने वाले हैं मुझे खुशी है और उनको इतना इन्ट्रेस्ट है मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ हूं । राजस्थान की यह समस्या है और उसी के बारे में कुछ कंस्ट्रेक्टिव क्रिटिसिज्म, मैं मंत्री महोदय के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं ।

पहले जो बात कही है जनरेशन के बारे में मिनिस्टर साहब ने जो भी बात कही हैं उनमें जो बात मुझे समझ में आयी है कि नेवली और चित्तौड़गढ़ जो प्लांट्स लगाने की बात कही है, उसके उन्होंने जो भी एम. ओ. यूज साइन किये हैं, नेवली में 1986 में किया था और शायद 1988 में धौलपुर का बिड़लाज के साथ किया था उनमें टाइम बाउंड, कोई ऐसा क्लाज नहीं था, कि साहब टाइम बाउंड यह हम कर लेंगे, क्योंकि यह एम. ओ. यूज तो एक स्क्रेप आफ पेपर रह जाता है । अगर एम. ओ. यूज हम साइन करते जाते हैं, आपने इण्डिया टूडे में पढ़ा होगा कि इजरायल भी यही कह रहा है हिन्दुस्तान के लिए कि जो भी कुछ हम प्रोजैक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, उनके सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में एम. ओ. यूज. साइन करने की तो बहुत जल्दी रहती है आगे उनका इम्पलिमेंटेशन बहुत देर से होता है । यह प्राब्लम वह भी फेस कर रहे हैं और मुझे यह लगता है कि ऐसा कोई डिफाल्ट क्लाज क्यों नहीं रखा गया नेवली से, ऐसा कोई डिफाल्ट क्लाज क्यों नहीं रखा गया बिड़लाज से चित्तौड़गढ़ के अन्दर?

मैं स्पेसिफिक कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि अभी-अभी ग्लोबल एडवरटाइजमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से निकला है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि कहां-कहां पर, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में 2 × 120 मेगावाट और 1 × 240 मेगावाट लगाने के इच्छुक हैं, यह ग्लोबल टैंडर है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्लिप-शोड और बिना थिंकिंग किये हुए बहुत जल्दबाजी में यह निकाला

(204)

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

गया है। आज जो थिंकिंग हो रही है कि जो भी पावर जेनरेशन के प्लांट्स आ रहे हैं, वे हजार की बात करते हैं या पांच सौ की बात करते हैं या 2 × 250 मेगावाट कैपेसिटी की बात करते हैं, और रैस्ट्रिक्ट करते हैं 2 × 120 1 × 240 जब आप रैस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जब आप टैंडर निकाल देते हैं तो बाहर का जो पांच सौ, साढ़े सात सौ या हजार वाला लाना चाहेगा वह नहीं आएगा। वह इसी से डर जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह आज कहां से कहां पहुंच गये हैं, यह तो आब्सोलीट है। एक और चीज जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सी. ई. ए. कैसे इसको मंजूरी देगा कि तीन डिस्ट्रिक्ट साथ-साथ लगी हुई हैं बीकानेर, नागौर, उसके थोड़ा सा आगे बाड़मेर, बाड़मेर तो फिर भी समझ में आता है पर बीकानेर और नागौर जिनमें 40-50 माइल्स का डिफरेंस है, सी. ई. ए. कभी टैक्नोवाइएबिलिटी कभी परमिशन नहीं देगी।

श्री रिछपालसिंह : जोधपुर को भूल गये आप, जोधपुर भी है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसमें नहीं है माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : बहुत गम्भीर बहस हो रही है उसको गम्भीरता से लीजिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था लिग्नाइट की बात कर रहे हैं, जहां लिग्नाइट के भण्डार हैं उन्होंने जो आइडेंटिफाई किये हैं ....(व्यवधान).. आइडेंटिफाई मैं बता दूं इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको पता नहीं है। सही बात है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप अपना बोलिये। इनको मत बताइये, सदन को बताइये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उन्होंने लिखा है—2 × 120 MW or 1 × 240 MW capacity at an approximate project cost of one thousand crores based on lignite diposit at Gudha, Bitnauk in Bikaner district, Kapurdi Jalippa and Jiral in Barmer district and Kashnow in Nagaur. इसकी बात मैं कर रहा हूं इन तीनों की। जैसा आप जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ का जब साथ आया तो उन्होंने कहा आप दोनों को कम्बाइंड करके एक प्रोजैक्ट लगाओ और सी. ई. ए. ने भी यह कहा। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही स्लीप-शोड का जो ग्लोबल टैंडर दिया है और आज जो थिंकिंग है, कितने पावर प्रोजैक्ट्स के एम. ओ. यूज. साइन किये हैं और अवार्ड्स दिये हैं उनमें चन्देल बिहार में 500 मेगावाट, रायचूर कर्नाटक में 500 मेगावाट, हिसार 1000 मेगावाट हरियाणा में, विशाखापट्नम 2 × 500 मेगावाट और स्टेट्स में कर्नाटक का 3 × 500 मेगावाट, तमिलनाडु का 3 × 500 मेगावाट, 500 से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है और हम रेट्रोग्रेसिव स्टैप क्यों ले रहे हैं? और जब हमारे पास भण्डार है अगर लिग्नाइट के भण्डार नहीं होते तो समझ में आती कि साहब हम खाली 120 के या 80 के या 60 के, आज तो कोई बनाने को भी तैयार नहीं है। अच्छी कम्पनियों के पास चले जाओ आप सीमेन, एलेक्ट्रेम, एन्ट्रोन, वेस्टिंग

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

हाउस वे टच भी नहीं करेंगे, वे आएंगे भी नहीं 120, 140 कोई बात ही नहीं करता।

मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि आज एनेक्टोनिज्म है कि आप आगे की थींकिंग करें। हम कह रहे हैं कि हमारा शॉर्ट काल है और हर साल हमारे ढाई सौ मेगावाट का शार्ट काल हो रहा है। मेरा यही निवेदन है आर. एस. एम. एम. ने और एम. इ. सी. एल. ने, यह पलाना के अन्दर तो अब स्माल डिपोजिट रह गया है। इसमें पलाना और वरसिंगसर का नहीं है। वह कह रहे थे कि अलग से हम लोग ग्लोबल टेंडर करेंगे। पलाना के अन्दर बहुत सारी माइनिंग हो गयी है और उसमें उनके खाली जो एम इ. सी. एल. की रिपोर्ट है, आर. एस. एम. एम. की भी रिपोर्ट है, करीब 10 से 15 मिलियन टन ही स्मॉल डिपोजिट है। वरसिंगसर के अन्दर, यह रिपोर्ट है एम. इ. सी एल. की और आर. एस. एम. एम. की, 50 मिलियन टन है इसमें जो टेंडर आए हैं, गुढा, बिथनोक के अन्दर, यह कहते हैं 60 से 80 मिलियन टन है, जो तीस साल के लिए काफी है। आप आराम से 1 × 500 और 2 × 250 लगा सकते हैं। बाड़मेर के अन्दर तापुरटी, जालीपा, जिराल के अन्दर 120 मिलियन टन लिग्नाइट की डिपोजिट है और इसलिए अलग लगाने के बजाय इसको कम्बाइंड कर सकते हैं। जब हम यह बिहार से कोल ला सकते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाने में क्या प्रॉब्लम है ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जब बिहार से आता है तो करीब हजार रुपये पर टन हमें कास्टली पड़ता है। लिग्नाइट घर की खेती है, खाली चार सौ-पांच सौ रुपये अगर पर टन ही आपको कोस्टिंग आएगी और जो सबसे कम

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बस, मैं तो शुरूआत ही, आपने ही तो कहा था कि....

श्री अध्यक्ष : देखिए, आप जितने सुझाव जल्दी-जल्दी देंगे, उतना ही फायदा होगा। समय तो सबका लिमिटेड है। अब एक ही सुझाव पर दस मिनट ले लिए आपने। आपने दस मिनट ले लिए, सुझाव एक ही दिया है। इसलिए जल्दी दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, काफी छूट दे दी इनको, कम बोलते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है इनके।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ठीक है, दूसरा सुझाव स्मॉलिस्ट डिपोजिट नागौर के अन्दर है और वहां पर एम. ई. सी. एल. की भी रिपोर्ट है। ओवर टू ओवर बर्डन रेश्यो बहुत हाई है पर वहां से अपन बीकानेर के अन्दर कर सकते हैं।

मेरा एक सुझाव है कि बाड़मेर के अन्दर, क्योंकि वह दूर है, पानी की व्यवस्था अगर इन्दिरा गांधी कैनाल से हो सकती है तो वहां पर 2 × 250 एटलीस लगाया जाए और यहां पर सबको साथ में वरसिंगसर, पलाना, बिथनोक, नागौर, सबको मिलाकर आप एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें। सही बात है। हमारे चेयरमैन साहब यहां विराज रहे हैं और वह हर वक्त यही कहते हैं कि मेरे पास पैसा कहां है। मैं लगाने के लिए तो तैयार हूं,

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

तो उनकी भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। न कांग्रेस के अन्दर प्रतिपक्ष में विराजे हुए जो मंत्री भी रहे हैं, क्योंकि पॉसिटी ऑफ फण्ड्स एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज वह समस्या नहीं है क्योंकि प्राइवेट सैक्टर इसके लिए अन्दर आने के लिए तैयार है और आज अपने पास एक प्रीसिडेंट्स है। अभी मैंने बात कही थी कर्नाटक के टिटकों के बारे में, करीब ढाई करोड़ टू थ्री करोड़ पर मेगावाट जेनरेशन कॉस्ट आज आ रही है, पर एनरोन के साथ जो हुआ है, वह तो चार करोड़ पर मेगावाट का उन्होंने साइन किया है। मेरे पास कटिंग्स हैं और उसकी जेनरेशन कॉस्ट क्या आएगी ? वह भी करीब तीन-चार रुपये पर यूनिट तो आएगी पर आप चाहते हैं कि सब चीज तो मंहगी हो जाएं। आज श्री मनमोहन सिंहजी के बजट से भी डबल डिजिट का इंफ्लेशन चला गया है। बिजली खाली 50 पैसे तक ही रह जाए और सब चीजें बढ़ जाएं, यह नहीं बढ़े, यह भी नहीं हो सकता। अभी जैसा मंत्री महोदय ने कहा जेस्टेशन पीरियड पांच साल का है। आज आप कोई शुरूआत करें तो पांच साल का जेस्टेशन पीरियड है, उसमें कमी करते-करते 42 से 45 महीने तो लगेंगे ही भी करे।

मेरा एक निवेदन करना यह है कि मंत्री महोदय, तीन करोड़ पर मेगावाट कोस्टिंग है और जेस्टेशन पीरियड पांच साल है। अब इसको कैसे कम किया जाए? आप कुछ भी करें तो भी पांच साल तो लगेंगे ही और जो जेनरेशन कॉस्ट पांच साल के बाद में इंफ्लेशन रेट भी क्या होगी ? तो समझ में आएगा कि चार रुपये भी उस टाइम मिल जाए तो ठीक है।

मेरा एक सुझाव है कि जो 120 मेगावाट और जो 80 मेगावाट की बात कही है तो ऑब्सोलिट प्लान। आज भी आपको रिटर्न ऑफ बेल्यू के अन्दर जी. डी. आर. में, पोलैंड में, हंगरी के अन्दर सैकेंड हैंड सैट लाइफ टाइम इन प्लांट्स का 25 से 30 साल होता है पी. एफ. सी. से बात की है चेयरमैन साहब ने और कहा है कि हम रेनोवेशन भी करते रहते हैं। रेनोवेशन भी हो सकता है और पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन करता है, तो क्यों नहीं आपको 1/20 ऑफ द प्राइस के अन्दर, जैसे 100 मेगावाट का ले लें। यह है तो आब्सोलिट रिटर्न ऑफ पर रेनोवेशन होकर दस-बारह साल तक चल सकता है, वहां से उठाकर यहां लाना है। इतना ही टाइम लगेगा। जेस्टेशन पीरियड पांच साल का आप कम कर लेंगे डेढ़ दो साल के अन्दर और वह भी हम ऐसे-वैसे से नहीं कर ले लेंगे कि कौन चलाएगा, उसके अन्दर यही करना पड़ेगा कि सीमन, एलक्ट्रेन हैं, ऐसी बढ़िया यूरोपियन फर्मस हैं, और मेल्टीनेशनल्स हैं इस लाइन के अन्दर, उनके टर्न की आप जॉब देखकर, उनसे कहें कि यहां से उठाकर और यहां पर लगा दें। डेढ़ साल के अन्दर लग जायेगा और रिटर्न ऑफ बैल्यू है, विचार करें। सौ मेगावाट का आप....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तीन करोड़ रुपये का लगाएं तो तीन सौ करोड़ का तो हो गया। यह आपको खाली बीस करोड़ के अन्दर ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं । बहुत अच्छा है, बहुत कंक्रीट राय है । बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सुझाव है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : और कुछ थोड़ा सा ऊपर, कास्टिंग क्या आयेगी ? एक पैसा भी राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को लगाने की जरूरत नहीं है । जब पन्द्रह-बीस करोड़ की बात है तो कोई भी अच्छी प्राइवेट फर्म या एन. आर. आई. इसमें लेकर और खाली इरिवोकेबल एल. सी. साइन करनी है आर. एस. ई. बी. से और कुछ नहीं करना है, और उसके अन्दर भी मोरिटोरियम हो सकता है ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है । मैं समझता हूं एक ही सुझाव वेलेबल है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक और....

श्री अध्यक्ष : और ज्यादा जरूरत नहीं है, यह अकेला ही यदि यह फिजिबल हो गया तो, आपने राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या हल कर दी । आप बिराजिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पर यह जो सुझाव है, यह खाली ट्रांजिटरी पीरियड के लिये है, जाना तो चाहिए सुपर थर्मल पावर 1500 मेगावाट का पलाना या इनको सबको कम्बाइंड करके, पर यह इंटरिम पीरियड के लिए है क्योंकि यह जो 20 साल का या 15-20 साल का तो यह प्लांट चल ही गया है तो 10 साल के लिये, 12 साल के लिये और चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बिराजे । श्री चन्दनमल जी बैद ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक और....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आप....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक और....

श्री अध्यक्ष : इतने सुझाव याद नहीं रहेंगे । यह इतना भारी सुझाव दिया है आपने कि इसको वर्क आऊट करने में बड़ा टाइम लगेगा ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आसींद से आने वाले माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखा गया कि राजस्थान के पावर का प्राब्लम जेनरेशन प्राब्लम है । अगर हम जेनरेशन नहीं कर सके तो कोई तरीका नहीं हमारे पास, चाहे हम बिजली की दर कितनी ही बढ़ा दें, डिस्ट्रीब्यूशन को कितना ही सुधार लें और लाइन लॉसेज को कितना ही कम कर दें, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता । इसलिए सबसे बड़ा प्राब्लम राजस्थान में है, वह है पावर जेनरेशन का है । मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि जेनरेशन के मामले में जो कुछ हम आज जेनरेट कर चुके हैं, उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना में पांच मेगावाट भी बिजली आप जेनरेट नहीं कर सकेंगे । आप गर्व की बात कर रहे थे । मुझे भी बड़ा गर्व है । मैंने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट के साथ काम किया है । इंदिरा गांधी नहर मंत्री जब मैं था, तब इसी सदन में मैंने इंदिरा गांधी नहर के इंजीनियर्स की तारीफ की थी और जब मैं पी. एच. ई. डी. का मंत्री था उस समय मैंने पी. एच. ई. डी. के इंजीनियर्स की भी इसी हाउस में बैठकर तारीफ की थी । मैं आज बिजली बोर्ड के इंजीनियर्स

(श्री चन्दनमल बैद)

हैं, उनकी भी तारीफ करता हूं कि कोटा का जो कुछ भी रिजल्ट इन्होंने निकाला है, जिसके लिए आप गर्व कर रहे हैं, वह सारी हमारे इंजीनियर्स की तारीफ है। आपकी और हमारी कोई तारीफ नहीं है। आपकी और हमारी तारीफ जब मानूंगा जब हम जेनरेशन में कुछ बढ़ोतरी करके दिखा सकें, तब तो हमारी कोई तारीफ है। लेकिन आज जेनरेशन बढ़ाने में जैसा कि आसींद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आज भारत सरकार ने इस बात को मान लिया है कि पावर सैक्टर में हम प्राइवेट पार्टी को ला सकते हैं बशर्ते कि हमारा दिल थोड़ा सा बड़ा हो।

कल माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि अमेरिका वाले आ जाएंगे। भारत सरकार ने छह अमेरिका के और एक इंग्लैण्ड का स्वीकार किया है, सात प्रोजैक्ट स्वीकार किये हैं। 75 प्रोजैक्ट्स का एम. ओ. यू. (मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग) भारत सरकार के पास विचाराधीन थे, इनमें से उसने सात स्वीकार किये हैं। सात में से 6 अमेरिका के हैं और एक इंग्लैंड का है। पांच हजार मेगावाट के स्थापित होंगे। उसमें हमारा एक भी नहीं है। उन 75 में से जो भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं, उनमें राजस्थान के कुल दो हैं। शायद एक सूरतगढ़ होगा या एक कोई चित्तौड़ होगा या और कोई होगा। जिसके विषय में कुछ पता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमको कुछ हिम्मत के साथ काम करने की जरूरत है। मैं महसूस यह कर रहा हूं कुछ दिनों से, कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के पास अब हिम्मत की, ताकत की और हौसले की बड़ी कमी हो गयी है। मैंने सुना है वह इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह जल्दी से जल्दी इलाज करवाने के लिए चले जाएं और किसी हिम्मत वाले आदमी को काम सौंप कर जाएं जिससे कि हिम्मत के साथ कुछ काम कर सके। मुश्किल यह है सब से बड़ी, अध्यक्ष महोदय, कि उनके मंत्रिमंडल में तो वह लोग हैं जिनकी हिम्मत तो कभी की जवाब दे चुकी है....

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): आपको कैसे पता ?

श्री चन्दनमल बैद : आप सुन लीजिये। आप ही की सिफारिश कर रहा हूं। मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट मांगी थी और टिकट जब रिफ्यूज हो गयी, तो निर्दलीय चुनाव लड़ कर बी. जे. पी. में आ गये। इनसे क्या हिम्मत की उम्मीद करते हैं ?

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : कोशिश तो माननीय नेता महोदय आपने भी बहुत की थी।

श्री चन्दनमल बैद : ऐसे मंत्रिमंडल से अब आप हिम्मत चाहते हैं। उनके पास कोई हिम्मत नहीं है। अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि बिजली की खपत हर साल 10 पर्सेंट बढ़ जाती है। आज आपकी हालत यह है कि 50 पर्सेंट बिजली आप बाहर से खरीद कर रहे हैं जिसको आप महंगी बता रहे हैं, ग्लोबल रेट बता रहे हैं।

(श्री चन्दनमल बैद)

वह ग्लोबल रेट में है बदरपुर की रेट । आप नहीं बता सके मैं बता रहा हूं आपको । बदरपुर की रेट को हम ग्लोबल रेट कहते हैं । ग्लोबल रेट भी हर साल बढ़ रही है और दूसरे स्टेट्स से जहां बिजली ले रहे हैं वह हमको ग्लोबल रेट पर भी नहीं दे रहे हैं । आधी बिजली आप यहां पैदा कर रहे हैं, आधी बिजली हम बाहर से ले रहे हैं । वह कितनी महंगी पड़ रही है ? हर साल 10 पर्सेंट की खपत बढ़ रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होते-होते बिजली की जो खपत होगी, उसमें से 55 पर्सेंट बाहर से लेनी पड़ेगी, 45 पर्सेंट आप यहां पैदा करेंगे । जब मैं 1994-95 के बजट के सिलसिले में बोल रहा था तब मैंने बताया था कि एक प्राइवेट आंकलन किया गया है, कुछ एक्सपर्ट्स ने आंकलन किया है । उस आंकलन के अनुसार मैंने निवेदन किया था कि हमारा जो शार्टेज है पीक पीरियड में वह आठवें प्लान के अंत में 48.3 पर्सेंट हो जाएगा और जनरल शार्टेज होगी वह 42.9 पर्सेंट हो जाएगी । उस समय कुछ लोगों ने संदेह शायद प्रकट किया था कि यह जो कह रहे हैं यह यूं ही हवा में उड़ा रहे हैं ।

इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यह पुस्तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की आज सुबह ही मुझे मिली है । 1990 का कोई प्रोजैक्शन दिया है । इसमें लिखा है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा प्रकाशित 14 वें विद्युत भार सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1990-91 में अप्रतिबन्धित चरम मांग एवं ऊर्जा की आवश्यकता क्रमशः 2104 मेगावाट एवं 12093 मेगावाट अनुमानित है, परन्तु सम्भावित चरम मांग एवं ऊर्जा उपलब्धि 1573 मेगावाट । इसी प्रकार वर्ष 1991 में चरम मांग में 25.2 पर्सेंट एवं ऊर्जा उपलब्धि में 17.4 पर्सेंट की कमी सम्भावित है । राजस्थान के विषय में इन्होंने लिखा है, उपरोक्त अनुमानों के परि-प्रेक्ष्य में वर्ष 1994-95 के अंत तक चरम मांग में लगभग पीक डिमांड में 40.9 पर्सेंट की कमी होगी । 44.9 पर्सेंट की कमी आपका विद्युत बोर्ड, आप खुद मान रहे हैं और ऊर्जा उपलब्धि में लगभग 40.1 पर्सेंट की कमी की सम्भावना है । यह आप 1994-95 में मान रहे हैं और मैंने बताया था 1996-97 का । इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जो प्रोजैक्शन आपको बताया था वह प्रोजैक्शन सही था और आठवीं पच वर्षीय योजना में अभी आप बहुत गर्व की बात कर रहे थे । यह गर्व नहीं बताया आपने, आप एक पर्सेंट पर एक मेगावाट की उत्पत्ति कर रहे हैं और उसको हमें आप पढ़कर सुना रहे हैं । कहीं डेढ़ मेगावाट की उत्पत्ति कर रहे हैं उसका आप हमें गर्व के साथ सुना रहे हैं ।....

(18.26)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

एक मेगावाट, डेढ़ मेगावाट । जबकि 250 मेगावाट की हर साल बिजली की जरूरत है उसके अंगेस्ट में एक मेगावाट, डेढ़ मेगावाट, दो मेगावाट, तीन मेगावाट की उत्पत्ति आप कर रहे हैं ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह बताना चाहता हूं, आज जब प्राइवेट

(श्री चन्दनमल बैद)

पार्टीज को लाने के सिलसिले में कोई प्रतिबंध नहीं है, तो क्यों नहीं आप प्राइवेट पार्टीज से इस बारे में बात कर रहे हैं ? बात कीजिये इनसे तो कम से कम नवम् पंचवर्षीय योजना में राजस्थान अंधकार में नहीं रहेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में तो आप कुछ नहीं कर सकते। जेस्टेशन पीरियड पांच साल है। सूरतगढ़ भी नहीं आएगा। आपने कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, नहीं आएगा। इस बात को मैं बहुत नम्रता के साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके हिम्मत के साथ आगे बढ़िये। आप नये-नये मिनिस्टर बने हैं।....

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : हैं तो बहुत पुराने।

श्री चन्दनमल बैद : प्राइवेट पार्टीज की बात कर रहा हूं ना मैं। यह एक ही रास्ता है। नये-नये मिनिस्टर बने हैं आपके सामने एक मौका है, कुछ कर दिखाने का।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हिम्मत इनमें बहुत है पर जैसाकि आप लोग कहते हैं कि बाहर से कर्ज मत लो, उस कर्ज का भार प्रदेश पर पड़ रहा है और बिना कर्जे के....

श्री सभापति : माननीय गोयलजी बिराजें।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कर्जा बढ़ रहा है इस बात को इसलिए कहा था कि आपने भारत सरकार के कर्जे के बारे में भी चिन्ता प्रकट की थी उसको कम्पेयर करते हुए मैंने कहा था और अगर कर्जा लेकर आप कोई काम करना चाहते हैं तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है लेकिन यह कर्जा भी नहीं है यह तो प्राइवेट पार्टी खुद लगाएगी। प्राइवेट पार्टी अपने पैसे से लगाएगी आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, हिम्मत तो बहुत है आप जैसे बुजुर्गों को, पीठ थपथपाने की बात है।

श्री चन्दनमल बैद : थपथपा ही रहा हूं। आपको कह रहा हूं कि आप लोग अपने मुख्य मंत्रीजी पर जाएंगे जिनकी हालत बीमारी के कारण से जवाब दे चुकी है, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी इस पुस्तक को देख लीजिऐ कि हर जगह आपने यही लिखा है कि बिजली की कमी है। कमी है, कमी है। आज इण्डस्ट्रीज कोई कैसे लगायेगा। लाइसेंसिंग सिस्टम खतम हो गया। आज किसी इण्डस्ट्रीज के लिए यह पाबंदी नहीं है कि उसको बैकवर्ड स्टेट में इण्डस्ट्रीज लगानी पड़ेगी। वह चाहे आंध्र में लगाए, वह चाहे महाराष्ट्र में लगाए, चाहे तमिलनाडु में लगाए। वह क्यों राजस्थान में लगायेगा ? इसलिए लगायेगा कि 60 पर्सेंट और 70 पर्सेंट आप बिजली की कटौती करेंगे ? जितने भी राजस्थान में इण्डस्ट्रीज लगाने वाले थे वह सब भाग-भाग कर दूसरी जगह चले गये। जो प्रोजैक्शन हुआ है उस प्रोजैक्शन को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली की कमी राजस्थान में रहेगी। यह

(श्री चन्दनमल बैद)

भी गर्व की बात है। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको आते ही ऐसा विभाग दिया। पहले तो बहुत दिनों तक आपको लटकाये रखा और दिया है तो ऐसा विभाग दिया है कि सिवाय विभाग के कोई दूसरी चीज है ही नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपसे यह उम्मीद नहीं थी।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे मित्र है, इसलिए कह रहा हूं। मेरे मित्र हैं, एक कमेटी में हम दोनों साथ रहे हैं। मेरे को इन से और इनको मुझ से स्नेह है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस बात को आप देखिये और देखकर कुछ इलाज कीजिये, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी।

एक बहुत डिसकरिंग खबर मैंने आज नवभारत टाइम्स में पढ़ी है, माननीय मंत्री महोदय कि बिजली वाले वेतन पाएंगे, 20 करोड़ डूब जाएंगे। यह हरिजनों का 20 करोड़ रुपया आप क्यों ले रहे हैं ? इसमें लिखा है राज्य सरकार राजस्थान राज्य अनुसूचित विकास निगम के 20 करोड़ रुपयों को डूबत खाते में डालने की दिशा में बढ़ रही है। केन्द्र सरकार के आदेशों की अवहेलना कर यह पैसा दिवालियेपन की कगार पर खड़े राज्य बिजली बोर्ड को दिया जा रहा है। उधार पैसा तो राज्य बिजली बोर्ड के पास इतना है कि आज तक चुकाया ही नहीं उसने। यह कहां से चुका सकते हैं उसको ? इन गरीब हरिजनों को तो माफ करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपका किया हुआ है सब।

श्री चन्दनमल बैद : यह राइट आफ है। राजस्थान सरकार तो खुद ही दिवालिया हो गयी है।

सभापति महोदय, जो बातें मैंने बजट के वक्त में कही थी, उन बातों को नहीं दोहराते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि जेनरेशन को बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए और हिम्मत और हौंसले के साथ आगे बढ़िये। ऐसा नहीं कि चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हम बिजली की दर बढ़ाएंगे। आप तो हमका सपोर्ट करना। क्यों सपोर्ट करेंगे हम ? दो पैसे हमने बिजली की दर बढ़ायी और प्रतिपक्ष के नेता और आज के मुख्य मंत्रीजी ने उस समय क्या रवैया दिखाया था और हमसे उम्मीद करते हैं कि बिजली की दर आप बढ़ाएंगे और हम आपको सपोर्ट करें। हम तो इस सदन में और सदन के बाहर उसका विरोध करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : लेकिन माननीय सदस्य मैं चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए भी आप कुछ सुझाव दें।

श्री चन्दनमल बैद : यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि हिम्मत और हौंसले के साथ काम कीजिये। पोलिटिकल विल पैदा कीजिये। हमसे क्या चाहते हैं आप ? आप चाहते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे? हम तो पग-पग पर आपका विरोध करेंगे सदन में भी और सदन के बाहर भी विरोध करेंगे। हिम्मत आप में होनी चाहिए। हमसे क्या उम्मीद करते हैं आप ? हिम्मत तो आप में होनी चाहिऐ। वह हिम्मत आप में नहीं है और हमारी तरफ देख रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप धमकी दे रहे हैं। माननीय नेताजी आप धमकी दे रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं ? चुनौती तो स्वीकार है, धमकी का जवाब देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : धमकी नहीं दे रहे हैं, प्रभारी मंत्रीजी की पीठ थपथपा रहे हैं। आप उम्मीद कर रहे थे कि मैं पीठ थपथपाने के नाम से मिक्स कर दूंगा यह तमाम टैरिफ को, इसलिए उन्होंने क्लेरीफिकेशन दिया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नहीं, मिक्स की बात नहीं है। मेरा तो निवेदन यह था कि अनुभवी और बुजुर्ग नेता यह सुझाव दें कि....

श्री चन्दनमल बैद : आपसे ज्यादा बुजुर्ग नहीं हूं, गलत समझ रहे हैं आप। आपसे ज्यादा बुजुर्ग नहीं हूं मैं। बाल तो सफेद हो गये तो हो गये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा निवेदन यह है कि हिम्मत से आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी, कृपया यह भी बतावें।

श्री परसराम मदेरणा : विल पावर जो आपकी मजबूत होनी चाहिए, यह बात इन्होंने कही है और इस सम्बन्ध में आपकी पीठ थपथपाएंगे।

श्री चन्दनमल बैद : एक छोटी सी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जेनरेशन जो नेट है, 1992-93 में जो था उससे 1993-94 में कम हो गया, 7961 मिलियन यूनिट्स 1992-93 में आपका जेनरेशन था, आपके फिगर पढ़ रहा हूं, 1993-94 में वह हो गया 7563 मिलियन यूनिट। अब यह सुझाव दे रहा हूं आपको, देखिये जरा इसको। बाहर से बिजली आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। वह नहीं भी मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी कि ढाई सौ मिलियन बिजली आपको थर्मल पावर कारपोरेशन देने की बात कर रहा है। रिवाल्विंग एल.सी. खोल देंगे आप? तनख्वाह चुकाने के तो पैसे नहीं है और रिवाल्विंग एल. सी. खोल देंगे आप। हरिजनों का तो पैसा मार रहे हैं और आप रिवाल्विंग एल. सी. खोल देंगे और वह रिवाल्विंग एल. सी. के बिना आपको बिजली देने वाला नहीं है। पंजाब की भी यही हालत है। पंजाब यह कहता है पहले पैसा लाओ और कोल कारपोरेशन क्या कह रहा है, पहले पैसे जमा कराओ फिर वैगन लोड करूंगा। क्यों है कि नहीं यह बात ? मंत्री महोदय, जरा हिम्मत के साथ आगे बढ़िये और काम कीजिए, तब जाकर राजस्थान में बिजली का कुछ सुधार आप कर सकेंगे। नहीं तो आज की जो स्थिति है नाइंथ प्लान में जाकर के आपको यहां इस सदन में मोमबत्ती और लालटेन जलाकर बैठना पड़ेगा, मैं आपको यह अर्ज करता ... (व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : कैरोसीन कांड हो गया तो और भी बुरा होगा।

श्री चन्दनमल बैद : और आपका नाम पावर मिनिस्टर नहीं × × × मिनिस्टर, × × × मिनिस्टर हो जाएगा इसको याद रखिये आप। सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जेनरेशन के बारे में कुछ करना चाहिए।

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री चन्दनमल बैद)

वह अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सारी बातें फैल हो जाएंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने यहां अपने वक्तव्य में आगामी आने वाले वर्ष में विद्युत की योजनाएं रखी हैं, मैं उन योजनाओं की सफलता की कामना करती हूं। मंत्री महोदय यदि आप दस साल का मास्टर प्लान बना लेते तो ज्यादा अच्छा होता। हम आज पैदा करें और आज खायें। आज भी पूरा पेट नहीं भरे, आने वाले समय में फिर हम अपनी योजनाओं को कैसे बढ़ा सकेंगे, इस बात पर विचार करना चाहिए। आज के दिन अगर एक हमें एक दिन भी बाहर से बिजली न मिले तो आवासीय विद्युत, औद्योगिक विद्युत और सार्वजनिक विद्युत हमारी यह सारी विद्युत की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं और सारे मामलात ठप्प हो जाते हैं। जिन दिनों हमें कृषि के लिए विद्युत चाहिए, हम उनको पूरी विद्युत नहीं दे पाते और जिस समय कारखानों को देनी चाहिए, कारखानों को हम पूरी बिजली नहीं देते। इस तरह से हमारे राजस्थान का पिछड़ापन हम कितने वर्षों में दूर कर पायेंगे, यह एक चिन्तनीय विषय है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें भी कई बार अनेक खामियां आ जाती हैं जिन्हें हम समय पर अगर दूर नहीं कर पाते, तो हमारी इकाइयां, जिनके ऊपर हम अधिकांशतः निर्भर हैं, वह बन्द हो जाती, और सारी व्यवस्था लड़खड़ा जाती है और जो हम बिजली खरीदते हैं, उन सबमें राजस्व का कितना बड़ा भाग हम चुकाने में दे देते हैं। किसी भी प्रकार से अपने यहां कुछ बांधों का निर्माण करके हमें अपने यहां की विद्युत व्यवस्था को सुचारू संचालन करने के लिए कार्य करना चाहिए। इस सम्बन्ध में यदि कोई और इकाइयां बाहर से आकर हमारे यहां विद्युत उत्पादन के लिए अपने प्रपोजल दें, तो उन्हें भी हमें स्वीकार करना चाहिए। लाइन लोसेज की हमारे यहां बहुत बड़ी खामी है। इतनी बड़ी हानि को हम स्वीकार करते हैं और हमारा सारा ढांचा उस पर कोई काम नहीं करता। विद्युत लीकेज को अगर हम रोक दें तो निश्चित रूप से हम अपनी विद्युत वितरण व्यवस्था को सुधार पायेंगे।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगी कि लाइन लोसेज के साथ-साथ शहर और गांव में हम विद्युत की चोरी को रोक पायें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी व्यवस्था हम कर पायेंगे। मैंने अनेक जगह देखा है कि जहां बिजली की लाइनें गयी हुई हैं, लोगों द्वारा अपने यहां बिजली के आवेदन नहीं देकर, किसी एक तार के द्वारा, क्योंकि एक्सपर्ट्स लोग है, लाइनमैन हैं, उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। डोरी डाली और पूरे गांव में बिजली की बाकायदा बड़े आराम से चोरी करते हैं। क्योंकि सबको सुख पहुंचाते हैं, उनकी शिकायत कोई करता नहीं है। इस प्रकार की जो चोरियां हैं उनको अगर आप रोकेंगे तो निश्चित रूप से कुछ सुविधा उससे भी मिलेगी। आपने

(214)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यहां बताया कि 45 प्रतिशत बकाया हमारी वसूली पड़ी हुई है और वसूली नहीं हो पा रही है। मशीनरी को गियर-अप करके यह वसूली आप आसानी से कर सकते हैं, वह करें। मेरा निवेदन है कि बहुत लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज में और औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा हार्स पावर की मशीनें लगा रखी हैं और आपको पैसा कम देते हैं, आप एक बार उनका सर्वेक्षण करवाइये, बिजली की चोरी वह लोग कर रहे हैं, उद्योगपति और बड़े-बड़े लोग, उसको आप देखें। यह सदन में एक बार मामला आया था और श्री खेतसिंह जी हैं नहीं, लेकिन मंत्री बनने से पूर्व जयपुर शहर से वह विधायक जिनकी पाइप बनाने की फैक्टरी में और कम हार्स पावर की दिखाकर के ज्यादा शक्ति की मशीन लगायी हुई थी। यह तो कोई ठीक बात नहीं है। आप यदि सर्वे करवाएंगे तो इन मामलात में आप मालूम करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी जो सतर्कता सेवाएं हैं, उनसे आप जांच कराएं। इन सतर्कता सेवाओं के माध्यम से जो काम हम करना चाह रहे हैं वह काम हो नहीं पा रहा है बल्कि सतर्कता के अधिकारी चोरों से मिलकर के सांठगांठ करके इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि सतर्कता के नाम पर वह कलंक हैं। आप मेरी बात को मान लें, क्योंकि मैं भुगतभोगी हूं मेरे इलाके में मैंने कुछ सर्वे करवाए थे। हाथों-हाथ सरेआम रंगे हाथों उन्हें पकड़वाया और पकड़े जाने पर भी चोरी का मामला रफा-दफा कर दिया गया नायला का वह मामला था। मैं तो यह इंगित मात्र कर रही हूं। उसके बाद भी कई मामले मैंने देखे और उन मामलों में मैंने, पाया कि लोग बिजली के तारों से घरों में खाट बुन लेते हैं और बिजली के काम में लगने वाले लोहे के सामान से किवाड़ बना लेते हैं और मामले सामने आने पर भी उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ बिगड़ नहीं सकता है। आपके अधिकारियों को सतर्क करके इन मामलात को पकड़ें और इस प्रकार से विभाग को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, उनके प्रति सख्ती से कार्य करें यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे कुछ शहरों में आपने वाणिज्यिक दरें लगायी हैं, बोर्ड की दरें स्वतः ही काफी बढ़ी हैं, लोगों को देने में कष्ट होता है। आपने जयपुर, उदयपुर ऐसे पांच-छह नगरों में, मकानों पर बोर्ड लगाने पर व्यावसायिक दरें लगा रखी हैं। किसी ने लिख दिया कि श्री रमाकान्तजी, एडवोकेट, तो बिजली का बिल ड्योढ़ा हो गया,. डा. उजला अरोड़ा, तो बिजली का बिल ड्योढ़ा हो गया। कोई दूध का घर में काम करता है, अपने घर भैंस बांध रखी है, दूध बेचता नहीं है। गाय पर, भैंस पर, बकरी पर, इन सबको व्यावसायिक समझकर के दरें बढ़ा रखी हैं उसकी जांच कराएं और लोगों के कष्ट को आप दूर करने का प्रयास करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोरिटी बनाने के लिए गांव वाइज प्रायोरिटी बनानी चाहिए। हमारी गांववाइज प्रायोरिटी बनती नहीं है और जिले की प्रायोरिटी से हमें कुछ मिलता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे कई मामले जो हैं जो कई-कई वर्षों से यहां अटके पड़े हुए हैं विद्युतीकृत गांव हैं, उनकी प्रायोरिटी बनी हुई भी हैं, उनके आवेदन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

भी पड़े हुए हैं, पर उन्हें कनेक्शन नहीं मिलता। पता नहीं कैसे प्रायोरिटी तोड़कर किसी और को बिजली चली जाती है और वह लोग लटकते रह जाते हैं। हम कई बार स्कीम बदलते रहते हैं, कभी वन पोल, कभी टू पोल और कभी प्रायोरिटी के हिसाब से। इस सबको देखें। जो पुराने उपभोक्ता वंचित हैं, जो बहुत दिनों से एक प्रतीक्षा सूची में हैं उनको विद्युत का कनेक्शन मिले, इस बात को आप निश्चित रूप से देखेंगे। उत्पादन और वितरण इन दोनों के अन्तर को आप जैसे समर्थ व्यक्ति जल्दी निपटाएंगे और जितनी विद्युत की चोरी और लीकेज है, उसको रोकेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री पूनमचन्दजी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, जो हमारे शरीर के अन्दर खून का स्थान है, आधुनिक समाज व्यवस्था में बिजली को वह स्थान प्राप्त है। बिजलीकरण के बगैर किसी आधुनिक समाज को चलाया नहीं जा सकता और उसकी सुविधाओं को किसी भी क्षेत्र में प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिजलीकरण में राजस्थान में पिछले चालीस सालों में बहुत बढ़ा काम हुआ है, इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता। 1957 में जब हम यहां से जोधपुर जाते थे तो बिजली केवल यहां के बाद में किशनगढ़, फिर अजमेर, फिर ब्यावर, फिर पाली और उसके बाद में जोधपुर में आती थी बीच में कहीं पर भी बिजली नहीं थी। आज अगर रात को आप दिल्ली से बम्बई जाएं सीधे उड़कर तो कोई स्थान ऐसा नहीं मिलेगा राजस्थान का जहां पर बिजली न हो, तो इसके लिए बिजली बोर्ड बधाई का पात्र है। लेकिन बिजली की सुविधा अभी कितने लोगों को मिल पायी है, यह सोचने का प्रश्न है।

हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से ऐसे स्थान पर आया हुआ है जहां पर न तो पन बिजली की आगे कोई गुंजाइश है, जितनी पन बिजली पैदा की जा सकती थी वह चम्बल से या माही से हमने कर ली। यहां पर कोयला है नहीं, लिग्नाइट है तो इसकी टैक्नोलाजी बड़ी मुश्किल, बड़ी मंहगी और बाहर से आयातित करनी पड़ती है। इसलिए बिजली उत्पादन में भी हमको काफी जोर पड़ता है, बाहर से हमको काफी बड़ी मात्रा में बिजली खरीदनी पड़ती है और वह मंहगी पड़ती है। अगर हम बिजली का फायदा चाहते हैं तो पहला प्रश्न है लोग पसन्द नहीं करेंगे, काश्तकार कतई पसन्द नहीं करेंगे लेकिन स्पष्ट तौर पर अपने को यह स्वीकार करना होगा कि बिजली की रेटें हमें बढ़ानी होंगी। आज कितने लोग हैं, काश्तकार, जिनको बिजली नहीं मिली है, हम केवल जिनको बिजली मिल गयी है और बिजली का फायदा उठा रहे हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं के हित की बात कर रहे हैं लेकिन यह नहीं समझते कि बैल से अगर पानी निकालकर सिंचाई करते हैं तो 15 रुपये खर्च पड़ता है, यदि हम डीजल की मशीन चलाएं तो उतनी जमीन को सिंचित करने में करीब आठ रुपये खर्च करेंगे और अगर उतनी ही सिंचाई बिजली से करेंगे तो केवल एक रुपया खर्च करना पड़ेगा। इसलिए चाहे रिश्वत देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े काश्तकार चाहते हैं कि हमारे को

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बिजली का कनेक्शन मिले। इस यथार्थ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम बिजली की रेटों को नहीं बढ़ाएंगे तब तक बिजली का फायदा ग्राम लोगों को मिल नहीं सकता ग्रौर हम जो बात करते हैं बिजली की रेट कम करने की वह कृषि क्षेत्र में इन तीन-चार लाख लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में बैठ करके सभी पक्षों को ग्रौर जो टैक्निकल लोग हैं उनको बैठ करके ग्रौर बिजली की क्या दरें होनी चाहिए, ठीक है, धीरे-धीरे बढ़ाग्रो लेकिन बढ़ाना पड़ेगा। ग्राप कह रहे हैं कि प्राइवेट सैक्टर में दे देंगे। प्राइवेट सैक्टर क्या करेगा, प्राइवेट सैक्टर तो बिना ग्रपने लाभ की दृष्टि से कोई काम करेगा ? यह तो पब्लिक सैक्टर है इसलिए कई फायदे इसके होते हैं। लेकिन इसके पास ग्रगर पूंजी नहीं हो इसकी ग्रामदनी बिजली बेचने से बहुत कम होगी तो यह कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस हकीकत को हमें पहचानना होगा यदि समाज को बिजली का फायदा पहुंचाना है।

ग्राप जानते हो, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में जैसा मैंने कहा, बिजली उत्पादन के जो भी साधन हैं चाहे पानी है, चाहे कोयला है ग्रौर चाहे थर्मल, चाहे तेल से चलने वाले हैं चाहे ग्रणु बिजली घर है लेकिन इन सबकी गुंजाइश बहुत कम है ग्रौर हम बसे हुए हैं ढाणियों के ग्रन्दर, ग्राधा राजस्थान, वह भी बिजमी का लाभ चाहते हैं तो इनको बिजली पहुंचाने का काम है यह वास्तव में बहुत बड़ा काम है। इस पर बहुत गहराई से विचार करे, सबको मिल बैठकर के ग्रौर यह रेट्स का प्रश्न है इसको हमको हल करना चाहिए ताकि पर्याप्त बिजली हम उत्पादन कर सकें ग्रौर प्राइवेट सैक्टर वाले ग्राएंगे तो वह भी घर से पैसा खर्च करके तो ग्रपने को बिजली देंगे नहीं देंगे तो वह भी मंहगी दर पर देंगे तो ग्रपने खुद के बिजली घर हैं उनसे ही पैदा करें।

दूसरा सुझाव यह है कि शिक्षा का, चिकित्सा का, सड़क का व बिजली का फायदा लोगों को पहुंचे इसलिए बड़े-बड़े राजस्व गांव थे या ढाणियों में बसते थे उनके हमने कई राजस्व गांव छोटे-छोटे ग्रलग कर दिये। ग्रलग राजस्व गांव होने पर उस गांव में बिजलीकरण करना चाहिए बिजली बोर्ड को। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिजली बोर्ड ने जो ग्रभी नवसृजित राजस्व गांव हैं उनको मान्यता नहीं दी है ग्रौर नतीजा यह कि मरुस्थल के क्षेत्र में जहां लोग ढाणियों में बसते हैं इसके कारण बिजली पहुंचाने में बहुत कठिनाई हो रही है ग्रौर ग्रगर इन गांवों को मान्यता बिजली बोर्ड ने नहीं दी, तो ग्रगले कई वर्षों तक बहुत बड़ा हमारा ग्रामीण तबका है, वह इस बिजली वाले लाभ से वंचित रह जाएगा।

यह ग्राप ग्रौर हम ग्रच्छी तरह से जानते हैं बिजली के कनेक्शन लेने के लिए बड़ा भारी खर्चा करना पड़ता है। इसमें काफी भ्रष्टाचार है। हालांकि काफी नियमित करने की भी कोशिश की है लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की, मंत्रीजी, नये-नये मंत्री बने हैं, मैं समझता हूं कि वह पूरी कोशिश करेंगे। फिर 25 पर्सेंट बता रहे थे लाइन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लासेज, कोई 33 पर्सेंट लाइन लासेज बताते हैं तो लाइन लासेज के मामले में भी हमको गहराई से विचार करना पड़ेगा और लाइन लासेज जितना भी हम कम कर सके उतनी हमारी कोशिश होनी चाहिए। यह बिजली बोर्ड का दायित्व है।

एक बात बिजली विभाग और वोर्ड के कर्मचारियों को समझनी चाहिए कि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषक की खेती को अगर तीन-चार दिन तक उनको बिजली और पानी नहीं मिले तो साल भर की उसकी कमाई समाप्त हो जाती है। आप तनख्वाह पाने वाले जो लोग हैं आप विचार कीजिए कि 12 महीने की तनख्वाह आपकी एकदम जब्त हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी ? उसी दृष्टिकोण से देखें कि वोल्टेज की कमी के कारण, कोई कहीं डी. पी. में खराबी आ गयी, कहीं लाइन में खराबी आ गयी और कई-कई दिनों तक बिजली वापिस चालू नहीं की जाती है या चालू रहती है तो उसमें वोल्टेज का उतार-चढ़ाव इतना रहता है कि 15 मिनट तक पानी चला और उसके बाद में मशीन बन्द हो गयी। उसमें मशीन भी जल जाती है। पानी रुक-रुक कुओं पर चलता है तो पानी जब तक दुबारा क्यारी में पहुंचता है तो पीछे से बन्द हो जाता है। उससे फसल का नुकसान होता है इसलिए हर कीमत पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण बदल कर यह सोचना चाहिए कि अगले व्यक्ति की साल भर की कमाई है वह खतम हो जाएगी अगर वोल्टेज उसको ठीक नहीं मिलता है तो। इस ओर बिजली बोर्ड को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। यही कुछ सुझाव थे जो मैंने आपको दिये और मैं समझता हूं कि बिजली बोर्ड वाले और हम लोग भी इन प्रश्नों पर गहराई से विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली मंत्री-जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब की बार आठ घंटे पूरी बिजली काश्त-कारों को दी गयी। इसके साथ-साथ कितने ही वर्षों से कनैक्शन कम मिल रहे थे अब की बार यह तय किया है कि 25 हजार कनैक्शन काश्तकारों को दिये जाएंगे। 750 गांवों का विद्युतिकरण किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, एक समय ऐसा था हमारे प्रतिपक्ष के नेता यह कह रहे थे कि बिजली में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 124 करोड़ रुपया तो मात्र मार्च 1990 तक का बकाया था और केन्द्र सरकार की जितनी एजेंसिया हैं वह राजस्थान की बिजली बन्द कर रही थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसी समय 4 मार्च को शपथ लेने के साथ ही 124 करोड़ के आस पास जमा कराये। नहीं तो यह सारा राजस्थान अंधकार में डूब जाता....

श्री परसराम मदेरणा : क्या ? प्रतिपक्ष के नेता ने क्या कहा था ?

श्री शांतिलाल चपलोत : प्रतिपक्ष के सभी नेतागण। मैंने आपका नाम नहीं लिया था।

श्री परसराम मदेरणा : आप कुछ समझे-वमझे तो हैं नहीं। एक बात तो आप यह बता दीजिए ...

श्री शांतिलाल चपलोत : तारानगर से आने वालों ने यह कहा था।

श्री चन्दनमल बैंद : क्या कहा था मैंने ?

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं गत बार बोला था, 15 दिन पहले तब मैंने यह कहा था कि 15 रुपया बैल की खेती से पड़ते हैं और उस समय आपने यह बात उठायी थी।

श्री चन्दनमल बैंद : क्या उठायी थी मैंने ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको याद नहीं है तो हमें याद रखना जरूरी है क्या ?

श्री चन्दनमल बैंद : आप हर मौके पर अर्ध सत्य बात कहते हैं। और एक दिन खड़े होकर कह दिया कि 340 करोड़ का घाटा चन्दनमल जी बैंद ने दिखाया था। कब दिखाया था ? लाइये ना बजट स्पीच वो।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं तो अभी बिजली की बात कर रहा हूं। घाटे की बात तो नेता महोदय से करनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना गुस्सा क्यों करते हैं ?

श्री चन्दनमल बैंद : गलत क्यों कह रहे हैं ? मुझे याद है जो मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मौका आएगा तो बता देंगे।

श्री चन्दनमल बैंद : मौका अभी है ना। मंगाओ ना मेरी बजट की स्पीच।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस समय बोला था उस समय तो आपने चैलेंज नहीं किया ?

श्री चन्दनमल बैंद : मैं आपको टोकना नहीं चाहता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टोकना नहीं चाहते थे उस समय तो आज बीच में ही खड़े हो गये।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी आप काम्पीटेंट और एक एबल मिनिस्टर हैं। लीडर आफ दी हाउस को तो कभी-कभी बोलना चाहिए। यह आप जल्दी जल्दी क्या बोल रहे हैं ? मैंने तो एक बात कही थी कि सेवंथ फाइव इयर प्लान में जो जेनरेशन हुआ है बिजली का, वह सभी 6 प्लानों में 5 साल के किसी भी प्लान को उठाकर देखिए वह मैक्सीमम है आल दी टाइम। मैंने यह बात कही थी और गैप की बात कही थी। 14 वें, 13 वें और 12 वें सर्वे की रिपोर्ट के ऊपर कोई बात कही थी बिजली की कि आपका गैप रहने वाला है। यह कभी नहीं कहा कि 124 करोड़ रुपया मुख्य मंत्रीजी ने क्या कर दिये ? मुख्य मंत्रीजी ने तो इक्विटी में कंवर्ट नहीं किया है, इंटरेस्ट ही है, वही राइट-आफ कर दिया है। मुख्य मंत्रीजी ने बोर्ड की काफी मदद की है, ऐसी बात नहीं है। श्री विश्नोई जी भी बहुत चिन्तित थे। मुख्य मंत्रीजी, He has gone in a big way to the rescue of the Rajasthan State Electricity Bord and for that I congratulate the Chief Minister.

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, कोटा का तापीय बिजली

(श्री शांतिलाल चपलोत)

घर अब इस 26 मार्च से प्रोडक्शन दे रहा है और दो-तीन महीने में व्यावसायिक उत्पादन भी उसमें प्रारम्भ हो जाएगा। उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को और बोर्ड के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ में गैस की तापीय परियोजना है, जिसकी लागत काफी है और अभी हमने उस पर पैसा खर्च किया है 1 अप्रेल, 1994 से इसमें गैस मिलने लग जाएगी भारतीय गैस अधिकरण को और उस पर आधारित कारखाना भी काम करने लगेगा....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कितने मेगावाट का है ?

श्री शांतिलाल चपलोत : 3 मेगावाट का है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप हाथ देकर चूहा ले आओ, 3 मेगावाट कोई बिजली होती है क्या आज के युग में ?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, प्यासे के लिए तो एक बूंद भी बहुत होती है। जो काश्तकार आज तंगी में हैं, उनके लिए एक-एक यूनिट बिजली मुहैय्या कराना बड़ा भारी काम है। 3 मेगावाट से कम से कम भी तो पांच, दस हजार काश्तकारों को लाभ होगा। आप उसके बारे में विचार नहीं करते। ...

श्री परसराम मदेरणा : आसींद से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वेटी सुझाव दिये थे कि उन्होंने कई स्टेट के नाम बताये थे कि वहां जो यूनिट हैं वह एक-एक यूनिट 250 मेगावाट से कोई कम नहीं है और आप जो लिग्नाइट बेस 120 मेगावाट का कर रहे हैं, उन्होंने उस पर एतराज किया था और यह बताया था कि टोटल डिपोजिट्स कितने हैं और यह एक-एक यूनिट 500 मेगावाट की दी जा रही है। वहां 500 मेगावाट की बात नहीं, 250 की बात नहीं। अभी आप चारण वाला पर एक पाइंट एक मेगावाट, रामगढ़ में तीन मेगावाट और मांगरोल में डेढ़ मेगावाट....

श्री शांतिलाल चपलोत : 35.5 मेगावाट की भी चालू होने वाली है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब यह है कि नहीं करना चाहिए....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, अभी एक सजेशन आयन्था, एक बहुत ही.... आप फिर खड़े हो गये, आपको पता ही नहीं है, You are not in the House. अभी एक सजेशन आया था, आसींद से आने वाले माननीय सदस्य का। हजार और 500 से कम की कोई भी यूनिट आपको हाथ में नहीं लेनी चाहिए, यह माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यह बताओ कि हमको यह नहीं करना चाहिए था।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपका नाम जरूर लिखेंगे कि भैरोंसिंह जी एक मेगावाट का बिजलीघर बनाया।

220

श्री शांतिलाल चपलोत : यह तो सुझाव है। मानना नहीं मानना सरकार के हाथ में है। ....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : शिला लेख तो बहुत पड़े हैं। आप लोगों के ऐसे-ऐसे शिला लेख हैं कि उनको उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए। योजना का आकार बढ़ेगा, योजना का आकार जितना बढ़ेगा राजस्थान में उतना ही विकास होगा।

(19.00)

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, गैस पर आधारित रामगढ़ परियोजना में 35.5 मैगावाट का काम भी प्रारम्भ होने में है। अगस्त, 1994 में ये काम और प्रारम्भ हो जाएंगे। इसके साथ-साथ 1-4-1995 से तीन लाख सी एम डी गैस और 1-4-96 से पांच लाख सी एम डी गैस आपूर्ति का इकरार भी किया गया है। यह कभी नहीं हुआ, कांग्रेस हुकूमत इस काम को नहीं कर पायी। मैं मुख्य मंत्रीजी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। सूरतगढ़ तापीय परियोजना के लिए भी कोयले पर आधारित प्रथम चरण में 250 मैगावाट की दो यूनिट प्रस्तावित हैं। इस बार 1403 करोड़ रुपऐ प्रस्तावित है खर्च करने के लिए। नवम्बर, 1991 में योजना आयोग ने इसकी स्वीकृति दी है। 1990 के पहले 1989 तक आपने पूरे प्रयत्न कर लिए, आप उस योजना का योजना आयोग के सामने प्रस्ताव करने तक की हिम्मत नहीं कर पाये और हमने उसकी स्वीकृति प्राप्त की है।

चाहे छोटी योजना हो, मांगरोल की एक योजना है, उसका भी काम प्रारम्भ हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : 1991 में जब क्लीयरेंस हो गया, तो आब्जैक्शन सर्टिफिकेट और लिकेज वगैरह सब हो गया तो आप तीन साल तक क्या कर रहे थे ?

श्री शांतिलाल चपलोत : एक साल तो बर्खास्त हो गये थे।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी ने इसी सैशन में कहा है कि उसमें फिर एक एतराज कर दिया गया था जिसको मैं अभी क्लीयर कराके लाया हूं और आप यह कह रहे हो कि 1991 में सब क्लीयर हो गया था। कहां क्लीयर हो गया था ? यह तो अभी एक महीना-डेढ़ महीना पहले क्लीयर कराके लाये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बात नहीं है। आप फिर कहोगे कि बार-बार बोलते हैं, पर आपको तो जानकारी देनी चाहिए। आपने जब यह योजना बनायी तो यह प्लानिंग कमीशन में गयी थी। प्लानिंग कमीशन ने इसकी स्वीकृति नहीं दी, यह तो आपको जानकारी होगी। हमारी सरकार आने के बाद हमने इसकी प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति ली, सी.इ.ए. की स्वीकृति ली। उस पर जब काम चालू किया तो राष्ट्रपति शासन में एनवायर्नमैण्ट के नाम से हमारी स्वीकृति वापस ले ली गयी। जब मैं दुबारा मुख्य मंत्री बना और पहली दिल्ली यात्रा की तो उसी दिन स्वीकृति लेकर वापस आया।

श्री शांतिलाल चपलोत : यही नहीं, राष्ट्रपति शासन के दौरान धौलपुर के तापीय बिजली घर के बारे में बात चली थी, 15 अक्टूबर, 1993 को केन्द्र सरकार ने उसको रिजैक्ट कर दिया केवल आगरा के ताजमहल के लिए। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, बिजली मंत्रीजी और बिल्ली के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी दिसम्बर, 1993 में शपथ लेने के पश्चात् दिल्ली गये और दिल्ली दरवाजे को खटखटाया। दिल्ली में लोगों को चैन से नहीं रहने दिया और उस काम के लिए उन्होंने स्वीकृति जारी कराने की बात कर ली है।

छोटी योजनाएं हैं— मांगरोल की योजना स्वीकार हुई पन बिजली की, चारणवाला की हुई, पूंगल की हुई। माही की दायीं नहर का काम भी प्रारम्भ हुआ। नवम्बर, 1991 के पश्चात् पानी की उपलब्धता के आधार पर। इटावा में और इन सब में काम प्रारम्भ हो जाएगा। बिरसलपुर योजना भी चालू होने वाली है। जाखम है....

श्री विष्णु मोदी : बीसलपुर कहां आ गया ?

श्री शांतिलाल चपलोत : बीसलपुर नहीं, आप कानों का थोड़ा मैल निकालिये, बिरसलपुर। जरा जाकर पढ़िये।

श्री बनवारीलाल शर्मा : कहां पर है बिरसलपुर ?

श्री शांतिलाल चपलोत : वह देखो नक्शा, अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी। काफी समय लगेगा आपको।

जाखम में, जो मेवाड़ क्षेत्र से है, लघु-पन बिजली योजना प्रारम्भ हो रही है और उसका काम भी शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, ट्रांसमिशन लासेज 22 प्रतिशत हो रहे थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी ने जिस तरीके का काम किया है, कोशिश करने के पश्चात् उसको घटाकर 21 प्रतिशत तक पहुंचाया है। आज 13 हजार ट्रांसफार्मर्स भेजे गये हैं। जहां-जहां ट्रांसफार्मर्स की कमी थी लोगों को तकलीफ हो रही थी, ट्रांस-फार्मर्स भेजकर एक रिकार्ड काम इस समय में हुआ है। 2700 मेगावाट बिजली सारे राजस्थान में है आज और कोटा ताप बिजली घर प्रारम्भ होने से 2917 मेगावाट बिजली हमारे पास है। यही नहीं, अभी जब बिजली का संकट पड़ा तो 250 मेगावाट बिजली हमने एन. टी. पी. सी. के ले ली है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह 2700 मेगावाट में से आपने कितनी जेनरेशन कैपेसिटी पैदा की, यह बता दें आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : हमने जेनरेशन की सबकी की, धौलपुर की भी की। सबकी की पर आपने नहीं करने दी। कोटा में भी हमने किया 210 मेगावाट का।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बिजली की मांग सब जगह होती है। वृहत् उद्योगों में 191 पैसे प्रति यूनिट सप्लाई की जाती है। 135 पैसे में हमको बिजली लेनी पड़ रही है और ट्रांसमिशन लासेज और 20 प्रतिशत सप्लाई का खर्चा, यदि हिसाब लगाया जाए तो 175 पैसे के आस-

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पास प्रति यूनिट बिजली पड़ती है। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह फर्माया कि बिजली के कनैक्शन दिये जाने चाहिए और बिजली की रेट बढ़नी चाहिए। मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं। जो गांव से आते हैं वे जानते हैं कि आठ रुपये का एक लीटर डीजल डालने के बराबर एक रुपये की बिजली का कंजम्पशन है। 16 रुपये बैल की खेती से पड़ते हैं। काश्तकार को कोई तकलीफ नहीं होगी यदि आप पांच या दस पैसे उसमें बढ़ायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य राजस्थान का भला चाहते हैं केवल तारानगर क्षेत्र का नहीं चाहते हैं और ग्रामीणों का भला चाहते हैं तो इसमें सहयोग करें, लड़ने और जंग करने की बात नहीं करें। 46 पैसा काश्तकारों से ले रहे हैं और 175 पैसे पड़ रही है। केन्द्र सरकार बराबर दबाव डाल रही है कि तीन प्रतिशत का हमको लाभ होना चाहिए, फिर हमारा काम कैसे चल सकता है? आखिर तेल तो तिलों में से ही निकलेगा, घाणी और लाट में से तो नहीं निकल सकता।

श्री विष्णु मोदी : क्या केन्द्र सरकार का यह दबाव है कि....

श्री सभापति : उनको समाप्त करने दीजिए, कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : केन्द्र सरकार का है।

श्री विष्णु मोदी : केन्द्र सरकार का दबाव है?

श्री शांतिलाल चपलोत : बिलकुल है। डंकल प्रस्ताव के जरिये से भी और गैट समझौते के जरिये भी इसका दबाव है। केन्द्र सरकार हम पर दबाव डाल रही है।

हमारा घरेलू बिजली का व्यय 83 पैसा है जब कि गुजरात में 305 पैसा, हरियाणा में 165 पैसा है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : यदि इस पर 10 पैसे बढ़ा दिये जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि 50 पैसा बिजली कृषि के लिए दी जाए और 90-91 पैसा घरेलू के लिए कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में 25-30 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आ जाएगा। जो छोटे-छोटे गांव हैं, मजरे हैं, ढाणियां हैं, उनका हम विकास करना चाहते हैं, द्रुत गति से विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है, हमको टैरिफ तो बढ़ानी पड़ेगी। घाटे का सौदा कब तक चल सकता है?

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब की बार हमारे यहां बिजली की वृद्धि 6.7 पर्सेंट रही है और हर साल 10-10 पर्सेंट और बढ़ेगी। अगले टाइम फिर बढ़ेगी। आखिर हमें विद्युत का उत्पादन तो करना पड़ेगा उसके लिए केन्द्र सरकार से जो भी तापीय विद्युत परियोजना है उसको शीघ्र स्वीकार कराने के साथ-साथ टैरिफ उनको बढ़ानी पड़ेगी। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, आपने बड़ी कृपा की, मुझे समय दिया। बिजली के बारे में आज स्पीकर महोदय ने पहले ही अपने उद्‌बोधन में हमें मार्गदर्शन दिया कि बिजली सब के लिए है और इसलिए रचनात्मक सुझाव दोनों तरफ से आने चाहिए और वाद-विवाद और कंट्रोवर्शियल इसको नहीं बनाया जाना चाहिए। मान्यवर, यह सदन ही हमारा ऐसा है कि यहां बिना कंट्रोवर्सी पैदा हुए, कोइ रस ही नहीं बनता और हमारा बोलना निर्जीव और नीरस सा हो जाता है। लेकिन उनका उद्‌बोधन बड़ी अच्छी भावना से प्रेरित था और उसका हमारे पर प्रभाव भी पड़ा है।

मान्यवर, पहले मैंने कहा था, आप तो स्वयं बिजली के टैक्नोक्रेट हैं, बिजली ही संसार के अन्दर वह साधन है जिससे विकास होता है। 1917 की क्रांति के वक्त जब जारों का शासन खतम हुआ और लेनिन ने सत्ता सम्भाली तो, मान्यवर, उनके अपने टैक्नोक्रेट, अपने एडमिनिस्ट्रेटर लैफ्टिनेंट, जो क्रांति के अन्दर योद्धा थे, सबको एक मजलिस में यह कहा था कि मुझे रूस का डवलपमैंट करना है और वह बिजली के बिना नहीं हो सकता। मैंने मुख्य मंत्रीजी से कहा था सदन में, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त में, कि जब तक आप बिजली की व्यवस्था नहीं करेंगे, आप राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। उस समय में मेरे ही साथियों से पूछ रहा था कि राजस्थान में आजादी के बाद क्या कोई ऐसा वक्त था कि जब बिजली में राजस्थान सरप्लस रहा? तो मुझे यह जानकारी दी गयी कि ऐसा वक्त नहीं आया जब सरप्लस रहा हो। हमेशा ही बिजली में डेफिसिट रहा है। यह मैंने इसलिए पूछा कि मैं आंकड़ों के मामले में कमजोर हूं, भावनाएं तो मेरी हैं लेकिन आंकड़ों के चक्कर में मुझे याद नहीं रहता, टेलीफोन नम्बर ही मुझे याद नहीं रहते। मैंने पूछा तो मुझे मार्गदर्शन दिया कि कभी सरप्लस रहा ही नहीं। मैं यह मानकर के चलता हूं कि हाइड्रो बिजली के प्रौडक्शन का केन्द्र सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत के विकास की जो आधारशिला रखी थी, मान्यवर, चम्बल की, भाखड़ा की और दूसरे हिन्दुस्तान में जो हैं, जिस प्रकार से किसी जमाने में आदि शंकराचार्य ने पांच धाम कायम किये थे, ठीक उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह धाम कायम किये थे, आधुनिक भारत में, जिसमें हाइड्रो भी था, चम्बल भी था और साऊथ के अन्दर हीराकुण्ड बांध है, सतपुड़ा है, यह धाम थे, उनकी आधारशिला रखी गयी थी। उसके बाद भी बहुत हुआ लेकिन जो पंडितजी का दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण में बाद में कमी आती गयी और उतनी तेजी नहीं रही। क्या कारण स्टेट में वाटर डिस्प्यूट्स पैदा हो गये, सौ दूसरे झंझट पैदा हो गये लेकिन जब तक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जेनरेशन नहीं होगा, तब तक देश हो, चाहे प्रदेश हो और उसमें उसे जब तक अपना हिस्सा नहीं मिलेगा और वह हम प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आप पावर की डेफिसिट को पूरा नहीं कर सकेंगे। अब रामगढ़ में तीन मेगावाट, आपका प्रयत्न है, मैं आपको डिस्करेज नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

करता, आप जितना भी प्रयत्न करें। क्यों कर रहे हैं, वह आपने भी, सभापति महोदय, उधर से उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी दिया था। जितना हुआ है ठीक है, हम यह कहते कि आप इतना करिये, थोड़ा-थोड़ा करके, कण-कण से मण जुड़ता है। आप उसको जोड़िये। लेकिन आपको मालूम है, राजनैतिक कंपलसंस आपके ऐसे हैं कि वह आपने राजस्थान के बिजली के डेफिसिट को पूरा करने में, डवलपमेंट में बाधक हो रहे हैं। वरना आपके अन्दर वह केपेसिटी है, जैसे भी सरकमस्टासेज हैं, उस हिसाब से अपने आपको अकोमोडेट करते हैं और अकोमोडेट करके आप अपने हिसाब से चलते हैं। यह आपके अन्दर खूबी है, आप में कोई कट्टरता नहीं है और उस कट्टरता के नहीं होने के कारण दिल्ली में जो भी प्रधान मंत्री आये, उनके साथ आपके अच्छे सम्बन्ध रहे और सौभाग्य से आज के प्रधान मंत्री के साथ भी आपके अच्छे सम्बन्ध हैं। लेकिन दूसरे लोगों ने, आपकी पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम ने उसमें टकराव पैदा कर दिया और आपको पीछे हटना पड़ा। आपकी पार्टी के हित में, आपके हित में, किसी भी हित में आप पीछे हटे, वह विवाद हुआ, उससे आपको नुकसान भी हुआ है, यह सब बातें हैं।

सभापति महोदय, स्टेट्स की पोजिशन ऐसी है जैसी कारपोरेशंस की है। एक जिला परिषद् की जो स्थिति है राजस्थान सरकार की नजरों में वह ही आज एक स्टेट की भारत सरकार के हिसाब से एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कारपोरेशन जैसी ही मान लीजिये आप। आटोनोमी है, कांस्टीट्यूशन है और जो शपथ हमने ली है, मैं उसको अंडरमाइन नहीं करता लेकिन स्थिति देश के नक्शे के ऊपर हमारी जो जिला परिषद् हैं वैसी ही एक यूनिट जैसी है। राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की यूनिट्स हैं, और जब तक केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग, मैं नहीं कहता कि केन्द्र सरकार हर स्टेट को देती है लेकिन तमाम चीफ मिनिस्टर्स का अपना फोरम, जो पार्टी-बन्दी से ऊंचा हो, जिसका कोई लगाव नहीं हो, ऐसा नहीं हो, सभापति महोदय, जैसा मुख्य मंत्रीजी ने मध्य-प्रदेश, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और हिमाचल-प्रदेश का एक फोरम बनाया था और फोरम बनाकर के सेल्स टैक्स का, आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वायत्तता, दूसरी स्वायत्तता का जो प्रश्न उठाया था। और अधिक स्वायत्तता के बारे में प्रतिक्रियाएं भी हुई थीं, देश के अन्दर स्वायत्तता की बात कोई नहीं उठाएगा। आज ही नहीं, कभी-भी सबसे बड़े आलोचक श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री मोरारजी देसाई का, सभापति महोदय, उनसे भी पूछा गया था भारत के संविधान के बारे में और स्टेट्स आटोनोमी के बारे में, क्या कहते हैं? इससे ज्यादा आटोनोमी क्या चाहते हैं, रियासतें क्या आटोनोमी चाहती हैं, इस देश को खंडित करना चाहते हैं, देश का बिखराव करना चाहते हैं। देश में जब तक केन्द्र सरकार मजबूत नहीं होगी, ताकतवर नहीं होगी, तो देश आगे नहीं बढ़ सकेगा, अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग होगा। कोई देश उससे बनता नहीं।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मेरे कहने का मतलब यह है कि जनता केन्द्र के साथ स्टेट्स के रिलेशंस छोटे-छोटे मामलों में झगड़े-टंटे, मैं नहीं कहता कि बेगिंग बाउल लेकर जाएं आप चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट को रिप्रजेंट करते हैं और जनता ने आपको चुना है, आपको अधिकार दिया है, पांच साल के लिए बहुमत नहीं मिला, आपने बहुमत अपना बनाया, अपनी क्षमता से बनाया। हम भी कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए, हम नहीं बना सके। हमारा बहुमत नहीं था। आप बना ले गये। बना ले गये तो आपके पास जैसा भी है एक आपके हिसाब से मैजोरिटी का मेनडेट है असेम्बली का। उस हिसाब से आप अपने प्रयत्न इसमें कीजिये और आप चाहे बिजली का प्रौडक्शन करिये, या कहीं से खरीदकर लाइये। प्रौडक्शन छह महीने में या तो आप एक-दो साल में नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी।

माननीय श्री चन्दनमलजी बैद फरमा रहे थे कि प्राइवेट पार्टीज को इन्वाइट करिये, इनका सुझाव बहुत अच्छा था लेकिन प्राइवेट पार्टीज से तो इन्होने कांट्रेक्ट कर रखा है। प्राइवेट पार्टीज से आप भी मिलते रहते हैं, हम भी पूछते रहते है, वह कहते हैं हमारी जेनरेशन कास्ट यह आ रही है और हमें आप दिलवाएंगे इतने पैसे। इस झगड़े में कौन पड़ेगा, उस गैप को कौन पूरा करेगा ? मुख्य मंत्रीजी आप किसी को कह रहे थे, मैं भी सुन रहा था। आप कह रहे थे कि आपकी जितनी एप्लीकेशंस हैं अप-टू-डेट एग्रीकल्चर कनैक्शन की और दूसरे कनैक्शंस कीं, उनको मैं विदिन सिक्समंथ्स सबको डिस्पो-आफ करने की स्थिति में हूं लेकिन जिस भाव से मैं बिजली ला रहा हूं वह पैसा मेरे को दिलवा दो। वह पूछ रहे थे कि वह क्या भाव है ? आपने कहा कि उसकी रेट यह है तब उनका कहना था कि यह तो ज्यादा रेट है। आज कोई उधर बैठने वाले माननीय सदस्य श्री चपलोत साहब कह रहे थे कि रेट्स बढ़ेंगी। ठीक है। यहां आप मर्जी आये वैसा भाषण दे दीजिये कि रेट बढ़ाओ लेकिन रेट बढ़ाने की बात आप अपने क्षेत्र में नहीं कर सकते। रेट बढ़ाने का समर्थन कोई नहीं कर सकेगा। वह तो जो शासन चला रहा है उसी को फेस करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने क्षेत्र में सबको इकट्ठा करके पूछिये तो सही कि कितने आदमी आप के समर्थन में जो यह कह देंगे कि रेट बढ़ा दो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं समर्थन करता हूं।

श्री शिवनाथसिंह : आपके क्षेत्र में नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, जो रेट एबव होगी उसको कौन तो सब्सिडाइज करेगा ? सब्सिडाइज इसको.... (व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजनीतिक रूप से कह रहे हैं वो तो।

श्री रामनारायण चौधरी : सब्सिडाइज जिसे कोई नहीं कर सकेगा, सब्सिडाइज नहीं कर सकेगा तो माननीय मुख्य मंत्रीजी फिर बिजली ला नहीं सकेंगे, कोई चीज असम्भव नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब चक्रवर्ती सम्राट और विश्व विजेता

(श्री रामनारायण चौधरी)

बनने के निर्णय किया तो अपने जनरल्स को बुलवाया था। बुलाकर उनको कहा कि विश्व विजयी बनने की योजना बनाओ, मैं विश्व विजय करना चाहता हूं। लोगों ने उसको कहा कि यह कैसे सम्भव होगा, यह कैसे पासिबिल होगा ? यह इम्पोसिबल है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि उसकी डिक्शनरी में इम्पोसिबल नाम का कोई शब्द नहीं है। मैं पासिबिल करके दिखाऊंगा। आज कोई आदमी या मैं कोई इरादा लूं या पूनमचन्दजी कर लें या उधर बैठे हुए मेरे साथियों में से कोई कर ले, कर नहीं सकते हैं लेकिन आप कर सकते हैं यह निर्णय कि मैं राजस्थान की बिजली की जो कमी है और किसानों की जो वेटिंग लिस्ट है, इण्डस्ट्रीलिस्ट जो वेटिंग लिस्ट में है उनको सब को मैं बिजली देकर सम्भव बनाऊंगा। यहां आलोचना हुई थी, मैं वह यहां बैठे हुए हों तो कोई संकेत करना या प्रभावित करने का इरादा भी नहीं रखता हूं लेकिन उस वक्त मैंने कहा था, ठीक है, आपने री-एपाइंटमेंट दिया है बिजली बोर्ड में अपने अधिकारियों को, आप उनको प्रोग्राम दीजिए। आप हमसे सुझाव नहीं लेने के बजाय आप अपने इंजीनियर्स से, बिजली बोर्ड के आपके चेयरमैन और दूसरे इंजीनियर्स को बुलाकर कहिए कि मैं यह चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर-मगर नहीं चाहिए, मैं व्यवस्था यह चाहता हूं मुझे इतनी बिजली चाहिए, यह मेरा प्रोग्राम है इसको आप इम्प्लीमेंट करके दिखाओ और प्रैक्टिकल करके दिखाओ, यह मेरा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को उनको दीजिए और उनसे रिजल्ट्स लीजिए।

मान्यवर, आपके यहां की तो मैं नहीं कहता हूं लेकिन मेरे क्षेत्र के अन्दर चार-चार, पांच-पांच साल से लाइनें खिची हुई पड़ी हैं। गांव वाले ऊपर तार डालकर बिजली ले रहे हैं पर उनको कनैक्शन नहीं दे रहे हैं। मैंने बिजली विभाग वालों से कहा कि भाई यह बिजली जा रही है आप क्यों नहीं कनैक्शन दे रहे हैं ? उन्होंने कहा कि साहब मीटर नहीं है, तार नहीं है, फलाना-ढिकाना नहीं है। गांव के गांव, मैं आपको बताऊं और बिजली विभाग वालों से मिलकर बिजली ले रहे हैं और आप कहते हैं कि 25 पर्सेंट लीकेज है। इण्डस्ट्री में नहीं है, इण्डस्ट्री में है या नहीं है यह तो भगवान जाने या ये जानें लेकिन 25 पर्सेंट जो लीकेज हो रहा है, कोई आदमी जिसने कनैक्शन ले रखा है वह एग्रीकल्चर में है या कहीं भी है, सब जगह लीकेज आ रहा है इस लीकेज को भी रोकना चाहिए और पैंडिग एप्लीकेशंस हैं काश्तकारों की, उनको कनैक्शंस देने चाहिए।

मान्यवर, एक स्कीम निकली थी, जब दुबारा आप चीफ मिनिस्टर बने थे, तब एक स्कीम आपने निकाली थी। वह स्कीम क्या थी ? श्री भण्डारी उस समय चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्कीम निकाली कि मेरी यह योजना है, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन जो बजट के अन्दर, जितने भी मुझे एग्रीकल्चर के कनैक्शंस देने थे वह तो मैं दूंगा लेकिन उसके ओवर एण्ड एबव जो बिजली है मैं पैसे के अभाव में कनैक्शन दे नहीं सकता तो जो काश्तकार इतना पैसे मुझे देंगे तो

(श्री रामनारायण चौधरी)

उनको ट्रांसफार्मर मैं दूंगा, उनको कनैक्शन मैं दूंगा। उसकी कई जगह, क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया भी होती है उसका विरोध भी हुआ। मेरे एक घनिष्ठ साथी हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या बात करते हैं इन्होंने तो मरवा दिया, यह कोई स्कीम है? मैंने कहा कि यह कैसे स्कीम नहीं है। तो बोले कि 25-25, 30-30, 40-40 हजार रुपये लेकर बिजली का कनैक्शन देंगे, कौन देगा? वह तो सब पैसे वाले लेंगे, गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा कि गरीब आदमी तो प्रोग्राम के अन्दर लेगा, 20-25 हजार का मुख्य मंत्रीजी ने जो लक्ष्य रखा है उसमें से जो मैरिट में आ रहे हैं, जो फार्मूले में आ रहे हैं उनको तो उसमें से मिलेगा। 25 हजार से ओवर एण्ड एबव जितने भी कनैक्शन दिऐ जाएंगे वह उसमें से दिऐ जाएंगे। बोले नहीं, नहीं, यह बात नहीं है वह तो किसी को मिलेंगे ही नहीं। मेरे को अधिक जानकारी नहीं थी इसलिए मैं उस समय उनसे दब गया।

मान्यवर, मेरा कृषि उपज मंडी, जयपुर में आना-जाना रहता है, वहां गया हुआ था किसी काम से। वहां जयपुर के सब काश्तकार आऐ हुए थे। उनके सामने मैंने जिक्र छेड़ दिया, जो मेरे दोस्त मुझे डिस्लाइक और डिस्क्रेज कर रहे थे उसी तरह से यह काश्तकार भी कहेंगे कि नहीं, डूबो दिया। वहां मैंने सरकार की बुराई से बात की शुरूआत की। यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है श्री भैरोंसिह जी की, उसने तो बिजली में तो अपने को मार दिया। वह बोले कैसे मार दिया? बोले आपने यह क्या कह दिया? मैंने कहा क्यूं? बोले हम तो इससे जी गऐ। मैंने कहा जी कैसे गऐ 30-30, 40-40 हजार रुपये देकर? बोले 40 हजार रुपये देकर, हमें यूं तो बिजली मिलने वाली नहीं थी, हमें तो वह 10 वर्ष नहीं मिलती इसमें भला हो बिजली बोर्ड वालों का और गवर्नमेंट का, कि हमें तो कनैक्शन मिल गया और आज हम इसीलिए गेहूं और सरसों लेकर आये थे। यह सब उसी कुए की है। एक साल का लग गया 30 हजार रुपया, क्या फर्क पड़ गया फसल हुई है। लाख रुपये की।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्रीजी को मेरा सुझाव है कि आप 25 हजार कनैक्शन देना चाहते हैं, 80 पर्सेंट राजस्थान का इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है और 25 हजार गांव इलैक्ट्रिफाइड हैं, एक गांव के पीछे कनैक्शन आता है, आज जो गांव हैं ...

श्री परसादीलाल मीणा : एक भी नहीं आता है।

श्री रामनारायण चौधरी : एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि 25 हजार गांव इलैक्ट्रिफाइड है, 25 हजार में एक कनैक्शन एक गांव के पीछे आता है तो कोई चीज ही उपलब्ध नहीं हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि आप कुछ भी करें। आप राजस्थान के हित में, राजस्थान के हित में तो है ही लेकिन आपके भी हित में है, आपका भी बड़ा एचीवमेंट होगा, 25-25 हजार नहीं, आप एकदम सीधा टेक दीजिए एक आंकड़े के ऊपर ताकि कुछ तो होगा, आप कहेंगे कि कहां से लाऊंगा। वह तो अंग्रेजी में कहावत है—

(श्री रामनारायण चौधरी)

Energy lies with the head that wears the Crown. तो परेशानी तो मुख्य मंत्रीजी आपको ही होगी, क्योंकि मुख्य मंत्री का ताज माननीय भैरोंसिंहजी के सिर पर ही है, श्री चन्दनमलजी के, श्री पूनमचन्दजी के या श्री रामनारायण के ऊपर तो आने वाला नहीं है।....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, आएगा चिन्ता मत करिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आज तो नहीं है, बात तो आज की हो रही है, वह तो आपके ऊपर है यह तो परेशानी आपको ही होगी। आपकी कोई भी परेशानी हो, आपको बैंकों के पास जाना पड़े, एल. आई. सी. के पास जाना पड़े, जी. आई. सी. के पास जाना पड़े, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़े, किसी के पास भी जाना पड़े। आप लक्ष्य घोषित कीजिये कि इस साल के अन्दर एक लाख काश्तकारों को मैं कनैक्शन दूंगा, इम्पोसिबिल क्या है? इम्पोसिबिल वर्ड के लिए कह दीजिए कि राजस्थान का नेपोलियन बोना पार्ट बोल रहा है, इम्पोसिबिल शब्द हटा दीजिए और एक लाख का कह दीजिए श्री आर. सी. दवे को कि इसको पोसिबिल बनाइए, कैसे भी, मैं एक लाख कनैक्शन देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अब रही माननीय श्री रघुवीरसिंहजी कौशल की बात, श्री कौशल साहब इज ए राइट पर्सन, जिनको मुख्य मंत्रीजी ने नियुक्त किया है, इनमें लगन है, उत्साह है वह करना भी चाहते हैं लेकिन वह करेंगे क्या, सवाल तो पैसे का है, कहां से करेंगे? इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमैंट दिया, हमने उसकी कापी मांगी है लेकिन पैसा नहीं है, आप तो स्वयं टैक्नोक्रेट हैं, पैसा नहीं है, जानते हैं। सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, आपके माध्यम से, मैंने मेरी क्षमता के हिसाव से अपने विचार व्यक्त किये हैं, हो सकता है कि किसी को पसन्द नहीं आये हों लेकिन मैंने जैसा महसूस किया उस हिसाब से मैं बोला हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित) श्री भंवरसिंह चौधरी। (अनुपस्थित)। माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री सुरेन्द्र गोयल : सभापति महोदय, हमारी पार्टी का नम्बर है हमारी तरफ के ही होने चाहिए।

श्री सभापति : आपका ही नम्बर है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, हम आज राजस्थान की महत्वपूर्ण विद्युत व्यवस्था पर, जो शक्ति, विकास, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है और इस दृष्टि से विद्युत के मामले में हमको बहुत गम्भीरता से चिन्तन करने की आवश्यकता है। यह सही है कि राजस्थान निर्माण के पूर्व जहां हम 12-13 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहे थे, राजस्थान निर्माण के बाद आज 2700-2800 मेगावाट के आस-पास जहां बिजली का उत्पादन हो रहा है इससे तो मैं इंकार नहीं कर सकता हूं कि इस दिशा में प्रगति नहीं हुई है, पर प्रश्न यह है कि राजस्थान

(श्री रतनलाल ताम्बी)

में विद्युत की जितनी आवश्यक्ता है। उसके अनुरूप उत्पादन नहीं हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 530 लाख यूनिट्स प्रतिदिन बिजली की आवश्यकता है, उसके अनुरूप करीब-करीब 400 लाख यूनिट्स हमें प्राप्त हो रही है और इसमें 125-130 लाख के करीब यूनिट्स की कमी है। और इस दृष्टि से हमारा विकास अवरूद्ध है, हमारा उत्पादन का क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है।

पिछले दिनों 8 घंटे बिजली देने की बात कही, मैं यह तो कह सकता हूं कि उसमें सुधार हुआ है, कई क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था में थोड़ा फर्क आया है, अनेक ऐसे क्षेत्र थे जहां कि इस व्यवस्था का लाभ इसलिए नहीं मिला, वर्तमान ट्रांसफोर्मर्स की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसमें भार अधिक था और लाइन बहुत दूर-दूर तक ढंग से संधारण नहीं होती है। इस दृष्टि से किसानों को थोड़ी-बहुत परेशानी रही। मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं, पहले से इसमें कुछ फर्क आया। जहां तक लाइन लासेज का सवाल है, इस दिशा में विद्युत पर हर बार चर्चा होती है, गंभीरता से चर्चा होती है उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यदि ध्यान दे पाये तो इस समस्या के समाधान में कुछ अधिक लाभ मिलेगा। आठवीं योजना में लगभग 541 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, ऐसी हमने कल्पना की है। इसके लिए बजट का प्रावधान, योजना सारी प्रस्तुत की है और मेरा यह मानना है, जहां अभी 36 प्रतिशत के आसपास विद्युत की कमी है, वह अगले साल सम्भवतः 50 प्रतिशत की कमी हो जाएगी। इस स्थिति में हमारी जेनरेशन की जो योजना है, वह निश्चित रूप से बहुत ही कम है और उसको बढ़ाने के बारे में सरकार बहुत गम्भीर चिन्तन नहीं कर पा रही है, ऐसी मेरी मान्यता है।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं, हर बार सरकार नीतियां बदलती है, कई परेशानी सामने आती है और इससे बिजली बोर्ड के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा। 1989-90 के दिसम्बर-जनवरी में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि वन पोल-निल पोल में जितने किसान क़नैक्शन लेना चाहते हैं, उन सबको छूट दी गयी और उस योजना के तहत काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसके बावजूद यह सरकार अपने आपको किसानों के हितों की सरकार कहती है। उन्होंने बिजली के कनैक्शन पर जो पैसा बढ़ाया, प्रार्थना-पत्र पर पैसा बढ़ाया, उससे राजस्थान के किसानों के ऊपर वज्रपात हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। इस बार भी निल पोल-वन पोल पर पैसा लगा दिया गया और उस पैसे के आधार पर बिजली देने की बात कही। यह एक तरह से कार्मशियल विभाग है, इससे मैं इंकार नहीं करता हूं पर सवाल इस बात का है, उस दृष्टि से जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति नहीं हो पायी और उसके साथ एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है वह यह है कि एक ओर राजस्थान में हर साल 750 गांवों को विद्युतीकरण करने की बात करते हैं, आप 750 इधर रखते हैं उधर 250-300 गांव हर साल नये बन जाते हैं, जो मजरे और ढाणियां हैं, वे गांव बन जाते हैं।

(230)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हम जिस गति से चल रहे हैं और किसानों के लम्बित कृषि कनैक्शन के मामले पूरे राजस्थान में है उनको देखें तो 25,000 कनैक्शन कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रति वर्ष हम एक लाख कनैक्शन दें तब जाकर हम उसको मीट-आउट कर पाएंगे। वर्तमान में आप मंथर गति से चल रहे हैं। यह सही है, बिजली मंत्रीजी से मेरी इस मामले में 1-2 बार चर्चा हुई, वे चिन्तनशील हैं। बहुत गम्भीरता से इस बारे में सोच रहे हैं, अब वे कितना कर पाएंगे, मैं यह तो नहीं कह सकता, इतना निश्चित लगता है कि इस बारे में वे काफी अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि विभाग के सभी अधिकारी, बोर्ड के लोग आपस में मिल-जुल कर इन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें कुछ समाधान होगा।

मेरे सुझाव के तौर पर 2-3 प्रश्नों पर बात करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा, एक गांव था, उसकी दो ढाणियां पहले थीं, वे आज गांव बन गयीं तो उनका अलग से कहां स्वीकृति का सवाल होता है। वह उसी गांव के अंग हैं, हिस्सा हैं, तो उसको स्वीकृत गांव के आधार पर बिजली का कनैक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि दिया जाना चाहिए। एक तो मेरा यह अनुरोध है। यदि वे गांव बन गये और आपके कार्यक्रम के हिसाब से पहले-दूसरे गांव उसमें सम्मिलित हैं और वे गांव नये जुड़ेंगे तो कितने वर्षों के बाद उनको कनैक्शन मिलेगा, यह गम्भीर विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, पहले भी ऐसी नीति थी, यह कब बदली गयी, क्यों बदली गयी, यह मैं नहीं कहता पर मेरी यह मांग है, जो गांव का हिस्सा अलग से ढाणी-मजरे के नाम से था और अब वे गांव बन गये तो उसी गांव को स्वीकृत मानते हुए उसमें विद्युत कनैक्शन दिये जाएं, यह मेरा आपसे अनुरोध और सुझाव है।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं, 1980 के बाद शायद विद्युत मण्डल में स्टाफ की भर्ती आम तौर से नहीं हो पायी है जबकि कनैक्शन बढ़े हैं, गांवों में विद्युतीकरण अधिक बढ़ा है, उसके बावजूद भी लाइनों का संधारण ठीक नहीं हो पा रहा है, उनका पर्यवेक्षण ठीक नहीं हो पा रहा है। स्टाफ के अभाव में गांवों में आए दिन बिजली बन्द रहती है, कहीं गड़बड़ी हो जाती है और कई दिनों तक ढूंढने-पर भी लाइनमेन गांव के लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए आपके कोई मापदण्ड होंगे ही, उस आधार पर बिजली के विस्तार के साथ-साथ स्टाफ की जो आवश्यकता है, आज मैं यह नहीं कहता कि बहुत ज्यादा भर्ती करके बिजली बोर्ड को और भी घाटे में डाल दें पर जितना आवश्यक है संधारण के लिए गड़बड़ी भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, वह भी रुकेगी। लाइन ठीक प्रकार से होगी, ट्रांसफार्मर्स वगैरह सबका संधारण ठीक प्रकार से होगा तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा।

मैं इस मौके पर मेरे इलाके की 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मुझे सबसे पहले यह कहना है,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जहाजपुर नगर है, नगरपालिका है उसके बावजूद भी आप कभी उसको गांव मान लेते हैं, कभी नगर मान लेते हैं और आये दिन वहां पर लाइन की बड़ी दिक्कत रहती है इसलिए देवली से जहाजपुर के बीच में 33 के.वी. के लाइन के साथ एक अलग से लाइन डालकर उसका फीडर अलग से डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से जहाजपुर की समस्या मिटेगी। अस्पताल और वाटर वर्क्स में बिजली के अभाव में समस्या हमेशा खड़ी रहती है और इसका 5 एम्पीयर लोड भी इसमें आवश्यक है, उसके बावजूद भी कभी देवली और मोरणा में कंट्रोल होने से वह समय से नहीं दिया जाता है इसलिए आये दिन जहाजपुर के लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं ईद के मौके पर जहाजपुर गया था। वहां रात में चांद देखने के लिए लोग परेशान थे तब बिजली बन्द थी, सुबह-सुबह जल्दी स्नान करके नमाज पढ़ने जाना था तब बिजली बन्द थी। वे लोग मेरे से मिले, उन्होंने कहा, यह क्या सरकार है। आज हमारा त्यौहार है, हम लोग रात भर से बिजली के बिना परेशान हैं। न रेडियो और न टेलीविजन से हमकों कुछ मालूम पड़ सका, चांद देखने के बारे में हमको परेशानी रही, सुबह नहाने के लिए परेशानी रही, पानी नहीं आया। यह स्थिति पैदा हो रही है, उनके दिमाग में कितना बड़ा असर रहा तो मैं समझता हूं, इस प्रकार की जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं। एक प्रश्न मैंने पूछा था, आपने जवाब दे दिया कि वहां बराबर सप्लाई है। वहां के छात्र मुझसे मिले, बोले हमारी परीक्षाएं हैं और बिजली बराबर बन्द रहती है तो किसको सच्चा माना जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बिजली बोर्ड में गलत उत्तर देकर भ्रमित करने की बात की जाती है। हम दो लाख जनता से चुनकर आते हैं, वहां जनता हमको गांव-गांव में बतावे, छात्र बतावे, नगर की जनता बतावे, यह सब बात तो गलत और यहां उत्तर भेजे तो उसको सही मान लो, मैं इस बात को ठीक नहीं मानता हूं। आपने पिछले दिनों मुझे नियम 131 के तहत जो उत्तर दिया है, उससे मैं निश्चित यह कह सकता हूं, उत्तर सही नहीं था। जहाजपुर को यदि पावली-पडेर से 33 के. वी. की लाइन जोड़ दी जाती है तो कोटड़ी क्षेत्र का हमारा इलाका, जहाजपुर का इलाका, जो हमेशा वोल्टेज से प्रभावित रहता है और बहुत दिनों तक गांव वाले परेशान रहते हैं, उनके लिए समस्या का समाधान हो सकता है। कोटड़ी क्षेत्र में वोल्टेज की बहुत प्रोब्लम आ रही है, 33 के.वी. का सब-स्टेशन गेवरिया में प्रस्तावित है, यदि वह लग जाता है तो 40-50 गांवों की समस्या का समाधान हो जाए। यह मेरे कुछ सुझाव हैं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं इस मौके पर इतना ही निवेदन करता हूं, मंत्रीजी आप नये बने हैं। आप थोड़ी सख्ती के साथ, निष्ठा के साथ जिस तरह की भावना है। काम करके दिखावें ताकि राजस्थान की जनता लाभान्वित हो। जय हिन्द।

(232)

श्री सभापति : श्रीमती कमला ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में कोई अलग से बात कहने की जरूरत नहीं है । हम सब इस बात को महसूस करते हैं और जानते हैं कि बिजली विकास का बहुत सशक्त और पहली प्राथमिकता का आधार है और इसीलिए हर राज्य इस कोशिश में है कि हम किस प्रकार से इस साधन को ज्यादा से ज्यादा अपने यहां पर जुटाएं ।

मैं सबसे पहले उत्पादन के मामले में सदन में पहले भी बहुत बार चर्चायें हुई हैं, नेता महोदय ने भी उसके बारे में काफी कुछ कई बार कहा है, विपक्ष के रूप में बैंठकर भी, मुख्य मंत्री के रूप में भी, कौन-कौन सी योजनाएं कितना उत्पादन पहले हुआ और कितना अब वे कर रहे हैं और जब हम लोग राज में थे तो हमने भी बताया और हमारे जमाने के किये हुए कामों की अभी तक भी फेहरिस्त गिनायी जा रही है यह तो चलता रहेगा । यह एक कंटीन्युअस प्रोसेस है और इस उत्पादन के मामले में, कोई दोराय नहीं है कि बिना बिजली के उत्पादन की प्राप्ति होगी कहां से । इसलिए मेरी आंकड़ों में, गिनती में या नाम में जाने की कोई रुचि नहीं है ।

मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आज के युग में जो बहुत जबर्दस्त प्रयोग चल रहे हैं और जबर्दस्त दौड़ चल रही है कि हम बाहर के किन्हीं कंट्रीज से, बाहर की किन्हीं एजेंसीज से, बाहर की किसी फर्म से या राष्ट्र की कोई फर्म से या ग्रुप आफ फर्म्स से, किन्हीं भी तरीकों से हम अपने यहां पर बिजली उत्पादन करने वाली एजेंसी ला सकते हैं, उनको इस काम में शामिल कर सकते हैं वह प्रयत्न हमें ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए ।

हम कर्जा लिए बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकते । चाहे हम वहां बैठे थे तो हमको कर्जा लेना था और चाहे इधर बैठे हैं तो भी कर्जा लेना है और चाहे ये राज में बैठे हैं तो भी कर्जा लेना है । विकास के लिए कर्जा लेना ही पड़ेगा । बिना कर्जे के छोटी से छोटी योजनाओं, बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं और विकास की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता । लेकिन हमारे कर्जा लेने और दूसरी जगह से पैसे लेने के नतीजे अच्छे आने चाहिए, उसके परिणाम अच्छे निकलने चाहिए और जिस काम के लिए लिया जा रहा है उस काम का नतीजा हमें मिलना चाहिए । ऐसा नहीं कि हम पैसा भी लगायें और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा इतना लग जाए, ताम-झाम इतना लग जाए कि उसका जो लाभ होना चाहिए, वास्तव में जिस काम के लिए हम लाये हैं वह बहुत कम हो पाये और वह खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस तरह के उत्पादन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए । चाहे भारत सरकार के सहयोग से करें, अपना प्लान बनाकर किन कंट्रीज से हो सकता है उसके प्रपोजल तय करें लेकिन उत्पादन के लिए हमें हर तरह के प्रयत्न करने चाहिए । हमारे यहां जो टैप किये हुए सोर्सेज हैं उनके अलावा और कौन-कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वह छोटी यूनिट हो, चाहे बड़ी यूनिट हो, चाहे मीडियम साइज हो हरेक जगह को हमें टैप करना चाहिए एक-एक यूनिट को हम किस तरह से प्राप्त

(श्रीमती कमला)

कर सकते हैं। अपनी धरती से भी, बाहर से भी, इसके प्रयत्न के लिए एक व्यापक प्रोग्राम बना करके, प्लान करके, उसकी योजनाएं तैयार करके, उसकी जितनी एजेंसीज हो सकती हैं वे कहां, ढूंढी जा सकती हैं यह हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उत्पादन के बिना और इनको टैप किये बिना, इनको कोंटैक्ट किये बिना हम अपने पैसों से जितना हमें चाहिए वह पूरा नहीं कर सकते। इसलिए उस मामले में मैं इस समय सदन का समय खराब नहीं करना चाहती।

जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह है ट्रांसमिशन की। जो कुछ हमारे पास में हैं उसको इस ढंग से लोगो तक पहुंचाएं, इस ढग से उपयोग करें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके और कम से कम नुकसान हो सके। हमने जोनवाइज कभी यह एनेलाइज किया है कि कहां-कहां पर हमने 33 के.वी. के स्टेशंस बनाने हैं, कहां-कहां नहीं बनाने हैं और कितनी लम्बी-लम्बी लाइनें पड़ी हैं? आज उनके नजदीक में कहीं 33 का बन भी गया है तो नजदीक से उसको जोड़कर जो लम्बी लाइन पड़ी हुई है वह रिडंडेंट करके कहीं भी और उपयोग में करें। इतनी लम्बी लाइन से जो लाइन लोसेज हो रहे थे वे खतम करें। मंत्री महोदय, आपने इसमें जो रूचि दिखायी है और आप जो चाह रहे हैं कि इसमें कुछ करें, कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ ड्राबेक्स हैं उनको हटाकर, जो कुछ है उसका भरपूर उपयोग हो और जो कुछ हो सकता है उसको करें। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि विभाग की तरफ से इसका जो मोनिटरिंग, सुपरविजन और एग्जीक्यूशन आफ अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसको करने में बहुत सारी खामियां हैं और यह मैं सही कहती हूं आपको, क्योंकि मेरे वक्त में इसको देखा है जब मैं बिजली की मंत्री थी खुद इसको मोनिटरिंग भी किया है और खुद इसको आगे से आगे एक्सपांड करने का, आगमेट करने की चेष्टा भी की है लेकिन फिर भी प्रशासन का जो ढर्रा है जैसा और जगह है वैसा ही यहां पर भी है इसलिए जोनवाइज कहां-कहां पर क्या-क्या इसके स्ट्रैंथनिंग आफ ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए तैयार किये हैं, उनमें से कितने हो चुके हैं और कितने और होने चाहिए उसके लिए पैसा हमको लेना चाहिए। इस बजट के अन्दर कुछ पैसा दिया है लेकिन वह नाकाफी है इसलिए ट्रांसमिशन सिस्टम को स्ट्रैंथनिंग करने के लिए जहां पैसा बहुत जरूरी है वह पैसा लिया जाए, उसको लगाएं। उत्पादन तो करिये ही लेकिन जो आ रहे हैं उसको भी अच्छे ढंग से रखिए।

दूसरा, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको सेफ्टी डिवाइसेज गाड़कर रखने और आपकी जो मेंटिनेंस है वह करना यह कतई तौर पर सही नहीं है। बहुत इनएफिसियेंट है और बड़ी खराब हालत में है। कितने ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, क्यों जल रहे हैं? उनकी कोई सेफ्टी डिवाइसेज नहीं है, उनकी मेंटिनेंस नहीं है, टाइमली जो काम होने चाहिए वे नहीं किये जा रहे हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर्स बहुत बड़ी तादाद में जल रहे हैं और जो जल जाते हैं उनकी रिपेयर के लिए कोई इंतजाम नहीं है उनको डम्प कर दिया जाता है। नये लाकर लगाते

(234)

(श्रीमती कमला)

हैं, कुछ उनमें से थोड़े-बहुत सुधार करने के लिए फिर उनको लगा देते हैं।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि ये ट्रांसफार्मर्स क्यों इतने जलते हैं, क्या कारण हैं, क्या-क्या सेफ्टी डेविएसेज हैं, क्या-क्या कमी हैं, किस तरह से उसका इंतजाम करना है यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका बहुत नुकसान करते हैं। ट्रांसफार्मर्स जले हुए पड़े रहते हैं और रिपेयर नहीं होती। मैंने अपने वक्त में कोशिश की थी कि हम अपनी भी कुछ वर्कशाप बनायें और कुछ प्राइवेट लोगों को भी हमने वर्कशाप तैयार करने के लिए दीं। उन्होंने उस वक्त तैयार भी किये, कुछ शायद चल भी रही होंगी, मुझे मालूम नहीं लेकिन कुछ बन्द भी हुई होंगी। हमें इस बात के लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए कि कम से कम हमारे ट्रांसफार्मर्स खराब हों, कम से कम हमारी लाइनें खराब हों, कम से कम हमारे अपारेट्स खराब हों और ज्यादा से ज्यादा उनकी मेंटिनेंस की जाए। ये सब हमारे दूसरे इंतजाम होने चाहिए, जो आज हमारे पास में नहीं है।

तीसरा, यह है कि आप जो कनेक्शंस दे रहे हैं उसमें प्रायोरिटी के लोगों को कनेक्शन देते हैं उनमें उनको भी नुकसान है और आपको भी नुकसान है। क्योंकि एक व्यक्ति को प्रायोरिटी के आधार पर आपको 15 पोल खींचकर देने हैं। आपको रास्ते में, एन रूट पर, जो लोकेलिटी या जो फार्म या जो कुएं पड़ते हैं उनको भी इन्क्लयूड करना चाहिए जो पहले व्यवस्था थी जिससे कि उस पर तो पैसे का भार नहीं पड़े और आपको इतनी लम्बी लाइन खींचने में जो लोस हो रहा है वह बीच में जो लोग लेने वाले हैं उनका पैसा आपके पास में आये। इसलिए यह व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

दूसरा, जो वन पोल या सर्विस लाइन के नीचे कनैक्शंस देने का आपने शुरू किया है मैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बधाई देना चाहती हूं क्योंकि यह एक ह्यूमन नेचर है। आप शहर के अन्दर देख लीजिए यह तो गांव के बिना पढ़े-लिखे साधारण किसान हैं। जो दौलत पैदा नहीं करते अन्न पैदा करते हैं लेकिन इस शहर के अन्दर अगर मेरे पड़ौस में गवर्नमेंट की कीमती से कीमती जमीन है और मुझे लगा कि इसको कोई देखने वाला नहीं है, तुम्हें कब्जा कर लेना चाहिए तो करोड़ों की जमीन बिना पैसे के कब्जा कर लेते हैं और आप मजबूर होकर उसको रेगुलराइज करते हैं। एक तरफ यह शहर है जिसमें इंसान इस तरह से कर रहा है, जमीनों के माफिया चल रहे हैं और दूसरी तरफ किसान के खेत के ऊपर से लाइन जा रही है तो वह यह नहीं सोचे कि चोरी कर रहा है। आप उसको नाम चोरी का देते हैं, मैं कहती हूं वह अनाज पैदा करने की चोरी कर रहा है। यहां तो आप अपना पेट भरने के लिए चोरी कर रहे हैं वह आपको पैदा करके दे रहा है इसलिए जो कुछ भी कहें लेकिन वह एक स्वाभाविक साइक्लोजिकल बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चोरी को जस्टीफाई कर रही हैं क्या ?

श्रीमती कमला : जस्टीफाई नहीं कर रही हूं लेकिन आप जो भोग रहे हैं, आप

(श्रीमती कमला)

रेगुलराइज करते हैं, शहर के अन्दर गवर्नमेंट की जमीन पर अनधिकृत कब्जा हो जाता है उसको रेगुलराइज करते हैं, गोचर पर कब्जा हो जाता है उसको आप रेगुलराइज करते हैं। मैं रेगुलराइज करने की बात नहीं कह रही हूं, मैं यह कह रही हूं एक तरफ बिजली खर्च हो रही है, किसान बिजली ले रहा है और दूसरी तरफ आपको पैसा नहीं आ रहा है। यह होता रहेगा, क्योंकि उसके सिर के ऊपर से लाइन जाएगी तो वह अपने कुएं पर लगाएगा और खेती पैदा करेगा। इसलिए आपने इस सिस्टम को मान्यता दी है, रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं अच्छा किया है। मान्यता दी है, तो आपको पैसा आएगा और जो किसान बिजली लेकर पैदा कर रहा है वह आपको पैदा करके देगा। इसके तहत मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आने वाले सत्र के अंदर आप इस व्यवस्था को कायम रखें, अभी जो आपने जारी किया है इसमें बहुत कम लोगों को फायदा पहुंच सका है क्योंकि 31 मार्च तक की आपने डेट निर्धारित की थी। स्थिति यह हुई है कि बहुत सी जगह, ज्यादातर जगह शायद पूरे स्टेट भर में ही होगी, मैं नहीं कह सकती, अधिकारीगण जानते होंगे कि केवल नहीं है, पैसे के अभाव में केवल नहीं है और उसके कारण बहुत सी कमी और साधनों की कमी के कारण से जो आपने सुविधा दी है 31 मार्च तक, इसको आप आगे भी कायम रखें, इसका मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

दूसरा, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जो आपके मीटर वगैरह हैं, पहले वक्त में ढेरों-हजारों मीटर इकट्ठे हुए पड़े रहते थे, क्या होता है कि जब मीटर खराब होते हैं मंत्री महोदय, तो उस मीटर के पैसे काश्तकार से ले लेते हैं, वह मीटर भी रख लेते हैं और बाद में नये मीटर के जो पैसे लिए वह तो लिए ही लिए, वह जो मीटर वहां पड़ा है उसको सुधारने की चेष्टा भी नहीं करते। उसके पैसे भी नहीं लौटाते। किसान पर तो आपने डबल मार कर दी कि उसका मीटर भी रख लिया और नये के पैसे भी ले लिए लेकिन फिर भी उन मीटर्स को सुधारने का कोई सिस्टम नहीं। जब देखो तब नया खरीदने में लगे रहते हैं।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह मीटर्स, ट्रांसफार्मर्स, लाइनों का रख-रखाव, यह भी बहुत जरूरी है और जो स्ट्रैंथनिंग है और इस सिस्टम को आगमेंट करने का है, लाइन लोसेज कम करने का है, इस बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए पैसा चाहिए। यह बात ठीक है, उनके पास प्लांस बने हुए होंगे नहीं बने हुए हों तो जोनवाइज प्लांस बना लीजिए और बनाने के बाद में जो बिना पैसे लगे, इस लाइन को उधर से जोड़ने के बजाय यहां जोड़ दें तो दो किलोमीटर लगेगा, उधर सात किलोमीटर से लाइन आ रही है, तो उसको आप स्पेयर करके दूसरे काश्तकारों को दे सकते हैं। जो ऐसे किये जा सकते हैं उनको तो वैसे करना चाहिए और नये तरीके से जहां आपको 33 के. वी. का बनाना हो, 132 के वी. का बनाना हो, 220 के. वी. का बनाना हो वह जरूरी है, उसका प्लान करके फेजेज में इसका पैसा लेना चाहिए, यह बहुत जरूरी है पैसा।

(श्रीमती कमला)

अब पैसा कहां से आये, कोई तो कहे कि रेट बढ़ाने से आ जाएगा। जैसे श्री रामनारायणजी ने कहा कि कुछ लोग जो तुरन्त योजना बनायी थी, उस तुरन्त योजना में बहुत से लोगों के कटु अनुभव हैं और बहुत सों के अच्छे अनुभव हैं, आपने बताया। बहुत से लोगों ने यह कहा कि हमने पैसे भी जमा कराये, पैसे भी नहीं लौटाये, कनैक्शन भी नहीं मिला तो इस तरह की जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको आप देखें कि अगर लोग पैसा देने की स्थिति में हों और आप भी कनैक्शन देने की स्थिति में हों समयबद्ध तरीके से, यह नहीं कि आप बेशुमार समय तक उसको रख लें और कनैक्शन भी नहीं देवें और उसको ब्याज भी नहीं मिले और वह पैसा भी वापस नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग हैं जो पैसे के टोटे आपको कनैक्शन नहीं देवें, ऐसे लेने वाले हैं। लेकिन यह व्यवस्था बहुत माकूल होनी चाहिए।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक तरफ तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को यह देखिये कि घाटा क्यों-क्यों, कहां-कहां हो रहा है। घाटे का सिर्फ कारण यही नहीं है कि आपका खर्चा बहुत है। घाटे का यह भी कारण है, आपका रखरखाव और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी बहुत फाल्ट है, बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है और बहुत अनदेखी हो रही है, इससे भी यहां पर घाटा हो रहा है इसलिए जो इसमें किफायतदारी बरती जा सकती है, इस खर्चे का जो फालतू अंग है उसको काटा जा सकता है और उसके पेटे हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। उसके बारे में भी आपको इनके साथ बैठ करके गोष्ठी करनी चाहिए और उसके ऊपर सख्ती से अमल करना चाहिए। जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से यह पाबंद किया था कि हम इतने दिन के अंदर, इतने अधिकारियों को बाहर इतने दिन दौरा करना पड़ेगा, इतने नाइट हाल्ट करने पड़ेंगे, तो इस तरह से अपने अधिकारियों को भी पाबंद करिये कि एरियाज में जाएं वहां लोगों को और अपने कर्मचारियों को देखें, उनकी सुनें और क्या-क्या हालात हो रहे हैं उनको देखने की कोशिश करें। मैं एक इसटांस आपको देना चाहती हूं। सवा-सवा, दो-दो साल से एक ट्रांसफार्मर ढ़का हुआ रखा है, वह वहां काम नहीं आ रहा और उसका उपयोग हो भी नहीं सकता था वहां पर लेकिन उसको कहीं और लगाना या उसको जिस जगह जैसी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की जरूरत है, उसके बदले उसको ले जाकर लगाने का काम सवा-सवा, दो-दो साल तक नहीं किया और लाइनें बढ़ाते चले गये। नतीजा क्या हुआ कि ट्रिपिंग पर ट्रिपिंग और हाय-तौबा मच गयी इलाके के अन्दर। इस तरह की स्थितियां भी कई बार हो रही है मानिटरिंग, सुपरविजन और देखरेख के अभाव में, इसलिए इन कामों के लिए भी पाबंद करिये कि यह मौके पर जायें, अपने प्लांस बनायें, उसके मुताबिक काम करें, रिपोर्ट दें और इस एडमिनिस्ट्रेशन को गियर-अप करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री अमरचन्द मिढ्ढा।

श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री अमरचन्द मिढ्ढा)

मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार आपके महकमे के अन्दर सीमा पार कर चुका है। जो सामान जाता है उसका इसके पास कोई स्टाक नहीं है। मैं कई दफा विभाग में शिकायतें कर चुका हूं। यह कहते हैं कि हमारे पास रजिस्टर ही नहीं है। जो सामान गांव को यह देते हैं यह पैसा तो वसूल डिपार्टमैंट से करते हैं और जो सामान है उसको गांव वाले ले जाते हैं और गांव वाले उस गांव में ले जाते हैं जहां बिजली का सर्वे ही नहीं हुआ है। इस वास्ते कृपया आप यह ध्यान रखें और इनको पाबंद करें कि सामान उसी गांव को भेजें जो गांव मंजूर हो चुका है और जहां बिजली लगनी है और आपको मैं यह दिखाऊं कि इनके जो खम्भे हैं, खम्भों की लोगों ने छत डाल रखी है। छत के ऊपर काम आ रहे हैं, न कि बिजली के काम आ रहे हैं। इसके मैं आपको सैंकड़ों सबूत दे सकता हूं। कृपया आप इसकी चैकिंग करवाइये और स्टाक रजिस्टर को चैक करिये कि कितना सामान यहां से इश्यू हुआ और कितना सामान मौके पर लग गया और कितना सामान खतम हो चुका है। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री जगदीप धनखड़। (अनुपस्थित) माननीय श्री परसादीलाल मीणा। (अनुपस्थित) माननीय श्री बनवारीलाल शर्मा।

अब बाद में। श्री बनवारीलालजी बोलेंगे। अब श्री बनवारीलालजी बोलेंगे, बाद में बोल दूंगा आपका नाम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप लिख कर दे देना श्री जगदीपजी।

एक माननीय सदस्य : आप तो रोजाना बोलते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो मेरे ऊपर कृपा रखें कम से कम।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : आपका लिखा हुआ मान लिया जाएगा।

श्री सभापति : कृपया प्रारम्भ कीजिये, समय बहुत हो गया है।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : सभापति महोदय, विद्युत मंत्रीजी ने जो अपना स्टेटमैंट दिया और विद्युत के बारे में जो चिंता प्रकट की है उसमें निश्चित तौर पर चाहे वह प्रतिपक्ष के हों, चाहे पक्ष के हों, आज हम और आप सभी चिन्तित हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से विद्युत की व्यवस्था को इस प्रकार से किया जाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। इस सम्बन्ध में जैसा कि मुझसे पूर्व काफी वक्ताओं ने कहा है कि जब तक राजस्थान में खुद का विद्युत उत्पादन नहीं होगा तब तक इस समस्या पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसी संदर्भ में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आप रहे हों, इसी सम्बन्ध में सन् 1984 में कांग्रेस की सरकार ने धौलपुर में ताप विद्युत परियोजना के लिए एक प्रोजैक्ट बनाया था और उसे केन्द्र के पास भेजा था लेकिन दुर्भाग्यवश काफी प्रयास करने के बावजूद पर्यावरण उसमें

(19.59)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

आड़े आ गया और उस समय कांग्रेस शासन को सफलता नहीं मिल सकी। जब प्रतिपक्ष में आज के माननीय नेता महोदय बैठते थे तब यह महसूस करते थे कि शायद कांग्रेस वाले उसको मंजूरी नहीं दिला पा रहे हैं और यदि मेरे हाथ में होता तो निश्चित तौर पर उसको मंजूरी मिल जाती। सौभाग्यवश मुख्य मंत्रीजी को भी मौका मिला कि वह मुख्य मंत्री बने और धौलपुर उनका क्षेत्र भी बना। लेकिन फिर भी इनको उसमें सफलता नहीं मिल सकी। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किये और यहां तक कि श्री चन्द्रशेखरजी उनके परम मित्र हैं, उनके शासन में भी इनको सफलता नहीं मिल सकी। श्री वी. पी. सिंहजी के साथ में इनकी सरकार का सहयोग था उस समय भी इनको सफलता नहीं मिल सकी, तब वास्तव में स्थिति का उनको अहसास हुआ और आज के प्रधान मंत्रीजी से भी इनके अच्छे सम्बन्ध हैं, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल सकी।

मैं तो मुख्य मंत्रीजी से और प्रतिपक्ष के नेता से भी यही निवेदन करूंगा कि जहां बिजली का मामला हो, वहां पर चाहे कांग्रेस शासन में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासन में हो, किसी प्रकार से राजस्थान की विद्युत की समस्या को सुलझाया जाए और आप और हम दोनों मिलकर किसी प्रकार से केन्द्र सरकार को, जो पर्यावरण आड़े आ रहा है उसको दूर करायें। हालांकि पर्यावरण का मात्र एक बहाना है। आज ताजमहल के नाम पर यह कहा जा रहा है कि धौलपुर में ताप विद्युत परियोजना आने से ताजमहल बर्बाद हो जायेगा, यह आगरा वालों का एक प्रचार था। कहीं घड़ियाल सैंक्चुरी का मामला आ जाता है, कहीं वन विहार सैंक्चुरी का मामला आ जाता है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, पर्यावरण के मामले में जो कि आज आपके और हमारे हाथ में नहीं है, केन्द्र सरकार के हाथ में है, कि ऐसी स्थिति में जहां भूखे लोग मर रहे हैं, जहां रोजगार नहीं मिल रहा, यहां विद्युत की समस्या है उससे ज्यादा उनको उन घड़ियालों की चिन्ता है या उनको ताजमहल की चिन्ता है।

(20.00)

हालांकि एन. टी. पी. सी. की कमेटी गयी, बोर्ड के पदाधिकारियों ने, बोर्ड के अध्यक्ष ने काफी उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन पर्यावरण विभाग नहीं माना। माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन अन्ततः इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद केन्द्र उसको मंजूरी नहीं देगा। कोयला पर आधारित है इसलिए नैप्था पर इन्होंने अभी 17-2-1994 को मैसर्स आर. पी. जी. एण्टरप्राइजेज, कलकत्ता के साथ में एक समझौता किया है, और शायद उन्होंने दो महीने के अन्दर उस कम्पनी को यह कहा है कि फीजिबल रिपोर्ट दे, धौलपुर जाकर के देखें कि किस आधार पर, किस स्थिति में वहां यह योजना प्रारम्भ की जा सकती है। करीब डेढ़ महीना तो निकल गया है, अभी तक तो कम्पनी वाले पहुंचे नहीं है, सिर्फ 15 दिन का समय बाकी रह गया है, मैं माननीय मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जल्दी से भेजें और

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

वहां की सही स्थिति की जानकारी लें कि वास्तव में उनके लिए सम्भव है या नहीं।

धौलपुर टेल एंड पर बसा हुआ है। बिजली की दिक्कत है। टेल एंड पर बसने वाले की चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो कुछ न कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। पहले धौलपुर में 10 लाख यूनिट ग्वालियर से बिजली मिलती थी, जिससे कि वहां की समस्या का कुछ समाधान हो जाता था लेकिन पता नहीं राजस्थान के बोर्ड ने मध्यप्रदेश के बोर्ड को पैसा नहीं दिया गया या कोई और कारण हैं, पिछले दो साल से उस बिजली को बन्द कर दिया है, जो 30 हजार यूनिट बिजली हमको प्रतिदिन मिलती थी उसमें कमी हो गयी, उससे आज धौलपुर की समस्या और भी ज्यादा विकट हो गयी है। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि जो ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से पहले बिजली मिलती थी, वह बन्द क्यों कर दी गयी। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से रूचि लेकर के आप मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से सम्पर्क करें, और क्या परिस्थितियां है कि वह बिजली हमको नहीं दे पा रहे हैं, इस पर विचार करे। हालांकि, बोर्ड की नीति के अनुसार जो बोर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पर आप डबल सोर्स, वैसे आप कई जगह डबल सोर्स रखते हैं लेकिन धौलपुर में सिर्फ एक ही सोर्स है, हिण्डौन से वहां आज बिजली आती है, और धौलपुर टेल एंड पर पड़ता है। जब भी उन पर प्रेसर बढ़ता है तो वह खुद ले लेते हैं और धौलपुर की काट देते हैं। मुश्किल यह होती है कि आज हिण्डौन के लिए तो कई जगह से सोर्स हैं, जहां से उनके यहां बिजली आ जाती है लेकिन धौलपुर के लिए कोई दूसरा सोर्स नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर ग्वालियर का सोर्स अवेलेबल नहीं होता है तो हिण्डौन के अलावा कोई दूसरा सोर्स धौलपुर के लिए दें, जिससे कि वहां की इस समस्या का समाधान हो सके।

इसके अलावा मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं धौलपुर के सामने, चाहे वह मीटर का मामला हो, चाहे वह ट्रांसफार्मर का मामला हो, इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, धौलपुर जिले लेवल पर आप क्यों नहीं सब-स्टार खोलते हैं, एक छोटे से छोटे ट्रांसफार्मर के लिए हमको भरतपुर आना पड़ता है और भरतपुर के अधिकारी इस प्रकार का सौतेला व्यवहार करते हैं, जैसे कि कोई भीख मांग रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर देने में वह दो-दो दिन तक अफसरों को बैठाये रखते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप क्यों नहीं धौलपुर में ही एक सब-डिपो, सब-स्टोर खोल देते, ताकि वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। आपने कहा कि कोई ट्रांसफार्मर जल गया है तो वहां 10 दिन में व्यवस्था कर दी गयी है। माननीय मंत्रीजी, मैं धौलपुर जिले में कई ऐसी स्थिति बता दूं जहां ट्रांसफार्मर्स एक-एक महीने से खराब पड़े हुए हैं, लेकिन वहां ट्रांसफार्मर्स नहीं बदले गये हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि धौलपुर में ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल नहीं हैं, वहां भरतपुर से वह देते नहीं है और सुपरिटेंडेंट की ऐसी हालत है कि उनके साथ कई बार इन ट्रांसफार्मर्स के कारण वहां झगड़े हो

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

चुके हैं, उनके साथ हाथा-पायी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप वहां पर व्यवस्था सुधारने का प्रयास करें।

इसके अलावा धौलपुर में, स्टेट के टाइम से बिजली के तार डले हुए हैं, बिजली की लाइन खिंची हुई हैं, उनकी जो केपैसिटी थी, आज लोड केपैसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक उसकी क्षमता आप नहीं बढ़ायेंगे, अच्छे कंडक्टर नहीं लगायेंगे, बिजली की क्षमता नहीं बढ़ायेंगे तब तक लोड को वह सह नहीं पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो पुराने बिजली के तार खिंचे हुए हैं, पुरानी लाइन खिंची हुई हैं उसकी क्षमता बढ़ायी जाए। सिर्फ विभाग की कुछ लापरवाही के कारण या ऐसी नीतियों के कारण अननैसेसरी जनता को परेशानी आती है।

अब आप देखिए, धौलपुर में, पंचायत समिति धौलपुर में शाहपुरा एक गांव है, वहां पर ट्रांसफार्मर इलैक्ट्रिफाइड डिक्लेयर नहीं है। बिलकुल दो गांव हैं, जो बगल में लगे हुए हैं सरानी गांव को जोड़ने के लिए इलैक्ट्रिफाइड डिक्लेयर है, उसका ट्रांसफार्मर शाहपुरा में लगा हुआ है, लेकिन ए. ईएन. दो साल से चिट्ठी लिख रहा है, इसमें कोई आर्थिक खर्चा एक पैसे का नहीं है लेकिन दो साल से जिस गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तार वहां से जा रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन देना है लेकिन विभाग पता नहीं क्यों वहां पर कनेक्शन नहीं दे पा रहा है। वहां की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी छोटी-छोटी समस्याएं हैं, कहीं आपके पास लेकर नहीं, गड्ढे खोदते हैं तो बहुत गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, जो ढाई फीट, तीन फीट, चार फीट गहरे गड्ढे खोदने चाहिए, कम गहरे होने से जरा सी आंधी आती हैं, खम्भे गिर जाते हैं, तार गिर जाते हैं और महीने-महीने भर उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि विभाग अगर थोड़ी सजगता से काम ले तो जो असन्तोष बढ़ रहा है, जो चोरी का असन्तोष है वह कम हो सकता है। बिजली चोरी हो रही है, इसमें कोई शक नही है लेकिन बिजली चोरी के कारणों की गहराई में जाएंगे कि चोरी के क्या कारण हैं ? एक तो कारण यह है कि बिजली विभाग वाले खुद मिले हुए हैं, मिल जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि आपकी व्यवस्था ही ऐसी है कि गांव में जाते हैं, ज्यादा पर्सेंटेज बिजली की चोरी करने वालों की है वहां पर ही है, जब वे रेड डालते हैं, वह कर्मचारी पिट कर आते हैं, प्रोटैक्शन कुछ है नहीं, मुकदमें में कोई सुनता नहीं, लोकल पुलिस को-आपरेट करती नहीं है। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं आप उनके लिए सालों से जो मुकदमें पेंडिंग पड़े रहते हैं। आप वहां पर बिजली चोरी के लिए अलग से मजिस्ट्रेट कायम करिए। उन जिलों में ऐसे केसेज की पैरवी करने के लिए आप कोई अपने अधिकारी को नियुक्त करिए, जिससे जल्दी से जल्दी केस डिस्पोजल हो सके और अगर आप चोरी को रोक लेंगे तो निश्चित तौर पर बिजली की आज जो कमी आ रही है, उसे कुछ कम कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी पालिसी है,

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

हालांकि उसमें आप प्रयास भी कर रहे हैं, विद्युत् विभाग वाले जब किसी गांव को इलैक्ट्रिफाइड डिक्लेयर करते हैं तो गांव मे बहुत दूर जहां से रेवेन्यू एरिया शुरू होता है वहां पर ही ट्रांसफार्मर लगा करके चले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में गांव वाले जब कनैक्शन लेना चाहते हैं तो उनका एस्टीमेट काफी ज्यादा पड़ता है क्योंकि तीन कनैक्शन के ऊपर आप एक खम्भा देते हैं, ऐसी स्थिति में जो गांव तो इलैक्ट्रिफाइड हो गया लेकिन उसके जो मजरे हैं, ढाणियां हैं, वह तो मेरे ख्याल से इतनी कास्ट एस्टीमेट में आती है कि वह तो सम्भव नहीं है कि उसका वहन कर सकें। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि मेहरबानी करके जो ढाणियां हैं, उनको इलैक्ट्रिफाइड करने पर भी आप ऐसी कोई पालिसी बनाए, जिससे कि उनको भी राहत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्षजी, मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मंत्री महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आ जाएंगे अभी।

श्री रामस्वरूप मीणा : पीछे वालों पर भी नजर डालें, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : सब पर नजर है, आप पर सबसे ज्यादा है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह हमारे डिप्टी चीफ हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए नजर इन पर ही सबसे ज्यादा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में आर. एस. ई. बी. पर मैंने कुछ टिप्पणी की थी और मुझे उम्मीद थी कि मुख्य मंत्रीजी अपने आश्वासन पर टिके रहेंगे लेकिन मैं सोचता हूं कि जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ओसियां से वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे, मुझे अब उम्मीद कम है। भ्रष्टाचार पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना इसलिए चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, और शुरूआत करूंगा मंत्री महोदय, ऋग्वेद में बहुत ही अच्छा दोहा है, श्लोक है और उसका अनुवाद है कि अगर नदी के ऊपर का छोर साफ न हो तो अन्त का या बीच का भी साफ नहीं हो सकता, असम्भव है। मेरा तो आरोप है सरकार पर, क्योंकि मैं, अध्यक्ष महोदय, अनुभवी हूं, आपने पूर्व में बिजलीघर के मंत्री जो कि मेरे क्षेत्र के ही थे, उनको अपने बिजलीघर का भार सम्भलाया था। मैं सोचता हूं कि चूंकि वह यहां सदस्य नहीं है, लेकिन न केवल ओसियां क्षेत्र की जनता के प्रति बल्कि राजस्थान की जनता के प्रति मेरा यह फर्ज बनता है कि इस सदन के माध्यम से मैं यह कहूं कि शायद वैसा + + +।

श्री अध्यक्ष : नहीं यह आरोप नहीं, हटा दीजिए यह आरोप। अब जब सदस्य उपस्थित नहीं है, आरोप मत लगाइये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ठीक है। अध्यक्ष महोदय, वहां दरें बनी हुई थी ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफर्स की और उसका उदाहरण देते हुए चूंकि आप अलाऊ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का कभी न कभी इस स्थान से जो मेरा अधिकार है मुझे उसका विवरण देना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि अगर ऊपर भ्रष्टाचार न हो, भले ही वह मंत्रियों के लेवल का हो, मुख्य मंत्री के लेवल का हो, अफसरों के लेवल का हो तो मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय आपके लिए यह विद्युत विभाग संभालना बहुत सरल हो जाएगा। भ्रष्टाचार पर आप भविष्य में कभी मौका देंगे, अध्यक्ष महोदय, तो विस्तार में चर्चा हो लेकिन चूंकि आज आपने एक सजैशन दिया था सदस्यों को कि कुछ अच्छे सुझाव देने चाहिए तो मैं भ्रष्टाचार की चर्चा यहां छोड़कर, मंत्री महोदय अनेक सदस्यों ने काफी विस्तार में सजेशंस दिये हैं।

मैं सोचता हूं कि जितनी सरलता पर आप आएंगे आपके विभाग को संभालने के लिए उतना ही राजस्थान को लाभ होगा। आज एंवायरमैंट की बात हुई। मिढ़ा साहब ने भ्रष्टाचार की भी बात कही, वह वास्तव में सही है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अगर एन्वायरमेंट पर और पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालत यह होगी कि राजस्थान में पर्यटन का स्थल एक आबू होता था। मुझे याद है बचपन में मुझे एक बार मौका मिला था वहां जाने का। अध्यक्ष महोदय, एयर कंडीशनर तो क्या वहां पर पंखे की भी रिक्वायरमैंट नहीं थी और आज हालत यह है मंत्री महोदय, आप होटलों में वहां पधारें, प्राइवेट हाउसेज में पधारें, एयर कंडीशंस लग रहे हैं और उसका लोड आपके विद्युत मण्डल पर पड़ता है। तो यह एक विशियस सर्किल हो गया। आप मुख्य मंत्रीजी बार-बार पर्यावरण की और केन्द्रीय सरकार की बात करते हैं तो उस विशियस सर्किल में, उसमें हम लोग भी गुनाहगार हैं।

मैं कोई यह नहीं कहता कि यह आपकी सरकार के साथ ही हुआ है लेकिन हम लोगों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, मेरी पार्टी ने भी उस दिशा पर ध्यान नहीं दिया तो आज यह नौबत आयी है। आप अगर पर्यावरण पर ध्यान देंगे, जंगलों को वापस नष्ट न करके, खानों को बड़ा न करके अगर वृक्षारोपण करेंगे तो मैं सोचता हूं आपकी इलैक्ट्रिसिटी पर भी लोड कम होगा।

मंत्री महोदय, आपकी सरकार हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। नयी बनती हैं, पुरानी की आप देखभाल नहीं करते हैं। मेरा सुझाव यह है कि आपके पास साधन हैं, आपके पास डिपार्टमैंट्स हैं, अध्यक्ष महोदय, एक सैल बनना चाहिए और वह सैल होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग्स जो पूर्व में हो गयी वह तो रहने दीजिए पर हजारों की तादाद में जो बिल्डिंग्स आप भविष्य में बनाएंगे उसकी डिजाइन ऐसी हो कि हवा का डाइरेक्शन, उसके कंसट्रक्शन की स्टाइल, आज विद्युत बोर्ड की आप बिल्डिंग देखें जो नयी बनी है मैं सोचता हूं कि वहां पर जितनी इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है कोई काश्तकार सोच ही नहीं सकता कि वह अपने घर में या अपने एरिये में करें।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

तो आप बिल्डिंग्स की ऐसी डिजाइन करें आपके पास साधन हैं। अगर आपके पास यहां पर नहीं हो तो आप प्राइवेट कंसलटेंसी को ले लीजिए कि वह एंवायरमैंटली परफेक्ट हो।

आज जोधपुर का मैं उदाहरण देता हूं, अध्यक्ष महोदय, 1930, 1940, और 1945 में जो बिल्डिंग्स बनी हैं कुछ ऐसी अच्छी हैं कि जिनमें आप सिर्फ डाटा लगायें तो आपको एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों नहीं उस दिशा में सोचते।

सौलर एनर्जी पर इतनी बातें हुई हैं, अध्यक्ष महोदय, आज जितनी भी गवर्नमैंट बिल्डिंग्स हैं मंत्रीजी उनमें आप सौलर यूनिट काम में लीजिए वह आपकी बचत होगी। प्राइवेट कंज्यूमर्स को तो आप रैस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते लेकिन आपके जो गवर्नमैंट डिपार्टमैंट्स हैं उनको आप कम्पलसरीली यह कह दीजिए कि जितने भी आपके गर्म पानी के लिए, आजकल तो सौलर एयर कंडीशनर भी आने लग गये हैं मंत्री महोदय, तो आपको भी आप अपने डिपार्टमैंट्स को उपलब्ध करवाइये। मुख्य मंत्रीजी एक आदेश दे दें कि कोई भी नयी खरीद होगी तो इन बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएगा। मैं सोचता हूं कि उससे आपका बिजली का कंजम्पशन है, वह जरूर घटेगा।

आज चर्चा हो रही है कि मेगावाट केपैसिटी बढ़ोतरी होनी चाहिए। होनी चाहिए लेकिन आप साथ की साथ कंज्यूम इतना नहीं कर सकते और इतना लिबरली आप नहीं कर सकते कि उस तरफ आपका ध्यान जाए ही नहीं।

आज यह सुझाव व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई दिमागी उपज नहीं है आज अमेरिका जैसा देश, डवलप देश आज स्विट्जरलैंड को लीजिए, इंग्लैण्ड को लीजिए वहां सब इस एंवायरमैंट के प्रति ऐसे-ऐसे साधन उपलब्ध करवा रहे हैं प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से ताकि वहां इलैक्ट्रिसिटी की बचत हो सके। अगर आप इन बिन्दुओं पर ध्यान देंगे तो मैं सोचता हूं काफी कुछ बचत हो सकती है। अब मैं सिर्फ आपने जो यहां पिछले सत्र में आश्वासन दिया था और कुछ सदस्यों ने आपकी तरफ से यह भी कहा था कि मुख्य मंत्रीजी को बधाई दें कि आठ घंटे बिजली मिलती रही है। मैं तो आपको अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, न केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में, भले ही वह बाड़मेर जिला हो, जोधपुर हो, कभी भी नवम्बर-दिसम्बर के महीने में जब काश्तकारों को बिजली की बहुत ही आवश्यकता थी, कभी भी तीन-चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली।

श्री सुरेन्द्र गोयल : हमारे एरिये में तो आठ-आठ घंटे मिली है।

श्री अध्यक्ष : आप पश्चिमी राजस्थान में थोड़े ही हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप 24 घंटे भी ले सकते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह मोनिटरिंग होना चाहिए मंत्री महोदय, कि आप यहां विश्वास दिलवायें उस विश्वास के तहत

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

मैं काश्तकारों के रूप में 8 घंटे बिजली की खेती कर लूं और पीछे आप मुझे बिजली उपलब्ध नहीं करवाएं तो घाटा न केवल मुझे होगा या काश्तकारों को होगा, आपको भी होगा।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो सप्लाई की नीति है उसको भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आज जयपुर में 80 फीट या 100 फीट से पानी दिया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान को छोड़िये, अध्यक्ष महोदय, औसियां क्षेत्र में चूंकि पानी की सप्लाई जोधपुर को जाती रही है और आज भी जा रही है। आज सात-सात सौ फीट से हम पानी उठा रहे हैं तो अगर वह आठ घंटे एक सात सौ फुट से जो काश्तकार उठा रहा है उसको भी आप आठ घंटे उपलब्ध करवाओगे और जो सौ फीट से उठा रहा है उसको भी आप घंटे दोगे तो मैं सोचता हूं यह उचित नहीं है। जो नहरी क्षेत्र से आते हैं मंत्री महोदय, विराजमान हैं वह अगर कभी कोशिश करें, हमें कितना खर्चा हो रहा है और उस आपकी तरफ कितना हो रहा, मैं खास करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें एक बेलेंसिंग होनी चाहिए। आपने समय दिया अध्यक्ष महोदय, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री देवीसिंह भाटी : चर्चा पूर्ण करवा दें तो बिजली की बचत हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह सजेशंस भी महत्वपूर्ण हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में ऐसे विभाग पर चर्चा हो रही है, चाहे प्रतिपक्ष में बैठे माननीय सदस्य हों, चाहे सत्ता में बैठे सदस्य हों, सभी को राजनीति से परे हट-कर जनता के हित में, जनता की आकांक्षा को मद्दे नजर रखते हुए जैसा कि आपने फर्माया ऐसे कारणों का पता लगाना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है, और बिजली बोर्ड कैसे घाटे से हट कर आगे बढ़ सकता है और उत्पादन के क्षेत्र में कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में चिन्तन करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में जितना पीने के पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है उतनी की उतनी ही बिजली की आवश्यता है। आज बिजली के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता है। मैं इस बात के लिये भी धन्यवाद देता हूं, चालीस साल तक कांग्रेस का शासन रहा और हमारा पांच साल का शासन रहा, परन्तु चालीस साल में बिजली का उत्पादन बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। हमने भी प्रयत्न किये हैं और हमने भी जनता की भावनाओं के अनुरूप बिजली के उपकरण बढ़ाने में परियोजनाएं बनाने में हमने भी योगदान किया है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर निवेदन करूंगा कि काश्तकार जितने समय तक बिजली चाहता है उसको वह बिजली मिले, वह चाहता है 24 घंटे हमें बिजली मिले। आप चाहे उससे 8 रुपये रेट ले लीजिये, चाहे 10 रुपये ले लीजिए। आज एक काश्तकार इंजन चलाता है, एक घंटे के अन्दर ढाई लीटर डीजल उसका जलता है

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बीस रुपया उसका खर्चा आता है वह 20 रुपये देने तक राजी है। मैं काश्तकारों से मिला हूं और मैं भी स्वयं काश्तकार हूं। सभी काश्तकार सोचते हैं, कहते हैं कि बिजली का पैसा कितना ही बढ़ जाए हमें कोई चिन्ता नहीं है, परन्तु बिजली हमें 24 घंटे मिलनी चाहिए। अगर 24 घंटे बिजली हम चाहते हैं तो बिजली का पैसा बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। मैं श्री पूनम चन्दजी विश्नोई का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही, चाहे वह प्रतिपक्ष में बैठे हों किन्तु बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही कि काश्तकार बिजली चाहते हैं और बिना पैसे बढ़ाये बिजली का घाटा भी पूरा नहीं हो सकता और बिजली का उत्पादन भी नहीं किया जा सकता है। आज काश्तकारों को बिजली चाहिए इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय कि चाहे आप नेपोलियन बोनापार्ट का पार्ट अदा करना पड़े, परन्तु आप एक दृढ़ निश्चय करके चाहे कितने भी आपको उलाहने सुनने पड़ें, आप पर यूनिट बढ़ोतरी करें जिससे आम काश्तकार खुश होंगे, कोई किसी प्रकार से नाराज नहीं होंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : चलिए, बहुत अच्छा है। बैठिये। श्री धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं (व्यवधान) श्री चतुर्वेदीजी आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। और आप तो प्रश्न का जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है बजट स्पीच कर रहे हैं। पहले खुद आचरण में कीजिये फिर मुझे राय दीजिए।

माननीय अध्यक्षजी, आपने जो शुरू में कहा मैं समझता हूं कि राजस्थान की पूरी जनता उस बात से संतुष्ट होगी कि कम से कम आपने सदन का ध्यान इस विषय की गम्भीरता की तरफ आकर्षित किया। माननीय अध्यक्षजी, पावर की जो सिच्युएशन है उसका सीधा सम्बन्ध हमारे वर्तमान आर्थिक विकास से है। भविष्य में क्या ढांचा होगा उससे भी इसका अटूट सम्बन्ध है। पावर के मामले में अध्यक्षजी जहां एक ओर आवश्यकता है जेनरेशन बढ़ाने की, दूसरी आवश्यकता है ट्रांसमिशन लोसेज कम करने की और तीसरी आवश्यकता है एक ऐसी परम्परा डालें कि हम इसका कम उपयोग करें। जहां आवश्यक है वहां तो अवश्य उपयोग करें पर सहज विलासिता के लिए उसके उपयोग में यदि कर्ब करें तो मैं समझता हूं यह मानसिकता भी आगे बढ़ानी चाहिए। इन सब बातों के लिए आवश्यक है कि सरकार में एक राजनैतिक इच्छा शक्ति हो और जो बोर्ड है उसका कार्य करने का तरीका इस प्रकार से हो कि भ्रष्टाचार एक तरीके से रूल आउट हो।

मेरा पहला सुझाव, माननीय अध्यक्षजी, यह है कि सरकार को एक नीतिगत फैसला करना चाहिये। आज जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वह शहर में रहेंगे तो उनके मकान में बिजली आएगी। वहीं अपने गांव में जाएंगे वही कंज्यूमर हैं, वही कानून है, वही प्रान्त है, वह भी कंज्यूमर हैं पैसा देना चाहते हैं, परन्तु ग्रामीण इलाके में उनका कंज्यूमर स्टेटस है पता नहीं क्यों

(श्री जगदीप धनखड़)

उसे सैकिण्ड ग्रेड मानते हैं, क्यों इन्फीरियर मानते हैं। मेरा सुझाव है कि बिजली कम है, जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा ब्यावर के मामले में, पानी का संकट आ सकता है, अन्न का संकट आ सकता है उसी तरीके से ...

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब तो देखिये श्री नरेन्द्रसिंहजी ने आपके पहले ही दे दिया। गांवों में वायु किस प्रकार से खुले रूप में मिलती है। शहरों में मिलती नहीं। मकान ऐसे बना रखे हैं। न लाइट है, न वायु है इसलिए यहां जरूरी हो गया। पंखे के बिना बैठ नहीं सकते। गांव में बिना पंखे के इतनी हवा चलती है कि लोगों को जरूरत ही नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा, अध्यक्षजी, एक सुझाव है कि ग्रामीण उपभोक्ता के प्रति जो हम ऐसा अन्याय कर रहे हैं, कि महज वह गांव में है इसलिए उसको बिजली नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि बिजली की कमी है तो आप यहां भी कट लागू कीजिये। शहर का कोई कंज्यूमर यह अधिकार प्राप्त नहीं करता है कि अगर मैं शहर में रहूंगा तो मेरे मकान में 24 घंटे बिजली आएगी और मैं गांव में जाऊंगा तो चार घंटे की भी अनिश्चितता बनी रहेगी।

पहला मेरा सुझाव है मुख्य मंत्रीजी इस चीज को एनफोर्सड कीजिये, यदि अगर यह एक कड़वा घूंट भी है तो इसमें कहीं कुछ अनपोपुलरिटी नहीं आएगी। ताकि गांव के उपभोक्ता को एक सम्मान मिलेगा कि मुझे कम बिजली है तो शहर वालों को भी कम मिली है। माननीय अध्यक्षजी, मेरा दूसरा सुझाव है कि जहां गांव और शहर के उपभोक्ता में भेदभाव हैं, एग्रीकल्चर सैक्टर और इण्डस्ट्रियल सैक्टर में भी भेदभाव है। चार लाख से ज्यादा कनैक्शन आलरेडी है और 25 हजार देने की योजना है, वह पीड़ित हैं। उनको मैं सुखी नहीं मानता और जो दो लाख से ज्यादा वेटिंग लिस्ट में हैं वह फिलहाल तो यह समझते हैं कि उनका दुख कम है, उनको कनैक्शन नहीं मिल रहा है, और कनैक्शन मिलने के बाद स्थिति होती है कि जैसे तवे से आग में आयेंगे इस चीज को ठीक करने के लिए मेरा सुझाव है कि ग्रामीण उपभोक्ता चाहे जागरूक ना हो पर उसको परेशानी से मुक्त कीजिये। उसके साथ जो वायदा किया जाता है। उसको पूरा कीजिये। आठ घंटे का जो वायदा किया। सब जानते हैं पूरा नहीं हुआ, परन्तु बोर्ड के आंकड़ों में वह आठ घंटे वाली बात पूरी तरह सही निकलेगी, क्योंकि बोर्ड एक ऐसे तरीके से काम कर रहा है, अपनी असलियत को बोर्ड को पहचानना ही नहीं चाहता, जो वास्तविक सूरत है बोर्ड की उसे वह छिपाना चाहता है। बोर्ड की स्थिति उस आदमी की तरह है जो बीमार है और एक्स-रे से डरता है कि पता नहीं एक्स-रे होगा तो उसके कौनसी बीमारी सामने आ जाएगी।

मैं अध्यक्षजी, इंगित कर रहा हूं ट्रांसमिशन लोसेज की तरफ आज के दिन इस सदन को नहीं पता है कि 1992-93 में क्या ट्रांसमिशन लोसेज है। इतना गम्भीर मसला है, आप और हमको क्यों नहीं पता। जो ताजा आंकड़े 20-22 प्रतिशत के हैं, सबको पता है कि वह आंकड़े फर्जी हैं,

(श्री जगदीश धनखड़)

मैनिप्यूलेटेड हैं। माननीय अध्यक्षजी, जब बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर बात हो रही थी, मैंने इसका अध्ययन किया कि ट्रांसमिशन लोसेज के मामले में पूरे सदन को गुमराह कैसे कर देते हैं। पूरे राजस्थान की जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों करते हैं ? तो दो चीजें सामने आयीं ट्रांसमिशन लोसेज के अन्दर दो बहुत होशियारी के काम करते हैं, मंत्रीजी आप चाहे एग्रीकल्चर सैक्टर को आठ घंटे बिजली दे या नहीं दें। परन्तु ट्रांसमिशन लोसेज कम्प्यूट करते समय 12 महीने 8 घंटे एग्रीकल्चर कनेक्शन को दिया हुआ मानते हैं। अब सबको पता है गलत है, पर ऐसा यह करते हैं। दूसरी हेरा-फेरी जो आप काफी वर्षों से करते आ रहे हैं मिनिमम चार्जेज, कोई फैक्ट्री बंद है, मिनिमम चार्जेज दे रहे हैं। एक्चुअल कंजम्पशन तो हो नहीं रहा है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एक्चुअल कंजम्पशन 8 घंटे का नहीं है, 12 महीने तो लगातार है ही नहीं। इससे क्या है कि, 40-45 प्रतिशत ट्रांसमिशन लोसेज है इसको खींचकर 20-22 प्रतिशत ले आते हैं। मैं मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि यदि वास्तव में मंत्री जी 20-22 प्रतिशत आपके ट्रांसमिशन लोसेज एक्चुअल हैं तो आपके पांच सौ करोड़ का फर्क पड़ेगा। यह आप अन्दाजा लगा लीजिए। मेरा सुझाव है कि बोर्ड हमें असत्य पिक्चर सामने नहीं दे, ग्रामीण इलाके के 12 महीने, 8 घंटे के हिसाब से ट्रांसमिशन लासेज में कम्प्यूट ना करें। मिनिमम चार्जेज को भी ट्रांसमिशन लोसेज में कम्प्यूट न करे। असलियत जो है वह सामने रखें। अगर बोर्ड एक बार असलियत सामने रखेगा, हमारा ट्रांसमिशन लोसेज 40-45 प्रतिशत है और मैं समझता हूं 2-4 प्रतिशत भी यदि कम करेंगे तो बोर्ड के आर्थिक स्थिति पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए।

जेनरेशन के मामले में, माननीय अध्यक्ष जी, 1990 का यदि मुख्य मंत्रीजी के भाषण पढ़ेंगे तो कुछ प्रोजैक्ट्स के बारे में कह दिया कि स्वीकृति हो गयी है। मैं यह कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, कोई भी मुख्य मंत्री हो, कोई भी राजनैतिक दल हो पावर जेनरेशन एक बहुत— it requires a lot of skill. माननीय अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी को अच्छा पिच मिला था, अच्छे जानकार प्रधान मंत्रीजी मिले थे उसके बावजूद जो इनकी उपलब्धि रही, यह कोई मैं क्रिटिसिज्म की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं तो यह बता रहा हूं कि जो पुस्तिका इन्होंने दी है इसमें अब तक 8.65 मेगावाट क्षमता राज्य क्षेत्र में और 41.12 मेगावाट क्षमता केन्द्रीय क्षेत्र में बढ़ी है। यह आपकी आठवीं योजना में है। अब इतना कम क्यों हुआ ? यह इसलिए हुआ कि हम प्लांट तरीके से इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि बरसिंगसर के मामले में कोलमेन एसोसिएट्स से बात कर ली, अब उन्होंने इस तरह से कहा जैसे आर्कमिडिज के सिद्धान्त की डिस्कवरी हुई है। प्रेस क्लब में भी कह दिया, यहां भी कह दिया कि मेरे कमरे में वहां इंतजार कर रहे हैं, राज्यपाल से भी कहलवा दिया और अचानक उनको छोड़ दिया। मैं इसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर

(श्री जगदीप धनखड़)

रहा पर मेरा सुझाव है let us make a new beginning. अब इस बात को आप इतनी गम्भीरता से लेकर आगे बढ़ाइये ताकि पावर जेनरेशन का इस मामले में एक स्वरूप बने।

मेरा दूसरा सुझाव है, माननीय अध्यक्ष जी, हाइडल पावर जेनरेशन के अंदर भी हम बड़ी कमी कर रहे हैं। कम ही पावर जेनरेट होती हैं, जब तीन मेगावाट के बारे में मंत्रीजी इसमें हवाला दे रहे हैं तो क्यों नहीं इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर जो पांच-छह साइट्स लोकेट की गयी हैं, जहां कहा गया है कि रिक्विजिट क्यूसेक्स वाटर एवेलेबिलिटी है, फाल भी है 120 दिन तक एवेलेबिलिटी है तो क्यों नहीं इस मामले की तरफ ध्यान दिया जाए। करौली के पास में, मुख्य मंत्रीजी, आपको पता है 100 मेगावाट से ज्यादा हम जेनरेट कर सकते हैं यदि पर्टीकुलर वहां डेम बने तो 160–170 मेगावाट कर सकते हैं। अधिकारी स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार से बात हो रही है, बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। बात अटकी हुई है और राजस्थान एक भारी संकट से गुजर रहा है, तो क्यों नहीं सरकार इस राजनैतिक इच्छा शक्ति, जिसका बखान किया करते हैं, वह फिस्कल मेनेजमैंट जिसका लैक्चर उधर से हमें रोज दिया जाता है, उसको कहीं तो एक्शन में ट्रांसलेट करें। यदि आप मध्य प्रदेश सरकार से बात करें राजनैतिक स्तर पर करें, ब्यूरोक्रेटिक लेबल पर, उच्च स्तर पर करें तो, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जरूर उसमें एडीशन होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने कुछ ऐसी चीज ले ली, जैसे नोर्थ स्टार है, धौलपुर को पकड़ कर बैठ गये आप। अब यह कोई इस प्रकार की साइकोलोजी से काम कैसे बढ़ेगा, इसको बदलना होगा, फ्लेक्जिबिलिटी लानी होगी। हम कह चुके हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस तरफ से कि कंस्ट्रक्टीव सपोर्ट देंगे आपको। अपोजिशन का मतलब यह नहीं कि हम अपोज ही करेंगे। हमने यह भी कहा है कि अनुभव के आधार पर आपकी यह कैपेसिटी है पर पता नहीं वह कौन से कारण हैं कि चार महीने निकल गये और इस मामले में कोई निर्णायक बात नहीं उठी है। मेरा सुझाव है, माननीय अध्यक्षजी, कि इस मामले के लिए विधान सभा की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए जो पावर जेनरेशन के मामले में मोनीटरिंग करे। बहुत टेलेंटेड आदमी यहां पर उपस्थित हैं और उनसे बात आगे बढ़ सकती है।

माननीय अध्यक्षजी, कुछ स्कैंडल्स ऐसे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर आपने राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में भ्रष्टाचार को खतम नहीं किया और भ्रष्टाचार को जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिल रही है उसको यदि कर्ब नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि बोर्ड में सुधार नहीं आ सकेगा। इसके लिए, माननीय अध्यक्षजी, एक मामला मैं बताऊंगा, ज्यादा मामले बताने से आपने जो शुरू में हमें निर्देश दिया था वह उस आलोचना से आगे बढ़ जाएगा। मैंने कल माननीय मंत्रीजी को कहा था कि मैं कुछ इस प्रकार के मुद्दे उठाऊंगा, वरिष्ठ अधिकारी यहां हैं, परचेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन एण्ड पावर ट्रांसफार्मर्स के

(श्री जगदीप धनखड़)

मामले में दो मुद्दे हैं। पहला इन्होंने कर रखा है कि यदि फेलियर रेट मोर देन टेन पर्सेंट इन गारंटी पीरियड है उससे नहीं लेते हैं और दूसरा हैं कि वन यूनिट शोर्ट सर्किट टैस्ट होता है उसमें यदि फेलियर हो जाता है यह नहीं लेते हैं। माननीय अध्यक्षजी, एक मार्शल ग्रुप है जिसकी फेलियर रेट 20 पर्सेंट ड्यूरिंग गारंटी पीरियड और इनको 70 पर्सेंट आर्डर दिया। मैं कहता हूं कि यदि कोई मापदण्ड बन गये तो उन मापदण्ड्स में डिविएशन क्यों हो? जहां भी पैरामीटर्स में डिविएशन होगा करप्शन होगा। दूसरा, मान्यवर, इनकी एक सिस्टर कम्पनी है बैनमोर इलैक्ट्रिकल्स उसमें भी डिविएशन हुआ कोई शोर्ट सर्किट टैस्ट नहीं किया गया। मान्यवर, इंस्पैक्शन के अन्दर अलग-अलग मापदण्ड रखे हैं। एक फर्म की इंस्पैक्शन में चार कमियां हैं और दूसरे में चार हैं, एक को पास कर दिया दूसरे को नहीं किया गया। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहते हुए इतना कहूंगा कि जब एक पर्टीकुलर मामले के अन्दर आल टाइम मैम्बर ने कहा इनसे मत लीजिए और अहं सरकार आते ही उससे ले लो। मान्यवर, लोगों के पेमैंट बहुत लम्बे समय से पड़े हुए हैं, आउट आफ दी वे पेमैंट किया गया है। इस चीज के बारे में मैं नहीं कहता कि कोई व्यक्ति ने करप्शन किया है पर इस ग्रुप ने, कहा जाता है, भारी चर्चा है कि चुनाव में एक करोड़ से ज्यादा की मदद की थी। अब चुनाव में मदद लेना कोई बुरी बात नहीं, सब दल लेते हैं, सभी कैंडिडेट्स लेते हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत है यह।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, पर मान्यवर, इन सरकमस्टांसेज का क्या करेंगे जो मैंने मंत्रीजी को कल कह कर कहा है। मुझे उम्मीद है कि मंत्रीजी जवाब देंगे, क्योंकि आप से, मान्यवर, जवाब लेना मुश्किल है, यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान)... मान्यवर, दूसरी बात मैं कहता हूं, बोर्ड में सुधार के लिए कह रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्षजी, मैं बहुत से ऐसे मुद्दे दे सकता हूं पर मैं इसलिए नहीं दे रहा, कि मैंने गम्भीरता से मंत्रीजी को कहा और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रीजी इस बात में पूरी तरह से जवाब देंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। आपके सुझाव समाप्त हो गये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बात और कहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, (व्यवधान).. अध्यक्षजी, मैं दो मिनट का समय और लूंगा।

श्री अध्यक्ष : और लोग बोलने वाले हैं वह रह जाएंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक तो क्या है कि राजनीति को बिजली विकास से दूर रखिये, खाचरियावास में चलो 132 के. वी. ए. का यूज मत हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिये इतने अधिकारीगण हैं, झालावाड़ में 220 के. वी. ए. स्टेशन की क्या दरकार थी? आप टैक्निकली एग्जामिन कीजिए, यह बात यहां कहने से पहले मैंने टैक्निकली साउंड लोगों से राय ली कि इस प्रकार का क्यों हुआ। आपके लिए तो पूरा राजस्थान होना

(श्री जगदीप धनखड़)

चाहिए, धौलपुर, खाचरियावास और झालावाड़ से ऊपर उठिये। मैंने तो कहा न कि रतनगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में किशनगढ़ भी है, वहां भी विकास की गंगा जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्षजी, एक बात है जिसके बारे में आप सदन को तो खैर गम्भीर कर चुके हैं, जो आर.ई.सी. की योजनाएं हैं उन योजनाओं में खैर रतनगढ़ पर तो चोट हुई है, जो मैंने पहले भी कही है, छह वर्ष पूर्व रतनगढ़ से सुजानगढ़ 132 के.वी. लाइन थी वह नहीं खींची इन्होंने। पर यह करते क्या हैं, मान्यवर, गांव के नाम से पैसा लेते हैं और पैसा पूरा वसूल करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते पर जहां कार्य करने की बात आती है यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का पूरा अनुसरण करते हैं, एक मीटर भी नहीं फाड़ेंगे। मेरा, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि यदि आर.ई.सी. की योजनाओं में ग्रामीण उपभोक्ताओं के ऊपर अत्याचार होते रहे तो पता नहीं यह बात किस दिन किस आन्दोलन का रूप ले ले, मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक आन्दोलन लीड किया था, एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, मान्यवर, उसको दुबारा मत मारिये आप। एक बार हत्या हुई, आपने आन्दोलन को पराकाष्ठा तब बढ़ाया, अब उसकी आत्मा को आप दुखी मत कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए।

माननीय अध्यक्षजी, मैं दो बात कह कर समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप पहले कह रहे थे दो बात की, दो तो हो गयी।

श्री जगदीप धनखड़ : एक तो मैं कहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने धौलपुर को जैसे पकड़ा, मैं आपसे पूछता हूं, आपके अधिकारी आपके पास बैठे हैं रामगढ़ गैस का जो सैकण्ड स्टेज है, क्या पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने नहीं कहा कि यह वायबल नहीं है। पावर जेनरेशन के मामले में टैक्निकली काम्पीटेंट और साउण्ड आदमियों पर ही आपको रिलाइ करना पड़ेगा। यदि अगर आप अपना विजडम उसमें देंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप गलत कह रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : और राजनीति के क्षेत्र में तो माननीय अध्यक्ष जी, वह ठीक है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप गलत कह रहे हो। अगर टैक्निकल वाइबिलिटी सी.ई.ए. करता है पी.एफ.सी. नहीं करता है ... (व्यवधान) ...

श्री जगदीप धनखड़ : मैं अब नहीं बोल सकता, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : टैक्निकल वाइबिलिटी सी.ई.ए. डिसाइड करता है पी.एफ.सी. नहीं करता है।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : मैं कुछ सुझाव दूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों से विद्युत लाइनें जा रही हैं और जिनके चारों ओर के गांव विद्युतीकृत हैं मैं मंत्री

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन गांवों को विद्युतीकृत कर दिया जाए।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरे को तो श्री वी. पी. सिंह जी का फोबिया हो गया जैसा कि इनको श्री चन्दनमलजी का फोबिया हो जाता है कई बार।

श्री कन्हैया लाल मीणा : क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा एक या दो खम्भे लगाये जाएंगे। दूसरा मेरा निवेदन है जिन गांवों में तुरन्त योजना के तहत कनैक्शन दे दिये गये थे वे गांव आज भी विद्युतीकृत घोषित नहीं किये गये हैं जबकि वहां 30-30 कुओं पर कनैक्शन हो रहे हैं। ऐसे गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जाए और प्रायोरिटी के आधार पर जैसे और गांवों में कनैक्शन दिये जा रहे हैं उन गांवों में भी प्रायोरिटी के आधार पर कनैक्शन दिए जाने चाहिए।

मैं आपको निवेदन करूंगा कि तुरन्त योजना के तहत, पूर्व में कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि तुरन्त योजना की काश्तकारों के लिए बहुत ज्यादा मांग है इसलिए तुरन्त योजना पुनः चालू की जानी चाहिए। दूसरा, आपसे मेरा निवेदन है कि कृषक के कुए का जो एस्टीमेट बनाया जाता है उसको दो बार न बनाकर एक बार ही बनाया जाए। दुबारा अगर बनाया जाए तो उसकी जांच की जाए कि दुबारा क्यों बनाया गया? काश्तकार से रिश्वतखोरी की जो भावना उनमें बनी हुई है। एक बार 40 हजार का एस्टीमेट बन जाता है दुबारा अगर बनता है तो 15 हजार का वह एस्टीमेट बना दिया जाता है, 5 हजार की रिश्वत ले ली जाती है तो दुबारा अगर एस्टीमेट बनाया जाए तो एस्टीमेट बनाने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। इस प्रकार की व्यवस्था की जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दूसरा, मान्यवर, केपेसीटर के पैसे विद्युत बोर्ड में जमा हैं लेकिन काश्तकारों के कुओं पर एक भी केपेसीटर लगा हुआ नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि करीब डेढ़ करोड़ रुपया जो राजस्थान के काश्तकारों का जमा है वह केपेसीटर्स में लगाया जाए।

श्री अध्यक्ष : अब ये बातें तो आप वैसे ही बता देना, आप कोई गम्भीर सुझाव दीजिए। यह तो बाद में कर देना आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री कन्हैया लाल मीणा : एक मिनट साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं हैं, श्री विष्णु मोदी। अब आप बैठिये हो गया।

श्री कन्हैया लाल मीणा : तारों की इतनी जबरदस्त चोरी हो रही है, चोरों को पकड़ा गया और पकड़ जाने के बाद में भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। करीब हर एक सहायक अभियन्ता के कार्यालय से आज लाखों-करोड़ों रुपयों के तारों की चोरी हो रही है। मैं बस्सी विधान सभा क्षेत्र की ही बात बता सकता हूं, अब तक करीब 20 चोरियां पकड़ी गयीं लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी ने वहां जाकर

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

आज तक थाने में रिपोर्ट नहीं की तफ्तीश नहीं की, चोरों को वैसे ही छोड़ दिया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसी प्रकार से जयपुर जिले में हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। हो गया।

श्री कन्हैया लाल मीणा : साथ ही मेरे क्षेत्र की एक कचोलिया ग्रिड स्टेशन जो 86 में स्वीकृत हुआ था, ऐसे जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको अब तक भी चालू नहीं किया गया है, वहां पर ट्रान्सफार्मर्स रख दिये गये हैं जिनकी वजह से काश्तकारों को काफी परेशानी हो रही है। ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिऐ।

श्री कन्हैया लाल मीणा : भर गांव में भी ट्रान्सफार्मर को करीब 15 दिन जले हुए हो गये उसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा।

श्री बिष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो बिजली की स्थिति बनी हुई है और जो आज आपने चर्चा करायी है। मैं समझता हूं कि इस पर हमें दो तरह से ध्यान देना है। एक तो लोग टर्म हम इसको कैसे मीट आउट कर सकते हैं जो आज हमारा गेप है और जो आगे बढ़ने वाला है, वह किस तरह से कम हो। दूसरा, शार्ट टर्म में, कि हम इस कमी को जल्दी से जल्दी किस तरह से पूरा करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 घंटे जो बिजली देने की बात थी वह भी पूरी नहीं हो पायी और वह हो भी नहीं पाएगी। मैंने तो अपने क्षेत्र में जब भी बिजली की बात आयी तो बहुत साफ तौर पर कहा कि आज जो बिजली मिल रही है कल उतनी भी नहीं मिलेगी। अगर हम इसको रियलिस्टक आधार पर नहीं समझेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इमीडिएटली राजस्थान में बिजली कैसे मिले, उसके दो या तीन ही रास्ते हैं। अभी बजट भाषण के वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि ढाई सौ मेगावाट एन. टी. पी. सी. से हमें एडीशनल मिल गया लेकिन वह भी वास्तव में बात सही नहीं है। आर्फिशियली मिल गया लेकिन एज आन यूनिट हमारी बढ़ी नहीं, क्योंकि हम वह ढाई सौ मेगावाट ओवर ड्रा कर रहे थे। बिजली तो वहीं की वहीं रही, जितनी राजस्थान को पहले बिजली मिल रही थी उतनी ही बिजली की यूनिट्स मिली। हां, लेकिन उसकी रेट, चूंकि ओवर ड्रा की रेट अलग थी और इसकी रेट अलग है इसलिए हमारी यूनिट तो बढ़ी नहीं लेकिन हमारा रेट जरूर कम हुआ। अब जेस्टेशन पीरियड है पावर जेनरेशन का उसको आप कम कर नहीं सकते। नये कारखाने के लिए धन चाहिए। वह आपके पास है नहीं, जो कुछ आपने स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा दिया वह कोई पोलिटिकल विल से नहीं दिया, न आपने उसकी जरूरत समझी तब दिया, जब आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने चाहे वह एशियन बैंक हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे पावर फाइनेंस कारपोरेशन हो, उन्होंने जब यह कह दिया कि जब तक आपका बोर्ड 3 पर्सेंट प्रोफिट में नहीं आएगा तब तक आपको लोनिंग नहीं हो सकता।

(श्री विष्णु मोदी)

तब तो आपने जितने पैसे थे वह माफ किये, यह किया, वह किया लेकिन इसके बावजूद भी आपका तीन पर्सेंट आप मेंटेन नहीं कर पाये।

अब इमीडिएटली आपको क्या सोल्यूशन मिले, उसके लिए सबसे पहला जो आपको रिलीफ मिल सकता है वह मिल सकता है कि आप लाइन लोसेज को कम करें। लाइन लोसेज के दो पार्ट हैं, एक टैक्निकली जो लाइन लोसेज हो रहे हैं और एक जो चोरी से हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितने मिलियन यूनिट्स हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता लेकिन जितनी यूनिट्स आज कंजूम हो रही हैं उसमें 45 पर्सेंट तो इण्डस्ट्री में हो रही हैं और 55 पर्सेंट डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और कामर्शियल दूसरों में हो रही है। अगर आप इस 45 पर्सेंट का लोसेज निकालेंगे तो चूंकि जो कारखाने हैं या जो दूसरे और प्रतिष्ठान हैं उनको डाइरैक्ट बड़े कनैक्शंस से, 220 से या 132 से दिये गये हैं इसलिए उनके लोसेज कम हैं अगर आप यह पर्सेंटेज डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर सैक्टर के लाइन लोसेज का निकालेंगे तो 40 पर्सेंट से ऊपर आएगा। आज इमीडिएट जो रिलीफ मिल सकता है वह एन.टी.पी.सी. से जो ढाई सौ मेगावाट मिले हैं उससे नहीं मिलेगा। वह बिजली हम आलरेडी ओवरड्रा कर रहे थे और कर रहे हैं। इन लाइन लोसेज को आप तब तक कम नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास पैसा नहीं होगा, जब तक कि आपके पास पोलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक आप कम नहीं कर सकते। आज इस बात को बिजली बोर्ड भी जानता है, सब जानते हैं कि किस तरह से सीधे तार पर आंकड़ा डालकर बिजली ली जा रही है, हालत यह होगी बिजली की जो आज ब्यावर में पानी के कारण हुई है। वह दिन दूर नहीं है कि जब ला एण्ड आर्डर की सिच्युएशन भी बिगड़ेगी।

श्री किशन मोटवानी : यह क्रेडिट तो मुख्य मंत्री महोदय को जाता है।.... (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : देखिये, अभी वी. पी. सिंह और जे. पी, साथ-साथ बैठे हुए हैं।

श्री विष्णु मोदी : अभी बम्बई में एक कांफ्रेंस हुई थी और उसमें कोठारी एक इकोनोमिस्ट हैं उन्होंने सारे नेशनल सीन को यह देखकर कि आप पावर टैरिफ तो आप बढ़ाएंगे। आप मौका ढूंढ़ रहे हैं किस तरह से बढ़ायें लेकिन वह बढ़ानी पड़ेगी, वह आपकी मजबूरी है।

श्री चन्दनमल बैद : बैक-डोर से क्यों नहीं बढ़वायेंगे, चेयरमैन से बढ़वायेंगे।

श्री विष्णु मोदी : समझ गये, क्योंकि आपने केन्द्र सरकार का विरोध किया कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेज बजट से पहले बढ़ा दी इसलिए आपने उसमें कहा है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, आटोनोमी मिलनी चाहिए लेकिन वह मजबूरी है, हम भी समझ रहे हैं और इसमें बात सीधी-सीधी है कि अगर आज बिजली 1 रुपया 80 पैसे, 1 रुपया 90 पैसे, 1 रुपया 70 पैसे होगी तो आप कहां तक सबसिडी देने की स्थिति में हैं। वह बात किसी से छिपी हुई नहीं है लेकिन आप

(श्री विष्णु मोदी)

पोलिटिकल विल लेकर आये हैं कि भाई यह स्थिति है, अध्यक्षजी, मैं आपको सही बता रहा हूं कि मैंने पूरे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां बिजली की बात आयी वहां मैंने यही कहा है कि आज जितनी मिल रही है कल उससे कम मिलेगी, परसों उससे भी कम मिलेगी, अगर हम इस स्थिति को नहीं रोकेंगे तो जिस कान्फ्रेंस का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें उन्होंने कहा कि टैरिफ आप जो तय कर रहे हैं वह करें लेकिन 10 पैसा आप एक सरचार्ज लगा दें, उस पैसे को स्ट्रिक्टली आप मानिटर करके लाइन लोसेज को कम करने के लिए अगर खर्च करेंगे तो दूसरे महीने से ही आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ने लगेगी और अगर 5 पर्सेंट भी लाइन लोसेज कम करते चले जाएंगे तो पचास करोड़ से ज्यादा मंथली बोर्ड को फर्क पड़ जाएगा।

दूसरा, मैं अब उन बातों पर नहीं जाना चाहता कि पहले मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं एम. ओ. यू. सही करने वाला था लेकिन मेरी सरकार बर्खास्त कर दी गयी। फिर कहा कि मैंने उनको बुलाया है, वह कल आने वाले हैं और मैं उनसे बात करने वाला हूं। फिर जब प्रधान मंत्रीजी आ रहे थे तो मैं भी एयरपोर्ट पर था, अध्यक्ष भी थे, और भी लोग थे, उन्होंने कहा कि वह आ गये, मैं कल कर रहा हूं। उस वक्त भी मैंने कहा था कि आपके अधिकारी आपको नहीं करने देंगे। एक नीतिगत फैसला राजस्थान सरकार को करना होगा कि वह बिजली प्राइवेट सैक्टर को देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती।

आपने जो ग्लोबल टैंडर की बात की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सब ग्रीन फील्ड प्रोजैक्ट्स हैं। उनके आज न कहीं प्रोजैक्ट हैं, न इनकी क्लियरेंस है, न कहीं कोई शेष है और ग्लोबल टैंडर जो आपने किया है, जिस तरह से आधे-अधूरे मन से किया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने हिन्दुस्तान में एम. ओ. यूज. हुए हैं, जितने एग्रीमैंट्स हुए हैं, उनमें किसी में ग्लोबल टैंडर नहीं हुआ, एक में भी ग्लोबल टैंडर नहीं हुआ है। आपके इस ग्लोबल टैंडर से कोई आएगा? कोई नहीं आने वाला है और इसकी आपकी कोई स्कीम्स नहीं है, मंजूरी नहीं है, क्लियरेंस नहीं है। यह तो सिर्फ एक आपको कहने के लिए, छलावा, दिखावा और बहाना है। बरसिंगसर जो सबसे पहले आ सकता था, जिसके लिए आपने कहा कि इतनी देर हो गयी, इतने में मेरी सरकार बर्खास्त हो गयी, अब मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, उसके लिए खाली कहा है।

अब राज्य में अतिरिक्त विद्युत की स्वीकृत परियोजना जो कि सैंक्शन हैं कि बरसिंगसर लिग्नाइट 2.122 मेगावाट धनाभाव के कारण नेबेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन अभी चली गयी। अब इस कार्य को तेजी से करने हेतु राज्य सरकार ने एक नयी उत्पादन कम्पनी बनाने का निर्णय लिया है। नेबेली के पास में पैसे नहीं है, आपके बोर्ड के पास में पैसे नहीं है, सरकार के पास में पैसे नहीं है, आपको फंडिग होने वाली नहीं, आपको लोन मिलने वाला नहीं और आपके पास जो सैंक्शंड प्रोजैक्ट हैं, जो सैंक्शंड नहीं हैं, उनके तो ग्लोबल टैंडर निकालते हैं और जो सैंक्शन

(श्री विष्णु मोदी)

हैं उनकी बात नहीं करते। उसके लिए तेजी से एक कम्पनी बनाकर उसको चालू करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कोलमैन से कोई लेना-देना नहीं, मुझे राजस्थान से लेना है, हिन्दुस्तान से लेना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी मेरे एक सवाल के जवाब में कहा कि कोलमैन का प्रपोजल हमने रिजैक्ट कर दिया है। ठीक है साहब, आपने अच्छा किया। लेकिन मैं मेरी पर्सनल जानकारी के आधार पर आपको कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार के आर. एस. ई. बी. बोर्ड ने एक चिट्ठी भी लिखी हो कोलमैन को कि हमें आपके यह प्रपोजल्स मंजूर नहीं हैं। उस कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ में यहां पर इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि आस्ट्रेलियन हाई कमीशन के फर्स्ट सैक्रेटरी ने मुझे अजमेर सर्किट हाउस में कहा कि पूरे आस्ट्रेलिया के अन्दर यह बात है कि राजस्थान सरकार कुछ नहीं करना चाहती, डाउन दी लाइन यह बात कही है, दी देन फाइनेंसी सैक्रेटरी, श्री खन्ना जो थे, उन्होंने उनके रिप्रजेंटेटिवज से मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। उन्होंने क्या प्रपोजल्स दिये हैं, आप उनकी गहराई में गए नहीं।

दो थॉट कंट्री में हैं। एक थॉट यह है कि जिस तरह से हम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड चला रहे हैं उसी तरह से चलाते रहें। दूसरा थॉट है कि हम अब नहीं चला सकते। नेशनल सिनेरियो में यह हुआ कि अब पावर जेनरेशन और इवन डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर सकते। लेकिन हम उसके प्रति कतई गम्भीर नहीं हैं। आपने चाहे धौलपुर का एम. ओ यू. किया है वह आपका अभी सैक्शंड प्रोजैक्ट है, आपने जो चित्तौड़ का किया है, वह आपका सैक्शंड प्रोजैक्ट है, आप इमीडिऐट, जो आपके आ सकते हैं, सूरतगढ़ का जो आप 1996 में कह रहे हैं। मैं दावे के साथ श्री चन्दनमल जी ने जो बात कही है, बिलकुल सही कही है कि 1996 में किसी हालत में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। चूंकि आपने अभी कुछ किया ही नहीं। उसकी जो सैकेण्ड स्टेज है, वह आप तेजी से ला सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। अगर कोई दो प्रोजैक्ट आ सकते हैं राजस्थन में, तो वह आ सकते हैं सूरतगढ़ फर्स्ट स्टेज और सैकण्ड स्टेज। उस पर उसमें आज से ही यार हम कुछ कार्य करेंगे तो। बरसिगसर, माननीय अध्यक्षजी, जैसा मैंने कहा कि हमें इसे दो पार्ट में मीट आउट करना पड़ेगा, एक लोंग टर्म प्लानिंग और एक शार्ट टर्म प्लानिंग। शार्ट टर्म प्लानिंग अभी मुखर्जी फार्मूला भी पावर में लागू नहीं हुआ। एन. टी. पी. सी. का जो ढाई सौ मेगावाट है उसमें फिजिकल यूनिट ज्यादा मिलने वाली नहीं है। आर. ए. पी. पी. आने वाला है थर्ड, फोर्थ स्टेज उसमें 10 पर्सेंट जिस स्टेट में लगता है, उसे ज्यादा मिलती है। लेकिन उसकी एक यूनिट तो बंद है और दूसरी यूनिट बंद होने वाली है। नेशनल सिनेरियो में नोर्दन इंडिया के अन्दर कोई प्रोजैक्ट नहीं आ रहा है। कोई पावर प्रोजैक्ट सैंट्रल सैक्टर के अन्दर नोर्दन इंडिया में नहीं आने वाला है। आज तक हमारी जो गाड़ी चल गयी थी,

(श्री विष्णु मोदी)

वह आगे नहीं चलेगी और जो आंकड़ें हैं उससे भी ज्यादा हमारा गैप बढ़ने वाला है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो बरसिंगसर को आप मत डुलाइए और कोई ग्लोबल टैंडर से आपके पास नहीं आने वाला है। आप चाहे कोलमैन को दें या किसी को दें। लेकिन दुलाकर एक्रास दी टेबिल मेरा दावा है, अध्यक्ष जी, आज स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उनको क्या चाहिए? इतना हाफ-हार्टेडली और एक इसको सिर्फ घुमाने के अलावा और कुछ नहीं है।

दूसरा, जो लोंग टर्म प्लानिंग है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहता हूं कि आपने पार्वती कम्पनी बनायी, ज्वाइंट कम्पनी बनायी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हैं। आप पार्वती की प्रोग्रेस करें, आप लिग्नाइट वेस को, राजस्थान की पावर की प्राब्लम को इंडस्ट्रीलाइजेशन की प्राब्लम के लिए, अगर कोई माइल स्टोन होगा तो वह लिग्नाइट होगा, वह जैसलमेर की गैस होगी। जैसलमेर का आप 35 मेगावाट का कर रहे हैं, अभी जो ओ. एन. जी. सी. की ओर आयल इंडिया की जो दूसरी एजेंसीज की हैं, आपको विशेष रूप से अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है ब्रांडगेज हो गयो है, वहां पर आने वाली है और आपको, उसमें इतने साधन मिलेंगे कि आप आगे आने वाली योजना में पार्वती है, आपका लिग्नाइट है और जैसलमेर में गैस है। इनके ऊपर तो लोंग टर्म प्लानिंग करें और शार्ट टर्म प्लानिंग में लाइन लोसेज को बचाएं। इसके अलावा बरसिंगसर को जितनी जल्दी से लेकर आ सकें, लायें। मैं आपको एक बात और टू कीप दी रिकार्ड स्टेट माननीय अध्यक्ष, कहना चाहता हूं कि आर. एस. एम. एम., कम्पनी कभी आपकी अच्छी रही होगी, आज वह एक करोड़ टन ओवर वर्डन उठाती है उसके पीछे पांच लाख टन का राक फास्फेट निकालती है और वह दिन दूर नहीं माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आपकी वह कम्पनी भी घाटे में जाने वाली है। उसने जो बेनिफिकेशन प्लांट लगाया, जो एक सौ पचास करोड़ रुपये या पौने दो सौ करोड़ रुपये का खर्चा किया, वह व्हाइट एलीफेंट बन गयी, आर. एस. एम. एम. के पास में इतनी कॉम्पीटेंस नहीं है कि वह आपको लिग्नाइट माइनिंग कर सकेगी या आपकी इस कम्पनी को चला सकेगी। तो आप कृपा करके ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री विष्णु मोदी : लाइन लोसेज को कम करके, लिग्नाइट ...

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री विष्णु मोदी : और गैस पर बेस करके आप इस प्राब्लम को साल्व कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, माननीय मन्त्रीजी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमैंट मैटर हमारे सामने रखा और उसमें बिजली का उत्पादन कैसे बढ़े और क्या

(श्री शिवनाथ सिंह)

इनकी योजनायें हैं, उस ओर इन्होंने अधिक ध्यान दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे साधन सीमित हैं। हमको गैस का आधार मानकर इस ओर भी आगे बढ़ना चाहिए और जितना अधिक सम्भव हो सके गैस के आधार पर हम बिजली ज्यादा पैदा कर सकें, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्शन की साइड में सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

ट्रांसमिशन लोसेज के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। तीसरा पाइंट है, कंजम्शन पाइंट, उस पर निवेदन करना चाहूंगा और सबसे पहले मेरा आग्रह है, निवेदन है कि बोर्ड को कंजूमर से भाईचारे का रिलेशन कायम करना चाहिए, वैरभाव छोड़ देना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात है कि बिजली की चोरी होती है, लोग लाइनों से सीधी बिजली लेते हैं, टू फेस को थ्री फेस में बनाते हैं और मीटर बन्द करते हैं। यह सब दिक्कतें हैं। अध्यक्षजी, इसमें एक ही चीज है कि कंजूमर अभी बोर्ड से अपना तारतम्य नहीं बैठा पाया है और इसका हल तभी हो सकता है जब आप लोकल लेबल पर ऐसा कोई इंतजाम करें जिससे कि पब्लिक का कार्डिनेशन आपके अधिकारियों के साथ में बैठ पाये। अभी बजट के टाइम में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट लेबल पर, उसी लेवल पर, नीचे लेवल पर भी पब्लिकमैन को इन्वाल्व करते हुए ऐसी कमेटियां बनायेंगे जो कि वहां मोनिटरिंग करेंगी। चिकित्सा मंत्रीजी ने भी कहा कि हम डिस्पेंसरीज के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएंगे तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पब्लिक का इंवाल्वमैंट उसमें कीजिए और उनमें आपस में तारतम्य बैठेगा तो बहुत सी आपकी प्राब्लम साल्व हो जाएंगी।

अभी पिछले दिनों हमारे जिले की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एक सवाल सामने आया कि लड़कों को पढ़ने के लिए टाइम पर बिजली नहीं मिलती है और इस समस्या के सम्बन्ध में बिजली वालों ने यह कहा कि लोग टू फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए हमारे ट्रांसफार्मर्स पर लोड बढ़ता है।

(21.00)

अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वह बात पब्लिकमैन के सामने आयी और हमारे सामने भी आयी। हमने लोगों को कंविंस किया कि यदि इस प्रकार से आप बिजली का मिसयूज करेंगे तो आपके लड़के नहीं पढ़ पाएंगे और उसका एक असर हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस लेवल पर आप एक्सपैरीमैंट कीजिए। आज आपके विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरे महकमे हैं, चाहे पी. एच. ई. डी. हो, चाहे एजूकेशन का हो, डिस्ट्रिक्ट कलक्टर थोड़ा बहुत उन पर सुपरविजन रखता है लेकिन बिजली के महकमे पर न तो डिस्ट्रिक्ट कलक्टर का कोई सुपरविजन है और न किसी और का। इसलिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप ऐसी कमेटी बनायें,

(श्री शिवनाथ सिंह)

वहां उसका कार्डिनेशन बैठे और लोगों को सहूलियत रहे ।

माननीय अध्यक्षजी, मैं इसलिए भी निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी ने या विभाग ने यह किताब हमको दी है जिसमें उन्होने लक्ष्य कितने रखे और उनमें से पूर्ति कितनी हुयी उसकी तरफ उन्होंने संकेत किया है । सिर्फ दो मिनट उसमें मैं लेना चाहूंगा । आपने कूप उर्जीकरण का एक लक्ष्य रखा था । मैं अपने जिले की बात कहता हूं । आपने लक्ष्य रखा 1 हजार 72 का और एचीवमैंट हुए 694, आपने इस बात का आभास देने की चेष्टा की है कि वहां लोग कनैक्शन लेना नहीं चाहते थे इसलिए कनैक्शन नहीं दिये गये । बात बिलकुल इसके विपरीत है । लोग कनैक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आपका कार्डिनेशन वहां नहीं है ।

दूसरा, हरिजन बस्तियों के बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । हमारे जिले में आपका लक्ष्य था 30 कालोनीज का और एचीवमैंट है आपका जीरो । आप कह सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग में आता है या दूसरे विभाग में आता है, यह सब कार्डिनेशन की कमी की वजह से है । यदि वहां उस लेवल पर कोई कार्डिनेशन आपका होता तो....

श्री रामनारायण चौधरी : समाज कल्याण का इसमें लिखा हुआ है ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं वही बता रहा हूं । इसलिए आपके एचीवमैंट जीरो हैं । यह जो आपके एचीवमैंट्स हैं वह लोगों के अन्दर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं । एक समय था जब लोग पुलिस से तंग थे । आज मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्षजी, गांव में मुश्किल से एक-दो आदमी अपने जीवन में सिर्फ एक-दो बार पुलिस से तंग होते हैं लेकिन आपके इस महकमे से, इस बिजली बोर्ड से हर आदमी 24 घंटे तंग रहता है । किसी को विश्वास नहीं है । आपका लाइनमैन उसका दुश्मन, आपका जे. ईएन. और ए.ईएन. उसका दुश्मन । आपने एक व्यवस्था और कर रखी है, वह है वन पोल की स्कीम । अध्यक्षजी, सर्वे हुआ और उस सर्वे के अन्दर आपने तय किया कि 100 मीटर के अन्दर जो कुए आ जायेंगे उसको हम वन पोल में कनैक्शन देंगे । जब कनैक्शन देने का सवाल आया तो, अध्यक्षजी, आपको आश्चर्य होगा कि यह कह कर रिजैक्ट कर दिया कि 100 मीटर और एक फीट ज्यादा बनता है ।

श्री रामनारायण चौधरी : छह इंच ज्यादा ।

श्री शिवनाथ सिंह : छह इंच ज्यादा के ऊपर उन्होंने कनैक्शन को रिजैक्ट कर दिया । बड़ी अजीब बात है । पहले तो उन्होंने ही नापा था और बाद में भी उन्होंने ही नापा लेकिन वह इसलिए हुआ कि जो बात यह तय हुई थी इन लोगों की, अबकी बार थोड़ा सा सुधार हुआ है कि जो प्रायोरिटी लिस्ट थी वह माननीय सदस्यों को भी दे दी । हमने उसको आउट कर दिया कि इन-इन आदमियों को, इन 50 आदमियों को कनैक्शन मिलेंगे । परन्तु 6 इंच और 8 इंच के आधार पर उन लोगों के 50 पर्सेंट कनैक्शन रिजैक्ट कर दिये ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पाइंट पर आप कन्ट्रोल कीजिये। यदि पब्लिक के साथ में आपका तालमेल बैठेगा तो उस हिसाब से बोर्ड का रेवेन्यू भी बढ़ेगा चोरियां भी कम होंगी और बोर्ड के प्रति जो एक वैरभाव बन गया है और लोगों के प्रति बोर्ड का बन गया है उसमें भी सुधार आएगा। इसलिए एक कार्डिनेशन कमेटी आप बनायें और उस हिसाब से आप व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष : मदन मोहन (खैरथल)। (अनुपस्थित)। श्री महावीर भगोरा, सिर्फसुझाव ही देने हैं अपने क्षेत्र की बातें मत कहना।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ क्षेत्र को उपेक्षा हुई है वह तो मैं आपके माध्यम से इस शासन को और पिछले शासन से निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जितनी बिजली की कमी हम यहां दर्शा रहे हैं उतनी वास्तव में है नहीं। यह सारी कमी कृत्रिम रूप से बिजली विभाग और उपभोक्ताओं की वजह से है, चाहे वह कमी मिस मैनेजमेंट से हो, लीकेज से हो, चोरी से हो। एक सर्वेक्षण में यह आंकड़े आये थे .. (व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह दोनों माननीय सदस्य तो यहां आ गये। यहीं बैठेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : इधर आपको भेज रहे हैं क्या ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह आ गये यहां पर आपको छोड़ करके।

श्री चन्दनमल बैद : आपको यहां भेज रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सौदा करने के लिए आप तैयार है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : हमारे सदस्य उधर जाएंगे तो उनको इधर आना ही पड़ेगा।

श्री महावीर भगोरा : करीब 37 पर्सेंट बिजली जो है उसका इस सर्वेक्षण में आंकड़ा आया था। जितना भी यह मिस मैनेजमैंट है उसको सुधारा जाए तो बिजली की समस्या है उससे कोई निजात मिल सकती है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को विकसित नहीं करेंगे तब तक यह समस्या बरकरार रहेगी। राजस्थान इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यहां सौर ऊर्जा से हमारी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के शासन में जनजाति उप योजना क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया। अभी मैं यहां आंकड़े दे रहा था जो मेरे पास जवाब में आये हैं। कोटड़ा एक तहसील का उदाहरण दे रहा हूं। सिर्फ 55 गांव ऐसे हैं जिनमें 1980 से 1983 के बीच में खाली खम्भे खड़े किये गये। खम्भे क्यों खड़े किये गये ? सिर्फ वोट लेने के लिए। यह मैं आक्षेप स्पष्ट लगा रहा हूं।

(260)

(श्री महावीर भगोरा)

चौथी बात, मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में गत वर्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुओं पर कनेक्शन का एक भी टार्गेट नहीं रखा गया। क्या राजस्थान के नक्शे में गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र या तहसील नहीं है? एक तो यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

पांचवीं बात, राष्ट्रपति शासन में जो 1983-84 के आंकड़े मैं यहां पढ़ रहा हूं उसमें उदयपुर जिले के जो आंकड़ें हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी बिराज रहे हैं, उसमें गांवों के विद्युतीकरण का टार्गेट था 43 गांवों का, उसमें से सिर्फ 13 गांवों का ही विद्युतीकरण किया, मतलब 20 पर्सेंट। इसी तरह से कुटीर ज्योति योजना में 2 हजार 395 के टार्गेट थे उसके मुकाबले में 252 लक्ष्य प्राप्त किये। मतलब सिर्फ 10 पर्सेंट टार्गेट पूरे किये। इस तरह से ट्राइब्ल एरिया की उपेक्षा की गयी।

अन्त में एक निवेदन मेरा और है। वर्तमान में जो बजट का फ्लो है, स्टेट प्लान का, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पावर पर जो बजट का फ्लो ट्राइब्ल सब प्लान का स्टेट प्लान में दिया गया है 3.71 पर्सेंट है जबकि 12.44 पर्सेंट होना चाहिए। इसी तरह की ट्राइब्ल एरिया के लिए सभी विभागों की स्थिति है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और पावर मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुओं पर कनैक्शन देने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है।....

श्री राजेन्द्र पारीक : अब लास्ट में जाकर इनका नम्बर आया है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हम अभी अनुभवी नहीं हैं इसलिए सब से बाद में मिला है।

श्री अध्यक्ष : बिजली भी स्त्री लिंग है। जरा सोच समझ कर बोलिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : स्त्रियों पर तो ध्यान नहीं दिया जाता है। सबके बाद बोलने की स्वीकृति दी जाती है।

श्री रामस्वरूप : इसलिए तो सबसे पीछे बैठा रखा है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं यह कह रही थी कि जितनी चिन्ता हम लोगों को हैं उतनी ही चिन्ता मुख्य मंत्रीजी और बिजली मंत्रीजी को भी है। क्योंकि जो योजनाएं/परियोजनाएं बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने दी हैं और आज बिजली मंत्रीजी ने बताया हैं उनसे ऐसा लगता है कि उनको भी बिजली की काफी चिन्ता है। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगी कि इस योजना/परियोजना में यह तो बता दिया कि इतनी बिजली 1995 तक या 1997 तक हम बना सकेंगे लेकिन इसमें कहीं भी दिशा निर्देश नहीं है कि दो हजार तक इतनी खपत बिजली की होगी और उसके लिए यह प्लानिंग है, उसमें हम इतनी बिजली चाहे वह गैस योजना के द्वारा हो, चाहे वह लिग्नाइट योजना के

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

द्वारा हो या थर्मल के द्वारा उत्पादन कर सकेंगे। इसके अलावा जो हम नहीं कर पाएंगे और हमारी इतनी खपत है उसको हम निजीकरण में करके किस तरह से पूरा कर पाएंगे। ताकि आप निर्णय कर सकें कि यह नहीं कर सकेंगे तो जितनी जल्दी हो सके उसको निजीकरण में करने की कोशिश की जाय।

दूसरी बात यह है कि उत्पादन ही निजीकरण में दिया जाए इससे अच्छा यह भी होगा कि वितरण व्यवस्था को भी निजीकरण में किया जाए ताकि अभी जो वितरण में कठिनाइयां आ रही हैं कि निजीकरण से पैसा ज्यादा आएगा बिजली वितरण से। वह सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, यह भी समस्या दूर हो सकती है कि जो लोग जल्दी लेना चाहें, जैसा अभी आपने ट्रांसफार्मर्स के मामले में किया था, इसलिए निजीकरण में वितरण देने से भी आपकी समस्या हल हो सकती है, जिनको जल्दी चाहिए वह ज्यादा पैसे पर भी बिजली ले सकेंगे। जैसे अभी गैस के लिए किया है, प्राइवेट लोगों को भी गैस एजेंसीज दे दी हैं और इंडियन आयल और जो दूसरी कम्पनीज की गैस एजेंसीज हैं तो वह किसी एक रेट पर देती हैं और जिनको जल्दी जरूरत होती है तो वह दूसरी रेट पर देते हैं। इसलिए निजीकरण वितरण व्यवस्था में भी हो सकता है।

तीसरा, मेरा कहना था कि रख-रखाव की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, सबसे ज्यादा शिकायत यह है कि ट्रांसफार्मर्स जलते हैं और लाइनें खराब होती हैं तो उसके लिए भी कोई बोर्ड अलग से बनाया जा सकता है। यही बिजली बोर्ड रख-रखाव भी करे, यही बिजली बोर्ड उत्पादन का काम भी देखें, यही बिजली बोर्ड वितरण का काम भी देखे, इसलिए वितरण के लिए या रख-रखाव के लिए अलग से कोई कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बना सकें तो मैं उससे समझती हूं रख-रखाव में खर्चा, जैसा मैंने आपकी प्रगति पुस्तिका में देखा बढ़ रहा है, टू पाइंट समथिंग अभी बढ़ा है और उसके बावजूद भी शिकायतें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, चोरी की शिकायतें भी बढ़ रही हैं, ट्रांसफार्मर्स नहीं लगा पाते उसकी भी शिकायतें बढ़ रही हैं, तो यह दिक्कत (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) भी शायद उससे दूर हो सकती है। अभी मंत्री महोदय ने गुजरात का तमिलनाडू का बताया कि वहां पर पैसे ज्यादा हैं लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूं कि उन बिजली बोर्डों को आज तक कभी भी घाटा नहीं हुआ है, उस बिजली बोर्ड्स को कोई भी बैंक, या सब लोग इसलिए रुपया देने के लिए तैयार हैं कि वह हमेशा प्रोफिट में चलते हैं और हमारे यहां यह स्थिति है कि इस साल तो आपने तीन पर्सेंट अनुदान देकर पूरा कर दिया, कुछ और कर देंगे लेकिन अब घाटे का किस तरह से निराकरण होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं दर्शाया गया है।

मेरा निवेदन यह है कि इसमें कुछ दिशा-निर्देश होने चाहिए कि आगे आने वाले पांच-छह साल में किस तरह से बिजली की जो बड़ी समस्या है, जो हमारे

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वह आप औद्योगीकरण करें, चाहे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ायें, उसके लिए किस प्रकार से हम प्रयास करेंगे ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर चर्चा चल रही है, उसमें सबसे पहले तो जो कमी है, वह केवल मात्र गांव और किसान के लिए है। यह हो सकता है कि जो कमी है उसको भी हम बांटकर लेंगे और मुनाफा है तो उसको भी बांटकर लेंगे। लेकिन आज तक 45 साल में किसान और गांव के साथ जो भेदभाव हुआ है वह आज भी जारी है। 33 पर्सेंट गांव में 66 पर्सेंट आज भी कटौती है, मैं इस पर ज्यादा नहीं कह कर जो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं, 50 पर्सेंट हम राजस्थान से खरीदते हैं और 50 पर्सेंट राजस्थान के बाहर से खरीदते हैं। उनका गारंटी पीरियड होता है लेकिन गारंटी पीरियड में अगर वह जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो उनको उस कम्पनी को वापस देने के लिए नियमों में कोई क्लोज राजस्थान के बिजली बोर्ड में आज तक नहीं रखा गया है कि वह एक महीने में वापस देगी या दो महीने में वापस देगी ? यह क्लाज होना चाहिए, क्योंकि बिजली बोर्ड उन पर पैसा खर्च करता है, इसलिए नियमों में यह क्लाज रखा जाना चाहिए कि खराब होने या जलने के 10–15 दिन के बाद में रिप्लेस करें। रिप्लेस आज से पहले राजस्थान बिजली बोर्ड में ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर किया जाना था जो अब बिलकुल बन्द कर दिया गया है। आज भी राजस्थान बिजली बोर्ड में टेक्निकल हैंड लोग हैं और वह अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। छोटी सी खराबी के लिए, ट्रांसफार्मर्स के अन्दर से अगर एक फ्यूज भी खुल गया तो उसको भी प्राइवेट फैक्ट्रीज से हम रिपेयर करवाते हैं, उसका कई हजार रुपया बिजली बोर्ड को देना पड़ता है और डिले भी होती है जबकि वह अगर बोर्ड के निजी वर्कशाप में सुधारा जाए तो मैं समझता हूं कि उससे समस्या का भी समाधान होगा। सीकर में तीन रिपेयर करने की फैक्ट्रीज हैं। नो एक्स. ईएन. वहां बैठते हैं लेकिन जयपुर से एक्स. ईएन. वहां जाकर रिपेयर को देखता है तो सबसे खराब पोजिशन ट्रांसफार्मर्स का रिप्लेस करने की है। डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में ऐसे आदेश आज भी बिजली बोर्ड में है कि जहां 11 पोल से एक ट्रांसफार्मर से बिजली आ रही है। अगर उसके पास दूसरा ट्रांसफार्मर लग गया तो एक पोल से उसके नजदीक से बिजली मिल सकती है लेकिन किसान को उस ट्रांसफार्मर से बिजली लेने के लिए 40 प्रतिशत राशि देनी पड़ती है, जबकि बोर्ड के दस पोल और मैटेरियल बचता है लेकिन एक पोल के लिए 40 पर्सेंट राशि उस किसान को चुकानी पड़ेगी और जो दस पोल वापस उखाड़े जायेंगे, उसका भी 15 पर्सेंट खर्चा राजस्थान का बिजली बोर्ड किसान से लेना चाहता है। ऐसी अगर व्यवस्था हो जाय तो उससे बहुत मैटेरियल बच सकता है। आप यह कह रहे हैं कि हम कम्प्यूटर से बिलिंग करा रहे हैं और मैं समझता हूं सबसे बड़ी धोखाधड़ी इस कम्प्यूटर के कारण ही है, क्योंकि

(श्री अमराराम)

जिनके दस-दस हजार रुपये कम्पलीट जमा हैं उन किसानों के बिल भी आ जाते हैं। सब डिवीजन आफिस से लिखकर भेजने के बाद भी वापस करेक्शन नहीं होता और जहां हमारा बोर्ड ठेका दे रहा है ...

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप बिलकुल सही कह रहे हैं, कई जगह जहां पहले कम्प्यूटर नहीं था, जहां शुरू किया है वहां बिलों में मैंने जो जानकारी की उसमें लोगों का यह कहना है कि जब तक एक पूरा सर्कल कम्प्यूटर में नहीं हो जाता है तब तक यह....

श्री अमराराम : नहीं, पूरा सर्कल होने के बाद भी यह इस तरह से नहीं होता।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, एक मिनिट। कम्प्यूटर का एक पूरा सर्कल नहीं होने तक यह सब तकलीफें आती हैं....

श्री अध्यक्ष : आप यह समक्ष रहे हैं कि इनको ज्ञान नहीं है इस बात का। वह बोल रहे हैं, बोल देंगे। जब इन्होंने सब्जैक्ट छेड़ा है। देखिये यह टेंडेंसी बहुत गलत है किसी माननीय सदस्य के बारे में बीच में खड़े होकर बोलना कि मैं ज्यादा जानता हूं। यह बोल रहे हैं, इन्होंने शुरू किया है, तो वह समझते हैं अपनी पूरी बात कहेंगे।

श्री अमराराम : और उसके अन्दर बिल डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका अभी दे रहे हैं मैं समझता हूं हमारा सी. सी. ए. हर गांव में रहता है। वह सब-डिवीजन आफिस तक भी आता है, कौनसी कमी है, इसलिए जितने भी उस गांव के बिल हैं वह उस सी. सी. ए. को दे दिये जाएं और गांव के एक-एक कंज्यूमर तक कम से कम महीने में एक दफा वह जाएगा ही, इसके लिए भी बोर्ड टैंडर कर रहा है। कौनसी ऐसी विशेष परिस्थितियां आ गयीं कि हम बिल डिस्ट्रीब्यूशन

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

के लिए भी कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां मीटर है, मीटर का हम किराया भी लेते हैं और अगर जल गया तो उसकी कास्ट भी लेते हैं। हम किसी गाड़ी में बैठकर जाएं और एक्सीडैंट हो जाए और ले जाने वाले से हम यह कहें कि गाड़ी का रिप्लेसमैंट दे, मैं समझता हूं यह अच्छा नहीं है। जहां सीकर में जो एक्सप्रैस प्रायोरिटी पिछली बार सरकार ने चलायी थी, सबसे ज्यादा राजस्थान में एक नम्बर पर सीकर रहा है। वह इसलिए रहा है कि कोई भी मरने को तैयार नहीं करता लेकिन कोई इस तरह से बीमार हो गया, ऐसी असाध्य बीमारी हो गयी, उनसे परेशान हो रहा है तो आखिर में वह यस कर लेता है कि, अब तो मैं जीने के बजाय मर जाऊं तो अच्छा है। अगर दस-दस साल तक आप पैंडिग रखें और फिर आप यह कहो कि पैसे से आप देते हो तो, दे देंगे। जहां पानी ज्यादा गहरा चला गया और पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो इसके लिये डीप सिस्टम हैं, फव्वारा सिंचाई योजना है वहां लोड एक्सटैंशन किया गया है। पिछली बार इसी मार्च माह में सीकर जिले के तमाम किसानों ने लोड एक्सटेंशन के लिए पैसा जमा करा दिया, सिक्योरिटी ले ली और लोड बढ़ने के कारण ट्रासफार्मर जलते हैं। इससे बोर्ड को भी नुकसान होता है,

(श्री अमराराम)

किसान को भी नुकसान होता है, लेकिन सिक्योरिटी लेने के 12 महीने के बाद आज भी मैं कह सकता हूं कि 90 पर्सेंट जो इनका सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए था, वह आज तक नहीं हुआ। इससे दोनों को नुकसान होता है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मोतीलाल। (अनुपस्थित)। श्री कन्हैयालाल पाटीदार : सबको बुलायेंगे चिन्ता नहीं करें। आपकी जगह तो श्री धारीवाल जी बोल रहे हैं। इनका पहले नाम पुकारा है एब्सेंट थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे क्या मालूम कि आप याद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा तब नहीं थे। मुझे ही पता नहीं, लिस्ट में नाम आता है तब बोलता हूं मैं तो।

श्री चन्दनमल बैद : इनके लिए बहुत आभारी हैं, हम आपके....

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, ऊंट की नाल लम्बी होती है लेकिन काटने के लिये नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : आप तो मुख्य सचेतक हैं, आपका नम्बर तो सबसे अन्त में ही आयेगा। कायदा है यह।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विद्युत उत्पादन कैसे बढ़े उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सदन में कितनी ही बार वक्तव्य दिये गये। इस बारे में आप निरन्तर प्रयत्नशील हैं इसलिए हम सदस्यों को इस बारे में अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। कोटा थर्मल की जो पांचवीं यूनिट चालू करवायी गयी वह इसी दिशा में उठाया गया एक सफल कदम है। मैं माननीय मंत्री महोदय और बोर्ड के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत आपूर्ति होती है उसे यदि व्यवस्थित ढंग से करवायी जाए तो किसानों को अधिक परेशानी नहीं होगी। वर्तमान में अभी आठ-दस गांवों के बीच में एक लाइनमैन दिया हुआ है जिसकी वजह से किसानो को काफी परेशानी होती है। क्षेत्र में फील्ड वर्कर्स बढ़ाये जाएं, जो काम दो दिन में पूरा हो जाना चाहिए वह आठ-दस दिन में भी पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिये वर्कर्स की कमी है उसे बढ़ाया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भवानी मण्डी 132 के.वी. सब-स्टेशन के लिए 10 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर कितने ही दिनों से स्वीकृत है। यह ट्रांसफार्मर यदि वहां लगा दिया जाए तो दो विधान सभा क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति डग और पिड़ावा क्षेत्रों को काफी सहयोग होगा। इसके लिए मैं बोर्ड के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस ट्रांसफार्मर को तुरन्त भिजवाया जाए और जो 33 के.वी. जी.एस.एस. की लाइनें स्वीकृत शुदा हैं उनका भी कार्य यदि बरसात से पूर्व पूर्ण करवा दिया जाए तो आगामी वर्ष में जो किसान की सिंचाई का समय होगा उस समय किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री शैलेन्द्र जोशी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से साढ़े तीन महीने पहले करीब जब बार-बार यह आवाज मेरे को सुनाई दी कि विकास की गंगा बहने वाली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन आज यहां जो बिजली पर चर्चा हो रही है और उसमें जिस तरह के सुझाव....

श्री अध्यक्ष : आप कभी हरिद्वार गये कि नहीं ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गया हूं साहब ।

श्री अध्यक्ष : गये हैं ना, अच्छा गोदावरी वहां और किसी नदी में छोड़ दी जाए, नदी तो बह रही है आप गये ही नहीं नहाने के लिये ..

श्री शैलेन्द्र जोशी : नदी का तो साहब करैक्टर यही है, उसमें तो फलक्स रहता है । मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के किसान जो कि दस साल से इन्तजार कर रहे हैं कि उनको बिजली मिले और आज इस वातावरण में हम जो यह विचार कर रहे हैं कि आने वाले चार-पांच सालों में कोई भी बिजली के उत्पादन में अभिवृद्धि की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है । ऐसी स्थिति में आज हम एक तरह से बचाव पक्ष के वातावरण और एन्वायरमेंट में यह सोच रहे हैं कि किस तरीके से यह जो संकट आ गया इससे उभरा जाए । मेरा सबसे पहले सुझाव यह है कि जो भी ट्रांसमिशन लासेज है राजस्थान का वह अन्य प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा है और इसको गलत स्टेटिकल फिगर्स के हिसाब से 22–23% बताया गया है जबकि यह कहीं बहुत ज्यादा है । यह ट्रांसमिशन लासेज है, डिस्ट्रीब्यूशन लासेज है इसको मीट आउट किया जाये और मीट आउट करने के लिये डिपार्टमैंट इंटेंसिव योजना रखें । मेरा यह भी मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसी तरह का प्रोत्साहन दिया जाए कि अधिकारीगण इस लासेज को जिस तरीके से भी, अपने नये से नये सजेशंस के द्वारा टैक्नीकल एडवाइज के द्वारा डिवाइस के द्वारा मीट आउट करेंगे उनको कोई न कोई लाभ मिलेगा, उनको कोई न कोई प्रशस्ति पत्र मिलेगा । यदि इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो आपको पचास करोड़ तक का लाभ हो सकता है और इस तरह से यदि आप कुछ लाख के प्रशंसा-पत्र या किसी तरह की और बेटरमैंट सर्विसेज स्केल में लगाएंगे तो मैं समझता हूं यह अपने आप में एक नया सुझाव होगा ।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि आज बिजली की जो चोरी हो रही है उसमें दो तरह के नुकसान हैं । एक तो बिजली की चोरी हो रही है और जो आदमी अपना मीटर घुमता है, पैसे देता है उसको कितना बुरा लगता है कि उसके बगल वाला, जिसने एक लंगर डालकर के बिजली ले रखी है उससे गवर्नमैंट की रेवेन्यू का लास तो हो ही रहा है पर कई-कई गांव ऐसे हैं जिनमें हजारों, सैंकड़ों की संख्या में, पूरा गांव का गांव इस प्रकार से बिजली ले रहा है इसके लिये आर. एस. इ. बी. की जो विजीलेंस है ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री श्रवण कुमार ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय मैं सुझाव दे रहा हूं बिजली की किल्लत है विजीलेंस के साथ पुलिस की इमदाद बढ़ायी जाए ...

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थित। श्री राकेश मेघवाल।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और आर. एस. इ. बी. की विजीलेंस को ...

श्री अध्यक्ष : हो गया, बैठिये आप। श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परवतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की समस्या को लेकर जो चर्चा हो रही है उसके सम्बन्ध में हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्रीजी इतने प्रयत्नशील हैं और उनके दिमाग में है कि क्या करना चाहिए, क्या है और क्या करेंगे। इसलिये सदन को मैं यह आश्वासन देता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे मुख्य मंत्रीजी जो भी समस्या है तुरन्त ही दूर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। विराजिये। श्री धारीवाल।... (व्यवधान) ..

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आश्वासन सुबह पहले दे देते तो काहे को चर्चा होती।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये बैठे थे हम तो .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय नेता महोदय, यह आश्वासन सुबह ही दिला देते तो ख्वाहमख्वाह रात के 11 बजे तक यहां नहीं बैठना होता ...

श्री राकेश मेघवाल : उनके दिमाग में है, वह करेंगे।....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब तो बैठ जाओ।

श्री राजेन्द्र पारीक : अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं, एक तो ट्रांसमिशन की और एक जेनरेशन की। ट्रांसमिशन के बारे में विस्तार से चर्चा हो गयी कि कितना लोसेज है, कितना क्या है? मुख्य मंत्रीजी हम जो कोटा के लोग हैं, जितनी पावर का जेनरेशन राजस्थान करता है उसमें ज्यादातर कोटा करता है। एटेमिक एनर्जी वहां पर, हाइडल के तीन-तीन पावर स्टेशंस वहां पर हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आधी आपके यहां है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, साहब। आधी से भी ज्यादा होती है हमारे। एन. टी. पी. सी. वहां पर और उसके साथ-साथ कोटा थर्मल वहां पर, तो ऐसा करेंट तो है हम लोगों में और हम लोगों में जो करेंट है, आपने तभी उसे देखकर के श्री रघुवीर सिहजी को मंत्री बनाया है

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप करेंट पास में पास कर दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो यह उम्मीद करता हूं कि चूंकि आपने बिजली की नगरी का आदमी बिजली मंत्री बनाया है तो कम से कम जेनरेशन तो उनके हाथ में

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नहीं होगी । क्योंकि जेनरेशन में तो हर जगह मुख्य मंत्रीजी की टांग रहेगी ही । कोलमेन कम्पनी के साथ जो व्यवहार किया है वह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई कम्पनी आएगी तो वह अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाकर मानेगी, जब तक जेनरेशन की बात सोचेंगे । लेकिन पावर लासेज जो आपके जिम्मे है, ट्रांसमिशन लासेज का जो मामला है वह कम से कम अगर आप दूर कर देंगे तो आप एक सफल बिजली मंत्री माने जाएंगे । आज ट्रांसमिशन की वजह से ही यह सारा संकट है । आधी बिजली राजस्थान पैदा करता है और आधी बिजली आप बाहर से लेते हैं । चालीस-पचास पर्सेंट के बीच के ट्रांसमिशन लोसेज हैं अगर इसको भी आप मीट आउट कर दें किसी भी तरीके से, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । अपने कोटा सम्भाग में लाइनमैन को तो हम लोग लाइन में खड़ा रख देते हैं लेकिन मरुस्थल के जो लोग हैं ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : श्री धारीवालजी एक बात कह सकता हूं....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : श्री जगदीप धनखड़ बोले तब मुझ पर तो कृपा करें आप, ठाकुर साहब मैं तो....

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा नाम बिना बात क्यों ले रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रिक्वैस्ट आप उनसे करो.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : और आप सब मिलकर इस सदन पर कृपा करो ताकि यह जल्दी समाप्त करें.... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि जो नहरी क्षेत्र है, हम नहरी क्षेत्र के लोग हैं....

श्री राकेश मेघवाल : यह बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ देते हैं । इसलिए यह नियम सबके लिए बराबर लागू किया जाए ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और नहरी क्षेत्र में काश्तकार के लिए बिजली की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन जिन लोगों की खेती कुएं से सिंचाई होती है, उनके लिए बिजली की ज्यादा महत्वता है और वहां पर लाइनमैन उस गांव का सबसे बड़ा आदमी माना जाता है और लाइनमैन कम्पलीट पोलिटिकल आदमी भी होता है । लाइनमैन को बड़े-बड़े करोड़पति और लखपति सलाम करते हुए देखे गये हैं । जे. ईएन. और ए. ईएन. इन पर जब तक आप नकेल नहीं डालेंगे यह सारा ढांचा सुधरने वाला नहीं है ।

आप बुजुर्ग आदमी को एक्सटैंशन दे देकर, दे देकर काम चला रहे हैं, चलाते रहो बहुत अच्छा है । आपके अफसर जितने भी बैठे हुए हैं ...

श्री चन्दनमल बैद : आप बुजुर्गों के विरोध में क्यों हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं-नहीं, वह बड़े सीरियस आदमी हैं, मैं तो उनकी तारीफ करता हूं और जितने आपके आर. एस. इ. बी. के टाप लेवल के अफसर हैं,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जो इलैक्ट्रिक इंजीनियर्स हैं उन सबका वर्किंग भी: मेरा देखा हुआ है, क्योंकि वह सब कोटा में रहे हुए हैं। राजस्थान के जितने भी इलैक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनमें कम से कम आधे से ज्यादा आज भी कोटा में पोस्टेड हैं। जे. ईएन. से लगाकर ठेठ तक, सब अच्छे हैं लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच है अगर आप उस ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच से बच जाओगे और इस ट्रांसमिशन लासेज का मामला अगर आप निपटा देंगे तो आपको इतनी बिजली बाहर से लानी ही नहीं पड़ेगी। 40 पर्सेंट और 50 पर्सेंट का फर्क आता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-तीन मिनट ही बोलूंगा। सुझाव ही दे रहा हूं। जैसा आपने सुबह कहा था कि कोई आलोचना नहीं होगी, कोई आरोप नहीं होगा।...

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि आप सुझाव जल्दी देंगे तो 5 देंगे और एक ही सुझाव को बार-बार देते रहेंगे तो एक ही होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं चेंज कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आगे बढ़िये। ट्रांसमिशन पर बहुत बोल चुके हैं। आपने ध्यान नहीं दिया। जेनरेशन पर आप बोल चुके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जेनरेशन के लिए बोल रहा हूं। जेनरेशन की बात है। यह किताब जो आपने बांटी मुझे पढ़कर बहुत दुःख हुआ। इसमें लिखा है महत्वपूर्ण विचाराधीन परियोजनाएं और यह परियोजनाएं कुल मिलाकर आपने 4 बतायी। धौलपुर, तो धौलपुर के बारे में तो आप यह देखिये कि प्रधान मंत्रीजी द्वारा गठित विशेष दल की सिफारिश को भी पर्यावरण विभाग ने अस्वीकार कर दिया और यह आपने अस्वीकृत कर दी बहुत पहले लेकिन फिर भी चूंकि चुनावी वादे मुख्य मंत्रीजी वहां पर कर चुके थे ...

श्री बनवारीलाल शर्मा : आप इसको भी कोटा ले जाना चाहते हैं क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : कोटा ले जाने में यदि राजस्थान के हित की बात है तो कोई बुराई नहीं है !

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई बुराई नहीं थी और यह गंगापुर भी जा सकता था और यह सवाई माधोपुर में भी लग सकता था लेकिन जिद्द करके मुख्य मंत्रीजी ने व्यक्तिगत तौर पर और अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए इस धौलपुर का सत्यानाश किया। प्रधान मंत्रीजी खुद इंटरेस्टेड थे कि धौलपुर में लग जाए चूंकि मुख्य मंत्रीजी ने चार बार उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से रिक्वैस्ट की लेकिन उसके बावजूद भी यह धौलपुर में नहीं लग पाया। राजस्थान में शासन आपका था और अगर आपकी नीयत साफ थी, इच्छा शक्ति थी तो यह आपको दूसरी जगह लगा देना चाहिए था ताकि बिजली का प्रोडक्शन चालू हो जाता। ठीक इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ को लीजिए आप। चित्तौड़गढ़ में सैंक्चुरी टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लि. को, 1988 में उस समय आपकी सरकार नहीं

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

थी लेकिन कांग्रेस की सरकार ने शुरूआत की और 1988 में लाइसेंस जारी किया। उस लाइसेंस जारी करने के बाद राज्य सरकार ने उस प्रावधान की जांच की और जांच कब की 1992 में याने 4 साल बाद उसकी यह सरकार जांच करती है। यह आपकी ही दी हुई किताब से पढ़ रहा हूं मैं। आज भी हालत यह है कि केन्द्रीय वित्त प्राधिकरण को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। कब भेजा गया 1992 में। केन्द्रीय वित्त प्राधिकरण ने हाल ही में उक्त प्रतिवेदन पर टिप्पणी की है जिसका प्रति उत्तर मैसर्स सैंचुरी टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लि. से मांगा गया है। जिसके लिए आप कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण विचाराधीन योजनाएं हैं। उसकी यह हालत है।

तीसरे, लिग्नाइट के बारे में श्री मोदी जी बहुत बता चुके हैं। मैं उस पर टाइम नहीं लूंगा। चौथा आपने बताया है फालना, फालना के लिए निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की अंतिम रिपोर्ट का पुनरावलोकन करके....

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने एक बैल बजाई मैं तुरन्त बैठ गया और ...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। अभी आप बहुत जूनियर हैं इसलिए ज्यादा मत बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अंतिम रिपोर्ट अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। यह कुल मिलाकर जो 4 योजनाएं बतायी गयीं हैं जिनको कि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जेनरेशन का यह हाल है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जैसा कि श्री विष्णुजी मोदी ने बताया कि ग्लोबल टैंडर्स कितने ही फ्लोट कर दो आप, कुछ नहीं होगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया थे जिस वक्त राजस्थान का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। बैंगिग बाउल लेकर वह कलकत्ता के सेठों के पास गये थे कि आओ आपको फोकट में बिजली देता हूं, फोकट में जमीन देता हूं, फोकट में सब कुछ देता हूं तब आकर उन्होंने यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया था। बिजली मंत्रीजी अगर आप मुख्य मंत्रीजी के कहने में आ गये और इन्हीं पर आप भरोसा करते रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जाओ कटोरा लेकर निजी व्यवसाइयों और व्यापारियों के पास....

श्री अध्यक्ष : और आप पर भरोसा करेंगे तो मंत्री ही नहीं रहेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : .... किसी भी कीमत पर मांगकर लाइये ताकि यहां पावर का जेनरेशन हो।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री बाबूलाल वर्मा। (अनुपस्थित)।

श्री पूराराम चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मन्त्री महोदय का ध्यान भीनमाल विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में बिजली की गम्भीर समस्या है और कई बार बीच में ही बिजली कट

(270)

(श्री पूराराम चौधरी)

जाती है और कभी दो घंटे में आती है, कभी तीन घंटे में आती है। भीनमाल में आज से दो वर्ष पूर्व 220 के.वी. का सब-ग्रिड स्टेशन मंजूर हुआ था लेकिन अभी तक उसका काम चालू नहीं हुआ है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां नदी में बाढ़ आती है और हर बाढ़ में जो विद्युत पोल हैं वह सारे गिर जाते हैं। उसके लिए आपसे बिनती करूंगा कि वहां पर टावर लगाया जाए।

तीसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर बहुत लम्बी लाइनें हैं इसलिए कम से कम दो तीन जगह मंजूर हुई जैसे तिलांरा, जैसावास, पावली और गांग में 33 के.वी. सब-ग्रिड स्टेशन लगाया जाए ताकि बिजली की सब को रेगुलर वोल्टेज मिल सके। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप अन्तिम वक्ता होंगे।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख की बात है

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपकी इज्जत बढ़ा रहा हूं। आपको पता है हर बहस में अन्तिम वक्त आपके नेता होते हैं। अभी तो नेता आप ही हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य को जुगताराम कहने लग गये।

श्री अध्यक्ष : इसलिए दु:ख बिलकुल मत कीजिए आप। आप सुखी होइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब से इनको डिप्टी व्हीप बनाया गया है माननीय सदस्य के आसपास बैठने वाले महानुभावों ने इनको जुगतारामजी कहना शुरू कर दिया। बार बार बीच में खड़े होकर बोलना और बार बार वहां तक जाना इसीलिए राठौड़ साहब और हमारे नेता महोदय ने एक साहसपूर्ण कार्यवाही करके इनको डिप्टी व्हीप बना दिया और डिप्टी व्हीप बनने के बाद इनके लग गया बैज, बैज लगने के बाद इन्होंने बोलना बन्द कर दिया और अपनी परफारमेंस कम कर दी। उसके लिए जुगतारामजी का टाइटल इनको दे दिया।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलें।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख की बात है बिजली भी रात्रि में आती है और हमारा बोलने का अवसर भी रात्रि में आता है। यह मेरे क्षेत्र की हालत है। यह संवेदनशील सरकार जो कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, धर्म के हितैषी हैं, गौ की रक्षा करने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के समय में 5 लट्ठे फ्री मिलते थे और एक कनैक्शन 500 रुपये में लगता था और गरीबों के लिए नि:शुल्क मामला था। प्रायोरिटी भी एस.सी., एस.टी. को सबसे पहले दी जाती थी लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात हैं कि इस संवेदनशील सरकार के टाइम पर किसानों के साथ अन्याय हुआ है। एक लट्ठे की कीमत, माननीय अध्यक्ष महोदय, 7500 रुपये है। 7500 रुपये प्रति लट्ठा है और अगर किसी किसान को

(श्री रामस्वरूप)

5 लट्ठे चाहिए तो कितने पैसे हो गये ? फिर बिजली की लागत के साथ-साथ वह मोटर भी खरीदकर लाता है। सामान भी खरीदता है और वह बिजलीघर भी बनाता है। 40 हजार रुपया किसान को बैठता बिजली लगवाने में। यह हालत किसान की हो गयी है इस समय।

सब ने यहां पर बहुत अच्छी बहस की है लेकिन इस सरकार ने कुछ भी किसानों के हित के बारे में नहीं सोचा है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने अगर असावधानी इसी प्रकार बरती और आपके विभाग में यही हालत रही तो एक दिन वह आ जाएगा जब बिजली विभाग आपका बन्द होने की स्थिति में आ जाएगा और प्राइवेट को आपको देना पड़ेगा, जैसा कि आप विचार कर रहे हैं। सरकार के पास हम जाते हैं कि हमको कनैक्शन चाहिए, किसान जाता है तो सरकार कहती है कि हमारे पास बिजली नहीं है बिजली कहां से दें। मैं अधिकारियों के पास गया, मैंने अधिकारियों से कहा कि मेरे साथ चलिये किसानों ने बिजली को डाइरेक्ट लगा रखा है। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 15 नहीं, मैं बीसियों बता दूं आपको और फिर आप कहते हैं कि बिजली हमारे पास नहीं है। बिजली तो काम में ले रहा है किसान, आप कनैक्शन दो उसको। यह कोई नीति है कि बिजली तो काम में आ रही है, चोरी हो रही है और आप जाकर क्यों नहीं मौके पर कनैक्शन उसको दे देते हैं। कह दो कि लो इतने हजार रुपये निकालो, आपको डायरेक्ट नहीं लेने देंगे, इतना पैसा आप देते हो तो हम आपको कनैक्शन देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, अध्यक्ष महोदय, उनको कनैक्शन देने में ? बिजली तो चोरी हो रही है, बिजली काम में आ रही है, बिजली की कमी है कहां ? इसलिए यह जो बहाना बना रखा है कि बिजली की कमी है हमारे पास, यह बिजली की कमी आपको घाटा दे रही है माननीय मंत्री महोदय। आप इस में सुधार करें। आप उनको कनैक्शन दीजिए जिन्होंने डायरैक्ट लगा रखी है। आप मौके पर जाकर पैनल्टी कीजिए। इसलिए बिजली की चोरी हो रही है बिजली की कमी नहीं है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बिजली की चोरी कैसे रुक सकती है, दो सुझाव हैं मेरे। पहला मेरा सुझाव है कि बिजली के छोटे ट्रांसफार्मर किसानों को दिये जाएं 25 के। 25 के ट्रांसफार्मर आप देंगे तो पांच किसान 5-5 हार्सपावर की मोटर लगाएंगे। छठी मोटर जैसे ही लगेगी त्यों ही ट्रांसफार्मर फुंक जाएगा। किसान मूंड फोड़कर मर जाएंगे आपस में। नहीं करने देंगे चोरी किसान एक दूसरे को कभी किसी हालत में। आपने लगा रखे हैं 100-100, 150-150 के, चोरी होती है उसमें ज्यादा। वे ओवरलोड नहीं हो पाते इस कारण उन पर डाइरेक्ट लगती हैं मोटरें। मैंने मेरे यहां काआपरेटिव में प्रयोग करके दिखलाया, छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर मैंने दिलाये हैं। चोरी बिलकुल बन्द। 25 हार्सपावर का ट्रांस-फार्मर होता है किसान रक्षा करता है, लट्ठ लेकर बैठ जाता हैं किसान उसके ऊपर। कहते हैं, हम पांच से छठा नहीं लगाने देंगे।

(श्री रामस्वरूप)

दूसरा मेरा सुझाव है, ठीक है आपका खर्चा जाने कितना आएगा लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार मैं एक सुझाव दे रहा हूं। आपने ऊपर लाइनें दे रखी हैं इन ऊपर लाइनों की बजाय आप अण्डर ग्राउण्ड लाइन देना शुरू कर दो। खर्चा आपको एक बार आएगा, मगर बिजली की चोरी बिलकुल बन्द नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी इस बात की। डायरेक्ट लाइन जाएगी अण्डर ग्राउण्ड सीधे उसकी कोठी पर और वहां से अण्डर ग्राउण्ड लाइन उसकी मोटर पर जाएगी। सारा खर्चा आपका बचेगा। लट्ठे कई बार गिरते हैं, और कुछ होता है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, दुनिया भर का नुकसान आपके डिपार्टमैंट को हो जाता है इसके कारण। सारा नुकसान बच जाएगा इससे आपका। दीजिए अण्डर ग्राउण्ड बिजली, मत दो खुली बिजली ऊपर से आप किसी को जो चोरी हो।

इसका मेरे पास उदाहरण है, ऊपर जो बिजली जा रही है, आजकल बहुत लापरवाही हो गयी है। लट्ठे कमजोर आ रहे हैं, तार कमजोर आ रहे हैं, लगाने वाले कमजोर हो गये हैं। इस कारण कई बार तो मौत हो जाती है। उदाहरण है मेरे पास, इस प्रकार की सूचना है। मेरे क्षेत्र की बताता हूं, इसमें साफ लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अखबार से ज्यादा तो आपके सुझाव अच्छे हैं, मत पढ़िये। आप अपने सुझाव दीजिए, वे अच्छे हैं।

श्री रामस्वरूप : ग्राम किरवाड़ा में तूफान के कारण बिजली विभाग की लाइन गिरी जिसके कारण दो गायों की मौत हो गयी। दो गौ माताएं मर गयीं उसके कारण। इसी प्रकार विद्युत विभाग का एक कर्मचारी मर गया और दो आदमी–भूरा और रामेश्वर की मौत इसी प्रकार बिजली से चिपकने के कारण हुई, क्योंकि टूटकर खम्भे के तार नीचे आ गये। घटिया किस्म का सामान आ रहा है आजकल। लट्ठे टूट जाते हैं, तार टूट जाते हैं, चिड़ियाएं टूट जाती हैं, उसके कारण नुकसान हो रहा है। जन-हानि हो रही है, मौतें हो रही हैं, गौएं मर रही हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे पास लिखित में है। आप चाहें तो रिकार्ड पेश कर सकता हूं इसका।

चौथा मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान दिवस पर, मैं भी गया था वहां पर, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि परिवार नियोजन को अपनाएं। सबसे ज्यादा बल परिवार नियोजन पर, मुख्य मंत्रीजी, आपने दिया था। मेरा एक सुझाव है और कम से कम मेरे क्षेत्र में तो मैं वह सुझाव दे ही रहा हूं। मेरे यहां तो रात्रि में बिजली आती है इसलिये परिवार नियोजन अपने आप ही हो रहा है लोगों का। मेरे यहां तो किसानों का परिवार नियोजन अपने आप ही हो रहा है। वह तो खेत में रहता है और घरवाली उसकी घर में रहती है, इसलिए उसका तो परिवार नियोजन वैसे ही हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी सब जुगताराम रहते हैं।

श्री रामस्वरूप : बाकियों के लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपका जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है....

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ने नसबन्दी करा ली न ?

श्री राजेन्द्र पारीक : अपनी नहीं करवायी है, घरवाली की करवायी है ।

श्री रामस्वरूप : मेरा एक सुझाव है परिवार नियोजन के बारे में, माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है । आप जब कनेक्शन देते हैं तो उसमें प्रायोरिटी देते हैं सैनिक को, प्रायोरिटी देते हैं अनुसूचित जनजाति को, प्रायोरिटी देते हैं विकलांग को । मेरा निवेदन है आपसे कि आप कनेक्शन देते समय उस किसान को प्रायोरिटी दें जिसने परिवार नियोजन अपनाया है । दीजिए आप उसको पहला नम्बर । उसको दीजिए आप कनेक्शन जिससे आपका परिवार नियोजन भी सफल होगा, राष्ट्रीय कार्यक्रम भी सफल होगा और कनेक्शन भी उसी आदमी को मिलने लगेगा । इसमें भी कम से कम प्रायोरिटी दी जाए, राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है यह । यह मेरा सुझाव है, जैसा कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान दिवस पर कहा था ।

मेरा निवेदन है कि हमारे यहां एक चम्बल योजना है जिसके द्वारा बिजली पैदा की जाएगी । योजना पड़ी हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना को सेंटर को भेज दिया जाए, मंजूर करा दिया जाए तो बिजली पैदा होगी और मेरे क्षेत्र, सवाई-माधोपुर, भरतपुर, सब जगह उससे सिंचाई भी होगी । डबल लाभ मिलेगा उसका, इसलिए उस योजना को जल्दी से जल्दी मंजूर किया जाए ।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर पांच-पांच, छह-छह सौ फीट की बोरिंग रोजाना फेल हो रही है । किसान को आप कनेक्शन दे देते हो, उसकी बोरिंग फेल हो गयी । दूसरी जगह बोरिंग करता है, वहां ले जाता है अपने कनेक्शन के लिए । माननीय मंत्री महोदय, इतनी तो कम से कम उनको छूट मिले कि वहां से वहां ले जाने का खर्चा जो सरकार लेती है- 4-4, 5-5 हजार एक किसान से लेती है, कम से कम वह खर्चा तो उसका बदल दिया जाए । रोजाना बोरिंग फेल हो रही है, दूसरी जगह अपने कनेक्शन को बार-बार बदल रहा है । ये मेरे सुझाव हैं, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार, आप दो मिनट बोलिये ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने हाउस में कहा था कि वन पोल का कनेक्शन प्रत्येक किसान को दे दिया जाएगा जिससे बिजली की छीजत कम होगी । मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में 1970-71 से 10 हार्स पावर की मोटरें दिया करते थे, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से वहां 15 हार्स पावर की मोटरें आवश्यक हो गयी हैं । कनेक्शन 10 हार्स पावर के दिये जाते हैं और मोटरें 15 हार्स पावर की लगती हैं, तो 15 का कनेक्शन दे दिया जाए जिससे बिजली की छीजत कम हो ।

नम्बर दो बात यह है कि झुंझुनूं जिले में फौजियों की संख्या ज्यादा है । पहले प्रायोरिटी दी जाती थी फौजियों को,

274

(श्री श्रवण कुमार)

आजकल बन्द कर दी गयी है। कृपा कर फौजियों के नाम की प्रायोरिटी अवेलेबल होनी चाहिए।

मैं एक बात और कहूंगा कि गांवों में वन पोल के कनेक्शन 1992 तक के करीब-करीब कर दिये गये हैं, 1993 चालू है। अगर दो पोल के कनेक्शन की सुविधा और दे दी जाए तो बिजली की छीजत अपने आप कम हो जाएगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं चौथी बार विधायक बनकर आया हूं। बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं कि जब, ऐसी सद्भावनापूर्ण वातावरण में चर्चा आज हुई है, पहले कभी होती हो। अध्यक्ष महोदय, आप भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने प्रारम्भ में ही ऐसा वातावरण बनाया।

मैंने यह अनुभव किया कि सचमुच सभी माननीय सदस्यों की जनरेशन के प्रति चिन्ता है। सबने विद्युत बोर्ड के प्रति चिन्ता प्रकट की है और बड़े रचनात्मक सुझाव दिये हैं। इन सुझावों पर क्रियान्विति करने का पूरा-पूरा प्रयास होगा, लेकिन बीच-बीच में कुछ ऐसी भी बातें आ गयीं जिनका उत्तर देना आवश्यक है। वैसे तो मेरा वक्तव्य इतना लम्बा था कि मुझे शंका थी कि इसको पूरा सुनेंगे या तालियां बजने लगेंगी, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शान्तिपूर्वक उसको सुना।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैंने सब नोट किये हैं। उन्होंने जनरेशन पर चिन्ता जतायी है, वह चिन्ता सारे सदन की है। प्राइवेट पार्टी को इन्वाइट करने के लिए कहा है। सरकार ने यह नीति बना ली है और कई योजनाओं के लिए अन्तराष्ट्रीय निविदाएं आमन्त्रित की हैं। लेकिन यह बात जो कही है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही कोटा थर्मल की पांचवीं यूनिट का, मैंने जैसा आज कहा था, सिंक्रोनाइजेशन हो गया है। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही है।

श्री चन्दनमल बैद : उसके आगे नहीं। जो हो गया सो हो गया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसके आगे रामगढ़ का गैस आधारित तीन मैगावाट का अप्रैल, 1994 में हो जाएगा। मान्यवर, तीन मैगावाट और एक मैगावाट पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, मैं कहता हूं कि हजार मैगावाट की हो तो भी बनाएंगे और यदि एक मैगावाट बिजली भी कहीं मिल रही है तो उसको भी बनाएंगे। उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और यह किस क्षेत्र में बन रही है ? जहां बिजली उत्पादन आज तक कभी हुआ ही नहीं। उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। कोई मजाक का विषय नहीं है कि एक मैगावाट बना रहे हैं। हम डेढ़ मैगावाट या आधा मैगावाट की भी यदि कहीं बन सकती है तो बनाने का प्रयास करेंगे। रामगढ़ की गैस आधारित 35.5 की, यह भी दिसम्बर, 1994 में शुरू हो जाएगी। यह भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में है। और आपने मेरी पालिटिकल विल पावर के लिये कहा था और आपका आशीर्वाद मुझे है। मैं उसी राजनैतिक

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

इच्छा शक्ति के आधार पर आपसे कह रहा हूं कि सूरतगढ़ थर्मल प्रथम यूनिट 250 मैगावाट का इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू होगा ...

श्री चन्दनमल बैद : अगर इसी पंचवर्षीय योजना में होगा तो मैं सदन में खड़े होकर आपको बधाई दूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं चाहूंगा कि वह शुभ दिन आये जब आप मुझे बधाई दें। कोटा थर्मल की पांचवी इकाई के लिये भी कई लोग शंका व्यक्त करते थे जो विदिन टाइम शुरू हो गयी क्योंकि इसको मुख्य मंत्रीजी स्वयं मानीटरिंग करते हैं, डे टू डे की प्रोग्रेस लेते हैं। उसी आधार पर (व्यवधान) मैं श्री वी. पी. सिंहजी को कहूं क्या ...

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत कह रहा हूं कि कोटा थर्मल की पांचवीं यूनिट का जनरेशन आज कुछ नहीं हो रहा है, तीन महीने का टाइम आपको लगेगा। कोल और इसका नहीं है। फिर यह कैसे शुरू हो गया? तीन महीने बाद कहते न।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जब सिंक्रोनाइजेशन शुरू होता है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको समझाने की जरूरत नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसको तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य समझ गये कि वह शुरू हो गयी है। उसकी पूरी क्षमता, तीन महिने, दो महिने लगते हैं, वह उसके सिद्धांत हैं। यह ऐसा नहीं कि आज की आज ही बिजली पैदा हो जाए। ये सब उत्पादन आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही होंगे। आगे की योजनाओं के लिए कई तरह की बातें यहां कही गयीं। अभी एक धौलपुर के लिए आ गयी। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य तो मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने पूरा-पूरा प्रयत्न किया और हमारे माननीय सदस्य श्री धारीवाल जी यह कह रहे थे कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। बिजली उत्पादन ऐसा नहीं है कि तुरन्त योजना बने और तुरन्त उत्पादन शुरू हो जाए। उसमें ऊर्जा प्राधिकरण कई क्वेरीज **करता है। जैसे** इसमें चित्तौड़गढ़ में कर रहा है। उसमें कई बाधाएं आती हैं, ऐसा नहीं है कि तुरन्त शुरू हो जाए। लेकिन कई योजनाओं पर काम चल रहा है। कई योजनाओं पर हमारे मुख्य मंत्रीजी स्वयं प्रधान मंत्री जी से जाकर बात-चीत करते हैं।

छीजत के बारे भी चिन्ता व्यक्त की गयी और बहुत अच्छे सुझाव आये। छीजत कम होना चाहिए यह प्रत्येक माननीय सदस्य चाहते हैं। छीजत के कई उत्तम सुझाव भी आये हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी चिन्ता व्यक्त की गयी हैं। छीजत कम कैसे हो, बोर्ड अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है, फिर भी जिसे हम संतोषजनक कह सकते हैं वह नहीं कहा जा सकता। इसके लिए माननीय सदस्यों ने जिस सद्भावना से अपने विचार व्यक्त किये हैं, सुझाव दिये है, मैं उसी सद्भावना से उन्हें ग्रहण करते हुये यह छीजत कम होने

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

के लिए, बिजली उत्पादन के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, उसके लिए मैं एक कमेटी की घोषणा करता हूं जिसका चेयरमेन तो स्वीकार कर लेंगे तो, मैं और सदस्य माननीय श्री परसराम मदेरणा, श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी, श्री रामनारायणजी चौधरी, श्री चन्दनमलजी बैद, श्री विष्णु मोदी, श्री बी. पी. सिंह, श्री घनश्याम तिवाड़ी और श्री नरपत सिंहजी, कमेटी के सदस्य होंगे जो जेनरेशन और छीजत कम कैसे हो, इसके बारे में सुझाव देगी और उसी हिसाब से हम उन्हें क्रियान्विति करेंगे। क्योंकि यह मामला प्रदेश के विकास का है, बिजली पर विकास आधारित है, चाहे उद्योग हो, चाहे खेती हो। इसलिए जिस भावना से ये सुझाव दिये गये हैं उसी भावना ने मैंने इनको स्वीकार किया है।

यहां बिजली चोरी की बात भी आयी। बिजली की चोरी होती है, सब जानते हैं। कोशिश कर रहे हैं, यह वनपोल का सिस्टम आप सब लोगों के सुझाव के आधार पर शुरू किया गया था इससे बिजली की चोरी रुकेगी, निश्चित रूप से रुकेगी। इस बार 5 हजार वन पोल वाले कनेक्शन रखे थे। हमारा प्रयास है कि अगली बार इसको बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए। ऐसे ही मीटर की शिकायत की गयी, माननीय श्रीमती कमलाजी चली गयीं। उन्होंने यदि मेरा वक्तव्य पूरा सुना होता तो ..

श्री विष्णु मोदी : यह 25 हजार से अलग हैं ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 25 हजार से अलग नहीं हैं। माननीय सदस्यों से मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो कनेक्शन की कमी बतायी जाती है कि ये कनेक्शन कम हैं। एक लाख करना चाहिए जैसा माननीय श्री रामनारायणजी ने सुझाव दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि योजना आयोग जो हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है उससे ज्यादा कनेक्शन हम कर रहे हैं और जितने सीमित साधन हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। इच्छा यही है कि अधिक से अधिक कनेक्शन दिये जाएं लेकिन योजना आयोग यदि 19 हजार, 18 हजार, 17 हजार, करता है तो हम 25 हजार करते हैं। मैं माननीय श्री रामनारायणजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कनेक्शन में कितना पैसा खर्च हो रहा है, आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं, चाहता हूं किसानों को कनेक्शन मिले, कहां से मिले ?

अभी बोर्ड की बात चल रही थी, माननीय श्री चन्दनमलजी बैद बता रहे थे, शिड्यूल्ड कास्ट कारपोरेशन का पैसा ले रहे थे इसलिए खुद तो बोर्ड डुबेगा और दूसरों को भी डूबो देगा। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट डवलपमेंट कारपोरेशन से जो पैसा ले रहे थे वह काम चलाने के लिए, उनको वापस देने की गारंटी थी और यदि डिले हो जाए तो राज्य सरकार आर. एस. ई. बी. की योजना राशि काटकर सीधा शिड्यूल्ड कास्ट डवलपमेंट कारपोरेशन को देगी। इस आधार पर ही दिया जा रहा था। इस समय यदि बोर्ड आर्थिक संकट में हो और यदि कहीं से सहायता ले ली जाए तो यह मेरे ख्याल से कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती। इसके बारे इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए कि बोर्ड डूबेगा। बोर्ड डूबने की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

आशा न आप कर सकते हैं और न हम कर सकते हैं । जहां तक मैं समझता हूं कि बोर्ड की इफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है, बोर्ड के अधिकारियों की इफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है और उसका उदाहरण प्रत्यक्ष है । यदि मैं प्रशंसा करूंगा तो यह होगी कि यह ऊर्जा मंत्री हैं और अपने विभाग की, अपने बोर्ड की प्रशंसा कर रहा है । किन्तु यह जो थर्मल को पुरस्कार मिला, एक साल नहीं दो साल नहीं, देखिये एक बार जब पुरस्कार मिल जाता है तो अगले साल शट डाउन करना पड़ता है और उसी क्षमता से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किन्तु थर्मल ने रिकार्ड कायम किया ..

श्री चन्दनमल बैद : मैंने तो खुद ने प्रशंसा की है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपने प्रशंसा की है लेकिन जब मैंने गर्व की बात की थी तो आप कुछ ऐसा ही बोल रहे थे कि जैसे कोई गर्व करने लायक बात न हो । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि चाहे बिजली उत्पादन में हो, रिकार्ड कायम किया जा रहा है । जयपुर का भी एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ कि यहां छीजत कम करने में पुरस्कार लेकर आये और मैंने अपने वक्तव्य में भी यह कहा था कि देश में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल चौथा विद्युत मण्डल है जिसे विश्व बैंक द्वारा संचालन व वितरण योजनाओं के लिए योग्य माना गया है । पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने ऋण पात्रता हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की कार्यक्षमता व वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए एक दीर्घकालीन आपरेशनल व फाइनेंसियल एक्शन प्लान बनाया है जिसे विश्व बैंक ने भी स्वीकार किया है । इस एक्शन प्लान में विद्युत मण्डल व राज्य सरकार दोनों ही द्वारा उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों और लक्ष्यों का उल्लेख है । बोर्ड में क्षमता में कमी नहीं है उसके उदाहरण प्रस्तुत हैं कि हम देश के नक्शे पर आ रहे हैं लेकिन जब एक रुपया प्रति यूनिट जहां हम कंज्यूमर को बिजली देते हैं उसकी कास्ट एक रुपया और 57 पैसे आती है और हम जो बिजली की दर वसूल करते हैं उसकी एवरेज एक रुपया 37 पैसे प्रति यूनिट आती है । यह 20 पैसे प्रति यूनिट का जो घाटा है इस घाटे को बोर्ड कैसे पूरा करेगा ? ...

श्री चन्दनमल बैद : राज्य सरकार उसको पूरा करे ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सदस्य आप स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं । क्या आप यह बात सचमुच अपने हृदय से कह रहे हैं कि सारे घाटे को सरकार अपने मद से पूरा कर सकती है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह हृदय से बोला नहीं जाता है, जुबान से बोला जाता है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : फिर तो आप बोलिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं माननीय सदस्यों से अकेले में बात करता हूं तो सब कहते हैं कि इसकी माली हालत को सुधारने के लिए आपको कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, आपको अपनी विल पावर से काम लेना पड़ेगा तब बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक होगी । लेकिन जब

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सदन में आते हैं तब कोई नहीं बोलता। अकेले में मुझे आ-आकर कई माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं कहता हूं कि बड़े संजीदा सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि आपको बोर्ड की माली हालत अच्छी करनी चाहिए और श्री रामनारायणजी चौधरी चूंकि वह किसान हैं, किसान के दर्द को समझते हैं कि जब तक बोर्ड की माली हालत ठीक नहीं होगी।

(22.00)

किसान को कनेक्शन नहीं मिल सकता है, इसलिए हर किसान की यह इच्छा है कि बोर्ड की माली हालत अच्छी हो। इसीलिए जो सुझाव आज माननीय सदस्यों की तरफ से आये हैं, उनमें बिजली उत्पादन बात की भी आयी थी, कई योजनाएं हैं, वैसे मैंने इनकी चर्चा अपने वक्तव्य में की है, अभी मैं उनकी चर्चा फिर से करूंगा तो समय लग जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत उत्तम सुझाव दिये, इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कमेटी बनी है मैं और सब की भावनाओं की कद्र करते हुए अभी फिलहाल डिवीजन प्लेसेज पर एक सतर्कता समिति बनाने की घोषणा करता है जो इसका संचालन करेगी और यदि वह सफल हुई तो आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इस भावना से अभी एक बार डिवीजनल प्लेसेज पर बनाते हैं, यदि वह सफल हो जाएगी तो अगले साल डिस्ट्रिक्ट प्लेसेज पर पंचायत समिति लेवल तक चल जाएगी। पिछली बार तो मुख्य मंत्रीजी ने पंचायत स्तर पर सतर्कता समितियां बनायी थीं केवल बिजली के लिए तो ऐसी डिवीजनल प्लेसेज पर सतर्कता समिति बनाएंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : डिवीजनल लेवल पर कुछ नहीं होने वाला है जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उसको भी देख लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अमूल्य सुझाव दिये और विशेष रूप से आपका कि आपने शुरू-शुरू में जो एक कटु वातावरण पैदा हो गया था उसे मधुर वातावरण बनाया और बिजली बोर्ड को इन सुझावों से लाभ होगा। मैं इसी आशा के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी। .... (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं पूछ लेना। मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे जवाब दे लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप दे देंगे, जो भी आप पूछेंगे जवाब दे देंगे। सुन लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : परिवार नियोजन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलती की मैंने जो जुगतारामजी को नमस्कार नहीं किया और अपना भाषण शुरू कर दिया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार की चर्चा हुई है निश्चित रूप से इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : बाकी जो सुन रहे थे उनका क्या होगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लाभान्वित हो रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि श्रोताओं ने भी आज शान्ति से सुना और बीच में किसी प्रकार का इन्ट्रप्शन नहीं किया उसके लिए उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां मोटे रूप से यह चर्चा की गयी कि सारी बिजली के उत्पादन का काम कांग्रेस के शासन में हुआ और हमने उस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं की। यहां यह भी चर्चा की गयी कि राजस्थान में हाइडल पावर जेनरेट की जाए और जितना हाइडल पावर का जनरेशन होगा बिजली सस्ती मिलेगी और थर्मल पावर, यह बात सही है कि जिस प्रकार से इक्विपमेंट्स के भाव, कोल के भाव, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज बढ़ते जा रहे हैं उस प्रकार से थर्मल पावर बहुत महंगी हो गयी है।

मैं यह मानता हूं, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य और मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि 1955 में रावी-ब्यास और सतलज नदियों का जो समझौता हुआ था उस समझौते के परिणामस्वरूप राजस्थान को सस्ती हाइडल पावर जेनरेट करने का मौका मिला। भाखड़ा हो या पोंग डेम हो हम यहां से बिजली केवल इसलिए ले पाये कि इन तीन नदियों के पानी में हमारा हिस्सा था। भाखड़ा डेम बना और पोंग डेम बना उसके कारण से बिजली का उत्पादन हुआ उस बिजली के उत्पादन में हमारा हिस्सा हुआ और वहां से बिजली के कार्य का श्रीगणेश हुआ।

उसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, 1984 में सरकार ने एक समझौता किया और उस समझौते से जो कुछ 1955 में हमने प्राप्त किया था, उस बिजली के पैदा होने वाले जितने भी कारखाने थे, जहां राजस्थान का हिस्सा है, निर्धारित हिस्सा था, 1984 में इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक समझौता किया और उस हिस्से को जस्टिशिएबल बना दिया और ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किये कि जिस कारण से आज वहां 5 पावर हाउसेज में काम चल रहा है, उन पांचों में कुछ में जल्दी बिजली पैदा होने वाली है, दो में कमीशन हो चुकी, उस बिजली में उस समझौते के कारण से हमको हिस्सा नहीं मिलेगा। अब पानी का, जहां तक हाइडल पावर का प्रश्न आता है वह तो भाखड़ा और पोंग डेम से जो मिल गयी वह मिल गयी बाकी की चाहे थीन डेम हो, चाहे शाहपुरकाण्डी हो, चाहे बारीदोआब हो, चाहे आनन्दपुर साहब हो, इन सारों में हम महरूम रह गये। मैं समझता हूं कि यदि राजस्थान के साथ 1984 के समझौते जैसा अपराध नहीं किया होता तो राजस्थान में आज बिजली की किसी प्रकार की कमी नहीं होती। यह उस समझौते ने राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को डूबोया है और उस समझौते के कारण हाइडल पावर जनरेशन में हमारा हिस्सा नहीं रहा। आज वो समझौता करने वाले यह कहते हैं कि राजस्थान में हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार ने किया क्या है, 1955 का समझौता हुआ उस समझौते में भाखरा डेम बनना था, वहां पर पावर जनरेट होनी थी, राजस्थान का वह पानी था इसलिए आपको बिजली मिल गयी, आपकी इसमें क्या क्रेडिट है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार जो कुछ कर रही है उसके कारण से आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बिजली पैदा कर दी। कोटा में एटोमिक यूनिट है, यह भारत सरकार ने यूनिट बनाया है, उसने बिजली पैदा की, और दूसरे स्थान पर कर नहीं सकते थे, एटोमिक पावर का जनरेशन करना था और कोटा में उन्होंने जनरेशन कर दिया उसमें राजस्थान की सरकार का क्या कान्ट्रीब्यूशन है ?... (व्यवधान) ठहरिऐ।

श्री चन्दनमल बैद : फील्ड खाली मिल गया, श्री परसरामजी मदेरणा नहीं हैं यहां पर और मेरा यह सब्जेक्ट नहीं है इसलिए आप मनमानी करते जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, फील्ड खाली मिल गया इस आधार पर मैं नहीं कह रहा था। इस फील्ड में अन्तिम खिलाड़ी ...

श्री रामनारायण चौधरी : हमने भारत सरकार का ही नाम लिया है, भारत सरकार से आप सम्बन्ध ठीक रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दोनों का ही जवाब देऊंगा। वहां आर. ए. पी पी. में आप कहते हैं कि हमने बिजली पैदा कर दी, भाई आपका लेना-देना ही नहीं है। वहां पैदा होनी थी एक एटेमिक यूनिट लगना था, भारत सरकार ने यूनिट लगाया, आपने क्या किया ?

अध्यक्ष महोदय, 1977 में जब राजस्थान का मैं मुख्य मंत्री बनकर आया श्री ललित किशोर चतुर्वेदी उस समय ऊर्जा मंत्री थे, कोटा थर्मल कोटा थर्मल, कोटा थर्मल की रट लगा रहे हैं, जैसे माननीय सदस्य धौलपुर के बारे में बात कर रहे थे, उसका तो जिक्र मैं बाद में करूंगा लेकिन जब मैं मुख्य मंत्री बना था उस समय कोटा थर्मल का मामला तय नहीं हुआ था।.... (व्यवधान) आप सुनिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा का 1975 में हो चुका था। श्री के. सी. पन्त पावर मिनिस्टर थे ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बीच में मत बोलिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और उन्होंने यह मंजूर किया था। और हम लोगों ने उनका कोटा में नागरिक अभिनन्दन किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा है ? बीच-बीच में जोर-जोर से बोलने से मैं मान लेऊंगा ?....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बात तो सही कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस समय मैं मुख्य मन्त्री बना था उस समय सवाल यह चल रहा था कि जहां आज कोटा थर्मल बना है यहां से 14 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाए और यह विवाद कई वर्षों से चल रहा था, उस विवाद का हमने निपटाया और निपटाने के बाद में कोटा थर्मल आज जहां लगा है वहां क.टा थर्मल का काम शुरू करवाया 1978 में, 1978 में शुरू करवाया उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, यह सरकार हमारी थी। आज उसके बाद में 5 यूनिट्स हुए हैं। आप यह कह सकते हैं कि 4 यूनिट्स, 1978 में तो जेस्टेशन पीरियड होता है और पहला पावर जेनरेशन शायद 1983 में हुआ 1983 से लेकर 1994 तक यह पांचवां यूनिट आया जो सिंक्रोनाइज हो गया 2-3 महीने में उससे बिजली का उत्पादन हो जाएगा। इसलिए इस क्रेडिट को आप लें तो क्रेडिट आपको अकेले को नहीं मिलेगा। 1978 में जिसने सबसे पहले इसके काम की शुरूआत की वह सरकार किसी की नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने वहां पर काम शुरू करवाया (व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : जनता पार्टी की सरकार थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जनता पार्टी की सरकार थी, मान गया मैं।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्रीजी सारा क्रेडिट आपको दे देंगे मेहरबानी करके राजस्थान में बिजली का उत्पादन बढ़ाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : सारा क्रेडिट आपको दे देंगे जो किया उसका भी और जो नहीं किया उसका भी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपका धन्यवाद लेने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपना चेहरा शीशे में दिखाना चाहता हूं। धन्यवाद आप देंगे बड़ी कृपा होगी लेकिन वास्तविकता तो कम से कम राजस्थान की जनता के पास पहुंचे कि बिजली के मामले में किसने कहां गड़बड़ी की है। 1978 के मामले में जब तय हुआ ..

श्री जगदीप धनखड़ : बिजली भी पहुंचा दीजिये मान्यवर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप धनखड़ साहब, ठहरिये ना। आप तो ऐसे जैसे कोई खड़ का वो लगा हुआ हो। मैं इधर से बोला और आप उधर से खड़े हो गये, उस तरह की स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए....

श्री जगदीप धनखड़ : आप करीब 20 मिनट से बोल रहे हैं, मैं तो एक बार बोला हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, आप तो मत बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं मिनट-मिनट में उठ रहा हूं। ऐसा लगता है मुख्य मंत्रीजी कुछ

(श्री जगदीप धनखड़)

काम्प्लेक्स हो गया है। ना-ना काम्प्लेक्स मत रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक-एक मिनट में खड़े हो रहे हैं। मुझे आपसे कोई काम्प्लेक्स होने वाला नहीं है। नहीं, मैं आपसे काम्प्लेक्स में आने वाला नहीं हूं, न आपके चक्र-व्यूह में आने वाला हूं। मैं आपकी केपैसिटी को अच्छी तरह से जान गया इसलिए मुझे किसी प्रकार का आपसे कोई खतरा नहीं है।

मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, 1978 से काम शुरू हुआ। पहला यूनिट शायद 1983 में आया, फिर लगातार डेढ़-डेढ़ वर्ष के फासले में यूनिट आते रहे लेकिन नींव तो हमने डाली थी। आप उस नींव का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद 1994 में यह काम हुआ और इस समय यह एक यूनिट आयी है, उस यूनिट के बारे में भी आप कुछ कहना नहीं चाहते। आप तो यह कहते हैं जेनरेशन अभी शुरू हुआ नहीं है। किसने कहा, जेनरेशन शुरू हुआ है, अभी सिंक्रोनाइज हुआ है। 2-3 महीने का उसमें समय लगेगा और समय लगने के बाद में बिजली राजस्थान में आएगी, राजस्थान के बाहर नहीं जाएगी। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पोंग डेम और भाखरा से जो बिजली पैदा हुई। एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता था, समझौते के कारण से राजस्थान का हिस्सा मिला और उस हिस्से में जितनी हम बिजली पैदा कर सकते थे, उस समय बिजली पैदा हुई लेकिन यह सरकार है कि बाकी जो बिजली हम हाइडल पावर जेनरेट कर सकते थे, 1984 के एग्रीमेंट के कारण से हम नहीं कर पाये। इन्होंने अब कितनी बिजली का जेनरेशन किया है, इन्होंने माही में किया है, माही पर इन्होंने जो बिजली का जेनरेशन किया पूरा, माही में 25 मेगावाट, एक, 25 मेगावाट दो, और 45-45 मेगावाट के दो यूनिट और ये चार यूनिट पैदा किये हैं। यदि आप पूरा क्रेडिट ले सकते हैं कि कांग्रेस के इतने वर्षों के राज में राजस्थान की सरकार ने कितनी बिजली का उत्पादन किया तो 50 और 90, कुल 140 मेगावाट बिजली आपने पैदा की है। मैं आपको इतना बता देऊं, यदि उसी का मुकाबला करना हो तो कोटा में अभी जो बिजली का जेनरेशन हुआ है, कम से कम उसको तो हमारे खाते में लिख दो ताकि आंकड़ा बराबर हो जाए। आप तो उसको लिखने के लिए भी तैयार नहीं।

अभी कह रहे थे गैस का मामला, 3 मेगावाट, 3 मेगावाट की मजाक उड़ा रहे थे, यह 35 मेगावाट पर जाएगा और मैं आज कहता हूं, गैस की अवेलेबिलिटी वहां है, गैस का एलोकेशन होने के साथ ही यह मामला केवल 35 मेगावाट तक नहीं रूकेगा, यह 120 मेगावाट पर जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राजस्थान का नक्शा बना है, जैसे इन्होंने कहा कि 1978 में हमने कोटा का पावर हाउस लगाया और आज 1994 तक उसमें से हम पावर जेनरेट कर रहे हैं।

अब धौलपुर का प्रश्न आया। माननीय सदस्य कहने लगे, धौलपुर से बाहर लगा देते और मैं धौलपुर से विधायक था इसलिए धौलपुर की जिद्द कर ली। आपने लोकेशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं देखी। यह धौलपुर का इन्ट्रेस्ट नहीं था। धौलपुर के पास चम्बल नदी है और धौलपुर से ब्रोडगेज लाइन जाती है। ब्रोड-गेज लाइन से हम कोल इम्पोर्ट करते थे। जितना भी कोयले पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो, उसके लिए धौलपुर के सिवाय और कोई दूसरा उपयुक्त स्थान नहीं है। नजदीक से हम उस यूनिट के लिए पानी ले जाएं और जो स्थान हमने देखा है उस स्थान के अलावा दूसरा स्थान नहीं है। आप उसको 20 किलोमीटर दूर ले जायें तो फिर वहां धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के किसी भी हिस्से के अन्दर पहुंचकर आप थर्मल पावर लगा सकते हैं, प्रोजैक्ट वहां खड़ा कर सकते हैं लेकिन इसका अन्दाज लगाना पड़ेगा कि पानी लाने पर कितना खर्चा होगा और कोयला ढोने पर कितना खर्चा होगा, उस आधार पर मैं आज भी कहता हूं कि धौलपुर सबसे बेस्ट स्यूटेबल प्लेस है। उसमें आप एक या दो किलोमीटर इधर-उधर कर सकते हैं बाकी यदि आप दूर ले जाने का प्रयत्न करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा ...

श्री रामनारायण चौधरी : लगाओ ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना-ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर में जिद कर ली। जिद भी इसलिए कर ली कि कोस्ट आफ जेनरेशन कम हो, उसकी कैपिटल कोस्ट कम आये और उस आधार पर यदि हमने धौलपुर के लिए प्रयास किया तो उसमें आपत्ति का क्या सवाल है और मैं आज कहता हूं कि कुछ समय लगेगा लेकिन जैसे कोटा का मामला कई वर्षों के बाद में 1978 में तय हुआ, धौलपुर का मामला भी धौलपुर में ही प्रोजैक्ट लगे, यह बात भी तय होकर रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें सब प्रकार का सहयोग करें इसलिए यहां पर यह चर्चा करना कि हमने पावर जेनरेशन में किसी प्रकार का कोई इन्ट्रेस्ट नहीं लिया, मैं समझता हूं यदि आप खुद ईमानदारी से विचार करेंगे तो जो कुछ राज्य सरकार ने एफर्ट्स किये हैं वो कम नहीं हैं।

अब प्रश्न आता है, यहां पर बिजली के कनेक्शन की बात कही। यहां पर यह कहा गया कि बरसिंगसर, पलाना और बाकी के जितने भी लिग्नाइट प्रोजैक्ट्स हैं। मैं आपसे एक जानकारी करना चाहता हूं, मुझे याद है पलाना में बीकानेर स्टेट का पावर हाउस था। माननीय श्री चन्दन मलजी अच्छी तरह जानते होंगे कि बीकानेर स्टेट में 1947 से पहले बिजली की सप्लाई होती थी। इसी पलाना का कोयला बीकानेर जाता था और वहां बीकानेर में पावर जेनरेट होती थी, वो ही पावर जाती थी। 1952 या 1953 में यह बन्द हुआ, 1953 से बन्द हुआ उस समय से लगातार मैं राजस्थान विधान सभा का सदस्य रहा, उसके लिए एस्टीमेट कमेटी बनी, उसके लिए विधान सभा में लगातार चर्चा होती रही कि पलाना में लिग्नाइट के आधार पर बिजली का उत्पादन करना चाहिए। कई एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट हुई, कई एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट बनी। लेकिन 1953 से लेकर 1990 तक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस मामले पर कभी भी सीरियसली विचार नहीं हुआ।

1990 में पहली बार इस बात की कोशिश की कि लिग्नाइट के आधार पर हमें कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए और व्यवस्था करने के लिए हम दूसरे आदमी के पास नहीं गये। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन. एल. सी.) से हमने बात-चीत की। उसके पहले आप लोगों की बात-चीत हुई थी, उस बात-चीत को मैंने पक्का किया और पक्का करने के बाद में उनसे मेमोरेण्डम आफ अण्डर-स्टेंडिग (एम. ओ. यू.) लिख लिया गया और लिखने के बाद अगर एन. एल. सी. के ऊपर कोई दबाव पड़े कि तुम्हारा जितना भी लिक्विड फण्ड है वह आप राजस्थान में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कहा तो यह गया कि उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है लेकिन किसी कारण से वह इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया और यह इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया तो नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन उससे हट गया। अब हटने के बाद में हमारे सामने एक समस्या थी कि अब दूसरी कौनसी कम्पनी को, कौनसे पार्टनर्स को इसमें लाया जाए। मैं यह नहीं कह सकता कि राजस्थान सरकार के पास कोई धन की कमी नहीं थी और राजस्थान सरकार अपने आधार पर उस योजना को चालू कर सकती थी, वो योजना चालू नहीं हो सकी इसलिए आपने कहा, हमने आस्ट्रेलियन कंम्पनी से बातचीत की और आस्ट्रेलियन कम्पनी से हमारी बात, मैं समझता हूं कि 15 दिसम्बर को हमारी सरकार गयी और उसके 5–10 दिन पहले, एग्जैक्ट डेट मैं अभी नहीं बता सकता। मेरी कोलमैन कम्पनी के लोगों से बातचीत हुई। हमारी बातचीत में करीब-करीब सब बातें लगभग तय थी और यह भी तय था कि 17 या 18 दिसम्बर को उनकी टीम दुबारा आने वाली थी, वो टीम आती तो हमारे और उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद था, हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते। प्रश्न यह था मोटे रूप से कि उन्होंने जो सारी प्रोजैक्ट रिपोर्ट दी उसमें कैपिटल कोस्ट बहुत ज्यादा थी। अगर उस कैपिटल कोस्ट के आधार पर प्रोजैक्ट रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते तो पर यूनिट कोस्ट बहुत आती और पर यूनिट कोस्ट बहुत आती तो मैं किसको तीन रुपये या साढ़े तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेचता, यह मेरे सामने समस्या थी। मेरी इच्छा थी कि मैं इनसे बातचीत करू और कैपिटल कोस्ट कम कराऊं ताकि जेनरेशन कोस्ट प्रति यूनिट कम आये और राजस्थान के किसानों को और गरीबों को मैं सस्ती बिजली दिलवा सकूं।

हम उस आधार के ऊपर चले, जाने के बाद मैं, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, इन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं मेरे काल में तो ऐसा नहीं हुआ, आप भी जानते हैं किस काल में हुआ होगा। मैंने न तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया और न जब मैं था, न उस समय तक सरकारी अधिकारियों ने उनसे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया। पिछले एक वर्ष में क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं लेकिन जानकारी आयी, उस समय तक वे लोग वहां से हट गये। हटने के बाद फिर क्वश्चन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आया कि हमें इस प्रोजैक्ट को चलाने के लिए कोई न कोई ढूंढना चाहिये, ढूंढा हमने। हिन्दुस्तान के कई उद्योगपतियों को मैंने स्वयं ने पत्र लिखे कि आप यदि नियोजन कर सकें, आप नहीं कर सकें तो कुछ एन. आर. आईज. को ला सकें या विदेशी कम्पनियों को ला सकें। हमारे राजस्थान के एक नौखा के सज्जन जो परिचित थे उन्होंने पौलैंड में एक कम्पनी से बातचीत की, पौलैंड के लोग यहां आये और यहां आने के बाद में उनको सारी स्थिति हमारे प्रोजैक्ट की दिखायी। उन्होंने अपना प्रोजैक्ट देखा और प्रोजैक्ट रिपोर्ट देखकर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कीं। अभी हमारी उनसे बातचीत टूटी नहीं है, बातचीत चल रही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम एक-एक कम्पनी को बुलाकर कब तक बात करते रहें, उसके लिए यदि ओपन टैंडर्स इन्वाइट करें और उन टैंडर्स के आधार पर कुछ लोग आ जाएं। मैं यह नहीं कह सकता कि केवल टैंडर देखकर, टैंडर हमने इन्वाइट किया है वहां कुछ लोग आ जाएंगे लेकिन इतना कह सकता हूं कि पर्सनल परस्युएशन के आधार पर कई पार्टियां इसमें आने वाली हैं, आने के बाद में हमें भी यह मालूम हो जाएगा कि किस सीमा तक प्राइवेट पार्टीज को देने में पावर की जेनरेशन कोस्ट कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, इस सारे आधार को देखेंगे और इस आधार को देखने के लिए हमने तो प्रयास किया है। अगर आज पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य यह कहें, बाकी के सदन के माननीय सदस्य यह कहें कि प्राइवेट सैक्टर में हमको जाना पड़ेगा तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि प्राइवेट सैक्टर में चाहे बरसिंगसर का लें, चाहे गुढ़ा का लें, चाहे बीजोनोद का लें, चाहे आगे के और क्षेत्रों में काम करना चाहें राजस्थान सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। राजस्थान सरकार की तरफ से सिर्फ एक सावधानी बरतनी है कि कोस्ट ऑफ जेनरेशन इतना न हो जाए जिसको राजस्थान का किसान या राजस्थान का उद्योगपति खरीद ही नहीं सके। उस एक लाइन के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि आपको जितनी भी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर जिसको भी आप ला सकते हैं लायें और इसीलिए मैं हमारे विद्युत मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने एक कमेटी बनायी है ताकि कोई यह आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर सकें कि हम मिलजुलकर काम नहीं कर रहे हैं हम इसके विरोध में हैं। जितना भी प्राइवेटाइजेशन का काम है या नया पावर जेनरेटिंग का काम है उस आधार पर निगरानी भी रखी जाएगी, सुझाव भी दिये जाएंगे और मानिटरिंग भी होगा। इस आधार पर इन्होंने यह सुझाव दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं आज के युग में इस प्रकार की आवश्यकता थी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर वह भी कहा गया कि राजस्थान में बिजली के कनैक्शन कम दिये गये। 25 हजार कनैक्शन दिये गये जो कम हैं। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता लेकिन 25 हजार नहीं, 20 हजार से ऊपर जाने का पहला कार्यक्रम हमारी ही सरकार ने लिया है। मैं इस सदन की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि 1977–78 में 29,968 कुओं का विद्युतीकरण किया गया, 1978-79 में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

27103 कुओं का विद्युतीकरण किया गया, 1979–80 में 28,864 कुओं का विद्युतीकरण किया गया, 1980–81 में 24 फिर धीरे-धीरे घटते-घटते 1982–83 में आ गये 11487, 1983–84 में आ गये 12992, 1984–85 में आ गये 18227, मैं नहीं था, 1985–86 में फिर नीचे उतर गये 10,944, फिर 1986-87 में आ गये 10,819 और फिर 1987–88 में 12,289। फिर बढ़े कब ? 1988-89 में चुनाव के मौके पर राजनीति आप करना चाहते थे। चुनाव के मौके पर 29,668 कुओं के विद्युतीकरण की घोषणा कर दी। इससे आप अंदाज लगा लें कि ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे गांवों का हिसाब देख लें, चाहे कुओं के विद्युतीकरण का हिसाब देख लें हम आपकी सरकार से पीछे नहीं रहे। हमने चाहे घाटा खाया हो लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में....

श्री चन्दनमल बैद : गांवों की लिस्ट बता दीजिए 1988–89 की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी बता देता हूं। 1978–79 का सबसे बड़ा टार्गेट हमारा था 2312 का और आपका नीचे से नीचे था। आप देखिए 1979–80 में 1520, 1980–81 में 1279 और 1981–82 में 1523, 1982–83 में 1120, 1983–84 में 1284, 1984–85 में 1242, 1985–86 में 1040। यह जो हमने टार्गेट तय कर दिया उसको आपकी सरकार कभी भी क्रोस नहीं कर पायी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : 1988-89 का बोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1988–89 में 1940 इसमें भी कम रहे। चुनाव का मौका था बढ़ाने की बहुत कोशिश की। पहले के वर्ष में 1116 थे लेकिन चुनाव का वक्त आया तो 1940 कर दिये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिजली का जहां किसानों को देने का प्रश्न हो, गांवों के विद्युतीकरण का प्रश्न हो हम किसी से पीछे नहीं रहे।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इम्प्रेशन बनाने की कोशिश न की जाए कि हम बिजली का उत्पादन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आज मैं जानता हूं कि राजस्थान का मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर अगर कोई हो सकता है तो बिजली का उत्पादन है। अब बिजली के उत्पादन के लिए यदि हमने एन. टी. पी. सी. से पैसे लिए और बिजली ली, 250 मेगावाट बिजली हमको मिलेगी। अब 250 मेगावाट बिजली मिलेगी इसकी तो प्रशंसा लोग करते नहीं और कोई तो कह रहे थे कि आप ओवर-ड्रा कर रहे थे उस ओवर-ड्रा को रेगुलराइज किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता देऊं कि 250 मेगावाट पावर की जब वर्ल्ड बैंक से बातचीत हुई और एन. टी. पी. सी. से बातचीत हुई उस वक्त यह कहा था कि 250 मेगावाट का अगर आपने ओवर-ड्रा किया तो ग्लोबल रेट से आपसे पैसा वसूल किया जायेगा। इसलिए आप अंदाज लगा ले कि इसके उपरांत भी आप ओवर-ड्रा करते हैं तो ग्लोबल रेट हमको देनी पड़ेगी। इसलिए आज 250 मेगावाट किया उसको आप यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहकर खत्म करो कि यह आप पहले से ही लेते थे। यह पहले से लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लिग्नाइट के आपने बहुत अच्छे सुझाव दिये। हमारे सामने क्वश्चन है लिग्नाइट का, हमारे सामने क्वश्चन है गैस का और हमारे सामने क्वश्चन है बिजली की चोरी को रोकने का और ट्रांसमिशन लोसेज कम करने का। यह आधार है वह बिलकुल सही है। राजस्थान में लिग्नाइट का काम चाहे मेरे काल में शुरू हो, चाहे देरी से शुरू हो, जिस दिन लिग्नाइट के आधार पर बिजली उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा उस दिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि राजस्थान आज के दिन कितना ही पीछे हो, किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहेगा। इसलिए आपको दिखता है, श्री चन्दनमलजी को चिमनी दिखती है या मोमबत्ती दिखती है मैं समझता हूं चिमनी और मोमबत्ती में बैठने की आपको नौबत नहीं आएगी। चिमनी और मोमबत्ती की जगह बिजली ही लगती रहेगी। आप इस राजस्थान के बारे में इतना तो बुरा मत सोचो कि चिमनी और मोमबत्तियां यहां लगेंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके भाषण सुनें। उन भाषणों में भी एक खास बात देखी है कि जो किसान हैं उनकी लैंग्वेज दूसरी है, जो किसान नहीं हैं उनकी लैंग्वेज दूसरी है। अब यह क्यों है उसके कारण में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन बात-चीत का ढंग और बात करने का ढंग, एक सिवाय विष्णु मोदी के, उन्होंने निश्चित रूप से ऐसे सुझाव दिये हैं जिन सुझावों पर सरकार को और इस सदन को विचार करना चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह : इनकी बात मानकर दर मत बढ़ा देना।

श्री राजेन्द्र पारीक : श्री घनखड़ साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो आपका है वही मेरा ख्याल है। आप जो प्राइवेट में बात करते हैं उससे मैं एग्री करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि सूरतगढ़ ताप विद्युतगृह 1996 में होगा ही नहीं। जैसे उसकी जन्मपत्री श्री चन्दनमलजी ने देखी है....

श्री चन्दनमल बैद : देखी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखी है, मैं समझता हूं आप ऐसी जन्मपत्री किसी दूसरे की मत देख लेना वरना डूब जाएगा।

श्री चन्दनमल बैद : विश्वास रखिये आपको डूबने नहीं दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो नहीं डूबूंगा। आप जन्मपत्री देखें या न देखें जब तक मेरे भाग्य में लिखा है वह काम होगा। इसलिए जन्मपत्री हो या न हो मैं अपने कार्य की क्षमता पर, कार्य पर निर्भर रहता हूं फल देने वाला भगवान है। काम करने में कोई कसर छोड़ता नहीं चाहे किसी प्रकार की स्थिति हो। ऐसी स्थिति में कोई कहे मैं ऐसा समझता हूं **I am subject to correct on.** 130 करोड़ रुपये हम सूरतगढ़ के ऊपर खर्च और कर रहे हैं। जितने भी

(288)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मेजर इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए हमने आर्डर्स प्लेस कर दिये हैं, 1994–95 में हमने 170 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और जिस गति से कोटा थर्मल की पांचवीं यूनिट का काम हुआ है उसी गति से वहां काम होगा। वहां पर रेलवे साइडिंग का काम तैयार हो रहा है। वहां पर इक्विपमेंट्स लगाये जाएंगे, वॉयलर वगैरह लगाये जाएंगे उसका सारा फाउण्डेशन तैयार हो रहा है। इस आधार पर आप कह सकते हैं, मैं तो समझता हूं कि सदन को यह कहना चाहिए था कि 1996 के पहले जितनी और कोशिश की जाए और कोशिश की जाए और यह बिजली का उत्पादन वहां जल्दी से जल्दी शुरू हो इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। लेकिन वह जिक्र नहीं किया। मैं फिर सदन का विश्वास दिलाता हूं कि कोई अपरिहार्य कारण हो जाए तो मैं कह नहीं सकता लेकिन आज की जो व्यवस्था है, आज के हमने जो प्रावधान रखे हैं और जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति से 1996 में निश्चित रूप से बिजली का उत्पादन हो जाएगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो आप ही कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं कह रहा हूं न। वही कह रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक प्रश्न आया कि विद्युत बोर्ड की व्यवस्था खराब है। यहां पर यह भी प्रश्न आया कि लाइन लोसेज बहुत ज्यादा है। मैं लाइन लोसेज के बारे में अभी जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन यहां कई माननीय सदस्य यह कह गये कि लाइन लोसेज का फैसला इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है। कितने पर्सेंट लाइन लोसेज हुआ है उसके आंकड़े इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाता है। मैं उन सदस्यों की जानकारी के लिए कहूं कि ये आंकड़ें इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं बनाता। यह आंकड़ें दिल्ली की एजेंसी, जो इस काम के अन्दर एक्सपर्ट है, जो सारे हिसाव-किताव को देखती रहती है उसके कारण से बनते हैं और वही आंकड़ें दिये जाते हैं। यहां पर यह कहा गया कि बिजली बोर्ड इतने आंकड़ें, वह इन्फ्लैट करता है फिगर्स को, उसके कारण से यह सारी स्थिति बनती है, इस प्रकार की नहीं है।

अब, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आया कि राजस्थान में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसका एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट में भावना यह है कि इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड आटोनोमस रहे है, यह सही है कि हम पालिसी मैटर्स के ऊपर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को डाइरेक्शन दे सकते हैं। पालिसी मैटर पर। फाइनेंशियल मैटर्स पर भी हम थोड़ा दखल कर सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि शुरू से इस इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की आटोनोमी बनायी हुई रखी जाती, आटोनोमी शुरू से बनी हुई रहती तो आज राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान का कोई इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में नहीं चलता।

श्री विष्णु मोदी : कांग्रेस की गलती हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हुई है गलती। इस गलती को स्वीकार करना चाहिए। मैं आज और कहता हूं आपको, आज आप यह मत कहो कि राजस्थान में ही बिजली की कमी है। सारे राज्यों में बिजली की कमी है और सारे राज्यों में ही नहीं, अगर अखिल भारतीय स्तर के ऊपर अनुमान लगायें तो बिजली की बहुत जबरदस्त कमी है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो कह चुका हूं, हाउस में कह चुका हूं यह बात। लेकिन सबसे ज्यादा कमी आपकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मानते हैं न, मैं कब मना कर रहा हूं। मैंने इसको छिपाया नहीं है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उन हिन्दुस्तान के योजनाकारों को और हिन्दुस्तान की सरकार को, उस सरकार को चाहिए था कि राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्दर जितना हाइडल पोटेंशियल हैं, संसार के बहुत कम मुल्कों में होगा। संसार के अन्दर इतना हाइडल पावर का पोटेंशियल जितना हिन्दुस्तान में है, कहीं नहीं होगा लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमें थर्मल के आधार पर पावर जेनरेट करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज सारा तो हिमाचल-प्रदेश, सारा जम्मू-कश्मीर, इन दो के आधार पर हम हाइडल पावर का काम अपने हाथ में लेते और कोई बातों को छोड़ कर हाइडल जेनरेशन के आधार पर कुछ व्यवस्था करती तो हिन्दुस्तान में बिजली की कमी नहीं रहती। हिन्दुस्तान भाग्यशाली है कि इस हिन्दुस्तान में इतनी नदियां बहती हैं कि उन नदियों के पानी को रोकते तो एक तरफ तो प्यासी धरती को पानी मिलता और दूसरी तरफ उसी पानी से बिजली पैदा होती, इस हिन्दुस्तान में बिजली की कमी नहीं रहती। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जहां मूलभूत गलतियां हो गयीं, पहली गलती हुई- हमने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को आटोनोमस नहीं माना, दूसरी गलती हमारी यह हुई कि हाइडल पोटेंशियल को जितना एक्सप्लोइट करना चाहिए था आल इण्डिया स्तर पर, हमने उतना उसको एक्सप्लोइट नहीं किया। मजबूरी से आप जा रहे हैं गैस के आधार पर या मजबूरी से जा रहे हैं लिग्नाइट के आधार पर, या मजबूरी से जा रहे हैं कोल के आधार पर। आज आवश्यकता इस बात की थी कि हम इस बात की कहीं न कहीं व्यवस्था करते। अध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम घाटे में नहीं रखना चाहते। जो इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की डिमाण्ड है कि तीन प्रतिशत का इसको लाभ होना चाहिए, वह तीन प्रतिशत का लाभ लाना जरूरी है। वह मैं बता दूं आपको, जरूरी इसलिए है, आप तो जानते हैं फाइनेंशियल मैटर्स, शायद धनखड़जी न जानें, मैं कह नहीं सकता लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह

श्री बनवारीलाल शर्मा : काफी लड़ लिए आपस में।

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसा है, क्योंकि इनकी जो परम्परा है न, जब मुख्य मंत्रीजी थक जाते हैं और इर्रेलेवेंट बात करने लगते हैं और इनके मन में एक बात आती है कि कोई इनको इन्टरवीन करे।

श्री अध्यक्ष : तो आप समझते हुए भी कर रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं मुख्य मंत्रीजी को इतना कहना चाहूंगा कि मेरी कोई मंशा नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी अपने स्तर में लगातार गिरावट लायें पर यदि अगर मुख्य मंत्रीजी को यह कुश्ती दंगल पसन्द है ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, ठीक है।

श्री जगदीप धनखड़ : तो मैं मुख्य मंत्रीजी, आपको कहता है, इस बात को बदलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी बात ?

श्री जगदीप धनखड़ : आप पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं, मैं कह चुका हूं, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जिनको चाहिए उनको आप दे दीजिए। आप मेहरबानी करके क्यों अपना डिवोल्यूशन करते हैं। हर सीरियस इश्यू को क्यों नॉन सीरियस करते हैं। आपसे जितने प्रश्न पूछे हैं, एक का आप जवाब नहीं दे पाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये, अभी बोल रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : हमें तो पता है, आप अंधकार में डुबायेंगे। पर क्यों इस प्रकार का स्तर लाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी बोल रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके मन में यदि यह अगर पक्की आ गयी है, वह तो आपको कह रहे थे....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका काम, आपने उनको मौका दे दिया।

श्री जगदीप धनखड़ : सुनिये, अध्यक्षजी, नहीं। देखिये, अध्यक्षजी, **I am quite serious about it.** मैं नहीं चाहता माननीय मुख्य मंत्रीजी....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इनको कमेटी में नहीं लिया, कमेटी में ले लेते। इनको कमेटी में ले लेते तो यह नाराज नहीं होते।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, वह इर्रेलेवेंट बात है बिलकुल ही। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं और उनको चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, अगर आप अपने स्तर में गिरावट लायेंगे, जो लगातार आ रही है, आप समझते हैं कि किसी के बारे में कुछ भी कह कर You can go away with it. छोड़िये, बदलिये इस बात को। अगर आप इसको नहीं बदलेंगे, आपकी उम्र बहुत हो गयी है, आपके स्वास्थ्य का हम ध्यान रखते हैं पर यदि बार-बार आप चैलेंजिग मूड में बात करते रहे ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां चैलेंज किया मैंने।

श्री जगदीप धनखड़ : तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक सीमा के बाद में उस लक्ष्मण रेखा को यदि हम पार कर देंगे,

(श्री जगदीप धनखड़)

मैं आपको चैलेंज करता हूं, हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, आप हमें मिसलीड कर रहे हैं, बार-बार हम आपको एक्सक्यूज करते जा रहे हैं, इसलिए करते जा रहे हैं कि चलो भाई, बुजुर्ग आदमी हैं, बात सुनते रहिये। पर बार-बार आपने एक आदत बना ली है कि चलो कह दो, धनखड़जी का नाम प्रयोग करते रहेंगे ...

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, हो गया समाप्त। चलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, अध्यक्षजी..

श्री अध्यक्ष : अब आपने इतना कह दिया....

श्री जगदीप धनखड़ : जब चेयर ने ही प्रोटेस्ट नहीं किया मेरे इन्टरेस्ट को तो मैं करूंगा....

श्री अध्यक्ष : तो आपने इतना कह दिया, यह हो गया। अब बैठिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष-जी, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को मुझे एक बात कहनी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अमेंड्स करें, माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपरजाइज करना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अब विराजिए। अब सुनें।

श्री जगदीप धनखड़ : और माननीय मुख्य मंत्रीजी को आगे इस बारे में ध्यान रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए अब मुख्य मंत्रीजी को।

श्री जगदीप धनखड़ : हो सकता है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहीं और हाथ जला लिये हों, हो सकता है माननीय मुख्य मंत्रीजी को औरों का ज्ञान हो, न तो मेरे को बाहर ललकारने की आदत है जैसा आपने एक सदस्य को कहा, पर यदि मुख्य मंत्रीजी, आप हमें फोर्स करेंगे तो, मान्यवर, मुझे तो आप यहीं निपटना, बाहर नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जहां चाहो वहीं निपटने की छूट है। मैं बताऊं न आपको....

श्री जगदीप धनखड़ : आपके बारे में कह रहा हूं मैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरी सुन लीजिए। जहां निपटना चाहो वहीं तैयार हूं। पर ऐसी धमकी में मैं आने वाला नहीं हूं। मैंने आपको कोई दुर्भावना से नहीं कहा। न आपके प्रति मेरी दुर्भावना....

श्री जगदीप धनखड़ : प्रति की बात क्यों कहते हैं आप ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके प्रति मेरी दुर्भावना हो ही नहीं सकती।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं। मुख्य मंत्रीजी, आप इस बात पर चिन्तन क्यों नहीं करते, आप इस बात की गम्भीरता में क्यों नहीं जाते, आप इसको फिर लाइटली ट्रीट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा, एक बात बिलकुल सही कही कि मुझे रेस्ट करना था। अब आपके प्रति मेरे दिल में कितनी श्रद्धा है कि मुझे कोई आराम दे या न दें, श्री धनखड़जी जरूर दे देंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : सीधी अंगुली घी निकलता है तो आप क्यों टेढ़ी करते हैं, मैं तो इशारे से खड़ा होकर आपको इतना आराम दिला देता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप इशारे से खड़े हो जाते तो मैं पानी पी लेता । आप इशारे से खड़े नहीं हुए इसलिए इशारा करना पड़ा । आप इतने सीरियस क्यों होते हैं ? मैं ऐसा समझता हूं कि इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है । मैं आपको इतनी ईमानदारी से कहता हूं—आपके प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है । आप बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, यह हाउस चाहता है कि आपके ज्ञान का सब को लाभ मिले । और इसलिए कई बार मुझे गुस्सा भी आता है, यह निश्चित रूप से मैं दुर्भावना से नहीं, सद्भावना के आधार पर कहता हूं कि आप जब भाषण दें तो लोगों को यह आनन्द आये कि श्री धनखड़ जी बोल रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा बने । मैं यह चाहता हूं कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे और आप उसका विरोध कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, अब यहां प्रश्न आया, मैं एक आखिरी प्रश्न यहां रखना चाहूंगा । प्रश्न आया कि बोर्ड बहुत घाटे में चल रहा है, यह कहा । यह बोर्ड कोई आज से घाटे में नहीं है । 1985–86 में एक्यूमलेटेड लोसेज था 257.41 करोड़, फिर यह बढ़ते-बढ़ते घाटा आ गया 1990-91 में 656.37 करोड़ का घाटा हो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो यह बात सही है कि न तो हमें कोई माल देगा, न हमारे पास कोई प्राइवेट सैक्टर का आदमी आएगा, न हम ट्रांसमिशन सिस्टम में सुधार कर सकेंगे और जेनरेशन की बात करने का तो हमारे लिए प्रश्न ही पैदा नहीं होगा । अब उस आधार पर प्रश्न आया कि राजस्थान सरकार किस प्रकार से इस घाटे से बोर्ड को उबारे । घाटे से बोर्ड को उबारा, हमने इन्टरेस्ट कम किया, हमने इक्विटी पार्टिसिपेशन किया और उसके बाद में जितना भी हमने इनवेस्टमैंट किया इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसका ब्याज, यह इनवेस्टमैंट के रूप में ब्याज हमने अकाउन्ट फोर करके इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस घाटे से उबारा और तीन प्रतिशत के प्रोफिट पर हम इसको लाए । आज आवश्यकता इस बात की है, तीन प्रतिशत का लाभ यदि नहीं होगा तो किसी प्रकार का इनवेस्टमैंट करना है या किसी भी प्रकार से कर्जा लेना, यह सम्भव ही नहीं है । वर्ल्ड बैंक के लोगों से मैंने बात की, वर्ल्ड बैंक के चैयरमैन से बात की, आई. एम. एफ. के आफिसर्स से बात की और बाकी जितने भी फण्डिग एजेन्सीज हैं या पावर में जो इन्टरेस्टेड हैं, सब लोगों से बात-चीत की है, बात-चीत करने में पहली शर्त यह आती है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जो,इलैक्ट्रिक सप्लाई एक्ट के अन्तर्गत स्टेट्यूटरी प्रोविजन है उसके अनुसार तीन प्रतिशत के प्रोफिट में चलता है या नहीं चलता है । आप कम से कम इतना क्रेडिट तो दीजिए कि राज्य सरकार ने पहली बार सबवेंशन किया । आप वित्त मन्त्री रहे हैं या बाकी के माननीय सदस्य जानते होंगे, आज तक इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के घाटे को सबवेंशन करने का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया । पहले मैंने 161 करोड़ का किया, दूसरी बार 281 करोड़ का किया, तीसरी बार 383 करोड़ का किया और अब भी 460 करोड़ के करीब सबवेंशन हमको करना पड़ेगा । अब यह क्यों कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा हूं सबवेंशन ? इसके दो पहलू हैं। यह रुपया राज्य सरकार बोर्ड को दे रही है। आज चाहे इन्टरेस्ट के रूप में हो, चाहे इन्टरेस्ट हम ले नहीं लेकिन यह आम जनता का पैसा है। यह केवल बिजली के उत्पादन का पैसा नहीं है, यह बिजली के उपभोक्ता का प्रश्न नहीं है, यह आम जनता का पैसा है। यह सदन इस बात का फैसला कर ले कि बिजली का उपयोग तो मैं करूं, कुआ मैं सींचू, उद्योग मैं लगाऊं, घर में बिजली मैं पैदा करूं और जो आदमी गरीब है, जिसके घर में चिमनी नहीं है, जिसके घर में मोमबत्ती नहीं है, जिसने कभी बिजली का लट्टू अपने घर में लगाने की कल्पना नहीं की पैसे उससे वसूल करूं और वह वसूल करके लोगों के लिए लाभ की व्यवस्था पैदा करूं। मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है और यही हमने आरम्भ में गलती की। यदि इस प्रकार की हम गलती नहीं करते तो बिजली बोर्ड कभी घाटे में नहीं चलता और बिजली बोर्ड लगातार जेनरेशन का काम करता रहता, जितनी आवश्यकता होती उतना जेनरेशन हो जाता।

श्री चन्दनमल बैद : अक्ल थोड़ी देरी से आयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे तो अब आ गयी लेकिन आपकी तो कभी आयी नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे को तो कभी नहीं आयी लेकिन आपको देरी से आयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे को आ तो गयी।

श्री चन्दनमल बैद : पैसे जब हमने बढ़ाये तो आपने इतना बड़ा आन्दोलन किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो याद आ गयी, बताता हूं। जो भी मैंने विरोध किया उसका भी कारण बता देऊं। वह विरोध हमने क्यों किया ? कारण था मिनिमम चार्जेज का और मिनिमम चार्जेज, आपने अपने घोषणा-पत्र में पहले लिखा कि मिनिमम चार्जेज वसूल नहीं किये जाएंगे। पहले लिख देते थे कि मिनिमम चार्जेज वसूल किये जाएंगे, उस मिनिमम चार्जेज का विरोध किया। जिस बात का मैं आज से सात वर्ष पहले कहता था, आपने उसी बात को तीन वर्ष पहले, दो वर्ष पहले स्वीकार किया। यदि अक्ल उस समय आ जाती तो मैं समझता हूं कि उस आन्दोलन को करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती लेकिन अक्ल देरी से आयी, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्या यह मेरी जिम्मेदारी है ?

श्री चन्दनमल बैद : आपकी अक्ल की जिम्मेदारी है कि आपको अक्ल देरी से आयी, इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरी नहीं है, अक्ल आपको तो आयी ही नहीं। मेरे को तो आ गयी, आपसे तो बढ़िया हूं।

श्री चन्दनमल बैद : भगवान करे मेरे को आप जैसी अक्ल आये ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छी बात है कोई आदमी सुधारना चाहे और नहीं सुधरे तो भाग्य की बात है, मेरे हाथ की बात थोड़े ही है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि आज कुओं के विद्युतीकरण की बात आ रही है। मैं पहले तो यह जवाब देना चाहूंगा कि आज कई माननीय सदस्यों ने कहा बिजली की कमी है और संकट है, यह सब कुछ है। यह मेरे कारण से नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चम्बल से 1992–93 में 9153 लाख यूनिट बिजली हमको मिली थी। पानी कम हो गया, उसके कारण से 1993–94 में 6995 यूनिट हमको मिली, 24 प्रतिशत की बिजली कम हो गयी, केवल गांधी सागर में पानी कम आया उसका यह नतीजा है। अब आप यह कहें, गांधी सागर में पानी कम क्यों आया, यह मेरी जिम्मेदारी है ? इसको तो मैं समझता हूं कोई भी माननीय सदस्य स्वीकार नहीं करेगा। सतपुड़ा से, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1287 लाख यूनिट बिजली मिली 1992–93 में जो घट कर 1253 हो गयी, तीन प्रतिशत की वहां कमी आयी। भाखड़ा व्यास में 26919 लाख यूनिट बिजली मिली, 1992–93 में जो घट कर 23124 यूनिट हो गयी, 14 प्रतिशत की वहां कमी आयी। यह तो जहां हमारे हिस्से हैं, वहां से कमी आयी और जहां से हम बिजली खरीदते हैं, वहां से भी बिजली का उत्पादन कम हो गया। औरया में 5968 की जगह 5151, नरौरा में 3798 की जगह 931, हिमाचल में 2511 की जगह 1205, दादरी गैस में 3443 की जगह 3042, इसलिए सारी बिजली जो कम आयी है, वह कम मेरे कारण से नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन हाउस में कर चुका हूं पिछली बार कि कहीं लाइन खराब हो गयी, कहीं प्लांट बन्द हो गया, उन सब कारणों से आयी। आज इन प्राकृतिक कारणों से या हमारे काबू में जो कारण नहीं है, उन कारणों के आधार पर कहें कि बिजली कम आयी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि बिजली के ऊपर जो कनैक्शन देते हैं उस पर कितना खर्चा होता है, उस खर्चे का एक बार माननीय सदस्य हिसाब देख लें, वह देखने के बाद में स्वयं ही कह देंगे कि इस खर्चे के कारण कितनी अव्यवस्था होगी और कितनी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, 1993–94 में 750 गांवों का विद्युतीकरण और 25 हजार कुओं का ऊर्जीकरण किया गया है। गये साल का मैं बताता हूं, इस पर बोर्ड को लगभग 176 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने पड़े। 176 करोड़ रुपया उधार लिया है, 25 हजार कुओं का विद्युतीकरण करने और 750 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए है जिस पर हर वर्ष बोर्ड को 20 करोड़ रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। 20 करोड़ रुपये का तो ब्याज देना पड़ेगा और इन 25 हजार कुओं को दी जाने वाली बिजली की दर में कमी होने के कारण 20 करोड़ रुपये का इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को और घाटा होगा। इतना सा जो काम किया है, उसमें 40 करोड़ रुपया एक साल का घाटा होगा। अब जितने आप बिजली के कनैक्शन लेंगे उतना ही घाटा बढ़ेगा, जितने गांवों में विद्युतीकरण करेंगे, उतना ही बोर्ड को घाटा होगा, जितने कृषि कनैक्शंस देंगे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उतना ही बोर्ड को घाटा होगा तो यह घाटा किस सीमा तक हम ले जाएं इस पर विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह घाटा केवल एक वर्ष नहीं होगा। कोई अन्दाज लगा ले कि 1993-94 में 25 हजार कुओं को बिजली दी गयी, 20 करोड़ का इंटरेस्ट और 20 करोड़ का घाटा, यह यहीं तक सीमित नहीं है। यह हर साल आप अन्दाज लगाकर चलिए, आज जिस गांव में बिजली दी है या जिन कुओं पर आज बिजली दी है यह घाटा लगातार चालू रहेगा, चाहे 10 वर्ष चले, चाहे सात वर्ष चले और जब इस प्रकार का 40 करोड़ रुपये एक साल के कार्यक्रम का घाटा रहता है तो 10 वर्ष में घाटा 400 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आपको विचार करना पड़ेगा कि आज इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि कई लोगों ने, माननीय सदस्यों ने मुझ से कहा कि नेपोलियन की तरह पक्के इरादे कर लेओ, कई लोगों ने कहा कि बिजली की रेट बढ़ा दो। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप बिजली के कनैक्शन लेना चाहें, 25 हजार की जगह में 50 हज़ार करने को तैयार हूं, कोई कोस्ट प्राइस पर लेने को तैयार है क्या? जो बिजली का खर्चा आता है उस खर्चे के आधार पर कोई बिजली लेने को तैयार है क्या? मैं उस लेने की बात को छोड़ता हूं, 3/4 खर्चे पर कोई लेने को तैयार है क्या?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय, ऐसे सवाल उठाएंगे तो बहुत से सवाल जुड़ जाएंगे। आप यह दिखाना चाहते हैं कि काश्तकार को हम सस्ती बिजली देते हैं। काश्तकार को बिजली देते हो, उसके बहुत से फैक्टर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री शिवनाथ सिंह : काश्तकार की कोस्ट आफ प्रोडेक्शन क्या आती है, उसको रिटर्न क्या मिलती है? यह बहुत सी बातें इसमें आती हैं इसलिए इस मामले को न उठाये तो अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न उठाऊं तो, मैं इसलिए उठाऊं कि श्री पूनमचन्दजी उठा गये, श्री पूनमचन्दजी ने यह कहा कि कुओं से सिंचाई होती है, उस पर कितनी कोस्ट आती है, श्री रामनारायणजी ने यह बात कही, और भी माननीय सदस्यों ने कही और डीजल से जब हम सिंचाई करते हैं तो कितनी कोस्ट आती है। मैं बिजली से कितनी कोस्ट आ रही है, उसको बता देऊं और नहर से सिंचाई होती है उसकी कितनी कोस्ट आती है? आखिर कई किसानों में भी भेद है, कुएं से सिंचाई करेगा, बैलों से सिंचाई करेगा, ज्यादा खर्चा आएगा, डीजल सैट लगायेगा, उससे कम आयेगा, बिजली का लगायेगा तो और कम होगा और नहर से सिंचाई करेगा तो बहुत कम आयेगा। यह उत्पादन की दृष्टि से ही भेद-भाव, आखिर कहीं न कहीं इसकी सीमा आपको बांधनी पड़ेगी। आज मैं मुख्य मंत्री रहूं या

296

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं रहूं, इसकी चिन्ता छोड़िए लेकिन जब तक इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप रम्युनरेटिव प्राइसेज में धीरे-धीरे स्लेब से भी आगे नहीं बढ़े तो भैरोंसिंह रहे या नहीं रहे, श्री चन्दनमलजी आ जाएं चाहे श्री परसरामजी आ जाएं यह संकट तो उनके सामने भी रहेगा। आज चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आ जाएं, संकट उनके सामने भी रहेगा। आज संकट इस बात का है कि किसानों को बिजली मिले और मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि यदि कोस्ट प्राइस के आधार पर बिजली का आदान-प्रदान हो जाए तो हिन्दुस्तान की सरकार को, राजस्थान की सरकार को और हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों को न तो आई. एम. एफ. के पास जाना पड़ेगा, न वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा और न प्राइवेट सैक्टर में जाना पड़ेगा। हम अपने रिसोर्सेज से बिजली का उतना उत्पादन कर सकेंगे कि राजस्थान में बिजली की किसी प्रकार से भी कमी नहीं रहे। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें। बिजली की रेट बढ़ायी जाए, नहीं बढ़ायी जाए यह तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ की बात है इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मुझे बड़ी खुशी है कि जो सिद्धान्त 12 साल पहले मैंने प्रतिपादित किया था उस समय आपने उसका विरोध किया था, अब आज उसी का आप समर्थन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है श्री चन्दनमलजी, कि 12 साल पहले ...

श्री चन्दनमल बैद : 12 साल में रास्ते पर तो आये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं आया कि नहीं आया लेकिन आपने जो 12 साल पहले बात कही थी उसको आज भूल गये, आज मुकर रहे हैं। 12 साल पहले जो बात कही थी वह आज अगर धड़ाके से कह देओ तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को मैं घाटे से उबार सकता हूं, कहो, श्री चन्दनमलजी यह बात नहीं कही थी

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह कहा था कि बैल से, सब चीजों से जो सिंचाई होती है, उसमें क्या डिफरेंस है? उस समय आपने उसका यहां बैठकर विरोध किया था और आज आप उसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं मैं तो बता रहा हूं न कि मैं गलती कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं लेकिन आज आपने दस वर्ष पहले जो बात कही उसको दोहरा दूं मैं

श्री चन्दनमल बैद : उस समय मैंने जो बात कही थी मेरे हिम्मत और हौंसले पर कही थी। आप जो करना चाहते हैं अपनी हिम्मत और हौंसले पर कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे हिम्मत और हौंसले पर क्यों विश्वास कर रहे है आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह हिम्मत आपकी थी कहां, आपने विद्रोह कर लिया।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं-नहीं, आप अपनी हिम्मत और हौंसले पर कीजिए. मेरे हिम्मत और हौंसले पर नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज मत होओ ।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं । मेरी आवाज ही तेज है । नाराज नहीं होता हूं मैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आपने दस वर्ष पहले कही है और मान लीजिए मेरे में अक्ल नहीं आयी और आज आ गयी है तो आपको तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए । अब आप और मैं दोनों एकमत के हो गये इसकी भी सबको खुशी होनी चाहिए । आपका मत कोई भी मान ले, मेरा मत कोई भी स्वीकार करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी । मैं आज श्री चन्दनमलजी का मत मान रहा हूं, मैं समझता हूं कि श्री चन्दनमल जी से ज्यादा और मेरे से कोई खुश हो ही नहीं सकता । कि इन्होंने दस वर्ष पहले जो बात कही थी मैंने आज मानी है । अगर पहले मान लेता तो शायद ज्यादा फायदा होता लेकिन आज मानी उसको तो स्वीकार करो । उसके लिए तो आशीर्वाद दो कि आपने मेरी बात मानी ।

श्री चन्दनमल बैद : वैसे भी आप उम्र में मेरे से छोटे हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपसे आशीर्वाद ही चाहता हूं और मैं यह मानकर चलता हूं कि वह मुंह से नहीं कहें लेकिन हृदय से उन्होंने मुझे निश्चित रूप से आशीर्वाद दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, अब यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने एक संकट और आ गया । आज राजस्थान बिजली बोर्ड की ऐसी हालत नहीं है, आप लोगों को सबको जानकारी होगी कि प्लान असिस्टेंस जो राजस्थान को मिलती है 82 करोड़ रुपया । 82.55 करोड़ रुपया प्लान असिस्टेंस का तय है यह प्लान असिस्टेंस सीधी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को मिलती तो शायद राजस्थान के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की ऐसी खराब स्थिति नहीं होती । लेकिन अब आप अन्दाज लगाइये कि एन. टी. पी. सी. का, कोल इण्डिया का और रेलवे का सारा पैसा वसूल करने के लिए प्लान असिस्टेंस में से भारत सरकार ने पैसा काट लिया । हमने कोशिश की । मेरे जाने के बाद में गवर्नर साहब ने कोशिश की और केवल यही नहीं कि राजस्थान का पैसा काटा, कई राज्यों का पैसा काटा जिसके कारण से इलैक्ट्रिसिटी का एक्सपैंशन रूक गया । कोशिश हमने भी की, प्रधान मंत्रीजी से कहा कि हमारे बीच में और एन. टी. पी. सी. के बीच में या कामर्शियल यूनिट्स के बीच में प्लान असिस्टेंस काटना न्यायसंगत नहीं है । सिद्धान्तों के विपरीत है, काफी झगड़ा किया और मैं समझता हूं कि शायद अब विश्वास मिला है कि प्लान असिस्टेंस नहीं काटी जाए इस बारे में भारत सरकार विचार कर रही है । अब इस घाटे की पूर्ति हमने राज्य सरकार से, राज्य सरकार के अपने रिसोर्सेज थी जो प्लान असिस्टेंस की जगह रुपया देना था वह राज्य सरकार ने कमोबेश उस कमी को पूरा करने की

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कोशिश की है और उसी का कारण है कि जो कुछ हम एक्सपेंशन कर रहे हैं या जेनरेशन के लिए रुपये निर्धारित कर रहे हैं यह उसी कारण से पैसा निकला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की ग्लूमी पिक्चर बताने की कोशिश की है, राजस्थान की पिक्चर ग्लूमी नहीं है हम सब लोग मिलकर एफर्ट्स करेंगे तो राजस्थान में पावर जेनरेशन के कई आयाम खुलेंगे, प्राइवेट सैक्टर के मामले में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं उस प्राइवेट सैक्टर को एनकरेज नहीं करना चाहता जो बिजली पैदा करे, उसकी कोस्ट में वेरियेशंस हों, ऐसे वेरियेशंस हों कि उस कोस्ट के आधार पर हम किसानों को बिजली बेच नहीं पायें या कंज्यूमर उसको तलाश नहीं कर पाये। उन चीजों के आधार पर बाकी के प्राइवेट सैक्टर आयें; मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

मैं समझता हूं आज की इस डिबेट से राज्य सरकार को भी लाभ हुआ है। माननीय सदस्यों को भी पूरी स्थिति बताने से एक प्रकार का भ्रम दूर हुआ है, बाकी जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के सम्बन्ध में कई कमियां, ट्रांसफार्मर्स की कमियां, कुछ आफिसर्स क्या करते हैं, क्या नहीं करते उनका जवाब देकर इस सारी डिबेट के स्तर को मैं नीचे नहीं ले जाना चाहता। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 4-4-94 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 22.55 बजे सोमवार, दिनांक 4 अप्रेल, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 745 की सूचना एवं सूची

परिशिष्ट–अ

महिला आश्रम भीलवाड़ा

संस्था की प्रबन्ध समिति की नामावली

क्र. सं.	नाम	पद	दिनांक
1.	श्रीमती सुशीला माथुर ए-87, श्याम नगर, अजमेर रोड, जयपुर	अध्यक्ष	22-9-77
2.	श्रीमती सुमित्रा पंडित ट्यूरीस्ट गाइड सर्विस, ठोलीया सर्कल, एम. आई. रोड, जयपुर	मंत्री	28-11-81
3.	श्री शिवचरण माथुर ए-87, श्याम नगर, अजमेर रोड, जयपुर	सदस्य	22-9-77
4.	श्री दीनबन्धु वर्मा 99-भूपालपुरा, उदयपुर	सदस्य	28-11-81
5.	श्री ज्ञानमल कोठारी भूपालगंज, भीलवाड़ा	सदस्य	नवम्बर 1944
6.	श्री हफीज मोहम्मद जिला प्रमुख, भीलवाड़ा	सदस्य	1982 से
7.	श्री हरिसिंह रांका प्रबन्ध निदेशक, मार्डन ग्रेड (इण्डिया) लि., रायला, भीलवाड़ा	सदस्य	1984 से
8.	श्री लक्ष्मी निवास झुन्झुनूवाला भीलवाड़ा स्पीनर्स लि., भीलवाड़ा	सदस्य	1956 से
9.	श्री गणपति लाल वर्मा भू. पू. विधायक, भीलवाड़ा	सदस्य	14-11-44
10.	श्रीमती सन्तोष कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मा. ला. वर्मा महिला आश्रम, उ मा.वि., भीलवाड़ा (विद्यालय प्रधान)	सदस्य (मनोनीत)	मनोनीत
11.	श्रीमती कुसुमलता गोलस व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, मा.ला. वर्मा, महिला आश्रम, उ.मा.वि., भीलवाड़ा, (शिक्षक प्रतिनिधि)	सदस्य	मनोनीत
12.	श्री प्यारचन्द विश्नोई भूपालपुरा, उदयपुर	सदस्य	22-9-77
13.	जिला शिक्षा अधिकारी (शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत), भीलवाड़ा	सदस्य	मनोनीत

परिशिष्ट–ब

बेची गई भूमि का विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	बेची गई भूमि का क्षेत्रफल	बेची गई भूमि की कीमत	
1.	प्रिन्सीपल सैन्टपाल स्कूल, उदयपुर	3800	8390.00	
2.	,, ,,	20070	47164.50	
3.	,, ,,	11951	47804.00	
4.	,, ,,	10493	45972.00	
5.	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीलाल उदयपुर	2700	6999.00	
6.	श्रीमती केसर देवी	2700	6999.00	
7.	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री शान्ती लाल कोठारी, उदयपुर	2653	7999.00	
8.	श्री हीरालाल पुत्र श्री सोहन लाल उदयपुर	2004	6999.00	
9.	श्री उमराव सिंह पुत्र श्री सुमेर मल (उड़ीसा)	5940	49111.00	
10.	श्री राजमल पुत्र श्री बन्सीलाल मून्दड़ा, उदयपुर	2142	28000.00	उक्त भूमि लीज पर दी गयी
11.	,, ,, ,,	2520	28000.00	

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

बूंदी जिले में लिफ्ट सिंचाई योजना

754. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के आखिरी छोर (टेल) के गांवों ठीकरिया चारणान, कोथ्या, लीलेड़ा व्यासान, बथवाड़ा आदि में पानी पहुंचाने में काफी कठिनाई आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने मांगली नदी से कोथ्या के समीप लिफ्ट द्वारा नहरों में पानी डालकर खेतों को पानी देने की योजना बनायी है ? यदि नहीं तो कब तक बनाने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि बाजड़ के खाल (नदी) तहसील बूंदी का पानी व्यर्थ जाता है और ठीकरिया (जाटों का) बडून्दा, साथेली अथंडा, ऐबरा, झुंवासा आदि गांवों (टेल) नहरों द्वारा पानी पहुंचाने में परेशानी आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने बाजड़ के खाल पर लिफ्ट की योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो अब क्या योजना है जिससे गांवों के खेतों में पानी पहुंचाया जा सके ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम जाखमूण्ड, तुलसी, कैथूदा, पिताम्पुरा आदि गांव नहरी क्षेत्र में है ? यदि हां, तो इन गांवों के खेतों में कब-कब पानी गया ? क्या इन गांवों के मध्य बड़ी नहर निकल रही है ? क्या सरकार इन गांवों के खेतों में पानी पहुंचाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल में नहरों व उपकुलिकाओं इत्यादि का निर्माण 76% सिंचाई संघनता के अनुसार किया गया था। वर्तमान में सिंचाई संघनता 110% हो गयी है इस कारण से नहरों के अन्तिम छोर के गांवों में पानी उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई आ रही है। वर्तमान में मांगली नदी से लिफ्ट की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि इन खेतों में सिंचाई फ्लों से होती है।

(2) जी हां। बाजड़ के पास अन्य स्थानों की ड्रेनों में भी पानी बहता है। बाजड़ के खाल से लिफ्ट की अव्यवहारिक एवं अधिक मंहगी योजना होने के फलस्वरूप इसको लेना सम्भव नहीं है।

(3) ग्राम जाखमूण्ड, कैथूदा, पिताम्पुरा का कुछ रकबा व गांव तुलसी का सम्पूर्ण रकबा अनकमाण्ड में है। बूंदी ब्रांच की नहरों का बायीं ओर का क्षेत्र जल स्तर से ऊंचा है फिर भी कुछ क्षेत्र में कृषकों द्वारा कमाण्ड क्षेत्र की नहरों से सिंचाई की जा रही है। वर्तमान में इन गांवों के रकबों में पानी पहुंचाने की कोई योजना नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या 755

(स्थगित)

भीलवाड़ा में बधिर बाल कल्याण समिति द्वारा संचालित मूक बधिर विद्यालय

756. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक नगर भीलवाड़ा में बधिर बाल कल्याण समिति द्वारा मूक बधिर विद्यालय विगत 7 वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो यह विद्यालय अनुदान सूची में पैनल निरीक्षण के बाद भी नहीं आने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसको अनुदान सूची में लेकर नियमित अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अप्रेल, 1993 से लागू नियमों में विकलांग तथा मूक बधिर विद्यालयों को भी उसी श्रेणी में मानकर विकलांग शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती है ? यदि नहीं, तो विकलांग शिक्षा के बारे में क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण में और प्रोत्साहन नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब, कैसी नीति एवं योजना बनायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या बधिर बाल कल्याण समिति ने तदर्थ अनुदान की मांग सरकार से की है ? यदि हां, तो सरकार ने मानव कल्याण के क्षेत्र में उस विद्यालय एवं संस्था ने जो कीर्तिमान बनाये हैं उसको देखते हुए मांग पर क्या विचार कर निर्णय किया है ? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या निर्णय करेगी ?

(4) क्या संस्था का दिनांक 22 अक्टूबर, 1992 को राज्य के वर्तमान मुख्य मंत्री ने अवलोकन कर उसकी गतिविधियों को विकसित करने हेतु सहायता सुलभ कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने सुर निलयम विद्यालय के भवन तथा संस्था को अन्य अनुदान हेतु कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो अब संस्था के आवेदन-पत्रों पर नियमित अनुदान हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) क्या सरकार मूक बधिर तथा विकलांगों की संस्थाओं के कार्यकलापों तथा प्रवृतियों को देखने के बाद उन्हें अन्य शिक्षण संस्थाओं से विशिष्ट विकलांग विकास की कोई नीति बनाकर प्रोत्साहित करेगी ? यदि हां, तो इसकी नीति एवं नियम कब से लागू किये जाएंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। अनुदान सूची में लिए जाने सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) राज्य सरकार विकलांगों से सम्बन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में सजग है।

गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, अनुदान सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 में विकलांग शिक्षा संस्थाओं हेतु अलग से प्रावधान किये जाने पर कार्यवाही चल रही है।

(3) वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) मूक बधिर विद्यालय, भीलवाड़ा को वर्ष 92–93 में राज्य सरकार के पत्र सं. प. 10 (2) शिक्षा-5 / 88, दिनांक

(शिक्षा मंत्री)

30-3-92 के द्वारा 1·25 लाख दिनांक 13-10-92 के द्वारा 1·15 लाख तथा पत्र सं. प. 10 (2) शिक्षा-5/88, दिनांक 12-1-93 के द्वारा 5·00 लाख रुपये छात्रावास भवन व फर्नीचर खरीद हेतु तदर्थ अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये हैं।

संस्था को नियमित अनुदान स्वीकृत करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) इन संस्थाओं के लिए नये अनुदान नियमों के अन्तर्गत ही आवश्यक प्रावधान किये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जोधपुर शहर में औसत जलापूर्ति

757. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में वर्ष 1990, 1991, 1992 व 1993 के फरवरी, मार्च अप्रेल, मई व जून प्रत्येक माह में प्रतिदिन औसतन कितना पानी दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जोधपुर शहर के तख्तसागर व कायलाना जलाशयों में पिछले 6 वर्षों में दिनांक 1 सितम्बर, 31 दिसम्बर व 20 फरवरी को पानी का लेवल कितना था, व कितना एम. सी. एफ. टी. पानी था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले वर्षों में अगर तख्तसागर व कायलाना तालाब के पानी में 1 सितम्बर से 20 फरवरी तक पानी के लेवल में बढ़ोतरी हुई तो इसका क्या कारण रहा है एवं इस वर्ष पानी के लेवल में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई, जबकि जवांई बांध में पूर्व की मात्रा से अधिक पानी उपलब्ध रहा है ?

(4) इस वर्ष मार्च, अप्रेल, मई व जून माह में प्रतिदिन औसतन कितना पानी दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में, वांछित अवधियों में पेयजल वितरण की प्रतिदिन औसत मात्रा का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उल्लेखित जलाशयों में गत 6 वर्षों में उल्लेखित समयावधि में जल स्तर एवं भण्डारण की मात्रा का वांछित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) गत वर्षों में माह सितम्बर से 20 फरवरी के मध्य की अवधि में तख्तसागर व कायलाना के जलस्तरों में वृद्धि का कारण जवाई नहर से कुड़ी होद तक पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्ति रही है। वर्ष 93-94 में आपातकालीन योजना से पानी प्राप्त होने के बावजूद जलस्तर में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने का मुख्य कारण इस वर्ष हेमावास बांध में पानी की आवक कम होना एवं जवाई बांध से सिंचाई हेतु मांगवाली अवधि में पेयजल हेतु कम मात्रा में पानी प्राप्त होना रहा है।

(4) मार्च, 1994 में औसतन लगभग 190 लाख गैलन प्रतिदिन, अप्रेल में 200 लाख गैलन, मई में 200 से 225 लाख गैलन व जून में 235 से 245 लाख गैलन पानी प्रतिदिन वितरण किये जाने का प्रयास है।

परिशिष्ट "क"

जोधपुर शहर में वर्ष 1990 से 1993 तक माह फरवरी से मई की अवधि में वितरित किए गए पेयजल की औसत मात्रा

क्र. सं.	वर्ष	प्रतिदिन औसतन वितरित मात्रा (लाख गैलन)				
		फरवरी	मार्च	अप्रेल	मई	जून
1.	1990	148.50	151.00	162.36	176.24	176.45
2.	1991	203.87	203.74	203.20	230.31	206.14
3.	1992	184.87	190.19	201.14	213.82	211.60
4.	993	201.42	200.78	200.96	224.36	230.71

परिशिष्ट "ख"

गत 6 वर्षों में कायलाना व तख्त सागर जलाशयों की जल स्तर तालिका

कायलाना (एफ.एस.एल. 58·00 फुट) | **तख्त सागर (एफ एस.एल. 70 फुट)**

वर्ष	कायलाना 1 सितम्बर		31 दिसम्बर		20 फरवरी		तख्त सागर 1 सितम्बर		31 दिसम्बर		20 फरवरी	
	जलस्तर (फुट)	मात्रा एम.सी. एफ.टी.	जलस्तर (फुट)	मात्रा एम.सी. एफ.टी.	जलस्तर (फुट)	मात्रा एम.सी. एफ.टी.	जलस्तर (फुट)	मात्रा एम.सी. एफ.टी.	जलस्तर (फुट)	मात्रा एम.सी. एफ.टी.	जलस्तर (फुट)	मात्रा एम.सी. एफ.टी.
1988–89	8·02	2·20	9·52	2·75	10·92	3·5	40·80	78·25	45·91	98·50	49·47	114·75
1989–90	9·28	2·60	20·05	10·80	19·48	10·2	25·60	33·00	43·50	88 25	50·28	116·25
1990–91	40·75	60·2	14·08	5·2	17·35	7·9	59·41	162·00	36·80	64·50	38·85	71·25
1991–92	14·20	5·3	6·25	1·4	11·40	3·7	27·28	37·00	33·67	55·00	37·75	67·75
1992–93	1·55	नगण्य	21·03	12·00	20·50	10·9	21·80	लगभग20	43·74	89·50	45·85	97·50
1993–94	4·50	नगण्य	9·00	2·5	6·00	1·3	28·10	39·00	24·30	30 00	25·75	33·50

(305)

घोसुण्डा डेम से सिंचाई

758. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार की हिन्दुस्तान जिंक द्वारा निर्मित घोसुण्डा डेम के पानी से क्षेत्र के किसानों की पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा निर्मित घोसुण्डा बांध के अन्तर्गत पानी का उपयोग विभिन्न उद्योगों एवं चित्तौड़गढ़ नगर की पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु किये जाने का प्रावधान है । इस बांध से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है ।

कोटा जिले में राजस्थान सीड कार्पोरेशन द्वारा सरसों की खरीद का प्रकरण

759. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में राजस्थान सीड कार्पोरेशन द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षक की झूठी रिपोर्ट के आधार पर कुछ बीज उत्पादकों की सरसों को वर्ष 1992-93 में खरीदने से इन्कार कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) विभाग द्वारा झूंठी रिपोर्ट देने वाले निरीक्षक के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि कोटा जिले के दो कृषकों से प्राप्त सरसों का बीज निगम द्वारा वापस लौटाया गया क्योंकि राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बीज की अनुवांशिक शुद्धता के प्रति संदेह व्यक्त किया गया था ।

(2) राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा झूठी रिपोर्ट देने वाले सम्बन्धित निरीक्षक को निलम्बित किया गया व नियमानुसार आरोप-पत्र देकर कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बस्सी (जयपुर) का क्रमोन्नयन

760. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रथम वरियता देना चाहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, बस्सी को सीनियर हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

जी हां । वर्ष 1994-95 में निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, बस्सी के

(शिक्षा मंत्री)

क्रमोन्नति के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

भरतपुर जिले की पेयजल व्यवस्था

761. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भरतपुर जिले में पेयजल के गम्भीर संकट के समाधान हेतु चम्बल नदी से जल प्राप्त करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रेषित कर रखें हैं ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

उत्तर

जिले की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु पूर्व प्रस्तावित 247 करोड़ रुपये की एक योजना, संशोधित की जाकर पुन: 501·12 करोड़ रुपये की योजना 13 मई, 1993 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की तकनीकी स्वीकृति एवं बाह्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजी गयी थी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर यह योजना अभी परीक्षण हेतु विचाराधीन है।

पांचना परियोजना का निर्माण कार्य

762. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पांचना परियोजना का निर्माण कार्य किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया था एवं अब तक इस परियोजना पर कितना खर्चा हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि इस परियोजना की स्पील-वे का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस परियोजना के लिए प्रति वर्ष बजट में प्रावधान रखा जाता है ? यदि हां, तो इसका उपयोग नहीं होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) पांचना परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1977 में प्रारम्भ किया गया एवं फरवरी, 94 तक 2999.10 लाख रुपये इस परियोजना पर खर्च हो चुका है।

(2) जी हां। स्पील-वे का निर्माण नीव के जीयोलोजिकल जटिलताओं के कारण अब तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(3) जी हां। बजट प्रावधान का प्रति वर्ष उपयोग किया जाता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के संचालित छात्रावास

763. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं ? विभिन्न छात्रावासों में कितने-कितने छात्र लाभान्वित हो रहे हैं ?

(श्री परसादीलाल मीणा)

(2) सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र जो कि छात्रावास में रह रहे हैं, पर कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

(3) क्या सरकार द्वारा वर्तमान में जो प्रति छात्र व्यय किया जा रहा है वह पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार राशि बढ़ाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी राशि ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 277 अनुसूचित जाति (जिसमें स्वच्छकार योजना के अन्तर्गत संचालित 60 छात्रावास सम्मिलित हैं) एवं 232 अनुसूचित जन-जाति के छात्रावास संचालित हैं। अनुसूचित जाति के 277 छात्रावासों में 8599 तथा अनुसूचित जन-जाति के 232 छात्रावासों में 7895 छात्र/छात्राएं प्रवेश लेकर छात्रावास सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

(2) छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर 250/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह व्यय किया जाता है, यह राशि शिक्षा सत्र के 9½ माह हेतु दी जाती है। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- रुपये व कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60/- रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र पुस्तकें एवं स्टेशनरी हेतु एक मुश्त नकद प्रदान किये जाते हैं।

(3) यह एक विचारणीय बिन्दु है जिस पर पूर्ण विचार विमर्श किया जाकर संसाधनों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में उचित निर्णय लिया जावेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 मार्च, 1994)

पंचायत समिति, सांचौर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत करवाये गये कार्य

472. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टांकों एवं पशुओं के पीने के पानी के लिए खेलियों का निर्माण कराया है ? यदि हां, तो सांचौर पंचायत समिति में पिछले 10 वर्षों में जिन गांवों में सार्वजनिक टांकों/खेलियों का निर्माण कराया गया है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन-जिन सार्वजनिक टांकों/खेलियो का निर्माण इस योजना के अन्तर्गत किया गया था वे ग्रामीण जल प्रदाय योजना के रास्ते में बने हुए हैं, क्या सरकार उन्हें पाइप से (टांकों को) जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

(3) सांचौर पंचायत समिति के अन्तर्गत जो सार्वजनिक टांके/खेलियां बने हुए हैं, उनमें से कितने टांकों का नल योजना से कनेक्शन किया हुआ है और शेष का कब तक कनेक्शन कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति सांचौर में निर्मित कुल 96 टांकों/खेलियों

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

की वांछित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त टांकों का निर्माण ग्राम पंचायतों इत्यादि ने स्वयं की औचित्यता के अनुसार करवाया था। इन्हें जोड़ने हेतु प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त होने पर तथा आवश्यक धन उपलब्ध होने पर स्वीकृत हो सकेगें।

(3) वर्तमान में एक भी टांके को विभाग द्वारा जल योजना से नहीं जोड़ा गया है उपरोक्त (2) पर उल्लेखित प्रस्तावों की स्वीकृति उपरांत इस प्रकार के कार्य प्रारंभ करना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

पंचायत समिति सांचौर में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मित जलाशयों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	जलाशय का स्थान
1	2	3	4
1.	छजारा	83	तुलछा की ढाणी
2.	गोलासन	124	रा. प्रा. शाला
3.	हाडेतर	132	अनुजाति/अनुजनजाति बस्ती
4.	आरवा	9	प्र. शा. प्रा.
5.	रतनपुरा	64	विश्नोईयों की ढाणी
6.	रतनपुरा	64	एससी/एसटी बस्ती
7.	चितलवाना	41	शा. टांगा
8.	चितलवाना	41	गोलियां
9.	डावल	62	अंधेरीनाडी
10.	डावल	62	खोटालीनाड़ी
11.	झोटडा	61	खिलेरियों की ढाणी
12.	झोटडा	61	जागुओं की ढाणी
13.	पालडी सोलकियान	88	सुधारों की ढाणी

(310)

1	2	3	4
14.	पालडी सोलकियान	88	राजपूतों की ढाणी
15.	पालडी सोलकियान	88	कलबियों की ढाणी
16.	पालडी सोलकियान	88	जोगियों की ढाणी
17.	सिद्धेश्वर	116	भीलों की ढाणी
18.	हाडेचा	69	खारियों की ढाणी
19.	हाडेचा	69	सुथारों की ढाणी
20.	सरवाना	76	पशु पेयजल कुण्ड
21.	नलदरा	74	पशु पेयजल कुण्ड
22.	बावरला	85	रबारियों का गो.
23.	बावरला	85	पशु पेयजल कुण्ड
24.	डडुसन	86	डडुसन का गो.
25.	डडुसन	86	कलबियों का गो.
26.	डूंगरी	2	पीताबेरी
27.	डूंगरी	2	पावेडों की ढाणी
28.	सायर का कोसीटा	4	तालाब की ढाणी
29.	सेसाबा	5	मालियों की ढाणी
30.	सेसावा	5	खारीबेरी
31.	अणकोली	94	कलबियों का गो.
32.	खिरोडी	95	एससी/एसटी
33.	करावडी	96	पशु पेयजल कुण्ड
34.	दवाल	117	गुमानसिंह का गो.
35.	दवाल	117	आरवाकागो.
36.	दवाल	117	वजीरों का गो.
37.	कीलवा	118	जोग माया मन्दिर
38.	जानवी	72	हरिसिंह का नोहरा
39.	अरणाय	109	प्राथमिक शाला
40.	अरणाय	109	सार्वजनिक टांका

1	2	3	4
41.	भारोल	68	लखारीनाडी
42.	गलीफा	37	गलीफा का गो.
43.	इसरोल	68	हनुमानजी का मन्दिर
44.	हरयाली	98	राजपूतों की ढाणी
45.	जौघावास	53	सार्वजनिक टांका
46.	रणोदर	44	नयावास
47.	रणोदर	44	स्वामियों का गो.
48.	सिवाड़ा	60	तेराणियों की ढाणी
49.	सिवाड़ा	60	रेबारियों का गो.
50.	पादरली	59	साधु की ढाणी
51.	सिवाड़ा	60	रामदरा
52.	पुर	134	सारणों की ढाणी
53.	पुर	134	गुलाबजी की ढाणी
54.	पुर	134	पेपसिंह की ढाणी
55.	पुर	134	पुर की ढाणी
56.	पुर	134	घडानीयों की ढाणी
57.	पुर	134	मालियों की ढाणी
58.	गुन्दाऊ	138	साउम्रों की ढाणी
59.	गुन्दाऊ	138	रेबारियों का वास
60.	गुन्दाऊ	138	मेघवालों का वास
61.	गुन्दाऊ	138	जाटों का गोलि.
62.	गुन्दाऊ	138	राजपूतों का गो.
63.	हेमागुडा	46	जाणियों की ढाणी
64.	हेमागुडा	46	एससी/एसटी बस्ती
65.	हेमागुडा	46	पवारों की ढाणी
66.	हेमागुडा	46	गोदारों की ढाणी
67.	हेमागुडा	46	मेलावा की ढाणी

(312)

1	2	3	4
68.	हेमागुडा	46	रामदेवजी का म.
69.	कुडा	151	प्र. शाला
70.	सरनाऊ	139	सा. टांका
71.	सरनाऊ	139	मण्डा की ढाणी
72.	सरनाऊ	139	मालवों की ढाणी
73.	सरनाऊ	139	गेदाणियों की ढाणी
74.	काछैला	70	कोलियों की ढाणी
75.	बिछावाड़ी	82	भाभीयों की ढाणी
76.	काछैला	70	चारणों की ढाणी
77.	बिछावाड़ी	82	ब्राह्मणों की ढाणी
78.	काछैला	70	घना की ढाणी
79.	बिछावाड़ी	82	गोईतों की ढाणी
80.	नैनोल	148	प्रा. शाला
81.	नैनोल	148	कलबियों का गो.
82.	भाब	55	प्रा. शाला
83.	भाब	55	वजीरों एवं कलबियों का गोलिया
84.	डेडवा	90	जाणियों की ढाणी
85.	डेडवा	90	सियागों की ढाणी
86.	डेडवा	90	मेघवालों की ढाणी
87.	डेडवा	90	पुरोहितो की ढाणी
88.	सांकड़	153	गणेशियों की ढाणी
89.	सांकड़	153	चाढारनाडी
90.	सांकड़	153	सा. टांका
91.	सांकड़	153	सारणों का गो.
92.	असापली	87	भीलों की ढाणी
93.	छजारा	83	मगा की ढाणी
94.	छजारा	83	मगना की ढाणी
95.	सिवाड़ा	60	गोलरों की ढाणी
96.	रणोदर	44	उ. प्रा. विद्यालय

विभागीय बजट से कर्मचारियों पर व्यय

764. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विभाग का कुल बजट कितना है इसमें से कर्मचारियों, अधिकारियों की तनख्वाह, उनके यात्रा बिल व गाड़ियों की खरीद व संधारण तथा कर्मचारियों के लिये अन्य खर्चे कितने प्रतिशत हैं ? गत दो वर्षों व चालू वर्ष में कितने प्रतिशत खर्चा हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आने वाले वर्ष में यह खर्चा कितने प्रतिशत होने का अनुमान हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993 94 का विभाग का कुल बजट 8777.21 लाख रुपये है। इसमें से कर्मचारियों/अधिकारियों की तनख्वाह, यात्रा व चिकित्सा व्यय तथा गाड़ियों के संधारण पर रुपये 3442.40 लाख व्यय हुआ जो कि कुल बजट का 39 प्रतिशत है। गत दो वर्षों में 51 प्रतिशत व 41 प्रतिशत व्यय हुआ है।

(2) आने वाले वर्ष 1994 95 में यह व्यय 41 प्रतिशत होने का अनुमान है।

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षित बेरोजगार

765. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षित बेरोजगार छात्र-छात्राओं की समस्याओं से अवगत है ? यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) व्यावसायिक शिक्षा के कितने छात्रों को रोजगार से जोड़ा गया व ऋण दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षित बेरोजगार छात्र-छात्राओं को प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से व इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या उक्त योजना केन्द्रीय वर्त की है ? यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा दी गयी राशि गत वर्षों में बिना उपयोग के शेष रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। व्यावसायिक शिक्षा दस जमा दो स्तर पर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित विभागों से उनके सेवा नियमों में संशोधन कराने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) दस जमा दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों में से अब

(शिक्षा मंत्री)

तक 518 छात्रों को रोजगार से जोड़ा गया है। वर्षवार विवरण निम्न है :—

वर्ष	स्वरोजगार छात्र	वेतन भोगी छात्र	योग
1988-89	78	14	92
1989-90	32	20	52
1990-91	68	55	123
1991-92	54	37	91
1992-93	60	100	160
योग	292	226	518

(3) जी, हां। व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के विशिष्ट चयन सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी, हां। गत वर्ष 1992-93 में पद रिक्त रहने से संवेतन की राशि 134.245 लाख रुपये बचत रही। व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण बचत रही है।

सरदार शहर के जी. एल. आर. को पाइप लाइनों से जोड़ना

766. श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदार शहर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—,

(1) सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र में कितने जी. एल. आर. बने हुए हैं ? क्या उक्त जी. एल. आर. को पाइप लाइनों से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त जी. एल. आर. को पाइप लाइनों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या मेहरासर-चाचेरा में पानी की टंकी गिरने की स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित 269 तथा पंचायत विभाग द्वारा निर्मित 67 भूतल जलाशय है। जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित 265 भूतल जलाशयों को पाइप लाइन से जोड़ा जा चुका है व शेष चार भूतल जलाशयों को भी पाइप उपलब्ध होते ही जोड़ा जा सकेगा। अन्य एजेंसियों द्वारा निर्मित भूतल जलाशयों हेतु, सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराये जाने पर ही इन्हें जोड़ा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान ग्रीष्मकालीन कंटीनजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी धन उपलब्धतानुसार इन जलाशयों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) टंकी गिरने की स्थिति में नहीं है पर विभाग द्वारा टंकी की शीघ्र मरम्मत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित है।

तहसील खण्डार की पिपलेट जलोत्थान सिंचाई नहर परियोजना

767. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर में पिपलेट जलोत्थान सिंचाई नहर परियोजना व पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई परियोजना को वर्ष 1981-1982 में सरकार ने स्वीकृत कर केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो क्या इन योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिपलेट जलोत्थान परियोजना तथा पीपल्दा जलोत्थान परियोजना से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या में से क्रमशः 26.62% अनुसूचित जाति 7.61% अनुसूचित जन-जाति तथा 26.81% अनुसूचित जाति 15% अनुसूचित जनजति के किसान है ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इन योजनाओं का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील खण्डार सूखा सम्भाव्य क्षेत्र है तथा इन दोनों योजनाओं से सिंचित होने वाले 34 तथा 32 ग्रामों में सिंचाई के अन्य साधन नहीं है ?

(4) क्या यह भी सही है कि पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई परियोजना का कार्यारंभ कराने के लिए जिला कलक्टर सवाई-माधोपुर तथा मुख्य अभियन्ता सिंचाई राजस्थान ने राशि आवंटित करने के लिए निवेदन किया है ? यदि हां, तो सरकार का इस योजना के कार्यारम्भ करने के सम्बन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया हैं। पिपलेट जलोत्थान सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र को बनास नदी में पानी उपलब्धता में कमी की वजह से, चम्बल नदी से प्रस्तावित वृहत इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया है। पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई परियोजना का प्रतिवेदन सभी आक्षेपों की पूर्ति के बाद केन्द्रीय जल आयोग को माह अगस्त, 1993 में स्वीकृती हेतु भेजा जा चुका हैं।

(2) पिपलेट एवं पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई परियाजनाओं से लाभान्वित होने वाली जलसंख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भी किसान हैं। उपरोक्त विवरण के अनुसार इन परि-योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किये जा सकेगें।

316

(सिंचाई मंत्री)

(3) तहसील खण्डार सूखा सम्भाव्य क्षेत्र है तथा इस तहसील के गांवों में बांधों/नहरों द्वारा सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है।

(4) जी हां। केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के पश्चात् तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

कृषि उपज मंडी, जोधपुर द्वारा सड़कों का निर्माण

768. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर कृषि उपज मण्डी ग्राम विकास के लिए गत तीन वर्षों में जोधपुर जिले में कितनी सड़कें बनायी गयी हैं तथा शेरगढ़ तहसील क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें बनायी गयी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील की बनायी गयी सड़कें टूट गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा इनकी मरम्मत के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में गत तीन वर्षों में जोधपुर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एवं शेरगढ़ तहसील में ग्राम विकास के लिये बनायी गयी सड़कों का विवरण परिशिष्ट अ, ब, स पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। शेरगढ़ तहसील में बनायी गयी सड़कों में से केवल सात सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण वर्षा एवं सेना के भारी वाहनों का आवागमन है। इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/विशेष मरम्मत के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट "अ"

जोधपुर जिले में जोधपुर मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों का विवरण

वर्ष 1990–91

क्र. सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	निर्माण कराये गये कार्य की लम्बाई	तहसील
1.	सम्पर्क सड़क माण्डूकलां से फोंच	5.00	जोधपुर
2.	सम्पर्क सड़क माण्डूकलां से बडलिया	5.00	,,
3.	सम्पर्क सड़क पीतावास से बावरला	12.00	,,
4.	सम्पर्क सड़क बावरला मिसिंग	2.00	,,
5.	सम्पर्क सड़क पालरोड़ से चाचोपासनी	6.00	,,
6.	सम्पर्क सड़क लूणावास मिसिंग	1 00	,,
7.	सम्पर्क सड़क सतनाला से धुन्धाड़ा	5.00	,,
8.	सम्पर्क सड़क जोलियाली	2.50	,,
9.	सम्पर्क सड़क जोधपुर पोकरण रोड़ से सेतरावा (लवारण)	5.00	शेरगढ़
10.	सम्पर्क सड़क चामू से भानूकलां	5.00	,,
11.	सम्पर्क सड़क चामू से भानूकलां मिसिंग	5.00	,,
12.	सम्पर्क सड़क उठवाड़िया से फलोदी मिसिंग	5.00	,,
13.	सम्पर्क सड़क सेतरावा भीनाणा से कलाऊ	5.00	,,
14.	सम्पर्क सड़क चोरडिया से ग्रासरलाई	3.00	,,
15.	सम्पर्क सड़क ग्रोसिया से खुडियाला	2.00	ग्रोसिया
16.	सम्पर्क सड़क खेड़ाणा से बिरसालू	5.00	,,
17.	सम्पर्क सड़क जूड से डाबरा	5.00	,,
18.	सम्पर्क सड़क लवारन कलां से धनेरीकलां	5.00	,,
19.	सम्पर्क सड़क कोलू से सांवरीज	5.00	,,

(318)

परिशिष्ट "ब"

जोधपुर जिले में जोधपुर मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों का विवरण
वर्ष 1991–92

क्र. सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	निर्माण कराये गये कार्य की लम्बाई	तहसील
1.	सम्पर्क सड़क विलाड़ा से खतियासनी	1.00	जोधपुर
2.	सम्पर्क सड़क जोलीयाली मिसिंग	2.30	,,
3.	सम्पर्क सड़क 14 मील नागौर रोड़ से जाजीवाल भाटिया पंडित जी की ढाणी	4.50	,,
4.	सम्पर्क सड़क बेरू से मालूंगा	5.00	,,
5.	सम्पर्क सड़क विरामी	0.90	,,
6.	सम्पर्क सड़क काकेलाव से पीथावास	2.00	,,
7.	सम्पर्क सड़क केरू फाटा से मोकलावास	3.00	,,
8.	सम्पर्क सड़क सालावास रेल्वे स्टेशन से सालावास गांव	2.00	,,
9.	सम्पर्क सड़क जाटों की प्याऊ से तनावड़ा	2.00	,,
10.	सम्पर्क सड़क बैथवासिया	4.50	ओसिया
11.	सम्पर्क सड़क रायमलवाड़ा से पड़ासला	5.00	,,
12.	सम्पर्क सड़क नेवरा से घोब	5.00	,,
13.	सम्पर्क सड़क बींजवाड़िया से राजासनी	1.70	,,
14.	सम्पर्क सड़क मथानिया से चोपासनी चारणा	1.20	,,
15.	सम्पर्क सड़क नेवरा से मेवासा	5.00	,,
16.	सम्पर्क सड़क हुरलाया से नौसर	5.00	,,
17.	सम्पर्क सड़क बाप से शेखासर	3.75	फलौदी
18.	सम्पर्क सड़क फलौदी चाड़ी रोड़ से पड़िहाल	4.60	,,
19.	सम्पर्क सड़क फलौदी बाप रोड़ से मालम सिंह की सीड	4.70	,,
20.	सम्पर्क सड़क दैनोक से लोहावट	5.00	,,
21.	सम्पर्क सड़क फलोदी रोस्से बैंकटीकलां	2.00	,,
22.	सम्पर्क सड़क चामूं देचू कलां से देवातू	5.00	,,

परिशिष्ट "स"

जोधपुर जिले की जोधपुर मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों का विवरण

वर्ष 1992–93

क्र. सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	निर्मित कराये गये कार्य की लम्बाई	तहसील
1.	सम्पर्क सड़क भंवर से लूणावास खारा	2.00	जोधपुर
2.	सम्पर्क सड़क जसवन्त सागर अगावदा से पूजला	5.00	,,
3.	सम्पर्क सड़क चौथीना से भाकरी	5.00	फलौदी
4.	सम्पर्क सड़क दैनोक से भीयासर	4.80	,,
5.	सम्पर्क सड़क भोजासर से भीयासर	5.00	,,
6.	सम्पर्क सड़क बालेसर तीवरी रोड़ निम्बाका गांव	4.00	शेरगढ़
7.	सम्पर्क सड़क 54 मील केतु फाटा से रायसर	4.80	,,
8.	सम्पर्क सड़क गढ़ा मिसिग	2.30	,,
9.	सम्पर्क सड़क मनाई से मथानिया	3.18	ओसिया
10.	सम्पर्क सड़क मथानिया से राजासनी	5.00	,,
11.	सम्पर्क सड़क मालूगा से बड़ा कोटेचा	5.00	,,
12.	सम्पर्क सड़क बिनाकिया चौराहा से खजड़ली प्याऊ	2.00	जोधपुर
13.	सम्पर्क सड़क भाण्डूकलां से बड़लिया	3.00	,,
14.	सम्पर्क सड़क मनाई से बिजवाड़िया	1.50	,,
15.	सम्पर्क सड़क गंगाणा से बासनी सिलावटा	2.00	,,
16.	सम्पर्क सड़क भंवर से गोदावास	2.00	,,
17.	सम्पर्क सड़क दईजर मंडलनाथ फाटा से करवड़ बासनी	5.00	,,

नादौती तहसील की गढ़मोरा कन्या शाला में अध्यापिकाओं के रिक्त पद

769. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नादौती तहसील की गढमोरा कन्या शाला में अध्यापिकाओं के कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितनी अध्यापिकायें वर्तमान में कार्यरत हैं ?

(2) क्या छात्राओं की संख्या की दृष्टि में अध्यापिकाएं कम हैं, और वो उपस्थित नहीं होती हैं ? क्या सरकार रिक्त पद भरने का विचार रखती हैं ?

(3) टोडाभीम क्षेत्र में उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी, हायर सैकेण्डरी विद्यालयों में कितने पद कहां-कहां रिक्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें। रिक्त पद अब कब तक भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) नादौती तहसील के गढ़मोरा कन्या शाला में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार हैं : –

संवर्ग का नाम	स्वीकृत	कार्यरत
1. व. अ. (प्र. अ.)	1	1
2. अध्यापिका	5	5

(2) छात्रा संख्या के अनुपात में अध्यापिकाएं पर्याप्त हैं। अध्यापिकाओं के समय पर उपस्थित नहीं होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) टोडाभीम क्षेत्र के सभी स्तर के विद्यालयों में रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार से हैं :—

विद्यालय का नाम	रिक्त पदों का संवर्ग	रिक्त पदों की संख्या
1. रा.सी.उ.मा.वि. टोडाभीम	उपप्रधानाचार्य व्याख्याता	1 2
2. रा.सी.उ.मा.वि. नागलपहाड़ी	उपप्रधानाचार्य व्याख्याता	1 5
3. रा.मा.वि. मनकपुरा	प्रधानाध्यापक	1
4. ,, रानौली	,,	1
5. ,, मोरड़ा	,,	1
6. ,, पदमपुरा	,,	1
7. ,, निसूरा	,,	1
8. रा.उ.प्रा.वि. खोहर्रा	वरिष्ठ अध्यापक	1

उपप्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता के रिक्त पद विभागीय चयन समिति अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरे जा सकेंगे। शेष पद वर्ष 94-95 के सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व भरे जा सकेंगे।

पुष्कर, जोधपुर एवं ब्यावर की सीवरेज योजना

770. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजना के तहत पुष्कर, जोधपुर, एवं ब्यावर

(श्री विष्णु मोदी)

की सीवरेज योजना के लिए 8.67 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त राशि का उपयोग किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त शहरों के लिए निर्धारित सीवरेज योजना की राशि को अब जयपुर में खर्च करने का विचार है ?

(3) उपरोक्त राशि पुष्कर, जोधपुर और ब्यावर में अब तक खर्च नहीं किये जा सकने के कारण क्या हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार अब भी उपरोक्त राशि पुष्कर, जोधपुर और ब्यावर में खर्च करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सम्पूर्ण राज्य में सीवरेज योजनाओं हेतु 8·67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । पुष्कर एवं जोधपुर की सीवरेज योजनाओं हेतु योजना के दो वर्षों में आवंटित राशि का उपभोग किया जा चुका है । ब्यावर हेतु अभी सीवरेज योजना स्वीकृत नहीं है ।

(2) जी नहीं । अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के **प्रथम** दो वर्षों में उपरोक्त योजनाओं पर निम्नानुसार व्यय हुआ है :

योजना का वर्ष	पुष्कर (लाख रु.)	जोधपुर (लाख रु.)
1992–93 (व्यय)	14·43	4.95
1993–94 (प्रावधान)	19.40	31.00

आवंटित की गयी राशि का उपयोग किया गया है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

(4) स्वीकृत योजनाओं पर उपलब्धतानुसार धनराशि आवंटित कर व्यय की जानी प्रस्तावित है ।

फुलाद बांध (मारवाड़ जंक्शन) की डूब की भूमि का मुआवजा

77। श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील में फुलाद बांध का निर्माण किस वर्ष में हुआ व इस पर कितनी लागत आयी ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध के बनने से काश्तकारों की खातेदारी जमीन डूब में आयी ? यदि हां, तो किन-किन कृषकों की कितनी जमीन डूब में आयी तथा क्या उन्हें मुआवजा दिया गया ?

322

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(3) किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा मिला, जिसके पुराने नम्बर क्या थे व अब सैटलमैंट होने से पुरानों के नये नम्बर कौन-कौन से बने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इस बांध के बनने से आबादी भूमि व मकानात किन-किन व्यक्तियों के डूब में आये व किन-किन को मुआवजा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मारवाड़ जंक्शन तहसील में फुलाद बांध का निर्माण वर्ष 1975-76 में पूर्ण हुआ था, जिस पर 15·46 लाख रुपये की लागत आयी थी।

(2) जी हां। जिन-जिन काश्तकारों की जितनी-जितनी खातेदारी भूमि डूब में आयी हैं तथा जिनको मुआवजा दिया जा चुका है, उनका विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त जो खसरा नम्बर डूब में आये हैं लेकिन सम्बन्धित कृषक मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर दर्शायी गयी है।

(3) जिन-जिन व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है, उसका विवरण तथा तत्सम्बन्धित भूमि के खसरा नम्बर व रकबा संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये हैं। इन खसरों के नये खसरा नम्बर क्या बने हैं, उसकी सूचना सम्बन्धित विभाग से एकत्रित की जा रही हैं।

(4) उक्त बांध के डूब में कोई आबादी भूमि नहीं आयी हैं। कुएं पर स्थित एक मकान डूब में आया है, जो परिशिष्ट "क" में क्रम संख्या 21 पर दर्शाया गया है एवं इनका मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सूरतगढ़ में कमाण्ड/अनकमाण्ड अलाटमेंट वाले क्षेत्रों का सर्वे कार्य

772. श्री अमरचन्द मिढ्डा (सूरतगढ़) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 के पश्चात् सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा अनकमाण्ड/कमाण्ड अलाटमेंट वाले क्षेत्रों में सर्वे करवाकर पानी मंजूर करने के कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा कितनों द्वारा सर्वे फीस जमा करवायी गयी ? प्रार्थी का नाम, मुरब्बा नम्बर, चक का नाम, सर्वे फीस की राशि, रसीद संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने प्रार्थना-पत्रों का सर्वे किया जाकर कमाण्ड घोषित करके सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने प्रार्थना-पत्र का सर्वे कर लिए जाने के बावजूद मंजूरी हेतु अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के कार्यालयों में कब से लम्बित पड़े हैं ? प्रार्थी के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन प्रार्थना-पत्रों का सर्वे शेष है उन्हें कब तक पूरा करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 के पश्चात् सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा अनकमाण्ड/कमाण्ड/अलाट वाले क्षेत्रों में सर्वे करवाकर पानी मंजूर करने के कुल 481 आवेदन प्राप्त हुए तथा सर्वे फीस में 120865/- रुपये जमा करवाये गये। ब्यौरा संलग्न सूची अनुसार प्रस्तुत है (परिशिष्ट—1)

(2) 16 प्रार्थना-पत्रों का सर्वे किया जाकर 513-35 बीघा भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। सूची संलग्न है (परिशिष्ट - 2)।

(3) कुल 127 प्रकरण अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। कृषकवार/चकवार सूची संलग्न है (परिशिष्ट –3)।

(4) कुल 328 प्रार्थना-पत्रों की सर्वे की जानी शेष है जिन पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। 10 प्रार्थना-पत्रों में पुनः सर्वे करने पर रकबा अनकमाण्ड पाया गया, इन प्रार्थना-पत्रों का निपटारा कर दिया गया।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।

जैतारण के लाम्बिया राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध शिकायत

773 श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय माध्यमिक विद्यालय लाम्बिया में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 5-3-1992 व दिनांक 14-8-1992 को छात्रों को ट्यूशन करने तथा उन्हें वहां से अन्यत्र पदस्थापित करने सम्बन्धी कोई शिकायत उप निदेशक (पुरुष) जोधपुर को की गयी ? यदि हां, तो शिकायत की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वरिष्ठ अध्यापकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? जांच की प्रति रिपोर्ट मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वरिष्ठ अध्यापकों जांच के दौरान दोषी पाये गये ? यदि हां, तो विभाग ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

(4) क्या सरकार उक्त दोषी वरिष्ठ अध्यापकों को अन्यत्र पदस्थापित करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) मामले की जांच करवायी गयी। प्रारम्भिक जांच में किसी को दोषी नहीं पाया गया। मामले में पुनः उच्च अधिकारी से जांच करवायी जा रही हैं।

(3) जी नहीं। दोषी नहीं पाये गये।

(4) जी नहीं। क्योंकि प्राथमिक जांच में अध्यापक दोषी नहीं पाये गये हैं।

(3२५)

(शिक्षा मंत्री)
सुरेन्द्र गोयल
विधायक
विधान सभा क्षेत्र जैतारण (पाली)

4/3 विधायक नगर (पश्चिम)
जयपुर फोन–6885 ।
नागोरी गेट,
जैतारण फोन–117
दिनांक : 5/3/92

श्रीमान् उप निदेशक महोदय,
शिक्षा विभाग, जोधपुर ।

मान्यवर,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैतारण के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लाम्बीया में कार्यरत द्वितीय श्रेणी के अध्यापक श्री घेवर राम एवं श्री नरपतसिंह के विरुद्ध ग्रामीणों ने मुझे लाम्बीया प्रवास के दौरान अवगत कराया है कि उक्त दोनों अध्यापक छात्रों को ट्यूशन के लिए जबरन मजबूर कर रहे हैं तथा छात्रों को खुल्ले आम यह धमकियां दे रहे हैं कि उनके पास ट्यूशन करो अन्यथा परीक्षा में असफल कर देंगे ।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त अध्यापकों को अन्यत्र पदस्थापित करावे एवं ट्यूशन के लिए मजबूर नहीं करने हेतु पाबन्द करावें ।

ह०/–
सुरेन्द्र गोयल
विधायक

तहसील दांतारामगढ़ के ग्रामों में पेयजल

774. श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील दांतारामगढ़ में कुछ जगहों पर खारा पानी होने के कारण अन्य जगहों से पानी देने की कोई योजना विभाग के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(2) क्या ग्राम रलावता, नीमेड़ा, जीनमाता, मोहनपुरा, बालड़ी, दूधवा आदि ग्रामों की कोई योजना काफी लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार अब इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उल्लेखित तहसील के खारे पानी वाले ग्राम दौलपुरा एवं केसव का वास हेतु अन्य स्रोतों से प्रस्तावित योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं । अन्य तीन ग्रामों हेतु योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनकी स्वीकृति एवं क्रियान्विति धन उपलब्धतानुसार की जा सकेगी ।

(2) ग्राम रलावता, निम्हेड़ा एवं जीणमाता हेतु उचित भूजल स्त्रोत के अन्वेषण का कार्य प्रगति पर है जिसके पूर्ण होने पर योजना बनायी जानी प्रस्तावित है । ग्राम रलावता की ढाणी बासड़ी को ग्राम दूधवा से पेयजल आपूर्ति की जा रही है । जहां इसका स्त्रोत स्थित है ।

डूंगरपुर जिले की सोम कमला आंबा परियोजना

775. श्री भीमराज मीणा (आसपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आसपुर जिला डूंगरपुर में वर्तमान सोम कमला आंबा परियोजना का निर्माण कार्य किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया था ? अब तक कितनी धन राशि व्यय हो चुकी है तथा अब तक कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण रहे हैं ? अब कब तक यह कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सोम कमला आंबा परियोजना निर्माण हेतु इसके गेट क्रय किये गये थे ? यदि हां, तो कब खरीदे गये तथा इन पर कितनी धन राशि व्यय की गयी ?

(3) इसके निर्माण में किस श्रेणी का लोहा उपयोग में लिया जा रहा है एवं कौन-कौन इसके ठेकेदार हैं ?

(4) सोम कमला आंबा बांध के दोनों कैनालों का अन्तिम सिरा कहां तक है ? इसे कितना किलोमीटर अंकित किया गया व इसको पूरा करने का लक्ष्य कहां तक है ?

(5) क्या सोम कमला आंबा कैनालों का पानी सीपेज हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे बन्द करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सोम कमला आंबा परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1977 में प्रारम्भ किया गया था । इस परियोजना पर फरवरी 1994 तक कुल 105.70 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सम्भावित अधिकतम बाढ क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि व जल उपलब्धता के आधार पर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के कारण परियोजना के समग्र आकार एवं रूपांकन में परिवर्तन तथा पर्याप्त बजट आबंटन का अभाव ही इस योजना के अब तक पूर्ण न होने के प्रमुख कारण रहे हैं । परियोजना के बांध का कार्य जून, 95 एवं नहरों के कार्य वर्ष 1996–97 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

(2) जी हां । सोम कमला आंबा परियोजना निर्माण हेतु स्पीलवे गेट (जिनके साथ इरेक्शन का कार्य भी शामिल है) विभिन्न चरणों में वर्ष 1981-82 से 1992 तक क्रय किये गये हैं । माह फरवरी, 1994 तक गेट्स पर 1228.26 लाख रुपये का खर्चा हुआ है ।

(3) गेट्स निर्माण के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत डिजाइन व नक्शों में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार भारतीय मानक संस्थान के मापदण्डों के अनुरूप निम्न प्रकार का लोहा (स्टील) उपयोग में लिया गया है :—

(क) माइल्ड स्टील (ख) स्टेनलेस स्टील
(ग) कास्ट स्टील

गेट्स निर्माण का कार्य एक ही ठेकेदार मैसर्स ओम मेटल्स एण्ड मिनरल्स लि. कोटा को आबंटित किया गया है ।

(326)

(सिंचाई मंत्री)

(4) सोम कमला आंबा परियोजना की नहरों की लम्बाई एवं सिंचित क्षेत्र के अन्तिम छोर के गांवों का विवरण निम्नानुसार है :—

नहर	लम्बाई कि.मी.	सिंचित क्षेत्र के अंतिम छोर का गांव	कार्य पूरा करने का लक्ष्य
बायी नहर	9.69	वीरंवा	पूरा हो चुका है।
दायी नहर	19.86	बोडी ग्राम एवं मकनिया मालोरा	1994–95
आसपुर ब्रांच नहर	34.53	नवा टापरा	1994-95
बड़ौदा ब्रांच नहर	15.30	थाणी वरवा	1996–97

(5) इस परियोजना की नहरों में पाइप्स के जोइंट्स पर चूहों आदि द्वारा मिट्टी में बिल बना देने, के पक्के कार्यों के कंस्ट्रक्शन जोइंट्स में तापमान से बढ़ाव एवं सिकुड़न (एक्सपान्शन एवं कोन्ट्रैक्शन) तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से कुछ रिसाव नहर चलने के दौरान पाये गये थे। ऐसी स्थिति नयी बनायी गयी नहरों में सामान्यतया होती है। इस प्रकार की सीपेज से मिट्टी में किये गये बिलों को भरकर तथा कंसट्रक्शन जोइंट्स में सीलिंग कम्पाउण्ड भरकर बंद करने की कार्यवाही की जा चुकी है।

थानागाजी (अलवर) में कृषि उपज मण्डी का निर्माण

776. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नारायणपुर तहसील थानागाजी (अलवर) में कृषि मण्डी का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो इसकी लागत क्या रही ? लागत का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थान पर कितनी दुकानों का निर्माण हुआ है, कितनी दुकानें किस दर से किराये पर दी जा रही हैं ?

(3) कितनी दुकानें कितने किराये पर दे दी गयी है, कितना किराया वसूल हुआ है और कितना किराया बाकी है ? बाकी किराये के न वसूल होने के क्या कारण हैं और इसे कब तक वसूल कर लिया जावेगा?

(4) क्या कृषि मण्डी चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इसको चालू कराने का सरकार विचार रखती है ?

(5) कृषि उपज मण्डी की जमीन का कितना मुआवजा चुकाया गया है ? क्या इस जमीन के एक्वायर करने में कोई विवाद था ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। गौणमण्डी नारायणपुर पर अब तक 11,78,281/– रुपये व्यय हुआ है, मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) गौणमण्डी, नारायणपुर में 20 दुकानों का निर्माण हुआ है। सभी दुकानों का आबंटन शुल्क (किराया) प्रति दुकान प्रति माह 162/- निर्धारण कर आबंटित की हुई है।

(3) गौणमण्डी, नारायणपुर में निर्मित 20 दुकानों का आवंटन किया हुआ है। प्रत्येक दुकान का आबंटन शुल्क (किराया) प्रतिमाह 162/– निर्धारण किया हुआ है। जिनका आबंटन शुल्क 56,538/– रुपये वसूल हुआ है तथा 79542/– रुपये आबंटन शुल्क बाकी है। बाकी आबंटन शुल्क आबंटियों द्वारा जमा नहीं कराया जा रहा है। जिसके लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) जी नहीं। अनुज्ञापत्रधारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भुगतान क्षमता कम होना एवं कृषको द्वारा उपज कम लाये जाने के कारण मण्डी चालू नहीं हो पा रही है। मण्डी चालू करने के ठोस प्रयास जारी हैं।

(5) गौणमण्डी, नारायणपुर के लिए कृषि भूमि का मुआवजा 1·79 लाख रुपये चुकाया गया है। जी हां, इस जमीन के एक्वायर करने में विवाद था, कुल जमीन 9 बीघा 11 बिस्वा में से 10 बिस्वा जमीन श्री घीसा पुत्र छोटू माली ने अन्य को बेचान कर दिया था।

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति अलवर की गौणमण्डी, नारायणपुर की लागत का मदवार विवरण

क्र सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि रुपये
1.	आन्तरिक सड़क	304900.00
2.	स्ट्रीट लाइट 10 पोल	62394.00
3.	कवर्ड आक्शन प्लेटफार्म 1 नग	74330.00
4.	शाप विद प्लेटफार्म 20 नग	431084.00
5.	कम्पाउण्डवाल	120778.00
6.	हैण्डपम्प 2 नग	33739.00
7.	वाटर ट्रफ (खेल)	9037.00
8.	सर्वे एण्ड लैंड लेवलिंग	10620.00
9.	प्याऊ 1 नग	17037.00
10.	यूरिनल कम डब्ल्यू. सीं.	8545.00
11.	फ्लड प्रोटेक्शन	105817.00
	योग :	1178281.00

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 1139 की प्रति

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज., जयपुर

सं. एफ 2 (घ) (771) जांच/डीएलबी/93/1840 दिनांक : 27-10-93

श्री अमरचन्द वर्मा,
अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका, नैनवा।

विषय : परिवाद सं. 227/91 श्री बृजराजसिंह शक्तावत नैनवा बनाम बाबत दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु।

प्रसंग : इस विभाग का पत्र सं. एफ 2 (छ) ( ) एसीडी/डीएलबी/93/358 दिनांक 10-6-93, 464 दि. 23-7-93 एवं 643 दिनांक 8-10-93

आपका ध्यान उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों की ओर आकर्षित कर लेख है कि विषयान्तर्गत मामले में निम्न दोषी व्यक्तियों को निलम्बित कर प्रति इस विभाग को 7 दिवस के अन्दर-अन्दर भिजवायें।

1. श्री मुकटबिहारी लाल शर्मा
2. श्री बाबूलाल शर्मा

ह०/–
निदेशक

परिशिष्ट— 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1142 का विवरण

सूची सदन की मेज पर रखने हेतु

1. श्री सबजी पिता गौतम आदिवासी
2. श्री जीतमल पिता हेमाजी भोई
3. श्री कुलदीप कुमार पिता गुलापचंद जी शाह
4. श्री नगीनलाल पिता गीतमल जी जैन
5. श्री साजनदास पिता सामनदास सिन्धी
6. श्री मोहनलाल पिता सोमनाथ सेवक
7. श्री अनिरूद्ध पिता उदयलाल चौबीसा
8. श्री अजबलाल पिता जड़ावचंद जैन
9. श्री अजबलाल पिता धुलजी जैन
10. श्री नरेन्द्र कुमार पिता भाई शंकर व्यास
11. श्री जीतमल पिता अमीच ; दोसी
12. श्री रमेश चंद पिता रतनलाल जैन
13. श्री दिनेश चंद पिता जयन्तिलाल कंसारा
14. श्री अब्दुल लतीफ पिता हसनजी पिंजारा
15. श्री दिलीप कुमार पिता रतनलाल जी जैन
16. श्री धुलजी पिता रतनलाल जी नाई
17. श्री रसीद मौहम्मद पिता अब्दुल रहमान लखारा
18. श्री मोहनलाल पिता बदियाजी भोई
19. श्री ईकबाल पिता अब्दुल रहमान
20. श्री याकुब पिता अब्दुल रहमान
21. श्री देवीलाल पिता मोगजी जोशी
22. श्री छगनलाल पिता जड़ावचंद संघवी
23. श्री अब्दुल रज्जाक पिता अब्दुल रहीम लखारा
24. श्री प्रेम प्रकाश पिता अजबलाल पंचोरी
25. श्री अशोक कुमार पिता नानालाल जी जैन
26. श्री हरिशचन्द्र पिता लक्ष्मण लाल सेवक

परिशिष्ट – 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1144 का विवरण

कार्यालय नगरपालिका किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)

वर्षवार सड़कों की मरम्मत कार्य का विवरण

वर्ष 1990–91

1.	वार्ड 14 सब्जी मण्डी में सिलोरा पत्थर मरम्मत कार्य	140 आर. एम.
2.	आदर्श विद्या मन्दिर रूपनगढ़ रोड के पास गली की मरम्मत	10 ,,
3.	किशनगड़ पाण्डयों का मोहल्ला ताराचन्द के मकान से गली में सिलोरा पत्थर रिव्यूल कार्य	300 ,,
4.	नगर पालिका कार्यालय के सामने से सदर बाजार, धानमण्डी से अंराई रोड तक पेजवर्क कार्य	100 ,,
5.	आसवाली मोहल्ला अमरचन्द के मकान से राजेन्द्र दरडा तक सिलोरा पत्थर सड़क की मरम्मत	140 ,,
6.	वार्ड 15 सी. एम. अग्रवाल सीए के मकान से मौजूदा सड़कों को ऊंचा करने का कार्य	140 ,,
7.	वार्ड 28 विभिन्न स्थानों पर सिलोरा पत्थर पेवमेन्ट का कार्य व सुधार कार्य	500 ,,
8.	वार्ड 26 से विभिन्न स्थानों पर सिलोरा पत्थर पेवमेन्ट व सुधार कार्य	360 ,,
9.	वार्ड 13 कोटन प्रेस के सामने डामर रोड पेचवर्क्स का कार्य	280 ,,
	योग :	1970 ,,

वर्ष 1991–92

1.	महेश्वरी कालोनी में न. पा. पार्क के पास सड़क मरम्मत कार्य	100	आर. एम.
2.	वार्ड 11 से 15 तक नाली व सड़क रिपेयर कार्य	400	,,
3.	वार्ड 1 से 5 तक नाली व सड़क मरम्मत कार्य	135	,,
4.	वार्ड 6 से 10 तक नाली व सड़क मरम्मत कार्य	200	,,
5.	महेश्वरी भवन के सामने सिलोरा पत्थर रिफिसिंग कार्य	50	,,
6.	वार्ड 18 में राठी के मकान के पास सिलोरा पत्थर सड़क मरम्मत	180	,,
7.	वार्ड 5 गांधीनगर कुम्हार मोहल्ला सोनगरा के मकान के पास नाली क्रास का निर्माण	30	,,
8.	ओसवाल मोहल्ला मूलचन्द यादव के मकान से पारस सदन पत्थर की फर्स की रिफिक्सींग व रिपेयर	360	,,
9.	वार्ड 28 वेदों का मोहल्ला सड़क पत्थर की मरम्मत कार्य	196	,,
	योग :	1651	,,

वर्ष 1992–93

1.	वार्ड 11 में जामामस्जिद को ऊंचा उठाने का कार्य सीसी रोड	46	आर. एम.
2.	वार्ड 15 गोपाल बिल्डिंग के पास सीसी रोड की मरम्मत कार्य	120	,,
3.	वार्ड 7 फरासिया में भंवरलाल के मकान के पास सड़क को ऊंचा उठाने का कार्य	30	,,
	योग :	196	,,

सर्व योग :—3.817 किलोमीटर

ह०/–

अधिशाषी अधिकारी,

नगरपालिका, किशनगढ़

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1145 की सूचियां

सूची–अ

सहायक अभियंता (सिविल) के स्थायी पद

1.	अजमेर	1
2.	आबूपर्वत	1
3.	बीकानेर	1
4.	गंगानगर	1
5.	अलवर	1
6.	कोटा	1
7.	टोंक	1
8.	उदयपुर	1
9.	भीलवाड़ा	1
10.	ब्यावर	1
11.	जयपुर	5
12.	सीकर	1
13.	भरतपुर	1
14.	पाली	1
15.	जोधपुर	1
16.	बारां	1
17.	सुमेरपुर	1
18.	नाथद्वारा	1
19.	बाड़मेर	1
20.	जैसलमेर	1
21.	चित्तौड़गढ़	1
22.	बालोतरा	1
23.	सवाईमाधोपुर	1
24.	किशनगढ़	1
25.	जालोर	1
26.	बांसवाड़ा	1
27.	सिरोही	1

अस्थाई पद

1.	जयपुर	4
2.	नागौर	1
3.	राजसमंद	1
4.	निम्बाहेड़ा	1
5.	रतनगढ़	1
6.	कोटा	2
7.	जोधपुर	1
8.	हनुमानगढ़	1

सूची–ब

विभिन्न नगरपालिकाओं में कार्यरत नगरपालिका सेवा के सहा. अभियंताओं की सूची

1.	श्री सुंदर छबलानी	ब्यावर
2.	श्री पूर्णमल शर्मा	भरतपुर
3.	श्री रतनलाल गर्ग	जयपुर
4.	श्री दीनानाथ	जयपुर
5.	श्री बनवारीलाल सोनी	सीकर
6.	श्री दिलीपकुमार गुप्ता	राजसमंद
7.	श्री राधेश्याम खण्डेलवाल	किशनगढ़
8.	श्री ओमप्रकाशजी	हनुमानगढ़

सूची–स

विभिन्न नगरपालिकाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सहा. अभियंताओं की सूची

1.	श्री रीझनल झरवानी—नगर नि. विभाग	बीकानेर
2.	श्री रामेश्वरलाल—सा.नि.वि.	उदयपुर
3.	श्री ए. एल. श्रीमाली—सा.नि.वि.	चित्तौड़गढ़
4.	श्री के. एल. राठी—सा.नि.वि.	जैसलमेर
5.	श्री बी. आर. बंसल—नगरीय वि.	भीलवाड़ा
6.	श्री भैरूलाल- सा.नि.वि.	मा. आबू
7.	श्री भंवरलाल भाटी—सा.नि.वि.	बांसवाड़ा
8.	श्री डूंगरराम मेघवाल—सा.नि.वि.	जोधपुर
9.	श्री रामबाबू तिवाड़ी—सा.नि.वि.	अजमेर
10.	श्री के. सी. गुप्ता—सा.नि.वि.	अलवर
11.	श्री एस. सी. जैन—सा.नि.वि.	जयपुर
12.	श्री बी. एन. माथुर—सा.नि.वि.	जयपुर
13.	श्री ए. के. जैन—सा.नि.वि.	जयपुर
14.	श्री पी. डी. माथुर—सा.नि.वि.	जयपुर
15.	श्री कैलाश मीना—सा.नि.वि.	जयपुर
16.	श्री के. सी. गुप्ता—सा.नि.वि.	जयपुर
17.	श्री जे. एन. पारीक—सा.नि.वि.	जयपुर

(३३५)

परिशिष्ट — 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1146 की प्रतियां

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक :– एफ 27 ( ) डीएलबी/एसई/81/5474 जयपुर, दिनांक :- 29-11-71

आदेश

राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 27 के अनुशरण में निम्नांकित कनिष्ट अभियंता/अधिनस्थ अभियांत्रिकों की पदोन्नति तदर्थ रूप से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन शृंखला 2200-75-2800-100-4000 में उनके सम्मुख अंकित नगरपरिषद्/पालिकाओं में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के लिए अथवा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1963 के नियम 25 के अन्तर्गत चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है ।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	नियुक्ति स्थान नगरपरिषद्/न.पालिका	विवरण
1.	श्री ओमप्रकाश लीला	नगरपरिषद्, कोटा	रिक्त पद पर
2.	श्री बनवारी लाल सोनी	नगरपरिषद्, किशनगढ़	रिक्त पद पर
3.	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	नगरपालिका, निम्बाहेड़ा	रिक्त पद पर
4.	श्री पूरण मल शर्मा	नगरपरिषद्, कोटा	रिक्त पद पर
5.	श्री सुन्दर छबलानी	नगरपरिषद्, ब्यावर	रिक्त पद पर
6.	श्री रतन लाल गर्ग	नगरपरिषद्, चुरु	रिक्त पद पर
7.	श्री दीनानाथ	नगरपालिका, जालौर	रिक्त पद पर
8.	श्री राधेश्याम खण्डेलवाल	नगरपरिषद्, भरतपुर	रिक्त पद पर
9.	श्री हर लाल	नगरपालिका, बारां	रिक्त स्थान पर

ह./–
उप शासन सचिव

क्रमांक :- एफ़ 27 ( ) डीएलबी/एसई/81/5475-5527 जयपुर, दिनांक 27-11-91

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सहायक निदेशक, पूर्व जांच दल, नगरपरिषद्.......................................
3. प्रशासक/अध्यक्ष, नगरपरिषद्, नगरपालिका.......................................

4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद्/नगरपालिका.................... ... ...
5. श्री .... पद कनिष्ट अभियंता/अधिनस्थ अभियांत्रिकी नगरपरिषद्/नगरपालिका...
6. निजी पत्रावली/सुरक्षित पत्रावली ।

ह./–
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:- एस्टे (एम)एफ 10 (निजि) एसई/एलएसजी/90/785 जयपुर, दिनांक 20-11-90

आदेश

विभागीय पदोन्नति मण्डल की बैठक दिनांक 5-11-90 में श्री चन्द्रशेखर शर्मा, कनिष्ट अभियंता (सिविल) को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर दिनांक 1-4-85 से पदोन्नति हेतु उपयुक्त घोषित किया गया है, जिसका अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है ।

अतः श्री चन्द्रशेखर शर्मा, कनिष्ट अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर दिनांक 1-4-85 से नियमित रूप से पदोन्नत किया जाता है ।

ह./–
उप शासन सचिव

क्रमांक :- एस्टे (एम) एफ 10 (निजि) एसई/एलएसजी/90/ जयपुर, दिनांक :—

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. प्रशासक, नगरपरिषद्, जयपुर
2. सहायक निदेशक, पूर्व जांच दल, नगरपरिषद्, जयपुर ।
3. श्री चन्द्र शेखर शर्मा, सहायक अभियंता (सिविल), नगरपरिषद्, जयपुर
4. निजि पत्रावली/सुरक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1152 का विवरण

परिशिष्ट "क"

जोधपुर जिले में तहसीलवार हैण्ड पम्पों की सूचना

क. सं.	तहसील	स्थापित कुल हैण्ड पम्पों की संख्या	परित्यक्त हैण्ड पम्पों की संख्या	कार्यरत हैण्ड पम्पों की संख्या	अस्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	ओसियां	240	23	145	72
2.	बिलाड़ा (ग्रामीण)	110	46	56	8
	(शहरी)	13	—	10	3
3.	भोपालगढ़	131	5	58	68
4.	जोधपुर (ग्रामीण)	240	55	170	15
	(शहरी)	1939	14	1673	252
5.	लूणी	117	22	75	28
6.	शेरगढ़	412	32	345	35
7.	फलौदी	17	8	3	6
	योग :	3219	205	2535	479

परिशिष्ट "ख"

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्पों की स्थिति

क्र. सं.	गांव का नाम	कुल हैण्ड पम्पों की संख्या	चालू हैण्ड पम्पों की संख्या	खराब हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	पिचियाक	3	3	—
2.	भावी	2	2	—
3.	भाक	1	1	—
4.	भूरली	1	1	—
5.	रामपुरिया	1	1	—
6.	खारिया मीठापुर	1	1	—
7.	हर्ष	3	3	—
8.	बरना	7	5	2
9.	कलाऊना	2	2	—
10.	जैतीवास	1	1	—
11.	जैलवा	1	1	—
12.	बांकलिया	4	3	1
13.	बेनण	1	1	—
14.	रियां	2	2	—
15.	भानण	1	1	—
16.	जालीवाडा कलां	1	1	—
17.	चिरडाणी	2	2	—
18.	रूणकिया	2	2	—
19.	खारीया ग्रनावास	2	2	—
20.	रावनियाना	4	4	—
21.	भालावास	1	1	—
22.	गडसुरिया	1	1	—
23.	मादलिया	1	1	—
24.	कोसाना	14	10	4
25.	लावारी जागीर	3	2	1
26.	बांजरा	2	2	—
27.	खवासपुरा	7	5	2
28.	चौकड़ी कलां	7	5	2
29.	सियारा	2	1	1
30.	पालड़ी सिद्धा	2	1	1
31.	खांगटा	3	1	2
32.	रतकुड़िया	1	2	—
	योग	86	70	16

338

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1153 की सूची

शेरगढ़ तहसील में वित्तीय वर्ष 1993-94 में नलकूप एवं हैण्ड पम्प निर्माण का कार्यक्रम

(क) नलकूपों के निर्माण की प्रगति

क्र.सं.	स्थान/ग्राम का नाम	योजना का नाम	प्रगति
1.	शेरगढ़	एन आर वी मोमसागर	नलकूप चालू कर दिया गया है
2.	तेंना	कन्टीन्जेंसी तेंना	,,
3.	दूधा बेरा	,,	,,
4.	केतु हेमा	केतु कला/केतु हेमा	,,
5.	केतु हेमा बिरतनाडी	,,	नलकूप खुद गया है चालू करना शेष है।
6	भालु अनूपगढ़	पीएण्डटी भालु अनूपगढ़	नलकूप चालू कर दिया गया है
7.	खारी बेरी	एनआरवी खारी बेरी	नलकूप खुद गया है, चालू करना शेष है।
8.	गुमानपुरा	,,	,,

(ख) निर्मित हैण्ड पम्प

क्र.सं.	ग्राम का नाम	हैण्ड पम्पों की संख्या	क्र.सं.	ग्राम का नाम	हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	सोलंबकया तलां	एक	16.	खारी बेरी	दो
2.	डेरा	एक	17.	बेलवा	एक
3.	कलाऊ	एक	18.	धीरपुरा	एक
4.	बालेसर सत्ता	एक	19	गोपालसर	एक
5.	देचतु आईचा	एक	20.	शिवपुरा	एक
6.	चौरड़िया	एक	21.	बालेसर	एक
7.	खियांसरिया	एक	22.	बालेसर दुर्गावतां	एक
8.	खिरजाखाल	एक	23.	केतु कलां	दो
9.	शेखाला	एक	24.	खिरजा आशा	एक
10.	नाथराऊ	एक	25.	सुख मण्डला	एक
11.	कनोड़िया पुरोहितान	एक	26.	केतु मनावतां	एक
12.	रायसर	एक	27.	गिलाकौर	एक
13.	भालू कलां	दो	28.	बिराई	एक
14.	सियान्डा	दो	29.	चौमू	एक
15.	सेतरावा	तीन	30.	रायसर (हैण्ड पम्प खुदना शेष है)	एक

परिशिष्ट —10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 की सूची

परिशिष्ट "क"

क्षेत्रिय जल योजना ललानिया शिमला भानीपुरा के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले गांवों की सूची :—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं. 1981	आबादी 1981
1	2	3	4
1.	सावर	6	1313
2.	जैतसीसर	21	2111
3.	भाऊवाला	24	376
4.	नीमरासर	25	562
5.	सेहजासर	27	327
6.	अमरसर	28	240
7.	मेहरासर उपाधियान	30	1249
8.	रातुसर	44	1962
9	पीरेर	45	468
10.	कालवासिया	22	1201
11.	तोलासर	8	619
12.	रायपुरा	23	830
13.	देवासर	29	1105
14.	बिल्यु बास महियान	31	475
15.	बिल्यु बास रामपुरा	33	1952
16.	बोगेरा	39	2410
17.	शिमला	40	2263
18.	खेजडा उतरादा	49	722
19.	बुकनसर बडा	50	1867

540

1	2	3	4
20.	भानीपुरा	52	783
21.	खेजडा दिखनादा	78	1200
22.	रोलासर	1	701
23.	मानपालसर	2	625
24.	राणासर पंवरान	3	1534
25.	जेतासर	4	1246
26.	कुसुमदेसर	5	521
27.	दालूसर	7	739
28.	घाटवाला	9	340
29.	बनीयासर	10	413
30.	सुमेरिया	11	404
31.	मेनासर	12	262
32.	भोजासर बडा	13	700
33.	भोजासर छोटा	14	1364
34.	राजासर चोरडिया	15	479
35.	रनसीसर	17	1229
36.	मीयासर	18	239
37.	बींजरासर	19	802
38.	साडासर	20	1270
39.	बरजांगसर	46	2081
40.	पीचकराई टिब्बा	47	455
41.	पीचकराई ताल	48	1208
42.	हरदेसर	51	893
43.	बादडिया	53	790
44.	हालासर	54	443
45.	लूणासर	55	872
46.	राजासर पंवरान	57	1121

1	2	3	4
47.	नारसरा	58	552
48.	सोनपालसर	59	1064
49.	कीकासर	60	927
50.	मलसीसर	61	96
51.	घीरासर	62	467
52.	कंवलासर	63	911
53.	सोमासर	64	831
54	पनपालिया	65	598
55.	ग्रडसीसर	66	781
56.	घडसीसर	67	1379
57.	खुडिया	58	300
58.	पूनूसर	69	795
59.	करनसर	70	756
60.	रंगाईसर	71	922
61.	लोडेरा	72	344
62.	बायला	73	1053
63.	मालकसर	74	1361
64.	मालसर	75	1943
65.	राजासर बोकान	111	2650
66	ग्रमरसर	112	677
67.	पाटमदेसर	113	652
68.	चार नवासी	120	521
69.	भादासर उतरादा	121	975
70.	भादासर दिखनादा	122	1180
71.	मीतासर	127	875
72.	पातलीसर छोटा	161	509
73.	पातलीसर पुरोहितान	162	363
74.	पातलीसर बड़ा	173	1161

परिशिष्ट — 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 का विवरण

बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बांधो की सूची : —

क्र. सं.	बांध का नाम	जिस गांव के पास स्थित है	निर्माण का वर्ष	डिजाइन्ड सिंचाई क्षमता	अर्जित सिचाई क्षमता
(ए)	**आजादी से पूर्व निर्मित बांध :—**				
1.	उमरेह बांध	उमरेह	रियासती काल	400 एकड़	200 एकड़
2.	नादरौली बांध	नादरौली	,,	400 एकड़	200 एकड़
3.	रामसागर बांध	बाडी	,,	5250 एकड़	4300 एकड़
4.	आर. टी. बांध	पौपनगर	,,	400 एकड़	100 एकड़
5.	तालाब शाही	खानपुर	,,	670 एकड़	427 एकड़
6.	डी. बी. आर झील	धनौरा	,,	150 एकड़	रामसागर बंध के साथ ही क्षेत्र शामिल है
7.	हुसैनपुर बांध	हुसैनपुर	,,	400 एकड़	360 एकड़
(बी)	**आजादी के बाद निर्मित बांध :—**				
1.	पार्वती बांध	आंगई	1962	30470 एकड़	19200 एकड़
2.	राता की खाल बांध	वीरपुर	1982	400 एकड़	200 एकड़
3.	सुनीपुर बांध	सुनीपुर	1985	पेटाकाश्त	पेटाकाश्त
4.	तरबा बांध	तरबा	1988	110 एकड़	नहर नहीं बनी
5.	चिलाचोंद बांध	चिलाचोंद	निर्माणाधीन	247 एकड़	,, ,,
6.	बरीपुरा बांध	बरीपुरा	,,	140 एकड़	,, ,,

परिशिष्ट —12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1169 की प्रति

राजस्थान सरकार

क्रमांक : शिक्षा : प 13 (32) शिक्षा-1/77 जयपुर, दि. 6-8-92

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :— छात्र निधि शुल्क में वृद्धि।
संदर्भ :—आपका पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/स/22334/
मुख्य-2/84/177 दिनांक 24-2-93

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक दिनांक 5-10-83 एवं 26-6-86 के रूप में निर्देशानुसार लेख है कि सत्र 1992-93 मे समस्त विद्यालयों में छात्रनिधि शुल्क की राशि अब निम्न प्रकार से ली जाएगी :—

क. सं.	विभिन्न कक्षायें	वार्षिक छात्र निधि शुल्क
1.	नर्सरी/अविभक्त (कक्षा 1 से 2) इकाई	10 00
2.	प्राथमिक (3 से 5)	20.00
3.	उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक (उप्रावि.)	50.00
4.	उच्च प्राथमिक कक्षायें कक्षा 6 से 8 तक) जो माध्यमिक/उमावि में चलती हैं।	50 00
5.	मा. एवं उ मा कक्षायें (कक्षा 9 से 12)	75.00
6.	विज्ञान शुल्क (मा./उमावि.) कक्षा 9 से 12)	15.00
7.	समाजोपयोगी उत्पादन कार्य (मा /उमावि) (कक्षा 9 से 12)	30.00

उपरोक्त आदेश शैक्षिक सत्र 1-7-92 से लागू होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को दी जाने वाली समस्त सुविधाएं पूर्ववत रहेंगी।

भवदीय
ह०/-
उपेन्द्र कुमार घई,
विशेषाधिकारी।

(1344)

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प 13 (25) शिक्षा-2/77 जयपुर, दिनांक 16 मार्च, 1993

संशोधन

विभाग द्वारा जारी स्वीकृति समसंख्यक दिनांक 6-8-92 बावत छात्र निधि शुल्क में वृद्धि में आंशिक संशोधन निम्नानुसार जारी किया जाता है ।

क्र.सं.	विभिन्न कक्षायें	वार्षिक छात्र निधि शुल्क	क्र सं.	विभिन्न कक्षायें	वार्षिक छात्र निधि शुल्क
1.	नर्सरी/अविभक्त (कक्षा 1 से 2) इकाई	10.00	1.	नर्सरी/अविभक्त	शून्य
6.	विज्ञान शुल्क (मा./उमावि.) (कक्षा 9 से 12)	15.00	6.	विज्ञान शुल्क (सीउमावि.) (कक्षा 11 व 12)	15 00
7.	समाजोपयोगी उत्पादन कार्य (मा /उमावि) (कक्षा 9 से 12)	30 00	7.	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (माध्य.) (कक्षा 9 व 10)	30.00

उपरोक्त संशोधन सत्र 1993–94 से प्रभावी होगा ।

ह०/–
किशन लाल गुप्ता,
विशेषाधिकारी ।

प्रतिलिपि :—

निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

ह०/–
विशेषाधिकारी

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1172 की सूची

राज्य में जिला मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों की सूची जहां कृषि संकाय हैं :—

क्र सं.	नाम जिला	विद्यालय
1.	अजमेर	मोनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय
2.	टौंक	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टौंक
3.	भरतपुर	रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर
4.	धौलपुर	रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर
5.	जयपुर	रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, माणक चौक, जयपुर
6.	बीकानेर	रा. एम. एम. उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर
7.	श्री गंगानगर	रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर
8.	झुन्झुनूं	रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, झुन्झुनूं
9.	सिरोही	रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिरोही
10.	बून्दी	रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, बून्दी
11.	बारां	रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारां
12.	सवाई माधोपुर	रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, सवाईमाधोपुर
13.	डूंगरपुर	रा. महारावल उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूंगरपुर
14.	उदयपुर	रा. फतेह सी. उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर

कोटा संभाग में जिन-जिन विद्यालय में कृषि विषय चल रहे हैं, कि सूची :—

जिला— बूंदी

1. रा. सी. मा. विद्यालय, बूंदी
2. रा. सी. मा. विद्यालय, देई
3. रा. सी. मा. विद्यालय, केशवरायपाटन
4. रा. सी. मा. विद्यालय, इन्द्रगढ़

जिला— बांरा

5. रा. सी. मा. वि., बांरा
6. रा. सी. मा. वि., सीसवाली

जिला— झालावाड़

7. रा. सी. मा. वि., खानपुर
8. रा. सी. मा. वि., झालरापाटन

जिला— कोटा

9. रा. सी. मा. विद्यालय, इटावा

जिला— सवाईमाधोपुर

10. रा. सी. मा. वि., रतन जिला
11. रा. सी. मा. वि., सवाईमाधोपुर
12. रा. सी. मा. वि., सिवाड़
13. रा. सी. मा. वि., नागल पहाड़ी
14. रा. सी. मा. वि., पावटा
15. रा. सी. मा. वि., बड़ा गांव खोडला

परिशिष्ट — 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1175 का विवरण

व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रिक्त पदों की सूचना —विषयवार/जिलेवार

क्र.सं.	नाम विषय	जयपुर	दौसा	सीकर	भरतपुर	अलवर	धौलपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हिन्दी	30	09	13	14	19	12	97
2.	अंग्रेजी	04	05	06	02	03	03	23
3.	नागरिक शास्त्र	26	07	09	10	16	08	76
4.	इतिहास	14	04	06	02	07	03	36
5.	संस्कृत	06	03	02	10	04	06	31
6.	चित्रकला	01	03	05	—	01	—	10
7.	अर्थशास्त्र	10	02	03	01	05	—	21
8.	भूगोल	02	—	01	04	—	02	09
9.	जीवविज्ञान	04	—	03	02	05	01	15
10.	भौतिक विज्ञान	03	—	01	02	01	01	08

347

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	रसायन विज्ञान	01	—	—	01	03	01	06
12.	गणित	—	01	02	01	01	—	05
13.	वाणिज्य	04	02	—	01	02	03	11
14.	वया. शिक्षा	01	—	02	04	01	01	09
15.	कृषि	—	—	—	—	01	—	01
16.	राजस्थानी	—	01	—	—	—	—	01
17.	संगीत	02	—	—	—	—	—	02
18.	गृहविज्ञान	02	—	—	01	03	—	07
19.	एस. डी. ग्राई.	03	03	06	02	01	03	18
20.	प्र. अ. उप्रावि.	—	—	01	—	—	—	01
	योग	113	40	61	57	73	44	387

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 की सूची

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के श्रेणीवार विद्यालयों की सूची :—

1. रा. सी. उ. मा. वि., बाड़ी
2. रा. उ. मा. वि., सरमथुरा
3. रा. सी. उ. बा. मा. वि., बाड़ी

माध्यमिक

1. रा. मा. वि., अब्दुलपुर
2. ,, सिंगोरई
3. ,, कंचनपुर
4. ,, उमरेहै
5. ,, आंगई
6. ,, बरौली
7. ,, झिरी
8. ,, लीलौठी
9. ,, बा. सरमथुरा

उ. मा. विद्यालय

1. रा. उ. प्रा. वि., किलाबाड़ी
2. ,, किरीबाड़ी
3. ,, गुमटबाड़ी
4. ,, खानपुरमोना
5. ,, कांसोटोखेड़ा
6. रा.उ.प्रा.वि. सुनीपुर
7. ,, सनौरा
8. ,, चिलाचौद
9. ,, धीमरी
10. ,, टोंटरीबाड़ी
11. ,, धनौराबाड़ी
12. ,, हांसई
13. ,, सुरोठी
14. ,, बहादुरपुर
15. ,, दजपुरा
16. ,, जपावली
17. ,, कुरेंदाबाड़ी
18. ,, गुजरपुराबाड़ी
19. ,, महुआखेड़ा
20. ,, बसईडांग
21. ,, नगलावीघोरा
22. ,, पिदावली
23. ,, अलीगढबाड़ी
24. ,, मडागूजर
25. ,, सहेड़ीबड़
26. ,, बा. बाड़ी

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में प्राथमिक विद्यालयों की सूची :—

क्र.सं.	विद्यालय	क्र.सं.	विद्यालय
1.	रा.प्रा.वि., वीरपुर	32.	रा.प्रा.वि. कुतकपुर
2.	,, वरीपुरा	33.	,, मुरावली
3.	,, रजईखुर्द	34.	,, गढ़ी सुक्खा
4.	,, नगर	35.	,, लालोनी
5.	,, ज्वारे का पुरा	36.	,, लहकपुर
6.	,, गजपुरा	37.	,, सिकरौदा
7.	,, घनावली	38.	,, खेड़ा
8.	,, जनकपुर	39.	,, मझऊग्रा
9.	,, रहे	40.	,, घुरवास
10.	,, मुगलपुरा	41.	,, अजीतपुर
11.	,, विभूतिपुरा	42.	,, बदरेठा
12.	,, बरपुरा	43.	,, खेरली
13.	,, मुतावली	44.	,, तकीपुर
14.	,, मेहदपुरा	45.	,, रहल
15.	,, मिश्रो का पुरा (रूधेरा)	46.	,, मठनौरहा
16.	,, रायपुर (कुदिन्ना)	47.	,, नौहरा
17.	,, अमोल का पुरा	48.	,, विरामपुर
18.	,, सोने का गुजां	49.	,, तामोटी
19.	,, सेवर	50.	,, कछपुरा (विरामपुर)
20.	,, पाली	51.	,, रेवई
21.	,, करवापुरा	52	,, भवेश्वर खुर्द
22.	,, कुदिन्ना	53.	,, तोतपुरा
23.	,, नगला दूलेखां	54.	,, भवेश्वर कला
24.	,, कोलवा	55.	,, कुहावनी
25.	,, नीम खेड़ा	56.	,, सिगोरई
26.	,, बीलोनी	57.	,, निघारा
27.	,, अब्दुलपुर	58.	,, ऊमरेह
28.	,, मरहोली	59.	,, कोयला
29.	,, आमकापुर	60.	,, कांकराई
30.	,, लालौनीहार	61.	,, नखसोदा
31.	,, अरूंवा	62.	,, सागोर

क्र.सं.		विद्यालय	क्र.सं.		विद्यालय
63.	रा.प्रा.वि.	नादरोली	92.	रा.प्रा.वि.	कछपुरा (अलीगढ़)
64.	,,	सलैमाबाद	93.	,,	रानपुर
65.	,,	हुलासी का पुरा	94.	,,	सिकरां
66.	,,	रीछरी	95.	,,	हल्लेकापुरा
67	,	गडरपुरा	96.	,,	टोडपुरा
68	,,	महाराजपुर	97.	,,	खुले का पुरा
69.	,,	खोरपुर	98.	,,	रंजाने की धीमरी
70	,,	देवीसिंह का पुरा	99.	,,	सोंहा
71.	,,	आदमपुर	100.	,,	पंजूपुरा
72.	,,	उवासा	101.	,,	उलावटी
73.	,,	मूत्सूरा	102	,,	गामरी
74.	,,	बिजोली	103.	,,	लखेपुरा
75.	,,	कचेलपुरा	104.	,,	गुजर्राखुर्द
76.	,,	नयापुरा	105.	,,	गुजारांकलां
77.	,,	सायपुर (बिजौली)	106.	,,	जरारी घेसूआ
78.	,,	मझड़का	107.	,,	इकवालपुरा
79.	,,	जखौरा	108.	,,	रूपसपुर
80	,,	बख्तपुरा	109.	,,	जमालपुरा
81.	,,	म्हौरी का पुरा	110.	,,	करेरूआ
82.	,,	अहमदपुर	111.	,,	ऊमरी
83.	,,	हुसैनपुर	112.	,,	पवेसुरा
84.	,,	पगुली	113.	,,	कंचनपुर
85.	,,	निजामपुर	114.	,,	करेरूआ का पुरा
86.	,,	बरालीपुरा	115.	,,	बैनपुरा माफी
87.	,,	गढी खिराना	116.	,,	महाराजपुरा (निधारा)
88.	,,	पुरामदारी	117.	,,	बड़ापुरा
89.	,,	बैनपुरा (खालसा)	118.	,,	पुराडलावटी
90.	,,	कांसपुरा	119.	,,	बाड़ी (छात्रा)
91.	,,	दादुर			

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1181 की सूची "क"

भरतपुर जिले के मंदिरों में गत 5 वर्षों में हुए आय-व्यय का विवरण, देवस्थान विभाग भरतपुर खण्ड भरतपुर

आय					व्यय				
88–89	89–90	90–91	91–92	92–93	88–89	89–90	90–91	91–92	92–93
मंदिर श्री केलादेवी भीलकावाड़ा, भरतपुर									
433585 दो मेले से	261194	294712	314231 2 वर्ष नारियल	280531	230649	142889	122457	145842	207446
मंदिर श्री लक्ष्मणजी, भरतपुर									
85804	78255	66500	82593	86757	47000	33762	44178	32026	48564
मंदिर श्रीगंगाजी, भरतपुर									
119922	54029	80390	79949	95329	73216	53842	38868	36457	39537
मंदिर श्री बिहारीजी किला भरतपुर									
13869	13840	11211	7073	8180	11160	12290	5672	13504	8967
कन्सोलीडेटेड मंदिरान, भरतपुर									
161090	129576	100820	112411	180874	85028	69815	64436	51138	146212

ह०/–
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, भरतपुर, खण्ड–भरतपुर ।

परिशिष्ट "ख"

श्री किशनशाला धर्मशाला स्टेशन रोड, भरतपुर (राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी)

आय					व्यय				
88–89	89–90	90–91	91–92	92–93	88-89	89–90	90–91	91–92	92–93
3404	8812	3879	2180	3560	—	—	—	—	550.00

ह०/—
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग भरतपुर,
खण्ड—भरतपुर ।

(354)

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 1184 का विवरण

मंजूर शुदा कार्यों की स्थिति

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति		खर्च 1993-94	विवरण
1.	कार्यालय भवन का विस्तार	निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर के पत्रांक-57932-38 दिनांक 15-11-93	4 15 लाख	57932–38 दिनांक 25-11-93	1.00 लाख	—	माह फरवरी, 94 में कार्य के कार्यादेश जारी किये गये हैं।
2.	आर्च पुलिया 10 नग	,,	1.62	,,	1.50	—	उपरोक्त
3.	पेशाबघर दो नग	,,	0.68	,,	0.68	—	उपरोक्त
4.	प्याऊ 4 नग खेल 4 नग व पानी की टंकी 2 नग	,,	1.40	,,	0.50	—	उपरोक्त
5.	मिट्टी भराई	,,	0.48	,,	0.48	—	उपरोक्त
6.	बैंक भवन का विस्तार	,,	4.54	,,	1.54	—	उपरोक्त
7.	केन्टीन भवन	,,	6.32	,,	2.32	—	उपरोक्त
8.	ठेका नीलामी चबूतरा 40 × 50 एक नग	,,	12.00	,,	2.50	—	निविदायें स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत की जा रही है।
9.	गेट निर्माण 4 नग	,,	2.10	,,	1.00	—	माह फरवरी, 94 कार्य के कार्यदेश जारी किये गये हैं।

परिशिष्ट — 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1185 का विवरण

कृषि उपज मण्डी समिति, नरायना का आय-व्यय विवरण वर्ष 1988–89 से 1992–93 तक

क्र.सं.	नाम मद	वर्ष 88-89	वर्ष 89–90	वर्ष 90-91	वर्ष 91-92	वर्ष 92–93
1	2	3	4	5	6	7
आय :—						
1.	मण्डी शुल्क	200579·59	209543·48	236385·02	212598·47	183593·01
2.	अनुज्ञापत्र शुल्क	4740·00	4281·00	3793·00	4072·00	4252·00
3.	विलम्ब शुल्क	1336·11	1356·50	825·90	770·30	1867·30
4.	किराया	—	—	—	9000·00	23782·15
5.	अन्य आय	22617·80	36713·98	932698·94	242990·54	105468·10
	योग कुल आय :—	229373·51	251894·94	1173601·86	469331·31	318962·56

1	2	3	4	5	6	7
व्यय :—						
1.	संस्थापन	117085·05	158421·15	137122·20	144520 55	180228·25
2.	कार्यालय व्यय	19562·08	23383 15	23234·75	22223·55	11657·75
3.	बोर्ड अंशदान	20506·80	21758·90	24201·00	14983 00	—
4.	मण्डी सुविधाऐं	38528·60	36023·40	39266·65	46098·15	47497·00
5.	अन्य व्यय	15573·54	48530·10	9185·00	20218·50	65462·00
6.	निर्माण कार्य	—	—	905000·00	270000·00	—
	योग कुल व्यय :—	212256·07	288118·70	1138009·60	518043·75	304845·00

परिशिष्ट—19

अतारांकित प्रश्न संख्या 1190 की सूची

पंचायत समिति पिपलखुंट एवं बांसवाड़ा के लिफ्ट योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	नाम योजना	ग्राम पंचायत	पं.समिति	वर्ष	मद	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मोविपनिया	पिपलखुंट	पिपलखुंट	92–93	टीएडी	अविधुतिकृत
2.	कोकी टामटिया-II	अरनाथपुरा	,,	87–88	,,	पूर्ण
3.	पिपलखुंट	,,	,,	87–88	डीपीएपी	खख
4.	कोकी टामटिया-I	टामटिया	,,	87–88	टीएडी	खख
5.	धारणा-I	धारणा	,,	87–88	,,	,,
6	कडबलिया	कडबलिया	पिपलखुंट	87–88	आईआरडीपी	,,
7.	कटारों की में	कटारों की में	,,	88–89	डीपीएपी	,,
8.	सोडलपुर-I	सोडलपुर	,,	88–89	,,	,,
9.	घोडीतेजपुर-I	घोडीतेजपुर	,,	89–90	टीएडी	,,
10.	,, -II	,, -I	,,	89–90	,,	,,
11.	पातिनगरा	पानिनगरा	,,	89-90	,,	,,
12.	सेमलिया	सेमलिया	,,	89–90	डीपीएबी	,,
13.	नापलानादिया-I	पादिया	,,	90–91	टीएडी	अविद्युतिकृत है
14.	,, -II	,,	,,	90–91	डीपीएपी	,,
15.	धारणा-II	धारणा	,,	91–92	टीएडी	पूर्ण
16.	लाम्बाड़ाबरा-I	लाम्बाड़ाबरा	,,	91–92	डीपीएपी	,,
17.	,, -II	,,	,,	92–93	टीएडी	,,
18.	बोरी	बोरी	,,	92–93	,,	अविद्युतिकृत
19.	रोछड़ी	रीछड़ी	,,	93–94	,,	प्रगति पर है
20.	परातपाडा	परातपाडाकटूम्बी	,,	93–94	,	,,
21.	टुटी सालर	कटूबी	,,	93–94	,,	,,
22.	कुण्डल	कुण्डल	,,	93–94	,,	,,
23.	दांता	दांता	,,	93–94	,,	,,

(358)

1	2	3	4	5	6	7
	पंचायत समिति तलवाड़ा					
1.	केवडिया-I	तलवाडा	तलवाडा	89–90	टीएडी	पूर्ण
2.	विरपुर-I	,,	,,	89-90	मेसिव	,,
3.	आम्बापुरा-I	अम्बापुरा	,,	89–90	डीपीएपी	,,
4.	गोमदा-II	,,	,,	90–91	टीएडी	,,
5.	मदियाकटारा-II	,,	,,	90–91	मेसिव	,,
6.	बंदरेल	छोटीबदरेल	,,	90–91	टीएडी	,,
7.	केवडिया-II	तलवाडा	,,	90–91	,,	,,
8.	मेदियाकटारा-I	आम्बापुरा	,,	90–91	मेसिव	,,
9.	गोमदा-I	,,	,,	90–91	टीएडी	,,
10.	आनन्दपुरा	,,	,,	90–91	मेसिव	,,
11.	आंकलेश्वर	कुण्डला	,,	90–91	टीएडी	,,
12.	बडलियाखान्टु	आम्बापुरा	,,	90–91	स्टेटबजट	,,
13.	कुशालपुरा	कुशालपुरा	,,	91–92	टीएडी	,,
14.	बिरपुरा	बोरिया	,,	91–92	स्टेटबजट	,,
15.	मेदियाडिडोर	आम्बापुरा	,,	91–92	टीएडी	,,
16.	आम्बापुरा-II	,,	,,	91–92	स्टेटबजट	,,
17.	विरपुर-II	,,	,,	91–92	डीपीएपी	,,
18.	आम्बापुरा-III	,,	,,	91–92	,,	,,
19.	मेडियासेहिडा	,,	,,	91–92	टीएडी	,,
20.	केवडिया-III	तलवाडा	,,	92–93	,,	,,
21.	मोतिरा	घलकिया	,,	92–93	,,	कार्य प्रगति पर है
22.	कलियारी	भरनिया	,,	92–93	,,	,,
23.	गोमदा-III	गोमदा	,,	92–93	टीएडी	पूर्ण

नोट :—अविद्युतिकृत योजना में विद्युत मण्डल द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की राशि हस्तान्तरित कर दी गई है ।